उत्तर प्रदेश वार्षिक रिपोर्ट

१६६०-६१

खण्ड २

सामान्य प्रशासन, भूमि प्रशासन, शांति और व्यवस्था, न्याय वित्त आदि

विषय-सूची

अध्याय १—वर्ष की स्थिति

अध्याय ६—शिक्षा, अनुसंधान आदि

अध्याय ७—कल्याण, उत्थान और सहायता तथा पुनर्वास

अध्याय ८—स्थानीय निकायों के कार्य

अध्याय ६—प्रकीर्ण

टिप्पणी

इस खड मे दिये गये विवरण सामान्यत. वित्तीय वर्ष १६६०-६१ से संबंधित है। जहां विशेष कारणो से वित्तीय वर्ष का अनुसरण करना सभव नही था वहा इस संबध में नीचे दी गयी टिप्पणियो द्वारा आलोच्य समयावधि दर्शित कर दी गयी है।

उत्तर प्रदेश राज्य-वार्षिक रिपोर्ट १६६०-६१

खंड १

अध्याय १

वर्ष की स्थिति

१—वर्षा, बाढ़ और सामान्य स्थित आदि

सामान्य

१६६०–६१ मे सामान्यतः राज्य मे मौसम प्रतिकूल रहा और वर्ष के उत्तरार्द्ध में कई बाढ़ आयीं ।

कृषि की दृष्टि से १३६७ फसली वर्ष साधारण नही कहा जा सकता । राज्य मे, विशेषत पूर्वी जिलो में, सूखे की गंभीर स्थिति के कारण खरीफ की फसल नष्ट हो गयी । पिछली बरसात में मानसून देर मे शुरू हुआ और जुलाई, १६५६ के दूसरे सप्ताह तक छिट-पुट और मामूली वर्षा होती रही । जुलाई के तीसरे, चौथे तथा अगस्त के पहले सप्ताहो में बारिश जरूर हुई, लेकिन सामान्यत आवश्यकता से कम, अनिश्चित और कहीं कम तथा कहीं ज्यादा । अगस्त के दूसरे पखवारे के बाद बारिश एकाएक बन्द हो गयी और विशेष कर पूर्वी जिलो में सूखे के लक्षण दिखायी पड़ने लगे । सूखे की स्थिति सितम्बर, १६५६ के तीसरे सप्ताह तक बनी रही, जिससे बरेली, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, पीलीभीत, वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ, देवरिया, फैजाबाद, गोडा, बहराइच, मुल्तानपुर और प्रतापगढ जिलो मे खरीफ की खडी फसल को काफी क्षति पहुंची ।

१६६०–६१ मे मौसम की स्थिति का विवरण

आलोच्य वर्ष के अप्रैल मास में मौसम मुख्यत गरम और सूखा रहा । पहले हफ्ते मे मेरठ, रुहेलखड, गोरखपुर और फैजाबाद डिवीजनो में छिटपुट वर्षा हुई । अप्रैल के शेष दिनो में राज्य में प्राय बिलकुल ही वर्षा नहीं हुई । मई का पहला पखवारा भी सूखा ही गया, लेकिन दूसरे पखवारे में हल्की बूदा-बांदी प्राय. सारे राज्य में हुई ।

जून के महीने मे बदली छायी रही और अधिकाश जिलो में समय-समय पर बूदा-बादी भी हुई । इसके बाद सारे राज्य मे काफी बारिश हुई । जुलाई के दूसरे सप्ताह में मानसून ने अपना पूरा रग दिखाया और मेरठ, रुहेलखंड, गोरखपुर, कुमायू, लखनऊ और फैजाबाद डिवीजनो में अत्यधिक वर्षा हुई और दूसरे क्षेत्रो मे भी भारी बरसात हुई । मौसम गर्म रहा और बदली छायी रही । अगस्त के पहले पखवारे में कई जिलो, विशेषकर झासी डिवीजन मे अत्यधिक बारिश हुई और राज्य के शेष जिलो में औसत बरसात हुई । दूसरे पखवारे में अधिकांश जिलों मे भारी वर्षा हुई और मेरठ तथा आगरा डिवीजनो में अत्यधिक पानी बरसा । सम्पूर्ण प्रदेश में मौसम नम रहा तथा बादल घिरे रहे ।

सितम्बर के पहले सप्ताह मे बरेली, शाहजहापुर, पीलीभीत, रामपुर, नैनीताल, हरदोई सीतापुर, गोडा और बहराइच जिलों में अत्यधिक पानी बरसा और राज्य के शेष जिलों मे हल्की बूदाबादी हुई । फिर भी झासी डिवीजन के जिलो में बरसात अपर्याप्त हुई । दूसरे पखवारे

मे प्रायः समूचे राज्य मे कही हल्की और कहीं काफी अधिक वर्षा हुई। सामान्यत जहा पहल पखवारे में बदली छायी रही वहा मास के दूसरे पखवारे में आकाश साफ रहा। अक्तूबर के पहले पखवारे मे पुन बदली छा गयी और मैनपुरी, बरेली, बदायूं, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, पीलीभीत, रामपुर, फर्रुखाबाद, इटावा, कानपुर, फतेहपुर, बादा, झासी, जालौन, नैनीताल, लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, खीरी और बहराइच जिलो में इस अवधि मे अत्यधिक वर्षा हुई। शेष महीने मे प्राय वर्षा नही हुई और मौसम ठडा तथा आसमान साफ हो गया। दिसम्बर के आखिरी सप्ताह को छोड कर नवम्बर और दिसम्बर के महीने मे बरसात नही हुई। दिसम्बर के आखिरी हफ्ते मे मेरठ, आगरा, रुहेलखड, कुमायू और उत्तराखड डिवीजनो में हल्की बरसात हुई। फिर भी दिसम्बर खतम होते-होते आकाश मे बादल छाये रहे।

जनवरी, १९६१ में पहले और आखिरी हफ्तो मे सारे राज्य में हल्की और छिटपुट बूदा-बांदी हुई और बाकी महीने भर पानी नही गिरा। महीने के अधिकाश हिस्से में मौसम ठडा रहा और बादल घिरे रहे। फरवरी के पहले पखवारे मे देहरादून, अल्मोडा, गढवाल और खीरी जिलो मे भारी बरसात हुई और शेष भागो मे औसत वर्षा हुई। अधिकाशत मौसम सूखा, ठंडा और साफ रहा। मार्च मे मौसम प्राय गरम, साफ और सूखा रहा और समय-समय पर गोरखपुर और फैजाबाद डिवीजनो के जिलो में तेज पछुवा हवा चलती रही।

बाढ़

पिछले वर्ष की तुलना मे इस वर्ष भयकर बाढे आयी। कुछ जिलो मे तो ऐसी बाढें पहले कभी आयी ही न थीं। मानसून समय से आया। जुलाई, १९६० के पहले पखवारे में हुई भारी वर्षा से पहुची क्षति को छोड कर खरीफ की अच्छी फसल मिलने की सम्भावना थी। जुलाई के पहले पखवारे की भारी बरसात जो विशेषकर मथुरा, आगरा, वाराणसी, लखनऊ, हरदोई, प्रतापगढ़ और बाराबकी जिलो मे हुई थी, वह पूरे मास की सामान्य औसत वर्षा से अधिक थी और उसके परिणाम स्वरूप यहा की नीची जमीन में पानी भर गया और वहा की छोटी नदियो नालो में बाढ आ गयी। अगस्त, १९६० के पहले पखवारे मे राज्य के कतिपय जिलो मे पुन ज्यादा पानी गिरने के फलस्वरूप खरीफ की अच्छी फसल पाने की आशा पर पानी फिर गया। फिर सितम्बर के अन्तिम सप्ताह और अक्तूबर के पहले पखवारे में राज्य के कुछ जिलो में जैसे पीलीभीत, सीतापुर, शाहजहॉपुर, मुरादाबाद, बदायू, रामपुर, फर्रुखाबाद, इटावा कानपुर, फतेहपुर, जालौन, लखनऊ, हरदोई, खीरी, बहराइच और बाराबकी में असाधारण बारिश हुई, फलत भयंकर बाढे आयी और इन जिलो के निचले हिस्सो मे पानी भर गया।

लखनऊ जिले मे गोमती नदी की बाढ ने सभी पिछले रिकार्ड तोड दिये और बाढ-स्तर ३७१.४५ फुट तक पहुच गया, जबकि इसके पहले १९२३ का बाढ बिन्दु ३६८ फुट था जो अब तक की बाढो मे उच्चतम बिन्दु था। इस नदी ने लखनऊ नगर मे तहलका मचा दिया और इससे मकानो तथा अन्य सम्पत्ति को अभूतपूर्व क्षति पहुची। नगर के निचले क्षेत्र पानी मे पूर्णतः डूब गये और इन क्षेत्रो के निवासियो की सामान्य जीवनचर्या लगभग एक सप्ताह तक अव्यवस्थित रही। गोमती नदी के इस पार और उस पार के क्षेत्र को जोडने वाला लोहे का पुल बाढ से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ और उसका एक भाग तो परी तरह बह गया। इस वर्ष राज्य मे बाढों से हुई हानि का अनुमान नीचे के आंकड़ो से किया जा सकता है --

		एकड
(१) प्रभावित क्षेत्र--		
	(क) कृषि क्षेत्र	५२,४१,२२३
	(ख) पानी लगा क्षेत्र	२७,९०,७४९
(२) प्रभावित गावो की सख्या	.. ..	२७,३०१

(४) जीवन-हानि

(क) मनुष्य	३१३
(ख) पशु	२,७१५

बाढ़ आदि संबंधी सहायता कार्य

बाढ़ और अत्यधिक वर्षा के सिलसिले में सरकार ने तत्काल ही पर्याप्त सहायता पहुंचायी। ३१ मार्च, १९६१ तक स्वीकृत राशियों का व्यौरा इस प्रकार था—

	रुपया
(१) मुफ्त सहायता, जिनमें बाढ़ अथा अत्यधिक वर्षा के फलस्वरूप ढह गये या अंशतः क्षतिग्रस्त मकानों के लिये आर्थिक सहायता भी शामिल थी	२९,२५,१६२
(२) टेस्ट वर्क और सहायता कार्य	१६,९०,०००
(३) अधिनियम १२ के अधीन तकावी (जिसमें सामान्य आपद् और गृह निर्माण तकावी भी सम्मिलित थी)	१,०५,००,०००
(४) अधिनियम १९ के अधीन तकावी	१०,००,०००
योग	१,६१,१५,१६२

बाढ़ के सिलसिले में सरकार द्वारा दी गयी कुछ अन्य सहायता का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है :—

(क) खाद्यानो की बढ़ती हुई कीमतो का सामना करने और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र के निवासियों को सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से भारत सरकार से बड़ी मात्रा में आयात किया हुआ गेहूं उपलब्ध किया गया और उसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचाया गया। यह गेहूं दाम के दाम पर सस्ते गल्ले की दूकानो के माध्यम से बेचा गया किन्तु गोदामो से दूर देहातो तक गेहूं ले जाने के भाड़े के लिए सरकार ने आर्थिक सहायता दी। रियायती दरो पर मोटे अनाज जैसे चना, बाजरा, जौ, बेझर, ज्वार, मक्का आदि बिक्री करने हेतु दिये गये। वर्ष में इस मद पर सरकार को १६.६४ लाख रुपया खर्च करना पड़ा। अल्मोड़ा, गढ़वाल, टेहरी, गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ के पहाड़ी जिलों से भी सरकार को निकटतम रेलवे गोदाम से वितरण केन्द्र तक प्रति मन ४ रुपया अधिक की दर से पूरा-पूरा परिवहन भाड़ा उठाना पड़ा। अकेले इसी मद पर सरकार को लगभग १८.५० लाख रुपये का खर्च उठाना पड़ा।

(ख) बाढ़ के बाद मलेरिया, हैजा और पशुओं की बीमारियां सामान्यतः फैलती हैं। अतएव संबंधित अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में उनकी रोकथाम संबंधी आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। लखनऊ नगर महापालिका के सहयोग से लखनऊ जिले में सफाई संबंधी व्यवस्था करने हेतु उत्तर प्रदेश के जनस्वास्थ्य तथा चिकित्सा निदेशक को ४,४५,००० रुपये की एक विशेष धनराशि दी गयी। पेल्यूड्रीन तथा अन्य औषधियों के वितरण और हैजे का टीका लगाने की भी व्यवस्था की गयी।

(ग) वन विभाग द्वारा बांस, बल्लियों, फूस आदि इमारती सामान की सप्लाई करने की व्यवस्था की गयी। ये सामान आपद्ग्रस्त व्यक्तियो को खरीद के भाव दिया गया और उनका परिवहन भाड़ा तथा अन्य प्रासंगिक व्यय सरकार ने वहन किया।

इस संबंध में परिवहन भाड़ा तथा प्रासंगिक खर्च को पूरा करने के लिए जिला अधिकारियो को २,५५,००० रुपये की रकम दी गयी। जिला अधिकारियो को यह अधिकार भी दिया गया कि वे उपयुक्त व्यक्तियो को ये सामान मुफ्त दे सकते थे। और इस खर्च को 'मुफ्त सहायता' के मद में डाल सकते थे।

(घ) जिन जिलो मे मवेशियो के चारे के बारे मे अभाव की आशका थी, वहा सरकारी जंगलो से जगली घास सप्लाई करने का प्रबन्ध किया गया। बाढ-प्रभावित क्षेत्रो के पास-पडोस के सुरक्षित सरकारी वनो को चराई के लिए खोल दिया गया। जहा जरूरी था सस्ती दरो पर भूसा सप्लाई किया गया और परिवहन भाडा तथा अन्य प्रासंगिक खर्चों को सरकार ने वहन किया।

(च) बाढ में बह गये गांवो को ऊंचे स्थलो पर बसाने के काम की ओर विशेष ध्यान देने के निर्देश जिला अधिकारियो को दिये गये। नियोजित आधार पर मकान बनाने में जनता को सक्रिय सहयोग देने के लिए कहा गया और इस कार्य के लिए गाव-समाज तथा वन विभाग की जमीन यथासंभव उपलब्ध करायी गयी।

(छ) बाढ़ प्रभावित जनता को रोजगार देने की सुविधा देने के उद्देश्य से वैभागिक कार्यों की गति तेज की गयी। जिन क्षेत्रो में इन कार्यों का कार्यान्वयन नहीं हो रहा था, वहा टेस्ट वर्क शुरू किये गये और १६,६०,००० रुपये इस कार्य के लिए स्वीकृत किये गये।

(ज) बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों के निर्माण और मरम्मत के लिए पहले किसानेत्तर लोगो की ऋण सीमा २५० रुपये प्रति परिवार थी। इस ऋण-सीमा को पंचमहा-नगरियो के लिए बढा कर २,००० रुपया और अन्य नगरो के लिए १,०००रुपया कर दिया गया।

(झ) आलोच्य वर्ष के पहले शहरी क्षेत्रो के लिए गृह निर्माण सबंधी आर्थिक सहायता की सीमा प्रति परिवार ५० रुपया और ग्रामीण क्षेत्रो के लिए प्रति परिवार २५ रुपया थी। इस सीमा को बढ़ा कर पचमहानगरियो के लिए २०० रुपया, अन्य नगरो के लिए १०० रुपया और ग्रामीण क्षेत्रो के लिए ५० रुपया कर दी गयी।

(ट) पच महानगरियो के किसानेत्तर लोगो को अधिक से अधिक ५०० रुपया प्रति परिवार आपदा अनुदान और राज्य के अन्य नगरो के लिए प्रति परिवार २५० रुपये का अनुदान देने की जिला अधिकारियो को अनुमति दी गयी।

(ठ) आर्थिक सहायता के आधार पर ग्राम सभाओ को देशी नावें सप्लाई करने का प्रबन्ध किया गया। वर्ष के आरम्भ मे १,१२४ देशी नावें, २८ निरीक्षण बजरे तथा अन्य प्रकार की नावे उपलब्ध थीं। साथ ही ६२ नयी नावो के निर्माण के लिए धन की व्यवस्था की गयी।

(ड) रबी, १३६७ फसली के सरकारी मतालबो यथा मालगुजारी, तकावी, जूहर तथा बीज के बकाये की वसूली खरीफ १३६८ की वसूली शुरू होने तक स्थगित कर दी गयी, क्योकि बाढ़ और अत्यधिक वर्षा के कारण फसल को क्षति पहुंची थी।

ओले और तूफान

मार्च के महीने में ओले पड़ने और तेज पछुवा हवा चलने से रबी की उपज पर नुकसान-देह प्रभाव पडा। उसके बाद अप्रैल के पहले हफ्ते में कई जिलो में तूफान आये। इससे जनहानि और पशुहानि तो हुई ही, साथ ही खलिहान में मडाई के लिए पड़ी उपज को भी

अग्निकांड

अग्निकांडो की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई। राज्य के लगभग ३७ जिलो से अग्निकांड की सूचनाएं मिलीं और लगभग ४,१५२ ग्राम इससे प्रभावित हुए। कुल मिलाकर ४२७ जनहानि और २,८०४ पशु हानि हुई तथा ४८,१२३ घर नष्ट हो गये। अग्निकाड स शाहजहांपुर के जिले में सबसे अधिक तहलका मचा। वहा इसके फलस्वरूप १०३ जनहानि और ८३३ पशुहानि हुई। अग्निकाडो से त्रस्त जनता को मुफ्त सहायता के रूप में वितरित करने के लिए सरकार ने ३,५४,००० रुपये की धनराशि स्वीकृत की।

तकावी

राजस्व वर्ष १९५९–६० में उर्वरक, खाद, कृषि-उपकरण, बैल, बीज, दुग्धशाला कार्य के लिए, गायों, सुधरे कोल्हुओं और कड़ाहो की खरीद तथा अग्निकाड बाढ़, सूखा, ओले पडने के कारण पीड़ित व्यक्तियो की सहायता और बाढ एवं अत्यधिक वर्षा से क्षति-ग्रस्त मकानो के निर्माण और मरम्मत तथा नलकूप, रहट और पंपिंग प्लाट लगाने, गहरी बोरिंग कुएं गलाने, बंधिया बनाने तथा उनकी मरम्मत, ट्रैक्टरो की खरीद, कृषि क्षेत्रो मे भूमि संरक्षण कार्य करके उनका सुधार करने, पूर्वी जिलो के लिए पक्के कुंओं की विशेष योजना और पहाडी जिलो में गूलो के निर्माण आदि के लिए २,५७,५६,३०७ रुपये की तकावी (१,५३,४५,७१७ रुपये १८८४ के अधिनियम १२ के अधीन तथा १,०४,१३,५९० रुपये १८८३ के अधिनियम १९ के अधीन) दी गयी।

आलोच्य वर्ष में दोनों अधिनियमों के अन्तर्गत ७७,१३,०५७ रुपये की कुल धनराशि स्थगित की गयी और कुल २,६७,१७,८०२ रुपये जमा हुए।

राजस्व की छूट और स्थगन

फसली १३६७ की रबी की फसलो को ओले, पछुवा (हवा), सूखा तथा अग्नि से काफी नुकसान पहुंचा। इन विपत्तियो के फलस्वरूप हुए कष्टों को ध्यान मे रखते हुए, राज्य सरकार ने सहायता के रूप में राजस्व में ४१,३२,१८२ तथा २,२९५ की क्रमश छूट दी तथा स्थगन किया। फसली १३६८ की खरीफ के फसल को भी बाढ, अत्यधिक वर्षा तथा भूमि के जलग्रस्त होने के कारण व्यापक हानि उठानी पड़ी जिसके फलस्वरूप राजस्व में सहायता देने की आवश्यकता पड़ी। किसानो के क्लेशों को कम करने के लिए, राज्य सरकार ने राजस्व में ९७,९२,५९२ रुपयों तथा ७,३६,४६८ रुपयो की क्रमश: छूट दी तथा स्थगन किया।

टिड्डियां

फसल सुरक्षा अमले ने उन सभी स्थानों का सर्वेक्षण किया जहां-जहा टिड्डिया गयी थीं, विशेष करके अलीगढ, बदायू, फर्रुखाबाद, शाहजहापुर, उन्नाव, रायबरेली, सहारनपुर, मेरठ, बुलन्दशहर, मथुरा, आगरा, एटा, मैनपुरी, झासी, हमीरपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, मुजफ्फरनगर तथा आजमगढ़ जिलों मे। यह पता लगाने के लिए कि किन्हीं क्षेत्रो में टिड्डियों ने अंडे दिये हैं या नहीं, कर्मचारियो के सभी संभव कदम उठाये परन्तु जिन जिलो में मे टिड्डियो का आक्रमण हुआ उनमें से किसी में भी टिड्डियो के अंडे नहीं मिले। राजस्व, नियोजन तथा शिक्षा विभागों के अमलो के सहयोग से फसल सुरक्षा कर्मचारियो ने व्यापक रूप में नियत्रक कदम उठाये, जिनके फलस्वरूप लगभग १,९९९ मन टिड्डियां मारी गयीं। विभिन्न सरकारी विभागों के कर्मचारियो, राज्य भर मे सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओ तथा ग्रामीणों को टिड्डी विरोधी प्रयासो में प्रशिक्षित किया गया। टिड्डी विरोधी प्रयासो से संबधित साहित्य का भी वितरण किया गया।

जोताईवाला क्षेत्र

बारी-बारी से फसलों की बुआई, बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने तथा बुआई के वक्त मौसम अच्छा रहने के फलस्वरूप खरीफ की फसलों का क्षेत्र १९५८–५९ के २,६६,६५,४०६

एकड़ों की तुलना में सन् १९५९–६० में बढ़ कर २७१,०९,१५४ एकड हो गया। सितम्बर में वर्षा की कमी के कारण रबी की बुवाई के समय जमीन में नमी की कमी आ गयी जिसके फल-स्वरूप रबी की बुवाई के क्षेत्र मे कमी हो गयी। १९५८–५९ में २,४८,४५,७६६ एकडो से गिर कर आलोच्य वर्ष में यह २,४६,२९,८६३ एकड रह गया। जायद फसलों का क्षेत्र भी १९५८–५९ के २,३८,७२९ एकड़ो से घट कर २,२१,३८४ एकड रह गया।

राज्य भर में जोती गयी भूमि का क्षेत्र पूर्वगामी वर्ष के ५,२०,४९,९०१ एकड़ो की तुलना में इस वर्ष ५,१९,६०,४०१ एकड रहा। पूर्वगामी वर्ष के ४, ०५,७३४१५ एकडो की तुलना मे इस वर्ष जोती हुई भूमि का वास्तविक क्षेत्र ४,०७,९१,८७८ एकड़ था।

सिंचित क्षेत्र

वर्षा के एक प्रकार से अभाव के बावजूद सिंचन सुविधाओ में वृद्धि होने के फलस्वरूप राज्य में सिंचित क्षेत्र १९५८–५९ के १,२०,६१,८६९ एकड़ से बढ़ कर १,२६,५८,६३० एकड़ हो गया।

वर्ष में बनाये गये पक्के कुओं की संख्या १५,५९० थी। इस प्रकार के कुओं की अधिकतम संख्या अलीगढ़ जिले मे थी। वास्तव मे सिंचाई के उपयोग में आने वाले कच्चे और पक्के कुओ की संख्या आलोच्य वर्ष मे क्रमशः १,५८,४१८ और ६,५४,४३९ थी।

कीमतें

कृषि उपज की थोक कीमतों का स्तर जो पूर्व वर्ष मंदी की ओर था १९६०–६१ में महंगी की ओर बढ़ा। कृषि की थोक कीमतो का औसत सामान्य सूचनाक (१९४८=१००) ९७.९ था जबकि १९५९–६० में यह ९६.१ था, जिससे १ ८ प्रतिशत की वृद्धि का पता चलता है। औद्योगिक थोक कीमते (१९४८=१००) महगी की ओर बढ़ती रही और औसत सामान्य सूचनाक १२४.० हुआ जबकि १९५९–६० में यह ११९.३ (संशोधन) था। कृषि समानान्तर सूचनाक (१९४८-१००) जिसका उद्देश्य कीमतो की घटी-बढ़ी का किसानो पर पड़ने वाले शुद्ध प्रभाव का परिलक्षण है, १९५९–६० के ८७.७५ (संशोधन) से गिर कर ८४.४ हो गया।

नोट—जोताई वाले क्षेत्र तथा सिंचित क्षेत्र से सबधित अनुच्छेदो का सबंध ३० जून, १९६० को समाप्त होने वाले फसली वर्ष से है।

अध्याय २

नियोजन

१ नियोजन और विकास कार्य

सामान्य

इस वर्ष सामुदायिक विकास के विभिन्न कार्यक्रमों को प्रगाढ़ रूप दिया गया, नयी योजनायें चालू की गयी और तीसरी पंचवर्षीय योजना बनायी गयी। गावों में पंचायत चुनाव भी कराये गये। क्षेत्र विकास समिति और जिला परिषद विधेयक, १९६० विधान मंडल द्वारा पारित किया गया जो पचायत की धारणा को मूर्तरूप देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम था। इस विधेयक द्वारा प्रस्ताव किया गया था कि खंड और जिला स्तरों पर विधि-सम्मत सस्थाये कायम की जाये और उन्हें कुछ अधिकार दिये जायं तथा गाव पचायतों से उनका संबंध हो सके। सरकारी कार्यों के लोकतन्त्रात्मक विकेन्द्रीकरण के सिद्धात की प्रगति की दिशा में इसके द्वारा निश्चित कदम उठाया गया और ग्रामीण क्षेत्रों मे उचित रूप में स्वायत शासन चलाना इसके जरिये सुनिश्चित हो गया। राज्य में इस वर्ष खाद्य उत्पादन १४१ लाख टन तक हो गया और इस प्रकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्य से ऊपर पहुंच गया। खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने के निमित्त छोटी सिंचाई के कार्यक्रम में प्रगाढ़ता लाने के प्रयत्नो को और बल मिला।

योजना की तैयारी

सन १९५६ में योजना आयोग ने राज्य की द्वितीय पचवर्षीय योजना का परिणाम २५३.०९ करोड़ रुपये के रखे जाने का अनुमोदन किया था। राज्य योजना के प्रथम चार वर्षों में १७७.२४ करोड़ रुपये के व्यय होने का अनुमान था। सन् १९६०–६१ के वर्ष में राज्य के पिछडे क्षेत्रो के लिए २ करोड लागत के विशेष कार्यक्रम को छोड़कर अधिकतम ५३ करोड़ रुपये व्यय करना स्वीकृत हुआ। १९६०–६१ की राज्य विकास योजना की रूपरेखा तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखा गया कि पूरी हो चुकी योजनाओं से पूरा-पूरा लाभ उठाया जाय और पूरक धन लगाने की बात को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाय। बड़ी योजनाओं की पूर्ति में शीघ्रता लायी जाय और नियोजित क्षेत्रिक विकास के विचार को व्यावहारिक रूप दिया जाय। वार्षिक योजना की रूपरेखा में तीसरी पचवर्षीय योजना की परियोजनाओ के परीक्षण और पर्यालोकन पर होने वाले प्रारम्भिक व्यय को भी सम्मिलित कर लिया गया। इस वर्ष वार्षिक योजना के अन्तर्गत होने वाली धनराशियो का सदुपयोग शीघ्रता से करने के प्रयत्न किये गये। इस वर्ष के व्यय का सशोधित अनुमान ५४.७५ करोड रुपये था।

राज्य की तीसरी पचवर्षीय योजना का प्रारूप बनाने का कार्य इस वर्ष हाथ में लिया गया और १४ कार्यदल संगठित किये गये ताकि तीसरी योजना की आवश्यकताओ के संबध में और अध्ययन करने के लिए कार्याधार बन सके। कार्यदलो द्वारा तैयार किये गये प्रस्ताव और राज्य सरकार द्वारा किये गये और अध्ययन के फलस्वरूप ७२४.६४ करोड रुपये की लागत की तीसरी पचवर्षीय योजना का प्रारूप योजना आयोग के सम्मुख सितम्बर १९६० में प्रस्तुत किया गया।

आयोग ने राज्य की तृतीय पचवर्षीय योजना पर अधिकतम ४९७ करोड़ रुपये व्यय किये जाने की संस्तुति की। इसमें उत्तराखड योजनाओ पर व्यय होने वाले २८ करोड

रुपये भी शामिल थे। तदनुसार मार्च, १९६१ में तीसरी पंचवर्षीय योजना का संशोधित और अंतिम प्रारूप प्रकाशित किया गया और उसे योजना आयोग तथा अन्य मंत्रालयों को प्रेषित किया गया।

विभिन्न स्तरों पर योजना की रूपरेखा बनाने के कार्य पर काफी ध्यान दिया गया और ग्राम, खंड तथा जिला योजनाओं को अंतिम रूप ग्राम पंचायतों, खंड विकास समितियों तथा अन्तरिम जिला परिषदों द्वारा दिया गया।

स्थानीय विकास कार्य

स्थानीय विकास का कार्यक्रम पहले की भांति आरम्भ किया गया। इसके लिए भारत सरकार से ६८.१५ लाख रुपये की धनराशि मिली। राज्य सरकार ने राज्य-आत्म-सहायता अनुदान में से १९.५१ लाख रुपये की व्यवस्था की। बाद में इस धनराशि में ५,०९,२०० रुपये का एक अतिरिक्त अनुदान और जोड़ा गया।

आलोच्य वर्ष में कृषि उपज में उल्लेखनीय वृद्धि करने वाली गांव सभाओं को पुरस्कार देने की योजना को कार्यान्वित किया गया और इस कार्य के लिए जिलों को ८.७६ लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध करायी गयी। ग्राम सहायक सम्मेलन और 'भारत-दर्शन' पर्यटन के संगठन के लिए ३,१५,००० रुपये की धनराशि नियत की गयी।

श्रमदान

वर्ष में श्रमदान कार्य छोटे पैमाने पर हुआ। श्रमदान कार्य का संगठन जिन महीनों में प्रायः किया जाता था (जनवरी-फरवरी) उन्हीं महीनों में पंचायत-चुनाव के सिलसिले में ग्रामीण जनता में काफी हलचल रही और कर्मचारी भी चुनाव प्रबन्ध तथा १९६१ की जन-गणना के कार्य-संगठन में व्यस्त रहे। चूंकि लोगों का ध्यान दूसरी ओर था इसलिए श्रमदान की दिशा में जन-बल पूरी तरह मोड़ा नहीं जा सका। फिर भी श्रमदान के प्रति जो जनरुचि परिलक्षित हुई वह उत्साहवर्द्धक रही और परिणाम अच्छे रहे। आर्थिक लाभ वाले कार्यों को केवल अधिक सुविधा प्रदान करने वाले कार्यों की तुलना में वरीयता दी गयी। श्रमदान द्वारा किये गये कतिपय कार्यों और उनकी सफलताओं का विवरण नीचे दिया गया है:—

(१) कच्ची सड़कों का निर्माण	..	३,५३९ मील और १६२ गज
(२) कच्ची सड़कों की मरम्मत	..	६,०९३ मील ४ फर्लांग और १७५ गज
(३) गूलों का निर्माण	..	१,२७८ मील, ७ फर्लांग और ११५ गज
(४) गूलों की मरम्मत	..	२,२८५ मील, ७ फर्लांग और २२८ गज
(५) पानी निकासी नालियों का निर्माण		७९ मील, ७ फर्लांग और १२७ गज
(६) कम्पोस्ट गड्ढों की खुदाई	..	३,८३,१०६
(७) पुलियों का निर्माण	..	८८२
(८) ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाना		१०,२५४ एकड़
(९) सिंचाई की नालियों का निर्माण		५६२ मील
(१०) स्कूल भवनों का निर्माण		३४५
(११) पोखरों की खुदाई	..	५४८

सामुदायिक विकास कार्यक्रम

सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जो आठ वर्षों से चल रहा था के अन्तर्गत लगभग ७०,००० गाव तथा ३३५ लाख ग्रामीण जनता आ गयी जो राज्य की कुल ग्रामीण जन-संख्या का ६६ प्रतिशत था।

वर्ष के दौरान में ४६ पूर्व प्रसार खड १ अप्रैल, १९६० से और इसी प्रकार अन्य ४६ खंड १ अक्तूबर, १९६० से आरम्भ किये गये। ये खड क्रमशः १ अप्रैल, १९६१ और १ अक्तूबर १९६१ तक विकास के प्रथम चरण में आ जाने थे।

३४ पूर्व प्रसार खडों को जो १ अप्रैल, १९५९ को खोले गये थे और ३७ ऐसे ही खंडो को जो १ अक्तूबर १९५९ को खोले गये थे क्रमश १ अप्रैल, १९६० तथा १ अक्तूबर, १९६० को प्रथम चरण वाला रूप दे दिया गया। सामुदायिक विकास मत्रालय से ९ प्रथम चरण के खंड अलग से प्राप्त हुए और सीमावर्ती इलाको के इतने ही छाया खंडो को १ अप्रैल, १९६० से प्रथम चरण खडो के रूप में घोषित किया गया।

आलोच्य वर्ष में ५४ प्रगाढ़ विकास केंद्रो में से ३५ ने दूसरे चरण में प्रवेश किया। आलोच्य वर्ष भर में शेष १९ खड प्रगाढ विकास केंद्रो के रूप में कार्य करते रहे।

३१ मार्च, १९६१ को विभिन्न ढंगों के खडों का, जो कार्य कर रहे थे, विवरण निम्नलिखित है:—

पूर्व प्रसार खड	९२
प्रथम चरण खंड	३९१
प्रगाढ़ विकास खंड	१९
द्वितीय चरण खंड	९६
योग ..	५९८

(क) बजट—प्रथम एव द्वितीय चरणो के खडो और प्रगाढ विकास खडो मे सामुदायिक विकास के कार्यक्रम को चालू रखने के लिए राज्य के बजट में ६३—बी—२ राष्ट्रीय प्रसार योजना मद मे सीधा खर्च करने के लिए ७८३ ८२ लाख रुपयो का प्राविधान किया गया। [इसमें से योजनेत्तर (पहले प्रारम्भ किये गये) कार्यों के लिए १४२.५८ लाख रुपया और विकास के लिए ६४१.२४ लाख रुपया था।] 'एपी ऋण और अग्रिम' के मद में १०९.२६ लाख रुपयो का प्राविधान किया गया। विभिन्न कार्यो में प्रगति लाने के निमित्त किये गये प्रगाढ़ प्रयासो के कारण इन दोनो ही मदो में काफी रुपयो की कमी पड गयी और अन्य मदो से लेकर '६३—बी-२—रा० प्र० सो० यो०' में १७.८६ लाख रुपया और पी-ऋण और अग्रिम' में ४२ लाख रुपये रखे गये। फरवरी, १९६१ तक ६७१.४८ लाख रुपये खर्च किये जा चुके थे। सन् १९६० —६१ में अभ्यर्पित रुपयो की कोई सूचना नहीं मिली। खण्डो को खोलने का लक्ष्य पूरा हो गया।

आलोच्य वर्ष में राज्य की सिंचाई और भूमि को कृषि योग्य बनाने के कार्यों के लिए ९८.२० लाख रुपये का प्राविधान किया गया और ९०.८१ लाख रुपये की एक अन्य धनराशि खण्डो भवनो के निर्माण के लिए रखी गयी। आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए ये धनराशिया कम पड़ गयी। अतएव सिंचाई विभाग को १.४३ लाख रुपये और सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन और सड़क) को ८ ४६ लाख रुपये और विकास खण्डो में काम करने के लिए दिये गये।

(ख) कृषि— इनाम देने की योजना को जो १९५८—५९ में प्रारम्भ की गयी थी जारी रखा गया। इसमें खण्ड विकास अधिकारियो, ग्राम सेवको और ग्राम सहायको मे पर्याप्त उत्साह का

संचार हुआ और स्वस्थ प्रतियोगिताओ की भावना जाग्रत हुई। इन प्रतियोगिताओं से एक नयी बात यह पैदा हुई कि अन्न का अधिक उत्पादन करने के लिए राज्य की कुछ गाव सभाओ ने दूसरी ग्राम सभाओ को चुनौती दी। राज्य भर मे बादा जिले की बहेडी गाव सभा सब से अधिक धान के और आगरा जिले की अहरेरी गाव सभा गेहू के उत्पादन में सर्वप्रथम रही। बहेड़ी मे लगभग ४० मन धान प्रति एकड और अहरेरी में लगभग ३८ मन गेहूं प्रति एकड की पैदावार हुई।

आलोच्य वर्ष में यह महत्वपूर्ण निश्चय किया गया कि सिंचाई, पशुपालन और कृषि-कार्यक्रमो के लिए प्रथम चरण के खण्डो की रचनाओ वाले बजट में ३.६० लाख रुपये से बढा कर ४.५० लाख रुपये नियत किये जायें। राज्य के कृषि संबधी कार्यक्रमो की प्रगति मे इससे काफी बल मिला।

कुछ महत्वपूर्ण अंगो में जो प्रगति हुई, वह निम्नलिखित है:—

(१) बीज वितरण—आलोच्य वर्ष में खरीफ के ४.६२ लाख मन और रबी के १८.७० लाख मन बीजो का वितरण किया गया।

(२) खादो का वितरण—पूर्वगामी वर्ष के २१ ४७ लाख मन उर्वरको की तुलना में इस वर्ष ३०.८८ लाख मन उर्वरक बाटे गये। खादो की अधिक खपत से यह साबित होता है कि किसानों का ध्यान खादो की उपयोगिता की ओर निरतर आकर्षित हो रहा है। उर्वरको के अतिरिक्त ०.८३ लाख मन हरी खादो के बीज भी बाटे गये।

(३) समुन्नत औजारो का वितरण—वर्ष भर में हर प्रकार के लगभग १.०६ लाख खेती के समुन्नत औजारो को बांटा गया।

(४) कृषि संबधी प्रदर्शन—समुन्नत कृषि उपायो और औजारो को अपनाने के लिए १.४८ लाख प्रदर्शन आयोजित किये गये।

(५) समुन्नत कृषि उपायो का प्रसार—जहा तक समुन्नत कृषि उपायो के प्रसार का संबंध है, प्रगति निम्नलिखित रही:—

			लाख एकड़
१—धान बोने का जापानी तरीका	..	..	१०.६५
२—गेहूं की बुवाई का उत्तर प्रदेशीय तरीका	..	..	११.२४
३—कतार की बुवाई	..	..	४५.५०
४—फलीदार फस्लो के क्षेत्र में वृद्धि	..	..	१.१
५—हरी खाद का उपयोग करने वाले क्षेत्र	..	..	७.३
६—गेहूं और जौ की बुवाई का डिब्लिंग तरीका	..	..	१.०

(६) कम्पोस्ट गड्ढे—वर्ष भर में लगभग ७.७१ लाख नये कम्पोस्ट गड्ढे खोदे गये।

(७) बाग—पूर्वगामी वर्ष मे ० १५६ लाख एकड़ क्षेत्र की तुलना में इस वर्ष ०.१७ लाख एकड क्षेत्र में नये बाग लगाये गये। इस वर्ष फलो के ३०.५४ लाख और जलाने वाली लकड़ी के १६ ५२ लाख वृक्ष लगाये गये।

(८) ग्रामीण क्षेत्रो में तरकारी उगाने को प्रोत्साहन देने के निमित्त व्यवस्थित और सुनियोजित प्रयास किये गये। प्रत्येक क्रियाशील खण्ड से १००रु० के मूल्य के तरकारी के बीजो के पैकेटों को ४ आने के नाम मात्र मूल्य पर बाटने को कहा गया।

(९) भूमि और जल संरक्षण—इस कार्यक्रम के अन्तर्गत १६.६६ लाख एकड़ क्षेत्र में बन्धियो, ३८.६६ लाख एकड क्षेत्र में दौल बधियो द्वारा और २.४८ लाख एकड क्षेत्र में सीढीदार खेती की गयी।

(१०) पौधो की सुरक्षा करना—यह अनुमान किया गया कि लगभग एक लाख एकड क्षेत्र मे छिडकाव किया गया। बहुत से खण्डो मे आम के भुनगो को मारने के लिए भी छिडकाव किया गया।

(११) ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाना—इस वर्ष दस चुने हुए खण्डो में ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए प्रारम्भिक कार्य किया गया।

(ग) पशु पालन—चिकित्सा संबधी सुविधाएं—आलोच्य वर्ष के अन्त तक राज्य के खण्ड क्षेत्रो में १७० से अधिक पशु-चिकित्सालय तथा स्टाक मैनो के अस्पतालो के भवनो का निर्माण किया जा चुका था।

विभिन्न रोगो के लिए वर्ष भर मे २६.१४ लाख पशुओ का इलाज किया गया था।

महामारियो की रोकथाम के लिए पशुओ को पशु-रोग तथा अन्य बीमारियों से बचाने के लिये लगभग ५० लाख टीके लगाये गये।

अभिजनन और नस्ल सुधार—शुद्ध नस्ल के ८,२३५ पशु बांटे गये। इनमें से १,५०० से अधिक साड़ थे। आलोच्य वर्ष में ८३,९८७ पशुओ को कृत्रिम गर्भाधान कराया गया जब कि पूर्वगामी वर्ष मे ऐसे पशुओ की सख्या ६४,७३९ थी। स्थानीय साडो द्वारा नस्ल खराब होने से रोकने के लिए ३७,६१० साडो को बधिया किया गया।

कुक्कुट विकास—आलोच्य वर्ष में शुद्ध नस्ल के ३४,१०१ समुन्नत पक्षियो, १५,३६२ मुर्गे और १८,३७९ मुर्गियो का वितरण किया गया। अच्छी नस्ल के अंडे सेने का कार्यक्रम पुरानी परिपाटी के अनुसार तथा दूसरे तरीके से ४० खण्डो में बडी सफलता से चलाया गया। राज्य की सभी कुक्कुट के शालाओ और कुक्कुट प्रसार इकाइयो में मुर्गीपालन के प्रशिक्षण का कार्यक्रम अपनाया गया।

जीरे (मछलियो के बीज)—आलोच्य वर्ष में गावो के कच्चे-पक्के तालाबो में छोडने के लिए लगभग १४.४३ लाख जीरे दिये गये।

(घ) उद्योग—१९५८ से पूर्व शैक्षिक और प्रशिक्षण एव उत्पादन केन्द्र फैली हुई अलग-अलग इकाइयो में चल रहे थे। इसलिए ठीक से इनके निरीक्षण का प्रबन्ध करने के लिए यह निश्चय किया गया कि विभिन्न योजनाओ के कार्यो का एकत्रीकरण कर दिया जाय। १९५८–५९ के वर्ष से इन केन्द्रो का संचालन चार-चार प्रशिक्षण एवं उत्पादन इकाइयो को एक समूह में करके हो रहा था।

विभिन्न प्रकार के समूहो का व्यौरा निम्नलिखित है—

१–५ शिल्पो के समूह		..	..	..	१
२–४ ,,	,,	.	..		३४
३–३ ,,	,,	..	..	..	१६
४–२ ,,	,,	..	..	..	१३
५—बिखरे हुए शिल्प		..	..	..	२८

पुनर्गठित योजनाओ के ध्येय और लक्ष्य निम्नलिखित थे।

१—कुटीर एवं लघु उद्योगो के आधार पर ग्रामीण शिल्पकारो एवं अन्य लोगो को उत्पादन के आधुनिक तरीको मे प्रशिक्षित करना।

२—वैज्ञानिक और आधुनिकतम समुन्नत औजारो को देकर प्राविधिक ज्ञान में वृद्धि करना।

३—कच्चे माल मिलने के लिए सुविधाए प्रदान करना ।

४—प्रशिक्षित शिल्पकारो की सहकारी समितिया सगठित करना ।

५—बाजारो और व्यवसायो से सबधित आधुनिकतम तरीको का ज्ञान कराना ।

६—प्रयासो में श्रम विभाजन, विशेषज्ञता और स्तरोन्नयन लाना ।

७—प्रशिक्षित व्यक्तियो, शिल्पकारो और उनकी सहकारी समितियो को सभी सम्भव आर्थिक और प्राविधिक सहायता देना और उनका पथ-प्रदर्शन करना ।

८—विभिन्न अखिल भारतीय समितियां और ग्रामीण क्षेत्रो की सस्थाओ के कार्यो का समन्वय करना ।

हर डिवीजन मे एक-एक आदर्श औद्योगिक समूह स्थापित करने के कार्यक्रम को भी प्रारम्भ किया गया । सन् १९६०–६१ मे इस योजना के अन्तर्गत लगभग ५८० ग्रामीण शिल्पकारो को प्रशिक्षित किया गया ।

सामुदायिक विकास क्षेत्रो के ग्रामीण शिल्पकारो के दृष्टिकोण को और विस्तृत एवं प्रगतिशील बनाने की दृष्टि से "भारत-दर्शन" दौरो के आधार पर औद्योगिक महत्व के स्थानो के दौरे पर ले जाने का एक प्रस्ताव किया गया और एक टुकडी १५ फरवरी, १९६१ को "भारत दर्शन" के दौरे पर ले जायी गयी ।

१९६०–६१ के वित्तीय वर्ष में प्रशिक्षित व्यक्तियो की सख्या २,३३८ थी । इसके अतिरिक्त ३,१५९ व्यक्ति प्रशिक्षित किये जा रहे थे । इन ३,१५९ में से, २,०३६ खण्ड क्षेत्रो के रहने वाले थे । इन प्रशिक्षित व्यक्तियो ने ९,८६,८३२ २९ रुपयो की कीमत का सामान बनाया और उसमें से ९,०३,११६ १७ रुपये का सामान बेंच दिया गया ।

२,३३८ प्रशिक्षित व्यक्तियो मे १,५१० को ठीक से बसा दिया गया और ३३४ सहकारी समितियां जिनके ७,०२६ सदस्य थे सगठित की गयी । प्रशिक्षण पाये हुए व्यक्तियो को, औद्योगिक सहकारी समितियो को और शिल्पकारो को व्यक्तिगत रूप में ४९,८०० रुपये की आर्थिक सहायता दी गयी । इसके अतिरिक्त सामुदायिक विकास के धन मे भी आर्थिक सहायता दी गयी ।

सन् १९६०–६१ मे सामुदायिक विकास क्षेत्रो में ग्रामीण उद्योगो के विकास के लिए खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग द्वारा ऋण अथवा आर्थिक सहायता के रूप में निम्नलिखित धन राशिया दी गयी—

स्वीकृत धनराशियो में

उद्योग का नाम	ऋण	सहायता
१—अन्न और दालो को बनाने धान कूटने और आटा चक्की	१२,०००	५,०००
२—रेशा	६,०००	१२,२८०
३—ग्रामीण तेल	९२,५००	५५,१५०
४—हाथ का बना कागज	६,०००	..
५—ग्रामीण मिट्टी के बर्तन	१,६२,५००	६७,०४०
६—ग्रामीण चमड़ा	४६,१२५	५६,०९५

नियत धनराशियां निम्नलिखित थीं:—

उद्योग का नाम	ऋण	सहायता
१—अन्न और दालो का बनाना, हाथ से धान कूटना एव आटा चक्की	१२,५००	५,०००
२—रेशा	६,०००	१२,२८०
उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग समिति को हस्तान्तरित—		
३—ग्रामीण तेल	६२,५००	५५,१५०
४—हाथ का बना कागज	६,०००	..
५—ग्रामीण मिट्टी के बर्तन	१२,५००	४५,५२०
६—ग्रामीण चमडा	४३ १२५	४३,३७५

(ड) चिकित्सा एव जन स्वास्थ्य—स्वास्थ्य कार्यक्रम में प्राथमिकता किये जाने वाले कामो मे शुद्ध जल दिये जाने की व्यवस्था भी थी। ६,६६४ स्वच्छ पेयजल के कुओं का निर्माण किया गया और १५,१०६ कुओ का जीर्णोद्धार किया गया। राज्य के क्रियाशील खण्डो मे १६,३०८ हाथ के पम्प लगाये गये। सेन्ट जान अम्बुलेन्स असोसियेशन (भारत) नयी दिल्ली, द्वारा २३ ग्राम सेवको या सामाजिक शिक्षा आर्गनाइजरो को २३ प्राथमिक सहायता पेटिया दी गयी। भारत सरकार द्वारा प्रदत्त ५,००० रुपये में से इनका मूल्य दिया जाना था। खण्ड क्षेत्रो मे २३,२४,२१८ चेचक के टीके, १६,६०,६३७ हैजे और अन्य बीमारियो के टीके और ३७,०७६ बी० सी० जी० के टीके लगाये गये। मलेरिया निरोध के लिए, इसके अतिरिक्त १३,५४२ गावो में छिड़काव किया गया।

विभिन्न अस्पतालो के सहयोग से राज्य के प्रथम चरण खण्डो में नेत्र चिकित्सा सबंधी शिविरो का भी आयोजन किया गया।

(च) शिक्षा—१९६०–६१ मे ६,६६६ प्रौढ शिक्षा केन्द्रों का आयोजन किया गया और १,४६,६०१ प्रौढ व्यक्तियो को साक्षर किया गया। ३,५६१ पुस्तकालय खोले गये। इसी प्रकार ३,८४० (पाठशालाओ के १,८०६ को मिलाकर) सामुदायिक केन्द्र भी खोले गये।

साम्प्रदायिक श्रवण योजना के अन्तर्गत ग्रामीण संस्थाओ को ६०५ रेडियो सेट दिये गये।

१०८ विकास खण्डो और १२ प्रशिक्षण केंद्रो को १६ मिलीमीटर के पूरे-पूरे सेट दिये गये। राज्य के सभी प्रथम चरण खण्डो को मिट्टी के तेल से चालित फिल्म प्रोजेक्टरो और पी० ए० ई० सेट देने का प्रबन्ध किया गया। आलोच्य वर्ष मे ५,७८६ युवक क्लबो का आयोजन किया गया और ६७,६४२ सदस्य बनाये गये।

(छ) महिला और बाल कल्याण कार्यक्रम—महिलाओ और बच्चो के कार्यक्रमो के अन्तर्गत किये गये कार्यों की स्थिति अत्यन्त सतोषजनक रही। सन् १९६०–६१ मे २३४ सहायक विकास अधिकारी (महिला) और ८७६ ग्राम सेविकाएं इस कार्य में संलग्न थी। कार्यक्रम के महत्वपूर्ण अगो की वार्षिक लक्ष्य पूर्तिया निम्नलिखित रहीं—

(१)	प्रौढ महिलाओ की संख्या जो साक्षर बनायी गयीं ..	३१,७४१
(२)	प्रारम्भ किये गये महिला मंडलो की सख्या	१ ६३७
(३)	महिला मडलो के सदस्यो की सख्या	२६,८१८
(४)	संगठित किये गये महिला शिविरो की संख्या	५३५
(५)	महिला शिविरो में भाग लेने वाली महिलाओ की संख्या ..	११,३१८
(६)	प्रारम्भ की गयी बाल बाडियो की सख्या	२,२१६
(७)	बाल बाड़ियो मे उपस्थित होने वाले बच्चो की सख्या ..	३५,३७६
(८)	लगाये गये निर्धूम चूल्हो की सख्या	५,३८१

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के कार्य-क्रम का आरम्भ मुख्यतः इस विचार से किया गया था कि ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हो तथा वे अपनी जिम्मेदारियों का कुशलता-पूर्वक निर्वाह कर सकें। ऐसा प्रतीत होता था कि इसका प्रभाव पड़ रहा है।

(ज) सहकारिता---सामुदायिक विकास क्षेत्रों में विशेषतया उनके आर्थिक विकास में सहकारिता का महत्वपूर्ण स्थान रहा। सन् १९६०--६१ में खण्ड क्षेत्रों में कुल मिला कर ७,४१२ समितियों को रजिस्टर किया गया। इस समितियों के ४.७६ लाख सदस्य थे और इनमें ५.७४० कृषि ऋण समितियां सम्मिलित थीं। समितियों में अंश पूंजी बढ़ा कर ११०.७४ लाख कर दी गयी। प्राथमिक ऋण लेने वालों की, जिन्होंने समितियों से अल्पकालीन ऋण लिये, संख्या में यथेष्ठ वृद्धि हुयी। ३१ मार्च, १९६१ तक इस प्रकार दी गयी धनराशि १३.७६ करोड़ थी। इस प्रकार २.७३ लाख रुपयों का औसत ऋण प्रत्येक खण्ड पर पड़ा। कृषि ऋण समितियों द्वारा ऋण दिये जाने का आधार सदस्यों की उत्पादन आवश्यकताओं को माना गया और ऋण का संबंध क्रय से कर दिया गया। इससे छोटे किसानों को ऋण मिलने में काफी सहायता मिली। उर्वरकों के लिए ऋण जहां तक संभव हो सके उर्वरकों के रूप में ही दिया गया। समुन्नत बीजों और औजारों के वितरण के लिए खण्डों में ५१ नये सहकारी बीज गोदाम खोले गये।

(झ) राष्ट्रीय बचत योजना---राज्य में राष्ट्रीय बचत योजना के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष में १३.५२ करोड़ रुपया जमा करना नियत किया गया। परन्तु केवल लगभग ११.०६ करोड़ रुपया ही एकत्रित हो सका। पोस्ट आफिस में खुले हुए सेविंग्स बैन्क एकाउन्टों पर सूद के रूप में लगभग १.८३ करोड़ रुपया मिलना था। इस प्रकार कुल मिलाकर एकत्रित धनराशि १२.८९ करोड़ रुपये हो जाने की आशा थी। यद्यपि इस वर्ष लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकी, फिर भी पूर्वगामी वर्ष की तुलना में इस वर्ष की एकत्रित धनराशि संतोषजनक रही।

अप्रैल, १९६० से भारत सरकार ने बिना सूद के १००रु० और ५ रुपये वाले इनामी बांडों को जारी किया। देश भर के विभिन्न केन्द्रों में हर तिमाही बान्डों की हर सीरीज के लिए लाटरी डाली गयी। इस वर्ष इनामी बाण्डों की बिक्री के राज्य भर में कुल मिला कर १.३२ करोड़ रुपया जमा हुए।

राज्य स्तर पर प्रथम बार राज्य में लखनऊ स्थित मुख्यालय में सितम्बर ५ और ६, १९६० को राष्ट्रीय बचत की एक गोष्टी का आयोजन किया गया। इसमें राज्य भर के २०० से अधिक गैर सरकारी और सरकारी प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

एकत्रित धनराशि के आधार पर कुमाऊं को राज्य के सर्वोत्तम डिवीजन होने पर 'राज्यपाल संचय बैजयन्ती' प्रदान की गयी और 'मुख्य मंत्री संचय बैजयन्ती' गढ़वाल जिले को राज्य का सर्वोत्तम जिला होने के फलस्वरूप मिली।

राष्ट्रीय बचत योजना को और अधिक प्रसारित करने के लिए विकास खण्डों में स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना जागृत हो, इस विचार से राज्य सरकार ने निश्चय किया कि इस योजना में राज्य भर में प्रथम और द्वितीय आने वाले विकास खण्डों को क्रमशः १५,००० रुपये और १०,००० रुपये के नकद पुरस्कार दिये जायें। प्रत्येक खण्ड द्वारा इस योजना का प्रचलन कितनी आबादी में हुआ, इस आधार पर ये दोनों पुरस्कार दिये जाने थे और इनका उपयोग संबंधित खण्ड किसी भी विकास कार्य पर खण्ड विकास समिति से अनुमोदन प्राप्त करके कर सकता था।

(ञ) लघु सिंचाई योजनाएं---नियोजन विभाग की लघु सिंचाई योजनाओं में निम्न-लिखित योजनाएं सम्मिलित थीं :

(१) 'अधिक अन्न उपजाओ' धनराशि में से जिन योजनाओं में ऋण दिये गये।

(२) योजनांतर्गत खण्डों की धनराशि में से जिन योजनाओं में ऋण दिया गया।

पक्के कुएं—पक्के कुएं बनाने के लिये राज्य के विभिन्न जिलों में कुओं की लागत के अनुसार ७०० से २००० रु० प्रति कुआं के हिसाब से तकावी के रूप में सूद सहित ऋण दिये गये। ऋण दिये जाने की तिथि के एक वर्ष के अन्दर यदि कुयें के निर्माण का कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा हो गया तो तकावी ऋण में २५ प्रतिशत की छूट दी जा सकती थी। विशेष मामलों में इस समयावधि में १ वर्ष की वृद्धि जिलाधीश द्वारा कर देने पर भी यह छूट मिल सकती थी।

टूटे-फूटे कुओं की मरम्मत—टूटे-फूटे कुओं के जीर्णोद्धार के निमित्त ४०० रुपये प्रति कुएं के हिसाब से तकावी अग्रिम दी गयी। ऐसे मामलों में किसी प्रकार की मुफ्त सहायता देना संभव नहीं था।

कुओं का सुधार—कुओं का गहरी खुदाई द्वारा सुधार करने के लिए प्रत्येक खुदाई के लिए अधिक से अधिक ५०० रु० तक की तकावी दी गयी। कुओं की गहरी खुदाई करने के लिये विभागिक विशेषज्ञों द्वारा निःशुल्क प्राविधिक सहायता उपलब्ध थी। इससे संबंधित सामान जैसे पाइप जाली इत्यादि सरकारी गोदामों से दाम के दाम पर प्राप्त हो सकते थे।

रहट लगा कर कुओं का सुधार—रहट लगा कर या अन्य किसी युक्ति द्वारा पानी खींचने के लिए ४०० रु० तक की तकावी उपलब्ध थी।

पम्पों का लगाना—पम्पिंग सेटों की खरीद के लिये २,५०० रु० तक की और विशेष परिस्थितियों में जहां पानी ज्यादा गहराई पर मिलता था ३,००० रुपये तक की तकावी अग्रिम दी गयी।

निजी नलकूप—१०,००० रुपये की अधिकतम सीमा का ध्यान रखते हुए निजी नलकूपों के लिये अनुमानित लागत का २/३ अंश तकावी के रूप में अग्रिम दिया गया। इसके अतिरिक्त पक्की गूलों के लिये भी ५,००० रु० अग्रिम दिये गये।

झांसी डिवीजन, मिर्जापुर, इलाहाबाद के कुछ भाग और वाराणसी जिले की चकिया तहसील में निजी बंधियों का निर्माण—५,००० रु० की अधिकतम सीमा को ध्यान में रखते हुए इस योजना के अन्तर्गत, कार्यान्वित होने वाले प्रति एकड़ पर १५० रु० की दर से तकावी ऋण दिया गया।

ऋण दिये जाने की तिथि से एक वर्ष के भीतर कार्य के संतोषजनक ढंग से पूर्ण हो जाने पर अग्रिम दिये गये ऋण में २५ प्रतिशत छूट दी गयी।

पुरानी बंधियों की मरम्मत—उपर्युक्त जिलों में पुरानी बंधियों की मरम्मत के लिए लाभान्वित प्रति तीन एकड़ पर १०० रु० तक का तकावी ऋण दिया गया। इस ऋण की अधिकतम सीमा प्रत्येक मामले में २,५०० रु० थी। पहाड़ी क्षेत्रों में गूलों का निर्माण गांव सभाओं द्वारा संतोषजनक ढंग से गूलों और तालाबों के निर्माण कर लेने पर अनुमानित लागत का आधा भाग तक आर्थिक सहायता के रूप में मिल सकता था। नये तालाबों का खोदना, पक्के कुएं इत्यादि खण्ड धनराशियों से केवल नये तालाब खोदने के लिये लाभान्वित प्रति एकड़ पर १०० रु० की दर से सहायता प्राप्य थी।

सभी तकावी ऋण मय सूद थे। अधिक अन्न उपजाओ धनराशियों से दिये गये ऋणों पर साढ़े ४ फीसदी और खण्ड धनराशियों से दिये गये ऋणों पर साढ़े ५ फीसदी सूद की दर रखी गयी। ऋण दिये जाने की तिथियों से २ वर्ष समाप्त होने पर इन ऋणों को दस छमाही किश्तों में भुगतान होना था। परन्तु निजी नल कूपों के मामले में ये भुगतान १० वर्ष में होना था।

इसके अतिरिक्त पिछड़े की योजना के अन्तर्गत तकावी ऋण के रूप में देने के लिए ४.५० लाख रुपये का भी प्राविधान था।

आलोच्य-वर्ष में पूर्वी जिलों में पक्के कुएं इत्यादि बनाने के लिए २,३१,७३० रुपये और छोटी पहाड़ी नालियां बनाने के लिए १,६१,००० रुपये व्यय किये गये। इसमें उत्तरकाशी और चमोली जिलों के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं।

इस वर्ष 'अधिक अन्न उपजाओ' कोष में से १५७.५० लाख रुपया तकावी ऋण के रूप में दिया गया और १५५.५० लाख रुपया अग्रिम के रूप में दिया गया। ये ऋण निम्नलिखित निजी और छोटे-मोटे सिंचाई के कामों के लिए दिये गये :

(१) १२,६१६ पक्के कुओं के निर्माण के हेतु,

(२) १६५ पक्के कुओं की मरम्मत के लिए,

(३) गहरी खुदाई करके ८३६ कुओं को उन्नत बनाना,

(४) २,६८६ रहट लगाना,

(५) १,०२६ पम्पिंग प्लान्ट लगाना,

(६) ६२२ निजी नलकूप लगाना,

(७) २,०६२ निजी बंधियों का निर्माण,

(८) ३२ पुरानी बंधियों की मरम्मत,

(९) पहाड़ी जिलों में गूलों का निर्माण (१,२६६ एकड़ में)

'अधिक अन्न उपजाओ' एवं खण्ड कोषों तथा अन्य स्रोतों से सहायता प्राप्त छोटी-मोटी निजी सिंचाई साधनों की उपलब्धियों की संख्या निम्नलिखित रही--

विषय	केवल १९६०-६१ के वर्ष भर में क्रियाशील खण्डों की प्रगतिशील उपलब्धियां	१९६०-६१ के वर्ष में कुल मिला कर जिलों की (जिनमें खण्ड और अखण्ड क्षेत्र सम्मिलित हैं) प्रगतिशील उपलब्धियां
१	२	३
(१) निजी लगाये गये नलकूप ..	४४१	६९५
(२) निर्मित पक्के कुएं ..	१०,५७७	१३,५२६
(३) पक्के कुएं जिन की मरम्मत की गयी ..	३,६१६	४,६६४
(४) खोदे गये कुएं ..	४,३२०	६,७८६
(५) लगाये गये रहट ..	६,८७९	८,१९९
(६) लगाये गये पम्पिंग सेट ..	७७०	१,०१८
(७) निर्मित बंधियां ..	१,४०९	१,४६८
(८) तालाब खोदे गये ..	२२०	३२६
(९) मरम्मत किये गये तालाब ..	२,४९१	२,७३८

प्रान्तीय रक्षक दल

सन् १९६०-६१ में ८६० हल्का सरदार, ६,३४८ ग्रुप लीडर, १२,६५१ सेक्शन लीडर और ८७,८१८ रक्षक भरती किये गये। बिना हथियारों की फौजी शिक्षा ७,०६६ स्वयं-सेवकों को शिक्षा दी गयी और ६६ स्वयं सेवकों को हथियारों का उपयोग करना सिखाया गया।

७,३३६ दंगलों का आयोजन किया गया जिनमें २,१०,३१३ पहलवानों ने भाग लिया। खेल कूद की १४,४५८ प्रतियोगिताएं हुई जिनमें ३,९४,४१७ व्यक्तियों ने भाग लिया। स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों के विषय में १,१४२ प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया जिनमें २५,९०० व्यक्तियों ने भाग लिया। ४९९ शरीर संबंर्धन केन्द्र तथा ७,२९२ अखाड़ों का आयोजन किया गया और १८९ व्यक्तियों को तैरना सिखाया गया।

प्रान्तीय रक्षक दल द्वारा भूमि संरक्षण का निम्नलिखित कार्य सम्पन्न किया गया:

विषय	उपलब्धियां (एकड़ों में)
(१) खेतों की मेड़बन्दी	५६,६९९
(२) कंटूरबन्दी	४५
(३) जमीन हमवार की गयी	१३,३९९
(४) बांध	७८३
(५) मध्यवर्ती फसलें	७,८३९
(६) कन्टूरवाली खेती	११,६५४
(७) चारागाहों का विकास	९७६
(८) फल वाले वृक्षों का आरोप	१,४३,९७२
(९) वनरोपण	२,०६५

खेलकूद परिषद्

१९६०-६१ के वर्ष में उत्तर प्रदेश खेल-कूद परिषद् को राज्य में खेल कूदों को प्रोत्साहन देने के निमित्त ५,७४,६१७ रुपये का अनुदान निम्नलिखित तीन प्रमुख मदों में दिया गया :

	रुपया
(२) खेलकूद का विकास	१,०९,२१७
(२) खेल-कूद का स्तर ऊंचा करना	२,१४,७६४
(३) क्षैत्रिक स्टैडियमों का निर्माण	२,५०,६३६

सहायतार्थ अनुदान--राज्य के ६ खेल-कूद असोशियेशनों को खेल-कूदों को बढ़ावा देने के लिए २३,००० रुपये का सहायतार्थ अनुदान दिया गया। इसी प्रकार खेलकूद को १० क्षेत्रिक परिषदों को अपने क्षेत्रों में खेलकूदों को प्रोत्साहन देने के निमित्त ३०,६०० रुपये का अनुदान दिया गया।

प्रशिक्षण--होनहार युवकों को विभिन्न खेलकूदों में प्रशिक्षित करने के लिए सिखाने वालों का एक पैनेल प्रशिक्षण शिविरों को चलाता रहा। ये सिखाने वाले राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के व्यक्ति थे जिन्हें इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया था।

. खेलकूद की क्षेत्रिक परिषदों के माध्यम से राज्य के विभिन्न जिलों में विभिन्न खेलकूदों के लिए १३८ प्रशिक्षण शिविरों का संगठन किया गया। प्रत्येक शिविर १४ दिन के लिए लगा और लगभग ३,००० प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षित किये गये।

. राष्ट्रीय स्कूल खेलकूदों में भाग लेने से पूर्व उत्तर प्रदेश के स्कूली लड़कों की चुनी हुई टीमों को हाकी, फुटबाल और व्यायाम में प्रगाढ़ प्रशिक्षण दिया गया।

प्रतियोगिताएं---क्रिकेट, हाकी, बालीबाल, कुश्ती और टेबल-टेनिस की उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया और इसमें लगभग सभी विश्वविद्यालयों ने भाग लिया। इसी प्रकार विभिन्न खेलों की अन्तर्जिला प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन क्षेत्रों में खेलकूद की क्षेत्रीय परिषदों ने किया।

भारतीय व्यायाम एवं खेलकूद राज्योत्सव-भारतीय व्यायाम का चौथा राज्योत्सव जनवरी, १९६१ में मनाया गया। अन्य राज्यों की तीन व्यायामशालाओं, राज्य की तीन व्यायामशालाओं और ८ क्षेत्रीय टीमों ने इस उत्सव में भाग लिया।

हाकी और फुटबाल में अन्तक्षेत्रीय (राज्य) स्कूली लड़कों की चैम्पियन-शिप-आलोच्य वर्ष में अन्तक्षेत्रीय स्कूली लड़कों के चैम्पियनशिप का आयोजन किया गया और उसमें सभी शैक्षिक क्षेत्रों ने भाग लिया। प्रतियोगिताओं अत्यन्त सफल रहीं।

स्टैडियमों का निर्माण---मेरठ, वाराणसी, नैनीताल, गोरखपुर और झांसी में निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया था। इलाहाबाद, आगरा, बरेली और फैजाबाद में कार्य शीघ्र ही आरम्भ होने को था।

राष्ट्रपति का विवेकानुदान (डिस्क्रेशनरी ग्रान्ट)---राज्य के विभिन्न क्लबों और असोसियेशनों को आलोच्य वर्ष में ११,००० रुपये की स्वीकृति दी गयी।

बजट---१९६१-६२ में खेल और व्यायाम के विकास के लिए ३,६४,७०० रुपये का प्राविधान बजट में किया गया।

२--प्रशिक्षण और अनुसंधान

प्रशिक्षण कार्यक्रम

आलोच्य वर्ष में गैर सरकारी व्यक्तियों के लिए १७ प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा खण्ड विकास समितियों के सदस्यों को प्रशिक्षित करने के कार्यक्रम को और प्रगाढ़ किया गया।

प्रारम्भिक प्रशिक्षण---सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए चूंकि विशेष प्रशिक्षण आरम्भ से ही आवश्यक समझा गया, इसलिए प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग सेवा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का प्रबन्ध किया गया। विभिन्न श्रेणियों के जिन कर्मचारियों को प्रारम्भिक प्रशिक्षण दिया गया उसका ब्यौरा निम्नलिखित है---

कर्मचारियों की श्रेणी	प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या
(१) ग्रामसेवक	४८२
(२) सहायक विकास अधिकारी (कृषि)	१४२
(३) सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) ..	३८
(४) खण्ड विकास अधिकारी	२९
(५) पंचायत राज इन्सपेक्टर	६० (६ मास का जाब कोर्स)
(६) मुख्य सेविकाएं	७१

कार्यकाल में प्रशिक्षण—आलोच्य वर्ष में तीन केन्द्रों में, बिचपुरी (आगरा), रुद्रपुर (नैनीताल) और गाजीपुर में मासिक रेफ्रेशर प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की गयी। इन तीनों केन्द्र में इन पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया और २७७ ग्राम सेवक प्रशिक्षित किये गये। २५६ अर्धप्रशिक्षित ग्राम-सेवकों को ६ मास के पाठ्यक्रम में और प्रशिक्षित किया गया। खण्डों में स्वास्थ्य कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने के निमित्त यह आवश्यक समझा गया कि ओवरसियरों और सैनिटरी इन्स्पेक्टरों को इसलिए एक संयुक्त पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित किया जाय ताकि वे एक दूसरे की कठिनाइयों को समझ सकें और पारस्परिक सहयोग से काम करें। इस उद्देश्य से दो-दो मास के दो पाठ्यक्रमों की व्यवस्था बख्शी के तालाब पर की गयी। इनमें ३४ ओवरसियरों और ४६ इन्स्पेक्टरों को प्रशिक्षित किया गया। प्लानिंग रिसर्च तथा ऐक्शन इन्स्टीट्यूट, लखनऊ में १० खण्ड विकास अधिकारियों तथा ११ सहायक विकास अधिकारियों (सामाजिक शिक्षा) के लिए तीन ५ दिन के एक नवीनीकरण पाठ्यक्रम की व्यवस्था की गयी।

जून, १९६० में मथुरा के पशु चिकित्सा केन्द्र में १७ सहायक पशु चिकित्सकों ने एक महीने का प्रशिक्षण पूरा किया। १२ सहायक विकास अधिकारियों (उद्योग) को प्रशिक्षित करने के लिए रुद्रपुर में २ सप्ताह के एक विशेष कार्यक्रम की व्यवस्था की गयी। भूमि संरक्षण में प्रशिशिक्षित होने के लिए २५, २५ खण्ड विकास अधिकारियों के दो दलों को लखनऊ के रहमान खेड़ा नामक स्थान पर १५ दिन के लिए भेजा गया। इसी प्रकार १२ ग्राम-सेवकों को भूमि संरक्षण में प्रशिक्षित किया गया। एक-एक महीने के दो पाठ्यक्रमों का आयोजन पशु-निरीक्षक के लिए लखनऊ चक गंजरिया फार्म पर किया गया। इनमें ३३ सुपरवाइजरों ने भाग लिया और पाठ्यक्रम पूरा किया।

लखनऊ के विकास अन्वेषणालय ने गोबर गैस मशीन की मरम्मत करने और उसे फिट करने का प्रशिक्षण देने की एक योजना आरम्भ की और इटावा के अजीतमल खण्ड में एक सप्ताह के एक पाठ्यक्रम की व्यवस्था की। राज्य की विभिन्न प्रशिक्षण एवं प्रसार परियोजनाओं में लगे हुए २५ सहायक विकास अधिकारियों (कृषि इंजीनियरिंग) ने इसमें भाग लिया और पाठ्यक्रम को पूरा किया। बी० आर० कालेज, आगरा, राजकीय कृषि स्कूल कानपुर और राजकीय कृषि संस्था बुलन्दशहर में सहायक विकास अधिकारियों (कृषि) के लिए तीन अल्पकालीन पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की गयी। इनमें ११६ अधिकारी प्रशिक्षित किये गये।

भारत सरकार के केन्द्रों में नवीनीकरण, धन्धा एवं अन्य पाठ्यक्रम-नवीनीकरण और धन्धा पाठ्यक्रमों की अवधि तीन सप्ताह से तीन मास तक रही। आलोच्य वर्ष में १५४ खण्ड विकास अधिकारी, ५९ सहायक विकास अधिकारी और २९ गैरसरकारी तथा १५ अन्य व्यक्ति प्रशिक्षण के लिए भेजे गये।

भारत सरकार द्वारा एक तीन सप्ताह का अध्ययन पाठ्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें २५ खण्ड विकास अधिकारी, २२ जिला स्तर अधिकारी और २५ गैरसरकारी व्यक्ति सम्मिलित हुए। आलोच्य वर्ष में १३ इंस्ट्रक्टरों और एक प्रिंसिपल के लिए एक तीन महीने के पाठ्यक्रम की भी व्यवस्था की गयी।

परियोजना कर्मचारियों के अध्ययन संबंधी दौरे और गोष्ठियां सांस्कृतिक रिसर्च स्टेशन, बस्ती में गोरखपुर और वाराणसी डिवीजनों के लगभग ६०० प्रगतिशील किसानों की एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसके लिए चुने गये किसान सामान्यतः वे थे जिन्होंने उन्नत कृषि प्रणालियों को अपनाया था। गोष्ठीकाल में उन्हें फलों के उत्पादन में प्रशिक्षित किया गया। इसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों को दोनों डिवीजनों के दिलचस्प स्थानों पर भी ले जाया गया ताकि अनन्नास, केला और पपीता उगाने की तकनीक का अध्ययन करने का उन्हें अवसर मिले।

गैरसरकारी व्यक्तियों का प्रशिक्षण-नव निर्वाचित प्रधानों को सामुदायिक विकास के सिद्धांत और कार्यक्रम से परिचित कराने के निमित्त एक विस्तृत कार्यक्रम द्वारा उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए खण्ड मुख्यालयों में ७ दिवसीय शिविरों का आयोजन किया गया। इनमें ३२,६०८ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया।

गोष्ठी तथा सम्मेलन---२६ से ३१ मई तक रुद्रपुर (नैनीताल) में प्रिंसिपलों और इन्स्ट्रक्टरों का एक अध्ययन शिविर प्रशिक्षिण कार्यक्रमों की समीक्षा करने और अनुभवों का पारस्परिक आदान-प्रदान करने के लिए लगाया गया। प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण पंचायती राज) तथा कृषि उत्पादन पर अधिक बल दिये जाने के कारण इसकी आवश्यकता का विशेष महत्व हो गया। शिविर में विशिष्ट संस्तुतियाँ की गयीं जिनका संबंध संस्था तथा गैर संस्था संबंधी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का वैज्ञानिक विभाजन, पाठ्य योजनाओं की तैयारी, कक्षाओं में दी जाने वाली शिक्षा और खेतों में व्यावहारिक तथा खण्ड प्रसार कार्यक्रमों में समन्वय मूल्यांकन तथा निर्धारण से था।

विकास अन्वेषणालय---मई, १९६१ में विकास अन्वेषणालय ने अपने जीवन के ७ वर्ष पूरे किये। आलोच्य वर्ष में अन्वेषणालय ने अल्पवयस्क वर्ग, ग्रामीण उद्योग, सहकारी संस्थाओं, ग्रामीण स्वास्थ्य, भूमि संरक्षण, महिलाओं के कार्यक्रम और पंचायतों से संबंधित विशेष प्रसार कार्य में अपने अग्रगामी प्रयोगों को जारी रखा। प्रसारण की दृष्टि से अधिक प्रभावशाली परियोजनाओं पर बल दिया गया।

गत ७ वर्षों में अन्वेषणालय ने विभिन्न कार्य-अन्वेषण कार्यक्रमों को पूरा किया और इस क्षेत्र में गौरव का स्थान प्राप्त किया। देश की विभिन्न राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में किये गये अन्वेषणों के फलों का परीक्षण करने के निमित्त यह अन्वेषणालय एक अत्यन्त लाभदायक माध्यम सिद्ध हुआ है। अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के क्षेत्र में इसने अपना स्थान बना लिया है और संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ संगठनों की ओर से विदेश से कुछ अध्ययन कार्य इस अन्वेषणालय को सौंपे गये हैं। आलोच्य वर्ष के अन्त तक नवयुवकों के कार्यों, ग्रामीण उद्योगों, सहकारी समितियों पंचायतों, भूमि संरक्षण, ग्रामीण स्वास्थ्य, महिलाओं के कार्यक्रमों तथा जन सम्पर्क के क्षेत्रों में अन्वेषणालय ने ५० से ऊपर कार्य एवं अन्वेषण संबंधी परियोजनाओं की पूर्ति की। इनमें से कुछ के सफल परिणामों में सरकारी विभागों द्वारा व्यपहृत (प्रयुक्त) एजेन्सियों को तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों को विस्तृत प्रसार के लिए अवगत कराया गया।

अन्वेषणालय में १२ अनुभाग थे जो तीन विशेष शाखाओं में बंटे हुए थे।

(क) अग्र-गामी परियोजनाओं की शाखा---

(१) अल्पवयस्क वर्ग में विशेष प्रसार कार्य,

(२) ग्रामोद्योग,

(३) सहकारी समितियां,

(४) पंचायतें,

(५) भूमि संरक्षण,

(६) ग्रामीण स्वास्थ्य,

(७) महिला कार्यक्रम,

(ख) सांख्यिकी तथा मूल्यांकन शाखा---

(१) सांख्यिकी अनुभाग,

(२) ग्रामीण जीवन विश्लेषण अनुभाग।

(ग) जन संचार शाखा---

१---सूचना एवं प्रकाशन अनुभाग,

२---श्रव्य-दृश्य सहायता अनुभाग,

३---पुस्तकालय सेवा

अन्वेषणालय के विभिन्न अनुभागों के कार्यों एवं उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है:--

अल्प वयस्क वर्ग में विशेष प्रसार कार्य--इटावा, लखनऊ, सहारनपुर, बलिया, गोरखपुर तथा नैनीताल जिलों के ११ खण्डों के अग्रगामी क्षेत्रों में क्रिया एवं अनुशीलन के कार्यक्रमों के बाद में उठाये जाने वाले कदमों का संहत करना जारी रहा। इन अग्रगामी क्षेत्रों में ४५४ क्लब थे, जिनकी कुल सदस्य संख्या ९,००३ थी।

साग-सब्जी उगाने, सामूहिक फलोद्यान के रोपण करने, बछड़ा पालन करने, कुक्कुट पालन करने तथा रेशम उत्पादन करने वाली आर्थिक परियोजनाओं पर विशेष बल दिया जाता रहा। ग्राम पंचायतों, ग्राम सभाओं, सहकारी समितियों एवं संगठनों के प्रतिनिधियों, शिक्षकों तथा अन्य व्यक्तियों को जो विभिन्न व्यवसाय एवं उद्योगों का प्रतिनिधित्व करते थे, मूल शिक्षा देने के लिए हलद्वानी, जिला नैनीताल में १८ फरवरी, १९६१ को एक जनता कालेज की स्थापना की गयी।

ग्रामोद्योग--ग्रामोद्योग के क्षेत्र में नियोजन अन्वेषण तथा क्रिया संस्थान ने काफी सफलतापूर्वक कई अग्रगामी परियोजनाओं को क्रियान्वित किया। ऐसे ही उद्योगों के चुनने पर बल दिया जाता रहा जिनमें प्रसार शक्ति अधिक थी।

अल्मोड़ा जिला के बागेश्वर स्थान में बारदार खालों को कमाने तथा शिकार की खालों को सुरक्षित रखने से संबंधित एक नयी परियोजना प्रारम्भ की गयी।

सहकारिता---वर्ष में एक डोभी (जौनपुर) और १ जुगरुनगर (बरेली) में दो नयी गन्ना कोआपरेटिव प्रोसेसिंग समितियों का संगठन किया गया।

भूमि संरक्षण:--भूमि संरक्षण कार्य जो प्रारम्भ में १० एकड़ भूमि पर शुरू किया गया था अब इटावा जिले के भाग्यनगर और अजितमल खंडों के ४६ गांवों में किया जाने लगा जिसका क्षेत्रफल लगभग २८,००० एकड़ था।

३--उत्तराखंड डिवीजन में विकास कार्य

सामान्य

प्रशासनिक सुविधा के विचार से पिथौरागढ़ जिले के गंगोलीहाट खंड (जिसमें बेल और भेरंग पट्टियां हैं) में तहसील की सीमाओं में कुछ परिवर्तन किये गये और वल्ला और पल्ला अठिगांव की पट्टियों को डीडीहाट तहसील से हटा कर पिथौरागढ़ में शामिल कर दिया गया और कनाली चीना खंड और तल्ला अस्कोट और बाराबीसी की पट्टियां पिथौरागढ़ से डीडीहाट तहसील में शामिल कर दी गयीं। प्रशासनिक और आर्थिक कठिनाइयों के कारण अन्य गैर-सरकारी मांगों जैसे उत्तराखंड डिवीजन का क्षेत्र बढ़ाने अथवा उत्तराखंड और कुमायूं डिवीजनों को मिला देने की पूर्ति नहीं की जा सकी।

तीनों जिलों में भवन निर्माण कार्य प्राय: ठीक चल रहा था। तदर्थ आवासों का या तो निर्माण कर दिया गया या फिलहाल उन्हें किराये पर ले लिया गया, साथ ही पक्के भवनों के निर्माण की योजना भी बनायी जा रही। चमोली जिले के मुख्यालय, गोपेश्वर कस्बे के लिए एक महायोजना को वर्ष के अन्त तक अन्तिम रूप दे दिया गया। चमोली को गोपेश्वर से मिलाने वाली सड़क लगभग पूरी हो चुकी थी। पानी की सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था के शीघ्र पूरी होने की आशा थी। उसके बाद निर्माण कार्य में अधिक गति लाने की आशा की जाती थी। चमोली में अलखनन्दा पर बननेवाले पुल का ढांचा तैयार हो गया था और उसे शीघ्र ढोकर पहुंचाया जाने वाला था।

कृषि योग्य भूमि की अध्याप्ति के सम्बन्ध में स्थानीय जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ढाई मील के अन्तर पर तखला में जहां पर्याप्त भूमि उपलब्ध थी, उत्तरकाशी में भवन निर्माण-कार्य करना निश्चित हुआ।

पिथौरागढ़ की सरकारी बस्ती ठिकाना में दफ्तरों और वासस्थानों के निर्माण-कार्य में प्रशंसनीय प्रगति रही। कस्बे को 'विनियमित क्षेत्र' घोषित कर दिया गया ताकि तदर्थ निर्माण संभव न हो। रेन्ट कंट्रोल आर्डर भी लागू कर दिया गया।

तहसील मुख्यालयों की व्यवस्था इस प्रकार की जा रही थी कि तीसरी योजना की सभी परियोजनाओं की भवन सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाय।

आलोच्यय वर्ष में निर्मित सभी पदों पर नियुक्तियां कर दी गयी थीं। ऐसा महसूस किया जाता था कि प्राविधिक अमले की, विशेषतः पी० एम० एस० डाक्टरों, कम्पाउन्डरों, सहायक पशु चिकित्सकों, स्टाकमैनों, भंगियों, दाइयों, धोबियों और पुलिस वायरलेस यूनिटों के लिए रेडियो मेंटीनेन्स अफसरों और रेडियो आपरेटरों की कुछ कमी है। उपयुक्त व्यक्तियों की स्थानीय भरती की जा रही थी। मथुरा वेटर्नरी कालेज में उत्तीर्ण होने वाले चिकित्सकों के अगले दल में से उपयुक्त सहायक पशु चिकित्सकों की नियुक्ति करने का प्रस्ताव था।

मुख्य मंत्री जी जून १९६१ में और श्री राज्यपाल जुलाई, १९६१ में उत्तरकाशी आये थे। श्री राज्यपाल ने १२ जून से २२ जून, १९६१ तक बद्रीनाथ, जोशीमठ तथा समीपवर्ती क्षेत्रों का दौरा किया था। स्थानीय जनता में इन दौरों से यह धारणा उत्पन्न हुई कि शासन उनके कल्याण के सम्बन्ध में विशेष दिलचस्पी ले रहा है। नये जिलों में जो विस्तृत विकास कार्य हो रहा है उससे वे उत्साहित प्रतीत हुए। इन कार्यों द्वारा उनके और देश के भागों के मध्य जो भावात्मक कड़ियां हैं वे और सुदृढ़ होती प्रतीत होने लगीं। कई स्थानीय आवश्यकताएं प्रकाश में आयीं और उन्हें तुरन्त पूरा किया गया।

सड़कों पर होने वाले कार्य की प्रगति सन्तोषजनक रही। सामग्री का अभाव, भूमि की अध्याप्ति में विलम्ब, भारी सामग्री और मशीनों को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने से सम्बन्धित स्थानीय कठिनाइयों की छानबीन की जा रही थी और कार्य का इस प्रकार पूर्व नियोजन किया जा रहा था कि लक्ष्यों की उपलब्धियां बढ़ती हुई गति से प्राप्त होती रहें।

योजनाओं के और जिलों के अनुसार उपलब्धियों का विवरण निम्नलिखित अनुच्छेदों में दिया जा रहा है:—

१९६०–६१ में अन्तिम अनुदानों और वास्तविक व्यय (सत्यापन के अधीन) जो भारत-तिब्बत सीमा विकास योजनाओं, विशेष विकास योजनाओं और बागवानी तथा छोटे-मोटे सिंचाई के साधनों के लिए दिये जाने वाले दीर्घकालिक ऋणों की योजनाओं के अन्तर्गत आते थे कुल संख्या निम्नलिखित है:—

	१९६०–६१ के लिए अन्तिम अनुदान (लाखों में)	वास्तविक व्यय (लाखों में)
(क) भारत-तिब्बत सीमा विकास के अन्तर्गत	३१.४०	३१.९६
(ख) विशेष विकास योजनाएं ..	१०८.२८	११२.०८३
(ग) बागवानी के विकास हेतु ऋण	२.३६	२.३६
(घ) छोटी-मोटी सिंचाई के लिए ऋण	.२०	.१७५

प्रशासन

राजस्व---तीन जिलाधीशों, १२सब डिवीजन अफसरों, १२ तहसीलदारों, १२ नायब तहसीलदारों तथा अन्य कम से कम संभव अमले की नियुक्तियां की गयीं और ये लोग वर्षान्त तक कार्य करते रहे। कलेक्टरियों, तहसीलों तथा अन्य कार्यालयों का कार्य सुचारु रूप से चलता रहा। तीन जिलों की ट्रेजरियों को जिन्हें पिथौरागढ़, चमोली तथा उत्तरकाशी की पुरानी सब ट्रेजरियों को उन्नत करके खोला गया था, अतिरिक्त भवन दिये गये और वे संतोष-जनक ढंग से कार्य कर रही थीं। मुंसियारी की सब ट्रेजरी पूरी हो गयी थी और काम भी करने लगी थी। शेष तहसील मुख्यालयों में अन्य सब-ट्रेजरियां खोलने का कार्यक्रम चलाया जा रहा था और यह आशा की जाती थी कि ज्यों ही उनके लिए नये भवन निर्माण का कार्य पूरा हुआ, ये सब-ट्रेजरियां काम शुरू कर देंगी।

पुलिस---पुराने पुलिस थाने और चौकियों को और दृढ़ किया गया। पिथौरागढ़ जिले के दीदीहाट और मुंसियारी, उत्तरकाशी जिले में बारकोट तथा चमोली जिले में चमोली और कर्णप्रयाग के तहसील मुख्यालयों में नये थाने स्थापित किये जाने की स्वीकृति दी गयी। पिथौरा-गढ़ जिले में) अस्कोट और थल, (उत्तरकाशी जिले के) पुरोला, और (चमोली जिले के) थरालोश्री और महालचौरी स्थानों पर नयी चौकियां यातायात नियंत्रण और विदेशियों के याता-यात को नियंत्रित करने के लिए स्थापित की गयी। ये सब सन्तोषजनक ढंग से कार्य कर रही थीं।

प्रान्तीय रक्षक दल---प्रत्येक खंड में प्रान्तीय रक्षक दल के आवश्यक कर्मचारियों की व्यवस्था की गयी, जिसमें एक जिला संगठनकर्ता और एक क्षेत्रीय कार्यकर्ता थे। ये कर्मचारी खंड में होने वाले व्यापक निर्माण कार्यों के लिए मजदूरों की व्यवस्था करने में सहायता पहुंचाते रहे और रजिस्ट्रेशन, तफ्तीश और फौजदारी के मामलों को छोड़ कर सामान्यतः पुलिस द्वारा किये जाने वाले अन्य समस्त कार्यों को करने में जिला प्रशासन को सहयोग देते रहे।

पीने के पानी की योजना---पीने के शुद्ध पानी के सप्लाई की योजना पहाड़ी क्षेत्रों की एक बड़ी आवश्यकता है, अतएव इस दिशा में यथोचित ध्यान दिया गया। पिथौरागढ़, उत्तर-काशी, चमोली और गोपेश्वर जिला मुख्यालयों की पानी सप्लाई योजना को अन्तिम रूप दिया गया और वर्ष में उनके लिए स्वीकृति प्रदान की गयी। पाइपों की सप्लाई कम थी, जमीन ऊबड़-खाबड़ थी और यातायात की कठिनाइयां थीं, फिर भी इन कार्यों के लिए लगभग एक लाख रुपये के मूल्य के आवश्यक पाइप तथा अन्य सामानों का संग्रह किया गया। चमोली स्थित स्वायत्त शासन इंजीनियरिंग विभाग मुख्यालय के स्थायी मंडल द्वारा सर्वेक्षण और नक्शे की तैयारी का काम पूरा कर लिया गया और आगे का काम तेजी से हो रहा था। कार्य में तेजी लाने के लिए पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में वितरण उप-मंडलों की स्थापना की गयी।

चिकित्सा और जन-स्वास्थ्य---तीनों जिला मुख्यालयों के पुराने अस्पतालों का स्तर ऊंचा करके उन्हें सुसज्जित जिला अस्पतालों का रूप दे दिया गया। प्रत्येक जिले में एक सिविल सर्जन और आवश्यक पी० एम० एस० अधिकारी, कम्पाउन्डरों आदि की नियुक्ति की गयी। इन अस्पतालों को एक्स-रे यूनिट, आपरेशन टेबुल और अन्य आधुनिक सामानों से सुसज्जित किया गया और आवश्यक दवाइयां, पलंग आदि की व्यवस्था की गयी।

पिथौरागढ़ में पहले मरदाना और जनाना अस्पताल एक ही इमारत में थे। उन्हें पृथक किया गया। मरदाने अस्पताल में शय्याओं की संख्या १४ से बढ़ा कर २४ और जनाना अस्पताल में ६ से बढ़ा कर १६ कर दी गयी। निजी प्रयत्नों से पिथौरागढ़ में एक क्षय क्लीनिक का निर्माण किया गया। सरकारी धन से इस क्लीनिक में क्षय रोगियों की चिकित्सा करने वाले चिकित्सकों आदि की व्यवस्था की गयी। यहां अन्तर्वासी रोगियों की संख्या ३० तक पहुंच गयी। क्षय रोगियों को वित्तीय सहायता भी दी गयी। क्षय रोगियों को अपने लिए पोषक भोजन की पूर्ति करने के हेतु इन तीनों जिलों में २६,२५० रु० की धनराशि वितरित की गयी।

पिथौरागढ़ जिलों में अस्कोट, बेनीनाग और गंगोलीहाट तीन अन्तरिम जिला परिषद् के औषधालयों को, जो ४३,००० रुपये का सहायता अनुदान दिया गया था उसका उपयोग आवश्यक औषधियों और चिकित्सा सम्बन्धी साज-सामानों की खरीद में किया गया। ये तीनों औषधालय अपने क्षेत्रों में बड़े लोकप्रिय हुए।

प्रत्येक जिले में तीन मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र खोले गये। इन केन्द्रों के लिए प्रशिक्षित दाइयों, मेहतरों और आवश्यक सामानों की व्यवस्था की गयी।

यातायात की दृष्टि से कठिन और छिट-फुट क्षेत्रों में औषधियों की स्थानीय उपलब्धि सुविधा में वृद्धि करने की दृष्टि से तीनों जिलों में से प्रत्येक को ५०/ प्राथमिक चिकित्सा पेटियां सप्लाई की गयीं।

प्रत्येक जिले में एक सचल एलोपैथिक औषधालय और दो नये आयुर्वेदिक औषधालयों की स्थापना की गयी और पर्याप्त कर्मचारियों, साज-सामानों और साधनों की व्यवस्था करके १७ एलोपैथिक और २४ आयुर्वेदिक औषधालयों का सुधार किया गया। इन औषधालयों से स्थानीय लोगों को चिकित्सा सुविधा में काफी वृद्धि हुई।

पिथौरागढ़ में चालू किये गये सचल औषधालयों को अस्थायी रूप से सानदेव तिब्बती शरणार्थी शिविरों के साथ लगा दिया गया, ताकि शिविर के निवासियों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा मिल सके।

पिथौरागढ़ और चमोली जिलों को दस-दस हजार रुपये और उत्तरकाशी को पांच हजारा पये की जिन धनराशियों का प्रविधान सफाई की व्यवस्था करते हेतु दिया गया था, उससे साफ पाखाने, पेशाब खाने और पानी निकासी नालियों आदि के निर्माण में विशेष सहायता मिली।

इनमें से प्रत्येक जिले के लिए १,५०० रु० की राशि का जो प्राविधान किया गया, उसका इन जिलों में खाद्य सामग्री में मिलावट की रोकथाम की योजना को कार्यान्वित करने में पूरी तरह उपयोग किया गया। इससे इस क्षेत्र के निवासियों के हाथ बासी और गन्दा भोजन बेंचने पर नियंत्रण करने में सहायता मिली।

शिक्षा

उत्तरकाशी--तीस दो अध्यापकों वाली और १४ एक अध्यापक वाली प्रारम्भिक पाठशालाएं खोली गयीं। ये पाठशालाएं संतोषजनक कार्य कर रही थीं। उत्तरकाशी के गवर्नमेंट हाई स्कूल का स्तर ऊंचा करके उसे इन्टरमीडिएट स्तर का किया गया और ग्यारहवीं कक्षा में विज्ञान का विभाग भी आरम्भ किया गया। पुरोला के जूनियर हाई स्कूल को हाई स्कूल स्तर तक पहुंचाया गया।

जिले की विभिन्न संस्थाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां और अनावर्तक आर्थिक सहायता देने में ६,३६२ रु० की रकम इस्तेमाल की गयी। जादों को छात्रवृत्तियां देने के लिए दो हजार रुपये का एक विशेष अनुदान भी स्वीकृत किया गया, जिससे उपयुक्त मामलों में ३० रुपया प्रतिमास तक की छात्रवृत्तियां दी गयीं।

चमोली--दो अध्यापकों वाली १५ प्रारम्भिक पाठशालाएं (१३ लड़कों और ३ लड़कियों के लिए) खोली गयीं और सन्तोषजनक कार्य करती रहीं। सात जूनियर हाई स्कूल (६ लड़कों और एक लड़कियों के लिए) भी खोले गये।

योग्य और गरीब विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और अनावर्तक आर्थिक सहायता के रूप में ६,८४६ रुपये की रकम वितरित की गयी।

गोपेश्वर में गीतास्वामी हायर सेकेंडरी स्कूल का प्रान्तीयकरण किया गया। कर्णप्रयाग के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मे साहित्य वर्ग का समावेश किया गया। इससे वहा के लोगो की एक दीर्घकालीन आवश्यकता की पूर्ति हुई।

उच्च और प्राविधिक शिक्षा को बढावा देने के लिए ४० विद्यार्थियो को छात्र वृत्ति के रूप मे ८,००० रुपये की धनराशि दी गयी।

पिथौरागढ़—पन्द्रह एक अध्यापक वाली प्रारम्भिक पाठशालाएं आरम्भ की गयी। इनमें से पांच पाठशालाओ मे एक-एक अतिरिक्त अध्यापको का प्रबन्ध किया गया। इन पाठशालाओ मे विद्यार्थियो की भर्ती सख्या ५० तक बढ गयी। कुल मिलाकर इन संस्थाओ मे लगभग ७५० विद्यार्थी शिक्षा पा रहे थे। लडको के लिए ४ जूनियर हाई स्कूल और लडकियो के लिए भी एक जूनियर हाई स्कूल खोला गया। मुसियारी के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की ११वी कक्षा मे विज्ञान और कला वर्ग का समावेश किया गया।

एक सौ उन्तालिस छात्रो को मासिक छात्रवृत्ति और २४३ विद्यार्थियो को अनावर्तक आर्थिक सहायता दी गयी। कई विद्यार्थियो को जो स्नातक, स्नातकोत्तर और व्यावसायिक पाठ्यक्रमो मे शिक्षा ले रहे थे, छात्र वृत्ति और अनावर्त्तक आर्थिक सहायता दी गयी।

पिथौरागढ राजकीय इंटरमीडिएट कालेज, कर्णप्रयाग राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की इटरमीडिएट कक्षाओ मे प्रदेशीय शिक्षा दल योजना आरम्भ की गयी, ताकि विद्यार्थियो मे अनुशासन और समाज सेवा की भावना पैदा की जा सके।

उद्योग

उद्योग—इन नये जिलो के लिए वर्ष मे स्वीकृत उद्योगो से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओ को कार्यान्वित किया गया। इनके अन्तर्गत किये गये कार्य का विवरण निम्नांकित है :—

उत्तरकाशी—दंदा मे एक शाल बुनाई केन्द्र तथा नकुरी मे एक दरी बुनाई केन्द्र खोला गया। ये दोनों केन्द्र सन्तोषजनक कार्य कर रहे थे। उत्तरकाशी के कसीदाकारी एव बुनाई केन्द्र के ठीक काम करने की रिपोर्ट मिली थी। रतडीसौरा मे एक जल चर्खा लगाया गया। उत्तरकाशी में स्थापित बढ़ईगीरी कारखाने एवं प्रशिक्षण केन्द्र में ११,००० रु० मूल्य का माल तैयार किया गया। दस हजार रुपये मूल्य का माल बेचा गया। जादों और कोलियो को बुनाई सिखाने के लिए ददा में एक सचल प्रशिक्षण एव उत्पादन केन्द्र खोला गया। ऊनी माल का उत्पादन बढा। पूर्वगामी वर्ष मे ३५,००० रु० मूल्य का ऊनी माल तैयार किया गया था, जब कि आलोच्य वर्ष मे ४१,००० रु० मूल्य का माल तैयार किया गया।

स्थानीय रूप मे तैयार की गयी इन वस्तुओ की बिक्री को बढावा देने के लिए एक प्रदर्शन-कक्ष और बिक्री डिपो खोला गया।

चमोली—भुंटाला मे एक रिगाल उपयोग केन्द्र की स्थापना की गयी और इसकी एक शाखा गैरसाइ मे खोली गयी। ये सन्तोषजनक ढंग से काम करते रहे और १४,००० रु० मूल्य का सामान तैयार किया।

रुद्रप्रयाग में एक प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र स्थापित किया गया। इसमे महिला प्रशिक्षार्थियो के पहले दल को कसीदाकारी, दरी बुनाई और शाल बुनाई की ट्रेनिंग दी जाती रही।

चमोली में खोले गये बढईगीरी कारखाने एव उत्पादन केन्द्र में आवश्यक मशीनो और साज-सामानो की व्यवस्था की गयी और थोड़े समय ही मे यहा २०,००० रु० मूल्य का सामान तैयार किया गया। तीन जल चर्खो की खरीद की गयी। इनमे से दो जल चर्खे लगाये गये और सन्तोषजनक ढग से चल रहे थे।

ऊन जमाने वाले (ऊन कार्डिंग) स्थानीय कारीगरो को सप्लाई करने के लिए ३ लाख रु० मूल्य का तिब्बती ऊन खरीदा गया। इस जिले मे ऊन को स्टोर करने और कार्डिंग करने के लिए छः गोदाम बनाये गये।

चमोली मे एक प्रदर्शन कक्ष और बिक्री डिपो स्थापित किया गया, जिसकी शाखाएं बद्रीनाथ, जोशीमठ और भुंइताला मे खोली गयी ताकि स्थानीय रूप से उत्पादित माल की बिक्री को बढ़ाया जा सके। इन डिपो मे बिक्री के लिए भारी मात्रा मे ऊनी सामान बिक्री के लिए हमेशा उपलब्ध रहता है।

पिथौरागढ--धारचूला मे एक रंगाई और फिनिशिंग शेड खोला गया। दीदीहाट में एक ऊन केन्द्र और तीन जगहो पर जल-चर्खा केन्द्र खोले गये। कालिका में स्थापित प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र मे विभिन्न औद्योगिक कार्यो से लगभग ७० कारीगरो को प्रत्यक्ष रूप से और १५० कारीगरो को परोक्ष रूप से पूर्णकालिक रोजगार मिल रहा था।

ऋण और छात्रवृत्ति-- छोटे पैमाने के उद्योगो के विकास के लिये निजी उद्योगो में लगे व्यक्तियो को उत्तरकाशी मे ४०,००० रु०, चमोली में ७५,००० रु० और पिथौरागढ में ४५,००० रु० के ऋण दिये गये। आशा थी कि इस सहायता से स्थानीय उद्योगो में उल्लेखनीय सुधार होगा। उपयोगी व्यवसायों की उच्च प्राविधिक ट्रेनिंग प्राप्त करने हेतु इन तीनो जिलों मे स्थानीय प्रशिक्षणार्थियो को १२,५०० रु० की छात्र-वृत्ति दी गयी।

पशुपालन

पशु-पालन--पशुधन विकास सम्बन्धी सभी स्वीकृत योजनाए इन तीनों जिलो में चालू की गयी। ३०,००० रु० की अनुमानित लागत पर प्रत्येक जिले मे दुधारू गाये और भैंसे खरीदी गयी और इच्छुक पशुपालको को दी गयी।

उत्तरकाशी--मौजूदा मेंढा केन्द्रो के सुधार के लिए १,५०० रु० की धनराशि का उपयोग किया गया। उन्तालिस मेंढ़े खरीदे गये और केन्द्रो मे रखे गये, जब कि प्रजनन के मौसम में भेड़ पालको को समुन्नत किस्म के १७ मेंढ़े दिये गये। पिथौरागढ़ में ३३ मेंढ़े खरीदे गये और मेंढा प्रज्नन केन्द्रो मे रखे गये।

याक साडो की खरीद की गयी और प्रजनन कार्य के लिए उनका रख रखाव किया जाता रहा। भेडो की भी खरीद की गयी और सवाई आधार पर उनका वितरण किया गया। उत्तरकाशी मे १,४००, पिथौरागढ मे १,००० और चमोली में लगभग ६०० भेड़े दी गयी।

इन तीनो मे से प्रत्येक जिले मे एक सचल चिकित्सालय और एक खच्चर केन्द्र खोला गया और आवश्यक कर्मचारियो और साज-सामानो से सुसज्जित किया गया। उत्तरकाशी यूनिट से आशा की जाती थी कि वे जाद लोगो (पहाडी लोगो की खानाबदोश पशुपालक जाति) के साथ चलती रहे।

चराई के अतिरिक्त व्यवस्था की तत्काल आवश्यकता प्रतीत हुई। अतएव आर्थिक सहायता और ऋणखंडो के माध्यम से गांव सभाओ को दिये गये ताकि वे मौजूदा चरागाहो का सुधार कर सकें। १९६०-६१ मे इस सिलसिले मे उत्तरकाशी मे १०,००० रु०, पिथौरागढ़ में १६,००० रु० और चमोली मे लगभग ७,००० रु० का उपयोग किया गया।

बागवानी

उत्तरकाशी--पौध सुरक्षा की मौजूदा टीमों को कर्मचारियों और साज-सामानो से सुसज्जित करके मजबूत बनाया गया। बरोठी और बरकोट में दो ऊन केन्द्र स्थापित किये गये। ये केन्द्र बड़े लोकप्रिय सिद्ध हुए। बागवानी करने वाले अब बगीचे लगाने, उनका पोषण करने, काटने

छांटने के लिए अधिकाधिक प्राविधिक मांग करने लगे थे। अधिक फल वृक्षों को उगाने के लिए प्रत्येक टीम का कार्य क्षेत्र १० एकड़ तक बढा दिया गया। बगीचों के लिए बाड़ा लगाने के आवश्यक सामान की व्यवस्था की गयी। मालियो की प्रशिक्षण कक्षाओ के लिए एक शेड का निर्माण किया गया। आलोच्य वर्ष में रैथल हर्षिल फार्म में ३१ मालियो को प्रशिक्षित किया गया। इसी प्रकार चमोली मे ६० मालियो को और पिथौरागढ़ मे ६३ व्यक्तियो को बागवानी के उन्नत तरीको की ट्रेनिग दी गयी। प्रशिक्षण अवधि मे अभ्यर्थियो को छात्रवृत्ति दी जाती रही।

फलोत्पादन और शाक सब्जी की खेती को बढ़ावा देने और उत्पादको में रुचि पैदा करने के उद्देश्य से उत्पादको के हाथ रियायती दरो पर बेचने के लिए प्रत्येक जिले में कई हजार फल वृक्षो और बड़ी मात्रा मे साग-सब्जी के बीजो की खरीद की गयी। कतिपय उत्पादको को शाक-सब्जी की बिक्री से शीघ्र ही काफी लाभ हुआ और यह योजना बड़ी लोकप्रिय सिद्ध हुई। उत्तरकाशी केन्द्र मे १,७०० पौड फलो का सामान पैक किया गया और पिथौरागढ़ मे मिश्रित फलों के १०३ पौड सामान की डिब्बे बन्दी या बोतल बन्दी की गयी।

बगीचेदारो को उत्तरकाशी मे दीर्घकालिक ऋण के रूप मे १.६० लाख रुपये की धनराशि वितरित की गयी। इसी प्रकार चमोली मे १५,००० रुपये और पिथौरागढ़ मे ६१,७०० रु० नये बगीचे तैयार करने अथवा पुराने बगीचो का जीर्णोद्धार करने और बाडा आदि लगाने के लिए वितरित किये गये। तीनो जिलो मे बगीचेदारो को सहायक अनुदान भी दिये गये।

इन जिलो की स्थानीय जनता इन प्रयासो से काफी प्रभावित हुई और उसने बगीचो का औद्योगिक महत्व अनुभव किया, जिससे इन क्षेत्रो के सपन्न लोगो की आशा की जा सकती थी। इन सुविधाओ का लाभ उठाने के लिए अधिकाधिक उत्पादक आगे आ रहे थे।

सूचना

सूचना--विकास कार्यो और उस क्षेत्र में किये गये कार्यो का पूरा-पूरा प्रचार करने के लिए इन तीनो जिलो में प्रबन्ध किये गये।

चमोली जिले में १४२ सभाएं की गयी। अल्प बचत तथा अन्य विकास योजनाओ का प्रचार किया गया। १०२ चलचित्र प्रदर्शित किये गये और लगभग ७,००० व्यक्तियो से संपर्क स्थापित किया गया। खंड स्तर पर ६ विकास प्रदर्शनियां और मेले संगठित किये गये और जिला स्तर पर एक औद्योगिक विकास मेला और प्रदर्शनी आयोजित की गयी। १५ अगस्त, १४ नवम्बर और गणतंत्र दिवस को जिले भर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रबन्ध किया गया। ७५ दृश्य-श्रव्य केन्द्र खोले गये और ३५ रेडियो सेट और २६ सेट किताबें वितरित की गयी।

पिथौरागढ़ जिले में अंग्रेजी और हिन्दी में अनेक नये संवाद जारी किये गये। गांधी जयन्ती और जौलजीवी के मेले और जिला कलाकार सम्मेलन के अवसर पर पुस्तिकाएं प्रकाशित की गयी। जिनमें विकास कार्यो और लक्ष्यो आदि सम्बन्धी तथ्यो और आंकड़ो का समावेश किया गया था।

स्थानीय संपर्क स्थापित करने के लिए विभिन्न स्थानो पर १५० चलचित्रो, जिनमें पूरी लंबाई के चलचित्र भी सम्मिलित थे, का प्रदर्शन किया गया।

विभिन्न माध्यमो अर्थात् प्रदर्शनी, भाषण, सांस्कृतिक प्रदर्शन, प्लेकार्ड प्रदर्शन, कठपुतली प्रदर्शन, चलचित्र आदि द्वारा समुचित प्रचार के हेतु जौलजीवी और रामेश्वर मेलो में प्रचार शिविर संगठित किये गये।

मूनाकोट, दीदीहाट और बेरीनाग के किसान मेलो में प्रदर्शन स्टाल लगाये गये और चलचित्र तथा सांस्कृतिक प्रदर्शन भी किये गये।

लजीवी और पिथौरागढ़ में दो पचवर्षीय, योजना प्रदर्शनी आयोजित की गयीं।

पिथौरागढ में एक सूचना केन्द्र भी खोला गया। एक सौ बीस केन्द्रो में सामुदायिक श्रवण के लिए ४५ रेडियो सेट, १०० पुस्तको के सेट और रैको का वितरण किया गया। योजना सप्ताह मे दीवारो पर चिपकाने वाले छ. पोस्टर मुद्रित और वितरित किये गये।

उत्तरकाशी जिले में ६५ सभाए की गयी, जिसमें विकास योजनाओ का प्रचार किया गया, ७६ चलचित्र प्रदर्शनो का भी प्रबन्ध किया गया और मेलो में चार प्रचार शिविर सगठित किये गये। २० रेडियो सेट और किताबो के २२ सेट वितरित किये गये।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम

तीनो जिलो में खोले गये २१ विकास खडो में सामान्य सामुदायिक विकास कार्यक्रम बिना किसी अडचन के चल रहा था। इन खंडो के अन्तर्गत उत्तराखंड डिवीजन के सभी क्षेत्र आ गये।

आलोच्य वर्ष में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के एक पद का सृजन किया गया। सीमा क्षेत्र योजनाओं को शीघ्र सम्पन्न करने के लिए तीन अधीक्षण अभियन्ता हल्के और ६ कार्यकारी मंडल बनाये गये। प्राविधिक सहायता देने के लिए राज्य मुख्यालय मे एक पुल डिजाइन डिवीजन और एक एलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिवीजन की स्वीकृति दी गयी। आलोच्य वर्ष मे नयी योजनाओ के सर्वेक्षण और उनको अतिम रूप देने की दिशा मे अधिकाशत. प्रयास किये गये। जो कार्य किये गये उनमें आर्थिक महत्व के ७ मोटर सडको का निर्माण मुख्य था अर्थात् द्वारा हाट-गनई रोड, नौगाव-पुरोला सड़क, उत्तरकाशी-बरकोट सड़क, घमसाली-भीरी सडक, ऊखीमठ-चमौली सडक, कर्ण प्रयाग–थराली सडक और थल–तेजम सडक। सर्वेक्षण पूरा करने के बाद १२२ मील सडक की होशयारदारी की योजना को अन्तिम रूप दिया गया। घमसाली-भीरी सडक को छोड कर इन सभी सडको के निर्माण का कार्य शुरू किया गया और सड़क निर्माण की इन योजनाओ पर अनुमानितः कुल १३ ५ लाख रुपया खर्च किया गया।

अध्याय ३

उत्पादन तथा वितरण

१--कृषि

सामान्य

यद्यपि जुलाई और अगस्त के महीने मे अत्यधिक वर्षा के कारण ज्वार, बाजरा, मकई तथा कपास की फसलो को कुछ क्षति पहुची, फिर भी इस अवधि मे हुई वर्षा से धान की फसल को लाभ हुआ। राज्य के कुछ जिलो में अगस्त, सितम्बर तथा अक्तूबर के महीनो में घोर वर्षा के फलस्वरूप भारी बाढ़ तथा पानी जमा होने की स्थिति के कारण खरीफ की खड़ी फसल को भारी क्षति पहुंची।

१९६१ के जनवरी और फरवरी के महीनो में स्थि . रूप से हुई वर्षा मे सामान्यतः रबी की खडी फसल को बहुत लाभ हुआ, सिवाय उन भागो मे जहा पानी अधिक बरस गया। इसके अतिरिक्त कुछ जिलो मे पानी के साथ-साथ ओले भी पडे जिसके फलस्वरूप खड़ी फसलो को स्थानीय रूप से क्षति पहुंची। फरवरी के उत्तरार्ध मे मौसम की स्थिति से भी फसलो को कुछ हानि पहुंची।

कृषि क्षेत्र तथा फसल की उपज--विभिन्न फसलो की बोयी गयी भूमि का क्षेत्रफल तथा उपज का विवरण नीचे लिखे अनुसार है :--

फसल				क्षेत्र (एकड़ो मे)	उपज (टनो में)
१--चावल	..	..	..	१,०१,७९,२८५	३०,२१,७९७
२--ज्वार	..	..	..	२२,१०,८७७	४,८८,८२६
३--बाजरा	..	..	..	२६,५८,७२९	४,१३,५३८
४--मकाई	..	..	..	२५,९१,७१९	६,१८,६९७
५--गन्ना	..	..	..	३२,८८,६५१	३८,९८,३७६
६--गेहूं	..	..	..	९६,८४,०९०	३८,५४,२५६
७--कपास	..	..	..	१,६१,४३७	४९,५१८ (गाठें)
८--जौ	..	..	..	४५,४२,६९१	१६,५२,३८९
९--चना	..	..	..	६३,३१,२४५	१७,९५,६५१

कृषि विकास तथा प्रसार सेवा--कृषि विकास तथा प्रसार सेवा द्वारा राज्य में अन्न उत्पादन तथा अन्य कृषि उत्पादन और कच्चे माल का उत्पादन बढाने की दिशा में कार्य किया जाता रहा। इसलिए अधिक क्षेत्र में कृषि तथा उत्तम बीज और सुधरी कृषि प्रणाली का सहारा लिया गया, पहले की अपेक्षा अधिक भूमि में फल वृक्ष तथा साग-सब्जियां लगायी गयी और रासायनिक खाद, हरी खाद तथा कम्पोस्ट का प्रयोग किया गया और कीडे-मकोडे तथा रोगो के निरोधक उपायो का सहारा लिया गया। इस अभिप्राय से विकास विभाग के कर्मचारियो को खरीफ तथा रबी अभियानो के माध्यम से क्रियाशील बनाया गया। ये अभियान राज्य भर

मे विशेष रूप से चलाये गये थे और उनके विभिन्न मदो के विरुद्ध सफल उपलब्धियां हुई। कुछ विवरण नीचे दिये जा रहे हैं :--

	एकड़
१--वह क्षेत्र जिसमे हरी खाद का प्रयोग किया गया ..	९,२३,०००
२--वह क्षेत्र जिसमें जापानी ढंग से धान की खेती की गयी	१४,०८,०००
३--वह क्षेत्र जिसमें उत्तर प्रदेशीय ढंग से गेहूं की खेती की गयी	१५,००,०००
४--वह क्षेत्र जिसमे कतार से धान की बोवाई की गयी ..	८,७९,०००
५--वह क्षेत्र जिसमें कतार से मकई की बोआई की गयी ..	६,५०,०००
६--वह क्षेत्र जिसमें कतार से खरीफ की अन्य फसलें बोयी गयी थी	१५,२२,०००
७--वह क्षेत्र जिसमे कतार से जौ की बोवाई की गयी ..	१६,१५,०००
८--वह क्षेत्र जिसमे फलीदार फसलें लगायी गयी ..	१८,५३,०००
९--वह क्षेत्र जिसमें फसली और साग-सब्जियो में लगने वाले कीडो तथा रोगो के नियत्रण सम्बन्धी उपाय किये गये	२५,२००

राजकीय कृषि फार्म--कृषि विभाग द्वारा परिचालित फार्म चार प्रकार के थे। इनमें से शैक्षिक फार्मो का कार्य विद्यार्थियो को कृषि के वैज्ञानिक तरीको का व्यावहारिक प्रशिक्षण देना था। प्रत्येक विद्यार्थी को १/२० एकड खेत एलाट किया गया था। अनुसंधान फार्मो मे ऐसे बीजो के विकास के तकनीकी शोध का कार्य होता था, जो राज्य के विभिन्न भागो के लिए उपयुक्त हो। इसके अतिरिक्त इनमे विभिन्न क्षेत्रो के कृषको की स्थानीय समस्याओ तथा कृषि के विभिन्न पहलुओ की छानबीन करने का कार्य भी होता था। भूमि सरक्षण तथा ऊसर को कृषि योग्य बनाने वाले फार्मो में भूमि संरक्षण तथा राज्य की ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाने सम्बन्धी समस्याओ के समाधान ढूढ निकालने के प्रयास किये जा रहे थे। इसी प्रकार बीज-संवर्धन फार्मो में अनुसंधान फार्मो से प्राप्त केन्द्रक बीजो के सवर्धन का कार्य होता रहा। १९६०-६१ वर्षावधि मे भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी कठिनाइयो के कारण राज्य के बीज-संवर्धन योजना के अन्तर्गत केवल एक नया फार्म खोला जा सका।

उन्नत बीजो का वितरण--द्वितीय पचवर्षीय आयोजनावधि में प्रत्येक खंड में एक कृषि तथा दो सहकारी बीज भंडार खोले जाने को थे। उसके अनुसार १९६०-६१ के अत तक ८७६ उन्नत कृषि बीज भडारो की स्थापना की जा चुकी थी। उन्नत बीजों, उर्वरकों तथा खाद के वितरण से संबद्ध विवरण नीचे दिये जा रहे हैं :--

	मन
१--उन्नत खाद्यान्नो के बीज	३०,७५,३४०
२--उन्नत जूट के बीज	१,८६०
३--उन्नत कपास के बीज	६,०३२
४--उन्नत तथा स्थानीय चुने हुए तिलहन के बीज	२३,६७७
उर्वरक तथा खाद--	टन
१--अमोनियम सलफेट	१,०५,१४४
२--यूरिया की खाद	२,१२१
३--अमोनियम सलफेट नाइट्रेट	३,८११

	टन
४—कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट	५,५२१
५—अमोनियम नाइट्रेट	१५३
६—चिली से प्राप्त खाद	२०२
७—अमोनियम क्लोराइड	६८
८—सुपर फास्फेट	३,४८३
९—हड्डी के चूरे की खाद	४९
१०—नाइट्रो फास्फेट	२००
११—अमोनियम फास्फेट	५८
१२—उर्वरक मिश्रण	५,६७२
१३—खली की खाद	१,०३९
१४—सनई	६०८
१५—ढेंचा	५२३
१६—मूंग	३०५
१७—लोबिया	४९
१८—गुआर	३४७
	मन
१९—पाचित हड्डी की खाद	५७३
२०—छिछड़ा (पाचित मांस)	१९६
२१—सीग तथा खुर के चूरे की खाद	८
२२—रक्त खाद	४,५४४
	टन
२३—नगर कम्पोस्ट	५,१३,५८०
२४—ग्राम कम्पोस्ट	२४,२६,९९७
	घनफुट
२५—तालाबो के तलहटो का उपयोग	१,३४,२७,५३०

सहायक खाद्य फसले—खाद्यान्नो पर दबाव को कम करने क अभिप्राय से फल तथा साग-सब्जियो जैसी सहायक फसलो का उत्पादन बढाने पर बल दिया जाता रहा। विस्तृत प्रचार तथा प्रयत्नो के फलस्वरूप नीचे लिखी उपलब्धिया हुई :—

(१) नये उद्यानो का क्षेत्रफल	२४,३९६	एकड़
(२) पुनर्जीवित पुराने उद्यानो का क्षेत्रफल	१०,८४८	,,
(३) फलो के वितरित पौधे	१६,२१,३८२	,,
(४) साग-सब्जियो के वितरित बीज	२०,१८७	पौण्ड
(५) रोग मुक्त आलू का वितरित बीज	३९,९९९	मन
(६) दीर्घकालिक ऋण	४,९८,९००	रुपया

पूर्वी जिलो तथा राज्य के पिछड़े क्षेत्रो मे खाद्य की स्थिति मे सुधार करने के अभिप्राय से प्रस्तुत वर्ष विभिन्न योजनाएं चलायी जा रही थी। इनका कुछ विवरण नीचे प्रस्तुत है :—

(१) आलू—आलू के उत्पादन एवं संवर्धन के लिए शुद्ध एवं अच्छी जाति के बीज से ७५२ एकड़ अतिरिक्त भूमि मे आलू की खेती आरम्भ की गयी। इसके लिए काश्तकारों के उर्वरक साधनो में वृद्धि करने के निमित्त २ रुपया प्रति मन बीज और १५ रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से आर्थिक सहायता दी गयी।

(२) शकरकद—सामान्य बाजार दर से ५० प्रतिशत कम दर पर लगभग ४,६४२ मन शकरकन्द की लतरे लोगो को वितरित की गयी।

(३) सिघाडा—सिघाडा की फसल ६२६ अतिरिक्त एकड भूमि मे बोयी गयी और इस फसल की काश्त करने वाली ग्राम सभाओ को ५० रुपया प्रति एकड के हिसाब से आर्थिक सहायता दी गयी।

(४) पपीता तथा केला—काश्तकारो को पपीते के ४,३६,६६२ पौधे दिये गये। इसके अतिरिक्त केले के १,०६,७५४ अंकुर ५० प्रतिशत रियायती दर पर वितरित किये गये।

फसल प्रतियोगिताए— पहले की ही भाति इस वर्ष भी गेहूं, धान, मकई, बाजरा तथा आलू जैसी प्रमुख फसलो के लिए राज्य, क्षेत्र, जिला, तहसील, कस्बा, पचायती अदालत तथा ग्राम सभा के स्तर पर फसल प्रतियोगिताओ का आयोजन किया गया।

जूट विकास—जहा तक जूट विकास योजना के लक्ष्य तथा उपलब्धियो का सम्बन्ध है वे नीचे लिखे विवरण के अनुसार थी :—

विवरण		लक्ष्य	उपलब्धिया
१—जूट के रेशो का उत्पादन (गाठो मे)	..	१,४०,०००	१,३६,४००
२—वह क्षेत्र जिसमे जूट की फसल थी (एकड़ मे)		५०,०००	५२,२००
३—बीजो का वितरण (मनो मे)	..	..	१,८६०
४—कतार मे बोआई (एकड़ो मे)	..	१५,०००	१३,६००
५—उर्वरको का वितरण, जूट की फसल पर छिड़कने के लिए (टनो मे)	..	१,०००	३६०

जूट की फसल की कटाई के प्रयोग मुख्य साख्यिक के निर्देशानुसार किये गये और प्रति एकड २.६७ गांठ जूट रेशे की औसत उपज पायी गयी।

कृषको को उत्तम किस्म के जूट के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राज्य मे प्रतियोगिताओ का आयोजन किया जाता रहा। प्रस्तुत वर्ष २,४३३ प्रतियोगियो ने इन प्रतियोगिताओ में भाग लिया और विजेताओ को ६,१२० रु० पुरस्कार के रूप मे दिये गये।

उन्नत प्रणाली से जूट के काश्त के तकनीक का विशेष क्षेत्र प्रशिक्षण कर्मचारी वर्ग ग्राम सेवक तथा प्रगतिशील जूट उत्पादको को दिया गया। विभाग के १३ सदस्य नौकरी मे रहते हुये प्रशिक्षण के लिए पश्चिम बगाल के बारिकपुर स्थित जूट कृषि अनुसंधान संस्थान मे भेजे गये। इसके अतिरिक्त ३८ सदस्यो ने बहराइच जिले के घाघराघाट स्थित राजकीय जूट फार्म मे प्रशिक्षण प्राप्त किया।

उत्तर प्रदेश की मिलो और फुटकर खरीदारो ने ३,८०,००० मन और सहकारी समितियो ने १,५१० मन जूट का रेशा खरीदा। आलोच्य वर्ष मे कलकत्ते की मिलो तथा फुटकर रोजगारियो ने २,५६,२६० मन जूट के रेशे का उपयोग किया। इसके अतिरिक्त पहले की भाति उत्पादको ने अपनी आवश्यकताओ के लिए भी जूट का इस्तेमाल किया।

विभिन्न श्रेणी के जूट के मूल्य उत्पादको के लिए लाभप्रद रहे। इनके भाव ३७ रु० से ५० रुपया प्रति मन के बीच रहे।

कपास के उत्पादन का लक्ष्य १,१०,००० गाठो का निर्धारित किया गया था। इसी प्रकार कपास की खेती के लिए २,८०,००० एकडो का लक्ष्य था। इसके विरुद्ध इस वर्ष ४६,५१८ गाठो का उत्पादन हुआ था और १,६१,४३७ एकड़ भूमि में कपास की खेती की गयी थी।

अप्रैल और मई के महीनो मे, जो कपास की बोआई के मुख्य महीने हैं, मुख्य रूप से सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था अपर्याप्त होने के कारण, बरसात देर से प्रारम्भ होने तथा बाद को घोर और लगातार वर्षा के कारण उपज में कमी हुई। निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पूरी भूमि में बोआई नही की जा सकी और न ऐसे मौसम मे समय से मिली-जुली खेती का कार्य ही किया जा सका। अन्त मे अक्तूबर के पूर्वार्द्ध मे जो वर्षा हुई वह खडी फसल के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हुई। ऐसी अवस्था में उपज मे कमी होना स्वाभाविक ही था।

निम्नलिखित तीन प्रसार योजनाएं आलोच्य वर्ष मे चलती रही:—

(१) कपास प्रसार योजना—इसका लक्ष्य राज्य में कपास की उपज तथा कपास का क्षेत्रफल बढाना था।

(२) अमेरिकी कपास की ३२०—एफ तथा २१६—एफ किस्मो और देशी कपास नं० ३५/१ के बीज प्राप्त करने तथा राज्य के पश्चिमी भाग के ११ चुने हुए जिलो में उनके वितरण की योजना।

(३) बुन्देलखंड तथा राज्य के कुछ पूर्वी जिलो मे बड़े पैमाने पर बीज डालने के प्रयोग की योजना। इसका आरम्भ इस अभिप्राय से किया गया कि इन क्षेत्रो में, जिनमे लगभग दो दशक पूर्व कपास की खेती बडे पैमाने पर होती थी, फिर कपास की खेती आरम्भ की जाय।

आलोच्य वर्ष में २,२५७ टन अमोनियम सल्फेट का प्रयोग कपास की फसल के लिए किया गया था जब कि इस अवधि के लिए ५,००० टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

तिलहन—राज्य मे तिलहन के उत्पादन मे वृद्धि करने की योजना जारी रखी गयी। अंडी, तिल तथा मूगफली की फसले खरीफ के मौसम मे तथा अलसी, राई और सरसो की फसलें रबी के मौसम में बढ़ाने के लिए हाथ में ली गयीं।

लाख विकास—इस वर्ष ४०,००० मन लाखी के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। दिसम्बर, १९६० तक ३३,००० मन लाखी का उत्पादन किया जा चुका था।

पौध संरक्षण—राज्य पौध सुरक्षा सेवा द्वारा फसलो, साग-सब्जियो, फलो एवं फल वृक्षो के विभिन्न रोगो और कीड़ो तथा गोदाम मे रखे अन्न के कीडो की रोकथाम के कार्य किये गये। कीड़ो के नियंत्रण का कार्य १,४१,२९७ एकड फसलो, १,५८,६५८ वृक्षो, १,५०० पौधघर के पौधों, ८,४३२ सजावट के पौधो तथा ५ एकड़ अगूर की बेलो, १,९१६ गोदामो और ३३,३३० मन खाद्यान्न, दालो तथा आलू पर किया गया। १,७२६ गोदामो मे और ५५,४०९ बोरो पर गोदाम के कीड़ो तथा आलू मे छेद करने वाले कीडो को नष्ट करने के उपाय किये गये। १,३२,२४७ मन रबी तथा खरीफ की फसलो के बीजो को भी रोगमुक्त रखने सम्बन्धी निरोधक उपाय किये गये।

इसके अतिरिक्त अग्रगामी चूहा विनाश योजना के कर्मचारियो द्वारा १०,४२७ एकड फसल क्षेत्र मे जगली चूहो से फसल के बचाव का अभियान चलाया गया। विकास विभागो के २४,८६४ कर्मचारियो को पौध सरक्षण तथा टिड्डी विरोधी उपायो मे प्रशिक्षण दिया गया।

टिड्डियो का विनाश—आलोच्य वर्ष मे टिड्डियो की पहली लहर राज्य के १६ जिलो, आगरा, मैनपुरी, एटा, मथुरा, बुलन्दशहर, मेरठ, प्रतापगढ, रायबरेली, जौनपुर, आजमगढ़, अलीगढ, झासी, हमीरपुर, सहारनपुर, सुल्तानपुर तथा मिर्जापुर मे आयी। इसके पश्चात् राज्य मे भिन्न-भिन्न समय पर टिड्डियो के विभिन्न रंग-रूपो के ५ और दल आये। इसके नियंत्रण के अभियान बुलन्दशहर, आगरा और झासी जिलो मे किये गये और लगभग १,६९९ मन टिड्डिया नष्ट की गयी। टिड्डी नियंत्रण कार्य मे भाग लेने वाले संबद्ध सरकारी विभागो के कर्मचारियो, और क्षेत्र कार्यकर्ताओ को राज्य के सभी जिलो मे टिड्डो विरोधी प्रशिक्षण दिया गया।

उत्तर प्रदेश-राजस्थान सीमा पर वन रोपण---उत्तर प्रदेश राजस्थान सीमा पर १९५९-६० तक १,०२२ एकड़ भूमि मे वन रोपण किया गया। द्वितीय पचवर्षीय योजना मे इस क्षेत्र मे वनरोपण का १,७५० एकड़ भूमि का लक्ष्य निर्धारित किया गयाथा। उपयुक्त भूमि के अभाव मे आग प्रगति रुक गयी थी।

कृषि शिक्षा---कानपुर के राजकीय कृषि महाविद्यालय तथा बुलन्दशहर, चिरगाव (झासी और गोरखपुर के कृषि विद्यालयो मे क्रमश स्नातक तथा डिप्लोमा स्तर पर तक प्रतिक्षण देने का कार्य जारी रहा। महाविद्यालय मे कुल ५५५ विद्यार्थी तथा विद्यालयो मे ४३९ विद्यार्थी आलोच्य वर्ष मे शिक्षा प्राप्त कर रहे थे।

कृषि अनुसंधान

(१) गन्ना प्रकार तथा कृषि सम्बन्धी अनुसन्धान---मध्य क्षेत्र में गन्ना की सी० ओ० ३९५, सी० ओ० एस० २४५ तथा सी० ओ० एस० ५१० किस्मो ने प्रति एकड़ उपज मे अधिकतम प्रतिशत वृद्धि दिखलायी और सी० ओ० एस० ३२१/सी० ओ० ४२१ तथा सी० ओ० ५२७ किस्मो के स्थान इन्होने ले लिये। चार प्रमुख किस्मे जिनकी काश्त हो रही थी वे थी--सी० ओ० एस० ४२५, सी० ओ० एस० ५१०, सी० ओ० एस० ४२१ तथा सी० ओ० ५२७ दोनो मध्य मौसमी गन्ने की किस्मे सी० ओ० ३४६ तथा बी० ओ० १७ पर्याप्त अच्छी उपज वाली तथा कानी रोग से लडने वाली सिद्ध हुई और इन्हें इस क्षेत्र के कुछ और जिलो के लिए उपयुक्त स्वीकार किया गया। बी० ओ० १७ को तराई तथा अर्द्ध जल-मग्न अवस्थाओ के उपयुक्त समझा गया।

सी० ओ० एस० ३२१, सी० ओ० एस० २४५, सी० ओ० ४२१, सी० ओ० ९६१ तथा सी० ओ० २५६ किस्मो के गन्ने उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलो के लिये चुनी गयी सूची में थे। सी० ओ० ५२७ और सी० ओ० एस० ५१० किस्मो को पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश मे बोने के लिए दिया गया। सी० ओ० ९७५ जो एक नयी उपयोगी किस्म थी, सामान्य बोवाई के लिये दी गयी।

सी० ओ० ८५९, जो एक पुरानी किस्म थी, पूरे पूर्वी क्षेत्र बोने के लिए दी गयी और बो० ओ० १७ जो मध्य मौसमी किस्म है, फैजाबाद हल्के के लिए दी गयी सी० ओ० ८५९ जो बोने के लिए चालू की जा चुकी थी, के अतिरिक्त बी० ओ० ३२ सी० ओ० १,००७ तथा १,०४१ किस्में भी बोने के उपयुक्त थी। बोने के लिये दी गयी किस्मो में सी० ओ० एस० ५१० तथा बी० ओ० १७ ने अच्छी उपज दी। ये दोनो किस्मे पेडी के लिए बहुत अच्छी पयी गयी।

नैनीताल के फूलबाग मे ऊची भूमि के प्रकार सम्बन्धी प्रयोग मे तराई सी० ओ० १९४६ प्रति एकड़ उपज में सर्वोत्तम सिद्ध हुई। लगभग उसी जैसी दूसरे स्थान पर सी० ओ० ८४६ पायी गयो। सी० ओ० ८५९ सी० ओ० १,०४६ सी० ओ० ८४६ तथा सी० ओ० एस० ५४६ किस्मे रस की दृष्टि से सबसे अच्छी सिद्ध हुई। रुद्रपुर ने सी० ओ० ५२७ किस्म प्रति एकड़ उपज में सबस अच्छी निकली। ऐसी अवस्थाओ मे जहा पानी जमा है सी० ओ० एस० २४५, जो तराई के हल्को में खूब प्रचलित थी, सभी दृष्टियो से सबसे अच्छी पायी गयी।

कृषि सम्बन्धी अनुसधान---ऐगलाल तथा गामा बी० एच० सी० द्वारा उपचारित गन्ने के सेट पर्याप्त विलम्ब से यहां तक कि ११ अप्रैल तक बोये जाने पर भी बहुत अच्छे जमे। ६४ प्रतिशत की सबसे अच्छी जमाई बोने के ५ सप्ताह बाद पायी गयी। ऐगलाल उपचारित गन्ने की प्रति एकड़ उपज भी अनुपचारित गन्ने की अपेक्षा अधिक हुई। हेप्टाक्लोरा कन्सेन्ट्रेट घोल के उपयोग से दीपको का सफल नियत्रण किया जा सका।

कृषि अध्ययन तथा फफूद अध्ययन सम्बन्धी पतझर के मौसम मे बोयी जाने वाली गन्ने की फसल पर दीमक तथा छेद कर देने वाले कीड़ो के विरुद्ध गामा बी० एस० सी० के प्रयोग से कुछ लाभ नही हुआ जबकि बसन्त मे बोयी जाने वाली गन्ने की फसलो की इन कीड़ो से रक्षा करने मे यह प्रभावशाली सिद्ध हुआ। इसकी प्रति एकड १ पौड की मात्रा थी जिसका मूल्य ३६ रुपया पडता है। हेप्टाक्लोरा का शक्तिशाली घोल (३ पौंड प्रति एकड़) दीमकों तथा छेद करने वाले कीड़ो के विरुद्ध प्रभावशाली

कीटनाशक सिद्ध हुआ। इस कीटनाशक का मूल्य ४५ रुपया प्रति एकड़ आता था। १ पौंड क्लोरडेन तथा ३/४ पौंड ऐल्ड्रीन चूर्ण के रूप में प्रति एकड में वाराणसी में प्रयोग किया गया और उससे दीमको पर नियन्त्रण पाने मे सफलता हुई। घाघराघाट राजकीय फार्म मे ०.१ प्रतिशत एण्ड्रीन तथा ०.५ प्रतिशत डी० डी० टी० के गन्ने की पत्तियो पर छिड़काव से चिलौट्रा आरिसिलिया डी पर नियंत्रण मे सफलता मिली। यह विचार किया गया कि यदि गन्ने को कीटनाशक में डुबा कर बोया जाय तो कीटनाशक दवा पर खर्च ३५ रुपया प्रति एकड़ से घट कर १.८० रुपया प्रति एकड हो जाने की संभावना थी। गामा बी० एच०-सी० तथा एण्ड्रीन का ई० सी० २० प्रतिशत का १२ औंस तथा १६ औंस दो गैलन किरासन तेल में मिला कर धुआं देने से पाइरिला पर नियंत्रण किया जा सकता है और उस पर क्रमश ८.६५ रुपया तथा १० ८५ रुपया प्रति एकड़ खर्च पडता है। सफेद मक्खियो के विरुद्ध .०५ प्रतिशत एण्ड्रीन के छिड़काव के फलस्वरूप ६३.८ प्रतिशत मक्खिया मर गयी। एण्ड्रीन.घोल ०.०२५ प्रतिशत गामा बी० एच०-सी० घोल, .०२५ तथा फोलीडाल .०५ प्रतिशत का छिडकाव गन्ने की पत्तियो पर करने से कीड़े मारने में सफलता मिलती और खर्च भी कम होता।

(२) कृषि रसायन--(क) मिट्टी का सर्वेक्षण--अलीगढ, कानपुर, वाराणसी, रुद्रपुर, तथा झासी की क्षेत्रीय मिट्टी अनुसंधान प्रयोगशालाओ में मिट्टी के सर्वेक्षण तथा विश्लेषण का कार्य जारी रहा।

(ख) राज्य फार्मों में खाद सम्बन्धी प्रयोग--खाद सम्बन्धी विवरण तथा राज्य के विभिन्न क्षेत्रो और भट्टियो में उत्पादन होने वाले खाद्यान्नो में उनके प्रयोग के तरीको के विवरण तैयार करने की दृष्टि से विभागीय अनुसधान फार्मो में खाद सम्बन्धी कई प्रयोग किये गये। कारबनिक तथा अकारबनिक उर्वरको और खादो के उपयोग से सम्बद्ध स्थायी परीक्षण पूरा फार्म में तथा नेत्रजनित उर्वरको के प्रयोग के समय तथा फलियो के माध्यम से उनके उपयोग के सम्बन्ध में फैजाबाद तथा कलई फार्मों में दो परीक्षण जारी रहे। उनके परिणामो की परीक्षा की जा रही थी।

(ग) लोनी मिट्टी तथा सज्जीयुक्त मिट्टी का अध्ययन (१) प्रयोगशाला मे अध्ययन--धकौनी, रहीमाबाद तथा रहमान खेड़ा, राजकीय फार्मों में घुलन परीक्षणो द्वारा प्राप्त मिट्टी के नमूनों को जो उपनिदेशक, भूमि संरक्षण, उत्तर प्रदेश द्वारा विकास कार्यों के लिए लिये गये थे, विश्लेषण किया गया।

(२) पर्यवेक्षक सर्वेक्षण--२०० एकड से अधिक ऊसर खंडो का सर्वेक्षण उन्नाव, अलीगढ़ और मैनपुरी जिलो में जारी रहा।

(घ) काश्तकारो के खेतो में साधारण उर्वरक परीक्षण--पूर्व वर्षों की भाति इस वर्ष भी राज्य के १८ जिलो में स्थित ७२ प्रयोग केंद्रों में उर्वरको से सबद्ध प्रयोग जारी रहे। ऐसे परीक्षणो की सख्या १,०७८ थी। इन परीक्षणो द्वारा प्राप्त परिणामो से पौधो के तीनो पोषक तत्वो--नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम, के सम्बन्ध में उर्वरक का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ। नाइट्रोजन का प्रभाव प्राय. व्यापक था जब कि फास्फोरस का प्रभाव प्रदेश के पूर्वी जिलो मे अपेक्षाकृत अधिक देखा गया। पोटेशियम का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित किया गया।

(ङ) आदर्श कृषि प्रयासो के अन्तर्गत उर्वरक अनुसंधान --गेहू पर विभिन्न नेत्रजनित, फास्फेटिक नेत्रजन एव फास्फेटिक और पोटेसिक उर्वरको के प्रयोग से सम्बन्धित जटिल प्रयोग पूरा (कानपुर) तथा वाराणसी में किये गये। नेत्रजनित उर्वरको का प्रभाव वाराणसी में बहुत स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ जब कि फास्फेटिक उर्वरको का प्रभाव उल्टा रहा।

(३) तिलहन-- तिलहनो, दालो और मोटे अनाजो में सुधार कार्य कानपुर के मुख्य अनुसन्धान केन्द्र तथा कल्याणपुर (कानपुर), क्मैरवा (बदायू) बेलाताल (हमीरपुर) और मैनपुरी के उप केन्द्रो मे विभिन्न योजनाओ के अतर्गत चल रहा था।

मूगफली--जल्दी उग्जने वाली किस्मो मे टी०एम०बी० २, आर० बी० १, के १२-२४ तथा धारवाड-२ (टी-३२) की उपज अच्छी हुई और देर से होने वाली किस्मो में ई० सी० १०८१ (टी० ३३), टी० ११-११, टी० २८ तथा टी० एम० बी० १ की इस वर्ष फिर अन्य किस्मो की अपेक्षा अच्छी उपज हुई। बडे दाने वाली किस्मो के प्रकार सम्बन्धी प्रयोग में ई० सी० १६६६ (टी०६६) तथा ५,२०२ और देर वाली किस्मो में के० १, एच० जी० १ तथा पी० बी० सीधी उगने वाली दूसरो से उत्तम पायी गयी।

तिल--बलुई भूमि वाले क्षेत्रो तथा बुन्देलखड के हल्के में वितरण के लिए दी गयी टी-४ तथा टी-१२ नयी किस्मो के बीज का सवर्धन किया गया। एफ-४ की सकलित जाति में ३४ किस्में सबसे होनहार पायी गयीं और वे आरम्भिक परीक्षण के लिए चुनी गयी। बलुई जमीन में तिल के विकास के लिए अधिक उपज वाली काले बीज की ८८-एफ-३ किस्म के एक पौध वाली जाति को आगे और अध्ययन के लिए चुना गया।

अडी--विभिन्न स्थानो पर अडी की किस्म सम्बन्धी परीक्षणो में तराई ४, टी० ३ तथा ४२०३ नम्बर की किस्में कल्याणपुर (कानपुर) तथा मेरठ में बोयी जाने वाली जातियो से उपज म अच्छी पायी गयी। ५४३२, टी० एम० बी० २ तथा तराई-४ किस्मो की प्रति एकड़ उपज आमरूख (झासी) में, जो बुन्देलखड की काली मिट्टी का नमूना है सबसे अधिक रही। होनहार जातियो से सकरित किस्में निकाली गयी और एफ०१ की कुछ कतारो का एक दृष्टि से अध्ययन किया गया कि उनकी सकरण-क्षमता का अन्दाज लगाया जा सके। अडी के सकरित बीज के उत्पादन मे उपयोग तथा रखरखाव के लिए शत प्रतिशत गर्भ केसरित कतारो में उन्हें लगाया भी गया।

अलसी--टी० ३९७ तथा टी० ६०३ किस्में जो बुन्देलखंड क्षेत्र के लिए चुनी गयी थीं उनके बीज में वृद्धि की गयी। बुलन्देलखड में तथा अगहनी धान के बाद बोने के लिए अधिक उपज देने वाली तथा मुरझाने और मण्डूर रोग से सुरक्षित जल्दी होने वाली किस्म की अलसी के विकास के लिये ५ ऐसी जातिया, जो जल्दी होने वाली किस्मो के प्रारम्भिक परीक्षण में सबसे अधिक होनहार पायी गयी प्रकार सम्बन्धी परीक्षण के लिए चुनी गयी। जल्दी होने वाली पीले बीज वाली ऐसी किस्मो जिनमें प्रति एकड़ उपज तथा तेल अपेक्षाकृत अधिक हो, के विकास के लिए ३९० एफ-३ किस्म की अलसी का चुनाव एफ-२ की उपजो में किया गया। मुरझाये तथा मण्डूर रोग से सुरक्षित १० किस्मो की अलसी के प्रकार सम्बन्धी परीक्षण मे टी ३/२, १६७/१ तथा ९६/४-१ किस्मे विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रो में अपेक्षाकृत अधिक उपज देने वाली सिद्ध हुई।

राई और सरसो--तोरिया अवोहर और टी-९ वितरण के लिये चुनी गयी। लहिया (पीली सरसो) के कानपुर तथा मैनपुरी फार्मो में परीक्षणो में ३६ तथा ५ नम्बर की किस्में सबसे अधिक होनहार मानी गयीं। सब मिला कर राज्य में जितने परीक्षण किये गये उनमें ११ तथा १६ नवम्बर की किस्मे सबसे अच्छी सिद्ध हुई।

(४) दालें--अरहर की जल्दी फैलने वाली किस्म टी० २१, मूग की जल्दी होने वाली तथा बहुत जल्दी उपजवाली किस्म टी० ४४, मध्यम समय मे पकने वाली तथा टी० १ से अधिक उपज देने वाली टी० १२-१०/२९ किस्म अन्तिम रूप से वितरण तथा बीज सवर्धन के लिए चुनी गयी।

लोबिया की टी० २० किस्म जो जल्दी होने वाली तथा अधिक उपज देने वाली किस्म थी, अन्तिम रूप से वितरण तथा बीज संवर्धन के लिए चुनी गयी। इसके अतिरिक्त सकरण के द्वारा अच्छे किस्म की अरहर, उड़द, मूंग, लोबिया, चना, मटर तथा मसूर के विकास का कार्य अभी चल रहा था।

(५) मोटे अनाज--४४०२ (टी४) किस्म का ज्वार जो इसके पूर्व वर्ष बीज सवर्धन के लिए चुना गया था, बाजरे की एक्स मिश्रित जाति तथा छोटे किस्म के मोटे

अनाजो में सुधरे किस्म के सावां की २५ तथा ४६ किस्मे राज्य में काश्त के लिए कृषकों को वितरित करने के लिए दी गयी।

(६) धान--चावल के प्रसार से संवद्ध अनुसन्धान योजना का कार्य १९५८ में आरम्भ कर दिया गया था। इसका मुख्य केन्द्र फैजाबाद तथा उपकेन्द्र बाल चन्द्रपुर (बहराइच), बांसडीह (बलिया) तथा तिसुही (मिर्जापुर) में थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में दो और उपकेन्द्र--एक पहाडी धान पर अनुसन्धान कार्य के लिए मफेरा (नैनीताल) में तथा दूसरा गहरे पानी में होने वाले धान के लिए बासडीह (बलिया) में स्थापित किये गये। उपर्युक्त केन्द्रो पर किये गये अनुसन्धान कार्य के परिणामो का मूल्यांकन करने के अभिप्राय से विभिन्न क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रो तथा कृषको के खेतो पर भी कृषि मौसम की विभिन्न स्थितियो में भी प्रयोग किये गये।

नगीना में क्वारी, कतिकी तथा अगहनी धानो की ५४५ किस्में (देशी तथा विदेशी) तथा गोरखपुर में ४१५ किस्मे, जिनमें १०३ संकरित जाति की किस्में भी थीं, अलग करके बीज के लिए रखी गयीं। एक नयी किस्म 'सुधार' बोने के लिए छोडी गयी। यह जल्दी पकने वाली किस्म थी और इसके दाने मध्यम या मध्यम मोटे किस्म के होते थे। यह राज्य के वर्षा के पानी से सिंचित होने वाले तथा बाढ़ के पहले की स्थितियो के अनुकूल थी।

नगीना में क्वारी धानो में एन० एस० ४२ तथा सी० एच० १० ने परीक्षण में अन्य किस्मो से काफी अधिक उपज दी। कातिकी धानो के परीक्षण में सी० एच० ४ उपज में सिवाय एन०एस० जे० १५७ तथा एन० एस० जे० ९८ के अन्य सभी किस्मो से अच्छी साबित हुई।

गोरखपुर में क्वारी के खेतो के स्तर पर किये गये परीक्षण के फलस्वरूप एन० २२ किस्म के धान जिसे बोने के लिए सिफारिश की गयी थी की उपज सबसे अधिक हुई। आंकडो के अनुसार एन० एस० जे० ९२, एन० एस० ५२ तथा स्थानीय सरवा धान एन० २२ के बराबर पाये गये।

खेत में आखिरी बार पाटा लगाने के समय प्रति एकड़ ६० पौण्ड नेत्रजन अमोनियम सल्फेट के रूप में देने का तरीका सबसे उपयुक्त तथा सस्ता पाया गया।

अलोच्य वर्ष में नगीना के धान अनुसधान केन्द्र से कुल लगभग १८६ मन धान का बीज वितरित किया गया। कटक के केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक के यहां से ५ प्रकार की संकरित किस्मो के ६५० से अधिक पौधे प्राप्त हुए थे। उनके एक-एक उत्पादन का अध्ययन किया गया और उनके एफ० ३ के अध्ययन के फलस्वरूप लगभग १०८ किस्में चुनी गयी। उसी जगह से प्राप्त एफ० ३ तथा एफ० १० की सामग्री का भी अध्ययन किया गया।

क्वारी और कतिकी जाति की लगभग ३३७ किस्में (देशी तथा विदेशी) चुनी गयीं, जिन्हें शुद्ध रखने के लिए अलग रखा गया जिससे उनके बीच की वृद्धि की जा सके। १९६० की खरीफ की फसल के समय क्वारी तथा कतिकी की किस्मो के दो आरम्भिक तथा तीन खेतो के स्तर पर परीक्षण किये गये। क्वारी धान की किस्मो में स्थानीय जुलिया के दुहरे, प्रारम्भिक परीक्षण में महत्वपूर्ण परिणाम निकले। इसके बाद नम्बर था बंकवा (स्थानीय) एन० एस० १३५, एन० एस० ३१ और एन० एस० ४२ का जो एक जैसे पाये गये। खेतों में ८ किस्म के क्वारी धानो के परीक्षण में एस० ४०, एन० २७ तथा सी०एच० १० के उत्साहजनक परिणाम निकले। इसी प्रकार ८ कतिकी धान की किस्मो का बेहन और रोपिनी की स्थितियो में परीक्षण किया गया। टी० ४३ और टी० २१ उपज में स्थानीय बाकवा धान की अपेक्षा काफी अच्छे पाये गये। रोपनी की स्थिति में अन्य परीक्षणो में एन० एस० जे० १५७, एन० एस० जे० १९२, सी० एच० ४, एन० एस० जे० ९८ तथा एन० एस० जे० ९४ की उपज स्थानीय धान बांकवा से काफी अधिक रही।

आलोच्य वर्ष मे गहरे पानी में उत्पन्न होने वाली स्थानीय धानो के नमूने जोर-शोर से इकट्ठे किये गये और शुद्ध जाति के धानो को अलग किया गया। उनके बढाव तथा जड की मजबूती का अध्ययन किया गया। पानी मे डूबे रहने से संबद्ध परीक्षण भी चार भिन्न-भिन्न किस्म के विभिन्न अवस्थाओ के धान के छोटे पौधो को भिन्न-भिन्न अवधि तक पानी में डुबाये रख कर किये गये। गहरे पानी मे होने वाले धान की देशी तथा विदेशी किस्मो का खेत में सफल परीक्षण किया गया।

(७) रबी के अन्न तथा आलू--मण्डूर प्रतिरोधक गेहू के उत्पादन के लिए भारतीय कृषि अनुसधान परिषद तथा राज्य सरकार की संयुक्त आर्थिक सहायता से परिचालित योजना भी १९५६ से चल रही थी, क्योकि मण्डूर द्वारा गेहूं की फसल को प्रति वर्ष भारी क्षति पहुचती थी। इसके अतिरिक्त राज्य की विभिन्न कृषि मौसम संबधी स्थितियो के परिणामो का मूल्यांकन करने के लिए, प्रकार संबंधी परीक्षण पूरे उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय अनुसधान केन्द्रो, राजकीय फार्मो तथा कृषको के खेतो मे किये गये।

१९५९-६० के अनुसधान सबधी स्वीकृत कार्यक्रम के अनुसार प्रयोग कार्य पूरी फसल के आकड़े के अंकन तथा आकड़ो के अक सबधी विश्लेषण के पश्चात् सफलतापूर्वक पूरे किये गये। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय अनुसधान केन्द्रो, राजकीय फार्मों मे तथा काश्तकारो के खेतो में बहुत से परीक्षणो द्वारा आकड़े एकत्र किये गये और उनको रेकार्ड किया गया, विश्लेषण किया गया और उनसे एक नतीजे पर पहुचा गया। इसी प्रकार १९६०-६१ के रबी की अवधि में प्रयोगो का स्वीकृत कार्यक्रम यथाविधि आरम्भ किया गया और राज्य भर में भारी संख्या में परीक्षणो का कार्यक्रम बनाया गया।

कृषि विभाग द्वारा विकसित उत्तर प्रदेशीय ढग से गेहूं बोने की प्रणाली जिसे सामान्यत: और विस्तृत रूप से राज्य के काश्तकारो को पहले ही संस्तुत किया गया था, की जनप्रियता बढ़ती ही गयी।

शुद्ध जाति के लगभग २० मन गेहूं, १० मन जौ तथा ३१८ मन आलू के बीज संवर्धन के लिए वितरित किये गये। उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागो के बीज भंडारो तथा राजकीय कृषि फार्मों से गेहू के २,३२६ नमूनो तथा जौ के ८७० नमूनो के खेतो का परीक्षण किये गये जिससे उन के जमने तथा जाति की शुद्धता दर्ज की जा सके। गेहू और जौ की उन्नत जातियो की प्रदर्शन पेटिकाओ के बहुत से सेट तैयार कराये गये और जिले के कर्मचारियो को वितरित किये गये। इसके अतिरिक्त प्रदर्शनियो तथा गोष्ठियो आदि के लिए भी प्रदर्शन पेटिकाए तैयार की गयी थी। विभाग ने कई प्रदर्शनियो, किसान सम्मेलनों तथा किसान गोष्ठियो में भाग लिया और प्रदर्शनीय वस्तुओ, भाषणो तथा वाद-विवादो के माध्यम से कृषको को अनुसधानो के आधुनिकतम परिणामो से अवगत कराया गया।

कृषि विद्यालयो, कृषि महाविद्यालयो के छात्रो के बडे-बड़े दल प्रगतिशील कृषक तथा अधिकारी, क्षेत्रीय अनुसधान केन्द्रो को देखने आये। कृषि अनुसधान के परिणामो के सबध मे हिन्दी तथा अंग्रेजी के कई प्रकाशन निकाले गये।

(८) कपास--राज्य मे कपास सबधी अनुसंधान कार्य, विभिन्न क्षेत्रो मे चार योजनाओ के अन्तर्गत हो रहा था। इसका अभिप्राय ज्यादा उपज देने वाली, लम्बे रेशे की देशी और अमेरिकी कपास का उत्पादन तथा कपास के अधिकतम उत्पादन के लिए उपयुक्त कृषि प्रणाली का निश्चय करना था।

देशी कपास--दूसरे राज्य से प्राप्त मध्यम रेशे की देशी कपास का अध्ययन किया गया। बम्बई से प्राप्त सी० जे० ७३, मद्रास से प्राप्त के० ६ तथा हैदराबाद से प्राप्त गौरानी कपास का उपयोग ३५/१ के साथ सकरण के लिए किया जा रहा था। पंजाब की देशी कपासो के नमूने

उत्तर प्रदेश की जलवायविक स्थिति मे अध्ययन के लिए चुने गये । दूसरे राज्यो से प्राप्त कपास की किस्मों से संकरित किस्मो से प्राप्त एफ० १ तथा एफ० २ सामग्री और ३५/१ के अध्ययन से ऐसी किस्में निकली जो उपज और गुण मे अच्छी थी । कुछ किस्मो में रेशे ०.९८ इंच तक लम्बे थे जो देशी कपास के लिए अभूतपूर्व उपलब्धि थी।

प्रारम्भिक परीक्षण की अवस्था मे १९७-३ के ३५/१ या सी० ५२० के साथ संकरणो में ३५/१ तथा रानी बेन से अधिक उपज वाली किस्में अब उपलब्ध थी जिनमे बिनौला निकालने के बाद कपास का प्रतिशत भी अधिक था और किस्म भी अच्छी थी। ३६/५ बी तथा १९७-३ के संकरणो से भी अच्छे किस्म की कपास निकली जिसमे बिनौले निकालने के बाद रूई का प्रतिशत भी अच्छा था और उपज भी अधिक थी ।

विकसित अवस्थाओ मे १९७-३ के सी ५२०, ३५/१ तथा ३६/५ बी के संकरण कताई की दृष्टि से अच्छे तथा लिट की लम्बाई की दृष्टि तथा उपज दृष्टि से ३५/१ के समान थे। इन किस्मों का कताई की दृष्टि से मूल्य ३५/१ के १३ एस के विरुद्ध २१ एस तथा २७ एस के एच० एस० डब्ल्यू० सी के बीच था ।

ऊंची किस्मो की उपज पी० एम० जिस्डेल/५ और एम×पर्व और ऐम/९ उपज तथा रुई की दृष्टि मे उसी वर्ग मे आती थी जिसमें २१६ एफ बाद की किस्म का कताई की दृष्टि से २१६ एफ के ३३ एस के विरुद्ध ४१ एस के समान थी। अन्य संकरित किस्म ईरान १/९× पी ऐम/४ के रेशे की मध्यमान लम्बाई ०.९८ इच थी। उसका कताई मूल्य ३९ एच० एस० डब्लू० सी० थी ।

वैज्ञानिक कृषि की दिशा में उर्वरक, काश्त तथा कृषि क्रम के संबंध मे राया और मेरठ में प्रयोग किये गये । उर्वरक सबंधी परीक्षण मे यह पता लगा कि नेत्रजनित खाद के अधिक मात्रा मे प्रयोग से कपास की उपज मे वृद्धि हुई। पी$_2$ ओ$_5$ तथा के$_2$ ओ का मुख्य प्रभाव महत्वपूर्ण नही हुआ। बोआई मे, 'आंकडा बीच-बीच मे स्थान छोडने तथा उर्वरको के उपयोग से संबद्ध परीक्षण' में निकटतर जगह छोडने से अधिक दूरी पर जगह छोडने की अपेक्षा उपज अधिक हुई और ५० पौण्ड एन० के० प्रयोग से बिना खाद की फसल की अपेक्षा अधिक उपज हुई। २१६ एफ से सबधित एक दीर्घकालिक क्रमवार परीक्षण जो १९५९ से राया मे चल रहा था, जारी रहा। मिश्रित फसल प्रयोग में शुद्ध जाति की ३५/१ अन्य किस्मो से अर्थोपार्जन मे बहुत अधिक उत्तम सिद्ध हुई ।

(९) तम्बाकू---तम्बाकू का कार्य दो योजनाओ के अन्तर्गत चल रहा था। ये योजनाएं थी---(१) देशी तम्बाकू (हुक्का, बीड़ी तथा खैनी) के विकास की योजना, (२) भारतीय केन्द्रीय तम्बाकू समिति और राज्य सरकार के परस्पर सहयोग से नाटू तम्बाकू के प्रचलन तथा काश्त की योजना।

एन० पी० एस० २१९, जो हुक्का मे पीने वाली तम्बाकू की एक सुधरी हुई किस्म है, राज्य मे बहुत अच्छी सिद्ध हुई और उसे ही काश्तकार बो रहे थे। एन० पी० एस० २१९ का १९० किलोग्राम नाभि बीज का उत्पादन काश्तकारो मे वितरण के लिए किया गया। खैनी तम्बाकू की किस्मो मे बोरी मालीनगर की सबसे अधिक उपज रही। इसी प्रकार बीडी मे प्रयोग होने वाली तम्बाकू की किस्मो के परीक्षण मे सेलफ २२-६४ की सबसे अधिक उपज पायी गयी।

प्रति एकड़ मे २०० पौण्ड नेत्रजनित खाद (जि [illegible] आधी खली तथा आधा अमोनियम सल्फेट के रूप मे हो) के प्रयोग से लगातार तीन वर्षो मे बीडी वाली तम्बाकू की सबसे अच्छी उपज होती रही। १५० पौण्ड प्रति एकड नेत्रजनित खाद (आधा सोग के चूरे तथा आधा अमोनियम सल्फेट के रूप मे) के प्रयोग से खैनी तम्बाकू की सबसे अच्छी उपज रही। इसकी पुष्टि गत तीन वर्षो मे हो गयी थी ।

जी० एफ० ए० तथा जी० एफ० बी०, डुम्बारा तथा डब्ल्यू० ए० एफ० किस्मो की नाटू तम्बाकू उत्तर प्रदेश मे अच्छी प्रकार उपज रही थी और अक्तूबर तथा मार्च में इनके रोपने का उपयुक्त समय था ।

तम्बाकू की खेती के विभिन्न पहलुओ के संबंध में "इंडियन टोबैको तथा कृषि और पशुपालन" पत्रिकाओ मे कई लेख प्रकाशित किये गये ।

तम्बाकू की खेती के प्रसार का कार्य भारत सरकार के सहयोग से फर्रुखाबाद तथा सहारनपुर क्षेत्रो में चल रहा है । आलोच्य वर्ष में हुए इस कार्य का विवरण नीचे प्रस्तुत है—

(१) एन० पी० एस० २१६ का बीज नि शुल्क वितरित	..	८० पौण्ड
(२) हुक्का मे प्रयोग की नाटू की सुधरी जाति तथा रोगमुक्त सिगरेट की तम्बाकू की खेती जिस क्षेत्र में हुई..	..	१,०२० एकड़
(३) तम्बाकू की फसलो के उपयोग के लिए नियंत्रित दर पर अमोनियम सल्फेट की व्यवस्था .. .	..	३,०६३ बोरे

(१०) भूमि संरक्षण—राज्य मे भूमि सरक्षण का कार्य (१) भूमि संरक्षण अनुसंधान तथा (२) भूमि संरक्षण प्रसार—इन दो भागो मे विभक्त किया गया था अनुसंधान कक्ष में कार्य चार योजनाओ के अन्तर्गत विभक्त किये गये थे । ये योजनाए थीं:—

(१) ऊसर भूमि तथा कटी भूमि को कृषि योग्य बनाना
(२) भूमि संरक्षण प्रशिक्षण
(३) भूमि संरक्षण प्रदर्शन
(४) ऊसर को कृषि योग्य बनाने का प्रसार कार्य

प्रसार की दिशा में नीचे लिखी तीन योजनाएं परिचालित की गयी—

(१) कृषीय भूमि मे भूमि संरक्षण प्रसार योजना
(२) सूखी कृषि की प्रगाढ़ता तथा परियोजनाओ के प्रदर्शन की योजना
(३) खारो के कृषि के उपयोग के लिए सर्वेक्षण की योजना

इन योजनाओं के अन्तर्गत ४६,४५० एकड भूमि का सर्वेक्षण किया गया और कुल २०,०८८ एकड़ से अधिक भूमि मे भूमि सरक्षण सबंधी कार्य किये गये । आगरा जिले की बाह तहसील की ६,४०० एकड़ क्षार भूमि का भी कृषि के लिए उपयोग की दृष्टि से सर्वेक्षण किया गया । आलोच्य वर्ष मे ४७,३३५ गज भूमि में चौतरफा मेडबन्दी तथा कण्टूरबन्दी की गयी, ७७६ अवरोध बाधो से संबधित १५ पक्के निर्माण कार्य भी पूरे किये गये ।

(११) पौध व्याधि विज्ञान—ज्वार मे गेरुई रोग—१३ किस्म और जाति के ज्वार के प्रकार संबधी गेरुई निरोधक परीक्षण जारी रखे गये । टी० ३, ५३/१ मालवा तथा ५३/३ ग्वालियर १ किस्मे गेरुई रोग प्रतिरोधक पायी गयी ।

बाजरा मे लगने वाला गेरुई रोग—बाजरे की १४ किस्मो पर गेरुई निरोधक परीक्षण किये गये और ये चौदहो किस्मे कृत्रिम छूत मे ग्रहणशील पायी गयीं ।

मूंगफली के पत्तो पर धब्बे का रोग—१० जल्दी तैयार होने वाली तथा १० देर से तैयार होने वाली किस्मो के प्रकार सबधी परीक्षण स्वाभाविक छूत की स्थिति में किये गये । जल्दी तैयार होने वाली टी० एम० बी० २ मे ४-७ प्रतिशत संक्रामकता पायी गयी । देर से तैयार होने वाली किस्मो मे ५ प्रतिशत संक्रामकता थी । विभिन्न प्रकार की फफूंद नाशक दवाओ के छिड़काव के प्रभाव का इस रोग पर भी परीक्षण किया गया ।

जड़ सड़ने की बीमारी—जड सड़ने की बीमारी के विरुद्ध २६ किस्मो का परीक्षण किया गया और उसके फलस्वरूप ई०सी० १७३६ तथा ई०सी०१,०८१ किस्में रोग प्रतिरोधक पायी गयी ।

धान का ब्लास्ट रोग—फसल को तीन बार सेरिसन तथा चूने के मिश्रण (१:६ वजन मे) के छिडकाव से उपज नियंत्रित खेतो की अपेक्षा अच्छी रही ।

खरबूजा—फल पर लगने वाली मक्खी—जब फसल पर पाइरो डस्ट का छिडकाव किया गया और जब खरबूजे की जड़ मे नाली बना कर इस तरह सिचाई की गयी कि शेष बेल पानी से अलग सूखी जमीन पर रही तो फलो के सड़ने में बहुत कमी हुई ।

फलीदार बीजो का टीका—फलियो की उपज पर टीके के प्रभाव के अध्ययन के लिए विभिन्न फलियो जैसे ढैचा, सनई और सेसवनिया-सेपेसीसा के बीजो मे निश्चित कीटाणुओ के टीके लगाये गये। टीके लगे बीजो मे बिना टीका लगे बीजो की अपेक्षा कुछ अधिक उपज हुई । गेहूं मण्डूर ४५ चुनी हुई किस्मो का मण्डूर रोग के निरोधक तत्वो का पता लगाने के लिए पर्याप्त बढ़े पौधो मे काले, भूरे तथा पीले मण्डूर की कृत्रिम सक्रामक स्थितियो में परीक्षण किया गया। एन० पी० ७६०, ई० ३०६६, ई० ३१३३, ई० ३१२३ तथा ई० सी० ४०५ किस्मे काले मण्डूर से मुक्त पायी गयी। पीले मण्डूर का प्रकोप अपेक्षाकृत कम था । एच० डी० ५२ (३०) सहित १७ किस्मे पीले मण्डूर से मुक्त थी जब कि एस० ६१ मे ४० प्रतिशत प्रभाव था। स्वाभाविक संक्रामकता की स्थिति मे एक्स-६१, ई० २८३६ तथा ई० २८४२ किस्मे तीनो प्रकार के मण्डूर रोगो से मुक्त पायी गयी। ई० २२० किस्म मे काले तथा पीले मण्डूर का प्रभाव नही पाया गया ।

गेहू मे लगने वाले मण्डूर के रासायनिक नियंत्रण के संबध मे किये गये प्रयोगो से पता चला कि काले तथा भूरे मण्डूर का प्रकोप डाइथेन-जेड-७८ या ३८१८ बी के तीन बार छिड़काव से सफलतापूर्वक कम किया जा सकता है और उपज मे वृद्धि की जा सकती है। यह परीक्षण फिर किया जाना था।

करनाल बन्ट—इस रोग की विरोधकता के संबंध मे ४१ किस्मो पर परीक्षण किये गय। केवल ६ किस्मे के-५३, के-५६, के-६१, के-६५, एन० पी० ७१८ तथा एन० पी० ८१३ ही बन्ट से प्रभावित हुई । अन्य किस्मो पर इस रोग का कोई प्रभाव परिलक्षित नही हुआ ।

जौ—गेरुई रोग (कवर्डस्तर)—गेरुई निरोधक जांच के लिए ३१ किस्मो पर परीक्षण किये गये जिनसे पता चला कि कम से कम ६ किस्मो के-१२, के-७०, के-७१, के-७२, बाजपुर स्थानीय तथा के-२४ पर इस रोग का २ प्रतिशत तक प्रभाव था। जौ की गेरुई पर नियंत्रण के लिए फफूंद नाशक दवा के प्रभाव का परीक्षण किया गया । सबसे अधिक प्रभावोत्पादक सेरेसन १:३२० प्रयोग था। इसके बाद थिरन १:२२४, टिलेक्स १:३५८, अग्रोसन जी-एन १:३२० तथा हेक्सासन १:३५८ का नम्बर था ।

गेरुई लगना (लूस स्मट)—इस गेरुई की प्रतिरोधकता के लिये २५ किस्मो पर परीक्षण किया गया। सामान्यतः सक्रामकता के प्रभाव का प्रतिशत कम था। बहुत-सी किस्मो पर कोई प्रभाव नही पड़ा ।

चना—मुरझाना रोग (विल्ट)—इस रोग से ग्रस्त एक भूमि खण्ड में चने की २४ किस्मो का परीक्षण किया गया १०६ किस्म का चना, पुनः रोग प्रतिरोधक पाया गया ।

आलू—लेट ब्लाइट—आलू मे लगने वाले लेट ब्लाइट रोग के नियंत्रण में ६ फफूंदनाशक दवाओ के प्रभाव का परीक्षण किया गया। विल्टो ५० अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली पाया गया। यह परीक्षण फिर किया जाना था।

वरसीम—फास्फो बैक्टीरिन तथा रिजोबियम बैक्टीरिया के प्रभाव से बरसीम चरी के उत्पादन मे महत्वपूर्ण वृद्धि परिलक्षित की गयी ।

उत्तर प्रदेश के किसानो को नि शुल्क ३,६६० टिन और दूसरे राज्यो को नाममात्र मूल्य पर ६२ टिन बरसीम के बीज दिये गये।

अमरूद—मुरझाना—(विल्ट) रोग—बस्ती के फल अनुसधान केन्द्र मे एक अमरूद विल्ट नर्सरी की स्थापना की गयी जिससे बस्ती के फलोत्पादको द्वारा तैयार कलमो का विल्ट प्रतिरोधक परीक्षण किया जा सके। इसी प्रकार की विल्ट नर्सरियो की स्थापना इलाहाबाद तथा कानपुर मे किये जाने की उम्मीद थी। क्लोन्स ३२–१८, ३२–१२ और सुप्रीम (फ्लोरिडा) पोपेनो (फ्लोरिडा) रिवरसाइड (कैलिफोर्निया), बनारसी, (आध्र), सफेदा (सिलोन), राल्फस (कैलिफोर्निया), हार्ट (नैनी), राल्फस (नैनी), धोलका (बबई) तथा नासिक (बबई) किस्मे विल्ट प्रतिरोधकता मे सक्षम पायी गयीं और इनमें से लगभग आधे दर्जन का प्रयोग सफेदा से कलम तैयार करने मे हो रहा था।

व्याधिमुक्ति प्रमाण-पत्र—आलोच्य वर्ष मे विभिन्न प्रकार के बीजो के निर्यात के सिलसिले मे १८ व्याधिमुक्ति प्रमाण-पत्र दिये गये।

सैम्पुलो की जाच तथा परामर्श—प्रस्तुत वर्ष पौधो की व्याधियों के कई नमूने प्राप्त हुए। इनकी जाच की गयी और नमूने भेजने वालो को उन व्याधियो के नियत्रण के उपाय बताये गये।

प्रकाशन—अग्रेजी मे २१ तथा हिन्दी मे १६ पत्र या तो प्रकाशित किये गये अथवा प्रकाशन के लिए भेजे गये।

कृषि अभियात्रिकी—कृषि अभियात्रिकी प्रभाग मे हो रहे मुख्य कार्यों का विवरण इस प्रकार था—

(१) राज्य ट्रैक्टर संगठन के द्वारा कृषि के लिए भूमि तैयार करना,

(२) जिला सीतापुर के नीलगाव स्थित उपकरण अनुसन्धान केन्द्र के द्वारा नये कृषि उपकरणो की डिजाइन तैयार करना तथा इससे सबद्ध अनुसन्धान कार्य,

(३) इलाहाबाद स्थित उपकरण अनुसन्धान केन्द्र के माध्यम से कृषि उपकरणो का परीक्षण,

(४) सरकार के अन्य विभागो तथा कृषको को फार्म इंजीनियरिंग तथा खेत के फार्मो तथा उपकरणो के संबंध मे तकनीकी परामर्श देना,

(५) उन्नत कृषि उपकरणो का कृषको के खेतो में प्रदर्शन,

(६) कृषि उपकरणो के स्तर तथा उनके सामूहिक उत्पादन को स्थिर बनाये रखना।

राजकीय कृषि वर्कशाप—राजकीय कृषि वर्कशाप, राज्य ट्रैक्टर सगठन तथा निजी ट्रैक्टरो की छोटी-बडी मरम्मत मे मुख्य रूप से व्यस्त रही।

राज्य ट्रैक्टर सगठन—राज्य ट्रैक्टर सगठन के पास ३३ ट्रैक्टर थे और कुल २,८६,१०७ रुपये मूल्य का कार्य हुआ।

कृषि क्रय-विक्रय—कानपुर, हापुड, लखनऊ, वाराणसी तथा बरेली मे स्थित ५ क्षेत्रीय कार्यालय तथा गोरखपुर, फैजाबाद, आगरा, झासी और हल्द्वानी स्थित डिवीजनल कार्यालय, जो कृषि क्रय-विक्रय प्रभाग के अधीन थे, पूर्ववत कार्य करते रहे। अनुसन्धान कार्य तथा छोटे दुकानदारो और उत्पादको के तेल और घी के वर्गीकरण के लिए मुख्यालय में स्थापित प्रयोगशाला एक योग्य केमिस्ट के अधीन चल रहा था।

कृषि उत्पादन बाजार विधेयक मे, जनवरी १९६० मे मैसूर मे आयोजित गोष्ठी की सस्तुतियो तथा राज्य की स्थिति के अनुसार सशोधन किया गया। विधेयक जिस प्रकार विधान मंडल द्वारा पारित किया गया उसे निकट भविष्य मे भारत सरकार के पास राष्ट्रपति की

स्वीकृति के लिये भेजा जाना था। इस प्रभाग द्वारा आलोच्य वर्ष में किये गये कार्यों के महत्वपूर्ण अंश नीचे लिखे शीर्षकों के अंतर्गत विभाजित किये जा सकते हैं—

(१) सर्वेक्षण, सर्वेक्षण रिपोर्ट सहित,
(२) विकास कार्य,
(३) बाजार की जानकारी मे सुधार के लिये समन्वित योजना,
(४) अन्य विभागों से सहयोग एवं संयोजन,
(५) प्रकीर्ण।

माधोगंज और आगरा के रिफ्रेजरेटर तथा कोल्ड स्टोरेज और मूंगफली के क्रय-विक्रय के संबध में भारत सरकार को सूचना भेजी गयी। उत्तर प्रदेश के मेलो, बाजारो, हाटों और उत्पादन विनिमय आदि के संबध में सूचना एकत्र की जा रही थी।

पैकेज तथा साग-सब्जियो और फलो की पैकिंग मे प्रयुक्त होने वाली सामग्री के संबंध मे सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया था। इसी प्रकार नीबू, सतरा आदि फलो, अडो तथा हड्डी के चूरे की खाद के सबध में भी सर्वेक्षण पूरे किये गये।

जौनसार भावर तथा तराई क्षेत्रो सहित राज्य के पिछड़े क्षेत्रो का विशेष सर्वेक्षण किया गया और उनके विकास की एक योजना बनायी गयी और उसे भारत सरकार के कृषि क्रय-विक्रय परामर्शदाता के पास भेज दिया गया।

तृतीय पंचवर्षीय आयोजनावधि मे राज्य के विभिन्न स्थानों मे १० प्रयोगशालाओ तथा १५ रिफाइनरीज की स्थापना की स्वीकृति दी गयी थी, जहां घी, तेल तथा अन्य कृषि उत्पादनो के वर्गीकरण का काम होना था। आमो (दशहरी तथा फजली) तथा सेब के वर्गीकरण का कार्य जारी रहा और आलोच्य वर्ष मे ८ लाख आमो तथा १,०७,००० सेवो का वर्गीकरण किया गया।

आलोच्य वर्ष मे विभिन्न कृषि सामानो के पैकरो की संख्या के संबध मे विवरण नीचे प्रस्तुत है——

सामान				पैकरो की संख्या
(१) सरसो का तेल	..	..	..	३२
(२) चावल (बासमती)	..	..	..	१५
(३) गुड ..	..	..	..	३६
(४) बाल (सुअर के)	..	..	..	६
(५) अंडे	..	..	.	२१
(६) चन्दन का तेल	..	..	..	४
(७) आलू (खाने के)	..	.	..	६
(८) आम	..	..		३५
(९) सनई (रेशे)	..	..	.	३१
(१०) आटा	.	..	.	२
(११) घी ..	..	..	.	२६
(१२) शहद	..	..	.	१
(१३) सेव	..	..	.	३
(१४) मक्खन	..	..	.	२
(१५) बूरा	..	..	.	३

बाजार की जानकारी सुधार के लिए समन्वित योजना--बाजार की जानकारी मे सुधार के लिए समन्वित योजना के अन्तर्गत निम्न बुलेटीनें लगातार प्रकाशित की जाती रही --

(१) बाजार समाचार--बारह महत्वपूर्ण मंडियो में कृषि सामानो तथा उपज के मूल्यो के संबंध में प्रकाशित साप्ताहिक समीक्षा ।

(२) 'उत्तर प्रदेश में कृषि सामानो तथा उपजो के बाजार की जानकारी' नाम से पाक्षिक समीक्षा ।

(३) उत्तर प्रदेश के बाजारों में मूल्यो के संबंध में मासिक समीक्षा ।

हापुड, कानपुर तथा लखनऊ के बाजारो के भावो के संबंध में दैनिक बुलेटिन तैयार की जाती थी और 'ग्रामीण कार्यक्रम' के अन्तर्गत आकाशवाणी, नयी दिल्ली, लखनऊ और इलाहाबाद केन्द्रो से प्रसारण के लिए भेजी जाती थी। भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक राष्ट्रीय राज्य बाजार जानकारी परिषद् भी थी । इसकी तीन उप समितियां भी थी जो विभिन्न कृषि सामग्री के मूल्य के संबंध में नीति-निर्धारण में परिषद् की सहायता करती थी। राज्य कृषि क्रय-विक्रय अधिकारी भी बाजार जानकारी समिति का एक सदस्य होता था।

राज्य कृषि-क्रय-विक्रय संगठन विभिन्न कृषि उत्पादनो के भावो की सूचना उन सरकारी विभागो को देता था जो मांगते थे । १२ मंडियो के भावो की साप्ताहिक समीक्षा खण्ड विकास अधिकारियो, उप निदेशको, जिला नियोजन अधिकारियो, सहकारी क्रय-विक्रय समितियो तथा राज्य के गोदाम मालिको को वर्ष भर देता रहा।

तृतीय पंचवर्षीय योजना मे सम्मिलित करने के लिए कई योजनाएं बनायी गयी थी जिनमे मुख्य इस प्रकार है --

(१) कृषि क्रय-विक्रय संगठन अनुसन्धान तथा विकास आदि को सुगठित करने की योजना,

(२) घी वर्गीकरण योजना,

(३) बाजार के नियमन की योजना,

(४) बाजार की जानकारी के सुधार की समन्वित योजना,

(५) आमो के विदेशो में निर्यात से संबद्ध योजना,

(६) कोल्ड स्टोरेज योजना

प्रचार--निकट भविष्य में वर्गीकृत सामानो के प्रचार के लिए प्रबन्ध किये जाने की आशा थी। भारत सरकार के कृषि क्रय-विक्रय परामर्शदाता अधिकारी नागपुर से बाजार के नियमन तथा वर्गीकरण के संबंध की दो फिल्में देने का निवेदन किया गया। राज्य के सिनेमाघरो में प्रदर्शन के लिए कई स्लाइड भी प्राप्त किये गये।

प्रशिक्षण--दो कृषि क्रय-विक्रय निरीक्षको को हैदराबाद सागली में बाजार सेक्रेटरी के प्रशिक्षण के लिए तथा एक को नागपुर मे कृषि क्रय-विक्रय के एक वर्ष अवधि के कोर्स में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। वर्ष के अन्त तक स्टाफ के दस सदस्य प्रशिक्षित किये जा चुके थे और आलोच्य वर्षावधि के अन्त मे दो सदस्य अभी प्रशिक्षण पा रहे थे।

कृषि सूचना ब्यूरो--कृषि विभाग के प्रसार कार्य के लिए कृषि सूचना ब्यूरो एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में कार्य करता रहा। 'कृषि और पशु पालन' तथा 'कृषि समाचार' इन दो पत्रिकाओ के अतिरिक्त तकनीकी तथा प्रसार साहित्य बुलेटिनो, ब्रोश्योरो, प्रदर्शन पुस्तिकाओ, पोस्टरो तथा रबी और खरीफ अभियान संगठित करने के सबध मे प्रसार कार्य, कर्त्ताओ के लिए नोट की शकल में सामग्री को प्रकाशित किया गया तथा खण्ड तथा जिले के कृषि पशुपालन नियोजन एव गन्ना विभाग के कर्मचारियो तथा कृषको के लाभ के लिए वितरित की गयी। अपने

सीमित साधनो के बावजूद सूचना कृषि ब्यूरो पर्याप्त कार्य करने मे सफल रहा। इसके द्वारा निम्नलिखित प्रसार साहित्य प्रकाशित तथा ग्राम-स्तर तक वितरित किया गया--

	प्रकाशन	प्रतियो की संख्या
(१)	कृषि और पशुपालन	५०,४५५
(२)	कृषि समाचार	७१,७३६
(३)	विभागीय फार्म	३१,३००
(४)	खरीफ और रबी अभियान से संबद्ध पुस्तके ..	१२,८६८
(५)	ब्रोश्योर	६,२१८
(५)	पुस्तिकाए	२५,१६४
(७)	कार्ड	३,५६०
(८)	परिपत्र	४००
(९)	पत्र	१,३००
(१०)	फोल्डर	१,३५,६२०
(११)	कवर	६९२
(१२)	फिलिप बुक्स	१,६५३
(१३)	पोस्टर	६००
(१४)	बुलेटिनें	१०,०००
(१५)	पैम्फलेट	१०,०००
(१६)	प्रकीर्ण प्रकाशन	१७,७९३
(१७)	पुनर्मुद्रण	९५५

फीचर लेख, प्रेम रिलीज, तथा फील्ड कवरेज इस प्रभाग के मुख्य कार्य बने रहे। महत्व-पूर्ण कृषि कार्यो के लगभग १,००० फोटोग्राफ लिये गये और उनका प्रयोग विभागीय प्रकाशनो को चित्रित करने, प्रदर्शन-सामग्री तथा सामान्य प्रचार के लिए किया गया। इस प्रभाग ने अलीगढ में आयोजित आलू गोष्ठी जैसे महत्वपूर्ण कार्यो के संबध मे चलचित्र भी तैयार किये जिससे उनका प्रयोग किसानो में प्रचार के लिए किया जा सके। पूर्व वर्षो की भांति बहुत से प्रदर्शन चित्र तथा प्रदर्शन माडलो की डिजाइनें बनी और उन्हे तैयार करके राज्य के विभिन्न भागो मे स्थानीय तथा ग्रामीण प्रदर्शनियो में भेजा गया जिससे किसानों की जानकारी बढे। इस प्रभाग ने राज्य के विभिन्न भागो मे आयोजित विकास प्रदर्शनियो में भी भाग लिया। आमो की विदेशो मे बिक्री के अभिप्राय से एक योजना तृतीय पंचवर्षीय आयोजना के तीसरे, चौथे और पाचवे वर्षो मे कार्यान्विति के लिए स्वीकृत की गयी। इस योजना का अभिप्राय कुछ पश्चिमी देशो में आम निर्यात करना था जिससे वहां इनके लिए बाजार बने और देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त हो।

२--राजकीय फार्म

पन्तनगर फार्म

पतनगर फार्म (जिसको पहले तराई राजकीय फार्म कहते थे), जो १६,००० एकड भूमि मे था और जिसकी स्थापना राज्य के ग्राम विकास कार्य के लिए आधारभूत सामग्री की व्यवस्था के लिए की गयी थी, अपना कार्य करता रहा। इसका मुख्य कार्य राज्य के कृषि एवं पशु-पालन विभाग के माध्यम से किसानो में वितरण के लिए उन्नत बीज एवं शुद्ध नस्ल के पशु-पक्षी उत्पन्न करना था।

कृषीय उत्पादन एवं वितरण---१९६०-६१ वर्षावधि में इस फार्म में उगायी गयी मुख्य फसले थी, गन्ना, गेहूं, मकई, धान, चना, जई तथा तिलहन ।

उत्तम किस्म (प्रथम श्रेणी) का समस्त बीज किसानो में वितरण के लिए कृषि विभाग को दिया गया । गन्ने का कुछ हिस्सा फार्म मे बीज के रूप मे उपयोग के लिए रख कर शेष चीनी मिलो को दे दिया गया । आलोच्य वर्ष मे ७६,७०६ मन उन्नत बीज का उत्पादन हुआ कुछ बीज जैसे लाही और जई, जिनका बीज के रूप मे उपयोग की आवश्यकता नही थी, बेंच दिये गये । प्रस्तुत वर्ष में लगभग १६,१८,४५७ मन गन्ना पैदा हुआ और चीनी मिलो को दिया गया ।

कृषि से संबद्ध इंजीनियरी तथा प्रशिक्षण---फार्म के उपयोग में आने वाले विभिन्न किस्म के ७८ ट्रैक्टरो, १४ कम्बाइनो, १ बुलडोजर, १ मोटरग्रेडर, ३ थ्रैशरो, ३ पम्पिग सेटो, ३ सेण्ट्रीफ्यू एल पपो तथा ३१ ट्रको की छोटी-बडी मरम्मत तथा रखरखाव के लिए फार्म मे ट्रेक्टर वर्कशाप था । इस वर्कशाप में सामान्य मरम्मत के कार्यो के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश कृषि विश्व-विद्यालय के छात्रों को कृषि इजीनियरी का व्यावहारिक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी थी ।

दुग्धशाला---दुग्धशाला के समस्त पशुधन की संख्या ५०१ थी । दूध देने वाले पशुओ में १८९ मुर्रा भैसें तथा ४२ सहिवाल गाये थी । [यह कक्ष १९४८ मे फार्म के साथ जोड दिया गया । इसमे पशुपालन विभाग द्वारा प्रदत्त ५ मुर्रा भैसे तथा कुछ हरियाना जाति की गायें भी थी । इसका उद्देश्य यहा मुर्रा भैसो तथा सहिवाल और हरियाना जाति की गायो को उन्नति जाति का बनाना था, जिससे राज्य भर मे पशुधन के विकास के लिये शुद्ध जाति के उपयुक्त साडो तथा बछडो का वितरण किया जा सके ।]

आलोच्य वर्ष में इस दुग्धशाला में निम्न परिमाण में दुग्ध तथा दुग्ध से उत्पादित अन्य सामानो की बिक्री हुई---

	पौण्ड
दूध	४,४६,४८३
दुग्ध धरम (मिल्क शेक)	१,४५८.८०
क्रीम	५९.००
मक्खन	७,०१५.७०
घी	४,३६२.४०
खोया	१९५.००
मक्खन निकला दूध	६४,८१२.००

प्रस्तुत वर्ष इस दुग्धशाला मे ९९ मुर्रा भैसे, २७ सहिवाल साड तथा १२१ मुर्रा पडियां और ६१ सहिवाल बछिया पैदा हुई । इनमें से २२ मुर्रा भैसे तथा १ सहिवाल सांड पशुपालन विभाग को हस्तांतरित कर दिये गये ।

हरियाना जाति के पशु जो आरम्भ में इस दुग्धशाला के लिए भेजे गये थे और वहां नांद मे खिलाने की प्रणाली में अच्छी तरह उन्नति नही कर पाये थे, उन्हे पतनगर फार्म के तीनो खण्डो में स्थानान्तरित करना पडा । वहा वे अपेक्षाकृत कम खर्च पर पल रहे थे क्योकि वहां खेतो में चराई की पर्याप्त सुविधा थी । इनका दूध नही दुहा जा रहा था जिससे इनके बछड़े प्रजनन के कार्य के लिए उपयुक्त विकास कर सके या फार्म में जुताई के काम आ सकें । प्रस्तुत वर्ष ११ हरियाना गाये, २६ बछड़े तथा ३७ बछिया पशुपालन विभाग को हस्तांतरित कर दिये गये ।

कुक्कुट---कुक्कुट फार्म की स्थापना १९५० मे इस उद्देश्य से की गयी थी कि राज्य तथा राज्य के बाहर के उत्साही एव इच्छुक कुक्कुट पालको को शुद्ध नस्ल के पक्षी दिये जा सकें । इस फार्म मे इच्छुक किसानो तथा राजकीय विभागो के कर्मचारियो को कुक्कुट पालन के आधुनिक

तरीको का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी थी। आलोच्य वर्ष में ९ प्रशिक्षार्थियो को कुक्कुट-पालन का प्रशिक्षण दिया गया। प्रस्तुत वर्ष के उत्पादन आदि का विवरण नीचे प्रस्तुत है--

१--उत्पादित अण्डो की संख्या	६८,३९३
२--चूजो की संख्या	१०,५३१
३--सेने योग्य अंडे जो विकास के उद्देश्य से दिये गये ..	२३,९९४
४--खाने के उपयोग के अण्डे	२८,२१४
५--विकास के उद्देश्य से दिये गये चूजे ..	२,८३४
६--विकास के लिए दिये गये पक्षी (नर एव मादा)	३,७८९ तथा ४,३७१
७--खाने के उपयोग के लिए बिके पक्षी	३४५
८--प्रति मुर्गी दिये गये अंडो की औसत संख्या ..	१८१

मत्स्य--लगभग २८ मन मछलियां १,६७८ रु० ७ नं० प० में बेची गयी। इसके अतिरिक्त आलोच्य वर्ष मे १२,९७९ बीज मछलियां फार्म के तालाबो मे जमा करके रखी गयी।

फलोद्यान--शुद्ध जाति के फल-वृक्षो को मुनासिब कीमत पर किसानो को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से १९५०-५१ मे सरकार ने १,००० एकड भूमि मे एक फलोद्यान की स्थापना का निश्चय किया और इसके अनुसार अच्छे किस्म के आम, चकोत्तरा, अमरूद, लीची, आवला, कटहल, केला तथा बेल के वृक्ष ८४५.४ एकड़ क्षेत्र मे लगाये गये। कुछ फल-वृक्षो ने फल देना आरम्भ कर दिया था और प्रस्तुत वर्ष मे २,५०४ मन, ३ सेर फल तथा २४,१६० फल के पौधे बेचे गये। आलोच्य वर्ष मे ३३,००३ फल पौध भी तैयार हुयी।

संकरित मकई का बीज उत्पादन--पिछले वर्षो सकरित मकई के बीज को उठाने मे पर्याप्त कठिनाई का अनुभव किया गया क्योकि इनके दानो मे पिचके हुए होते थे। इसको दृष्टि मे रखते हुए केवल ३० एकड़ मे ही इसका बीज उत्पादन किया गया (इलिनायस १९५६)। इसमें से नीची भूमि मे बोई गयी ६ एकड़ मे अति बृष्टि के कारण फसल नही हुई। शेष २४ एकड़ मे से १८ एकड मे बीज वाली तथा ६ एकड मे नर पौधो की फसल बोयी गयी थी। अनुपयुक्त मौसम, डण्ठल सूखने की बीमारी तथा चिड़ियो द्वारा अत्यधिक हानि पहुचाने के बावजूद कुल ३५२ मन २० सेर बीज (लगभग १९ १/२ मन प्रति एकड) उत्पन्न हुआ।

राजकीय पशु एवं कृषि फार्म--प्रस्तुत वर्ष पशुपालन विभाग के अधीन ११ राजकीय फार्म थे। इनके नाम तथा स्थान और इनके द्वारा पालित पशुधन की औसत सख्या का विवरण नीचे प्रस्तुत है--

फार्म का नाम	जिला	पशुधन का औसत	दूध देने वाली गायो का औसत	भैसो की सख्या
१--अंदेशनगर ..	खीरी ..	६२	३८	५
२--आरजी लाइस ..	वाराणसी	१७७	६९	..
३--बाबूगढ़ ..	मेरठ ..	२८३	६५	८९
४--भरारी ..	झासी ..	५०२	१३५	५०
५--हस्तिनापुर ..	मेरठ ..	२९५	३५	७७
६--हमीरपुर ..	ननीताल ..	१५९	..	२३
७--माधुरी कुण्ड ..	मथुरा ..	४५२	१०४	७८
८--मंझरा ..	खीरी ..	२९१	..	७८
९--निबलेट ..	बाराबकी	७०	.	..
१०--नीलगाव ..	सीतापुर	१८०	५०	१७
११--सैदपुर ..	झासी ..	१७२	३२	६
योग ..	..	२,६१३	५२८	४२३

प्रस्तुत वर्ष असाधारण वर्षा हुई। आरम्भ में व्यतिक्रम से पानी बरसा जिसका प्रभाव खरीफ की फसलो की बुआई तथा धान की रोपनी पर पड़ा। उसके पश्चात् सितम्बर में प्रायः घोर वर्षा हुई जिसके फलस्वरूप कई फार्मो मे बाढ़ आ गयी और फसलो की उपज को क्षति पहुची, विशेष कर गन्ना और धान को। जाड़ो में भूमि की सतह पर न्यूनतम तापमान पानी जमने की स्थिति पर पहुंच गया था जिसके कारण कुछ फार्मो पर पाला पडने से फसलो को क्षति पहुंची।

उपर्युक्त फार्मो के २,६१३ पशुओ मे से जो ६५१ पशु दूध देने वाले थे, उनसे २४,२६३ मन दूध प्राप्त हुआ और २८५ साड भी वितरित किये गये। इसके अतिरिक्त कुक्कुट-पालन प्रभाग द्वारा विकासार्थ १४,१७६ पक्षी तथा २८,८७१ अडे वितरित किये गये। क्षेत्र में विकास से कार्य के लिए १३६ मेढे भी वितरित किये गये।

३-सिचाई

सामान्य

खरीफ के मौसम का आरम्भिक भाग, सिवाय जून मे कुछ छिट-पुट वर्षा के, वस्तुत. सूखा ही रहा। नियमित मानसून जुलाई के प्रथम सप्ताह मे आरम्भ हुआ और सितम्बर के अन्त तक रहा। यद्यपि बीच-बीच में अनावृष्टि रही। रबी पलेव की माग सामान्यत कम रही क्योकि अक्तूबर, १९६० मे दूर-दूर तक वर्षा हुई, विशेषकर शारदा नहर के क्षेत्रो मे। नवम्बर तथा दिसम्बर, १९६० मौसम सामान्यत सूखा रहा और उस अवधि में कोर सिचाई की माग अधिक रही। १९६१ के जनवरी तथा फरवरी महीनो मे छिट-पुट पानी बरसा जिसका रबी की फसल पर लाभप्रद प्रभाव पड़ा।

सिचाई के लिए उपलब्ध जल की सुविधाए पर्याप्त थीं और राज्य भर मे उनका समान उपयोग हुआ।

१९६०-६१ मे कुल सिचित क्षेत्र लगभग ८१,३४,३५५ एकड (३७,६५,५०० एकड, १९६० खरीफ तथा १९६१ की रबी मे ४३,६८,८५५ एकड) था जबकि इसके पूर्व वर्ष सिचित भूमि ६१,०८,७२१ एकड (सशोधित) थी। यह कमी समय से वर्षा हो जाने के कारण हुई क्योकि इससे कृत्रिम सिचाई साधनो की मांग मे कमी हुई। प्रस्तुत वर्ष सिचाई की अतिरिक्त सुविधाओ की जो व्यवस्था की गयी थी इसका आभास सिचित भूमि के क्षेत्र से नहीं मिल पाया।

चालू नहरे तथा ट्यूबवेल

वर्ष १९६०-६१ के अन्त मे कुल लगभग ४३,८३० मील चालू नहरे तथा नालिया थीं। इनमे २५,८०० मील लम्बी सिचाई नालिया सम्मिलित थीं अर्थात् २५,१०० मील मुख्य नहरें तथा उनकी शाखाए और वितरिकाए और १८,०३० मील अन्य सिचाई नालिया जैसे जल विकास नालिया, ट्यूबवेल, गूले इत्यादि जिनमें ५०० मील लम्बी वे सिचन नालियां भी थी जो आलोच्य वर्ष मे चालू की गयी थी। वर्ष के अन्त मे लगभग ६,६२८ ट्यूबवेल, जिनमें २०९ नये ट्यूबवेल भी शामिल थे, चालू किये गये।

वे सिचाई साधन जिनका निर्माण पूरा हो गया था या चल रहा था

विभिन्न सिचाई योजनाओ की कार्यान्विति की दिशा मे आलोच्य वर्ष मे जो प्रगति हुयी उसका संक्षिप्त विवरण नीचे प्रस्तुत है:—

नहरें—आयोजना की योजनाओ पर आलोच्य वर्ष हुए व्यय मे से १६२.७५ लाख रुपये बडी तथा मध्यम योजनाओ और १२२.५४ लाख रुपये छोटी सिचाई योजनाओ पर खर्च हुए।

चन्द्रप्रभा बांध, नौगढ़ बांध, शारदा सागर (प्रथम चरण) नारायणी गंडक-पोखरा नहर, सिचाई अनुसंधान सस्थान का पुनर्गठन, बानगंगा नहर, अफजलगढ नहर। अर्जुन बांध, प्रतापगढ शाखा, सपरार बाध, ललितपुर बांध, बेलन-टोस नहर, कल्याणीशार परियोजना तथा शारदा नहर पर १,०६२ मील सिचन नाली के निर्माण के कार्य पूरे कर लिये गये। शारदा सागर (द्वितीय चरण) तथा नानक सागर बाध और इन योजनाओ से संबधित सिचाई नालियो के निर्माण कार्य मे प्रगति जारी रही। जिरगो बाध, अपरखजुरी बाध तथा बाल्मीकि सरोवर का अधिकाश कार्य पूरा कर लिया गया था और जो सिचाई नालिया बन रही थी उन्हे चालू कर दिया गया। रामगगा परियोजना तथा मानाटीला बाध के अन्तर्गत सिचाई नालियो का निर्माण-कार्य जारी रहा। रामपुर शाखा, इटावा शाखा तथा गगसी और बासर वितरिकाओं के रिमॉडलिग तथा इन पर के कई पुलो की जल-प्रवाह क्षमता को बढाने के सिलसिले में कार्य हो रहा था। पूर्वी जमुना नहर का रिमार्डलिग सिवाय हैडवर्क्स के रिमॉडलिग तथा कुछ पुलो के निर्माण के पूरा हो गया था। आगरा नहर का रिमार्डलिग कार्य भी पूरा हो गया। इसके अतिरिक्त टाडा, दोहरीघाट तथा कुआनो पप नहरे आशिक रूप से कार्य कर रही थी। क्योकि अभी भी कई पम्प फिट करने शेष रह गये थे। तीसरी आयोजना में कई योजनाओ की जाच-पडताल की गयी थी और उनसे सम्बद्ध परियोजनाएं तैयार कर ली गयी थी।

(जहां तक प्रस्तावित सरयू तथा गडक नहरो का सम्बन्ध था, प्रस्तुत वर्ष उनकी विस्तृत जाच-पड़ताल हाथ मे ली गयी थी। गडक नहर के मार्ग के सम्बन्ध में अन्तिम रूप से सर्वेक्षण कर लिया गया था।)

छोटी सिचाई योजनाएं—१,५०० ट्यूबवेल लगाने की परियोजना के अन्तर्गत ६५७ ट्यूबवेल पर कार्य आरम्भ कर दिया गया था और ८५७ ट्यूबवेलो का निर्माण पूरा भी हो गया। ६६२ ट्यूबवेलो को बिजली दी गयी और वे चालू कर दिये गये। गूलो के प्रचार का कार्य चल रहा था। २०० मील ऐसी गूले वर्ष के अन्त तक पूरी कर ली गयी थी। कण्टूर-गूलो तथा छोटी सिंचाई नालियो के निर्माण का कार्य पहाडी जिलो में काफी आगे बढ़ गया था। मैदान की छोटी योजनाओ के कार्य जैसे दक्षिण उत्तर प्रदेश मे बाधो और बधियो का निर्माण तथा विभिन्न परियोजनाओ के अन्तर्गत जल-विकास नालियो के निर्माण का कार्य समाप्ति पर था। चन्द्र प्रभा बांध की क्षमता मे वृद्धि करने का कार्य प्रस्तुत वर्ष हाथ में लिया गया और उसके शीघ्र पूरा हो जाने की आशा थी।

प्रस्तुत वर्ष ४४ सहकारी ट्यूबवेल ले लिये गये। (यह निश्चय किया गया था कि ऐसे ६७ ट्यूबवेल ले लिये जाय)। प्रथम पचवर्षीय आयोजना से चले आ रहे कई ट्यूबवेलो तथा छोटी सिचाई योजनाओ के निर्माण कार्य प्रायः पूरे हो चले थे। पहाडी जिलो, पूर्वी जिलो, बुन्देलखंड के जिलो तथा मिर्जापुर मे चल रही छोटी सिंचाई योजना तथा कई जल-विकास नालियो की योजनाओं के निर्माण कार्यों का प्रायः ६० प्रतिशत कार्य पूरा कर दिया गया था। शेष कार्य तीसरी पचवर्षीय आयोजना मे जारी रखा जाना था।

बाढ से सुरक्षा के कार्य—बाढ से सुरक्षा सम्बन्धी ६ करोड रुपयो की लागत की योजनाएं प्रायः समाप्ति पर थी। प्रस्तुत वर्ष इन कार्यों पर ४२.६२ लाख रुपये खर्च हुए। कुण्डरा धूंगी बाध का निर्माण कार्य पूरा हो गया था। रामपुर जिले के दढियाल गाव की कोसी नदी की बाढ से सुरक्षा के लिए बनाये जा रहे बाध का २५ प्रतिशत, लखनौटी बाध के निर्माण कार्य का ४३ प्रतिशत, बाढ़ से लखनऊ की सुरक्षा के लिए गोमती नदी के दाहिने तट पर बन रहे बांध का ६४ प्रतिशत, देवरिया जिले के छितौनी बाध के निर्माण का ७० प्रतिशत, आलमपुर की सुरक्षा के लिए हो रहे कार्य का ४८ प्रतिशत और गगा नदी पर

जिबपुर के निकट बन रहे रिटायर्ड बांध के निर्माण का ८० प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका था। वाराणसी तथा भदोही तहसीलो की बाढ़ से सुरक्षा के कार्य का ६३ प्रतिशत तथा चकिया और चन्दौसी तहसीलो में सहायता एवं बाढ से सुरक्षा के कार्य का ५० प्रतिशत कार्य भी पूरा कर दिया गया। जल विकास योजनाओ पर किये गये कार्यो के प्रतिशत का विवरण नीचे प्रस्तुत है--

		प्रतिशत
(१)	जलालाबाद जल-निकास	६०
(२)	हचउन्या जल-निकास	५०
(३)	सिकन्दरपुर जल-निकास	५०
(४)	पहले तथा तीसरे हल्के की छोटी जल-निकास ..	६०
(५)	जिन्धरा जल-निकास	५८
(६)	कचनारी जल-निकास	७५
(७)	सिधौरा नाला जल-निकास	६०
(८)	औसरगढ जल-निकास	२०
(९)	खेरौंताल	९९
(१०)	चेंन्दीताल	९९
(११)	छोटी कोसी जल-निकास	६०
(१२)	खूर्जा जल-निकास	८०

चादपुर सियाऊ सलरा जल-निकास तथा मथुरा के नौझील बन्ध के निर्माण का कार्य प्रस्तुत वर्ष आरम्भ कर दिया गया।

ग्राम जलपूर्ति योजनाये--प्रस्तुत वर्ष ग्रामीण क्षेत्रो मे जलपूर्ति तथा सफाई योजनाओं पर ४.५७९ लाख रुपये खर्च हुए। इसके अतिरिक्त पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रो में पेय जल की व्यवस्था के लिए ८८,६७६ रुपये खर्च हुए।

शारदा नहर के उद्गम पर सिल्ट एक्स्ट्रैक्टर का निर्माण

शारदा नहर पर बन रहे सिल्ट एक्स्ट्रैक्टर के निर्माण का कार्य जुलाई, १९६० में पूरा हो गया और मुख्य नहर जो निर्माण कार्य की सुविधा के लिए दूसरी ओर मोड दी गयी थी, पुन. १ अगस्त, १९६० से सिल्ट एक्स्ट्रैक्टर से होकर बहने लगी। इस्केप चेनल के हेड रेगुलेटर पर फाटक भी लगा दिये गये और सिल्ट एक्स्ट्रेक्टर तथा इस्केप चेनल से सम्बन्धी और शेष कार्य भी पूरे कर लिये गये।

नयी शारदा देवहा सहायक नहर

खटीमा बिजलीघर के नीचे की ओर नयी शारदा देवहा सहायक नहर निकालने का कार्य भी इस वर्ष पूरा हो गया। इस कार्य के पूरा हो जाने से आशा की जाती थी बिजलीघर को ७५० क्यूसेक अतिरिक्त जल प्राप्त होने लगेगा।

जमुना जल विद्युत् योजना, प्रथम चरण

जमुना जल विद्युत योजना के प्रथम चरण का कार्य हाथ मे लिया गया और देहरादून में दिसम्बर, १९६० मे जमुना निर्माण क्षेत्र नाम के एक सगठन की स्थापना की गयी जिससे कार्य सुचारु रूप से चले। इस परियोजना के अन्तर्गत हुए कार्य की प्रगति का विवरण नीचे दिया जा रहा है--

(क) डाकपाथर के निकट जमुना नदी के आरपार बांध का निर्माण--इस कार्य के लिए टेंडर मांग लिये गये थे और इंजीनियरो एवं ठेकेदारो के फर्म को यह कार्य दिया जा रहा था।

(ख) ककरीट लाइन्स पावर चनल—इस पावर चैनल की खुदाई का कार्य आरम्भ कर दिया गया था और लगभग ०.५करोड़ रुपये की लागत का मिट्टी का कार्य समाप्त किया जा चुका था।

(ग) बिजलीघर का निर्माण—५६,०००किलोवाट की प्रतिष्ठापित क्षमता के प्रस्तावित बिजलीघर के निर्माण के सिलसिले मे बिजली विभाग ने पावर प्लाट के लिए टेडर आमत्रित किये थे और उन पर निर्णय लिया जा रहा था। बिजलीघर से सम्बद्ध अन्य भवन निर्माण कार्य चुने गये जो प्लान्ट के अनुरूप बने डिजाइनो के अनुसार होने थ।

जमुना जल विद्युत् योजना, द्वितीय चरण

जमुना जल विद्युत योजना, द्वितीय चरण के लिए एक विस्तृत परियोजना विचाराधीन थी। कालसी से इचारी तक ले जाने वाली १६ मील लम्बी सडक के निर्माण का कार्य आरम्भ किया जा चुका था और प्रथम ८ मीलो मे कार्य हो रहा था।

४—उपनिवेशन

राज्य मे उपनिवेशन योजनाए, १६४७ मे, खाद्योत्पादन मे वृद्धि तथा विस्थापित व्यक्तियो, राजनीतिक-पीड़ितो, भूतपूर्व सैनिको, कृषि स्नातको तथा डिप्लोमा होल्डरो और भूमिहीन व्यक्तियो आदि के पुनर्वास के उद्देश्य से आरम्भ की गयी थी। उपनिवेशन क्षेत्रो मे कृषि लायक भूमि बनाने तथा पुनर्वास का कार्य प्रथम पचवर्षीय आयोजना के अन्त तक प्राय: समाप्त हो गया था। तराई तथा अफलगढ़ उपनिवेशन योजनाओ के अतिरिक्त अन्य योजनाए, जैसे काशीपुर, मनुनगर, दानागिरि और गंगा खादर योजनाये सामान्य जिला प्रशासन के अन्तर्गत विलीन कर दी गयी।

तराई राजकीय फार्म सहित तराई उपनिवेशन योजना मे कुल १,०५,०७१ एकड़ और अफजलगढ़ उपनिवेशन योजना मे २४,५६७ एकड भूमि थी। उपर्युक्त क्षेत्र मे से ७५,००० एकड़ भूमि तराई मे तथा ६,६५७ एकड अफजलगढ मे कृषि योग्य बनायी गयी। यह कार्य योजना के आरम्भ से १६६०–६१ तक हुआ था।

मजरुआ भूमि

आलोच्य वर्ष मे तराई मे और अधिक भूमि मे खेती नही की गयी। वर्ष के अन्त मे कुल मजरुआ भूमि ६०,१३० एकड थी। (पूर्व वर्ष की रिपोर्ट मे कुल मजरुआ भूमि का क्षेत्रफल ७३,६०४ एकड़ बताया गया था और इसमे खाम ग्रामो की यह १०,०००एकड भूमि भी सम्मिलित थी जो वास्तव मे तराई योजना का अग नही थी। कुछ और क्षेत्र जिसे मजरुआ भूमि बताया गया था, बाद मे पता लगा कि वहा बसने वालो ने उस वर्ष खेती आरम्भ नही की। इसके अतिरिक्त भूमि का कुछ भाग बाद को नहर विभाग को हस्तातरित कर दिया गया।)

अफजलगढ़ उपनिवेशन योजना के अन्तर्गत १६६०–६१ मे १,०५४ एकड़ भूमि मे खेती हुयी जिसको मिला कर इस योजना के अन्तर्गत कुल ६,६८२ एकड़ भूमि मे खेती होने लगी थी।

फसल उत्पादन इत्यादि

इन दोनो योजनाओ के अन्तर्गत उपजायी गयी प्रमुख फसले धान, मकई, गेहू, लाही और गन्ना थी।

भूतपूर्व सैनिक सहकारी निर्माण समितियो द्वारा एक चीनी मिल खोल दिये जाने के फलस्वरूप अफजलगढ उपनिवेशन योजना के क्षेत्र मे गन्ने के उत्पादन मे पर्याप्त वृद्धि हुई।

किसानो मे हरी खाद के उपयोग को जनप्रिय बनाने के उद्देश्य से तराई उपनिवेशन योजना क्षेत्र मे कई प्रदर्शनो का आयोजन किया गया। किसानो की ओर से इस कार्य मे पर्याप्त सहयोग मिला। उन्हे हरी खाद के बीज भी दिये गये।

तराई बस्ती में रासायनिक उर्वरकों का वितरण किसानों में किया गया और कृषि के अन्य उन्नत तरीकों का आरम्भ भी किया गया। अफजलगढ में कल्लूवाला क्षेत्र में एक बन्धी का निर्माण कार्य आरम्भ किया गया और आशा की गयी कि शीघ्र ही उस क्षेत्र में पूरी सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हो जायेंगी। भिक्कूवाला क्षेत्र में एक अन्य बन्धी के निर्माण का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया और जल्दी ही उसके अनुसार कार्य आरम्भ किये जाने की आशा थी। इन सुविधाओं को दृष्टि में रखते हुए इस बस्ती में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग तथा कृषि के विकसित तरीकों के प्रयोग की काफी गुंजाइश थी। इस बस्ती में स्थित बीज गोदाम में उन्नत जाति के एवं रोग मुक्त बीज की व्यवस्था थी और किसानों को गन्ने की आधुनिकतम किस्मों के बोने का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। गन्ने की फसल से अच्छे पैसे मिलते थे, अतः अधिकांश किसान गन्ने की नयी किस्में ही उत्पादित कर रहे थे।

अफजलगढ में आलोच्य वर्ष में गन्ने के उत्पादन में ५४,३०० मन की वृद्धि हुई किन्तु खाद्यान्नों तथा चरी और अन्य प्रकार की विविध फसलों के उत्पादन में क्रमशः लगभग २२,७६१ तथा ३८,८९० मनों की कमी हुई।

बसाये गये परिवारों की संख्या

आलोच्य वर्ष में तराई बस्ती में दो परिवार बसाये गये जिनको मिला कर इस बस्ती में कुल ४,५१७ परिवार बसाये जा चुके थे।

अफजलगढ उपनिवेशन योजना में इस वर्ष भूतपूर्व सैनिकों के ७७ परिवार बसाये गये, जबकि इसके पूर्व वर्ष कुल ५० परिवार बसाये गये थे। ये परिवार गंगा खादर के बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र के थे।

विकास कार्य

तराई क्षेत्र में होने वाले विकास कार्य सन्तोषजनक रहे। आलोच्य वर्ष में १,१९५ एकड़ कृषि योग्य भूमि की, मेंडबन्दी द्वारा रक्षा की गयी जिससे सिंचाई सुविधाओं का भरपूर उपयोग किया जा सके। रबी और खरीफ अभियानों के समय प्रायः सभी गांवों में अधिक अन्न उपजाओ कार्यक्रम के सिलसिले में प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। १४,५९२ एकड़ से अधिक क्षेत्र में जापानी ढंग से धान की खेती की गयी। ३,१४९ एकड़ से अधिक क्षेत्र में उत्तरप्रदेशीय ढंग से गेहूं की बोआई की गयी और ३९,५२६ एकड़ से अधिक क्षेत्र में कतार से बुआई की गयी।

अफजलगढ उपनिवेशन योजना में पेयजल के ३ नये कुएं बनाये गये तथा ८ कुओं की मरम्मत की गयी। गांवों में स्वच्छ जल की व्यवस्था के लिए २८० हैंड-पम्प लगाये गये। लोगों के स्वास्थ्य की ओर पर्याप्त ध्यान दिया गया। अफजलगढ बस्ती में श्रमदान एक नियमित कार्यक्रम था। इस बस्ती के लोगों ने सभी प्रकार के विकास कार्यों में विशेष दिलचस्पी दिखलाई और मुरलीवाला गांववालों ने अपनी बस्ती तक १ मील लम्बी कच्ची सड़क का निर्माण किया और उसे मोटर चलने लायक बनाया।

पीलीभीत उपनिवेशन योजना

६०० भूमिहीन श्रमिकों तथा ७५ शिक्षित बेकारों के पुनर्वास तथा कृषि योग्य पड़ती भूमि को कृषि योग्य बना कर राज्य खाद्योत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने दिसम्बर, १९५७ में पीलीभीत उपनिवेशन योजना को कार्यान्वित करने की स्वीकृति प्रदान की। इसके अन्तर्गत पीलीभीत जिले के शारदापार भूमि खंड के १०,००० एकड़ क्षेत्र को विकसित करना तथा उसे कृषि योग्य बनाना था।

यह भूमि सरकार के खर्चे से कृषि योग्य बनायी जाकर १० एकड़ प्रति भूमिहीन श्रमिक तथा २० एकड़ प्रति शिक्षित बेकार को दी जाती थी। ३१ मार्च, १९६१ तक २,३८४ एकड़ भूमि कृषि योग्य बना ली गयी थी और एक कमरे वाले पक्के आवासों में १६३ परिवार बसाये

जा चुके थे। इसके अतिरिक्त विभिन्न सडको, पुलो, ल्वर्टो तथा भवनादि के निर्माण कार्य १९६०-६१ में पूरे कर लिये गये। (इन भवनो की अनुमानित लागत लगभग ७,३६,७०० रुपये थी)।

यह आशा की जाती थी कि यह योजना पूरी होने पर वहा लगभग १२ नयी बस्तिया बन जायेगी (जिसमे पक्के भवनो मे ६७५ परिवार रहे होंगे)। यह भी उम्मीद थी कि करीब ७५ वर्ग मील का क्षेत्र सडको के निर्माण द्वारा सुगम हो जायगा। इस पूरे क्षेत्र मे बिजली लगाने की सम्भावना थी और आशा की जाती थी कि इसके द्वारा प्रति वर्ष २,८०० बन अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादित होने लगेगा।

५—गन्ना विकास

चीनी विकास कार्यक्रम पर विशेष बल दिया जाता रहा है क्योकि चीनी उत्पादन की दिशा मे अन्य क्षेत्रो से जोरदार प्रतियोगिता की सम्भावना के कारण इस कार्यक्रम का महत्व पर्याप्त बढ गया था। उत्तर प्रदेश चीनी मिलो, गन्ना बोयी जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल तथा गन्ना उत्पादन की दृष्टि से भारतीय सघ के राज्यो मे सर्वप्रथम बना रहा, किन्तु कई कारणो से (जिनका उल्लेख पिछले वर्षो की रिपोर्ट मे किया जा चुका है) प्रति एकड उपज तथा चीनी पडने के प्रतिशत मे यह राज्य दक्षिण भारत के अन्य राज्यो, महाराष्ट्र तथा आध्र राज्यो की तलना मे उतना ही बरीयता नही प्राप्त कर सका। अत प्रति एकड उपज, गुण तथा चीनी की पडत का प्रतिशत बढाना मुख्य अभीष्ट था, जिसे बराबर दृष्टि मे रखना था।

गन्ना विकास कार्य किन्ही अनिवार्य सीमाओ के अन्तर्गत ही किया गया जिनके कारणो का ऊपर जिक्र किया जा चुका है। आलोच्य वर्ष मे निम्न योजनाओ के अन्तर्गत कार्य किया गया—

(१) आयोजना के अन्तर्गत योजनाए—
- (क) उत्तर प्रदेश मे गन्ने के काश्त मे विकास तथा प्रगाढता की योजना।
- (ख) चीनी मिल क्षेत्रो के चारो ओर कोलतार की सडको तथा ककरीट के मार्गो के निर्माण की योजना।

(२) आयोजनेत्तर योजना .. मुख्य गन्ना विकास योजना।

गन्ना विकास पर होने वाला व्यय

जहा तक इस कार्य पर खर्च का सम्बन्ध था, द्वितीय पचवर्षीय आयोजना मे इसके लिए आरम्भ मे ५१२ ३८ लाख रुपयो की धनराशि निर्धारित की गयी थी। बाद मे इसमे कमी करनी पडी और अन्तिम रूप से ३५४.०७ लाख रुपयो की रकम निश्चित की गयी। प्रस्तुत वर्ष आयोजना के अन्तर्गत चल रही योजनाओ पर ५६.१३ लाख रुपया तथा आयोजनेत्तर योजनाओ पर ३० ८८ लाख रुपये खर्च हुए।

गन्नो मे लगने वाला काना रोग (Red not disease) के विरुद्ध समन्वित अभियान, जो भारत सरकार की आर्थिक सहायता से चल रहा था, भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति द्वारा संस्तुत कार्यक्रम के अनुसार चलाया गया। इस कार्य पर आलोच्य वर्ष मे ४१,१०० रुपये खर्च हुए। (इसके लिए १,०४,६०० रुपये की व्यवस्था थी किन्तु पूरी रकम का उपयोग न हो सकने का कारण यह था कि गन्ने के बीज के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता बहुत सीमित रखी गयी थी।) 'चीनी मिल क्षेत्रो के चारो ओर ककरीट मार्ग तथा कोलतार की सडको के निर्माण की योजना" के लिए बजट मे ४३ ५० लाख रुपयो का प्राविधान था। इस योजना की कार्यान्विति का उत्तरदायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौपा गया था। इस कार्य पर वास्तविक खर्च कुल २६,४०,८०० रुपये हुआ।

प्रस्तुत वर्ष के लिए गन्ना उत्पादन का लक्ष्य ७१ ५० करोड मन निर्धारित किया गया था और प्रति एकड उपज का सशोधित लक्ष्य ४५० मन था। किन्ही कारणो वश इन लक्ष्यो के

विरुद्ध इस वर्ष क्रमश १०१ ६८ करोड मन तथा ४४५ मन की उपलब्धिया हुई । आरम्भ में द्वितीय पचवर्षीय आयोजना के अन्तर्गत गन्ने की बोआई के क्षेत्रफल मे कमी करने का उद्देश्य बनाया गया था और विकास कार्य ११ ०० लाख एकड तक ही सीमित करने तथा औसतन प्रति एकड ६५० मन उपज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था । इसके लिए ५१२ ३८ लाख रुपयो की रकम आयोजनावधि के लिये स्वीकृत की गयी थी । बाद मे जबकि धन की इस व्यवस्था मे कमी करके इसे ३५४ ०७ लाख रुपया कर दिया गया, गन्ने की काश्त मे रोक के किसी उपाय के न किये जाने के कारण गन्ने का क्षेत्र बढ कर २२.६६ लाख एकड हो गया । अत. उपलब्ध साधनो को अपेक्षाकृत बडे क्षेत्र मे बखेरना पडा और इसका परिणाम यह हुआ कि औसत उपज के लक्ष्य मे कमी पड गयी । किन्तु कुल मिलाकर उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य के गन्ने के उत्पादन मे वृद्धि हुई क्योंकि गन्ने बोये जाने वाले क्षेत्र मे वृद्धि हो गयी थी ।

राज्य की प्राय सभी ७० चीनी मिलो ने १९६० के नवम्बर के आरम्भ से ही गन्ना पेरायी आरम्भ कर दी थी और अन्तिम चीनी मिल ने २७ जून, १९६१ को गन्ना पेरना बन्द किया। यह असामान्य रूप से लम्बा कार्यकाल रहा जो १७६ दिनो तक चलता रहा । इस अवधि मे कुल ४० १२ करोड मन गन्ना पेरा गया और कुल ३८२ १६ लाख मन चीनी का उत्पादन हुआ जबकि इसके पूर्व वर्ष ३४ २८ करोड मन गन्ना पेरा गया था और ३३२ १८ लाख मन चीनी का उत्पादन हुआ था । १९५९ का उत्तर प्रदेश खाडसारी निर्माण लाइसेंसिग आदेश कोल्हू तथा खाडसारी की ओर गन्ने के अविवेकपूर्ण बहकाव पर रोक लगाने में सफल सिद्ध हुआ । इस वर्ष चीनी का औसत पडता ९.५३ प्रतिशत रहा जब कि इसके पूर्व वर्ष यह पडता ९ ६९ प्रतिशत रहा ।

मौसम की स्थिति

वर्ष के आरम्भ मे मौसम प्राय सूखा रहा । बाद को रुहेलखड तथा केन्द्रीय क्षेत्र में हल्की वर्षा हुई और जोर का पछिवा हवा चलती रही। ऐसे मौसम का प्रभाव फसल पर स्वभावत. हानिकर ही हुआ ।

जून के अन्त मे बरसात के आरम्भ हो जाने पर मौसम मे परिवर्तन हुआ । सूखी फसल जुलाई तथा अगस्त मे वर्षा के कारण लहलहा उठी सिवाय उन क्षेत्रो के जहा वर्षा का पानी जमा रह जाया करता था । अक्तूबर के महीने मे घोर वर्षा के कारण कुछ केन्द्रीय तथा पूर्वी जिलो मे अभूतपूर्व बाढ आ गयी जिसके कारण कमजोर पौधो को क्षति पहुची । शरत् मे बोये जाने वाले खेतो मे कमी हुई और शरत् की बोआई मे अनपेक्षित विलम्ब हुआ । कीडो तथा रोग से भी फसल को काफी क्षति पहुची । जाडे के महीने मे सामान्यतः ठंड पडी तथा मौसम सूखा रहा, यद्यपि जनवरी मे कही-कही हल्की वर्षा हुई और उसके बाद ओले पड़े जिसके फलस्वरूप राज्य के कुछ भागो मे फसल को क्षति पहुची ।

आलोच्य वर्ष के अन्त मे जाकर मौसम की स्थिति दूसरी फसल की गन्ने की बोआई के लिए अनुकूल हो गयी ।

गन्ने के बीज का वितरण

गन्ने के बीज के वितरण के कार्यक्रम मे प्रस्तुत वर्ष कोई परिवर्तन नही किया गया और पुरानी तथा अस्वीकृत किस्मो के स्थान पर अधिक चीनी के पडता वाले तथा रोग से बचने की क्षमता वाले गन्नो के बीज वितरित किये जाते रहे । बीज मे पौधघर रखे गये जिससे अच्छे बीज की माग पूरी की जा सके ।

कुल मिला कर २,९९२ प्रारम्भिक तथा १३,४९४ माध्यमिक बीज पौधघर रखे गये जबकि इसके पूर्व वर्ष इनकी सख्या क्रमशः २,७८५ तथा १३,३२५ थी । लगभग ५५.५२ लाख मन गन्ने का बीज वितरित किया गया । पश्चिमी जिलो मे प्रचार के लिये गन्ने की एक नयी किस्म सी० ओ ९७५ भी प्रचारित की गयी ।

खाद्य एवं उर्वरक

आलोच्य वर्ष मे १३.१७ लाख मन रासायनिक उर्वरक तथा १.६१ लाख मन खली वितरित की गयी, जबकि इसके पूर्व वर्ष ११.११ लाख मन रासायनिक उर्वरक तथा १.३६ लाख मन खली की खाद बाटी गयी थी।

पौधे के ऊपरी हिस्से की छटाई का कार्य मनोयोगपूर्वक जारी रखा गया और वर्ष मे १०.४८ लाख एकड मे यह कार्य हुआ जबकि इससे पूर्व वर्ष केवल ८ ०२ लाख एकड मे छंटाई हुई थी। यह अनुभव किया गया कि यदि माग के अनुसार बाटने के लिए रासायनिक खाद काफी परिमाण मे समय से प्राप्त हो सकती तो और अच्छा परिणाम प्राप्त किया जा सकत था।

भूमि की उर्वरता बढाने की दृष्टि से सीमित पैमाने पर हरी खाद का उपयोग किया गया, क्योकि हरी खाद के बीज की कीमतें बहुत बढ़ गयी थीं और उनकी प्राप्ति भी सुविधानुसार नही हो सकी। आलोच्य वर्ष मे ०.२१ लाख मन बीज वितरित किये गये जबकि इसके पूर्व वर्ष ०.२७ लाख मन बीज वितरित किये गये थे।

कम्पोस्ट

प्रस्तुत वर्ष में १११.३२ लाख मन कम्पोस्ट खाद का उत्पादन हुआ जबकि इसके पूर्व वर्ष कुल १०१.७३ लाख मन कम्पोस्ट तैयार हुआ था। इसके अतिरिक्त फैक्टरी के कूडे व कचडे से तैयार कम्पोस्ट इस वर्ष १०.२० लाख मन हुआ जबकि इसके पूर्व वर्ष इस प्रकार कुल १०.१४ लाख मन कम्पोस्ट तैयार हुआ था।

क्षेत्र-प्रदर्शन

शाहजहापुर डी० एस० आर० की सिफारिशो के अनुसार विभिन्न प्रकार के क्षेत्र-प्रदर्शनो की व्यवस्था राज्य के विभिन्न क्षेत्रो मे की गयी। आलोच्य वर्ष मे विभिन्न प्रकार के कुल १४,७७० क्षेत्र-प्रदर्शनो का आयोजन किया गया जबकि इसके पूर्व वर्ष इनकी सख्या १८,५८७ थी। ये प्रदर्शन कृषि बीज की किस्मो, उर्वरको, पेडी लगाने, चक्र मे बोवाई तथा फसल मे लगने वाले कीडो आदि के सम्बन्ध मे किये गये थे।

सिचाई

गन्ने की पुष्टि उपज के लिए सिचाई सुविधाओ के महत्व को बराबर ध्यान में रखा गया, फिर भी बड़ी तथा छोटी सिंचाई परियोजनाए अभी भी सिचाई की आवश्यकता की दृष्टि से अधूरी रहीं। विकास परिषदो तथा गन्ना सघो द्वारा प्रस्तुत की गयी सुविधाओ से गन्ना के किसानो को छोटी सिंचाई साधनो के निर्माण के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन मिला।

कुल मिला कर इस वर्ष १,०७४ निजी ट्यूबवेलो का निर्माण किया गया, ३,६८२ पक्के कुएं बनवाये गये,२,८६८ कुओ में बोरिग की गयी, २,२६६ रहटो की व्यवस्था की गयी तथा २३५ पम्पिग मशीने लगायी गयी। इसके पूर्व वर्ष ७८५ ट्यूबवेल का निर्माण हुआ था, ३,३७२ पक्के कुएं खुदवाये गये थे, २,२०६ कुओ मे बोरिग की गयी थी, १,६४३ रहटे लगी थी और १७५ पम्पिग मशीने लगायी गयी थी।

कीड़े तथा रोग

आलोच्य वर्ष मे ८०,५३४ एकड़ गन्ना क्षेत्र मे बडे और छोटे कीडे तथा रोग लगे जिसमे से ६६,४८७ एकड़ मे काश्तकारो को बिना अधिक आर्थिक क्षति पहुचाये उन पर नियन्त्रण कर लिया गया। कीड़ो और रोगो का प्रकोप विभिन्न क्षेत्रो में भिन्न-भिन्न मात्रा में कही अधिक और कही मध्यम रहा।

संचार

फैक्टरी विकास योजना के अन्तर्गत राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग ने ८५ मील कंक्रीट मार्ग का निर्माण किया और फैक्टरियो के चारो ओर की सडको पर कोलतार लगाया और इस कार्य में कुल २६,४०,८०० रुपये खर्च हुए। गन्ना परिषद् संघ कार्यक्रम के अन्तर्गत ३६२ मील पक्की तथा कच्ची सडको तथा ७१४ पुलो और पुलियो का निर्माण किया गया, जबकि इसके पूर्व वर्ष ३५८ मील सड़को तथा ७८३ पुलो और पुलियो का निर्माण हुआ था।

प्रचार कार्य

प्रचार कार्य के सिलसिले में प्रस्तुत वर्ष ५७६ ग्रुप अधिवेशनो, २०४ प्रदर्शनियो, ३,१८,७६७ ग्राम सम्मेलनो तथा २६० चलचित्रो के प्रदर्शनो का आयोजन किया गया और ३६,१८६ पर्चे तथा पर्चियां बाटी गयी। इसके पूर्व वर्ष में ६७८ ग्रुप अधिवेशन, २०० प्रदर्शनियां, १,३०,४६३ ग्राम सम्मेलन तथा ३१४ चलचित्र-प्रदर्शन आयोजित किये गये थे तथा ३,५६,८७२ पर्चे-पर्चियां वितरित की गयी थीं।

गन्ना प्रतियोगिता

गन्ना प्रतियोगिता का आयोजन गन्ना परिषदो तथा सघो और चीनी मिलो से प्राप्त चन्दे से किया जाता था। कुछ आर्थिक सहायता राज्य सरकार भी देती थी। गन्ना के काश्तकारो में गन्ने की प्रति एकड उपज बढाने में पर्याप्त उत्साह एव परस्पर प्रतियोगिता की भावना देखी गयी। गन्ना प्रतियोगिताओ का आयोजन क्षेत्र एव राज्य स्तर पर किया गया और इनमें ५,८५८ किसानो ने (जिनमें बस्ती, फैजाबाद, बिजनौर तथा मुजफ्फरनगर के किसान, जिनके सम्बन्ध में परिणामो का अभी तक निर्णय नही हो पाया था, सम्मिलित नही हैं) भाग लिया। नैनीताल जिले के काशीपुर क्षेत्र के एक किसान द्वारा एक एकड में २,०५६ मन गन्ना उत्पादन की अधिकतम उपज की गयी थी।

कृषि उपकरण

आलोच्य वर्ष में गन्ना बोने वालो को ७,०६७ उन्नति कृषि उपकरण तथा उन्नत उपकरणो के ८६० पुर्जे दिये गये।

६—पशुपालन

पशु-चिकित्सा सहायता

राज्य भर में कुल ५१७ मवेशी अस्पताल थे। उनके सुचारुरूप से परिचालन तथा पशु रोगो की ठीक रोकथाम के लिए ५१ जिला पशु अधिकारी, ६० पशु चिकित्सा अधिकारी, ४१४ सहायक पशु सर्जन तथा १,५३६ स्टॉकमेन नियुक्त किये गये। अस्पताल में भर्ती तथा नियमित रूप से आकर चिकित्सा कराने वाले पशुओ की चिकित्सा के अतिरिक्त प्रस्तुत वर्ष ४८,७२,६४४ पशुओ को विभिन्न पशु रोगो के टीके लगाये गये। इस अवधि में मवेशी अस्पतालो में तथा बाहर कुल २,५६,४७० पशुओ को बधिया किया गया। राज्य में प्रदेशीकृत अस्पतालो की कुल सख्या ३२ थी।

रोग-निरोधक उपाय

मवेशियो को पोकनी से सामूहिक रोग मुक्ति के लिए आजमगढ, बस्ती, फतेहपुर, इलाहाबाद, रामपुर, उन्नाव, सहारनपुर, बाराबकी तथा लखनऊ जिलो में रोगमुक्ति अभियान जारी रहा। इसके अतिरिक्त मेरठ, मुजफ्फरनगर तथा मुरादाबाद जिलो में भी यह कार्य आरम्भ किया गया। इन १२ जिलो में से ८ जिलो में कार्य पूरा कर लिया गया। इस अभियान में १७,२४,८८७ मवेशियो को पोकनी के टीके लगाये गये।

जैविक-उत्पादन प्रभाग

लखनऊ के जैविक उत्पादन प्रभाग ने सीरम तथा टीके की ६८,२८,६४५ मात्राए तैयार कीं। इसके अतिरिक्त अन्य राज्यकीय निर्माण संस्थाओ से भी १,३१,८३० मात्राए प्राप्त की गयी। प्रस्तुत वर्ष क्षेत्र कर्मचारियो को प्रयोग के लिए ७६,८६,१६० मात्राएं सीरम तथा टीके की वितरित की गयी। बाहर से रोगो की आमद की रोकथाम के लिए पर्वतीय क्षेत्रो तथा पडोसी राज्यो की सीमाओ पर स्थापित ६ सक्रामक रोगो के मवेशी अस्पताल पूर्ववत् कार्य करते रहे। मवेशियो के स्वेदज रोगो की सामूहिक चिकित्सा के लिए स्थापित २० केन्द्र भी कार्य करते रहे। भेड तथा बकरियो के सबंध मे जॉन की बीमारी, गलघोटू, निमोनिया, कासिडियोसिस, खुरपका तथा मुंहपका आदि रोगो की जांच एव रोकथान के सफल उपाय किये गये। इसके अतिरिक्त अलगेल शीप पाम्स बैक्सीन तथा राउण्डवार्म इन्फेक्टेशन और फ्रेन्टिन के संबध मे परीक्षण भी किये गये। सामान्यतः होने वाले मुर्गियो के रोगो के निरोध के लिए सामुहिक टीके भी लगाये गये।

पशु-विकास

विभिन्न राज्यकीय पशु-फार्मो मे शुद्ध जाति की, १,२६५ गाये, तथा ८८२ भैसे थीं। प्रस्तुत वर्ष भी इस बात के प्रयत्न जारी रहे कि देशी मवेशियो मे विकास के लिए उत्तम जाति के साडो तथा भैसो का उत्पादन बढाया जाय। शुद्ध जाति के १,०४४ साड ८०० भैसे स्थानीय पशु-धन को उन्नत करने के उद्देश्य से सामान्य दरो पर वितरित किये गये।

इटावा जिले मे दूध-उत्पादन मे वृद्धि के उद्देश्य से भंदवारी जाति की भैसो के सुधार की योजना को उत्स ह प्रद सहयोग मिला और वर्ष के अत मे इस जाति की ५० दुधारू भैसो के पालकों को आर्थिक सहायता दी जा रही थी। इस योजना की सुविधाओ ने और प्रचार करने के अभिप्राय से प्रजनन कार्य के लिए इस जाति के भैसे भी छोडे गये। प्रस्तुत वर्ष मे १६५ अतिरिक्त पड़ियां मुख्य ग्राम खंडो, राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंडो तथा प्रसार विकास खंडो के इच्छुक पालको को पालने के लिए जमानत के आधार पर दी गयी।

पशुपालको, विशेषकर मुख्य ग्राम खडो के पशुपालको मे, अच्छे दुधारू पशुओ और बछडों के पालने की इच्छा और उत्साह उत्पन्न करने के अभिप्राय से पशुपालन विभाग द्वारा विभिन्न जाति के २४१ सांड़ तथा ६६ भैसे खरीदे गये। पशुपालन क्षेत्रो मे २,०७८ बछियो एवं पडियो के पालको को आर्थिक सहायता दी गयी। इसके अतिरिक्त राज्य के बाहर से शुद्ध एव उन्नति जाति के ५ बछड़े सांड़ भी खरीदे गये।

गौशालाये तथा गोसदन

सरकार की आर्थिक सहायता से राज्य मे चल रही गोशालाओ की संख्या ३५ थी। ५ राजकीय गोसदन, १७ जिला गोसदन तथा ५ निजी गोसदन भी राज्य मे चल रहे थे। इनमे कुल ५,२०६ पशु पल रहे थे। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत वर्ष ५,१०८ घुमन्तू तथा वन्य मवेशी पकड़ कर गोसदनो मे भेजे गये।

दुग्धशाला विकास

तीन दलो को दुग्धशालाओ की स्थापना के लिए २५,००० रुपयो के तकावी ऋण दिये गये। वाराणसी के राजघाट स्थित एफ० एन० ई० कृषि विद्यालय को दुग्धशाला की स्थापना के लिए २०,००० रुपये की आर्थिक सहायता दी गयी। इसके अतिरिक्त राजकीय पशु एवं कृषि फार्मो मे चल रही छोटी दुग्धशालाओं का परिचालन किया गया।

घोड़ा एवं खच्चर पालन

घोड़ा एवं खच्चर पालन कार्यक्रम राज्य के सत्तरह जिलो मे चलता रहा। खच्चर एवं गदहा पालन उत्तराखड डिवीजन तथा मैदान के एटा और मैनपुरी जिलों मे सीमित रहा।

राज्य मे काठियावाडी, अरब, टी०पी०ई० तथा भोटिया जाति के ४२ बीजश्व तथा ८ बीजखच्चर प्रजनन कार्य के लिए रखे गये थे और प्रस्तुत वर्ष उनसे १३६८ बार गर्भाधान कार्य लिया गया। ऐसे जिलो मे जो इस कार्य के लिए चुने गये थे, बीजाश्वो तथा बीज-खच्चरो के पालन-पोषण के लिए अंतरिम जिला परिषदो को आर्थिक सहायता दी गयी। मुरादाबाद स्थित बीजाश्व केन्द्र, श्रान्त बीजाश्व के विश्राम तथा उपचार के लिए मुख्य स्थान के रूप मे कार्य करना रहा और वहां नये बीजाश्वो को गर्भाधान का प्रशिक्षण भी दिया जाता रहा।

मुख्य ग्राम योजना

मुख्य ग्राम योजना कृत्रिम गर्भाधान के तरीके से अच्छी जाति के साडो के उत्पादन तथा स्थानीय पशुधन को उन्नत करने के अभिप्राय से जारी रही जिससे राज्य मे अच्छी जाति के सांडो की कमी पूरी करने मे सहायता मिले। प्रस्तुत वर्ष मे विकास खडो तथा मुख्य ग्राम खडो मे कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रो तथा ११६ कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्रो से युक्त ८३ मुख्य ग्राम खड थे। कुल १,०६,४०४ गाय-भसे गर्भित की गयी तथा ४६,६५३ बछडे तथा पडवे बधिया किये गये। इसी प्रकार ६,२०,५७८ टीके भी लगाये गये।

११ पशुपालन प्रसार केन्द्रो मे पालित साड़ो तथा भंसो ने कुल २४,४७७ गाय-भैंसो को गर्भित किया। इसके अतिरिक्त इन सस्थाओ मे नियुक्त कर्मचारियो ने प्रस्तुत वर्ष १५,३१४ बछडो-पड़वो को बधिया किया तथा १,६३,८३८ पशुओ को टीके लगाये।

किसानो को उपयुक्त किस्म के बछडो के लिए प्रोत्साहित करने के अभिप्राय से १,००० अच्छे किस्म के बछडो के पालन-पोषण के लिए आर्थिक सहायता दी गयी। ६ से ३० महीने तक के बछडो के लिए २० रुपया प्रति बछड़ा प्रति मास आर्थिक सहायता दी जाती थी।

राज्य के मुख्य ग्राम खडो के इच्छुक पशुपालको मे तकावी ऋण के रूप मे वितरण के लिए २,५०,००० रुपये स्वीकृत किये गये। इस ऋण से किसानो ने राज्य मे पशुधन की वृद्धि के लिए ३५८ गाये तथा १७६ भैसे खरीदी।

चरी तथा चारा

चरी तथा चारा के विकास का कार्य सतोषप्रद ढग से जारी रहा। गाववालो तथा किसानो को प्रदर्शन करने के अभिप्राय से चार चराई-प्रदर्शन-क्षेत्र स्थापित किये। इनमे से प्रत्येक मे १० एकड भूमि ली गयी थी। चार राजकीय पशु एवं कृषि फार्मो मे २०० एकड़ भूमि मे चरी तथा चारा बोया गया जिससे किसानो और पशुपालको को वित्तपोषित (सस्ते) दर पर सुधरे किस्म के चरी और चारे के बीज वितरित किये जा सके।

शूकर पालन

केन्द्रीय दुग्धशाला अलीगढ मे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की आर्थिक सहायता से सकरण द्वारा नयी जाति के सुअर के विकास के अभिप्राय से शूकर पालन के लिए एक अनुसंधान योजना परिचालित की गयी। चुने हुए इलाको मे उन्नत तरीको से प्रगाढ शूकर-पालन के लिए आगरा तथा मेरठ हल्को मे दो शूकर-पालन विकास खड आरम्भ किये गये। इसके पूर्व १९५९ मे दो ऐसे खड खोले जा चुके थे।

भेड़ एवं ऊन विकास

पशुलोक की ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला पूर्ववत् ऊन के नमूनो के विश्लेषण का कार्य करती रही। भेड-पालन का कार्य पर्वतीय क्षेत्र में १० फार्मों तथा मैदान मे ५ फार्मों में जारी रहा। राज्य मे ४४ बीज-मेढा केन्द्र तथा २८ भेंड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्र कार्य करते रहे। ऊन की किस्मो का मूल्याकन करने के अभिप्राय से भेड़ों की चमडी के अध्ययन के लिए एक अनुसधान

योजना भी प्रस्तुत वर्ष आरम्भ की गयी और प्रयोग के लिए चुनी गयी भेडो की चमड़ी के ४४ छोटे टुकड़े उनके चर्म संबधी अध्ययन के लिए लिये गये।

बकरी-पालन

जमुनापारी तथा बरबारी जाति की बकरियो के सुधार की योजना उनके जन्म क्षेत्रो मे जारी रखी गयी। निजी बकरी पालको को दूध के परिमाण के आधार पर आर्थिक सहायता दी गयी और इन जातियो के सुधरे बकरो को बीज-बकरा के रूप मे प्रयोग के लिए खरीद कर छोड दिया गया। जमुनापारी बकरी पालन इकाइया, भरारी (झासी) स्थित पशु एव कृषि फार्म, मथुरा स्थित जिला दुग्ध-प्रदर्शन फार्म, ऊरई (जालौन) स्थित भेड़ फार्म तथा आटा (जालौन) स्थित साड़ पालन फार्म मे कार्य कर रही थी। एटा के मिशन कुक्कुट फार्म में बरबारी बकरी पालन की एक छोटी इकाई चल रही थी। अगोरा बकरी पालन योजना ग्वालदम (चमोली) मे पूर्ववत् चल रही थी। अगोरा जाति की बकरियो का सुधार कार्य संतोषजनक एव उत्साहप्रद रहा। वर्ष के अन्त मे कुल १२६ शुद्ध जाति की तथा वर्गीकृत अंगोरा बकरियां थी।

कुक्कुट-विकास

राजकीय कुक्कुट फार्म तथा कुक्कुट प्रसार केन्द्रो द्वारा विकास कार्यो के लिए ४१,०६३ नर पक्षी तथा १,७६,६४३ सेये जाने योग्य अडे रियायती दामो पर दिये गये। राज्य की तीन कुक्कुट सहकारी समितियो को १०,००० रुपये की आर्थिक सहायता दी गयी। इसके अतिरिक्त खंड बजट से कुक्कुट-गृहो के सुधार के लिए भी आर्थिक सहायता दी गयी।

कृत्रिम ढंग से अडे सेने का कार्यक्रम जनप्रिय हुआ और सेये जाने योग्य प्राप्त अडो मे से कुछ को खडो मे कृत्रिम ढंग से सेये जाने के काम मे लाया गया। राज्य के इच्छुक बत्तख-पालको को ५० प्रतिशत रियायती दर पर १९२ तैयार अंडे तथा १४० बत्तख के अंडे भी बेचे गये। सस्ते कुक्कुट खाद्य तथा कुक्कुट गृहो के विकास से संबधित अन्वेषण के अभिप्राय से परिचालित अनुसधान योजनाओ पर पूर्ववत् कार्य होता रहा। कुछ प्रगतिशील कुक्कुट-पालको को ५० प्रतिशत वित्तपोषित मूल्य पर अण्डा सेने के लिए इन्क्यूबेटर्स तथा पोषक मशीने फास्टर मदर भी दी गयी।

चर्म-विकास

प्रस्तुत वर्ष मिर्जापुर जिले के दुद्धी तथा राबर्ट्सगंज के पिछडे इलाको के विकास की विशेष योजना के अन्तर्गत चार ग्राम चर्म-शोधक सहकारी समितियो का गठन किया गया, उनकी रजिस्टरी कर दी गयी और उन्हे आर्थिक सहायता दी गयी। प्रत्येक को ८,००० रुपयो की आर्थिक सहायता मिली। इनके अतिरिक्त सहकारिता के आधार पर ऐसी ही तीन और समितिया खाल उतारने, सिझाने तथा पशुककाल के उपयोग (हड्डी, मास के चूरे आदि का उत्पादन) के लिए गठित की गयी तथा उनकी रजिस्टरी कर दी गयी। उन्हें ६,००० रुपया प्रति समिति के हिसाब से आर्थिक सहायता भी दी गयी। इसके अतिरिक्त पिछले वर्षों में स्थापित ३५ सहकारी समितियो के कार्य मे और वृद्धि की गयी। लखनऊ के बख्शी का तालाब स्थित आदर्श प्रशिक्षण केन्द्र का कार्य प्रगति करता रहा। लखनऊ शहर से बडे तथा छोटे जानवरो तथा बकरियो के ५,२१६ शव एकत्र किये गये और लगभग १८,००० रुपयो के मूल्य के खाल एव चमड़े-मास का चूरा, चर्बी, खून तथा हड्डी का चूरा और हड्डियो का उत्पादन हुआ। इनमे से अधिकांश खाल और चमड़ा तथा मांस और हड्डी का चूरा क्रमशः उसी केन्द्र के प्रशिक्षण प्रभाग तथा लखनऊ के चक गजरिया फार्म को दे दिये गये। केन्द्र के प्रशिक्षण प्रभाग ने २,१४५ किलोग्राम तल्ला एव सुपतल्ला का चमड़ा तथा २,३९७ टुकडे अस्तर का चमड़ा कमाया जिनकी कीमत लगभग १८,००० रुपये थी। उक्त केन्द्र चर्म-शोधन प्रभाग ने १९ प्रशिक्षार्थियो को चर्मशोधन के उन्नत क्रोम तथा वेजीटेबुल तरीको में प्रशिक्षित किया।

कसाईखानों का सुधार

लखीमपुर-खीरी तथा फैजाबाद के म्युनिसिपल बोर्डों को उनके कसाईखानो के सुधार के लिए दस-दस हजार रुपये दिये गये जिससे खाने के लिए मास का सफाई के साथ उत्पादन किया जा सके।

प्रचार

राज्य के विभिन्न भागो मे ४०० एकदिवसीय तथा ५० जिला पशु-प्रदर्शनियो का आयोजन किया गया। गोपाष्टमी सप्ताह के अवसर पर राज्य की सभी तहसीलो में कुल २३४ एकदिवसीय प्रदर्शनियो का आयोजन किया गया और २४ गोशालाओ को प्रदर्शनियो के आयोजन के लिए आर्थिक सहायता दी गयी। मथुरा के गिरिगोवर्धन तथा राजकीय पशुचिकित्सा महाविद्यालय मे दो विशेष प्रदर्शनियो का भी आयोजन किया गया।

कृषि और पशुपालन मासिक पत्रिका का इस अवसर पर एक 'गोवर्धन' अंक भी प्रकाशित किया गया और दूर-दूर तक वितरित किया गया।

पशु क्रय-विक्रय

प्रस्तुत वर्ष कुक्कुट-उत्पादन तथा अण्डा क्रय-विक्रय सहकारी समितियो और ७ पशुपालन एवं क्रय-विक्रय सहकारी समितियो का गठन किया गया। विभिन्न स्थानो में स्थापित १८ ग्रेडिंग स्टेशनो पर अंडो के वर्गीकरण का कार्य आरम्भ किया गया। आगरा जिले के बागेश्वर पशु मेले मे नीलाम द्वारा मवेशियो की बिक्री की गयी जो बहुत सफल रही।

प्रशिक्षण तथा कर्मचारी वर्ग

संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्निकल कोआपरेटिव मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत एक अधिकारी को कुक्कुट-पालन मे एक वर्ष के प्रशिक्षण के लिए चुना गया। दो अधिकारियो को पशुपालन के डिप्लोमा पाठ्यक्रम, दो अधिकारियो को कुक्कुट-पालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम तथा एक अधिकारी को निरोधन औषधियो के डिप्लोमा पाठ्यक्रम मे प्रशिक्षण के लिए भारतीय पशु-चिकित्सा अन्वेषणालय भेजा गया। दो पशु-चिकित्साधिकारियो और सात सहायक पशु-सर्जनो एम० वी० एस-सी० तथा ११ पशु-चिकित्साधिकारियो को बी० वी० एस-सी० एवं संक्षिप्त पशुपालन पाठ्यक्रम के लिए भेजा गया। इसी प्रकार ६ पशु-चिकित्साधिकारी कृत्रिम गर्भाधान के तकनीक के प्रशिक्षण के लिए भेजे गये। इसके अतिरिक्त मथुरा के उत्तर प्रदेश कालेज आफ वेटेरिनरी साइन्स ऐण्ड एनिमल हस्बेण्डरी में ६ पशु-चिकित्साअधिकारी तथा दो जिला पशु अधिकारी रिफ्रेशर कोर्स के लिए तैनात किये गये।

लखनऊ के बख्शी-का-तालाब केन्द्र में खाल उतारने की विधि में प्रशिक्षण के लिए २८ उम्मीदवार चुने गये। चक गंजरिया स्थित पशुपर्यवेक्षक प्रशिक्षण कक्षा जारी रखी गयी और आलोच्य वर्ष मे ६५ प्रशिक्षार्थियो को प्रशिक्षण दिया गया।

तीन स्टाकमैन प्रशिक्षण कक्षाएं, जिनमे से प्रत्येक में १०० प्रशिक्षार्थी भर्ती थे, जारी रखी गयी और कुल ३०८ प्रशिक्षार्थियो में से २८५ प्रशिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। इनको पशुपालन विभाग में नौकरी मिल गयी। इलाहाबाद मे कम्पाउन्डरी की प्रशिक्षण कक्षा में ४० प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण लेते रहे और उनमे से ३९ प्रशिक्षित किये गये। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत वर्ष दो और कम्पाउन्डरी प्रशिक्षण कक्षाए, जिनमे से प्रत्येक में २० प्रशिक्षार्थी थे, बरेली तथा लखनऊ में आरम्भ की गयी, जिससे प्रशिक्षित एवं योग्य पशु चिकित्सा कम्पाउन्डरो की सेवाएं उपलब्ध हो सके। इन केन्द्रो में प्रस्तुत वर्ष ४५ अप्रशिक्षित कम्पाउन्डरों को प्रशिक्षित किया गया।

शूकर-पालन तथा सुअर के मांस के उत्पादन एवं डिब्बाबन्दी के प्रशिक्षण के लिए अलीगढ़ की केन्द्रीय दुग्धशाला मे एक ६ महीने की अवधि का डिप्लोमा पाठ्यक्रम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के सहयोग से आरम्भ किया गया। उसका उद्देश्य शूकर-पालन मे वैज्ञानिक ढंग से लोगो को प्रशिक्षित करना था। इस प्रशिक्षण कक्षा मे १० प्रशिक्षार्थी भर्ती किये गये।

पशु-चिकित्सा महाविद्यालय तथा पशुपोषण अन्वेषणालय

मथुरा के पशुचिकित्सा महाविद्यालय मे ६०१ विद्यार्थी स्नातक तथा २८ स्नातकोत्तर परीक्षा मे उत्तीर्ण हो कर निकले। १०० विद्यार्थी बी० वी० एस-सी० तथा पशुपालन डिग्री पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष मे प्रविष्ट हुए और एक वर्ष अवधि के सक्षिप्त पाठ्यक्रम मे ११ विभागीय अधिकारियो ने प्रवेश लिया। एम० वी० एस-सी० के प्रथम वर्ष मे २४ विद्यार्थियो मे से आंध्र प्रदेश का एक विद्यार्थी पढने नही आया और पजाब के एक छात्र ने बीच मे हो पढ़ाई छोड दी। इस प्रकार उत्तर प्रदेश के १५ तथा अन्य राज्यो के कुल ७ छात्र रह गये। कालेज मे १९६०-६१ सत्र मे कुल ४६ छात्र शिक्षा पा रहे थे। आगरा विश्वविद्यालय की अप्रैल तथा जुलाई, १९६० में होने वाली विभिन्न वार्षिक और पूरक परीक्षाओ मे कुल ४६६ परीक्षार्थी सम्मिलित हुए, जिनमे से ४३२ उत्तीर्ण घोषित किये गये। कुल मिला कर १०६ विद्यार्थी बी० वी० एस-सी० तथा पशुपालन डिग्री परीक्षा मे और १४ एम० वी० एस-सी० परीक्षा मे उत्तीर्ण हुए। १९६०-६१ मे कालेज तथा राज्य के अन्य विभागो, जैसे हरिजन कल्याण, शिक्षा विभाग आदि के स्नातक कक्षा के छात्रो को १०८ छात्रवृत्तिया दी गयी तथा फीस-माफी की व्यवस्था की गयी।

डिग्री पाठ्यक्रम के अतिम तथा तृतीय वर्ष के छात्रो को व्यावसायिक दिलचस्पी वाले स्थानो, जैसे दिल्ली, करनाल, आइजटनगर, बबई और कलकत्ता के शैक्षिक दौरो पर ले जाया गया। एम० वी० एस-सी० कक्षा के छात्र भी राज्य तथा राज्य से बाहर ले जाये गये। तृतीय वर्ष के छात्रो को पूर्व वर्षो की भाति व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए गर्मी की छुट्टियो मे विभिन्न राजकीय पशु अस्पतालो मे नियुक्त किया गया। कालेज के सलग्न कोठारी अस्पताल मे सीनियर विद्यार्थियो के पर्याप्त डाक्टरी प्रशिक्षण की पूरी व्यवस्था थी।

राज्य प्रसार परियोजनाओ एवं विकास खंडो से सबद्ध प्रसार अधिकारियो एवं कर्मचारियो के एक मास के रिफ्रेशर कोर्स की व्यवस्था जून, १९६० मे कालेज मे की गयी थी। तीस अधिकारियो ने यह प्रशिक्षण प्राप्त किया जिसमे वाद-विवाद गोष्ठियो का भी आयोजन था। यह प्रशिक्षण शिक्षा एवं अन्वेषण विशेषज्ञो तथा विभागीय अधिकारियो द्वारा किया गया था।

कृत्रिम गर्भाधान के तकनीक के दो मास के प्रशिक्षण में जो १९६० के जून और जुलाई महीनो मे आयोजित किया गया था, अधिकारियो के एक दल को प्रशिक्षण दिया गया। इनमें से ६ अधिकारी विभाग के तथा एक पजाब राज्य के थे।

अधिकाश शिक्षक, विशेषकर स्नातकोत्तर कक्षाओ को पढाने वाले, अपना पर्याप्त समय पशुपालको तथा क्षेत्र कर्मचारियो की विभिन्न समस्याओ पर शोध कार्यो मे लगाते थ। इस सिलसिले मे किये गये मौलिक कार्य को देश तथा विदेश की शोध पत्रिकाओ मे प्रकाशनार्थ प्रस्तुत किया गया। पशुओ के पोषण पालन तथा रोगो के ऐसे विभिन्न पहलुओ पर जिनका पर्याप्त आर्थिक प्रभाव राज्य के पशु-उद्योग पर पड़ सकता था, पशु अन्वेषणालय के अन्य विभिन्न प्रभागो ने ध्यान देना जारी रखा।

पशु चिकित्सा महाविद्यालय के रोग एवं महामारी प्रभाग ने १ अप्रैल, १९६० से ३१ मार्च, १९६१ को अवधि मे जिन महत्वपूर्ण विषयो पर शोध एव अनुसंधान कार्य किया उनका नीचे उल्लेख किया जा रहा है:—

(१) राज्य मे पशुओ के मुख एव खुर से संबद्ध विभिन्न रोगों के फैलने के सबंध मे सर्वेक्षण प्रस्तुत वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय खुर एव मुख रोग अनुसंधान केन्द्र में ३२ सेम्पुल भेजे गये।

(२) राज्य में अफ्रीकी घोड़ा बीमारी का विस्तार—विभिन्न समय में फैले इस रोग के २२ सैम्पुल लिये गये और उन्हे पूना के विरस (Virus) रिसर्च सेंटर तथा आई० बी० आर० आर० के पास रोगाणुओ को अलग करने के लिए भेजा गया।

(३) भेड-बकरियो मे पाये जाने वाले एपिथेलियो ट्रापिक रोगाणुओ का अध्ययन—भेड-बकरियो मे तीन बार फैले हुए एपिथेलियो ट्रापिक रोगाणुओ का विस्तृत अध्ययन किया गया। अभी और अध्ययन चल रहा था।

(४) पडवो मे फैलने वाला विरस (Virus)—मवेशियो को एसकारिस कीड़ो से भी बडा कष्ट था। इनको फैलाने का काम पूरा-इन्फ्लुएन्जा रोगाणु करता है, ऐसी रिपोर्ट मिली, जिसकी पुष्टि सयुक्त राज्य अमेरिका के अरबाना स्थित कालेज आफ वेटरिनरी मेडिसिन, युनिवर्सिटी आफ इलिनायस ने भी कर दी।

(५) ट्युबरक्लोसिस तथा जास डिसीज—इन दोनो असाध्य छूतही बीमारियो के फैलने के सम्बन्ध मे राजकीय पशु फार्मों मे अग्रगामी प्रयोग के रूप में आरम्भिक सर्वेक्षण किया गया।

(६) लैप्टोस्पिरोसिस के सबध मे शोध कार्य—शोध के परिणामस्वरूप यह पता चला कि यह रोग कुछ राज्यकीय पशु फार्मो मे सामान्य रूप से विद्यमान था।

(७) सक्रामक नेक्रोहेपाटाइटिस तथा इम्मेच्योर क्रेसिओलाइसिस—एक भेड़ फार्म मे किये गये शोध से पता चला कि इम्मेच्योर लिवर फ्लूक्स के भारी विस्तार तथा सीएल, नो वाई (Cl. novyi) की छूत के कारण अधिक संख्या मे भेड़ो की मृत्यु होती थी।

उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त दूषित पदार्थो के २२६ नमूनो की परीक्षा की गयी और उनका परिणाम उनकी रोकथाम की उचित राय के साथ सबधित पशु-चिकित्सा अधिकारियो के पास इसलिए भेज दिया गया कि उनके आगे फैलने को रोका जा सके। क्षेत्र में कार्य करने वाले पशु-चिकित्सको के लाभ के लिए पशु-रोगो के निदान के तरीको के प्रशिक्षण के अभिप्राय से एक प्रगाढ पाठ्यक्रम की व्यवस्था की गयी।

अंतिम वर्ष के छात्रों की सहायता से ३४ ग्रामो मे सर्वेक्षण किया गया। ये ग्राम एक राजकीय पशु फार्म के १० मील के घेरे में स्थित थे। यह सर्वेक्षण इस अभिप्राय से किया गया था कि गांवो के मवेशियो मे फैलने वाले ब्रुसेलोसिस रोग का अन्दाज लगाया जा सके। कुल ५,६३१ मवेशियो की जाच की गयी और वे इस रोग से मुक्त पाये गये।

पशुपोषण अन्वेषण प्रभाग—पशु जाति प्रभाग मे साड तथा भैसे के वीर्य के संरक्षण, कृत्रिम गर्भाधान द्वारा गर्भ रहने का पड़ता, गरमी के दिनो मे अनुकूल व्यवस्था द्वारा उत्पन्न वीर्य का मुर्रा भैसो पर प्रभाव, बच्चा देने की कालावधि का हरियाना गायो के दूध के परिणाम तथा दूध देने की अवधि पर प्रभाव, एवं भैसो और सांडों को कृत्रिम गर्भाधान कार्य के लिए प्रशिक्षण आदि जैसे विषयो का अध्ययन किया गया। विभिन्न सस्थाओ से आये हुए सेम्पुलो का विश्लेषण किया गया और विभिन्न फार्मो की खुराक की सूची की निरीक्षा की गयी। इन सस्थाओ तथा सर्वसाधारण को पशुओ की चरी तथा चारा के विकास से सबधित संतुलित खुराक की समस्याओ के विषय में उचित राय दी गयी। बुन्देलखड क्षेत्र के किसानो को फूल लगने से पूर्व चरी को काट लेने के लाभ को दिखाने के अभिप्राय से फूलने के पूर्व तथा पश्चात् काटी गयी सेन ग्रास द्वारा तैयार चारा के पोष्य तत्वो के तुलनात्मक अध्ययन का आयोजन किया गया और विभिन्न महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले गये।

जिला प्रदर्शन दुग्धशाला मथुरा—मथुरा की जिला प्रदर्शन दुग्धशाला मे ३१ मार्च, १९६१ को १२० गाये, २३० बछड़े, २६ सांड तथा २८ बैल थे। प्रस्तुत वर्ष अलीगढ़ मे आयोजित पांचवी राज्य पशु प्रदर्शनी मे ४६०/२२ नं० की हरियाना गाय को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ।

यह गाय प्रति दिन ४२ पौण्ड १२ औंस दूध देती थी और इसन अलीगढ प्रदर्शनी मे आयी हुई सभी जाति की गायो को दूध देने मे मात दे दी। प्रस्तुत वर्ष फार्म मे पालित ४३ बछडे साड विकास कार्य के लिए दिये गये। इसके अतिरिक्त कृत्रिम गर्भाधान कार्य के लिए १४ साड विभाग को दिये गये।

३१ मार्च, १९६१ को मुर्रा जाति के मवेशियो मे ७० भैसे, १३७ पड़वे, २५ भैसे तथा ४ जुलाई के काम से भैने थे। ८ मुर्रा पडवा भैसे विभाग को, विकास कार्य के लिए दिये गये और २ मुर्रा भैसे कृत्रिम गर्भाधान कार्य के लिए दिये गये। प्रस्तुत वर्ष हरियाना तथा मुर्रा जाति के मवेशियो द्वारा कुल १,६५,८८७ किलोग्राम दूध निकाला गया। वर्ष के अन्त मे फार्म मे कुल ४८ बकरियां तथा १२५ भेडे थी।

कुक्कुट प्रभाग मे वर्ष के आरम्भ मे २,७१९ पक्षी थे। प्रस्तुत वर्षावधि मे ५,४६४ चूजे निकाले गये। कुल मिला कर १,६८४ पक्षी विकास कार्य के लिए तथा सस्था के विभिन्न प्रभागो मे प्रयोग सम्बन्धी कार्यो के लिए ७२० पक्षी दिये गये। शेष को या तो अन्य फार्मो मे दे दिया गया या बेच दिया गया। चूजो सहित कुल १,३९५ पक्षी मर गये। वर्ष के अन्त मे ३,९७५ पक्षी शेष रह गये। प्रस्तुत वर्ष ५०,४७१ अडे उत्पादित किये गये जब कि २२० अंडे बाहर से प्राप्त हुए थे। ४,८२९ अडे विकास कार्य के लिए बेच दिये गये और १,०१६ अडे तथा १,६७६ भ्रूण युक्त अडे विभिन्न शोध प्रभागो मे प्रयोग कार्यो के लिए दिये गये। १४,६८० अडे फार्म मे मशीन द्वारा सेये गये जिनमे प्रयोग कार्य के लिए रखे अडे भी सम्मिलित थे। बी० वी० एस-सी० तथा पशुपालन कक्षाओ के विद्यार्थियो को इस फार्म मे व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया और एम० बी० एस-सी० के दो छात्रो ने शोध के लिए कुक्कुट-पालन की समस्याओ को चुना।

७—मत्स्य पालन

मत्स्य पालन के विकास तथा अनुसंधान से संबधित कार्य संतोषजनक ढंग से चलते रहे। कुल ४,१९,२१,१०० छोटी तथा ४७,८०,५५२ बीज मछलियां इकट्ठी की गयी और ४५,८५४ एकड़ विभागीय जलाशयो मे ६२,९४,२६८ बीज मछलियां स्टाक मे रखी गयी। नौकुचिया ताल, भीमताल, सातताल तथा नैनीताल मे संजोयी 'मिरर कार्प' बीज मछलियां संतोषप्रद ढंग से बढ़ रही थी। विभागीय मछली की दुकानों पर प्रस्तुत वर्ष २,८५४४३ मन मछलियां बिकीं जिनका मूल्य १,२७,५६० रुपये था।

दिसम्बर, १९६० तथा निजी मत्स्य पालकों, राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंडो तथा ग्राम समाओ को ४,००० की रियायती कीमत पर २२,६९,००० बीज मछलिया दी गयी। १५ सहकारी समितियो का गठन किया गया और उन्हे ९०,००० रुपया का सहायता अनुदान दिया गया। छोटी मछलियो तथा बीज मछलियो के पालन के लिए १० नर्सरी तालाब अधिग्रहित किये गये और १० नर्सरियो का सुधार किया गया। इसके अतिरिक्त ३ और तालाबों का सुधार किया गया और उनमे २२,८७,००० बीज मछलिया रखी गयी। १ मछली पालन वार्डन तथा ३ मत्स्य पालन निरीक्षक केन्द्रीय अन्तर्देशीय मत्स्य अन्वेषणालय बारिकपुर कलकत्ता मे अन्तर्देशीय मत्स्यपालन पाठ्य-क्रम मे प्रशिक्षण के लिए नियुक्त किये गये।

८—वन

विधि-निर्माण

आलोच्य वर्ष मे भारतीय वन (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम १९६० कानून बन गया। इसके फलस्वरूप जिन कठिनाइयो के दूर होने की सम्भावना थी और जिन उद्देश्यो की पूर्ति की आशा थी उनका उल्लेख नीचे किया जा रहा है :—

(१) जमीदारो ने काफी लम्बा-चौड़ा वन क्षेत्र कृषि योग्य बनाने के लिए पट्टे पर दे दिया

था जिससे बाद में उसमें खेती की जाय। ये पट्टे १९५० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि सुधार अधिनियम के बनने के पूर्व के वर्षों में दिये गये थे। इन पट्टों के बल पर काफी बड़ी संख्या में लोगों ने या तो जंगलों को काट कर भूमि साफ करना आरम्भ कर दिया था या फिर कार्य आरम्भ करने को उत्सुक थे। राज्य के सार्वजनिक लाभ के लिए इन वन क्षेत्रों का संरक्षण अत्यन्त आवश्यक था। १९५८ का भारतीय वन (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम द्वारा राज्य सरकार को यह अधिकार दे दिया गया कि वह पट्टेदारों द्वारा जंगल के काटे जाने पर नियंत्रण लगा सकती है। किन्तु इस अधिनियम द्वारा राज्य सरकार को यह अधिकार प्राप्त नहीं था कि नये वन रोपण का उपक्रम करे या ऐसे वन क्षेत्र का रख-रखाव या विकास करे अथवा इससे संबद्ध कोई निश्चित कार्य करे।

(२) १९२७ के भारतीय वन अधिनियम की धारा ६८ के अन्तर्गत वन-अपराधों के विरुद्ध कार्यवाही में कठिनाई का अनुभव किया जा रहा था। इस धारा के अन्तर्गत वन अधिकारी, वन-अपराध के किसी मुकद्दमे को मुद्दालय से जिसके ऊपर अपराध करने का संदेह था, ५० रुपया मुआविजा लेकर मुकद्दमा उठा सकता था। ऐसे मुकद्दमों के दौरान में जिनमें अधिक दंड दिया जाना चाहिये था अनुभव किया जाता था कि ५० रुपया दंड की सीमा कठिनाई उत्पन्न करती थी। इसके अतिरिक्त वन-उत्पादनों का मूल्य ३० वर्ष पूर्व के मूल्य की अपेक्षा ८ से १० गुना बढ़ गया था। इस दृष्टि से ५० रुपया की सीमा बिल्कुल अनुपयोगी थी।

(३) १९२७ के भारतीय वन अधिनियम की धारा ५२ (१) में इस बात का प्राविधान था कि उन तमाम उपकरणों, नावों, बैलगाड़ियों या मवेशियों को, जिनका सुरक्षित वनों में किये गये अपराध में उपयोग किया गया हो, जब्त कर लिया जाना चाहिये। इसका अर्थ यह था कि वन अधिकारी ट्रकों, बसों, ट्रैक्टरों, साइकिलों आदि को जब्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये चीजें उक्त धारा की परिधि में नहीं आती थीं। सभ्यता के विकास तथा यातायात के मशीनी साधनों के उपयोग के साथ वन-अपराधों के लिए आधुनिक सवारियों का सामान्य रूप से प्रयोग होने लगा।

(४) इस बात की बार-बार मांग की जाने लगी थी कि टेहरी गढ़वाल के सोयम वनों की व्यवस्था ग्राम पंचायतों के नियंत्रण में दे दी जाय। इन वनों का प्रबंध हस्तान्तरित करने के पूर्व यह आवश्यक समझा गया कि इनको 'सुरक्षित वन' घोषित कर दिया जाय जिससे संबंधित ग्राम पंचायतों पर सरकार का नियंत्रण हो जाय और उन्हें ऐसा करने से रोका जाय जिसके फलस्वरूप इन वनों को कोई क्षति पहुंचाने की सम्भावना हो। ये वन सरकार के थे अतः उन्हें 'सुरक्षित वन' घोषित करने में भारतीय वन अधिनियम की उप धारा २९(३) के अन्तर्गत व्यक्तियों या समुदायों के प्रस्तुत अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं थी। यह भी आवश्यक समझा गया कि ग्राम पंचायतों का गठन भारतीय वन अधिनियम के अन्तर्गत किया जाय और इन सोयम वनों का प्रबंध पंचायती आधार पर किया जाय।

वनोपयोग परामर्श परिषद्

वनोपयोग परामर्श परिषद् की एक बैठक ८ अप्रैल, १९६० को लखनऊ में हुई। इसमें अन्य विषयों के अतिरिक्त---(१) रेजिन फैक्टरी की स्थापना की सम्भावना (२) वन-साधनों के सर्वेक्षण की आवश्यकता, (३) औषधीय जड़ी-बूटियों के विकास, तथा (४) विभाग द्वारा कत्था के निर्माण के प्रश्नों पर भी विचार-विमर्श हुआ।

भूमि-व्यवस्था परिषद्

५ नवम्बर, १९६० को लखनऊ में भूमि व्यवस्था परिषद् की एक बैठक हुई। इस बैठक में अन्य विषयों के साथ-साथ---(१) बदरीनाथ के निकट बरफ या पहाड़ के टूट कर गिरने का रोक-थाम, (२) ढालू भूमि में कृषि की व्यवस्था, (३) ऊसर भूमि के सबसे अच्छे ढंग से उपयोग

तथा किसके द्वारा यह कार्य हो, (४) सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़को के किनारो पर वृक्षा-रोपण, तथा (५) उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के आगरा, अलीगढ तथा मथुरा जिलो के निकटस्थ सीमा क्षेत्रो पर वन-रोपण सबंधी समस्याओ के विषय में भी विचार-विमर्श किया गया।

साखू का स्वाभाविक पुनर्जीवन

साखू के स्वाभाविक पुनर्जीवन की समस्या से संबद्ध मामलो के शोध की ओर पूर्ववत् विशेष ध्यान दिया जाता रहा और स्वाभाविक पुनर्जीवन से संबंधित विभिन्न प्रयोग तथा अध्ययन किये गये ।

यह देखा गया कि प्रस्तुत वर्ष साखू के बीज के लिए बुरा वर्ष रहा और हर जगह बहुत कम काम हुआ। इसके पूर्व का वर्ष भी पौधो के लिए खराब रहा । यद्यपि बीज की दृष्टि से अच्छा था जिससे अर्ध लचीली स्थिति में यह पुनर्जीवन भी बहुत कम समय रहा ।

साखू के आगलगी के हिस्से मे स्वाभाविक पुनर्जीवन और कतार से कटाई के जो परीक्षण उत्तर खीरी डिवीजन मे किये गये तथा आगलगी की कतारो के अध्ययन से इस बात का आभास मिला कि :—

(क) चराई से सुरक्षा होने पर साखू के पौधे बहुत जल्दी बढ़ते हैं ।

(ख) चौड़ी कतारो मे संकरी कतारो की अपेक्षा पौधो की वृद्धि और संवर्धन अच्छा होता है ।

(ग) कतार के विस्तार की दिशा का पौधो की संख्या और वृद्धि मे निश्चित और स्पष्ट प्रभाव पड़ता है ऐसा मालूम हुआ। सबसे उपयुक्त दिशा उत्तर दक्षिण या उत्तर दक्षिण और उत्तर पूर्व दक्षिण पच्छिम के बीच की होती है जब कि पूर्व पश्चिम सबसे अनुपयुक्त दिशा मालूम हुई। हो सकता है यह बीज के गिरने के समय चलने वाली वायु के प्रभाव के कारण हो क्योकि उस समय पूर्व से पश्चिम की ओर हवा बहती है।

जब यह अनुभव किया गया कि चराई से सुरक्षित होने पर साखू के पुनर्जीवन की प्रगति पर बहुत अच्छा प्रभाव पडता है, तो उन बहुत से खंडो में जहा घेरे नहीं थे उन्हे प्रस्तुत वर्ष इस प्रकार घेर दिया गया कि उनमे पशुओ का प्रवेश न हो सके।

साखू का कृत्रिम पुनर्जीवन——साखू के कृत्रिम पुनर्जीवन के सबध मे राज्य के विभिन्न क्षेत्रो मे हो रहे अन्वेषण के सिलसिले में साखू के विभिन्न आकार–प्रकार की अंकुरित जड़ो को लगाया और बढ़ाया गया। बचे हुए अकुरित साखू के पौधे दूसरे वर्ष मे काफी बड़े और पुष्ट हुए किन्तु आरम्भ के वर्ष ५० प्रतिशत से कम ही पौधे बचे रहे और उनकी वृद्धि भी नहीं हुई ।

वृक्षारोपण, वनरोपण तथा सड़कों के किनारे वृक्षारोपण

वृक्षारोपण तथा वनरोपण से संबधित कार्य, जो हाल के कुछ वर्षों से पर्याप्त गति से चल रहा था, १९६० मे ४१,८७६ एकड़ भूमि मे आरम्भ किया गया। विभाग के अधीन चल रहे वृक्षारोपण कार्य को मोटे तौर पर निम्न भागो मे विभक्त किया जा सकता है :—

(क) साखू तथा विभिन्न प्रकार के वृक्षो का रोपण जिसमे दियासलाई तथा खेल-कूद के सामानो के निर्माण कार्य मे प्रयुक्त होने वाले वृक्ष भी सम्मिलित थे,

(ख) पर्वतीय क्षेत्रो मे वृक्षारोपण,

(ग) नहरो के किनारो पर वृक्षारोपण, तथा

(घ) सुरक्षित बनो तथा पड़ती भूमि खडो में वनरोपण की योजना के अन्तर्गत भूमि व्यवस्था तथा मुख्यालय हल्को मे वन रोपण ।

प्रत्येक मद के अन्तर्गत प्रस्तुत वर्ष हुए कार्य का विवरण नीचे प्रस्तुत है :--

(१) साखू तथा विभिन्न प्रकार के वृक्षो का रोपण--इस प्रकार के वृक्षो का रोपण दियासलाई, प्लाईवुड, खेलकूद के सामानो के निर्माण के लिए बढती हुई माग को पूरा करने तथा अन्य उद्योग-धन्धो मे प्रयोग के अभिप्राय से किया जा रहा था। इन वृक्षो के रोपण के ढग मे हाल मे कुछ वर्षों मे काफी सुधार हो गया था। इनमे से कुछ रोपण क्षेत्रोमे ट्रैक्टरो से जुताई का कार्य लिया जा रहा था। ऐसे मामलो मे भूमि साफ कर लेने के बाद ट्रैक्टरो से उसकी जुताई की जाती थी और तब १८ से २० फुट की दूरी पर पेड लगाये जाते थे। वृक्षो की जिन मुख्य किस्मो का रोपण किया गया वे थी साखू, खैर, शीशम, सागौन, हल्दू, शहतूत, सादन, गुटेल, सेमल, काजू, पुला, तून, सिरिस, बौरग इत्यादि। अर्थोपार्जन वाली फसले जैसे लाही, सनई, ढैचा तथा अडी पेडो की कतारो के बीच की जमीन मे वृक्षारोपण के पहले या कभी-कभी दूसरे वर्ष लगा दी जाती थी। इनके लगाने से घासो की उपज तो दब जाती ही थी उसके अतिरिक्त पर्याप्त अर्थोपार्जन भी होता था।

(२) पर्वतीय क्षेत्रो मे वृक्षारोपण--टेहरी और कुमाऊं के पहाड़ी क्षेत्रो मे विविध प्रकार के वृक्षो के रोपण के कार्य को और अधिक विस्तार दिया जा रहा था। जिस जाति के वृक्षो का मुख्य रूप से रोपण किया जा रहा था वे थी अशना, देवदार, सरो, चीड, अखरोट, मैपुल, पहाड़ी शहतूत तथा सरई। जितने क्षेत्र मे यह कार्य हुआ उसका विवरण नीचे प्रस्तुत है :--

		एकड
कुमायू क्षेत्र मे	.. ..	१५,२२६
टेहरी क्षेत्र मे	.. ..	१,६६५
	योग ..	१६,८९४

(३) नहर के किनारो पर वृक्षारोपण--नहर के किनारो पर वृक्षो का रोपण भूमि व्यवस्था हल्को के अधीन बढाया गया। ६४ मील लम्बी नहर के किनारो की ६३२ एकड भूमि मे शीशम, बबूल, खैर, सिरीष, सेमल, प्रोसोपिस, जुलीफ्लोरा, तून, नीम, जामुन, काजी, महुआ, अर्जुन, काजू तथा आम आदि के वृक्ष या तो लगाये या बोये गये। इसका परिणाम उत्साहजक रहा। (गत १३ वर्षों मे नहरो के किनारो पर कुल १,२२६ मील तक वृक्ष लगाये गये)।

(४) सुरक्षित वन तथा वनेत्तर जिलो के पडती भूखड--१९६० की अवधि में ४४१२ एकड सुरक्षित वन तथा भूमि व्यवस्था हल्का और मुख्यालय हल्का के पडती भूखंड में वनरोपण किया गया। इसमें बन-रोपण के लिए चुने गये जमुना और चम्बल की घाटी के सुरक्षित वन खड तथा आगरा, मथुरा, अलीगढ, मैनपुरी और इटावा जिलो के पडती भूमि खंड जो उत्तर प्रदेश राजस्थान सीमा वन रोपण योजना तथा गोमती राप्ती वनरोपण योजना के अन्तर्गत सरकार के अधीन हो गये थे भी सम्मिलित थे। खारो मे कण्टूरबन्दी और दरारो को भरने तथा पानी से घिरे हुए क्षेत्रो मे मेड़बन्दी तथा वृक्ष लगाने और ऊसर क्षेत्र के अच्छी मिट्टी वाले भागो मे पुष्ट वेहन लगाने से अच्छी उपज होती रही। इसमे लगभग ८० प्रतिशत सफलता प्राप्त हुई। (पिछले १३ वर्षों में ५८,३३० एकड सरक्षित वन और पडती के भूखड मे वृक्षा रोपण किया जा चुका था। इसमें उपनिवेशन क्षेत्रो की भूमि भी सम्मिलित थी।)

(५) सड़क के किनारे के वृक्ष--पिछले वर्ष के ११८ मील की तुलना मे प्रस्तुत वर्ष (१९६०) लगभग ११९ मील की लम्बाई में सडको के किनारे वृक्ष लगाये गये। इस कार्य मे प्राय ९५ प्रतिशत सफलता मिली। नये लगाये गये वृक्षो की मनुष्यो तथा मवेशियो से रक्षा के लिए ३-३ फुट की गोल खाइया बनायी गयी और उनके चारो और बबूल की झाडिया लगायी गयीं। इससे वृक्षो को नमी भी मिलती थी। (१९६० मे समाप्त होने वाले १३ वर्षों मे लगभग १,३१४ मील की लम्बाई मे सड़को के किनारे वृक्षारोपण किया गया।

द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना के अधीन विकास योजनाओं के विवरण

द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना के अन्तर्गत परिचालित विकास योजनाओ पर हो रहे कार्यों का विवरण नीचे की तालिका मे प्रस्तुत है :—

योजना	१९६०–६१ के लिए निर्धारित लक्ष्य	१९६०–६१ की उपलब्धियां
(१) कुमाऊं मे फल वृक्षो का रोपण ..	५०० एकड भूमि मे ४१,७०० रु० खर्च से २०,००० फल वृक्षारोपण	१३० एकड़ भूमि मे १८,२१२ फल वृक्ष लगाये गये। पुराने लगाये गये वृक्षो की देख रेख की गयी तथा पिछले न लगे वृक्षो के स्थान पर नये वृक्ष लगाये गये। इस कार्य में ४१,६७३ रु० खर्च हुए।
(२) निजी वर्गों तथा शासन में विलीन राज्यो तथा बस्तियो के निर्गत पडती भूखडो और भूमि व्यवस्था हल्को में कार्य करने वाले कर्मचारियो के आवास तथा जल की व्यवस्था।	६४ भवनो, २ कुओ और हैण्ड पपो का निर्माण। व्यय ३,५५,६०० रुपया।	८३ भवन तथा ३ कुएं निर्मित किये गये तथा १ भवन का निर्माण कार्य चल रहा था। इन कार्यों पर कुल ३,५६,३८६ रुपये व्यय हुए।
(३) वन शिक्षा, फारेस्टरो तथा फारेस्ट गार्डों का प्रशिक्षण।	२५ फारेस्टर तथा ७५ फारेस्ट गार्ड, व्यय १,२८,३०० रुपया।	२४ फारेस्टर तथा ८९ फारेस्ट गार्ड प्रशिक्षित किये गये और २५ फारेस्टर तथा ३९ फारेस्ट गार्ड प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। पूर्वी हल्के मे प्रशिक्षार्थियो के लिए एक भवन तथा पश्चिमी हल्के में कार्यालय तथा स्टाक के लिए भवन का निर्माण किया गया। इन कार्यो मे १,१९,७८२ रुपये व्यय हुए।
(४) लाख के काश्त का विकास ..	दक्षिणी हल्के तथा भूमि व्यवस्था हल्के के ६ डिवीजनो का विकास, व्यय ३२,७०० रु०।	आगलगी द्वारा जगल की सफाई तथा १२,४६० वृक्षो पर नम्बर तथा उनके चारो ओर बाड़ा लगाने का कार्य किया गया। मिर्जापुर स्थित फील्ड रिसर्च स्टेशन आफ लेक (इडिया लेक रिसर्च इन्स्टीट्यूट) को १९ मन बीज लाख दी गयी। ४५ मन, १५ सेर

योजना	१९६०–६१ के लिए निर्धारित लक्ष्य	१९६०–६१ की उपलब्धिया
		लाख टेंडर द्वारा कुल ९०७ रु० ५० न० पै० पर बेची गयी। ७७ मन, २९ सेर बिक्री के लिए स्टाक में थी। एक लाख-गोदाम का निर्माण पूरा हुआ। कुल व्यय ३२,९१५ रु० हुआ।
(५) वन्य जन्तु संरक्षण	(१) पूर्वीय, पश्चिमी तथा दक्षिणी हल्को के १८ डिवीजनो में तथा भूमि व्यवस्था हल्के के एक डिवीजन वन्य जन्तु सरक्षण।	(१) पूर्वीय पश्चिमी तथा दक्षिणी हल्को के १८ डिवीजनों तथा भूमि व्यवस्था हल्के के एक डिवीजन के वन्य जन्तुओ का सरक्षण किया गया।
	(२) (एक) प्राकृतिक पार्कों तथा आरक्षित वनो और (दो) मोटर सडको का रखरखाव–५६ मील।	(२) पहले से बने मचानो, सहायक वन्य जन्तु संरक्षक के क्वार्टरो और वन्य जन्तु रक्षको की चौकियो, छोटे आवासो, डारमिटरियो तथा मोटर सड़को का रख-रखाव और सुधार।
	(३) मचान–१८ ..	(३) आंशिक बने हुए वन्य जन्तु रक्षको की चौकियो और सहायक वन्य जन्तु सरक्षको के आवासो का निर्माण पूरा किया गया।
	(४) छोटे आवास–३ ..	(४) जोल साल आरक्षित वन में एक मचान का निर्माण।
	(५) डारमिटरी ३ तथा ..	(५) धानगढी में एक फाटक का निर्माण
	(६) कर्मचारियो के आवास-२० कुल व्यय ४,०३,९०० रु०	(६) ढिकाल की डारमिटरी में विद्यार्थियो के लिए दो स्नानागार तथा शौचालय का निर्माण।
		(७) चन्द्रप्रभा के आरक्षित वन में एक कृत्रिम झील का निर्माण।
		(८) रामनगर के मेडिकल आफिसर के आवास के दो कमरो १ बरामदा तथा पार्टीशन वाल का निर्माण।

योजना	१९६०–६१ के लिए निर्धारित लक्ष्य	१९६०–६१ की उपलब्धियां
(८) कुमायूं में प्रथम श्रेणी के वनों का विकास	१०० एकड भूमि में वृक्षारोपण तथा अन्य और कार्य, व्यय ३,१३,९०० रुपया । ..	१५० एकड भूमि में वृक्षारोपण किया गया तथा पुराने लगाये वृक्षों की देखरेख की गयी, कुल व्यय ३,१२,०५५ रु० ।
(९) वन-संचार का विकास ..	८५० मील मोटर रोड । ५५० मील टेलीफोन लाइन तथा २ पुलों के निर्माण का कार्य । व्यय ११,८९,२०० रुपया । ..	लगभग १५३ मील मोटर रोड, ५१५ मील टेलीफोन लाइन १३ पुलों जिनमें २ आइरिश पुल भी थे, तथा २ पुलियों का निर्माण किया गया । करीब १२८ मील पुरानी मोटर रोड का रखरखाव भी किया गया । इन कार्यों में कुल ११,८८,५२१ रुपये व्यय हुए ।
(१०) निजी वनों का प्रबंध ..	४,००० एकड से अधिक भूमि में वृक्षारोपण तथा वपन कार्य । .. व्ययः ६,५६,४०० रु० ..	(१) ४,२०२ एकड़ में अधिक भूमि में वृक्षारोपण तथा वपन । (२) १ पौध घर का रखरखाव । (३) पूर्वीय हल्के में ७,००० एकड से अधिक क्षेत्र में वृक्षवपन तथा पेडों पर फैलने वाली वन बेलों के काटने का कार्य किया गया । (४) टिकरी रेंज के सहायक अधिकारी के आवास का निर्माण तथा सोहेलवा रेंज के रेंज अधिकारी के क्वार्टर विशेष मरम्मत की गयी । (५) कुआना रेंज के लिए मकान खरीदा गया । इन कार्यों पर ६,२२,९१६ रुपये खर्च हुए ।
(११) कर्मचारी वर्ग १० पी० एफ० एस० तथा फारेस्ट रेंजर का प्रशिक्षण । ..	१० पी० एफ० एस० आफिसर तथा ८ फारेस्ट रेंजरों का प्रशिक्षण .. .. व्यय १,०१,६०० रुपये ।	प्रशिक्षार्थी देहरादून के फारेस्ट रिसर्च इन्स्टीयट में प्रशिक्षण पा रहे थे । इस कार्य पर ५२,८८७ रु० व्यय हुए ।
(१२) सहारनपुर और मुजफ्फरनगर जिलों में गंगा खादर में वनरोपण । ..	१,०८० एकड । व्यय २,१६,००० रुपये ..	१,०८० एकड से अधिक भूमि में सभी कार्य सम्पन्न । व्यय २,०६,९५६ रुपया ।

(१३) मेरठ और बुलन्दशहर जिलो के गगा-जमुना आवाह क्षेत्रो मे बन रोपण । ..	२,७३१ एकड भूमि मे वनरोपण, व्यय २,८५,५०० रु० ।	१,६३७ एकड मे सब कार्य पूरे कर लिये गये । इस कार्य मे २,७४,६८५ रु० व्यय हुए ।
(१४) गढवाल और बिजनौर जिलो मे गगा और उसकी सहायक नदियो के क्षेत्र मे वनरोपण	२३० एकड तथा दो इमारते, व्यय १,११,३०० रुपये ।	(१) कन्टूरबन्दी—२५ लकडी के बाध । (२) वनरोपण—३५० एकड भूमि मे । (३) एक पौधघर पूरा किया गया और २०० बेहने तैयार की गयी । (४) दो इमारते बनायी गयी। व्यय १,१०,४८४ रु० ।
	(पिछड़े क्षेत्रों का विकास)	
(१५) इस क्षेत्र मे औद्योगिक महत्व के वृक्षो का रोपण ।	६५० एकड़ . व्यय ३,१८,२०० रुपये ..	(१) १३५ एकड मे बोने का कार्य पूरा हुआ । (२) १,६०० एकड मे मिट्टी बोने योग्य बनायी गयी। इन कार्यो पर ३,१८,०६५ रु० व्यय हुए ।
(२) महत्वपूर्ण औषधीय जड़ी-बूटियों का रोपण ।	२० एकड़ क्षेत्र मे रोपणकार्य.व्यय ४०,८०० रु०	(१) रोपित क्षेत्र—९.०५ एकड (२) एक पौघघर का रखरखाव किया गया तथा टेहरी हल्के मे दो और पौधघर आरम्भ किये गये । (३) कुमायू हल्के मे ४ पौधघर आरम्भ हुए । इन कार्यो पर ४०,७९१ रुपये व्यय हुए ।
(३) सडको पुलो आदि का निर्माण ..	नयी सडके—२७० मील । सडको का सुधार १८८ मील, सडको का नक्शा ५४ मील । पुल ३१ थडियार, मे गोदाम का कार्य पूरा करना तथा मजदूरो के लिए झोपड़ियो आदि का निर्माण । व्यय १२,१२,५०० रु० ।	नयी सडकें २५४ मील और ४२ कडी, तथा १९६ और ३३ कडी, पुरानी सडको का सुधार । सडको का नक्शा तैयार हुआ—४३ मील । पुल ३२ (जिनमे थडियार के गोदाम तथा मजदूरो के झोपडो का निर्माण भी सम्मिलित है ।) इन कार्यो में १२,१३,९१६ रुपये व्यय हुए ।

वन-उपज की सप्लाई

(१) इमारती लकड़ी--विभिन्न एजेन्सियो द्वारा ३१ मार्च, १९६० को १,३७,१३,००० घनफुट लकडी वन से निकाली गयी। इसमे ११,४६,००० घनफुट लकडी रियायत प्राप्त तथा अधिकार प्राप्त लोगो द्वारा निकाली गयी थी।

(२) रेलवे स्लीपर--रेलवे को ६१,८५,६१० रुपये मूल्य के स्लीपर सप्लाई किये गये। इसके अतिरिक्त ५,६६,५६४.७१ रुपये मूल्य के कडी लकडी के लट्ठे तथा मुलायम पहाडी लकडी भारत सरकार के पूर्ति और निपटान विभाग के महानिदेशक को सप्लाई की गयी।

(३) ईंधन की लकडी--शहरो में ईंधन की लकडी का मूल्य निश्चित करने तथा जनता को लकडी मिलती रहने के उद्देश्य से सरकार ने १९६१ का उत्तर प्रदेश ईंधन (बिक्री एव मूल्य) नियन्त्रण आदेश जारी किया। प्रस्तुत वर्ष ७,३४,००० घन फुट ईंधन की लकडी विभागीय एजेसी द्वारा वन से निकाली गयी, २,९७,२५,००० घनफुट क्रय एजेसियो द्वारा और २,७९,४३,००० घनफुट रियायत प्राप्त तथा अधिकार प्राप्त लोगो द्वारा निकाली गयी।

(४) लीसा (रेजिन)--लगभग ३,८०,००० मन लीसा प्रस्तुत वर्ष निकाला गया। इसका अधिकाश क्लटरबकगज (बरेली) स्थित इडियन टरपेंटाइन ऐंड रेजिन कं० लि० को रेजिन की सप्लाई के समझौते के अन्तर्गत सप्लाई किया गया। कुटीर उद्योग के प्रोत्साहन के लिए छोटे कारखानो और सहकारी समितियो को भी लीसा उपलब्ध किया गया। सहकारी समितियो को सहायता देने के उद्देश्य से लीसा इकट्ठा करने तथा ढोने का आशिक कार्य सहकारी समितियो को सौपा गया।

अनुसंधान तथा प्रयोग

आलोच्य वर्ष मे किये गये प्रयोगो तथा अध्ययनो के महत्वपूर्ण परिणामो का विवरण नीचे प्रस्तुत है--

(१) सर्पगधा (Rauwolfia Serpentina) तथा आक्सिमम किलीमाड स्कैरिकम (Killimanud Scharicum occimum) का अन्तररोपण बहुत उत्साहजनक नही सिद्ध हुआ किन्तु रावोल्फिया कास्पेस्कान्स (Rauwolfia canspescans) का सफलतापूर्वक अन्तर्रोपण किया गया।

(२) सकरित चिनालो मे से पापुलस यूमैनेन्सिस की एक वर्ष मे ५७" वृद्धि हुई।

(३) सकरित युक्लिप्टस के रोपण का परिणाम उत्साहजनक रहा। इनके बहुत ही कम पौधे सूखे और जुलाई, १९६० मे रोपित पौधो की ५-६" की वृद्धि हुई।

(४) साखू के वनो मे स्पान्टैक्स का केवल एक छिड़काव घासफूस की वृद्धि रोकने के लिए काफी नही था।

कार्य योजनाएं

सोन और बिजनौर वन डिवीजनो की कार्य योजनाएं तैयार कर ली गयी थी। उत्तरकाशी और पीलीभीत वन डिवीजनो की कार्य योजनाए तैयार हो रही थी और उत्तरी एवं दक्षिणी दोआब और दक्षिणी खीरी वन डिवीजनो की कार्ययोजनाओ का सशोधन हाथ मे लिया गया।

वित्तीय स्थिति

वन विभाग से संबद्ध १९५९-६० और १९६०-६१ के राजस्व तथा व्यय के विवरण नीचे दिये जा रहे हैं। (खर्च के आकडो में आयोजना का खर्च भी सम्मिलित है)

वर्ष	राजस्व	व्यय	अधिक (शेष)
	रु०	रु०	रु०
१९५९-६० (वास्तविक) ..	६,२८,६३,८४७	२,७९,९९,०००	३,४८,६४,८४७
१९६०-६१ (संशोधित अनुमान)	६,२३,४६,४००	३,१२,८१,९००	३,१०,६४,५००

९--रिहन्द बांध योजना

आलोच्य वर्ष में रिहन्द बाध परियोजना के कार्य मे काफी तेजी आ गयी।

(१) निर्माण कार्य

वर्ष के अन्त मे रिहन्द परियोजना से संबद्ध कार्यो में खुदाई का कार्य चल रहा था। बांध के बिजलीघर की इमारत की नींव की खुदाई का कार्य पूरा किया जा चुका था। प्रस्तुत वर्ष ७०.४९ लाख घनफुट ककरीट डाली गयी। इसके सहित बाध तथा उसके लगाव मे कुल ५८२.११ लाख घनफुट कंकरीट डाली जा चुकी थी।

बांध के जल-नियमन वाले भाग मे तथा जल नियमन की शेष लम्बाई पर्याप्त पूरी ऊंचाई ई०एल० ८५२.००तक उठ गयी थी और जल-नियमन के बेड़े का निर्माण हो रहा था।

पेन्स्टाक फाटको के, कलकत्ता की फर्म से जो उन्हें बना रही थी, प्राप्ति मे विलम्ब के कारण फाटको के लगने मे विलम्ब की संभावना थी। फिर भी इस बात का प्रयास किया जा रहा था कि फाटको की प्राप्ति मे शीघ्रता की जा सके। फिलहाल ५ फाटक लगाये जाने थे। पेन्स्टाक में फाटक लग जाने के बाद उसमें अस्थायी रूप से लगे बाडे को अलग कर दिया जाना था और तब बिजली उत्पादन की इकाई का धूर्णन आरम्भ होने को था, जिससे व्यापारिक उपयोग के लिए उत्पादन आरम्भ करने के पूर्व सामान्य परीक्षा किया जा सके।

स्थायी उपकरण--(क) पेन्स्टाक फाटक निर्माण में विलम्ब होने के कारण अब प्रथम पेन्स्टाक फाटक के १९६१ के अप्रैल के अन्त तक मिलने की आशा थी। जो पांच ह्वाइस्ट तथा सहायक उपकरण आस्ट्रिया से मंगाये जाने थे उनमे से २ पहुंच गये थे। तीसरा सेट जहाज द्वारा रवाना किया जा चुका था और शेष को शीघ्र ही तैयार कर के भेजे जाने की सूचना मिली थी।

(ख) १०० टन क्षमता के चतुर्पद आधार वाले क्रेन--दो के अतिरिक्त सभी पैकेज निर्माण-स्थल पर पहुंच गये थे। रेलो का जड़ना जारी था और क्रेन को खड़ा करने सबधी आरम्भिक कार्य आरम्भ किये जा चुके थे। शेष दो पैकेजो के निर्माण-स्थल पर पहुच जाने पर क्रेन के खड़ा करने का पूरा कार्य आरम्भ किया जाना था।

(ग) टा-इंटर-फाटक---सभी फाटको के लंगर तथा दहलीज की शहतीरे खडी कर दी गयी थी और उन्हे ककरीट मे गाड दिया गया था तथा उनके पार्श्व के उपकरण भी प्रायः आधे भाग मे लग चुके थे ।

(घ) जल-निकास फाटक और उनको उठाने का उपकरण---इन फाटको से संबद्ध अधिकाश सामग्री निर्माण-स्थल पर पहुंच गयी थी और शेष लायी जा रही थी ।

(ङ) २५ टन क्षमता के चतुर्पद आधार वाले क्रेन---यह क्रेन जिसकी आवश्यकता ड्राफ्ट ट्यूब फाटको के लगाने के लिए थी निर्माण-स्थल पर पहुंच गया था और उसे खड़ा किया रहा था ।

(च) ड्राफ्ट ट्यूब फाटक---इन फाटको का निर्माण सिचाई विभाग की बरेली की वर्कशाप मे हो रहा था । फाटको का निर्माण और उनके भेजने का क्रय संतोषजनक रहा ।

(छ) छिद्रण तथा भरण---नीवो का छिद्रण तथा भरण का काम प्रायः समाप्त हो चुका था । जल-निकास छिद्रों के छिद्रण का कार्य पूरे जोर-शोर मे चल रहा था और मार्च, १९६१ के अन्त तक १०,८९० वर्गफुट छिद्रण का कार्य पूरा हो चुका था ।

बिजलीघर---बिजलीघर के प्रायः सभी प्रमुख कार्य पूरे कर लिये गये थे । केवल उनको अतिम रूप देना शेष रहा । यह कार्य भी सतोषजनक ढग से प्रगति कर रहा था । टेलरेस चैनलो की खुदाई प्राय· समाप्त थी और रेगुलेटर का निर्माण निश्चित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा था । ६६ किलोवाट के स्विचयार्ड का निर्माण कार्य भी संतोषजनक प्रगति कर रहा था ।

कई कठिनाइयो के बावजूद इस परियोजना की प्रगति का शेड्यूल यथावत बनाये रखा जा रहा था ।

(२) बिजली के काम

(क) बिजलीघर तथा आउटडोर स्विचबोर्ड---मशीन तथा उपकरणो का निर्माण इंगलैन्ड, चेकोस्लोवेकिया, पश्चिमा जर्मनी और स्विट्जरलैन्ड की वर्कशापो में प्रायः पूरा हो गया था।

रिहन्द बिजलीघर की १,२,३ और ४ नंबर की बिजली उत्पादक इकाइयों का निर्माण पूरा हो गया और ५वी का निर्माण-कार्य चल रहा था । १,२,३ तथा ४ नम्बर की इकाइयो मे केबुल लगाने तथा बिजली लगाने का कार्य चल रहा था ।

बाध पर बिजली लगाने, बिजलीघर मे रोशनी लगाने, जेनरेटर, ट्रांसफार्मर, बिजली लगाने, एयर कडिशनिग तथा गवाक्ष पाइप का प्रकीर्ण कार्य, लोड टेस्टिग उपकरण इत्यादि कार्यों के लिए अनुबन्ध किये गये और इन मदो के कार्य हाथ मे लिये गये ।

पिपरी के आउटडोर स्विचबोर्ड के नीव का कार्य तथा उसके ढांचे के उठाने का कार्य पूरा कर लिया गया और इसी प्रकार १३२ किलोवाट के मुख्य बसबारों और जैकबासो तथा ६६ किलोवाट के स्विच यार्ड पर तार लगाने का कार्य भी पूरा कर लिया गया । उप-बिजलीघर के उपकरणो जैसे ट्रासफार्मर ओ०सी०,बी०,सी०टी०,पी०टी० इत्यादि को लगाने का कार्य चल रहा था । एक ६० एम० बी०ए० ११/१३२ किलोवाट के ट्रांसफार्मर को उठाने का कार्य पूरा कर लिया गया और दूसरे ट्रांसफार्मर के उठाने का कार्य प्रगति कर रहा था ।

(ख) १३२ किलोवाट ट्रांसमिशन लाइनें---१३२ किलोवाट की ट्रांसमिशन लाइनों के निम्न सेक्शनों का निर्माण-कार्य हो रहा था :--

		मील
(१)	पिपरी-राबर्ट्सगज सेक्शन	३४.७५
(२)	राबर्ट्सगंज-मुगलसराय सेक्शन	४४.५०
(३)	राबर्ट्सगज-मिर्जापुर सेक्शन	४७.३८
(४)	मुगलसराय-कर्मनासा सेक्शन (इस लाइन का निर्माण रेलवे की लाइनो के लिए बिजली को देने के अभिप्राय से हो रहा था)	२३.८५
	योग..	१५०.४८

इन सेक्शनो मे कुल ७२७ लोकेशन थे, जहां टावर उठाने थे। आलोच्य वर्ष के अन्त तक ७१६ लोकेशनो पर स्टब सेटिंग तथा ६७४ लोकेशन पर सुपरस्ट्रक्चर उठाने का कार्य पूरा हो चुका था। इन सेक्शनो मे शेष कार्य चल रहा था।

सोन नदी को पार करने वाले टावरो की डिजाइन और नक्शा तयार कर लिया गया था तथा उनकी नीव का कार्य आरम्भ कर दिया गया था और वर्ष के अन्त मे कार्य मे प्रगति हो रही थी।

ट्रासमिशन लाइनों के ढाचो के लिए अपेक्षित इस्पात के मिलने मे कठिनाई का अनुभव किया जाता था। लगातार प्रयत्न के फलस्वरूप अपेक्षित इस्पात का केवल कुछ अश ही बम्बई के फेब्रीकेटर वर्कशाप को भेजा जा सका। (ग) १३२/३३/११ किलोवाट के ग्रिड सब-स्टेशन-ग्रिड उप-बिजलीघरो का निर्माण राबर्टसगज, मुगलसराय तथा मिर्जापुर मे हो रहा था। उप-बिजलीघरो के उपकरणो जसे १३२ किलोवाट के ट्रासफार्मर तथा ३३ किलोवाट का स्विच-गियर तथा पावर और कंट्रोल के बुल के लिए विभिन्न फार्मो को ठीके दिये गये। उप-बिजली-घरो के ढाचो के निर्माण का कार्य प्रगति कर रहा था और यह कार्य करने वाली वर्कशाप को इस्पात सप्लाई करने का प्रबन्ध किया गया। इसके अतिरिक्त उप-बिजलीघर के कुछ उपकरण विदेशी निर्माताओ से मगाये गये।

(३) भवन

रिहन्द के ग्रिड उप-बिजलीघरो की नीव के निर्माण के लिए ठीके दिये गये और उन पर कार्य आरम्भ किया गया।

बाहर के उप-बिजलीघर कंट्रोल रूम वर्कशाप, स्टोर तथा साहूपुरी (मुगलसराय), राबर्ट्सगज और मिर्जापुर के ग्रिड उप-बिजलीघर के ट्रासफार्मर की मरम्मत की दुकानो के निर्माण का कार्य जारी रहा।

बिजली कानूनो का प्रशासन---बिजली निरीक्षक सगठन ने आलोच्य वर्ष मे ४३ लाईसेंसदारो के कार्यो का निरीक्षण किया जिनमे नगरपालिका को सप्लाई करने वाली फर्म भी थी जबकि इसके पूर्व वर्ष ३२ लाइसेसदारो के कार्यो का निरीक्षण किया गया था। ये निरीक्षण इस उद्देश्य से किये गये थे कि भारतीय बिजली नियमो का उचित ढग से पालन होता रहे। इन मामलो मे जिनमे लाईसेंसदारो के कार्यो मे कोई नुक्स पाया गया लाइसेसदारो को उन्हे दूर करने की दिशा मे आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया।

१९६०-६१ वर्षावधि मे बिजली के कारण हुई उन दुर्घटनाओ की सख्या १९० थी जिनकी सूचना निरीक्षालय को मिली थी जबकि इसके पूर्व वर्ष इन दुर्घटनाओ की संख्या

१९१ थी। इनमे से १७२ दुर्घटनाएं सांघातिक या छोटी थी। शेष १८ दुर्घटनाए बहुत मामूली चोटो की थी। सभी प्राणहानि से सबद्ध तथा छोटी दुर्घटनाओ की जाच निरीक्षालय ने की और उचित कार्यवाही की गयी। किन्तु मामूली चोटो वाली दुर्घटनाओ के संबध मे निरीक्षालय द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता नही समझी गयी।

ऊपर की दुर्घटनाओ के अतिरिक्त बिजली की ५ और दुर्घटनाए हुई जो इन संस्थाओं मे हुईं जो या तो प्रतिरक्षा विभाग या रेलवे अधिकार क्षेत्र मे थी और उनकी रिपोर्ट निरीक्षालय मे केवल सूचनार्थ की गयी। इन मामलो मे निरीक्षालय से जाच की अपेक्षा नही थी। ग्रामीण क्षेत्रो मे जो दुर्घटनाए हुई वे अनाधिकारी व्यक्तियो के हाईवोल्टेज लाइन के खभो पर चढने के कारण हुईं। उपभोक्ताओ के घरो मे हुई दुर्घटनाओ का कारण था या तो बिजली के उपकरणो और पुरजो का प्रयोग करने मे असावधानी अथवा बिजली की फिटिंग आदि के रखरखाव मे कोताही। जबकि १९५९-६० मे निरीक्षालय द्वारा ४३ बिजली कपनियो के लेखा की जांच हुई थी, आलोच्य वर्ष मे केवल ३७ बिजली कपनियो के हिसाब-किताब की जाच की जा सकी। इस कमी का कारण यह था कि लखनऊ मे बाढ के कारण बिजली निरीक्षक के कार्यालय को वर्ष मे एकाधिक बार एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाना पडा जिसके कारण कार्य मे व्याघात पड़ा।

लाइसेसदारो के हिसाब-किताब की निरीक्षा के फलस्वरूप निम्न बिजली कंपनियो की बिजली सप्लाई की दरो मे कमी कर दी गयी.--

(१) दी बाराबकी इलेक्ट्रिक सप्लाई कपनी लिमिटेड, बाराबकी।
(२) दी अपर जमुना बैरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कपनी, मेरठ।
(३) दी फर्रुखाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, फतेहगढ।
(४) दी किशोर इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन, बदायूं।
(५) दी म्युनिसिपल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अन्डर टेकिंग, उन्नाव।
(६) दी अलीगढ़ इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, अलीगढ।

आय--आलोच्य वर्ष बिजली कर के रूप मे ५५,८१,७३० रुपये वसूल किये गये जबकि इससे पूर्व वर्ष (१९५९-६०) मे ५१,३१,०२६ रुपये वसूल हुए थे। बिजली निरीक्षालय की कुल आय-निरीक्षा शुल्क, वायरमेन की परमिट इशु करने, सुपरवाइजर का प्रमाण-पत्र तथा बिजली के ठेकेदारो के लाइसेंस की फीस, लाइसेसदारो के हिसाब-किताब की परीक्षा की फीस आदि मिला कर प्रस्तुत वर्ष १,१०,०८८ रुपये थी जबकि १९५९-६० मे यह आय १,०१,३१२ रुपये थी।

व्यय--आलोच्य वर्ष में निरीक्षालय पर कुल २,५९,७०० रुपया खर्च हुए जब कि १९५९-६० मे कुल खर्च २,४२,३५० रुपया हुआ था।

१०--उद्योग

सामान्य

१९६०-६१ वर्षावधि मे बड़े माध्यम, लघु कुटीर तथा ग्रामोद्योगो मे चतुर्दिक वृद्धि हुई। इससे पूर्व आरम्भ भारी उद्योगो, लघु एवं ग्राम उद्योगो तथा प्राविधिक शिक्षा के सबंध मे तृतीय पंचवर्षीय आयोजना की रूप-रेखा तैयार की गयी। १९६० के पूरे उत्पादन का मूल्य २९,३५२.३४ लाख रुपये लगाया गया जो इससे पूर्व वर्ष के रेकार्ड पर ३८.२६ प्रतिशत की प्रगति दिखलाता था। इसी के अनुसार रोजगार मे भी वृद्धि हुई जो २१.३४ प्रतिशत थी।

रिपोर्ट भेजने वाली फैक्टरिया, व्यक्ति जो रोजगार पर लगे तथा १६५६ और १६६० मे उत्पादन के मूल्य का विवरण नीचे दिया जा रहा है:—

उद्योग का नाम	१६५६			१६६०		
	रिपोर्ट भेजने वाली फैक्ट्रियो की संख्या	रोजगार पाने वालो की सख्या	उत्पादन का मूल्य (लाख रुपयो मे)	रिपोर्ट भेजने वाली फैक्टरियो की संख्या	रोजगार पाने वालो की सख्या	उत्पादन का मूल्य (लाख रु० मे)
(१) (काटन टेक्सटाइल ऐंड एलाइड मैन्यूफैक्चरर्स) सूती वस्त्र तथा सबद्ध निर्माता ..	३४	५५,५२६	२,७००.०८	४२	६३,१०६	३,६३३.३८
(२) (वूलेन टेक्सटाइल ऐंड एलाइड मैन्युफैक्चरर्स) ऊनी वस्त्र तथा सबद्ध नर्माता	१२	३,७४५	३७३.८०	१६	४,८५०	५०५.६८,
(३) (जूट टैक्सटाइल ऐंड इलाइड मैन्युफैक्चरर्स) जूट वस्त्र तथा सबद्ध निर्माता ..	८	५,८४२	२५०.६३	१०	६,०७६	३०२.६३
(४) सिल्क टैक्सटाइल (रेशमी वस्त्र) ..	६	४२६	२०.६४	११	६४४	३२.०४
(५) काटन वेस्ट ऐंड जिनिग ..	१७	४६६	४०.३२	२१	७५४	५८.३१
(६) होजरी ऐंड निटिंग ..	१६	६१४	४६.७१	२१	८३५	५६.७३
(७) कैलेंडरिग, डाइग ऐंड प्रिटिग ..	१६	४८५	१५.३६	२३	१,०८६	३०.४२
(८) ताला तथा छूरी, काटा आदि ..	११	६७१	५३.७६	१३	१,२६२	७८.६४
(६) हरीकेन लालटेन	३	६१३	२६.४२	३	६६३	३७.१७
(१०) साइकिल तथा साइकिल के पुर्जे ..	४०	२,०४३	१६३.४७	४५	२,३६६	१८५.३८

रिपोर्ट भेजने वाली फैक्टरिया, व्यक्ति जो रोजगार पर लगे तथा १९५९ और १९६० मे उत्पादन के मूल्य का विवरण नीचे दिया जा रहा है :—

उद्योग का नाम	१९५९			१९६०		
	रिपोर्ट भेजने वाली फैक्टरियो की सख्या	रोजगार पाने वालो की सख्या	उत्पादन का मूल्य (लाख रुपयो मे)	रिपोर्ट भेजने वाली फैक्टरियो की सख्या	रोजगार पाने वालो की सख्या	उत्पादन का मूल्य (लाख रुपयो मे)
(११) मशीन, मशीन के पुर्जे, औजार तथा कृषि उपकरण	३४	१,०७९	७२ ८९	३४	१,३७२	८१.३०
(१२) लोहा तथा इस्पात का फर्नीचर ..	११	५०८	२३.३३	११	५०१	३०.११
(१३) लोहेत्तर धातुओ के उत्पादन ..	३३	१,१४७	१२५.६८	४४	१,६४७	२१७.२१
(१४) मोटर तथा अन्य स्वचालित गाडियो के पुर्जे	२	१४	३.०५	४	१०५	४.८२
(१५) इलेक्ट्रोप्लेटिंग	१५	२५४	९.६९	१३	२५७	९.१०
(१६) बिजली के लैम्प तथा छोटे बल्ब ..	२	१,०६९	१०६.२१	७	१,३०४	१४१.०२
(१७) टिन के डिब्बे	९	४२१	६१.९९	१५	६५७	८२.८९
(१८) प्रकीर्ण इजीनियरिंग आइरन रोलिग ऐंड फाउन्ड्रीज	३४९	१६,६३९	१,१७७.७५	३९५	१८,७१९	१,५२७.९९
(१९) चीनी	६६	५१,८७५	७,४२७.४७	७०	७०,४०६	११,८८८.२६
(२०) चाय	१४	२,४५०	२२.००	१४	१,९८८	२४.१६
(२१) बनस्पति तेल	४	१,१२७	१,१३८.४५	४	१,४१८	१,२८७.७४
(२२) तेल, दाल, चावल तथा आटा मिले ..	३१४	१०,३९१	३,१४८.१५	३२९	१२,७६०	४,१११.८३

(२३) फल तथा सब्जी का निर्माण एवं डिब्बाबन्दी	४	८१	५.४२	५	३११	४३.७१
(२४) दुग्धशाला के उत्पादन ..	७	८१७	६१.२१	६	१,०६६	५५.०५
(२५) बेकरी उत्पादन	७	२८५	२४.५५	९	३८६	३२.७७
(२६) बर्फ तथा कोल्ड स्टोरेज ..	८५	१,५८८	८९.९०	९६	२,२६५	१३३.८३
(२७) तम्बाकू तथा संबद्ध उत्पादन ..	१४	२,६७४	७६६.००	१७	२,९५६	१,१२७.४६
(२८) खाडसारी	२०४	६,१४८	१५०.७२	२४५	९,०२७	२३३.११
(२९) रासायनिक, चिकित्सा संबंधी तथा अन्य संबद्ध उत्पादन	४४	२,७५५	२०८.५९	४६	३,९५९	२४६.२५
(३०) शराब की भट्टिया	१२	१,२६३	८८,०८०	१६	२,१४७	१०९.७७
(३१) रग तथा वार्निश	८	४९२	६२.६३	८	४६८	६५.३१
(३२) हड्डी का चूरा तथा संबद्ध उत्पादन ..	७	६२९	४४.०३	७	६७०	६०.५९
(३३) साबुन	२	१४१	२५.५३	४	१४१	२०.१७*
(३४) चपडा	७	२८९	.९	६**	**२४७	८.४५**
(३५) औद्योगिक गैस ..	२	७२	८.५६	२	१६४	१९.२४
(३६) कत्था	४	५६४	३७.७२	४	६६५	५८.०८
(३७) तेल, इत्र आदि ..	३	१२९	२२.०६	३	१२९	२७.७५
(३८) कागज, स्ट्राबोर्ड तथा संबद्ध उत्पादन ..	१०	२,०८०	१८६.८९	१३	२,५९६	२१८.८०
(३९) लेखन सामग्री तथा जिल्दबन्दी ..	७	१९६	३२.१३	८	२०६	२७.७८
(४०) लकडी के फर्नीचर तथा संबद्ध उत्पादन	२५	७१८	२३.९१	२९	७४१	२८.२८
(४१) प्लाई बुड	३	५६७	३४.८१	३	५८४	४२.६०
(४२) काच तथा काच की चूड़िया ..	११९	१४,४५२	५०१.७३	१४६	१७,८४३	४४६.५२
(४३) मुद्रणालय	१७५	८,१९१	३०९.१८	१९०	७,४४४	३०५.२६†
(४४) चमडा तथा चमड़े का सामान ..	७८	८,१०७	७०८.३९	८४	८,०९७	७७१.१४

*इस उद्योग मे सबसे बड़ी इकाइयो के उत्पादन मे बहुत भारी गिरावट हुई है।

**एक इकाई बन्द हो गई।

†इसमे इस उद्योग की सबसे बड़ी इकाइयो मे से एक की सूचना सम्मिलित नही है।

उद्योग का नाम	१९५९			१९६०		
	रिपोर्ट भेजने वाली फैक्टरियो की संख्या	रोजगार पाने वालो की सख्या	उत्पादन का मूल्य (लाख रुपयो मे)	रिपोर्ट भेजने वाली फैक्टरियो की सख्या	रोजगार पाने वालो की सख्या	उत्पादन का मूल्य (लाख रुपयो मे)
(४५) मृत्तिका उद्योग	२	८७	२.१६	४	२३८	५.०५
(४६) प्लास्टिक के सामान ..	४	१८३	१७.८९	७	२८५	८.६७!
(४७) ब्रुश के सामान	२	९०	३.१८	३	१३७	५.३८
(४८) फाउन्टेनपेन	७	१३३	५.८८	५	११५	४.९४
(४९) खेलकूद के सामान ..	७	२३१	१०.२५	७	३०७	१३.५७
(५०) प्रकीर्ण उद्योग (इनमे रेयन, रेडीमेड कपड़े, टार्च, बैटरी, सेपरेटर, पेय, अफीम तथा क्षार, रेजिन तथा तारपीन, दियासलाई, संगीत के साज, हाथ का बना कागज, नमक की सफाई, मोटर गाडी आदि की मरम्मत, चूना आर०सी०सी० और ह्यूम पाइप, ग्रेनाइट, पत्थर के सामान, दीवाल घड़िया आदि शामिल है) ..	४०	५,१८४	७९६.७०	७७	६,१३५	९०२.५२
योग ..	१,९११	२,१६,०९४	२१,२२९.९९	२,१९८	२,६२,२०१	२९,३५२.३४

!इस उद्योग मे लगी सबसे बड़ी इकाई के उत्पादन मे बहुत गिरावट हुई है।

एक निगम, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम (निजी) के नाम से स्थापित किया गया और उसे कम्पनी के रूप में पंजीकृत कर दिया गया । इस निगम की स्थापना इस अभिप्राय से की गयी कि जो राजकीय औद्योगिक संस्थाएं इसके सुपुर्द की जायं, उनमें सफलतापूर्वक कार्य हो। तृतीय पंचवर्षीय आयोजनाकाल में आरम्भ होने वाली कुछ राज्य परियोजनाएं कार्यान्वित की जा सकें । यह निगम एक स्वतंत्र निकाय के रूप में व्यावसायिक ढंग पर कार्य करेगा । सरकार इस निगम के शेयर की पूंजी के ढांचे को स्थापित करने में भाग लेने को थी और तद्नुसार उसने आरम्भ करने के लिए २५ लाख रुपये मूल्य के शेयर भी खरीदे ।

आलोच्य वर्ष में उद्योग (विकास एवं नियमन) अधिनियम के अन्तर्गत १३९ लाइसेंस दिये गये, जिनमें ८९ करोड़ रुपयों की लागत लगने वाली थी । निम्नलिखित परियोजनाएं सार्वजनिक क्षेत्र में आरम्भ करने के लिए भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में उचित-कदम उठाये गये:---

परियोजना	अनुमानित लागत (करोड़ रुपयों में)
१---ऐंटी बायोटिक्स फैक्टरी, ऋषीकेश	१०.००
२---उर्वरक फैक्ट्री, गोरखपुर	२७.००
३---सिंगरोली कोयला क्षेत्रों का विकास	१०.००
४---भारी बिजली परियोजना, ज्वालापुर	४५.००
योग	९,२००

लघु गुड़ निर्माण उद्योग, भारी मशीन टूल उद्योग, वायुयान फैक्ट्री, सूक्ष्म यंत्र फैक्ट्री आदि से संबद्ध आवश्यक परियोजना रिपोर्ट तैयार की गयी और उन्हें भारत सरकार के पास भेज दिया गया । उत्तर प्रदेश वित्त निगम ने मध्यम तथा लघु उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया । निगम द्वारा उदार ऋण योजना के अन्तर्गत १,३८,१६,००० रुपये तथा निगम ऋण के अन्तर्गत १,८३,९५,००० रुपये स्वीकृत किये गये। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत वर्ष सरकार द्वारा ५१.७८६ लाख रुपये ऋण के रूप में वितरण के लिए तथा १.१७ लाख रुपये अनुदान के रूप में वितरण के लिए स्वीकृत किये गये । इसमें से आलोच्य वर्ष ऋण के रूप में ५१ ७०२ लाख रुपये तथा अनुदान के रूप में १.१७ लाख रुपये वितरित किये गये । छोटे उद्योगपतियों की सुविधा तथा राज्य में औद्योगीकरण की गति प्रदान करने के लिये कानपुर तथा आगरा में दो बड़े औद्योगिक आस्थान तथा देवबन्द (सहारनपुर), काशी विद्यापीठ और लोनी (मेरठ) में तीन ग्रामीण औद्योगिक आस्थानों की स्थापना प्रायः समाप्त हो चुकी थी, साथ ही अतिरिक्त पांच और औद्योगिक आस्थान पहाड़ी जिलों में स्थापित किये जा रहे थे। इसके अतिरिक्त बस्ती, देवरिया, झांसी, एटा तथा बिजनौर में औद्योगिक आस्थान बनाने संबंधी प्रारम्भिक प्रबन्ध किये जा रहे थे ।

स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा परिचालित अग्रगामी योजना के अन्तर्गत प्रगाढ़ वित्तीय सहायता दी गयी और उद्योगपतियों को कोयला, कोयले का चूरा, लोहा तथा इस्पात और लोहेत्तर धातुओं जैसे कंट्रोल की चीजों की सप्लाई का प्रबन्ध किया गया । आवश्यक कच्चा माल, पुरजों तथा मशीनों आदि को विदेशों से मंगाने के लिए "आवश्यकता प्रमाण पत्र" प्राप्त करने का भी प्रबन्ध किया गया । इसके साथ ही लघु उद्योगों की बढ़ती हुई बिजली की मांग पूरी करने का प्रबन्ध किया गया । गुण-चिह्नांकन योजना का लघु उद्योगों, दस्तकारियों तथा कुटीर उद्योगों के उत्पादकों का स्तर ऊंचा करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा । इन्हीं की सुविधा के लिए राज्य भर में २२ निरीक्षा डिपो चलाये जा रहे थे । इसके फलस्वरूप उत्पादन की बिक्री

क्षमता में पर्याप्त वृद्धि हुई। लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के अभिप्राय से उनके उत्पादनों को प्राथमिकतः दी गयी और उनकी कुछ मदों को उद्योग निदेशालय के स्टोर्स परचेज सेक्शन ने सुरक्षित करा लिया था। उद्योगेच्छु व्यक्तियों के लिए "हायर परचेज" आधार पर मशीनों का प्रबन्ध नयी दिल्ली स्थित राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा किया गया। छोटे उद्योगेच्छुओं को ५७.२८ लाख रुपये मूल्य की मशीनों की 'हायर परचेज' योजना के अन्तर्गत स्वीकृति दी गयी।

अन्य दिशाओं में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई। ग्राम उद्योगों के आवश्यक विकास को गति देने के लिए आलोच्य वर्ष में कानून द्वारा स्थापित एक खादी एवं ग्राम उद्योग परिषद् का गठन किया गया। बिजली चालित करघा योजना की कार्यान्विति में भी पर्याप्त प्रगति हुई। खलीलाबाद तथा टांडा में दो केंद्रीय सूत निर्माण फैक्टरियां भी स्थापित की जा रही थीं, जिसमें बस्ती, गोरखपुर तथा फैजाबाद जिलों में स्थापित किये जाने वाले २६८ बिजली चालित करघों के लिए सूत दिया जा सके।

इस वर्ष का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य था नये गठित उत्तराखंड डिवीजन के तीन जिलों में औद्योगिक विकास का प्रगाढ़ कार्यक्रम आरम्भ करना। कई जल चरखे इस क्षेत्र में सूत का उत्पादन बढ़ाने में उपयोगी सिद्ध हुए, कई उपयुक्त स्थानों पर लगाये गये। इसी प्रकार राज्य के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए पिछले वर्ष तथा आलोच्य वर्ष ६ विशेष योजनाएं परिचालित की गयीं थीं। उनके कार्य को जोर-शोर से बढ़ाया गया। उद्योग की दिशा में हुए महत्वपूर्ण कार्यों के विवरण नीचे दिये जा रहे हैं:—

१—भारी उद्योग राजकीय सीमेन्ट फैक्ट्री, चुर्क

चुर्क की राजकीय सीमेन्ट फैक्ट्री में जहां सितम्बर, १९६० को उत्पादन का सातवां वर्ष आरम्भ हुआ, १९६०—६१ में २,४३,९६१ मीट्रिक टन सीमेंट का उत्पादन हुआ। फैक्ट्री के विस्तार की परियोजना से संबंद्ध कार्य पूरे जोर-शोर से चल रहा था। चेकोस्लोवाकिया से आयात की हुई सीमेंट उत्पादन मशीन का अधिकांश भाग निर्माण-स्थल पर पहुंच गया था। यह आशा की जाती थी कि १९६१ के अन्तिम चतुर्थांश में नई इकाई द्वारा उत्पादन आरम्भ हो जायेगा और ज्यों ही आरम्भिक कठिनाइयां दूर हो जायेंगी, फैक्ट्री में अब तक के ७०० टन प्रति दिन के उत्पादन के स्थान पर १,४०० टन सीमेन्ट प्रतिदिन उत्पादित होने लगेगा। अग्रगामी रिफ्रैक्टरी मशीन से जनवरी, १९६१ में उत्पादन होने लगा और यह आशा की जाती है कि प्रति वर्ष १,५०० टन पक्की ईंटें बनने लगेंगीं।

तृतीय पंचवर्षीय आयोजना काल में फैक्ट्री के प्रसार कार्यक्रम में एक रिफ्रैक्टरी प्लान्ट, सफेद और रंगीन सीमेन्ट बनाने की मशीन तथा उत्तम किस्म की अल्युमिना सीमेन्ट बनाने की इकाई की स्थापना सम्मिलित थी।

२—राजकीय सूक्ष्म यंत्र फैक्ट्री, लखनऊ

लखनऊ की राजकीय सूक्ष्म यंत्र फैक्ट्री ने अच्छी प्रगति की। ३६,००० पानी के मीटर तथा ३०० अनुवीक्षण यंत्रों के निर्माण के निर्धारित लक्ष्य से उत्पादन अधिक हुआ और ४३,११३ पानी के मीटर तथा ४४६ अणुवीक्षण यंत्रों का उत्पादन हुआ। फैक्ट्री ने "प्रेसरगाज" के निर्माण का कार्य भी हाथ में लिया। ४०० डिजाइनें और नक्शे तैयार किये गये। आलोच्य वर्ष में औद्योगिक रत्नों का निर्माण करने वाली मशीन भी लगायी गयी और निर्माण के लिए टेक्निशियनों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था। अपने किस्म की देश में यह पहली मशीन लगी थी। ५५ अप्रेन्टिसों को सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा था।

तृतीय योजना काल में फैक्ट्री में और विस्तार किया जाना था और इस प्रसार कार्यक्रम में पानी के मीटरों तथा अनुवीक्षण यंत्रों के प्रस्तुत उत्पादन को दो गुना या यदि सम्भव हो सके तो

तीन गुना करना, एक डिजाइन एवं अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करना और आप्टिकल औजारों के निर्माण के लिए एक अलग यूनिट की स्थापना करना था।

३–विकास कार्यक्रम

(क) उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम—२६ मार्च, १९६१ को उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम नाम से एक निगम का पंजीकरण हुआ। इस निगम द्वारा राज्य के लिए उपयोगी समझी जाने वाली उद्योगों के संबंध में परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, उनके निजी क्षेत्र या अपने अधीन वित्तपोषित कम्पनी के रूप में अथवा स्वतंत्र रूप से स्थापना करने की दिशा में प्रयत्न करने, पहले के यूनिटों की ठीक ढंग से कार्य करने, कार्यों के पुनर्गठन, पुनर्वास आदि में सहायता करने तथा राज्य के विभिन्न भागों में अलग-अलग क्षेत्रों के विकास का कार्य किया जाना था।

(ख) औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना—बड़े तथा मध्यम उद्योगों के विकास के लिए सर्वेक्षण किये गये। चार औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना का प्रस्ताव था। इनमें से दो गाजियाबाद तथा दो गोरखपुर, मिर्जापुर और झांसी जिलों के क्षेत्र में थे।

(ग) डिजाइन एवं अनुसंधान केन्द्र—लखनऊ की राजकीय सूक्ष्म यंत्र फैक्ट्री में एक डिजाइन एवं अनुसंधान केन्द्र की स्थापना के लिए आदेश जारी किये गये जिसके लिये राज्य के तृतीय पंचवर्षीय आयोजना में ११ लाख रुपये निर्धारित किये गये थे।

(घ) खनिज पदार्थों का विकास—इस दिशा में प्रारम्भिक कार्य के लिए ४५,००० रुपयों की व्यवस्था की गयी थी।

(ङ) एन्टीबायोटिक्स—ऋषीकेश में रूस के सहयोग से १०.०० करोड़ रुपयों की अनुमानित लागत से एक परियोजना की स्थापना की जानी थी। इससे सम्बद्ध पूरे आंकड़े भारत सरकार को भेजे गये।

(च) उर्वरक फैक्ट्री की स्थापना—गोरखपुर में एक उपयुक्त निर्माण-स्थल चुन लिया गया था इस परियोजना की स्थापना में लगभग २७ करोड़ रुपये खर्च होने की आशा थी।

(छ) भारी बिजली कारखाना—ज्वालापुर (सहारनपुर) का निर्माण-स्थल भारी बिजली कारखाने की स्थापना के लिए अच्छा समझा गया और उसके अधिकांश आंकड़े भारत सरकार को भेज दिये गये।

(१) हथकरघा विकास और (२) लघु उद्योग—

(क) बुनकर समितियां, उत्पादन तथा बिक्री आदि—१९६०–६१ में ६९ हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों का गठन किया गया, जिनको लेकर अब तक ऐसी १,२५३ समितियां हो गयीं और इसकी कुल सदस्य संख्या १,१८,१२१ हो गयी। इसके अतिरिक्त राज्य में ५१४ उत्पादन एवं विक्रय बुनकर सहकारी समितियां भी थीं जिन्होंने १०,७१,२८,२९३ रुपये मूल्य का १०,५९,०६,५४५ गज हथकरघा से बुना कपड़ा तैयार किया।

१८७ सहकारी बिक्री डिपों में ३२,४९,४६७ रुपये मूल्य का ३१,३८,३९७ गज हथकरघा से बुने कपड़े की बिक्री हुई जबकि इसी अवधि में राजकीय यू० पी० हैंडीक्रैफ्ट अन्तर्प्रदेशीय बिक्री केन्द्रों में ६,५३,१९४ रुपये मूल्य का ३,२४,५१० गज कपड़ा बिका। कानपुर उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ के तीन केन्द्र तथा चार सचल बिक्री केन्द्रों में क्रम से ९८,६१८ रुपये तथा ४९,५८७ रुपयों मूल्य के ५०,२२४ गज कपड़े बिके।

(ख) रंगाई, गुण चिह्नांकन तथा कैलेन्डरिंग—६६ लघु रंगाईघरों ने २,००,८०२ पौण्ड सूत की रंगाई की थी तथा पिलखुआ और बाराबंकी में खुले मध्यम रंगाई घरों में ५,७८५ पौण्ड

सूत की रंगाई तथा १२,२९५ पौण्ड सूत को माड़ी लगायी गयी। इसके अतिरिक्त सहकारी समितियां को सुधरे उपकरणों की खरीद के लिए २,७७,२०० रुपये दिये गये। १९६०-६१ कालावधि में ३०,५९,४३९ गज हैन्डलूम कपड़े पर गुण चिह्नांकन लगाया गया।

मऊ (आजमगढ़) स्थित राजकीय रंगाई, माड़ी तथा फिनिशिंग फैक्ट्री में २४,४८,६८९ गज हैन्डलूम कपड़े की कैलेन्डरिंग तथा ३२,२११ पौण्ड सूत पर माड़ी की गयी। इसी प्रकार खलीलाबाद के कैलेन्डरिंग कारखाने में ३२,४२,१३० गज कपड़े की कैलेन्डरिंग की गयी।

(ग) रेशम रंगाईघर—रेशम के बुनकरों की पक्के रंगाई की मांग पूरी करने के लिए खोले गये ६ रेशम रंगाईघरों में आलोच्य वर्ष में १२,४५० पौण्ड सूत की रंगाई की गयी।

(२) औद्योगिक आस्थान

कानपुर और आगरा के दो बड़े औद्योगिक आस्थानों के अतिरिक्त द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना काल में १३ छोटे औद्योगिक आस्थानों की औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों तथा राज्य के देवबन्द (सहारनपुर), लोनी (मेरठ), काशी विद्यापीठ (वाराणसी), भीमताल (नैनीताल), टेहरी (टेहरी गढ़वाल), अल्मोड़ा, श्रीनगर और कोटद्वारा (पौड़ी गढ़वाल), झांसी, खलीलाबाद (बस्ती) देवरिया, एटा तथा बिजनौर के सामुदायिक विकास खंडों में स्थापना की स्वीकृति दी गयी थी जिनका निर्माण कार्य कुछ आस्थानों में बहुत आगे बढ़ चुका था। भारत सरकार ने राज्य में सहकारी समितियां तथा निजी लोगों द्वारा औद्योगिक आस्थानों की स्थापना की स्वीकृति दे दी थी। ऐसी सहकारी समितियां जिनकी रजिस्ट्री हो चुकी थी, कानपुर, लखनऊ, शामली (मुजफ्फरनगर), देहरादून, गाजियाबाद और हापुड़ में एक-एक तथा मेरठ में दो थीं।

(३) लकड़ी परिपक्व करने के यंत्र

इलाहाबाद तथा बरेली के लकड़ी परिपक्व करने के यंत्रों में क्रम से २,००० घन फुट तथा १,१०० घनफुट लकड़ी परिपक्व की गयी। इसके अतिरिक्त इलाहाबाद केन्द्र में आलोच्य वर्ष में ४ विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था।

(४) खेलकूद के सामान के विकास की योजना

आलोच्य वर्ष में २० प्रशिक्षणार्थी भर्ती किये गये और बरेली में राजकीय खेल-कूद सामान योजना के अन्तर्गत उनको विभिन्न सामानों, जैसे टेनिस, बैडमिन्टन रैकेट, कैरम बोर्ड, हाकी स्टिक, व्यायाम आदि के सामानों आदि के निर्माण की टेक्नीक का प्रशिक्षण दिया गया। इस केन्द्र में ११,०७८ रुपया ५ न० पै० मूल्य के सामान उत्पादित किये गये और १२,१२४ रुपया ८ नये० पै० के सामानों की बिक्री हुई।

फरवरी, १९६० में गठित भूतपूर्व प्रशिक्षणार्थियों की खेलकूद सामान निर्माण सहकारी समिति में प्रस्तुत वर्ष कुल ३९ सदस्य थे और हिस्से की पूंजी की रकम १,९५० रुपया थी।

(५) प्लास्टिक प्रशिक्षण केन्द्र

इटावा के राजकीय प्लास्टिक प्रशिक्षण केन्द्र में १७ विद्यार्थियों को प्लास्टिक के विभिन्न प्रकार के सामानों के निर्माण का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। प्लास्टिक के सामानों की नयी डिजाइनें बनाने तथा उनके निर्माण और करण में संस्थान की सहायता के लिए जापान के एक प्लास्टिक विशेषज्ञ की सेवा भी एक वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध की गयी थी।

(६) ग्रामीण क्षेत्रों में सचल, बढ़ईगिरी तथा लोहारगिरी योजना

राज्य के विभिन्न भागों में प्रदर्शन करने के लिए एक-एक सचल बढ़ईगिरी तथा लोहारगिरी गाड़ियों की एक घुमन्तू यूनिट नियुक्त की गयी। इन गाड़ियों ने बिजली चालित मशीनों द्वारा बड़ी संख्या में व्यावहारिक प्रदर्शन किये। इन सचल दलों ने गांव के कारीगरों की छोटी इकाइयों को प्राविधिक जानकारी कराने में बहुमूल्य कार्य किया।

(७) प्रशिक्षण एवं प्रसार योजना

(क) पिछड़े क्षेत्र, शैक्षणिक कक्षाओं तथा अतिरिक्त शैक्षणिक कक्षा योजना—१९६०-६१ में प्रशिक्षण एवं प्रसार केन्द्र जिनकी संख्या २४७ से २४३ के बीच रही, ४ इकाइयों के दल में (जिनमें एक इकाई महिलाओं के लिए सुरक्षित थी) कार्य करती रही और राज्य भर में ५६ विभिन्न शिल्पों में निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण देते रहे।

ऐसे सभी खंडों में ३,१५९ प्रशिक्षणार्थी थे जिनमें १,९६८, सामुदायिक विकास खंडों से आये थे। आलोच्य वर्ष में कुल २,३३८ व्यक्ति प्रशिक्षित किये गये जिनमें से ८६ प्रतिशत रोजगार में लग गये। प्रशिक्षण के दौरान में ९.८७ लाख रुपये कीमत के सामान का उत्पादन हुआ और ९.०३ लाख रुपये मूल्य के सामनों की बिक्री हुई। भूतपूर्व प्रशिक्षणार्थियों और कारीगरों की ७५ सहकारी समितियों का गठन किया गया।

अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत ५८० कारीगर नई तकनीक और डिजाइनें बनाने में प्रशिक्षित किये गये। पूरा पाठ्यक्रम सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक तथा आदर्श अभ्यासों के रूप में तोड़ लिया गया था। सामुदायिक विकास क्षेत्रों के ग्रामीण कारीगरों के अल्पकालिक प्रशिक्षण की एक योजना भी परिचालित की गयी। प्रशिक्षणार्थियों के उद्योग के लिए मुख्यालय में १,५७,४०० रुपये मूल्य का कच्चा माल खरीदा गया।

प्रत्येक कमिश्नरी में २ प्रशिक्षण दलों की स्थापना का कार्यक्रम जारी रखा गया। कोनी (विलासपुर), औंध (बम्बई) तथा नयी दिल्ली के केन्द्रीय संस्थानों में ९ भूतपूर्व प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रस्तुत वर्ष ३६ प्रशिक्षकों को पुनर्प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान में भेजा गया। ४४ चुने हुए स्थानों पर केन्द्रित मरम्मत की सुविधा प्रदान की गयी। इसके अतिरिक्त अपरेन्टिसशिप के पश्चात ६ मास के प्रशिक्षण की एक योजना भी सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी। प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार में लगाने में सहायता के लिए वित्तपोषित दरों पर सुधरे उपकरणों की व्यवस्था का कार्य हाथ में लिया गया और उसे अल्पकालिक प्रशिक्षण के साथ संलग्न कर दिया गया।

(ख) सामान्य औद्योगिक प्रसार—नीचे की सतहों से नियोजन के सिद्धान्त आरम्भ किये गये। भूतपूर्व प्रशिक्षणार्थियों की औद्योगिक सहकारी समितियां तथा अन्य लोगों की व्यवस्था संबंधी तथा तकनीकी सहयोग देने के लिए सरकार ने एक योजना स्वीकृत की। 'भारत दर्शन' की सी औद्योगिक यात्राओं के कार्यक्रम चलाये गये और भूतपूर्व प्रशिक्षार्थियों तथा कारीगरों का एक दल फरवरी, १९६१ में बाहर भेजा गया। सामुदायिक विकास क्षेत्रों के लिए एक ऐसा विस्तृत प्लान बनाया गया, जिसमें आदर्श योजनाएं थीं। इसी प्रकार सामान्य प्रसार कार्यों पर एक पुस्तिका भी क्षेत्र अधिकारियों के उपयोगार्थ तैयार करायी गयी।

प्रशिक्षणार्थियों, भूतपूर्व प्रशिक्षणार्थियों तथा कर्मचारियों में स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करने के अभिप्राय से प्रोत्साहन पुरस्कारों का एक संशुद्ध तरीका आरम्भ किया गया। अधिकारियों के एक दल को पंजाब राज्य में औद्योगिक प्रसार कार्य के तुलनात्मक अध्ययन के लिए भेजा गया।

कुछ अन्य योजनाओं के अन्तर्गत कार्यों का विवरण भी आगे दिया जा रहा है जो प्रसार कार्य-क्रम के अन्तर्गत कार्यरत थीं।

राजकीय खिलौना विकास केन्द्र, बरेली——इस योजना के अन्तर्गत ११ व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया । यहां २,६८६.५५ रुपये मूल्य के सामान तैयार किये गये और १९६०–६१ वर्षावधि में १,६५३.१७ रुपये मूल्य के सामानों की बिक्री हुई ।

राजकीय सिलाई केन्द्र, डालीगंज, लखनऊ——प्रशिक्षण के लिए कुल ११३ व्यक्ति भर्ती थे जिनमें प्रस्तुत वर्ष ५० व्यक्तियों का प्रशिक्षण पूरा हुआ । यहां ६,९४४.२६ रुपये मूल्य के सामान तैयार हुए और १०,६४१.१० रुपये मूल्य के सामानों की बिक्री हुई ।

राजकीय खेलकूद सामान निर्माण केन्द्र, नैनीताल——आलोच्य वर्ष में इस केन्द्र में ८ व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे । इस केन्द्र में इस अवधि में १८१३.३७ रुपये मूल्य के सामानों का उत्पादन हुआ और १४२३.४४ रुपये मूल्य के सामान बिके ।

(८) औद्योगिक, अग्रगामी परियोजना, देवबन्द——देवबन्द औद्योगिक अग्रगामी परियोजना का कार्य उसके १६ केन्द्रों सहित संतोषजनक ढंग से चल रहा था । वहां २८३ प्रशिक्षणार्थी विभिन्न शिल्पों एवं धंधों, जैसे लुहारगिरी, फलसंरक्षण, कांच की गुरिया, गंजी, बनियाइन तथा मोजे, साबुन, सिलाई, बढ़ईगिरी, खिलौने तथा गुड़िया बनाना, कपड़े की छपाई, चमड़े के जूते बनाने आदि का प्रशिक्षण पा रहे थे । प्रस्तुत वर्ष ७१,२५५ रु० के मूल्य के सामान तैयार हुए और ६८० व्यक्तियों को रोजगार मिला । प्रशिक्षणार्थियों में अधिकांश धंधे में स्वतंत्र रूप से ले लिए गये । शेष लोगों को निजी वर्कशापों में नौकरी मिल गयी । नागल की बहुद्देशीय इकाई जिसके लिए नये भवन का निर्माण हुआ था, संतोषजनक ढंग से प्रगति कर रही थी । वेस्टर्न टाइप जूता निर्माण केन्द्र में १३ प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण ले रहे थे और इसमें १३,४७० रुपये मूल्य का सामान तैयार हुआ और १०,४०४ रुपये मूल्य के सामान बिके । ६३० व्यक्तियों को अम्बर चर्खा पर कताई का प्रशिक्षण दिया गया । इस क्रम में उनमें से प्रत्येक को लगभग २ रुपया प्रतिदिन की आय थी । तेल पेरने, फाइबर उद्योग, आटा चक्की, गुड़ एवं खांडसारी, हाथ से बना कागज, बर्तन आदि जैसे कुटीर उद्योगों की इस अवधि में अच्छी प्रगति हुई ।

६ हथकर्घा सहकारी समितियां, जिनकी सदस्य संख्या ४७३ और हिस्से की पूंजी की रकम ६,२७१ रुपया थी, संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही थीं । इन समितियों ने इस अवधि में १२,०४,४२३ रुपये मूल्य के ७,२३,५६६ गज कपड़े बुने और १२,६४,२४० रुपये मूल्य के ७,२०,३२८ गज कपड़ों की बिक्री हुई । इसके अतिरिक्त २४ वस्त्रोतर समितियां जिनकी सदस्य संख्या ५३७, हिस्से की पूंजी १६,६७६ रुपये तथा कारोबारी पूंजी ६०,०३२ रुपये थी, प्रस्तुत वर्ष कार्य करती रहीं ।

आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने के अभिप्राय से ४६ पार्टियों को ५०,००० रुपये के ऋण तथा १६ व्यक्तियों को ५,००० रुपये के अनुदान दिये गये ।

(९) अग्रगामी वर्कशाप योजना

प्रस्तुत वर्ष पांचों अग्रगामी वर्कशाप केन्द्रों में संतोषजनक प्रगति रही । उनमें मोटर मैकेनिक, बिजली टर्निंग, मशीनमैन, फिटिंग, बढ़ईगिरी, नक्काशी, मोल्डिंग तथा लुहारगिरी के कामों जैसे विभिन्न धंधों में प्रशिक्षण दिया गया ।

(१०) चमड़े की अग्रगामी परियोजनाएं——

चमड़े (जूते, चप्पल) की अग्रगामी परियोजना के अन्तर्गत चल रहे आगरा के केन्द्र में, सभी आवश्यक मशीनें तथा कलें, जो जूते बनाने के कार्य में, प्रशिक्षण के इच्छुक व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त थीं, मौजूद थीं । कुटीर कारीगर को इस केन्द्र द्वारा क्रय-विक्रय की सुविधा दी गयी और तकनीकी परामर्श भी दिया गया । आलोच्य वर्ष में १६८ उत्पादकों की सहायता की

गयी। इसके अतिरिक्त कुटीर कारीगरों को लागत मूल्य पर कच्चा माल तथा स्टैण्डर्ड सामान देने का प्रबन्ध भी किया गया। अच्छे स्टैण्डर्ड सांचे भी जूते के निर्माण के लिए प्रचलित किये गये और लगभग ६०,००० जोड़े लकड़ी के सांचे भी इस धंधे में लगे लोगों को दिये गये। ६४३ कुटीर एवं लघु उद्योगों के निर्माताओं को सामान की सुविधाएं भी प्रदान की गयीं। वर्ष के अन्त में १० प्रशिक्षणार्थी जूते बनाने के आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण ले रहे थे। आलोच्य वर्ष के अन्त तक कुल १७० व्यक्तियों को प्रशिक्षण मिल चुका था। मरम्मत शुल्क के रूप में अर्जित २६,१६८ रुपये सरकारी खजाने में जमा किये गये।

चमड़े की अग्रगामी परियोजना, बस्ती—यह योजना १६५६–६० में आगरा जूता निर्माण परियोजना के ढंग पर प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र की स्थापना के उद्देश्य से आरम्भ की गयी थी। इस परियोजना में छोटी मशीनों की सहायता से जूता बनाने के कार्य में प्रति वर्ष २० व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था थी।

(११) कांच की गुड़ियों के निर्माण का प्रशिक्षण केन्द्र

वाराणसी तथा पुर्दिलपुर (अलीगढ़) में स्थित दो राजकीय कांच की गुड़िया के निर्माण के प्रशिक्षण केन्द्रों में कांच की सजावट के काम की छोटी गुरियां, नेकलेस तथा कांच के खिलौने के निर्माण का प्रशिक्षण दिया जाता रहा। इन संस्थाओं में प्रस्तुत वर्ष १४ विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया।

(१२) मिट्टी के बर्तन की निर्माण योजनाएं

(क) राजकीय मिट्टी बर्तन विकास केन्द्र, खुर्जा—जिला बुलन्दशहर में खुर्जा में १६४२ में स्थापित राजकीय मिट्टी बर्तन विकास केन्द्र की संतोषजनक प्रगति होती रही। इस केन्द्र स १०० बर्तन बनाने वाले संलग्न थे। उन्होंने आलोच्य वर्ष में बर्तन, क्राकरी, फूलदान, इनसुलेटर आदि के निर्माण के लिए २.२३ लाख रुपये मूल्य का कच्चा माल खरीदा। इसी अवधि में ३० प्रशिक्षणार्थियों को बर्तन निर्माण का प्रशिक्षण दिया गया।

(ख) मिट्टी बर्तन केन्द्र, चुनार—चुनार (जिला मिर्जापुर) के मिट्टी बर्तन केन्द्र का कार्य भी संतोषजनक रहा। चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने वाले ६ परिवारों ने बर्तन तथा पोर्सिलेन के खिलौने बनाने के लिए १५,००० रुपये मूल्य का कच्चा माल खरीदा। इस केन्द्र के भवन-निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया और भवन-निर्माण का कार्य आरम्भ कर दिया गया था। १० फुट व्यास की दो भट्ठियां और एक चिमनी का निर्माण पूरा हो गया था। अतिरिक्त संरक्षण मशीनें जिनका मूल्य २८,००० रुपया था आलोच्य वर्ष प्राप्त हुईं।

(१३) अग्रगामी सैण्ड वाशिंग एवं सर्विस लेबोरेटरी

शंकरगढ़ (इलाहाबाद) के राजकीय अग्रगामी सैण्ड वाशिंग प्लान्ट एवं सर्विस लेबोरेटरी में आलोच्य वर्ष में सिलिका बालू के १०२ सैम्पुलों का विश्लेषण किया। सैण्ड वाशिंग प्लान्ट में कई सैम्पुल के ५,८६० मीट्रिक टन बालू की धुलायी की गयी।

(१४) कांच के सामान के निर्माण का प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र

फिरोजाबाद (आगरा) के राजकीय गैस प्लान्ट-कम-साइन्टिफिक टेबल ब्लोइंग ट्रेनिंग कम-प्रोडक्शन सेन्टर में आरम्भ में ६० व्यक्तियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध की गयीं। १५ चूड़ी बनाने वालों तथा अन्य कामगरों ने केन्द्र में अपना नाम लिखाया और उपलब्ध सुविधाओं से लाभ उठा रहे थे। गैस प्लान्ट के साथ संलग्न वैज्ञानिक कांच सामान निर्माण, प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र, में टेस्ट ट्यूब, पिपेट आदि जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण का प्रशिक्षण दिया जाता था। आलोच्य वर्ष में इस केन्द्र में ५ प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षित किये गये।

(१५) खनिज-पदार्थों के परिक्षणार्थ अग्रगामी कार्य

कानपुर टेक्नालाजिस्ट लेबोरेटरीज़ में खनिज पदार्थों के परीक्षण के लिए अग्रगामी यंत्र योजना १९६०–६१ में कार्यान्वित की गयी जिससे उत्तर प्रदेश भूतत्तव एवं खदान निदेशालय द्वारा खोज में प्राप्त खनिज पदार्थों का परीक्षण किया जा सके और उनके उपयोग का पता लगाया जा सके । १,५०० रुपये मूल्य के रासायनिक पदार्थ तथा आवश्यक उपकरण और ६,८२० रु० मूल्य की बिजली द्वारा चालित भट्टी आलोच्य वर्ष में खरीदे गयी ।

(१६) कटलरी योजना

३१ मार्च, १९६१ में मेरठ और हाथरस में परिचालित कटलरी योजना के १० वर्ष पूरे हुए । इसमें स्थानीय तथा बाहर की बड़ी-छोटी इंजीनियरिंग इकाइयों की मरम्मत आदि की सुविधा प्राप्त थी और हाथरस के केन्द्र ने हाथरस के छुरी निर्मातात्रों की भी सहायता की ।

कैंचियों, अस्तुरे, लेखन सामग्री तथा फल तराशने के चाकुओं तथा अन्य संबद्ध वस्तुओं का भी निर्माण कराया गया और उन्हें राज्य सरकार तथा अन्य सरकारी विभागों के आर्डर के अनुसार सप्लाई किया गया । प्रस्तुत वर्ष दफ्तर तथा कारखाने की इमारत का निर्माण पूरा हुआ । इस वर्ष २४,३१३.६९ रुपये मूल्य के सामान बनाये गये और २१,७६१.५६ रुपये मूल्य के सामनों की बिक्री हुई ।

(१७) लोहेतर धातु योजना

मुरादाबाद के प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र में ढलाई, टर्निंग, शेपिंग, खुदाई, पक्की कलई कार्य आदि का प्रशिक्षण ३२ प्रशिक्षणार्थी ले रहे थे । प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति भी दी जाती थी । आलोच्य वर्ष में २२ प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षित किये गये । इस केन्द्र द्वारा ०.३३ लाख रुपये मूल्य के सामान तैयार किये गये जिनमें से अधिकांश के लिए पहले से आर्डर प्राप्त हुए थे ।

(१८) ऋण एवं अनुदान योजना

ऋण एवं अनुदान योजना के अन्तर्गत तीन विभिन्न माध्यम द्वारा ऋण दिये जाते रहे । परियोजनाओं के लिए १०,००० रुपयों से कम रकम के ऋण की स्वीकृति जिला उद्योग समिति देती थी । १५,००० रुपया तक की रकम के ऋण की स्वीकृति पर राज्य ऋण एवं अनुदान समिति विचार करती थी और १५,००० रुपयों से अधिक लेकिन १,००,००० रुपये तक के ऋण के मामलों पर उत्तर प्रदेशीय वित्त निगम विचार करता था । पूर्वी, पहाड़ी तथा बुन्देलखंड जिलों के पिछड़े क्षेत्रों को पिछड़े क्षेत्रों के विकास की विशेष योजना के अन्तर्गत भी ऋण दिये गये । प्रस्तुत वर्ष क्रम से ५१,७०,२०० रुपये तथा १,१६,९८० रुपये ऋण तथा अनुदान के रूप में वितरित किये गये । पिछड़े क्षेत्रों की विशेष योजना के अन्तर्गत प्रस्तुत वर्ष २१,६४,००० रुपयों के ऋण दिये गये । इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश वित्त निगम के पास २५ लाख रुपये रख दिये गये थे ।

(१९) गुणचिह्नांकन योजना

प्रस्तुत वर्ष गुण चिन्हांकन योजना के अन्तर्गत ३ नये गुण चिन्हांकन केन्द्र चिकन (लखनऊ), धातु के कलात्मक सामान (मुरादाबाद) तथा दरी (आगरा) के लिए खोले गए । इसके अतिरिक्त १९ निरीक्षण डिपो पहले से कार्य कर रहे थे । स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना को प्रश्रय देने के अभिप्राय से विभिन्न सामानों के उन निर्माताओं को जिनके सामान वर्ष में सबसे अच्छे होते थे, तमगे तथा प्रमाण-पत्र दिये गये । इस योजना के अन्तर्गत चल रहे २२ निरीक्षा डिपो संतोषजनक ढंग से कार्य करते रहे । इस अवधि में कुल १,६०,३१,९४६.७७ रुपये मूल्य के सामानों पर गुणचिह्नांकन किया गया ।

(२०) आदर्श तार की जाली का उद्योग, वाराणसी

वाराणसी में आदर्श तार की जाली के उद्योग के लिए उपयुक्त भूमि का अधिग्रहण किया गया और भवनों के निर्माण के लिए विभाग द्वारा अनुमान तैयार किये गये ।

(२१) गवर्नमेंट यू० पी० हैन्डीक्रैफ्ट्स

गवर्नमेंट यू० पी० हैन्डीक्रैफ्ट्स द्वारा दस्तकारी के सामानों की देश तथा विदेश में बिक्री की सुविधा दी जाती रही । १९६०-६१ में इस पूरे संगठन द्वारा १३, ३१,६४६ रुपया मूल्य के सामानों की बिक्री हुई । १०० डिजाइनों के निर्धारित लक्ष्य के स्थान पर १५० नयी डिजाइनें निकाली गयीं । इसके अतिरिक्त ५५,००० रुपया मूल्य के सामानों का निर्यात किया गया ।

गवर्नमेन्ट यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स ने वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, झांसी तथा अलीगढ़ में आयोजित प्रदर्शनियों में भाग लिया । १९६० में ५ से १२ दिसम्बर तक इस संगठन के सभी प्रदर्शन कक्षों में छठा अखिल भारतीय हैन्डीक्रैफ्ट्स सप्ताह मनाया गया । अमौसी, सारनाथ तथा मंसूरी के प्रदर्शन कक्षों में आलोच्य वर्ष २५,३५५.३४ रुपये मूल्य के सामान बिके ।

(२२) सुगंधित तेल योजना

सुगंधित तेल योजना के अन्तर्गत गाजीपुर, सिकन्दरपुर (बलिया) तथा सिकन्दराराव (अलीगढ़) में तीन केन्द्र कार्य कर रहे थे । सुधरे भभको तथा अन्य संबद्ध उपकरणों की कार्य-विध का स्थानीय गंधियों, विद्यार्थियों तथा दिलचस्पी रखने वाले अन्य व्यक्तियों के समक्ष प्रदर्शन किया गया । सुगंधित तेलों तथा अन्य संबंद्ध उत्पादनों के निर्माण की तकनीक एवं अन्य विवरणों का इन तीनों केन्द्रों में विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया । सिकन्दराराव, सिकन्दरपुर तथा गाजीपुर केन्द्रों में क्रम से २,३, तथा ४ अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए भर्ती किया गया । दो प्रशिक्षणार्थियों को २५ रुपया प्रति मास की छात्रवृत्ति दी गयी ।

(३) रेशम तथा अंडी कीट पालन

(१) रेशम के कीट पालने की योजना--रेशम के कीड़े पालने की योजना के अन्तर्गत राज्य के छः जिलों--देहरादून, सहारनपुर, पौड़ीगढ़वाल, नैनीताल, इटावा और गोरखपुर--में कार्य किया गया । वर्ष के उत्तरार्ध में टेहरी गढ़वाल तथा अल्मोड़ा जिले भी इस योजना के अन्तर्गत ले लिये गये ।

इस अवधि में ६०,५८० पौण्ड ककून का उत्पादन हुआ और १,६७ ६६६ रोग मुक्त अंडे थे । राज्य के विभिन्न रेशमकीट पालन केन्द्रों में ६१ ग्रामीण बालकों को इस उद्योग के विभिन्न तकनीकों का २ मास का प्रशिक्षण दिया गया । ८ सदस्यों को उच्च प्रशिक्षण के लिए मैसूर अखिल भारतीय रेशमकीट पालन प्रशिक्षण संस्थान में भेजा गया । राज्य में १४ और प्रारम्भिक कीट पालन सहकारी समितियों का पंजीकरण किया गया जिनको लेकर कुल २२ पंजीकृत सहकारी समितियां हो गयीं । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय समिति या संघ भी था । रेशम कीटों की जातियों में सुधार करने, रेशम कीट के पालने के तरीकों तथा शहतूत के काश्त के संबंध में अनुसंधान कार्य केन्द्रीय रेशम, फार्म प्रेमनगर में जारी रखा गया ।

(२) अंडी रेशम कीट पालन योजना--अंडी रेशम कीट पालन योजना के, जो १९५५-५६ में सुआर (रामपुर) और तमकुही (देवरिया) में आरम्भ की गयी थी, कार्यक्रम में इन जिलों के और बहुत से गांवों को भी सम्मिलित कर लिया गया और ८२५ कीट पालक परिवार उसमें भाग ले रहे थे । कुल मिला कर इस वर्ष ३,१८६ पौण्ड ककून का उत्पादन हुआ । १० व्यक्तियों को अंडे के काश्त करने, रेशम कीट पालन तथा कताई का तीन महीने का प्रशिक्षण दिया गया । आसाम के तीलाबार स्थान में स्थित रेशम कीट पालन संस्थान में उच्च प्रशिक्षण के लिए २ कर्मचारियों को भेजा गया ।

अंडी सिल्क की सूत कताई का काम पारिश्रमिक के आधार पर लिया गया और इस प्रकार १८० पौंड सूत काता गया। सूत को वस्त्र के रूप में बदलने के प्रयास पर जोर दिया गया और आलोच्य वर्ष में ११७.८३ मीटर कपड़ा तैयार हुआ।

(४) दस्तकारी की योजनाएं

(१) केन्द्रीय डिजाइन केन्द्र, लखनऊ---लखनऊ के केन्द्रीय डिजाइन केन्द्र में २० अप्रेन्टिसों को प्रशिक्षण देने का कार्य जारी रहा और यहां ९९३ नयी डिजाइनें निकाली गयीं। फरवरी, १९६१ में लखनऊ में नयी डिजाइनों की एक प्रदर्शनी आयोजित की गयी जिसमें बड़ी संख्या में दर्शक और कारीगर आये।

(२) हस्तशिल्प संग्रहालय लखनऊ---विभिन्न दस्तकारियों के अपने दुष्प्राप्य संग्रहों सहित लखनऊ का हस्तशिल्प संग्रहालय कारीगरों तथा दर्शकों के लिए पर्याप्त शैक्षिक महत्व का बना रहा। देश के विभिन्न भागों तथा विदेशों से महत्वपूर्ण व्यक्ति इस संग्रहालय में आये।

सचल गाड़ियों द्वारा दस्तकारियों तथा हथकरघा से बने कपड़ों आदि का विस्तृत प्रचार होता रहा। १२ शिल्पकारों को सरकारी खर्चे से भारत के विभिन्न हस्तशिल्प केन्द्रों को देखने के लिए भेजा गया। इसके अतिरिक्त आलोच्य वर्ष में २० दस्तकारी सहकारी समितियों को ऋण तथा अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता दी गयी।

चिकन कढ़ाई की योजना संतोषजनक रूप से चलती रही और प्रस्तुत वर्ष १०० नयी डिजाइनें निकाली गयीं। ९४,९३८ रुपये पारिश्रमिक के रूप में बांटे गये। प्रस्तुत वर्ष २,७३,२७७ रुपये मूल्य का सामान तैयार हुआ और २,४४,९०७ रुपये मूल्य के सामान की बिक्री हुई।

मिर्जापुर तथा भदोही ऊनी कालीन के विकास की योजना द्वारा स्थानीय कालीन उद्योग को सहायता मिलती रही। ७ कालीन सहकारी समितियां जिनकी सदस्य संख्या ५५१ थी, शीर्ष समिति के साथ संबद्ध कर दी गयीं। रंगाई गृहों की स्थापना के लिए सहकारी समितियों को ३०,००० रुपये ऋण के रूप में दिये गये। इसके अतिरिक्त आलोच्य वर्ष में १,४१,८२७ रुपये अनुदान के रूप में वितरित किये गये।

(३) सींग उद्योग, संभल--संभल (मुरादाबाद) स्थित सींग उद्योग केन्द्र, सामान्य सुविधा केन्द्र के रूप में कार्य कर रहा था। इस केन्द्र में आलोच्य वर्ष ४,१०९·३२ रुपये मूल्य का सामान तैयार हुआ और ३,९५३.२८ रुपये मूल्य के सामान बिके।

(४) लैकर (पीतल पर सुनहरी वार्निश) उद्योग, अमरोहा---अमरोहा (मुरादाबाद) स्थित लैकर उद्योग को एक सामान्य सुविधा केन्द्र के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। इस वर्ष इस केन्द्र में ३,२२४.२४ रुपये मूल्य के सामान तैयार किये गये और २,८९६.७८ रुपये मूल्य के सामानों की बिक्री हुई।

(५) तारकशी उद्योग, मैनपुरी---तारकशी उद्योग के संबंध में ५ प्रशिक्षणार्थीयों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था और १५ अभ्यर्थियों ने प्रशिक्षण समाप्त कर लिया था। प्रस्तुत वर्ष प्रशिक्षार्थियों ने ९८३.६६ रुपये मूल्य का सामान तैयार किया और इस अवधि में ३६३.५२ रुपये मूल्य के सामान बिके।

(६) बेंत और बांस उद्योग, बहराइच---बहराइच स्थित बेंत और बांस उद्योग में, जिसे एक सामान्य सुविधा केन्द्र के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था, १,६१०·९८ रुपये मूल्य के सामान तैयार किये गये और १,७१०.२३ रुपये मूल्य के सामान की बिक्री हुई।

(७) बेंत और बांस उद्योग, गोरखपुर---गोरखपुर के बेंत और बांस उद्योग पर विशेष ध्यान दिया जाता रहा। वहां १६ प्रशिक्षणार्थियों ने प्रस्तुत वर्ष प्रशिक्षण पूरा किया और ११ प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण ले रहे थे।

(८) वाराणसी के लकड़ी के खिलौने उद्योग का विकास---वाराणसी का लकड़ी का खिलौना उद्योग केन्द्र सामान्य सुविधा केन्द्र के रूप में कार्य करता रहा।

(९) वाराणसी के हाथीदांत उद्योग का विकास---वाराणसी में हाथीदांत उद्योग के विकास के संबंध में ५ व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था। १२ प्रशिक्षणार्थियों ने अपना प्रशिक्षण समाप्त कर लिया था। आलोच्य वर्ष में २,९८६.७२ रुपये मूल्य के सामानों का उत्पादन हुआ और २,७१८.६७ रुपये मूल्य के सामानों की बिक्री हुई।

(१०) खुर्जा का पारंपरिक चीनी-मिट्टी बर्तन उद्योग---खुर्जा स्थित पारंपरिक चीनी-मिट्टी बर्तन केन्द्र में ६ प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण समाप्त किया और वर्ष के अन्त में ६ प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण ले रहे थे।

(११) सूती वस्त्रों की छपाई तथा रंगाई, देवबन्द---देवबंद में कलात्मक १० प्रशिक्षणार्थी सूती वस्त्रों की छपाई तथा रंगाई का प्रशिक्षण लेते रहे। इसके अतिरिक्त आलोच्य वर्ष में ९३ प्रशिक्षणार्थियों ने अपना प्रशिक्षण पूरा किया। प्रस्तुत वर्ष में ५,८७२.८४ रुपया मूल्य के सामान उत्पादित किये गये और ४,६०७.४८ रुपया के सामानों की बिक्री हुई।

(१३) कलात्मक दरियों की बुनाई, देववन्द---देवबन्द में कलात्मक सूती दरियों की बुनाई का प्रशिक्षण ५ प्रशिक्षणार्थियों को दिया जाता रहा। १२ प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया था। आलोच्य वर्ष में ११,३६५.९६ रुपया का सामान उत्पादित किया गया और ३,५८५.४२ रुपया मूल्य के सामान की बिक्री हुई।

(१२) गुड़िया तथा लकड़ी के खिलौने, देववन्द---गुड़ियों तथा लकड़ी के खिलौने की योजना के अन्तर्गत देवबन्द में १७ व्यक्ति, आलोच्य वर्ष के अन्त में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। प्रस्तुत वर्ष २२ प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण समाप्त किया। ३,६९४.७४ रुपया मूल्य का सामान का उत्पादन किया गया और ३,५०७.६७ रुपया मूल्य की बिक्री हुई।

(१४) आवनूस उद्योग, नगीना---नगीना के आबनूस उद्योग में आलोच्य वर्ष के अन्त में सात व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था। ९ प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया था। इस वर्ष १,९९४.६९ रुपये मूल्य के सामान तैयार हुए और २१२.४६ रुपये के सामान बिके।

(५) ग्रामोद्योग योजनाएं

(१) पारंपरिक खादी विकास योजना---पारंपरिक खादी विकास योजना के अन्तर्गत कार्य प्रायः राज्य के पूर्वी भाग में स्थित २३ जिलों तक ही सीमित रहे। कुल ५२ कताई केन्द्र तथा ८ खादी बुनाई कक्षाएं कार्य कर रही थीं।

आलोच्य वर्ष में ८,००० कतुओं के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध ९,४९२ कतुओं को धुनाई तथा कताई का प्रशिक्षण दिया गया। इसी प्रकार ८० बुनकरों के प्रशिक्षण के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध ४३ बुनकर प्रशिक्षित किये जा चुके थे और ६५ प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण पा रहे थे। प्रस्तुत वर्ष ४१२९ मन सूत तैयार किया गया। इस अवधि में ४,५०,३५० रुपये सहायता अनुदान के रूप में वितरित किये गये।

(२) अम्बर चर्खा योजना---अम्बर चर्खा योजना के अन्तर्गत गोंडा, इलाहाबाद, आजमगढ़, देवरिया, बलिया, तथा सीतापुर के ६ प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्रों में एक साथ ही

प्रशिक्षण और उत्पादन आरम्भ किया गया। इन केन्द्रों पर १,८१४ कतुओं तथा १५५ बुनकरों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया और ५,१६,००० रुपये मूल्य के कुल ३,२६,४१७ गज कपड़े बुने गये।

(३) पर्वतीय ऊन योजना——आलोच्य वर्ष में उत्तराखंड कमिश्नरी में पर्वतीय ऊन योजना के अन्तर्गत ८ प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र, ७ बुनाई एवं रंगाई केन्द्र तथा १०० कताई केन्द्र कार्य कर रहे थे। २०० बुनकर वर्ष के अन्त में प्रशिक्षण ले रहे थे। जिन लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका था उनमें ३१,५३३ कतुए तथा १४५ बुनकर थे। ४,४१,४५६.५८ रुपये मूल्य का कपड़ा तैयार हुआ तथा ३,४८,३६६.६२ रुपये कीमत के वस्त्र बिके। इसके अतिरिक्त ३६२ डिजाइनें निकाली गयी। खादी परिषद् तथा श्री गांधी आश्रम को क्रमशः ६२,२६८.८४ रुपये तथा ६२,५४३.६८ रुपये मूल्य के ऊनी कपड़े सप्लाई किये गये।

(४) भारत-तिब्बत सीमा क्षेत्र-योजना——पिथौरागढ़, चमोली तथा उत्तरकाशी में सीमा क्षेत्र ऊन योजना परिचालित थी। इसके अन्तर्गत ७ ऊन प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र तथा २८ कताई केन्द्र थे। प्रस्तुत वर्ष में ३,८४३ कतुए तथा ७० बुनकरों को प्रशिक्षण दिया गया। ६० बुनकर प्रशिक्षण पा रहे थे। २,०३,०८७.२५ रुपये मूल्य के ऊनी कपड़े उत्पादित किये गये और १,३१,१६६.४४ रुपये मूल्य के कपड़े बिके। इसके अतिरिक्त २२६ डिजाइन निकाली गयीं और सीमांत क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में ५ जल चर्खे भी लगाये गये।

(५) बैरक कम्बल योजना——बैरक कम्बल योजना के अन्तर्गत नजीबाबाद, मुजफ्फर-नगर तथा मिर्जापुर के कारखानों में जिनमें से प्रत्येक के साथ दस कताई केन्द्र थे, ६१,१६४ कम्बल तैयार हुए। लगभग ६,००० कतुओं, २०० बुनकर परिवारों तथा २०० कुशल, अकुशल कर्मचारियों को आलोच्य वर्ष में पूरे समय का रोजगार मिला।

(६) कुटीर चर्मशोधन——उद्योग विभाग के अन्तर्गत गठित कुटीर चर्मशोधकों की सहकारी समितियों का कार्य संतोषजनक रहा और उन्होंने ३७.६४ लाख रुपये मूल्य के चमड़े का सामान तैयार किया और उसकी बिक्री की। चर्मशोधकों की औसत रोजाना आमदनी ३ रुपये थी, किन्तु सुधरी कार्यविधि के प्रचलन के फलस्वरूप अच्छे किस्म के चमड़े के उत्पादन में सुविधा के कारण कुछ चर्मशोधकों की दैनिक आय ५ रुपये तक हुई।

(७) गुड़ विकास योजना——गुड़-विकास योजना राज्य के ३७ जिलों के ५,२४५ गांवों में कार्यान्वित हो रही थी। इनमें से ७१ गांव उद्योग के आदर्श गांवों के रूप में चुने गये। १५७ गन्ना उत्पादकों को गुड़ तथा खांडसारी के उत्पादन के सुधरे तरीकों का प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण रामपुर, लखनऊ तथा वाराणसी में गठित केन्द्रों में दिया गया। गुड़ तथा खांडसारी सहकारी समितियों को सुधरे उपकरणों, साफ सुथरी भट्ठियों, गुड़ की बिक्री के लिए, रिक्शों की खरीद के लिए १,२२,३०० रुपये ऋण के रूप में तथा २४,७०० रुपये अनुदान के रूप में वितरित किये गये। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत गन्ना उत्पादकों को कोल्हू और कढ़ाव खरीदने के लिए ३.०४ लाख रुपये तकावी ऋण के रूप में वितरित किये गये। राज्य भर में ६४७ कोल्हू और ३८८ कढ़ाव वितरित किये गये।

पूर्वी जिलों के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए एक योजना गुड़-विकास योजना के अन्तर्गत परिचालित की गयी तथा १,११६ कोल्हू और १५५ कढ़ाव ४.७३ लाख रुपये लागत के पूर्वी जिलों में वितरित किये गये। इसके अतिरिक्त ५,०३५ भट्ठियों का निर्माण किया गया और ५,८१,६६७ मन उन्नत गुड़ और ५०,६१३ मन खांडसारी शक्कर का उत्पादन किया गया। विभाग ने २३ गुड़ और खांडसारी सहकारी समितियों का गठन किया गया, २,२८७ सदस्य बनाये और हिस्से की पूंजी के रूप में ७५,५३३.८७ रुपये एकत्र किये। कुल मिला कर ८०,८०३ मन उन्नत गुड़ और ११,०२० मन खांडसारी शक्कर सहकारी समितियों तथा उनके सदस्यों द्वारा उत्पादित की गयी।

(८) ताड़ गुड़ योजना—ताड़ गुड़ उत्पादन राज्य के १५ जिलों में स्थित ६४ केन्द्रों में किया गया। इन केन्द्रों में उत्पादन का विवरण तथा उत्पादित गुड़ के मूल्य का विवरण नीचे दिया जा रहा है —

			मूल्य रुपया
(१) नीरा ८,६८,००० गैलन	..	..	१,२८,६४५
(२) ताड़-गुड़ ५,१३८ मन	..	..	१,०३,७६०
(३) शक्कर १६३ मन ..	..	..	६,६३०
(४) ताड़-गुड़ की भेली ६ मन	..	..	४८०
(५) ताड़-गुड़ की मिठाइयां १,२२५ पौण्ड		..	२,१७४
(६) ताड़ की पत्ती तथा रेशे के सामान		..	२१,४२,७·५०

(९) ताड़-गुड़ सहकारी समितियां—२ ताड़ गुड़ सहकारी समितियों का गठन हुआ जिनको लेकर ऐसी समितियों की संख्या २२ हो गयी। उत्तर प्रदेश राज्य ताड़-गुड़ सहकारी संघ लिमिटेड, कानपुर सभी ताड-गुड़ समितियों की शीर्ष संख्या के रूप में कार्य करता रहा। विभिन्न केन्द्रों में २०० प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त १७ प्रशिक्षणार्थी पुनर्प्रशिक्षण के लिए दहानू भेजे गये।

(१०) हाथ के बने कागज का केन्द्र, कालपी—हाथ से बने कागज की योजना संतोषजनक प्रगति करती रही और उसे सरकार तथा खादी एवं ग्रामोउद्योग आयोग से सहायता मिलती रही। कालपी के हाथ से बने कागज के केन्द्र में स्थानीय रूप से प्रशिक्षण दिया जा रहा था। केन्द्र से ४ स्नातक हाथ से बने कागज के निर्माण के उच्च प्रशिक्षण के लिए पूना भेजे गये। २.१० लाख रु० मूल्य की लुगदी का उत्पादन हुआ। इस उद्योग का क्रमिक प्रसार कालपी से कड़ा (इलाहाबाद), गरम पानी (नैनीताल), कालपी (देहरादून), पोखरायां (कानपुर), रामपुर तथा लखनऊ में हो गया।

(११) बुनियादी ग्रामोद्योग—निम्नलिखित ग्रामोद्योग को सहकारी समितियों, पंजीकृत संस्थाओं तथा पब्लिक ट्रस्टों द्वारा सहायता प्राप्त हुई :—

(१) ग्रामीण तेल
(२) धान की हाथ से कुटाई तथा आटा चक्की
(३) साबुन निर्माण तथा अखाद्य तैल
(४) ग्रामीण मिट्टी के बर्तन
(५) ग्रामीण चमड़ा
(६) हाथ का बना कागज
(७) गुड़ और खांडसारी
(८) ताड़-गुड़
(९) लोहारगिरी तथा बढ़ईगिरी
(१०) कुटीर दियासलाई
(११) रेशा

आलोच्य वर्ष में विभिन्न खादी एवं ग्रामोद्योगों की २२८ सहकारी समितियां गठित एवं पंजीकृत की गयीं जिनको लेकर ग्रामोद्योग सहकारी समितियों की कुल संख्या १,६३६ हो गयी। इन सहकारी समितियों, पंजीकृत संस्थाओं, तथा पब्लिक ट्रस्टों को, जो राज्य में ग्रामोद्योग के विकास कार्य में लगे हुए थे, ऋण तथा अनुदान के रूप में देने के लिए क्रम से ८,४०,४८७.५० रुपये तथा ५,३७,२५७.८६ रुपये निर्धारित किये गये थे।

इस वर्ष की महत्वपूर्ण घटना उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद् की स्थापना की थी, जिसने १५ नवम्बर, १९६० में मुख्य मंत्री द्वारा विधिवत् उद्घाटन के पश्चात् कार्य करना आरम्भ कर दिया।

(१२) औद्योगिक सहकारी योजनाएं—आलोच्य वर्ष में ३४५ औद्योगिक सहकारी समितियां गठित एवं पंजीकृत की गयीं जिनको लेकर कुल औद्योगिक सहकारी समितियों की संख्या ३,३६३ हो गयी। विभिन्न अखिल भारतीय परिषदों आदि के अन्तर्गत गठित सहकारी समितियों का विवरण नीचे दिया जा रहा है :—

(१)	अखिल भारतीय हथकरघा परिषद् ..	१,२५६
(२)	अखिल भारतीय ग्राम एवं खादी आयोग ..	१,६३६
(३)	अखिल भारतीय हैण्डीक्राफ्ट बोर्ड ..	१७४
(४)	प्रकीर्ण	३२१
	योग ..	३,३६३

औद्योगिक सहकारी समितियों की कुल संख्या १,५२,१३५ थीं। उनकी चुकता हिस्से की पूंजी ६६.३८ लाख रुपये थी तथा सुरक्षित और अन्य निधियों की रकम ४६.३७ लाख रुपये और कारोबारी पूंजी ४६२.७० लाख रुपये थी।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी बैंक लि० द्वारा प्रस्तुत वर्ष में ४.६८ लाख रुपये वितरित किये गये। इस वर्ष बैंक को २.५६ लाख रुपयों का शुद्ध मुनाफा हुआ। उत्तर प्रदेश औद्योगिक संघ लिमिटेड ने, जो क्रय-विक्रय के शीर्ष संगठन के रूप में कार्य कर रहा था, १६५८–५६ सहकारिता वर्ष की अवधि में ४५.४७ लाख रुपयों के सामान की बिक्री की। इसके अतिरिक्त इटावा की प्रस्तावित बुनाई मिल द्वारा ३० जून, १६६० तक ४०.३६ लाख रुपये चुकता पूंजी के रूप में उगाहा गया।

१६६०–६१ वित्तीय वर्ष की अवधि में वर्कशापों के निर्माण के लिए औद्योगिक सहकारियों को अनुदान के रूप में १ लाख रुपये वितरित किये गये। इसके अतिरिक्त वस्त्रेतर समितियों को सुधरे उपकरणों के लिए अनुदान के रूप में १०,००० रुपये दिये गये।

(६) अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं तथा कार्य

(१) उद्योगों को सहायता—उद्योग विभाग ने लघु उद्योगों की, नियंत्रित वस्तुओं का कोटा नियत कर, सहायता करना जारी रखा।

कोयला

आलोच्य वर्ष में ३०,०४४ वैगन कोयला विभिन्न पार्टियों को एलाट किया गया। इसके अतिरिक्त १,००० वैगन कोयले का चूरा ३३ इकाइयों को निर्माण-कार्यों के लिए ईंट बनाने के हेतु दिया गया।

लोहा और इस्पात

(क) निर्माण सामग्री—३६० लघु उद्योगों की इकाइयों को १,३६४ टन लोहा और इस्पात एलाट किया गया, अतएव जिला उद्योग अधिकारियों द्वारा वितरण हेतु ५०० टन लोहा और इस्पात रखा गया।

(१) ५१७ विस्थापित फैब्रीकेटर्स को २,११० टन लोहा और इस्पात एलाट किया गया।

(२) एस० एस० आई कोटा में से ८५७ लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयों को १५,५७० टन लोहा और इस्पात एलाट किया गया।

आयात

लघु उद्योग इकाइयों को आयात लाइसेन्स स्वीकृत करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की गयी तथा कच्चे माल, मशीनें और पुर्जे आयात करने के हेतु एसेनशियेल्टी प्रमाण-पत्र जारी किये गये ।

अलौह धातुएं

आलोच्य वर्ष में प्रदेश की लघु उद्योग इकाइयों में वितरण हेतु भारत सरकार ने २८,०० टन तांबा, २५० टन तांबे के टुकड़े, १,८०० टन जस्ता, ३२० टन जर्मन सिलवर और ७०० टन पीतल के टुकड़े स्वीकृत किये थे । इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने इन इकाइयों के लिए ५३ टन सीसा भी दिया था ।

विद्युत

आवश्यक जांच-पड़ताल के बाद प्रदेश के उद्योगपतियों की बिजली संबंधी आवश्यकता की सिफारिश राज्य विद्युत् वितरण समितियों से की गयी ।

विविध

कपूर, पारा, नमक, केमिकल्स आदि वस्तुएं लघु उद्योगों में उपयोग के लिए देने के हेतु सिफारिश की गयी ।

ट्रेडमार्क भंग करने के मामले और नकली वस्तुओं की बिक्री

ट्रेडमार्क उल्लंघन तथा नकली माल की बिक्री रोकने की योजना के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष में ११६ मामले पकड़े गये और ५४ मामले मुकदमे चलाने हेतु पुलिस को सुपुर्द किये गये ।

स्टोर्स पर्चेज

उद्योग निदेशालय का स्टोर्स पर्चेज विभाग सभी राजकीय विभागों के स्टोर्स के लिए सामान खरीदने का कार्य करता रहा । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए वस्तुओं की ज्यादातर खरीद आयोजन के पहले तीन वर्षों में कर ली गयी थी, अतएव इस वर्ष खरीद के आंकड़े कुछ कम रहे । आलोच्य वर्ष में ४,२५६ मांग पत्र प्राप्त हुए और ४.५३ करोड़ रुपये की लागत के ठेकों को अन्तिम रूप दिया गया ।

रेट कान्ट्रेक्ट पर की जाने वाली खरीद में १.१५७ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई । आलोच्य वर्ष में ६६ रेट कान्ट्रेक्ट प्रबन्ध चालू रहे जब कि रेट कान्ट्रैक्ट पर रहने वाली वस्तुओं की संख्या ४,००० से अधिक थी ।

स्टोर्स परचेज विभाग ने राज्य विद्युत् बोर्ड के लिए २ लाख रुपये से अधिक की लागत के आयात लाइसेन्स पोलीफेज और सिंगिल फेज विद्युत मीटरों हेतु प्राप्त किये ।

वाणिज्य सूचना

विभाग की वाणिज्य सूचना शाखा उद्योग, व्यापार और वाणिज्य सम्बन्धी आंकड़े और तथ्य एकत्र कर इनसे उत्सुकता रखने वाली पार्टियों को अवगत कराती रही । शाखा के अन्य महत्वपूर्ण कार्य थे औद्योगिक विकास योजनाओं का समन्वय करना, औद्योगिक सर्वेक्षण करना और आंकड़े आदि तैयार करना । अपने उद्योग शुरू करने वालों को हर सम्भव सहायता दी गयी । इस शाखा से एक सन्दर्भ विभाग और एक वाणिज्य संग्रहालय भी सम्बद्ध रहा ।

आलोच्य वर्ष में पूछताछ सम्बन्धी १,५६७ पत्र प्राप्त हुए और उनके उत्तर दिये गये । इन पत्रों में लोगों ने लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना करने, व्यापारिक प्रतिनिधित्व, यातायात की कठिनाइयों, बिक्री कर सम्बन्धी कठिनाइयों, वर्तमान नगर पालिका और टोल करों में संशोधन, स्थानीय और विदेशी फर्मों के झगड़ों का समझौता, स्थानीय फर्मों की वित्तीय स्थिति की जांच और विदेशी आयात से स्थानीय उद्योगों की सुरक्षा के सम्बन्ध में पूछताछ की थी ।

आलोच्य वर्ष में यह शाखा द्वितीय आयोजना के कार्यों को समन्वित करती रही तथा तृतीय पंचवर्षीय आयोजना में शामिल करने के लिए इसने प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया । पिछड़े

क्षेत्रों की योजनाओं के कार्यान्वियन सम्बन्धी कार्य को समन्वित करने की अपनी जिम्मेदारी का भी इसने निर्वाह किया। जिला योजनाएं जिनमें विभिन्न मदों के लिए निर्धारित धनराशियां और भौतिक लक्ष्य दिये गये थे, तैयार की गयीं। औद्योगिक सर्वेक्षण सम्बन्धी कार्यों के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई। वर्ष १९५६ की औद्योगिक दृष्टिकोण रिपोर्ट पूरी की गयी। वर्ष के अन्त तक १४ जिलों की रिपोर्टें छप चुकी थीं। शेष जिलों की रिपोर्टें विभिन्न प्रेसों के मुद्रणाधीन थी। वर्ष १९५८ के लिए ५ या इससे अधिक मजदूरों वाली इकाइयों के सर्वेक्षण का कार्य जारी था। वार्षिक पुस्तिका में शामिल करने हेतु फैक्ट्री अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड इकाइयों की संख्या तथा प्रत्येक के उत्पादन और मजदूरों की संख्या के बारे में पूरी जानकारी जमा की गयी।

केन्द्रीय प्रचार शाखा विज्ञापनों, दृश्य-श्रव्य साधनों, रेडियो, प्रकाशनों आदि के माध्यम से प्रचार कार्य करती रही। शाखा ने विभिन्न प्रदर्शनियों में भी भाग लिया। आलोच्य वर्ष में १३३ डिसप्ले और ३१८ वर्गीकृत विज्ञापन जारी किये गये। हथकरघा, बाराणसी के ब्रोकेड और गुणचिन्हांकन योजना सम्बन्धी ३ छोटी विज्ञापन फिल्में भी बनायी और प्रदर्शित की गयीं। हिन्दी और अंग्रेजी में साप्ताहिक संवादपत्र नियमित रूप से प्रकाशित किया गया।

११—फल उपयोग

फल उपयोग निदेशालय जिसकी स्थापना सन् १९५३ में की गयी थी और जिसका मुख्यालय रानीखेत में रखा गया था आयोच्य वर्ष में योजनानुसार कार्य करता रहा। इस विभाग के मुख्य कार्य थे——

१——कुमाऊं में ४ पर्वतीय जिलों और उत्तराखंड के ३ जिलों में बागवानी विकास, शोध और प्रशिक्षण, पौध सुरक्षा आदि।

२——समस्त प्रदेश में फल-संरक्षण का विकास, फल संरक्षण प्रशिक्षण तथा फल-संरक्षण की समस्याओं पर शोध आदि।

आलोच्य वर्ष में निदेशालय ने बागवानी में उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से किये। यह कार्य ४ राज्य उद्यानों, १८ पौधगृहों, १२६१ एकड़ क्षेत्रफल के २ बागवानी फार्मों, और ४ बागवानी एवं पौध सुरक्षा सचल दलों तथा २ पौध सुरक्षा केन्द्रों के माध्यम से किये गये। राज्य उद्यानों ने जनता को अच्छे पौधे और बीज वितरित किये और उसके लिए एक आदर्श भी प्रस्तुत किया। सचल दलों और सुरक्षा केन्द्रों में भी पौधों और बीजों का वितरण किया। उन्होंने बीमारियों से पौधों के बचाव की कार्यवाही भी की। इन इकाइयों द्वारा आलोच्य वर्ष में किये गये कार्यों का विवरण इस प्रकार है——

१——फलदार पेड़ों का उत्पादन	..	९,३५,१०६	
२——फलदार पेड़ों का वितरण	..	८,२४,४६३	
३——तरकारी के बीजों का वितरण	..	१,४८२	पौंड
४——बीमारियों से पेड़ों की सुरक्षा	..	२,७५,३८६	पेड़
५——बागों का पुनरुद्धार ..	..	८,६६३	एकड़

समशीतोष्ण कटिबन्धीय फलों के उत्पादन, फलों और अन्य फसलों की बीमारियों से रक्षा तथा कुमाऊं के भूमि सम्बन्धी शोध कार्य पर्वतीय फल शोध केन्द्र चौबटिया में जारी रहे।

आलोच्य वर्ष में ६९ उम्मीदवारों को बागवानी में प्रशिक्षित किया गया। भारत-तिब्बत सीमावर्ती क्षेत्र के भोटियों तथा नेपालियों ने भी यह प्रशिक्षण जो कि चौबटिया केन्द्र में दिया गया, ग्रहण किया।

जड़ी-बूटियों का उत्पादन——पर्वतीय क्षेत्रों में मिलने वाली महत्वपूर्ण जड़ी-बूटियों का पूर्ण उपयोग करने की दृष्टि से सरकार ने एक जड़ी-बूटी समिति नियुक्ति की, जिसका उद्देश्य है विभिन्न जड़ी-बूटियों तथा औषधि के रूप में काम आने वाले अन्य पेड़ पौधों की खेती तथा विकास सम्बन्धी योजनाएं तैयार करना और सरकार को इस क्षेत्र में आवश्यक परामर्श देना था। योजना के अन्तर्गत चौबटिया केन्द्र में २५ एकड़ के एक फार्म में जड़ी-बूटियों आदि का उत्पादन आरम्भ किया गया। यह फार्म फल उपयोग

निदेशालय के तत्वावधान में स्थापित किया गया। सीमावर्ती क्षेत्रों के रैयथल, हरसिल, परसादि, बलन्टी, क्वेन्टी और सिरखा स्थित बहुउद्देशीय फार्मों में से प्रत्येक में से दो एकड़ भूमि जड़ी-बूटियों के उत्पादन के लिए सुरक्षित की गयी इस दिशा में उपर्युक्त फार्मों में निम्नलिखित कार्य किये गये—

(१) पौधों की जड़ों, बल्बों और बीजों का उत्पादन और संरक्षण,

(२) बड़े पैमाने पर खेती करने के तरीकों का अध्ययन,

(३) जम्मू और कश्मीर के समान जलवायु में उत्पादन होने वाले पौधों को इस क्षेत्र की जलवायु के अनुकूल बनाना,

(४) उचित पौधों का चुनाव और

(५) सफलतापूर्वक उत्पन्न की गयी जड़ी-बूटियों की राजकीय औषधि विशेषज्ञ द्वारा रानीखेत में परीक्षा।

फल उपयोग निदेशालय ने आलोच्य वर्ष में राजकीय उद्यान चौबटिया, राजकीय उद्यान भरसर और बहुउद्देशीय फार्म बलन्टी में जाफरान की प्रायोगिक खेती भी सफलतापूर्वक की।

बागवानी-उपज का औद्योगीकरण शोध और प्रशिक्षण—निदेशालय की औद्योगीकरण सम्बन्धी योजनाएं फल प्रोसेसिंग फैक्ट्री रामगढ़ (नैनीताल) तथा उसकी डालीगंज (लखनऊ) स्थित शाखा फल संरक्षण फैक्ट्री फूलबाग (नैनीताल) और लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, बरेली. देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, श्रीनगर (पौड़ी गढ़वाल), टेहरी-गढ़वाल, जोशीमठ, चमोली, उत्तरकाशी तथा पिथौरागढ़ स्थित १६ सामुदायिक डिब्बा-बन्दी केंद्रों द्वारा सम्पन्न की गयी। इन इकाइयों की सहायता से उन फलों का जो कि नष्ट हो जाते थे और जिनसे उत्पादकों को कोई लाभ नहीं होता था उनके ४० प्रतिशत भाग का उपयोग किया गया और इससे उत्पादक फल के पदार्थ बनाने वाले तथा उपभोक्ता लाभान्वित हुये। सीजन के बाद कम मूल्य पर उत्पादकों और जनता के लाभार्थ विभिन्न सामुदायिक डिब्बाबन्दी केन्द्रों में फलों और तरकारियों की डिब्बाबन्दी और सुरक्षा की गयी। इन इकाइयों द्वारा आलोच्य वर्ष में ५,८२,५६६ पौंड फलों और तरकारियों की प्रोसेसिंग और डिब्बाबन्दी की गयी।

फल संरक्षण और डिब्बाबन्दी इंस्टीट्यूट, लखनऊ में फल संरक्षण उद्योग की विभिन्न समस्याओं पर खोज की गयी। इस संस्था में जिन समस्याओं पर आलोच्य वर्ष में काम हुआ उनमें से कुछ इस प्रकार हैं—

(१) तरबूज से एक हल्का पेय तैयार करना।

(२) अमरूद की टाफी बनाना।

(३) आंवले का मुरब्बा बनाना।

(४) आम के 'फ्लेक' तैयार करने के उचित तरीके निर्धारित करना।

(५) जोनेथन और बाइनर सेब के रस से शराब (साइडर) बनाना।

(६) आइसक्रीम में प्रयोग के लिए जमा किये आम के गूदे पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन।

(७) मटर के दानों के लिए उचित रंगों का खोज।

(८) सेब, फूलगोभी और आम, अमरूद, पपीता, आदि फलों की डिब्बाबन्दी।

(९) फलों का सिरका बनाना।

(१०) खीरे और ककड़ी के अचार में आने वाले उफान पर नियन्त्रण।

फल संरक्षण और डिब्बाबन्दी के तरीकों में लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए १० सचल कक्षा दलों ने २० दिन के प्रशिक्षण कोर्स आयोजित किये। विभिन्न जिलों में कक्षाएं आयोजित की गयीं और इन दलों ने आलोच्य वर्ष में ३,९२१ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया। इसके अतिरिक्त फलसंरक्षण और डिब्बाबन्दी का एक १६ महीने का स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स भी शुरू किया गया और आलोच्य वर्ष में १७ छात्र इसमें प्रशिक्षित हुए।

प्रशासकीय ढांचा--निदेशालय का शासकीय ढांचा इस वर्ष पिछले वर्ष के समान ही रहा।

१२--खान और खदानें

चीनी तथा कागज मिलों को चूना पत्थर की सप्लाई मुख्य रूप से देहरादून क्षेत्र से होती रही। ३ खनिज सम्बन्धी रियायतें, १ खान सम्बन्धी लीज सिलिका बालू के लिए इलाहाबाद जिले में, एक भावी लाइसेंस सिलिका बालू के लिए बांदा जिले में और एक भावी लाइसेंस पायरोफिलाइट के लिए हमीरपुर जिले में आलोच्य वर्ष में स्वीकृत किये गये।

१३--सहकारी आन्दोलन

सहकारिता के क्षेत्र में इस वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी २०,००० अखिल भारतीय लक्ष्य के विरुद्ध १०,२६३ साधन सहकारी समितियों का संगठन। इन नयी संस्थाओं के सम्बन्ध में एक उद्घाटन समारोह १० नवम्बर, १९५९ को आगरा में प्रधान मन्त्री की अध्यक्षता में हुआ था। दीर्घ आकार की समितियां बनाने की नीति छोड़ दी गयी क्योंकि यह संस्थाएं सहकारी आन्दोलन के दृढ़ सर्वतोमुखी विकास के लिए उपयुक्त नहीं समझी गयीं। दूसरी ओर राष्ट्र विकास परिषद् द्वारा निर्धारित रूप और आकार की सघन सहकारी समितियों से ग्रामस्तर पर ग्रामीण जनता की उत्पादन, उपयोग और अन्य प्रकार की उचित आवश्यकताओं की पूर्ति होने के साथ-साथ सदस्यों में समझ-बूझ और सामाजिक एकता बढ़ने की ज्यादा सम्भावना दिखलायी पड़ी।

ये संस्थाए गांव सभा के आधार पर (३००० व्यक्तियों पर एक समिति) संगठित की गयी। आलोच्य वर्ष में इन्होंने सभी क्षेत्रों में विशेषतौर पर ऋण बिक्री, फार्मिंग और सहकारी शिक्षा में बहुत तेजी से उल्लेखनीय प्रगति की।

सभी प्रकार की समितियों की संख्या और उनकी सदस्य संख्या जोकि ३० जून, १९५९ को क्रमशः ६०५२५ और ३२.५१ लाख थी, बढ़कर ३० जून १९६० को क्रमशः ६७,६२० और ४०.५४ लाख हो गयी। इन समितियों की निजी पूंजी और कारोबारी पूंजी जो कि गत वर्ष १९.९० करोड़ रुपये और ६५.६२ करोड़ रुपये थी इस वर्ष बढ़ कर २४.२७ करोड़ रुपये और ९५.४७ करोड़ रुपये हो गयी। प्राइमरी कृषि सहकारी समितियां जिन गांवों में थीं उनकी संख्या और प्रतिशत जो कि गत वर्ष ५६,९४३ और ७८ प्रतिशत था इस वर्ष बढ़ कर ६६,०४७ और ९१.२ प्रतिशत हो गयी। इस वर्ष ग्रामीण सहकारिता के दायरे में लगभग २८ प्रतिशत जनता आ गयी जबकि गत वर्ष का प्रतिशत केवल २२ था।

प्राईमरी कृषि ऋण समितियां--प्राईमरी कृषि ऋण समितियों की संख्या ५०,१३३ से बढ़कर ५७,१३६ हो गयी। इन आंकड़ों में १०,२६३ सहकारी समितियां, ७३० बड़ी समितियां और ४६,१४३ बहु उद्देशीय समितियां शामिल हैं। आलोच्य वर्ष के अन्त में इन समितियों की सदस्य संख्या २१.९४ लाख से बढ़ कर २८.८३ लाख हो गयी। हिस्से की पूंजी और अमानतें भी बढ़ कर ७३९.५५ लाख और ९२.३९ लाख रुपये हो गयी जबकि गत वर्ष यह केवल ५६१.२९ लाख रुपये और ६६.८६ लाख रुपये थीं। गत वर्ष के १८.०९

*३० जून, १९६० को समाप्त होने वाले सहकारी वर्ष से सम्बन्धित।

करोड़ रुपये और १४.९९ करोड़ रुपये के विरुद्ध इस वर्ष कारोबारी पूंजी और ऋण जो दिये गये बढ़कर २८.६४ करोड़ रुपये और २९.२२ करोड़ रुपये हो गये। इस वर्ष गत वर्ष से दूने ऋण दिये गये तथा पुराने ऋणों का बकाया का प्रतिशत लगभग ५० प्रतिशत गिरा अर्थात् ११.४ से ५.८ हो गया। अन्य राज्यों की अपेक्षा इस प्रदेश में सबसे कम प्रतिशत रहा और इस मद का अखिल भारतीय प्रतिशत २१ रहा। आलोच्य वर्ष में १०१ रुपये तक औसत प्रति सदस्य ऋण की सुविधा दी गयी जबकि गत वर्ष केवल ६८ रुपये तक ही दिये गये थे। साधन सहकारी समिति को और बड़ी समितियों ने सदस्यों की कृषि-सम्बन्धी आवश्यकता के आधार पर ऋण दिये जिनकी अदायगी सम्बन्धी क्रय-विक्रय समितियों द्वारा सदस्यों की अतिरिक्त उपज बेच कर होनी थी। ऋण नीति में यह परिवर्तन स्वस्थ वातावरण के निर्माण और सदस्यों में आत्मविश्वास जागृत करने के उद्देश्य से किया गया था। यह भी उद्देश्य था कि किसान क्रय-विक्रय समितियों द्वारा इस प्रकार से संगठित हों कि उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य मिले। इस योजना को लोगों ने काफी पसन्द किया और यह अनुभव किया गया कि सामान्य नियोजन और ए.क.स के ढांचे के अन्तर्गत यह कृषि उत्पादन बढ़ाने के कार्यक्रम में अपने ढंग से काफी सहायक होगी। साधन सहकारी समितियों की कुशलता और बढ़ाने की दृष्टि से सरकार ने उनके प्रबन्ध सम्बन्धी खर्चे के लिए ३०० रु० प्रति समिति के हिसाब से आर्थिक सहायता दी। प्रत्येक समिति में लेखा और अन्य रिकार्ड रखने के लिए एक अल्पकालिक गणक नियुक्त किया गया।

बैंक---उत्तर प्रदेश में बैंकों की संख्या पिछले वर्ष के समान ५६ रही। ये बैंक ४६ जिलों में स्थापित थे। शेष जिलों में उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक की शाखाएं काम करती रहीं। आलोच्य वर्ष में सहकारी बैंक ने काफी प्रगति की। बैंकों की सदस्य संख्या जो गत वर्ष ४३,४४० थी, इस वर्ष बढ़कर ५१,३१४ हो गयी। निजी और कारोबारी पूंजियां ४७२.७३ लाख रुपये और १५१६.४७ लाख रुपये से बढ़कर क्रमशः ६६२.७१ लाख रुपये और २,४९१.३७ लाख रुपये हो गयीं। निजी पूंजी से कारोबारी पूंजी के अनुपात का प्रतिशत २६.६ था जोकि इन बैंकों की वित्तीय दृढ़ता का प्रतीक है। इस मद का अखिल भारतीय प्रतिशत १६.९ था। इस वर्ष हिस्से की पूंजी और डिपाजिट क्रमशः ५८५.८९ लाख रुपये और ७४४.३२ लाख रुपये थे जबकि गत वर्ष ये ४१२.७१ लाख रुपये तथा ५२६.३५ लाख रुपये थी। इन बैंकों के हिस्से की पूंजी में राज्य का अंशदान आलोच्य वर्ष में ९४.७० लाख रुपये से बढ़ कर १४० २० लाख रुपये हो गया। आलोच्य वर्ष में ऋण कार्यक्रम १,३८०.८८ लाख रुपये से बढ़कर २,५६४ ९४ लाख रुपये हो गया। वर्ष के अन्त में बकाया ऋण १७४३.८६ लाख रुपये था जबकि गत वर्ष यह ११५.४३ लाख रुपये था। वर्ष के अन्त में ८१.४६ लाख रुपये ओवरड्यू रहे जो कि बकाया ऋण का ४.६ प्रतिशत था जबकि गत वर्ष यह प्रतिशत ८ ९ था। अखिल भारतीय स्तर पर यह प्रतिशत १३.७ था। इस वर्ष कुल ३४.८७ लाख रुपये का लाभ हुआ, जबकि गत वर्ष केवल २३.६४ लाख रुपये का लाभ हुआ था।

उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक---उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक भारत के सर्वश्रेष्ठ राज्य बैंकों में से एक था। बैंक के हिस्से की पूंजी और जमा की रकम १४३.९८ लाख रुपये तथा ६९३.८५ लाख रुपये से बढ़ कर क्रमशः २११.७४ लाख रुपये और ७५०.२५ लाख रुपये हो गयी। बैंक की कारोबारी पूंजी जो कि गत वर्ष १३५२ ८९ लाख रुपये थी, इस वर्ष २,११४.५८ लाख रुपये हो गयी। ऋण की धनराशि भी ९६१.६८ लाख रुपये से बढ़ कर २,२७८.८८ लाख रुपये हो गयी। बकाया ऋण से ओवरड्यू का प्रतिशत २.७५ से घटाकर १.९ हो गया। इस वर्ष १६.०५ लाख रुपये का लाभ हुआ जबकि गत वर्ष १३.१३ लाख रुपये का लाभ हुआ था।

अल्पायी और मध्यम आय वाले वर्ग की आवास योजनाओं के अन्तर्गत बैंक ने क्रमशः ३०.१४ लाख रुपये और १.५० लाख रुपये आलोच्य वर्ष में दिये।

उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि बंधक बैंक

यह बैंक जोकि राज्यस्तर का बैंक था मार्च, १६५६ में कृषि कार्यों के लिए दीर्घकालीन वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए खोला गया था। इस बैंक के हिस्से की पूजी में राज्य सरकार ने १५ लाख रुपये का अशदान किया था और आलोच्य वर्ष में कार्य शुरू करने के लिए केवल आरम्भिक प्रबन्ध किया जा सका।

कृष्येत्तर प्रारम्भिक ऋण समितियां

वेतन-भोगी जन ही इन समितियो के मुख्य रूप से सदस्य रहे। आलोच्य वर्ष में इनकी सख्या ६६४ और इनकी सदस्य सख्या २.१८ लाख रही। इन्होने २५० ८४ लाख रुपये ऋण के रूप में दिये जबकि गत वर्ष १६४.१६ लाख रुपये ऋण दिया गया था। ऋण से ओवर ड्यू का प्रतिशत ३.७ से घटाकर ३.३ हो गया। ये सस्थाएं अपनी जमा की रकम पर ही मुख्य रूप से आश्रित रहती है। आलोच्य वर्ष में इनकी जमा की रकम १६१.०६ लाख रुपये से बढ कर २१२.१७ लाख रुपया हो गयी।

प्रादेशिक कोआपरेटिव फेडरेशन

आलोच्य वर्ष में प्रदेश में सहकारी बिक्री के विस्तार और विकास कार्यों की सबसे बडी संस्था प्रादेशिक कोआपरेटिव फेडरेशन ने अपनी जिम्मेदारियो का पूर्ण रूप से पालन किया। फेडरेशन के मुख्य कार्य थे—

(१) कृषि उपज की बिक्री की व्यवस्था करना।

(२) उर्वरक, कोयला, चीनी, बीज, कृषि यन्त्र और भवन निर्माण सामग्री का वितरण करना।

(३) प्रदेश की क्रय-विक्रय समितियो का निर्देशन और सहायता करना।

(४) रानीखेत की औषधि फैक्ट्री, ६ घी की श्रेणी निर्धारित करने वाले केन्द्रो और एक प्रेस का संचालन करना।

१,२५१.६० लाख रुपये का सामान फेडरेशन द्वारा इस वर्ष लिया—दिया गया जबकि गत वर्ष केवल ३४६.६० लाख रुपये के माल का व्यापार हुआ था। निजी और कारोबारी पूंजियां भी इस वर्ष ११६.३७ लाख रुपये और ३५३ ६५ लाख रुपये से बढ कर क्रमशः १२६.२६ लाख रुपये और ३६० .०८ लाख रुपये हो गयी। फेडरेशन ने उन क्रय-विक्रय समितियो की सहायता भी की जिन्हें सगठित व्यापार का मुकाबला करना पड़ रहा था और सहायता न मिलने पर जिनके नष्ट हो जाने की सम्भावना थी। फेडरेशन ने इन समितियो का स्टाक खरीद लिया और प्रदेश में तथा वाहर भी उसकी बिक्री की व्यवस्था की। दामों की अस्थिरता के कारण गुड़ के व्यापार में हुई अप्रत्याशित हानियो के फलस्वरूप इस वर्ष लाभ केवल ५ ०२ लाख रुपये का हुआ जबकि गत वर्ष १२ ८२ रुपये का लाभ हुआ था।

जिला सहकारी फेडरेशन

ये संघ जिले में बिक्री वितरण और उत्पादन सम्बन्धी योजनाओ को समन्वित और विकसित करने के कार्य करते रहे। यह प्रादेशिक फेडरेशन और जिले की इकाइयो के बीच कडी का भी काम करते रहे। इन्होने इस वर्ष १,००५ ६२ लाख रुपये का व्यापार किया जबकि गत वर्ष केवल ३४६ १० लाख रुपये का व्यापार हुआ था। इनकी निजी पूजी और कारोबारी पूंजी भी ८४.०४ लाख रुपय तथा २०६.८६ लाख रुपये से बढकर ६६.८१ लाख रुपये और २५६.५२ लाख रुपये हो गया। लाभ ११.३४ लाख रुपये से बढ कर १२.८२ लाख रुपये तथा हानि ७.६८ लाख रुपये से घटकर ३.४७ लाख रुपये हो गयी।

बीज भंडार

सहकारी बीज भंडार, जिन्होने अपने सदस्यो को उन्नत बीज वितरित कर कृषि उपज की वृद्धि में काफी सहायता पहुचाई थी, आलोच्य वर्ष मे सन्तोषजनक ढग से काम करते रहे। इन भंडारो की संख्या १,३३७ से बढकर १,५२८ हो गयी तथा इन्होने २५.१२ लाख मन बीज (लगभग ५ करोड रुपये मूल्य के) वितरित किये जबकि गत वर्ष २४.०१ लाख मन बीजो का वितरण हुआ था। सफाई पर दिये गये बीजो की उगाही का प्रतिशत ६५.५ रहा जबकि गत वर्ष इस मद का प्रतिशत ६०.२ था। स्टाक में 'ए' श्रेणी के बीजो का प्रतिशत ६६ से बढ़ कर ७५ हो गया। आलोच्य वर्ष में ६४० ४३ टन उर्वरक, १३,७५२ मन खाद, और १,३०४ कृषि यन्त्र वितरित किये गये। पक्के बीज भडारों की सख्या ६१० से बढ कर ६६४ हो गयी।

दुग्ध यूनियन

प्रदेश में आलोच्य वर्ष में ७ दुग्ध यूनियनें थीं। इस वर्ष इन्होने २.७५ लाख मन दूध का व्यापार किया जबकि गत वर्ष केवल २.३२ लाख मन दूध बेंचा गया था। वाराणसी और मेरठ की दुग्ध यूनियनें हानि उठाकर भी चालू रखी गयी तथा उनके पुनर्गठन के लिए आवश्यक प्रयत्न किये गये। ४ यूनियनो के विस्तार के लिए सरकार ने ०.६६ लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की। तृतीय आयोजना के अन्तर्गत दुग्ध पूर्ति कार्य-क्रम का और विस्तार करने का भी निश्चय किया गया।

क्रय-विक्रय समितिया---क्रय-विक्रय समितियो की संख्या ६८ से बढ़ कर ११८ हो गयी। इनके अतिरिक्त प्रदेश में २४ गन्ना यूनियनें भी थीं। क्रय-विक्रय समितियो की सदस्य सख्या और हिस्से की पूजी ३.३० लाख और ५०.३६ लाख रुपये से बढ कर ३ ६३ लाख और ६७.७३ लाख रुपये हो गयी। गत वर्ष के २४.५० लाख रुपये की तुलना में इस वर्ष इन समितियों को राज्य ने २६.४४ लाख रुपयो का अशदान किया। ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में इन समितियो ने ४६ ३७ लाख मन वस्तुओ का जिनका मूल्य ६४७.५२ लाख रुपया था व्यापार किया। गन्ना यूनियनो का कार्य सन्तोषप्रद नही था। २४ में से केवल १७ यूनियनो ने ०.२१ लाख मन वस्तुओ का व्यापार किया। विशेष फसलो के व्यापार को और प्रोत्साहन मिला और इस वर्ष ४८,६१ मन कपास २८,२५७ मन जूट और २२५ मन फलो और तरकारियो का व्यापार हुआ। ४५ इंस्पेक्टरो को बिक्री व्यवस्था सम्बन्धी विशेष प्रशिक्षण दिया गया।

प्रोसेसिंग समितियां---आलोच्य वर्ष में प्रदेश मे प्रोसेसिंग समितियो की सख्या १६ से बढ कर २३ हो गयी जिनमें से ८ विक्रय प्रोसेसिंग समितिया थी। गन्ना पेराई, मूंगफली सफाई, धान कुटाई खोया निर्माण और फलो तथा तरकारियो की डिब्बाबन्दी इन समितियों के मुख्य कार्य थे। विभिन्न कठिनाइयो के कारण ६ प्रोसेसिंग तथा ५ विक्रय प्रोसेसिंग समितियां कार्य प्रारम्भ नहीं कर सकी। गत वर्ष २ १० लाख मन की तुलना में ४.३५ लाख मन खाद्यान्नो आदि की सफाई इस वर्ष हुई। समितियो की हिस्से की पूजी और कारोबारी पूजी ४.६१ लाख रुपये और ७.१६ लाख रुपये से वढ कर ८ ५५ लाख रुपये तथा १२.७३ रुपये हो गयी। इस वर्ष ६.६१ लाख रुपये की बिक्री की गयी तथा ०.२६ लाख रुपये का लाभ हुआ जबकि गत वर्ष ४.७१ लाख रुपये की बिक्री की गयी थी तथा ०.११ लाख रुपये का लाभ हुआ था।

खेतिहर समितिया---खेतिहर समितियो की संख्या ८३ से बढकर ४१५ हो गयी। प्रति वर्ष २० खेतिहर समितियो के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस वर्ष इनकी सदस्य सख्या ७८०६ से बढ कर ६ ५६२ हो गयी। फार्म एरिया गत वर्ष के ७३,६५० एकड़ की तुलना में बढ़कर ८४,०४६ एकड़ हो गयी। हिस्से की पूजी २२.६४ लाख रुपये से बढ़

कर २३.७८ लाख रुपये, जमा २०.६६ लाख रुपये से बढ कर २६.६१ लाख रुपये निजी पूंजी २६.६२ लाख रुपया से बढ कर २८.७३ लाख रुपये और कारोबारी पूजी ५५.०४ लाख रुपये से बढ कर ६६.२६ लाख रुपये हो गयी। ३६.७६ लाख रुपये की वस्तुएं बेंची गयी और ३.२१ लाख रुपये का लाभ हुआ जबकि गत वर्ष २१.४४ लाख रुपये का व्यापार तथा २.४० लाख रुपये का लाभ हुआ था। २३ समितियो में से प्रत्येक को ५,००० रुपये से अधिक का लाभ हुआ। सहकारी फार्मिग इंस्टीट्यूट रामपुर ने १४२ व्यक्तियो को प्रशिक्षित किया। ऐसे केन्द्र और खोलने की आवश्यकता का तीव्रता से अनुभव किया गया। बहुत-सी ऐसी सहकारी समितियो ने, जिनके क्षेत्रो मे सिंचाई के समुचित साधन उपलब्ध नही थे, खेती के सुधरे तरीको का प्रयोग करके विभिन्न फसलो की औसत पैदावार बढायी। खेतिहर समितियो ने सामुदायिक विकास कार्य तथा लघु और कुटीर उद्योगो के संचालन का कार्य भी जारी रखा। सहकारी कृषि की प्रगति का प्रचार करने के लिए क्षेत्रीयस्तर पर सेमिनार किये गये तथा प्रचार साहित्य का वितरण किया गया।

आवास समितियां

आवास समितियो की संख्या ४४१ से बढ कर ४६२ तथा सदस्य संख्या १६,३४७ से बढ़ कर १६,५४८ हो गयी। चुकता की हुई हिस्से की पूंजी और कारोबारी पूंजी १४.६४ लाख रुपये तथा ५४.५१ लाख रुपये थी। वर्ष में १,४२० एकड़ भूमि उपार्जित की गयी तथा ३४६ मकान बनाये गये। गृह निर्माण कार्य-क्रम उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक द्वारा वित्तपोषित रहा तथा इस बैंक ने अल्पायी तथा मध्यम आय वर्गीय योजनाओ के अन्तर्गत ३०.१४ लाख रुपये तथा १.२० लाख रुपये प्रदान किये।

प्रशिक्षण और शिक्षा

सहकारिता का विभिन्न क्षेत्रो में तेजी से प्रसार हो रहा है और इसके स्वस्थ एव सशक्त विकास के लिए आवश्यक है कि अधिकाधिक संख्या में अधिकारियो, गैर सरकारी व्यक्तियों, पदाधिकारियो आदि को सहकारिता के सिद्धान्तो और प्रक्रिया मे प्रशिक्षित किया जाय। इस उल्लेख से २ व्यक्तियो को पूना मे उच्च पर्सनेल प्रशिक्षण, १३२ को मेरठ फैजाबाद और ढूरी (पंजाब) में इण्टरमीडिएट पर्सनेल प्रशिक्षण और २४७ सुपरवाइजरो को ६ राज्य प्रशिक्षण केन्द्रो मे सबार्डिनेट पर्सनेल प्रशिक्षण दिया गया। गैर सरकारी व्यक्ति प्रशिक्षण योजना, जो २८ जिलो में चालू थी, का प्रसार ५१ जिलो में इस वर्ष हुआ तथा कुल २१,१६२, व्यक्तियो को प्रशिक्षित किया गया।

१४—खाद्य और रसद

सामान्य—वर्ष १६६०–६१ मे प्रदेश में खाद्य स्थिति सन्तोषजनक रही। वर्षा और बाढ़ के कारण प्रदेश के कुछ भागो की दशा खराब होने की आशका थी किन्तु सरकार द्वारा जारी नियन्त्रण कार्य-क्रमो, सरकारी गोदामो से पर्याप्त अन्न-संग्रह तथा सस्ते गल्ले की दूकानो द्वारा आयात गेहू और स्थानीय गेहू के वितरण के कारण स्थिति अच्छी रही।

मूल्य—फसल कटाई के दिनो में रबी के खाद्यान्नो के मूल्यो में कुछ कमी रही किन्तु बाद मे बाजार में कम मात्रा मे गेहू पहुचने तथा केन्द्रीय कर्मचारियो की हड़ताल की अफवाहो के कारण दाम बढ गये। यह हालत कुछ ही समय तक रही और सितम्बर, १६६० में दाम फिर सामान्य स्तर पर पहुच गये। बाद के महीने में गेहू और चावल के मूल्य तो क्रमशः और कम होते गये तथा कुछ बाजारो में तो वे गत वर्ष के इस काल के मूल्यो से भी नीचे पहुच गये। चने के मूल्य अधिक रहे क्योकि इसका उत्पादन इस वर्ष कम हुआ था तथा अन्य

प्रदेशो में भी इसके दाम बढ़ गये थे। वर्ष के विभिन्न कालो में प्रदेश में खाद्यान्नों की जो स्थिति थी वह निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है--

खाद्यान्न	१-४-६०	३०-६-६०	३०-९-६०	३१-१२-६०	३१-३-६१
	कीमत प्रति मन				
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
गेहूं ..	१६.६२	१६.४८	१६.६३	१६.७०	१६.५५
चना ..	१२ २२	१३ ९६	१५.५२	१५.९०	१५.८४
जौ .	१०.४८	११.७१	१२.३७	१२.७०	१२.०८
ज्वार ...	११.४०	१३.०८	१२.३९	११.०९	१०.३९
बाजरा ..	१३.७६	१५.७२	१४.४२	१४.५७	१४.५२
मक्का ..	११.०७	१२.६२	११.६९	१२.३६	१२.९३
चावल-३ ..	२० ००	२१ ०३	२०.८०	१८.८२	१९.३

सस्ते गल्ले की दूकानें--निर्धारित दरो पर सस्ते गल्ले की दूकानो द्वारा खाद्यान्न वितरण करने की योजना प्रदेश में चालू रही। रबी का अनाज बाजार में आ जाने के बाद इन दूकानों की बिक्री में कुछ कमी हो गयी किन्तु वर्षा आरम्भ होने के बाद मांग फिर बढ गयी। दाम स्थिर रखने और इन दूकानो द्वारा जनता को अतिरिक्त अन्न देने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये :--

(१) जिलाधीश को क्षेत्रीय खाद्यान्न नियन्त्रणो की राय से अपने क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकतानुसार बेछना आटा आदि की बिक्री के लिए अतिरिक्त दूकानें खोलने के लिए अधिकृत किया गया।

(२) कबाल नगरो, मेरठ, बरेली, सहारनपुर और रुडकी को छोडकर शेष स्थानो में बिक्री की प्रति दिन प्रति दूकान अधिकतम सीमा बढ़ा कर २० मन कर दी गयी।

(३) भारत सरकार के आदेशानुसार उपभोक्ताओ को निर्धारित राशन के अतिरिक्त जितना भी अन्न वह चाहें किसी भी सस्ते गल्ले की दूकान से खरीदने की सुविधा प्रदान की गयी।

(४) बरेली, मेरठ और कबाल नगरो के उपभोक्ताओ को निर्धारित राशन के अतिरिक्त हर कार्ड पर २ रुपये का चावल हर मास खरीदने की अनुमति दी गयी। १ अक्तूबर, १९६० से जिन नगरो में मीट्रिक प्रणाली के बांट लागू किये गये वहा के उपभोक्ताओ का राशन प्रति यूनिट २ सेर से बढ़ा कर २ किलोग्राम कर दिया गया।

(५) बाढ़ग्रस्त क्षेत्रो के लिए सस्ते गल्ले के अतिरिक्त दूकानें स्वीकृत की गयीं।

(६) जनवरी, १९६१ से सस्ते गल्ले की दूकानो द्वारा देशी गेहू की बिक्री मे कुछ ढिलाई की गयी तथा उन क्षेत्रो के उपभोक्ताओ को जिनके बाजारो में देशी गेहू उपलब्ध था एक बार में ५ रुपये तक ऐसा गेहू सरकारी दर पर खरीदने की सुविधा दी गयी।

मार्च, १९६१ में प्रदेश में सस्ते गल्ल की ५००१ दूकानें थीं।

खाद्यान्नों के मूल्य---सस्ते गल्ले की दूकानों में खाद्यान्नो की फुटकर बिक्री की दरें इस वर्ष इस प्रकार थीं---

खाद्यान्न	फुटकर भाव प्रति रुपया		
	सेर	छटांक	किलोग्राम
गेहूं (आयात)	२	१०	२.४५०
गेहूं (देशी) सफेद	२	६	२.२१५
गेहूं लाल (कोठिया) .. .	२	८	२ ३३५
गेहूं फार्म (सुपीरियर) .. .	२	३	२.०४०
चावल पहली किस्म (अरवा) .. .	१	९	१.४६०
चावल पहली किस्म (सेल्हा) ..	१	९-१/२	१ ४८५
चावल दूसरी किस्म (अरवा विशेष) .	१	९	१.४६०
चावल दूसरी किस्म (अरवा) . ..	१	१३	१.६९०
चावल दूसरी किस्म (सेल्हा) . .	१	१३-१/२	१.७२०
चावल दूसरी -क-किस्म (अरवा)	१	११-१/२	१.६०५
चावल दूसरी -क-किस्म (सेल्हा) .	१	१२	१.६३०
चावल तीसरी किस्म (अरवा) . ..	२	.	१ ८६५
चावल तीसरी किस्म (सेल्हा) .. .	२	१२	१.८९५
चावल चौथी किस्म (अरवा) .. .	२	३	२ ०४०
चावल चौथी किस्म (सेल्हा)	२	४	२.१००
चावल पांचवीं किस्म (अरवा) .. .	२	१०	२ ४५०
चावल पांचवीं किस्म (सेल्हा)	२	११	२.५१०
मकई (आयात)	३	८	३ २६५
मक्का (आयात)	३	४	३ ०३०
चना, जौ, बाजरा, बेझड़ पहला और दूसरा . .	३	४	३ ०३०

यह दरें मैदानी क्षेत्र में प्रचलित रहीं। मेरठ, आगरा, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, झासी और इलाहाबाद नगरपालिकाओ के क्षेत्रो में सहकारी खाद्यान्न की बिक्री मीट्रिक बाट से की गयी। पर्वतीय क्षेत्रो---अल्मोडा, गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल, पियौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी में फुटकर भाव और एक्स गोदाम थोकभाव, यातायात के खर्च, आनुसागिक खर्च और फुटकर विक्रेता के नाम (५ प्रतिशत से अधिक नही) को दृष्टि में रख कर निर्धारित किये गये। सरकार ने अन्तिम रेलवे स्टेशन गोदाम से अनाज संग्रह करने और वितरण करने के गोदाम तक ४ रुपये प्रति मन से अधिक होने वाला याता-

यात खर्च आंतरिक पर्वतीय प्रदेशों में वहन किया। जहां तक नैनीताल और देहरादून जिलों का प्रश्न है वहां अन्तिम रेलवे स्टेशन गोदाम से वितरण स्थान तक सामान ले जाने पर होने वाले यातायात खर्च और आनुसंगिक खर्च तथा लाभ सीमा (४ प्रतिशत से अधिक नहीं) को जोड़ कर बिक्री के फुटकर भाव निर्धारित किये गये।

बिक्री के लिए दिये गये खाद्यान्नों के स्टाक

कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, वाराणसी, लखनऊ, मेरठ और बरेली की सस्ते गल्ले की दूकानो को सीधे केन्द्रीय स्टोरेज डिपो से आयात गेहूं मिलता रहा। इन शहरो में शेष खाद्यान्नो तथा अन्य क्षेत्रो में सभी खाद्यान्नो की पूर्ति राज्य सरकार के गोदामो से हुई। केन्द्रीय और राज्य सरकार के गोदामो से १ अप्रैल, १९६० से ३१ मार्च, १९६१ तक जो खाद्यान्न दिये गये उनका विवरण इस प्रकार है :—

	मन में	टन में
गेहूं	५४,८३,९९८	२,०४,६८६
चावल	२३,३५,०४१	८७,१५४
मोटा अनाज	५,१०,७७१	१९,०६४
योग ..	८३,२९,८१०	३,१०,९०४

आटा वितरण योजना

प्रदेश की रोलर आटे मिलो द्वारा तैयार किये गये गेहू के आटे आदि का उपयोग पूर्ण रूप से सस्ते गल्ले की दूकानो में वितरण के लिए किया गया। मई, १९६० में मिलो से कम आटा उठाया गया तथा सस्ते गल्ले की दूकानो की आवश्यकता पूर्ति के बाद जो आटा बच गया उसे बेचने की स्वीकृति दी गयी। इसी प्रकार बरसात आरम्भ हो जाने पर इन दूकानो द्वारा आटा की अधिकाधिक बिक्री करने का निश्चय किया गया। अगस्त, १९६० से भारत सरकार ने रोलर आटा मिलो का गेहूं का मासिक कोटा, १९,३०० मीट्रिक टन से बढा कर ५८,००० मीट्रिक टन कर दिया गया था। अतएव आटा योजना में निम्नलिखित परिवर्तन किये गये :

(१) मैदा तैयार करने के लिये निर्धारित गेहूं की मात्रा सबधी प्रतिबन्ध हटा दिया गया। किन्तु साथ-साथ यह निदेश भी दिया गया कि मिलें उन तरीखो की सूचना क्षेत्रीय खाद्य नियत्रक को दें जब वे मैदा आदि "फाइन्स" और बेछना आटा तैयार करेंगी जिससे कि वे निरीक्षण विषयक कार्यक्रम बना सकें।

(२) क्षेत्रीय खाद्यान्न नियत्रक जिला मैजिस्ट्रेट ने रोलर आटा मिलो से सस्ते गल्ले की दूकानो और व्यापारिक सस्थानो को उनकी आवश्यकतानुसार बेछना आटा, आटा, मैदा आदि देने की व्यवस्था की। शेष आटा तथा अन्य पदार्थों को मिलो ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित एक्स मिल दरो पर बेंच दिया।

अप्रैल, १९६० से जनवरी, १९६१ तक सस्ते गल्ले की दूकानो तथा अन्य व्यापारिक संस्थाओ को १,३६,००० टन आटा, मैदा तथा गेहू से तैयार किये गये अन्य पदार्थ दिये गये।

लाइसेन्स संबंधी आदेश

उत्तर प्रदेश खाद्यान्न विक्रेता लाइसेंसिग आर्डर, १९५९ इस वर्ष भी जारी रहा। इसके अन्तर्गत बिक्री के लिए ५० मन या इससे अधिक अनाज रखने वाले दूकानदारो के लिए लाइसेन्स लेना अनिवार्य था।

राइस मिलिंग इन्डस्ट्री (रेगुलेशन) ऐक्ट, १९५८ और ५ राइस मिलिंग इन्डस्ट्री (रेगुलेशन ऐन्ड लाइसेंसिग) रूल्स, १९५९ प्रदेश में २२ अप्रैल, १९५९ के बाद जारी रहे।

खाद्यान्नो के लाने ले जाने का प्रतिबंध

उत्तर प्रदेश फूडग्रेन्स (गवर्नमेन्ट) कन्ट्रोल आर्डर, १९५८ जारी रहा। इसके अन्तर्गत चावल और धान आदि को प्रदेश में लाने या यहा से उनका निर्यात करने पर प्रतिबन्ध लगा रहा।

उत्तर प्रदेश खाद्यान्न (सीमा पर लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध) आर्डर, १९५९ का संशोधन कर गेहू पर से ५ अप्रैल, १९६१ से प्रतिबन्ध हटा दिया गया।

उत्तर प्रदेश धान और चावल (लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध) आर्डर, १९५८ बिना किसी संशोधन के जारी रहा ।

प्रतिबन्ध हटाना

५ अप्रैल, १९६१ को इन्टरजोनल ह्वीट मूवमेन्ट कन्ट्रोल आर्डर, १९५७ रद्द कर दिया गया।

प्रदेश में काफी मात्रा में गेहू उपलब्ध हो जाने के कारण उत्तर प्रदेश गेहू प्रोक्योरमेन्ट (लेवी) आर्डर, १९५९, ८ अगस्त, १९६० को, गेहूं (उत्तर प्रदेश) द्वितीय मूल्य नियंत्रण आदेश, १९५९ और उत्तर प्रदेश गेहू (लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध) आदेश, १९५९, ६ अगस्त, १९६० को रद्द कर दिये गये। उत्तर प्रदेश (अतिथि नियंत्रण) आदेश, १९५९ भी २५ नवम्बर, १९६० से हटा लिया गया।

नियंत्रण संबंधी अन्य कार्य

उत्तर प्रदेश रोलर मिल्स (गेहू उपयोग नियंत्रण) आदेश, १९५९, जिसके द्वारा मिलों पर यह प्रतिबंध लगा था कि वे केवल भारत सरकार द्वारा दिया गया गेहूं ही इस्तेमाल करें, जारी रहा।

भारतीय मक्का (स्टार्च बनाने में मक्का के उपयोग पर प्रतिबंध) आदेश, १९५९ में संशोधित किया गया। संशोधन के फलस्वरूप १८ नवम्बर, १९६० से वह प्रतिबंध हट गया जिसके कारण मिलें स्टार्च बनाने में भारत में पैदा की जाने वाले वर्ण संकर मक्के का प्रयोग नहीं कर सकती थीं।

उगाही

आकस्मिक आवश्यकताओ तथा कमी वाले क्षेत्रो की जरूरत की पूर्ति के लिए सुरक्षित स्टाक रखने की नीति के अनुसार चावल और गेहूं की खरीद उगाही (लेवी) प्रणाली पर की गयी। ८ अगस्त, १९६० से गेहू की उगाही बंद कर दी गयी क्योंकि बाजार की स्थिति सन्तोषजनक थी। चावल की उगाही जारी रही। जहा तक श्रेणियो का प्रश्न है कुछ सुधार किये गये तथा चावल की तीसरी श्रेणी में आने वाली सभी किस्में फिर तृतीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी (क) वर्गीकृत की गयी। निम्नलिखित कन्ट्रोल दरा पर २१ दिसम्बर, १९६० से तृतीय श्रेणी 'क' चावल की खरीद शुरू की गयी :—

चावल तृतीय 'क' (अरवा) १६.२५ रुपया प्रति मन या ४३.५४ रु० प्रति क्विन्टल
चावल तृतीय 'क' (सेला) १५.७५ रुपया प्रति मन या ४२.२० रु० प्रति क्विन्टल

स्टाक की स्थिति—

३१ मार्च, १९६१ को राज्य सरकार के स्टाक की स्थिति इस प्रकार थी :—

	मन	मीट्रिक टन
गेहूं	६,९३,४५८	२५,८८३
चावल	२३,८२,८२७	८८,९३७
मोटा अनाज	६,२३५	२३४
योग ..	३०,८२,५२०	१,१५,०५४

चीनी

मई, १९५९ में जब मिलो में कम मात्रा मे चीनी देना आरम्भ किया था और चीनी का दाम ० ९६ न०पै० प्रति सेर से बढ कर १ रु० ४४ न० पै० हो गया था, राज्य सरकार ने भारत सरकार के परामर्श से सहायतार्थ उपाय किये और कमी वाले क्षेत्रो को चीनी भेजी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश चीनी विक्रेता लाइसेंसिग आदेश- १९५९ भी ३१ मई, १९५९ से जारी किया गया जिसके अन्तर्गत चीनी बेचने वालो को लाइसेन्स दिये गये। जुलाई, १९५९ में प्रदेश में सभी उपभोक्ताओ को चीनी देने की एक योजना बनायी गयी जो १५ अगस्त, १९५९ से कार्यान्वित हुई। राज्य का चीनी का मासिक कोटा २५,००० टन निर्धारित किया गया। इस कोटा के विरुद्ध जिलो की आवश्यकतानुसार उनका मासिक कोटा निर्धारित हुआ तथा यह जिलो को प्रान्तीयसहकारी फेडरेशन अथवा जिला लाइसेंस प्राप्त चीनी विक्रेताओ द्वारा आयात हुआ। नवम्बर, १९६० से राज्य का कोटा घटा २०,००० टन कर दिया गया।

आलोच्य वर्ष के अन्तिम महीनो में चीनी मिलो में काफी बहुत बडा स्टाक जमा हो जाने की सूचना प्राप्त हुई। अतएव उठा दी जाने वाली चीनी के ५० प्रतिशत भाग को जिले में पहुचाने पर निर्बन्ध बिक्री करने की अनुमति दी गयी। शेष ५० प्रतिशत को उस भाग की निर्बन्ध बिक्री करने की अनुमति दी गयी जो सस्ते गल्ले की दूकानें या व्यापारिक संस्थान उनके जिले में पहुंचने के ७ दिन बाद तक न उठायें। चीनी विक्रेताओ को लाइसेन्स देने के नियमो में भी ढिलाई की गयी। किसी भी व्यक्ति या फर्म को लाइसेंस के लिए प्रार्थना-पत्र देने की सुविधा दी गयी और जिला मैजिस्ट्रेट को उन्हें ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाली अवधि तक के लिए एक अस्थायी चीनी बिक्रेता लाइसेंस प्रदान करने के लिए अधिकृत किया गया।

(राज्य मेंचीनी की स्थिति सतोषजनक हो जाने के कारण ११ अप्रैल, १९६१ से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रो में चीनी के वितरण सबधी सभी प्रतिबन्ध हटा दिये गये। हर व्यक्ति और फर्म को जितना भी आवश्यकतानुसार चाहे चीनी खरीदने की छूट दी गयी। खुले बाजार के मूल्य भी धीरे-धीरे नियंत्रित मूल्य के स्तर तक पहुच गये। कन्ट्रोल जारी रखा गया क्योकि आशका थी कि इसके हटाने पर शायद दाम एकाएक बढ जायं। फिर भारत सरकार विदेशो को चीनी निर्यात करना चाहती थी और इसके लिए भी नियत्रण जारी रखना आवश्यक था।)

लोहा और इस्पात

जहां तक लोहा और इस्पात का प्रश्न है कुछ किस्मो जैसे द्वितीय श्रेणी रेल्स राउन्ड्स, फ्लैट्स ,स्क्वायर्स, एंगिल्स, चैनेल्स, ज्वाइंट्स, टीज़ आदि, की पूर्ति की स्थिति में काफी सुधार हुआ और फलतः लोहा इस्पात नियत्रक कलकत्ता ने इन पर लगा वितरण संबधी नियन्त्रण हटा लिया। बार और राड की पूर्ति की स्थिति भी काफी सुधरी। देश में इस्पात उत्पादन में वृद्धि होने के कारण भारत सरकार ने यह प्रस्ताव किया कि चद्दरो (१४ जी से ऊपर वाली) और तारो को छोड़ कर शेष सब श्रेणियो पर से वितरण नियत्रण हटा दिया जाय। स्थिति में

सुधार के ही कारण भारत सरकार ने सरकारी विभागो द्वारा लोहा और इस्पात के लिए मांग-पत्र देने की प्रक्रिया सरल कर दी। नयी विधि के अनुसार कोटा सर्टिफिकेट्स की जगह सरकारी विभागो और कानून सगठनो जैसे पोर्ट ट्रस्ट और नगरपालिकाएं, को सीधे लोहा इस्पात नियत्रण कलकत्ता को वैगन या अधिक मात्रा के लिए माग-पत्र देने की सुविधा मिली। वैगन से कम मात्रा के लिए उन्हें नियत्रित स्टाकिस्ट के यहां माग पत्र देने के लिए कहा गया। १४ जी से ऊपर की चादरो और तारों की मागो की पूर्ति राजकीय लोहा इस्पात नियन्त्रक द्वारा होती रही।

प्रत्येक राज्य को लोहा और इस्पात का बल्क कोटा देना भारत सरकार ने जारी रखा। भारत सरकार अब केवल चद्दरों और तारो का कोटा निर्धारित करने लगी। शेष वस्तुओं के लिए पूरी आवश्यकता के मुताबिक मांग-पत्र देने की व्यवस्था की गयी। १९६०-६१ में चद्दरो और तारो की जो अनुमानित मात्रा उपलब्ध होने की आशा थी वह इस प्रकार थी :—

	टन
चद्दरें	२०,२००
तार	२,६००
योग ..	२२,८००

इस मात्रा की दृष्टि में ही निजी और सार्वजनिक क्षेत्रो के कोटे निर्धारित किये गये।

आलोच्य वर्ष में वर्षा और बाढ का प्रकोप अनेक जिलो में रहा। फलतः भारत सरकार से बाढ सहायता कार्यों के लिए ४५०० टन जी० सी० शीट और २०० टन बी० पी० शीट का तदर्थ कोटा देने की सिफारिश की गयी और भारत सरकार ने १,००० टन जी० सी० शीट प्रदान की।

१०६०-६१ में प्रदेश को लोहा और इस्पात की जो प्राप्ति हुई उसका विवरण इस प्रकार है :—

काल	टन में प्राप्तियां †
अप्रैल से जून, १९६०	२१,७५६
जुलाई से सितम्बर, १९६०	१९,८३३
अक्तूबर से दिसम्बर, १९६०	१९,६६५
जनवरी से मार्च, १९६१	२७,२२९

स्थिति संतोषजनक हो जाने के कारण अप्रैल, १९६० से तारो और चद्दरो को छोड कर शेष वस्तुओ के लिए कोटे नहीं निर्धारित किये गये।

स्लैक कोल

आलोच्य वर्ष में स्लैक कोल की पूर्ति की स्थिति सतोषजनक नही रही क्योंकि कोयला नियंत्रक ने बहुत से वैगन भारत सरकार के इस्पात कारखानो में भेजे। भारत सरकार से इस प्रश्न पर राज्य सरकारो ने बातचीत की जिसके फलस्वरूप स्लैक कोल की पूर्ति की स्थिति में कुछ सुधार हुआ। सितम्बर और अक्तूबर, में वर्षा और बाढ के कारण स्थिति फिर खराब हो गयी। भारत सरकार से अनुरोध किया गया कि वह बाढ़ क्षेत्रो की जनता के सहायतार्थ १५,०००

---

† इन प्राप्तियो में केवल रजिस्टर्ड स्टाक होल्डरो द्वारा सूचित प्राप्तियां ही शामिल है। विकास योजनाओ, स्टील प्रोसेसिंग उद्योग, लघु उद्योग कोटा के अन्तर्गत हुई प्राप्तियां इसमे शामिल नहीं है।

वैगन स्लैक कोल का तदर्थ कोटा और स्वीकृत करे। केन्द्र ने इस अनुरोध पर १२,००० वैगन कोल स्वीकृत किया जो बाढग्रस्त क्षेत्रो मे वितरित कर दिया गया। २७ फरवरी, १९६१ को विभिन्न रेलवे के 'जनरल मैनेजरो' तथा रेल मन्त्रालय और इस्पात खान ईधन मन्त्रालय के विभिन्न अधिकारियो का एक सम्मेलन प्रदेश के कोयला सकट पर विचारार्थ बुलाया गया। भारत सरकार और रेलवे ने सुझाव दिया है कि प्रदेश मे कोल डम्प खोले जाय। राज्य सरकार ने इस सुझाव का स्वागत किया और कहा कि यदि उसे आवश्यक सुविधाए प्रदान की जायं तो वह २७ स्थानो में कोल डम्प खोल देगी।

आलोच्य वर्ष मे राज्य की स्लैक कोल की निर्धारित और प्राप्त हुई मात्रा इस प्रकार थी :—

मास			निर्धारित वैगनो की सख्या				प्राप्तियां (वैगनो की सख्या)
			कृषि	कृष्येतर	सी० डी० पी०	योग	
अप्रैल,	१९६०	..	८००	१८००	७३३	३३३३	१४८३
मई,	१९६०	.	८००	१८००	७३४	३३३४	१३२३
जून,	१९६०	..	८००	१८००	७३४	३३३४	१२७७
जुलाई,	१९६०	..	१२००	२७००	११००	५०००	१०२
अगस्त,	१९६०	.	१२००	२७००	११००	५०००	१२८२
सितम्बर,	१९६०	.	१२००	२७००	११००	५०००	१६५०
अक्तूबर,	१९६०	..	१२००	२७००	११००	५०००	२०२७
नवम्बर,	१९६०	..	१२००	२७००	११००	५०००	२५६६
दिसम्बर,	१९६०	..	१२००	२७००	११००	५०००	१४१५
जनवरी,	१९६१	..	८००	१८००	७३३	३३३३	२१३
फरवरी,	१९६१	..	८००	१८००	७३३	३३३३	५४८
मार्च,	१९६१	..	८००	१८००	७३३	३३३३	९०७

सीमेन्ट

आलोच्य वर्ष मे राज्य में सीमेन्ट की सप्लाई संतोषजनक नहीं रही। इसके कारण निम्नलिखित थे :—

(१) कुछ यान्त्रिक गड़बडियों के कारण ए० सी० सी० फैक्टरी लखेरी ने अपने सामान्य उत्पादन का केवल ५९ प्रतिशत सीमेन्ट ही बनाया।

(२) सतना और ददरी में सीमेन्ट का उत्पादन घट गया।

(३) वर्षाकाल में जनता द्वारा अधिक सीमेन्ट की माग की गयी।

(४) सरकारी विभागो की माग भी बहुत बढ़ गयी क्योकि यह द्वितीय आयोजना का अतिम वर्ष था।

(५) समुचित संख्या मे वैगन उपलब्ध नही हुए।

सीमेन्ट की कमी को दृष्टि में रखते हुए जिला मैजिस्ट्रेटो को यह निर्देश दिये गये कि वह जब आवश्यकता समझे इसके वितरण पर कन्ट्रोल लगा दें तथा जिले में आने वाले सीमेन्ट की रेलवे रसीदो पर हस्ताक्षर करने की प्रणाली फिर जारी करें जिससे कि जखीरेबाजी न हो सके।

कमी वाले क्षेत्रो की अतिरिक्त सीमेंट की पूर्ति करने के लिए तुरन्त कार्यवाही की गयी। राजकीय सीमेन्ट फैक्टरी चुर्क (मिर्जापुर) से ऐसे कमी वाले क्षेत्रो के लिए जो उनकी बिक्री जोन मे नही आते ५,००० टन सीमेन्ट के तदर्थ कोटे की व्यवस्था की गयी। इन उपायो के कारण सप्लाई की स्थिति में कुछ सुधार हुआ किन्तु सितम्बर-अक्तूबर, १९६० में वर्षा और बाढ़ के फलस्वरूप यह फिर खराब हो गयी। इस स्थिति का सामना करने के लिए राज्य सरकार ने अपने बाढ सहायता कार्य सबधी सामान्य कोटे के अतिरिक्त भारत सरकार से ५१-२२६ टन सीमेन्ट और प्राप्त किया। फलत दिसम्बर, १९६० में समाप्त होने वाली तिमाही में स्थिति में कुछ सुधार हुआ, किन्तु यह फिर १९६१ की पहली तिमाही में खराब होने लगी।

१९६०-६१ में राज्य के लिए सीमेंट की निर्धारित और प्राप्त मात्रा इस प्रकार थी —

	निर्धारित	प्राप्त
	टन	टन
द्वितीय—१९६० (अप्रैल से जून, १९६०)	१,६५,५३९	१,१२,६९२
तृतीय—१९६० (जुलाई से सितम्बर, १९६०) ..	१,९६,२९७	१,२३,३७३
चतुर्थ—१९६० (अक्तूबर से दिसम्बर, १९६०) ..	१,९४,००० (१,४४,००० सामान्य और ५०,००० बाढ)	१,५८,३०३
प्रथम—१९६० (जनवरी से मार्च, १९६१) ..	१,४७,३००	१,३५,२४६

साफ्ट/हार्ड कोक और स्टीम कोल

१५,००० वैगन के पिछले कोटे की जगह इस वर्ष राज्य का १ अक्तूबर, १९६० से साफ्ट/हार्ड कोक और स्टीम कोल का वार्षिक कोटा १६,२०० वैगन निर्धारित किया गया। यातायात की कठिनाइयो के कारण प्राप्ति में कुछ कमी रह गयी। इस वर्ष स्थिति काफी खराब रही जैसा कि निम्नलिखित आकडो से स्पष्ट है —

वर्ष	प्राप्त वैगन
१९५८	१०,२०७
१९५९	९,५०६
१९६०	६,९४५

प्राप्तियो मे कमी मुख्य रूप से समुचित संख्या में वैगन उपलब्ध न होने के कारण हुई। फलत कोल नियत्रण सगठन को बड़े उद्योगों आदि को कोयला देने में कठिनाई। ईंट पकाने वाले और घरेलू उपयोग के साफ्ट कोक को यातायात के क्षेत्र में सब से कम प्राथमिकता मिली।

जलाने की लकड़ी

घरेलू उपयोग के कोयले में कमी होने के कारण जलाने की लकडी पर पुन २४ फरवरी १९६१ से कट्रोल जारी किया गया। इस योजना के अन्तर्गत कबाल नगरो को सबसे पहले जलाने की लकडी कट्रोल दर पर देनी थी। आवश्यकता पडने पर अन्य नगरो में इस योजना का प्रसार करने की भी व्यवस्था थी। उन नगरो में भी जहां जलाने की लकड़ी की कंट्रोल की डिपो थी, खुले बाजार में लकडी की बिक्री की व्यवस्था जारी रखी गयी। कट्रोल की दुकानो का उद्देश्य खुले बाजार के मूल्य कम करना था।

स्टीम कोल

वैंगनो की कमी का प्रभाव औद्योगिक क्षेत्र पर भी पड़ा। अनेक कारखानो और बिजली-घरो से स्टीम कोल की कमी की सूचनाए प्राप्त हुई। कारखाने जारी रखने के लिए उन्हें शीघ्रातिशीघ्र कोयला भेजने के उपाय किये गये।

नमक

आलोच्य वर्ष मे राज्य के विभिन्न जिलो में नमक की स्थिति सन्तोषजनक नहीं रही। भारत सरकार की नमक वितरण की क्षेत्रीय योजना के अन्तर्गत प्रदेश में नमक की पूर्ति होती रही। वर्ष १९६० के लिए विभिन्न स्थानो से राज्य के लिए जो नमक के मासिक कोटे निर्धारित हुए वह इस प्रकार थे :—

(१) राजस्थान साल्ट सोर्सेज डिवीजन, सांभर झील—				
(क) साभर ..	..	..	४२८	एम० जी० वैंगन
(ख) पचभद्र ..	..	..	१२८	,, ,, ,,
(२) खारागोधा	..	..	८१६	,, ,, ,,
(३) जामनगर ..	..	..	७८९	,, ,, ,,

वर्ष १९६१ के लिए निम्न प्रकार से मासिक कोटा निर्धारित हुआ—

(१) राजस्थान साल्ट सोर्सेज डिवीजन सांभर झील—				
(क) सांभर ..	..	..	३५७	एम० जी० वैंगन
(ख) पचभद्र ..	..	..	१२८	,, ,, ,,
(२) खारागोधा ..	..	..	८१६	,, ,, ,,
(३) जामनगर ..	..	..	८८०	,, ,, ,

नाप-तौल की मीट्रिक प्रणाली

उत्तर प्रदेश नाप-तौल (एनफोर्समेन्ट) अधिनियम १९५९ के अन्तर्गत बने उत्तर प्रदेश नाप-तौल (एनफोर्समेन्ट) नियम १९६० सरकार ने ६ फरवरी, १९६० को विज्ञापित किया। चूंकि स्टैन्डर्स आव वेट्स ऐन्ड मेजर्स ऐक्ट १९५६ (नं० ८९,१९५६ का) की व्यवस्थाओं को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार को थी इसलिए उत्तर प्रदेश वेट्स ऐण्ड मेजर्स (एनफोर्समेन्ट) ऐक्ट, १९५९ की वह व्यवस्थाए जो कि वेट्स से सबंधित थीं कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद, झांसी और गोरखपुर की नगरपालिकाओ के क्षेत्रो में लागू की गयीं। जहा तक परिमाण (मास) की इकाइयो का प्रश्न है इन नगरों में केन्द्रीय अधिनियम की व्यवस्थाए १ अक्तूबर, १९५८ से ऐच्छिक आधार पर लागू की जा चुकी थीं। उपर्युक्त नगरो और विशेष उद्योगो के लिए भारत सरकार द्वारा १ अक्तूबर, १९५८ से स्वीकृत २ वर्ष की ऐच्छिक अवधि ३० सितम्बर, १९६० को समाप्त हुई। १० नगरो के विशेष क्षेत्रों और निर्दिष्ट उद्योगो में मीट्रिक बाट का प्रयोग इस प्रकार १ अक्तूबर, १९६० से अनिवार्य हो गया। इस तारीख के बाद से इन क्षेत्रो में स्वीकृत बांटो की जगह किसी अन्य प्रकार के बाटो का प्रयोग करना जुर्म था तथा अधिनियम की धाराओ का उल्लंघन करने वालो के विरुद्ध कार्यवाही होना निश्चित हो गया। भारत सरकार ने मीट्रिक वेट्स मेजर्स का प्रयोग कुछ और उद्योगों में, जो भारत सरकार के गजट में विज्ञापित तथा उत्तर प्रदेश सरकार के गजट में पुनः प्रकाशित किये जा चुके थे, करने की अनुमति दी। विभिन्न उद्योगो के लिए ऐच्छिक अवधिया भी स्वीकृत हुई। यह स्पष्ट कर दिया गया कि इन उद्योगो में ऐच्छिक अवधि की समाप्ति पर मीट्रिक बाटो का प्रयोग अनिवार्य हो जायगा।

उन माल की किस्मो, क्षेत्रो और उद्योगों को छोड़ कर जो १ अप्रैल, १९६० से विज्ञापित किये गये थे भारत सरकार ने समस्त देश मे ऐच्छिक आधार पर व्यापारिक बाटो के प्रयोग की भी अनुमति दी और नये तथा पुराने बांटो के साथ-साथ प्रयोग के लिए २ वर्ष की अवधि निर्धारित की। १ अप्रैल, १९६१ से पूरे प्रदेश मे मीट्रिक बांट का प्रयोग करना अनिवार्य कर दिया गया था। भारत सरकार के निर्णय को दृष्टि मे रखते हुए राज्य सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रो की सभी सस्ते गल्ले की दूकानो में १ अप्रैल, १९६१ से मीट्रिक बाट जारी करने का निश्चय किया।

व्यापारियो और उपभोक्ताओ को मीट्रिक बांटो से परिचित कराने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार दोनो ने पोस्टर्स, सिनेमा, स्लाइडो, रेडियो वार्ताओ, पुस्तिकाओं आदि द्वारा इनका काफी प्रचार किया।

योजना के कार्यान्वयन के लिए खाद्य और रसद विभागीय अधिकारियो को वेट्स ऐण्ड मेजर्स का पदेन कन्ट्रोलर, डिप्टी कन्ट्रोलर और सहायक कन्ट्रोलर बनाया गया। मीट्रिक संगठन के लिए अभी तक इन्सपेक्टरो या मिनिस्टीरियल कर्मचारियों के अतिरिक्त कोई और पूर्णकालिक अधिकारी नियुक्त नही किये गये थे। जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है कि रीजनल फूड कन्ट्रोलर को पदेन उप-कन्ट्रोलर आव वेट्स एण्ड मेजर्स तथा डिप्टी रीजनल फूड कन्ट्रोलर को रीजनल मार्केटिंग आफीसर और उस सचिव (सिविल सप्लाइज) को पदेन कन्ट्रोलर वेट्स एण्ड मेजर्स और डिप्टी रीजनल मार्केटिंग आफीसर तथा जिला सप्लाई आफीसर को उनके क्षेत्र का पदेन सहायक कन्ट्रोलर वेट्स एण्ड मेजर्स बना दिया गया।

वेकिंग स्टैन्डर्ड लेबोरेटरीज की आवश्यक साज-सज्जा के लिए प्रयत्न किये गये तथा आशा थी कि सभी जिलो के मुख्यालय नगरो में खुलने वाली इस प्रकार की लबोरेटरीज शीघ्र ही सज्जित हो जायगी।

कुछ अंशो तक साज-सज्जा का प्रबन्ध और कर्मचारियो की नियुक्ति हो जाने पर उत्पादको, विक्रेताओ और मरम्मत करने वालो को लाइसेन्स देने का कार्य अप्रैल, १९६० से शुरू किया गया। मीट्रिक बांटो के पुनरीक्षण और उन्हें चिन्हित करने का कार्य भी शुरू किया गया तथा ४,३७,८८३ वेट्स एण्ड मेजर्स का पुनरीक्षण और चिन्हांकन हुआ। इन कार्यो तथा लाइसेन्स की मद से सरकार को १,६१,५९५ रुपया ७८ न० पै० की आय हुई।

आवास

पिछले कुछ वर्षो में प्रदेश मे केन्द्र और राज्य की विभिन्न योजनाओ के कारण निर्माण कार्य मे काफी प्रगति हुई। फिर भी अभी तक आवश्यकतानुसार रहने के लिए मकान उपलब्ध नही हो सके हैं। बड़े शहरो मे विस्थापितो तथा ग्रामीणो के आगमन के कारण स्थिति और भी खराब हो गयी है। निम्नलिखित तालिका से पिछले तीन वर्षों की मकानों की मांगो और उपलब्धियो की स्थिति स्पष्ट है:—

वर्ष	मकानो के लिए दिये गये प्रार्थना-पत्रो की संख्या	एलाट हुए मकानो की संख्या
१९५७	५८,२०६	१७,८७७
१९५८	५५,८२९	१६,५२७
१९५९	४९,८१४	१४,९०१

वर्ष १९५९ में कवाल नगरों में आवास की स्थिति इस प्रकार थी :—

नगर			प्रार्थना-पत्रों की संख्या	एलाट मकानों की संख्या
कानपुर	..	..	१२,८०२	३,६४५
वाराणसी	..	..	१,२९७	४८५
इलाहाबाद	..	..	२,२०३	६६०
आगरा	..	..	३,२६८	१,२४२
लखनऊ	..	..	१४,४२९	९४३

अध्याय—४

यातायात, सड़कें और इमारतें

१—सड़कें, पुल और भवन

सड़के और पुल

सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इस वर्ष १२,७१८ मील (अस्थायी) पक्की और ३,१७० मील (अस्थायी) कच्ची सड़को का रखरखाव किया जबकि गत वर्ष ११,८१४ मील (अस्थायी) पक्की और ३,१३५ मील (संशोधित) कच्ची सडको का रख रखाव किया गया था। सडक और पुल निर्माण के प्रथम पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो कार्य अधूरे रह गये थे तथा अधूरे योजनेत्तर कार्य द्वितीय आयोजनाकाल में चलते रहे। द्वितीय आयोजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य भी जारी रहे। द्वितीय योजना के अन्तिम वर्ष के अत तक हुई प्रगति इस प्रकार है :—

प्रथम आयोजना की योजनाए जो जारी रही

	द्वितीय आयोजना में की गयी व्यवस्था (सशोधित)		द्वितीय आयोजना काल मे मार्च, १९६१ के अत तक हुई प्रगति	
	लम्बाई (मील में)	लागत लाख (रुपयो में)	लम्बाई (मील में)	लागत लाख (रुपयो में)
(क) पुनर्निर्माण				
(१) स्थानीय पक्की सड़के	६८	३७.४८	६४	३५.५६
(२) कच्ची पहाड़ी घोडा सडकें।	१६७	११.३२	१३४	६.५१
(३) आधुनीकीकरण और सुधार।	२१२	६९.८७ (संशोधित)	२०२	६८.९४
योग ..	४४७	११८ ६७	४००	१११.०१
(ख) नवनिर्माण				
(१) पक्की सडके ..	३१८ (संशोधित)	१८५ १४ (सशोधित)	५२७	२३८.१९
(२) जिलो के अन्य पक्की सड़के।	३१२	११४.८५	—	—
(३) सीमेन्ट कंकरीट मार्ग	३३९	९४ ९०	१२५	३८.१३
(४) कच्ची सडकें ..	६८	१३.३१	५७	९.६९
योग ..	१,०३७	४०८.२०	७०९	२८६.०१

	द्वितीय आयोजना में की गयी व्यवस्था (संशोधित)		तृतीय आयोजना काल में मार्च, १९६१ के अंत तक हुई प्रगति	
	लम्बाई (मील में)	लागत लाख (रुपयों में)	लम्बाई (मील में)	लागत लाख (रुपयों में)
(ग) बड़े पुल—				
(१) बड़े पुल ..	४१ (संख्या)	१३०.३०	४१ (संख्या)	१११.४७
(२) झूला पुल ..	८ (संख्या)	२.६१		
योग ..	४९ (संख्या)	१३२.९१	४१ (संख्या)	१११.४७
(घ) अन्य कार्य—				
थोक रकम ..	..	३७.१६ थोक रकम	..	२३.२५
कुल योग ..	..	६६६.६४	..	५३१.७४

द्वितीय आयोजनाकाल की नयी योजनाएं

	द्वितीय आयोजना में व्यवस्था		मार्च, १९६१ के अन्त तक हुई प्रगति (अस्थायी)	
	लम्बाई (मील में)	लागत लाख (रुपयों में)	लम्बाई (मील में)	लागत लाख (रुपयों में)
(क) पुनर्निर्माण—				
(१) स्थानीय पक्की सड़कें	४१२	१३१.१७	१९७	८१.९९
(२) कच्ची पहाड़ी घोड़ा सड़कें।	४३४	१८.४५	२६३	६.९२
(३) आधुनिकीकरण ..	४६४	१८८.९३ (संशोधित)	३४६	११८.४९
योग ..	१३१०	३३८.५५	८०६	२०७.४०

	द्वितीय आयोजना मे व्यवस्था		मार्च, १९६१ के अन्त हुई प्रगति (अस्थायी)	
	लम्बाई (मील मे)	लागत (लाख रुपयो में)	लम्बाई (मील मे)	लागत (लाख रुपयो में)
(ख) नवनिर्माण—				
(१) पक्की सडकें ..	९२६ (सशोधित)	४४६.७३	..	.
(२) जिलो की अन्य सडकें पक्की की गयीं।	८११	३२१.८०	८९२	४३०.०३
(३) श्रमदान मार्ग .	१००	२७.५०		
(४) राजकीय इस्टेट सडकें	२५	१०.००		
(५) कच्ची सडकें ..	३९९	२४.४०	१४५	१०.१५
(६) श्रमदान की ३०० मील सड़को का रख रखाव	थोक रकम	७.५०	थोक रकम	३.६६
योग ..	२,२६१	८३७.९३	१,०३७	४४३.८४
(ग) बड़े पुल—				
(१) झूला पुल ..	३५ (संख्या)	२२.००	१९ (संख्या)	१४४.९९
(२) बडे पुल ..	५६+८ फेरीज	३२६.३२		
योग ..	९९ (संख्या)	३४८.३२	१९ (संख्या)	१४४.९९
(३) अन्य कार्य ..	थोक रकम	८५.५०	थोक रकम	३०.४२
कुल योग ..	..	१,६१०.३०	..	८२६.६५

बेकारी सहायता योजनाएं

[निम्नलिखित विवरण उन सडको के बारे में है जिनकी स्वीकृति भारत सरकार ने अपनी बेकारी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत दी थी। भारत सरकार ने इनका पूरा खर्च उठाना स्वीकार किया तथा इनका कार्य जारी रखा गया।]

	द्वितीय आयोजना मे व्यवस्था		मार्च, १९६१ तक प्रगति (अस्थायी)	
	लम्बाई (मील में)	लागत (लाख रुपयो मे)	लम्बाई (मील मे)	लागत (लाख रुपयो में)
(क) पुनर्निर्माण—				
(१) स्थानीय पक्की सडकें	९	०.४३	९	०.४६ (संशोधित)
(२) पहाडी कच्ची घोडा सड़कें	१०४	२०.०६	७५	७.४३

	द्वितीय आयोजना में व्यवस्था		मार्च, १९६१ तक प्रगति (अस्थायी)	
	लम्बाई (मील में)	लागत (लाख रुपयों में)	लम्बाई (मील में)	लागत (लाख रुपयों में)
(३) आधुनिकीकरण तथा सुधार	२१	४ ८०	४	४.१६
योग ..	१३४	२५.२६	८८	१२.०५
(ख) नवनिर्माण—				
(१) पक्की सडकें ..	२९५ (संशोधित)	१८१.४०	३४१ (संशोधित)	१५३.८३
(२) जिलों की अन्य पक्की सडकें	५१ (संशोधित)	१५ ६१		
(३) कच्ची सडकें और सुधार	९३	१२ ५५	६४	९.३८
योग ..	४३९	२०९ ५६	४०५	१६३ २१
कुल योग ..	.	२३४ ८५	..	१७५.२६

केन्द्रीय सड़क कोष द्वारा पोषित योजना

द्वितीय आयोजना के कार्यों के अतिरिक्त प्रदेश में कुछ केन्द्रीय सडक कोष द्वारा पोषित योजनाओं की सडकों का निर्माण भी जारी रहा। इस श्रेणी की पुरानी और नयी योजनाओं का विवरण इस प्रकार है :—

कार्य का विवरण	द्वितीय आयोजना मे व्यवस्था		३१ मार्च, १९६१ तक प्रगति (अस्थायी)	
	लम्बाई (मील में)	लागत (लाख रुपयों में)	लम्बाई (मील में)	लागत (लाख रुपयों में)
(१) जारी योजनाएं—				
(१) पुनर्निर्माण सुधार और आधुनिकीकरण	२१६	६१ ८८० (संशोधित)	२१२	५६.४०
(२) नव निर्माण-नयी पक्की सडकें और जिलों की अन्य सड़कों को पक्की करना ..	९	१२ २८६ / १.६३८	९	१४.३४
(३) पुल— बड़े पुल ..	५ (सख्या)	१९.३१९	३ (सख्या)	१७ १९
(४) अन्य कार्य ..	थोक रकम	०.१४६	थोक रकम	० १४५
योग ..	..	९४ ९६९	..	८८.००५

कार्य का उपशीर्ष	द्वितीय पंचवर्षीय योजना में व्यवस्था		मार्च, १९६१ तक उपलब्धियां (अत कालीन)	
	लम्बाई (मील में)	लागत (लाख रुपयो में)	लम्बाई (मील में)	लागत (लाख रुपयो में)
२—नयी योजनाएं—				
(१) आधुनिकीकरण एव सुधार।	१६ (संशोधित)	१५.८६८	९	६.१०
(२) नूतन निर्माण ..				
नयी पक्की सड़कें ..	४८ (संशोधित)	४३.८० (सशोधित)	२३	१९.६९
(३) कच्ची सड़के ..	१२ (सशोधित)	१२.८०	१	१.२५
(४) पुल—				
झूला, नाव और बड़े पुल	४ (संख्या)	१७.८७१	..	३.६२
(५) अन्य कार्य ..	थोक रकम	२.९४१	..	०.०९
योग ..	..	९३.२८०	..	३०.७५
कुल योग ..	..	१८८ २४९	..	११८ ७५५

[नोट—नयी योजनाओ के अन्तर्गत दी गयी व्यवस्था की सख्या मे वह सख्या भी सम्मिलित है जिन कार्यों की व्यवस्था की स्वीकृति सन् १९६०–६१ मे दी गयी थी। जारी रहने वाली योजनाओ के अन्तर्गत २ पुलो पर होने वाले व्यय पहले नयी योजनाओ में सम्मिलित कर लिया गया था और अब उसे ठीक कर दिया गया है।]

सड़को का आधुनिकीकरण

द्वितीय पंचवर्षीय योजना मे सडको के आधुनिकीकरण के महत्व पर बल दिया गया था और कई महत्वपूर्ण राजमार्गो का उनकी पूरी लम्बाई भर आधुनिकीकरण प्रस्तावित किया गया।

१,०२७ (संशोधित) मीलो के आधुनिकीकरण की व्यवस्था की गयी। इनमे से मार्च, १९६१ तक ७७६ मील सडको का आधुनिकीकरण किया जा चुका था।

चीनी मीलो के चारो ओर सड़क—प्रथम पंचवर्षीय योजना मे सरकार ने चीनी मिलो के चारो ओर सडको के निर्माण की स्वीकृति दी थी। उक्त योजनाकाल मे इन सड़को में से कुछ का निर्माण पूर्ण नही हो सका था और उनको पूरी करने की व्यवस्था द्वितीय पंचवर्षीय योजना मे की गयी। इन अपूर्ण कार्यो के अतिरिक्त, सरकार ने २४१.४३ लाख रुपयो की लागत की १४६ मील लम्बी कोलतार की सड़को और २७१ मील लम्बी सीमेंट कक्रीट की सडको के नव निर्माण की स्वीकृति दी। ५.५७ लाख रुपये की धनराशि आरक्षित रखी गयी ताकि किसी परियोजना पर अनुमानित धन से अधिक का व्यय पडे तो उससे पूरा किया जा सके। यह मजूर किया गया कि इस योजना की लागत बराबर से चीनी मिल के मालिकों का सिडीकेट, राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार वहन करेगी। मार्च, १९६१ तक १९० मील लम्बी सीमेन्ट

कांक्रीट और कोलतार की सडको का निर्माण हो चुका था। मार्च, १९६१ तक इस योजना पर १४४ १२६ लाख (अत.कालीन) रुपये का कुल व्यय हुआ था।

पिछडे और सीमावर्ती क्षेत्रो में सडको का विकास—१९५८–५९ मे भारत-तिब्बत सीमा योजना के अन्तर्गत, १९५८–५९ मे पिछडे क्षेत्र योजना के अन्तर्गत और १९६०–६१ मे अतिरिक्त पिछडे क्षेत्र योजना के अन्तर्गत सरकार ने सडको और पुलो के निर्माण की अतिरिक्त परियोजनाओ की स्वीकृति दी। इन योजनाओ से संबधित विवरण निम्नलिखित है :—

सीमावर्ती क्षेत्रो मे सड़को के विकास की योजना

कार्य का विवरण	द्वितीय पंचवर्षीय योजना मे व्यवस्था		मार्च, १९६१ तक उपलब्धियां (अतर्कालीन)	
	लम्बाई (मीलो में)	लागत (लाख रुपयो मे)	लम्बाई (मीलो मे)	लागत (लाख रुपयो में)
१	२	३	४	५
(१) पुनर्निर्माण-कच्ची घोड़ा सडकें।	२३	३.००	८	१ ०३
(२) नव-निर्माण नयी मोटर सडके।	६८	४१ ५०	५६	२३.६१
(३) पुल—				
(१) बड़े ..	१ (संख्या)	७ ५		३.६९
(२) झूला ..	१ (संख्या)	२ ०		
योग ..	..	५४.००	..	२८.३३

पिछड़े क्षेत्रो की योजनाएं

कार्य का विवरण	कुल व्यवस्था		मार्च, १९६१ तक उपलब्धियां	
	लम्बाई (मीलो मे)	लागत (लाख रुपयो मे)	लम्बाई (मीलो मे)	लागत (लाख रुपयो मे) (अत:कालीन)
१	२	३	४	५
सडकें—				
(क) नया निर्माण ..	१५३ (संशोधित)	१०७.४६ (संशोधित)	७४	४७.१५
(ख) आधुनिकीकरण	३		..	..
पुल ..	१२ (संख्या) (संशोधित)		१ (सख्या)	८ २५
योग ..	..	१०७.४६	..	५५.४०

अतिरिक्त पिछड़े क्षेत्र योजना

कार्य का विवरण	कुल व्यवस्था		मार्च, १९६१ तक उपलब्धियां	
	लम्बाई (मीलो में)	लागत (लाख रुपयो मे)	लम्बाई (मीलो में)	लागत (लाख रुपयो मे) (अंतःकालीन)
१	२	३	४	५
१—नंव निर्माण ..	९३	९१.४६	२	१.९९५
२—मौजूदा सड़को का सुधार तथा आधुनिकीकरण ।	९५	३९.९५	३	१६.५३७
योग ..	१८८	१३१.४१	५	१८.५३२

बेरोजगार व्यक्तियों के पुनर्वास की योजना——

इन योजनाओ के अतिरिक्त लखीमपुर-खीरी और पीलीभीत जिलो में बेरोजगार व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए भूमि को कृषि योग्य बनाने की योजनाओ के अन्तर्गत सड़को के निर्माण का कार्य-क्रम प्रारम्भ किया गया। इसमें जो प्रगति हुई, उसका ब्योरा निम्नलिखित है :

कार्य का विवरण	द्वितीय पचवर्षीय योजना मे व्यवस्था		मार्च, १९६१ तक उपलब्धि (अंतःकालीन)	
	लम्बाई (मीलो मे)	लागत (लाख रुपयों मे)	लम्बाई (मीलो मे)	लागत (लाख रुपयो मे)
१	२	३	४	५
जारी रहने वाली योजनाएं—— लखीमपुर खीरी में २००० एकड़ भूमि कृषि योग्य बनाने की योजना	२१	२०.९०५	२१	२१.९८ (अंतःकालीन)
नयी योजना——भूमिहीन मजदूरो के लिए पीलीभीत जिले मे बस्ती बसाने के लिए सड़को का निर्माण ..	१८	२२.७२८	१०	१३.९७ (अनःकालीन)
योग ..	..	४३.६३३	..	३५.९५

राजकीय मार्ग——

१९६०–६१ मे उत्तर प्रदेश के राजमार्गो की उन्नति के लिये भारत सरकार ने इतने कार्यों की स्वीकृति दी कि उनकी लागत अनुमानतः १००.४३७ लाख रुपये हो गयी। इसके अतिरिक्त

४६ लाख रुपये की एक और धनराशि इसलिए स्वीकृत की गयी कि उसके जरिये राजमार्गों का ठीक से रखरखाव और मरम्मत हो सके। इस मरम्मत में वर्षाकाल में होने वाली टूट-फूट भी सम्मिलित थी। १९६०–६१ के कार्यक्रम में सम्मिलित विशिष्ट परियोजनाओं का विवरण निम्नलिखित है :—

कार्य	अनुमानित लागत (रुपयों में)	जो खर्च हुआ (रुपयों में)	आलोच्य वर्ष के अंत तक भौतिक प्रगति
१	२	३	४
पुल—			प्रतिशत
(१) आजमगढ़ जिले के मऊ नामक स्थान में टोंस नदी पर पुल का निर्माण ..	१२,४८,८००	५,६२,०००	४३
(२) राजमार्ग २४ पर स्थित गढ़-मुक्तेश्वर में गंगा पुल का निर्माण ..	७७,९७,०००	६०,६७,०००	८५
(३) गोरखपुर जिले में घाट पर एक आर० सी० पुल का निर्माण ..	४१,४३,०००	२८,००,०००	७०
(४) गोरखपुर जिले में बोर्ड घाट पर राप्ती के पुल तक प्रवेश मार्गों का निर्माण	९,५८,७००	३,८७,८००	३४
(५) मथुरा जिले में कोसी उपमार्ग के नीचे पुल का निर्माण	१,१५,९००	..	..
(६) गढ़पुल तक मुरादाबाद की ओर से प्रवेश मार्ग	१०,५८,१००	८,५१,०००	८९
(७) अयोध्या में सरयू (घाघरा) पर प्रस्तावित पुल के लिए नदी का बहाव मोड़ने के कार्य पर	८०,५२,०००	६८,६३,०००	९८
(८) इलाहाबाद के यमुना पुल की सड़क पर रोशनी की व्यवस्था	३१,४००	..	..
(९) अयोध्या और लकड़मण्डी दोनों ओर पार्श्व भित्तियों पर स्तम्भभित्ति का निर्माण तथा अयोध्या में सरयू (घाघरा) पर प्रस्तावित पुल के लिए प्रवेश मार्गों का निर्माण	६,८५,०००	२,६३,४८०	३४
सड़कों को चौड़ा करना—			
(१) राजमार्ग २ की बम्बई-दिल्ली सड़क को मील नं० ७६६ से मील नं० ८१७ तक चौड़ा करना	१७,७१,०००	१७,४१,०००	९९.९
(२) राजमार्ग २ (कानपुर बड़ा) के किनारों (मील ५१ से ७० तक) की पटरियों को चौड़ा करना	८,८५,६००	..	.

कार्य	अनुमानित लागत (रुपयों में)	जो खर्च हुआ (रुपयों में)	आलोच्य वर्ष के अंत तक भौतिक प्रगति
१	२	३	४
			प्रतिशत
(३) राजमार्ग २ (कानपुर तथा इलाहाबाद) के किनारों की पटरियों को चौड़ा करना	१५,३३,०००	..	..
(४) राजमार्ग २ के लखनऊ–बरेली सड़क को मील ११ से १९ तक चौड़ा करना	५,४६,८००	२,३६,७००	६४
(५) मेरठ जिले में गाजियाबाद से हापुड़ तक राज मार्ग (रूट नं० २४) को ऊंचा तथा चौड़ा करना	२३,२३,२००	..	..
(६) मेरठ जिले में हापुड से गढमुक्तेश्वर तक राजमार्ग नं० २४ को ऊंचा और चौड़ा करना	२०,२७,२००	..	..
(७) लखनऊ और उन्नाव जिलों में लखनऊ–झांसी सड़क को मील ४ से मील ७५ तक चौड़ा करना	२०,६३,०००	१८,२६,८००	१००
(८) राजमार्ग रूट नं० २८ के लखनऊ-गोरखपुर सड़क को मील ३ से मील ११ तक चौड़ा करना सीमेन्ट कांक्रीट करना तथा रंगना—	४,३१,०००	४,०६,६००	९८.५
(१) मथुरा जिले में रा० रा० मा० २ की बम्बई-दिल्ली सड़क के मील ७७६ से मील ८१ तक की सीमेंट कांक्रीटिंग .	४१,१८,२००	६,५०,०००	१५
(२) आगरा जिले में रा० रा० मा० २ की बम्बई-दिल्ली सड़क के मील ७५६ स ७६५ तक की सीमेंट कांक्रीट करना ..	३१,८६,०००	१,१०,०००	५
(३) देवरिया जिले में कसिया-तमकुही सड़क (रा० रा० मा० २८) के २००वें मील से २७६ वें मील तक कोलतार करने के लिए	१६,१३,६००	..	..
(४) गोरखपुर-गाजीपुर सड़क (रा० रा० मा० २९) के ३५वें मील से ६२वें मील तक कोलतार करने के लिए	१२,६०,०००	१०,८६,८००	९४

कार्य	अनुमानित लागत (रुपयों में)	जो खर्च हुआ (रुपयों में)	आलोच्य वर्ष के अन्त तक भौतिक प्रगति
१	२	३	४
			प्रतिशत
उपमार्ग, पटरियो पर पुल तथा प्रवेश मार्ग--			
(१) बम्बई-दिल्ली सडक (रा०रा०मा० २) का कोसी कला के निकट ८११--८१२वे मीलो पर मोडना .. .	७,१७,३००	२,६६,२५४	६०
(२) बम्बई-दिल्ली सडक पर ७८१ मील से ७६० मील तक मथुरा के लिए एक उपमार्ग का निर्माण	१४,८०,७००	१२,२७,२८०	८६
(३) सेंट्रल रेलवे ओवर ब्रिज तक (मील८७०/१८-१६) मथुरा उपमार्ग पर (रा०रा०मा० २) प्रवेश मार्गो का निर्माण ..	२,८८,५००	२,३६,०००	८२
(४) मथुरा उपमार्ग पर सेंट्रल रेलवे के ७६६/१५-१६ और ७७३-७७४ मीलो पर मथुरा मे ओवर ब्रिज के लिए प्रवेश मार्गो का निर्माण	२,७६,८००	२,७६,७४७	७२
(५) मथुरा जिले मे बम्बई-दिल्ली सडक के ७७८वे मील पर वर्तमान रेलवे फाटको के स्थान पर वाह मे ओवर ब्रिज के लिए प्रवेश मार्गो का निर्माण	३,०१,२००	२,४८,३००	७५
(६) बम्बई-दिल्ली सडक के ७७२वें मील पर फर्राह मे रेलवे क्रासिग के स्थान पर सेंट्रल रेलवे ओवर ब्रिज तक प्रवेश मार्गों का निर्माण	४,०६,२००	३,००,८००	७५
(७) आगरे मे (रा०रा०मा०२) यमुना नदी पर एक उपमार्ग तथा पुल बनाने के लिये भूमि की अध्याप्ति . ..	१,६६,४००	..	..
(८) मैनपुरी जिले मे ए०ई०एफ० सड़क (रा०रा०मा०२) के जलमग्न भाग को ३६ से ४२ वें तथा ४६ से ४७ वें मीलों को ऊंचा करना	७,०५,३००	१८,१००	१
(९) लखनऊ-गोरखपुर सड़क के ७७ से ८१ मील तक फैजाबाद मे उपमार्ग के निर्माण हेतु भूमि की अध्याप्ति ..	३६,३००	..	..

कार्य	अनुमानित लागत (रुपयो मे)	जो खर्च हुआ (रुपयो मे)	आलोच्य वर्ष के अन्त तक भौतिक प्रगति
१	२	३	४
ज्यामिति का सुधार--			
(१) रा०मा०मा० २ (ग्रैन्डट्रंक रोड मील ४८८ से ५०० तक) के ४३९ से ४५१ मीलो के बीच कठोर मोडो को सरल बनाना	१,३२,६००	१,०५,०००	७५
(२) उन्नाव जिले मे लखनऊ-झांसी सड़क के (रा०रा०मा०२५) के ४४ वें मील (किग६) के कठोर मोडो को सरल बनाना ..	७०,२००	६०,०००	६६

इमारतें--

विभिन्न विभागो से संबधित महत्वपूर्ण इमारतो का उल्लेख जिनका निर्माण-कार्य १९६०-६१ मे पूरा हुआ, नीचे दिया जा रहा है --

कार्य का नाम	धनराशि जो व्यय हुई
१	२
	रु०
१--शाहजहापुर मे मुख्य गन्ना अनुसधान केन्द्र के विस्तार की योजना से संबधित इमारतें और मुजफ्फरनगर तथा गोरखपुर के उपकेन्द्रो से संबधित इमारते (गोरखपुर और मुजफ्फरनगर मे कार्य पहले ही पूरा हो चुका था)	१,६१,००८
(२) लखनऊ के महानगर मोहल्ले में सी०आई०डी० के ३० इन्सपेक्टरो और ३० सब-इन्सपेक्टरो के लिए मकान	७,०४,५००
(३) १० इन्सपेक्टरो, २६ सब-इन्सपेक्टरो, ६२ विवाहित हेड कास्टेबिलो और ३०० विवाहित सिपाहियो के लिए क्वार्टर तथा २७५ सिपाहियो के लिए बैरकें	१५,००,०००
(४) लखनऊ के महानगर में पी०ए०सी० की तीसरी बटालियन के लिए इमारत तथा रंगरूटो के लिए प्रशिक्षण केंद्र	२१,३८,०००
(५) लखनऊ के महानगर मे यू०पी० पुलिस रेडियो मुख्यालय के लिए इमारत	१५,४८,०००
(६) मेरठ में छठी बटालियन पी०ए०सी० के लिए इमारत ..	१८,००,०००
(७) लखनऊ के बनारसीबाग मे स्थायी विकास प्रदर्शनी के लिये भवन	३,०२,०००

कार्य का नाम	धनराशि जो व्यय हुई
१	२
	रु०
(८) लखनऊ में खेल-कूद का स्टैडियम	१३,५०,०००
(९) इलाहाबाद में अदालती कमरों के नये खंड	२,९८,०००
(१०) लखनऊ के कला और शिल्प के राजकीय स्कूल के लिए इमारत..	२,९१,७००
(११) लखनऊ के कला और शिल्प के राजकीय स्कूल के लिए नया भवन (संस्था के भवन के वर्तमान खड का कार्य भी पूरा कर लिया गया)	१,११,२००
(१२) कानपुर में श्रमायुक्त कार्यालय के भवन का उपभवन ..	२,७६,०००
(१३) मेरठ मे औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र	६,११,८००
(१४) कानपुर में औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र	१७,९४,०००
(१५) इलाहाबाद के सेंट्रल प्रेस तथा लखनऊ के नये राजकीय प्रेस में दवाखाना, आराम-कक्ष, जलपान कक्ष, पुस्तकालय इत्यादि ..	२,५७,०००
(१६) कानपुर में हारकोर्ट बटलर टेक्नालाजिकल इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट लेदर वर्किंग स्कूल तथा गवर्नमेंट सेंट्रल टैक्सटाइल इस्टी-ट्यूट के छात्रावास	३,४७,६००
(१७) अल्मोडा में एक फार्म के विकास के लिए भवन (हवालबाग इलाके की अध्याप्ति की कार्यवाही भी पूरी की गयी) ..	१,८२,०४०
(१८) इलाहाबाद मे छपाई का उत्तरी क्षेत्रिक स्कूल की स्थापना की योजना से संबधित भवन	४,२५,५९७
(१९) सुल्तानपुर, सहारनपुर, आजमगढ, अलीगढ और इटावा जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में अग्रगामी कारखाने स्थापित करने की योजना से संबधित इमारत (कुछ भवनों में केवल बिजली लगना शेष था)	५,९९,०००
(२०) देवबन्द की औद्योगिक इलाका (स्वीकृत तीस इकाइया पूरी की गयी। अन्य इकाइयों पर स्वीकृति मिलनी थी) ..	८,५५,१००
(२१) लोनी, मेरठ और वाराणसी की काशी विद्यापीठ के औद्योगिक इलाके	५,९२,८००
(२२) रेशम बुनने वालों की वाराणसी मे बस्ती जिस में १०० घर हैं	४,०६,०००
(२३) चुर्क में अतिरिक्त चूने का पत्थर स्टाक करने के लिए भवन ..	२३,५००
(२४) चुर्क सीमेंट फैक्ट्री में १ कमरे वाले क्वार्टर	२,७८,१५०
(२५) चुर्क में 'जे' टाइप क्वार्टर	१,७३,३५०
(२६) चुर्क के हायर सेकेंड्री स्कूल भवन मे अतिरिक्त निर्माण ..	२,३७,३००

बिभिन्न विभागो की निम्नलिखित इमारतो का निर्माण कार्य चालू था—

कार्य का नाम	अनुमानित लागत
	रु०
१—आगरा मे दुग्ध शाला के लिए भवन	२६,००,००० (भूमि के मूल्य सहित)
२—पीलीभीत औपनिवेशीकरण योजना से संबधित इमारते ..	१८,०५,५००
३—पहाड़ी जिलो मे आलू की खेती के विकास की योजना के अन्तर्गत भवन	१,२०,०००
४—देहरादून मे रिजर्व पुलिस लाइन	१८,००,०००
५—बरेली में पी०ए०सी० की आठवीं बटालियन के लिए नया भवन ..	२१,५०,०००
६—कानपुर मे पी०ए०सी० की १४ वीं बटालियन के लिए भवन ..	२१,८८,०००
७—लखनऊ के बनारसी बाग स्थित विकास प्रदर्शनी भवन में एक और गृह-पार्श्व	१,००,२८०
८—लखनऊ में प्रोग्रेस म्यूजियम के अहाते मे सूचना निदेशालय के कार्यालय के लिए भवन	५,२३,०००
९—नयी दिल्ली मे उत्तर प्रदेश सरकार के लिए आवास-गृह (नयी दिल्ली मे उ० प्र० निवास)	२,१७,७८०
१०—मुजफ्फरनगर मे नयी दीवानी अदालत का भवन	२,७८,०००
११—मथुरा मे नयी दीवानी अदालत का भवन	३,२३,७००
१२—एटा में नयी दीवानी अदालत का भवन	२,१५,८००
१३—उत्तर प्रदेश में हरिजनो के लिए १० औद्योगिक इलाके स्थापित करने के लिए भवन	२७,९०,५५०
१४—जिला नैनीताल में पटवाडांगर मे स्टेट वैक्सीन इंस्टीट्यूट में कुत्ते के काटे के इलाज के लिए वैक्सीन के निर्माण की योजना से सबंधित भवन	१,४६,९००
१५—लखनऊ मे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के लिए भवन	४,५६,५२५
१६—कानपुर में एक अतिरिक्त क्षय निवारण उपचार-गृह (हरिहरनाथ शास्त्री नगर और बाबूपुरवा मे राजकीय श्रम कल्याण केंद्रो के लिए २ भवन तैयार हो चुके थे)	७,७८,०००
१७—कानपुर में क्षेत्रीय संराधन कार्यालय के लिए भवन ..	२,६४,०००
१८—श्रम विभाग के अधिकारियों के लिए ७ निवास	२,४५,०००
१९—कानपुर मे जाजमऊ और जूही तथा मेरठ मे गोबिन्दपुरी मे श्रम कल्याण केंद्रो के लिए भवन	३,१५,०००
२०—फीरोजाबाद, आगरा, सहारनपुर, नैनी (इलाहाबाद) तथा ऐशबाग (लखनऊ) में श्रम कल्याण केंद्रों के लिए भवन	५,१९,८००
२१—आई०टी०आई० लखनऊ के लिए भवन	३,७४,०००
२२—औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थान, गोडा	४,६१,४७०
२३— ,, ,, श्रीनगर	५,७६,७४८
२४— ,, ,, इलाहाबाद	६,११,८००

कार्य का नाम	अनुमानित व्यय
	रु०
२५— औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बरेली	५,०७,४७२
२६— " " आगरा	४,६१,४७२
२७— " " वाराणसी	६,११,८००
२८—इलाहाबाद के राजकीय सेंट्रल प्रेस मशीन खंड, मोनोकास्टिंग खंड तथा कागज के लिए गोदाम	८,८६,०००
२९—गोरखपुर के राजकीय प्राविधिक संस्था मे छात्रावास ..	५,७३,८००
३०—लखनऊ में राजकीय प्राविधिक संस्था मे छात्रावास ..	५,८५,५००
३१—बरेली और झासी मे नवीन डिप्लोमा संस्थाओं मे छात्रावास	७,९५,८३३
३२—इलाहाबाद मे मुद्रण कला की शिक्षा देने के लिए उत्तरी क्षेत्रीय स्कूल में छात्रावास	१,३८,०००
३३—खुर्जा में मिट्टी के बर्तनो के विकास की योजना से संबंधित भवन	२,१३,१७४
३४—चौबटियां मे पर्वतीय फल अनुसंधान स्टेशन के विकास की योजना से संबंधित भवन	१,५५,३६०
३५—बरेली तथा झांसी मे नवीन डिप्लोमा संस्थाएं आरम्भ करने के लिए भवन	१३,९८,४००
३६—गोरखपुर के राजकीय प्राविधिक संस्थान की प्रशिक्षण क्षमता मे विस्तार की योजना से संबंधित भवन	४,७२,८००
३७—आगरा का औद्योगिक इलाका	२२,११,३८०
३८—कानपुर का डिप्लोमा संस्थान	१०,७७,०००
३९—गोरखपुर के राजकीय प्राविधिक संस्थान के लिए अतिरिक्त भवन	१,५७,३२०
४०—फतेहपुर के राजकीय प्रशिक्षण स्कूल के लिए भवन ..	१,३१,०००
४१—भीमताल, टेहरी, श्रीनगर तथा अल्मोड़ा के पर्वतीय जिलो में छोटे औद्योगिक इलाको के लिए भवन	७,००,६००
४२—कानपुर के एच० बी० टी० आई० मे अनुसंधान कार्य के लिए अतिरिक्त भवन	६,७२,१२१
४३—लखनऊ का राजकीय प्राविधिक स्कूल	११,५२,०००
सीमेंट का कारखाना—	
४४—सिविल इंजीनियरिंग ऐंड फाउन्डेशन वर्क्स	४३.५२ लाख

वाराणसी के घाट तथा बाढ़-नियन्त्रण कार्य

पहले चरण की योजना के अन्तर्गत वाराणसी के घाटो पर मरम्मत और पुनर्निर्माण का कार्य जिसकी लागत ५५.१२ लाख रुपये थी पूरा किया जा चुका था। कुछ घाटो, विशेषतया हनुमानघाट की ओर सुरक्षा होनी थी और इन घाटो के सामने काष्ठभित्तियां बनाने की एक योजना स्वीकृत की गयी। इसका कार्य भी ९० प्रतिशत भाग आलोच्य वर्ष मे पूरा हो चुका था।

आलोच्य वर्ष में ५.३५५ लाख रुपये लागत का हल्द्वानी का सुरक्षा कार्य स्वीकृत हुआ और उसे आरम्भ कर दिया गया। १९६० की भीषण बाढ़ के बाद लखनऊ नगर की सुरक्षा

की योजना अत्यावश्यक हो गयी और इस व्यापक योजना को तैयार करने के लिए गोमती नदी के सर्वेक्षण की स्वीकृत दी गयी।

सामुदायिक परियोजना कार्य

सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा खड मुख्यालयों में आवासिक और अनावासिक भवनों के निर्माण का कार्य किया गया।

वर्ष के आरम्भ मे निम्नलिखित खंडो में सभी तरह के भवनों के निर्माण का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंप दिया गया।

(१) प्रथम चरण के खंड	३०८
(२) द्वितीय चरण के खड	३४
(३) आई०डी०खंड	५३

बाद मे ८१ और प्रथम चरण के खंडों की स्वीकृति दी गयी और ५३ आई० डी० खंडो में से २५ को द्वितीय चरण वाले खडो में उनकी विकासावधि समाप्त होने पर परिवर्तित कर दिया गया। वर्षान्त मे खंडो की कुल संख्या निम्न प्रकार थी:—

१—प्रथम चरण के खंड में	३८९
२—द्वितीय चरण के खंड	५९
३—आई० डी० खंड	२८
योग ..	४७६

इन खंडो में भवन निर्माण कार्य की प्रगति संतोषजनक रही। आलोच्य वर्ष मे १०१ खंड सभी प्रकार से पूरे हो गये थे, १५८ एम० ई०एस० चरण तक पूरे हुए थे और ६४ का कार्य प्रगति कर रहा था। शेष १५३ खंडो में से ११६ का स्थान अंतिम रूप से निश्चित नहीं हो सका था।

खंड मुख्यालयों पर मानव और पशु चिकित्सालयों के निर्माण का कार्य भी सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंपा गया था। इन भवनों से संबंधित प्रगति नीचे दी जाती है:—

काम की किस्म	स्वीकृत-संख्या	स्थान अथवा आवश्यक वस्तुए उपलब्ध नहीं थी।	स्थान अथवा आवश्यक वस्तुए उपलब्ध तो थी पर कार्य आरम्भ नहीं हुआ	जहा कार्य की प्रगति हो रही थी।	कार्य पूरा हुआ
(१) नव-निर्माण ..	..१५७	९४	१६	५९	३५
(२) प्राथमिक चिकित्सा केंद्र	.. ४७				
(३) मरम्मत और लागत	..१९०	७०	३२	४६	५२
(४) परिवार नियोजन शाखा	१०				
पशु चिकित्सालय—					
(१) नव निर्माण	..३७५	१४७	२९	७५	१२४
(२) सुधार	.. ६८	२५८	१३	६	९
(३) प्राथमिक सहायता चिकित्सालय	१७७				
(४) तृतीय श्रेणी के चिकित्सालय	.. ४१				

श्रमदान द्वारा निर्मित ५६० मील लम्बी पक्की सड़कों को जो मुख्य सड़कों में जा कर मिलती थीं विभाग ने ठीक से रख-रखाव के लिए अपने अधीन कर लिया ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग अनुसंधान संस्थान

क्षेत्र अभियंताओं द्वारा भेजे गये दिन प्रति दिन के मसलो का सार्वजनिक निर्माण विभाग अनुसंधान सस्थान जाच-पडताल करता रहा और परीक्षाफलो के आधार पर प्राविधिक परामर्श देता रहा । वर्ष भर में कई मसलो पर गौर किया गया । प्रयोगशाला कार्य के अतिरिक्त, कडे नियत्रण में १ मील जमाई हुई मिट्टी की सडक का निर्माण किया गया तथा एक मील की लम्बाई में ईंट की भराई 'स्प्रे ग्राट' निर्दिष्टियो सहित की गयी । विभिन्न प्रकार की उपश्रेणी की मिट्टियो की जांच-पडताल इस आशय से की गयी थी कि यातायात में वृद्धि होने के फलस्वरूप अधिक भार सहन करने के लिए पक्की सड़को के ऊपरी परत कितनी मोटाई के हो ।

राष्ट्रीय राजमार्ग के आगरा-मथुरा खड में सीमेंट की सिल्लियां डलवाने से पहले उपश्रेणी की मिट्टियो का भी परीक्षण किया गया । राष्ट्रीय राजमार्ग रूट नं० २ के मथुरा-आगरा खंड के उपमार्गों की मजबूती की भी जाच की गयी । लखनऊ-मोहान सड़क, बेनी-बरौनी सड़क तथा लखनऊ-सुल्तानपुर सड़क पर निर्माण की लागत में कमी करने के आशय से मिट्टी की जमाई के विभिन्न प्रयोग किये गये ।

लखनऊ जिले के चिनहट तथा अन्य गावो के बहुत से घरो पर जलारोधो और क्षार न होने वाली मिट्टी का लेप किया गया । बडे भवनो की भारवहन क्षमता तथा स्थिरीकरण से सबंधित अध्ययन किये गये और इस आशय की संस्तुतिया की गयीं कि वे बिना खतरे के कितना भार सहन कर सकते हैं । राज्य में प्रस्तावित भारी उद्योगो के लिए स्थानो के चुनाव का भी कार्य किया गया ।

विभिन्न भवनो के निर्माण की परियोजनाओ के लिए क्षेत्र में निर्मित ईटो की कोटि के नियत्रण का भी कार्य किया गया और राज्य भर के तमाम क्षेत्रो से मगा कर बहुत प्रकार की मिट्टियो का परीक्षण प्रथम श्रेणी की ईंटो का निर्माण करने वाले भट्टो को लगाने के लिए किया गया । इतनी कड़ी ईटो को जो पत्थर की गिट्टियो की जगह ले सकें बनाने के संबंध में अध्ययन जारी रहा । बांदा जिले की संकुचित होने योग्य मिट्टियो से अच्छी ईंटो के निर्माण के लिए क्षेत्र प्रयोगो की भी सस्तुति की गयी ।

विभिन्न चूने-गारे और ककरीटो में कड़ापन लाने के लिए उनमे सीमेंट का कितना अंश हो, इसी की खोजबीन में विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला सलग्न रही । वर्ष भर में २५ नमूनो का विश्लेषण किया गया । उत्तर प्रदेश के विभिन्न वर्गो के पत्थरो का प्रयोगशाला तथा क्षेत्र प्रक्रिया को सहसम्बद्ध करने का कार्य किया गया और यह निश्चय किया गया कि आगामी वर्ष में एक मील में लगभग ३० विभिन्न पत्थरो को एक ही में शामिल किया जाये ।

विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों के लिए, जिनमें आगरा जिले से आगरा-मथुरा रोड पर सीमेंट कंकरीट बिछाना शामिल था, सीमेंट कंकरीट के सम्मिश्रण तैयार किये गये । पहाडियो पर सफेद चूने का धीरे-धीरे जमाव, चिकनी मिट्टियो से सुर्खी का निर्माण तथा नीव की ककरीट में बालू के स्थान पर चिकनी मिट्टियो तथा सीमेंट के स्थान पर सुर्खी को उपयोग में लाने के संबध में भी कार्य आरम्भ किया गया ।

सन् १६५८–५६ में १,११२ नमूनो तथा सन् १६५६–६० में १,५५२ नमूनो की तुलना में इस वर्ष १,६६० नमूनो का परीक्षण किया गया ।

आलोच्य वर्ष में क्षेत्रीय अनुसंधान के लिए एक छोटी-सी संस्था कायम की गयी । कई क्षेत्रीय प्रयोग आरम्भ किये गये । इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कार्य था ऐसी कड़ी ईटो का निर्माण जो बहुत कम पानी सोखती हो । बुल के भट्टे तथा चिनहट में नीचे के खिचाव वाले भट्टे पर प्रयोग पूरे पैमाने पर किये गये और ऐसी ईटो का निर्माण किया गया जो बहुत कम पानी सोखती थी ।

सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास

सीमावर्ती क्षेत्र में निर्माण-कार्य के लिए अतिरिक्त मुख्य अभियंता का ८ अगस्त, १९६० से एक पद सृजन किया गया । सीमावर्ती क्षेत्र योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए तीन मंडल और ९ कार्यकारी डिवीजनों की स्वीकृति दी गयी। सीमावर्ती क्षेत्र योजनाओं के लिए एक ब्रिज डिजाइन डिवीजन तथा एक एलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल डिवीजन के निर्माण की भी स्वीकृति दी गयी ।

आलोच्य वर्ष में अधिकांश प्रयास नयी योजनाओं के सर्वेक्षण तथा उन्हें अंतिम रूप देने की ओर ही किये गये । लगभग १ दर्जन मोटर सडकों का निर्माण और सड़कों का उन्नयन तथा उन्हें मजबूत करना कार्य के मुख्य अंगो में सम्मिलित थे । इन सड़कों का सामरिक अथवा आर्थिक महत्व था और आलोच्य वर्ष में इस संबंध में किया गया कुल खर्च लगभग ३९.५ लाख रु० था।

पिथौरागढ, चमोली तथा उत्तरकाशी में जिला मुख्यालय स्थापित करने के निमित्त तदर्थ आवास निर्माण का कार्य भी जिसमें परिवर्तन तथा परिवर्धन सम्मिलित थे प्रारम्भ किया गया और इस कार्य पर कुल मिला कर लगभग १४ लाख रुपये व्यय हुए ।

कतिपय विविध सड़को के तथा भवन निर्माण परियोजनाओं का भी कार्य किया गया और उन पर कुल मिला कर लगभग १६.५ लाख रुपये का खर्च बैठा । सर्वेक्षण के लिए तथा सड़क निर्माण के लिये १२ लाख रुपये की लागत की विशेष सामग्री भी क्रय की गयी।

वास्तु संबंधी खंड

राष्ट्रीय महत्व और महान जन सेवा संबंधी बहुत से महत्वपूर्ण भवनो की रूपरेखा वास्तु संबंधी शाखा ने तैयार की। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को वास्तु संबंधी परामर्श, रिपोर्ट, सार तथा कार्य की उच्च कोटि की प्राविधिक निरीक्षा एवं प्राविधिक सलाह भी दी गयी।

आलोच्य वर्ष में जिन विभिन्न योजनाओं के संबंध में रूपरेखाएं तैयार की गयीं वे करीब ६ करोड़ रुपये के मूल्य की थीं ।

वित्तीय पक्ष—१९६०–६१ में विभाग द्वारा प्राप्त धनराशि कुल १,९६,१७,९०० रुपये थी ।

१९६०–६१ मे विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत व्यय के अंतिम अनुदानो की सख्याएं निम्न प्रकार थीः—

		रु०
(१)	मौलिक भवन निर्माण-कार्य	३,८६,९७,०००
(२)	भवनो की मरम्मत	१८,२४,६००
(३)	सड़कें मौलिक निर्माण-कार्य	४,२४,१८,७००
(४)	सडको की मरम्मत	३,६५,१३,७००
(५)	विविध-मौलिक निर्माण-कार्य	५,१८,१००
(६)	विविध-मरम्मत	५,००,९००
(७)	राष्ट्रीय राजमार्ग-मौलिक निर्माण-कार्य	१,७१,६१,२००
(८)	राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत	५२,९७,०००
(९)	शरणार्थियो का कार्य	७९,६०,१००
(१०)	बाढ-नियंत्रण कार्य	१५,००,०००
(११)	सामुदायिक परियोजना कार्य	९०,७५,०००
(१२)	५४ अकाल सहायक कार्य	१४,४३,०००
(१३)	मिर्जापुर की सीमेंट फैक्ट्री और इलाहाबाद का अर्ध कुम्भ मेला	२२,६७,०००
(१४)	सीमावर्ती क्षेत्र में सड़कें	३०,६१,७००
	योग	१६,८२,३८,०००

२—यातायात

राजकीय रोडवेज

(१) सेवाओं का विस्तार

राज्य की द्वितीय पचवर्षीय योजना में यह व्यवस्था की गयी थी कि उत्तर प्रदेश मे रोडवेज सेवाओ का ४६४ अतिरिक्त मीलो में विस्तार किया जाय (अर्थात् कुल मिलाकर रोडवेज सेवाए ६,६६४ मीलो की हो जायेंगी)। १०१ डीजल बसो, औजारो, सयंत्रो, फर्नीचर, सज्जा के क्रय पर तथा भूमि की अध्याप्ति एव भवनो के निर्माण पर ८५.५ लाख रुपया मूलधन व्यय करके यह व्यवस्था की गयी। मार्च, १९६० के अन्त तक राज्य में रोडवेज सेवाओ का विस्तार ७,७३५ मीलो में हो चुका था। १९६०-६१ में रोडवेज सेवाओ का विस्तार ३२ अन्य मार्गो पर हो चुका था। रायबरेली-भोजपुर, रायबरेली-ऊंचाहार, कानपुर-गजनेर, लखीमपुर-ऐटा, शाहगंज-दोस्तपुर, कानपुर-बेलाबधूना, आजमगढ़-आमला, आजमगढ-निजामाबाद, अतरौलिया-चांदपुर, नागल-विजनौर, आजमगढ़-मझवारा तथा कुठार-मैलानी मार्ग इन मार्गों में से प्रमख थे जिन पर केवल राजकीय बसें ही चल सकती थीं। काननी कठिनाइयो के कारण मथुरा-गोवर्धन-बरसाना, कानपुर-बिठूर तथा सहारनपुर-दिल्ली मार्गो पर, पूर्वगामी वर्ष में यद्यपि अतिम रूप से उन्हें अभिसूचित किया जा चुका था, केवल राजकीय बसे चलाना संभव न हो सका और इन मार्गों पर निजी चालको की बसो के साथ राजकीय बसो का चलना जारी रहा। मार्च, १९६१ के अन्त तक राजकीय बस सेवाएं ६४० मार्गों पर उपलब्ध थीं और इनके द्वारा ८,३३५ मील की सड़को का ३५,३११.६ मार्ग मीलो में कार्य किया जा रहा था।

(२) भूमि की अध्याप्ति तथा भवनो का निर्माण

१९६०–६१ में मोदीनगर, वाराणसी (गोलगढ़ी), सराय आकिल, पुखरायां, मेंहदावल, नौगढ, बछरावां, कादीपुर, रामपुर, हसनपुर और चुन्नीगंज (कानपुर) में बस-स्टेशनो तथा कारखानो का निर्माण करने के लिए भूमि की अध्याप्ति की गयी। सिकन्दराबाद, ददरी, पुरकाजी, मेरठ, कुलपहाड़, फर्रुखाबाद, सहसवान, सुल्तानपुर, बांसी, जगनेर, फर्राह, फतेहपुर सीकरी, मोहम्मदी, रानीखेत, और पवाया में बस स्टेशनो तथा रानीखेत बस स्टेशन तथा कारखाने का निर्माण कार्य पूरा हो गया। लखीमपुर, शाहाबाद, मुरादाबाद, चन्दौसी और फैजाबाद में बस स्टेशनो पर तथा कानपुर की क्षेत्रीय वर्कशाप में कैन्टीनो का निर्माण किया गया। आजमगढ़, ऊजरघाट, बदायू, मुजफ्फरनगर और रायबरेली में फोरमैनो के रहने के लिए क्वार्टर बनाये गये। वाराणसी में सहायक जनरल मैनेजर के कार्यालय के लिए भवन निर्माण कार्य भी पूरा हो गया। इसके अतिरिक्त कई बस स्टेशनो और कारखानो में अतिरिक्त निर्माण कार्य किया गया।

कानपुर की सेन्ट्रल वर्कशाप मे मरम्मत के शेड, स्टील यार्ड, सहायक ट्रेड शेड का निर्माण, पुराने लेखा विभाग को प्रशिक्षण केन्द्र का रूप देना, काम्प्रेसर कमरे का विस्तार और धुलाई की मशीन पर एक सायबान का निर्माण, मर्सीडीज और लेलैन्ड बसो के लिए सायबान का निर्माण तथा शौचालयो का निर्माण कार्य पूरा किया गया।

(३) रोडवेज की वर्कशापें

सम्पूर्ण राज्य में रोडवेज की वर्कशापो का जाल फैला हुआ था। कानपुर की केन्द्रीय वर्कशाप के अतिरिक्त ८ क्षेत्रीय तथा ४८ डिपो वर्कशापें थीं। कानपुर की केन्द्रीय वर्कशाप में ४६२ इंजनों को फिर से नया किया गया और १२३ इजनों की खामियां दूर कीं और रोडवेज

विभाग के लिए गाड़ियों के ढांचे तथा अन्य सरकारी विभागों के लिए ६४ गाड़ियां के ढांचे तैयार किये गये ।

बाजार में बैटरिया कठिनाईसे प्राप्त होने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए वर्कशाप में बैटरियों के निर्माण तथा उनके मरम्मत का कार्य प्रारम्भि किया गया। आलोच्य वर्ष में सेन्ट्रल वर्कशाप में ८७३ बैटरियो का निर्माण किया गया तथा ३०६ पुरानी बैटरियों को फिर नया किया गया। इसके अतिरिक्त ६७,८३५ बैटरी प्लेटो का भी निर्माण किया गया।

कालपी रोड, कानपुर में एक नयी टायर रिट्रीडिंग शाखा स्थापित की गयी। वर्ष में ३,९८१ टायरो की रिट्रीडिंग की गयी, जिससे ४ लाख रुपये से अधिक की बचत हुई।

केन्द्रीय वर्कशाप में एक स्टोर शाखा भी थी, जिसने रोडवेज के लिए फालतू पुर्जे तथा अन्य सामान स्टोर सामग्रियो की थोक खरीद की। आलोच्य वर्ष रोडवेज के लिए १,४१,४५,२९५.७५ रुपये का सामान खरीदा गया।

केन्द्रीय वर्कशाप ने मरम्मत के भारी काम जैसे इंजिनो के नवीनीकरण और इंजिनों की गड़बडियो के सुधार का काम शुरू किया, जबकि क्षेत्रीय और डिपो वर्कशाप ने मामूली मरम्मत और मोटर गाडियो के रखरखाव का काम किया। क्षेत्रीय वर्कशापों में पुराने और घिसे-पिटे फालतू पुर्जों को पुनः गाड़ियो में इस्तेमाल करने के योग्य बनाया गया। इससे १९६०-६१ में लगभग २ लाख रुपये की बचत हुई।

(४) नगर बस सर्विस

राज्य की पंच महानगिरयो—आगरा, इलाहाबाद, बरेली, लखनऊ और वाराणसी में रोडवेज नगर बस सेवाए चला रही थीं। इन सेवाओ के फलस्वरूप सस्ते और द्रुतगामी यातायात की व्यवस्था हो सकी और यह सेवा निरन्तर लोकप्रिय होती गयी। वर्ष १९५९-६० मेंनगर सेवाओ का उपयोग २,३७,६६,२४७ यात्रियो ने और आलोच्य वर्ष में २,९५,८३,६१० (अर्थात २४ प्रतिशत) यात्रियो ने किया।

(५) ट्रक और टैक्सी

गढ़वाल और कुमाऊं उप-क्षेत्रो में रोडवेज की नियमित ट्रक सेवा आरम्भ की गयी। १९६०-६१ के वर्ष में रोडवेज की ट्रकें १२,५१,३९४.७ मील चलीं और १५,५३,६८८ रुपये का राजस्व अर्जित किया। उसी अवधि में उत्तरप्र देश सरकार के रोडवेज सगठन की टैक्सिया विभिन्न क्षेत्रो में ६,४१,९६५ मील चलीं और ३,६७,४८७ रुपये का राजस्व अर्जित किया।

(६) विशेष अवसरो के लिए व्यवस्था

पहले की भाति मेलो और राष्ट्रीय महत्व के उत्सवो तथा राज्य मे विशिष्ट व्यक्तियो के दौरे जैसे विशेष अवसरो पर यातायात सुविधा प्रदान की गयी। वर्ष के दौरान में आने वाले विशिष्ट व्यक्तियो में महारानी एलिजाबेथ और हिज रायल हाइनेस, ड्यूक आफ एडिनबरा का आगरा और वाराणसी का दौरा और हिज मैजिस्टी किंग आफ मोरक्को का आगरा का दौरा सम्मिलित है। ससद सदस्यो को लखनऊ, इलाहाबाद, मिर्जापुर, कानपुर और झासी की विकास परियोजनाओ तक लाने ले जाने के लिए, स्थायी समिति के सदस्यो को लखनऊ की राजकीय सूक्ष्म यंत्र कारखाने के दौरे के समय, उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक स्थानो के दौरे के संबंध में, जन-कल्याण समिति, टाटानगर के लिए, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ और मथुरा जाने वाली 'भारत दर्शन दल' के निमित्त, कुरनूल राजकीय प्रशिक्षण विद्यालय के छात्रो और अध्यापकों के हरद्वार, वाराणसी, आगरा और लखनऊ के दौरे के अवसर पर, बिहार राज्य के पंचायतो के मुखियो और सरपंचो को उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थानो को दिखाने के सिलसिले में तथा

विश्व बैंक संगठन के सदस्यो के लिए वाराणसी के दौरे के वक्त यातायात की विशष व्यवस्था की गयी। रेल मंत्री द्वारा चोपन रेल पुल के शिलान्यास के सिलसिले में यातायात की उपयुक्त व्यवस्था की गयी।

(७) टेक्निशियनों की ट्रेनिंग

कानपुर केन्द्रीय वर्कशाप मे स्नातको, डिप्लोमा होल्डरों, मैकेनिको आदि की ट्रेनिंग जारी रखी गयी। ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद उन्हे रोडवेज वर्कशाप सगठन मे खपा लिया गया। आलोच्य वर्ष में केवल एक डिप्लोमा होल्डर और १० मैकेनिको को ट्रेनिंग पाठ्यक्रम मे भर्ती किया गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अधिक डिप्लोमा होल्डर अभ्यर्थी उपलब्ध नही हुए। कई अवैतनिक अपरेंटिसो को रोडवेज वर्कशाप मे ट्रेनिंग लेने की अनुमति दी गयी। इस योजना से आशा की जाती थी कि रोडवेज की वर्कशापो के रिक्त स्थानो के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियो की उपलब्धि में सहायता मिलेगी। प्रशिक्षित कर्मचारियो की कमी को पूरा करने के लिए प्राविधिक अधिकारियो और कर्मचारियो को जर्मनी और ब्रिटेन विशेष प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। इनको भेजने का खर्च क्रमश. डैमलरबेंज और सर्वश्री अशोक लैलन्ड लिमिटेड द्वारा वहन किया जाता था। उक्त योजना के अधीन वर्ष मे ६ टेक्नीशियनो ने जर्मनी में ट्रेनिंग प्राप्त की और ४ टेक्नीशियनो ने ब्रिटेन में ट्रेनिंग ली।

इंडस्ट्रियल सेन्टीनेन्स प्राडक्टिविटी तथा कास्ट एकाउन्टेंसी की राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के दल के सदस्यो के रूप मे रोडवेज के उप परिवहन आयुक्त और मुख्य लेखा अधिकारी क्रमशः ब्रिटेन, अमरीका और पश्चिमी जर्मनी गये।

(८) कर्मचारी पारितोषिक योजना

ड्राइवरो और टेक्नीशियनो को कुशल कार्य संचालन के लिए पारितोषिक देने की योजना के अच्छे परिणाम निकले। १९६०–६१ के वर्ष में ड्राइवरो और टेक्नीशियनो को इंजिन, बैटरी और टायरो के कुशल प्रयोग, तेल और मोबिल आयल के प्रति गैलन से अपेक्षाकृत अधिक मीलो की यात्रा करने और टूट-फूट कम करने के सम्बन्ध मे ५३,००० रुपये के पारितोषिक देने की स्वीकृत दी गयी।

इसके अतिरिक्त मेलो और प्रदर्शनियो के अवसर पर परिश्रम और कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए मानदेय प्रदान करने के निमित्त ४५,००० रुपये की स्वीकृत दी गयी।

(९) कल्याण-कार्य

रोडवेज कर्मचारियो के लिए मनोरंजन तथा कल्याण कार्यो का सगठन प्रत्येक क्षेत्र मे कमरे मे खेले जाने वाले तथा मैदानी खेलो, गीत समारोहो और क्षेत्रीय खेलकूद आयोजनो के माध्यम से किया गया। कानपुर केन्द्रीय वर्कशाप में कर्मचारियो के कल्याण की देखभाल के लिए एक पूर्णकालिक श्रम-कल्याण अधिकारी काम करता रहा। कतिपय प्रमुख बस स्टेशनो पर ड्राइवरो के लिए रनिंग रूम की व्यवस्था थी। विभिन्न स्थानो पर टेक्निकल कर्मचारियो के लिए आवास क्वार्टरो की व्यवस्था के प्रश्न पर ध्यान दिया जा रहा था। कम वेतन पाने वाले कर्मचारियो को संकट के समय सहायता देने के लिए एक धर्मादानिधि चलायी गयी थी, जिसमें सगठन के अधिकारियो ने स्वेच्छापूर्वक धन दिया।

(१०) क्षेत्रीय परामर्शदाता समितियां

प्रत्येक क्षेत्र में क्षेत्रीय परामर्शदात्री समितिया थीं, जिनमे असरकारी सदस्य सम्मिलित थे। इन समितियो ने यात्रियो को सुविधाएं देने, टाइमटेबुल, रोडवेज सेवाओ को पर्याप्त व्यवस्था आदि के विषयो पर विचार किया, ताकि सगठन के कार्य संचालन में सुधार हो सके।

अधिनियम और नियमों का प्रशासन

१६६०–६१ में उत्तर प्रदेश मोटर गाडी कर नियम, १६३५ के नियम ३५ में इस आशय का सुधार किया गया कि यातायात विभाग के कर अधिकारियो को यह अधिकार दिया जा सके कि वे इस बात से संतुष्ट हो कि किसी मोटर गाड़ी का प्रयोग कम से कम इन तीन महीने की अवधि में नही किया गया है, जबकि कर किस्त आखिरी बार अदा की गयी थी, तो वह कर के बकाये को माफ कर दें। इस व्यवस्था से वास्तविक कठिनाइयो में फसे लोगो को आवश्यक सुविधा मिल सकी।

मोटर गाड़ी उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक

परिवहन विभाग की इन्फोर्समेंट शाखा के पुर्नगठन के फलस्वरूप इस शाखा में काम करने वाले पुलिस कर्मचारियो के स्थान पर विभाग द्वारा प्रशिक्षित और भर्ती किये गये कर्मचारियों को नियुक्त किया गया। अपराध विधि संहिता के अधीन जामातलाशी, अभियुक्तों की गिरफ्तारी, जमानत लेने तथा मुकदमा चलाने के सबंध में पुलिस कर्मचारियो को पर्याप्त अधिकार दिये गये। मोटर गाडी अधिनियम की व्यवस्थाओ और उनके अधीन बनाये गये नियमो के प्रभावी प्रशासन को सुनिश्चित करने और कुशल कार्य संचालन के हित में यह आवश्यक समझा गया कि पुलिस कर्मचारियो द्वारा प्रयोग किये जाने वाले अधिकारो को सिविलियन कर्मचारियो को दिया जाय। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य विधान मडल में मोटर गाड़ी (उत्तर प्रदेश सशोधन) विधेयक, १६६० प्रस्तुत किया गया।

रजिस्ट्री, लाइसेन्स देना और कर-निर्धारण

वर्ष मे क्षेत्रीय कार्यालयो ने राज्य मे ७,३०० मोटर गाडियो की रजिस्ट्री की या उन्हें नया रजिस्ट्री चिन्ह दिया। इन कार्यालयो ने ८,३२४ नये ड्राईविंग लाइसेंस जारी किये और ३७,३६१ मौजूदा लाइसेन्सो को नया किया। आलोच्य अवधि में उत्तर प्रदेश मोटर गाडी कर निर्धारण विभाग अधिनियम, १६३५ और इसके अधीन नियमो के अन्तर्गत सड़क कर और अन्य शुल्को के रूप मे २,८१,५५,८१४ रुपया ३० न० पै० की धनराशि संग्रह की गयी।

यातायात नियंत्रण

राज्य की पंचवर्षीय योजना के अधीन विकास कार्यो के लिए परिवहन की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने के हेतु मोटर गाड़ियो का एक पर्याप्त बड़ा दस्ता तैयार करने के उद्देश्य से राज्य में निजी बस चालको को रोड परमिट जारी करने में उदारता की नीति बरती गयी।

राजस्थान, मध्य प्रदेश और पजाब के पड़ोसी राज्यो से अंतर्राज्यीय परिवहन व्यवस्था करने के लिए पारस्परिक प्रबन्धो का निर्णय किया गया। मार्च, १६६१ के अंत में निजी क्षेत्र में ११,२६६ पब्लिक कैरियर, १,७६४ प्राइवेट कैरियर, ३,६६६ स्टेज कैरिज और ४६५ कट्रेक्ट कैरिज थे जिसमें टैक्सिया भी थीं।

ट्राफिक का नियन्त्रण

आलोच्य अवधि में सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (इंफोर्समेंट) की अध्यक्षता में पुनस्संगठित परिवहन सगठन की इंफोर्समेंट शाखा ने मोटर गाडी अधिनियम और नियमो की व्यवस्थाओ के उल्लघन के २१,६६१ मामलो का पता लगाया। अवधि के आरम्भ में ६,६६० मामले निपटारे के लिए बचे हुए थे। ट्रान्सपोर्ट मैजिस्ट्रेट की अदालत में प्रस्तुत किये गये मामलो में से १७,०५७ में दंड दिया गया और १२७ मामलो में बरी किया गया। २६७ मामलो में अपराधियो को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया और २४२ मामले दायर किये गये।

ग्रदालत के जुर्मानो के रुपयो में ८,४६,८३५ रुपये की धनराशि वसूल की गयी। इन्सफोर्समेंट दस्तो ने अपने क्षेत्रो में मेलों और उत्सवो पर 'ग्रात्मरक्षा प्रथम' अभियान भी चालू किया ताकि जनता सड़क पर चलने के उचित तरीको से अवगत हो सके और इस प्रकार सड़क दुर्घटनाओ में कमी हो।

नागरिक उड्डयन

हिन्द प्राविंशियल फ्लाइंग क्लब ने लखनऊ मुख्यालय और इलाहाबाद कानपुर तथा वाराणसी की शाखाओ के जरिये अपना कार्य जारी रखा। यह क्लब भारत में प्रथम कोटि के वर्ग में रजिस्टर्ड है और पिछले कई सालो से देश में सबसे ऊची उड़ान करता रहा है।

आलोच्य वर्ष में इस क्लब ने दिसम्बर, १९६० तक कुल ४,०८५.४५ घटे की उडानें की जिसमें ३,४१६.२० घंटे की इंस्ट्रक्शनल उड़ान भी शामिल थी। दिसम्बर, १९६० के अन्त तक क्लब में ४६० सदस्य नामजद थे, जिनमें से ३१६ उडाकू सदस्य थे। क्लब में ८० छात्र-पाइलट (वायुयान-चालक) थे। वर्ष में (दिसम्बर, १९६० तक) नागरिक उड्डयन के डायरेक्टर जनरल ने १७ प्रशिक्षार्थियो को 'ए' लाइसेंस और ४ को 'बी' लाइसेंस प्राप्त हुए।

क्लब में ४२ वायुयानो का दस्ता था, जिसमे ११ पाइपर कब, १० एल–५, ८ चिपमंक, ४ बीचक्रैफ्ट बोनाजार, ३ पाइपर सुपरक्रूजर, २ ट्विन बीचक्रैफ्ट और एफ-एफ सिलवेग्रर, एक्स्पेडीटर, एयरो–४५ और प्राक्टर वायुयान सम्मिलित थे।

लखनऊ में गोमती की बाढ के अवसर पर बाढ में फसे लोगो के लिए खाने के पैकेट गिराने का काम भारतीय हवाई दस्तें के साथ-साथ क्लब को भी सौंपा गया। इस अवसर पर इसने जनता की सराहनीय सेवा की।

अध्याय ५

जन स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाएं

३—जन-स्वास्थ्य*

महामारी इत्यादि—राज्य ताऊन के प्रकोप से मुक्त रहा। इस रोग से संबंधित विश्व स्वास्थ्य संगठन ताऊन परियोजना जारी रही और उसके अन्तर्गत सभी ऐसे क्षेत्रो मे जहां चूहो के मरने अथवा ताऊन से मनुष्यो के पीड़ित होने का समाचार मिला, विस्तृत जांच-पड़ताल की गयी। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियो को रोग के नियंत्रण में रखने से संबधित परामर्श दिया गया।

पूर्वगामी वर्ष से अधिक इस वर्ष हैजे का प्रकोप रहा। रोग की रोकथाम के लिए सभी संभव निरोधक उपाय अपनाये गये। राज्य में लगने वाले बड़े मेलो में और केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री तथा यामनोत्री के तीर्थ मार्गो पर जाने वाले सभी यात्रियो को हैजे का निरोधक टीका लेना अनिवार्य कर दिया गया। ७१,२४,३०० से भी अधिक हैजा-निरोधक टीके लगाये गये।

चेचक का प्रकोप न अधिक न कम रहा। राज्य भर में प्रारम्भिक टीके तथा फिर से टीके लगाने का काम जारी रहा।

१ सितम्बर, १९६० से सुल्तानपुर में चेचक से मुक्ति पाने के लिए एक अग्रगामी परियोजना प्रारम्भ की गयी। इस परियोजना का मुख्य ध्येय यह था कि चेचक के मूलोच्छेदन के प्रयत्न बाकायदा टीके लगा कर और फिर से टीके लगा कर पहले एक जिले में किये जाय और इस प्रकार प्राप्त अनुभवो के आधार पर तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल मे चेचक की जड़ उखाड़ फेंकने के लिए सामूहिक रूप से प्रयत्न किया जाये।

मलेरिया नियन्त्रण

जहां तक मलेरिया का संबंध है, राज्य में स्थिति सामान्य रही। स्थानीय मलेरिया की रोकथाम के लिए ४० यूनिटो ने अधःस्थानिक मलेरिया की रोकथाम के लिए २७ यूनिटो ने राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष भर काम जारी रखा।

निम्नलिखित विवरण में इन यूनिटो द्वारा १९६० में किये गये कार्यों के लक्ष्य एवं उपलब्धियां दी गयी हैः—

		उपलब्धियां		
		लक्ष्य	पहला दौर	दूसरा दौर
(क) स्थानिक मलेरिया यूनिटें—				
१—गांवो की संख्या	..	५९,४५८	५६,४५८	५८,८२४
२—मकानो की सख्या	..	८४,०६,६५६	७९,२८,६५६	८०,३५,१६९
३—आबादी	..	४,१०,१७,३३७	३,८५,६७,४१०	३,९१,०३,८६१

* यह १९६० के कैलेण्डर वर्ष से सबधित है।

			उपलब्धियां	
		लक्ष्य	पहला दौर	दूसरा दौर
(ख) अव-स्थानिक मलेरिया यूनिटें				
(१) गावो की संख्या	..	४२,६००	४२,८५०	..
(२) मकानो की संख्या	..	५२,१८,६८४	५०,४५,३८८	..
(३) आबादी	..	२,६६,५८,२०६	२,५६,१८,६२२	..

अक्तूबर के महीने में लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, बाराबकी, सुल्तानपुर और रायबरेली के जिलो में भारी बाढ के कारण प्रभावित क्षेत्रो मे एक बार पुन: छिडकाव करना पडा क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में बाढ का पानी खिसकने के बाद मलेरिया फैलने की बड़ी आशंका थी। सरकार ने लखनऊ शहर के लिए ४.४५ लाख रुपया और अन्य जिलो के बाढ-प्रभावित क्षेत्रो के लिए, एक लाख रुपये की धनराशि बाढ हटने के बाद सकामक रोगो के नियत्रण कार्यों के सपादन हेतु स्वीकृत की। भारतीय रेड क्रास सोसाइटी ने बाढ-सहायता उपायो के लिए ६०,००,००० रुपये का एक अनुदान स्वीकृत किया गया। इन उपायो के फलस्वरूप इन अप्रत्याशित बाढो के हटने के बाद कोई सक्रामक रोग नही फैला।

लखनऊ में भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र मलेरिया-निरोध समन्वय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मलेरिया के उन्मूलन सबधी सीमा क्षेत्रीय समस्याओं पर व्यापक रूप से विचार विमर्श किया गया।

फाइलेरिया फील पांव

वर्ष में फील पाव नियंत्रण की आठ यूनिटें तथा सर्वेक्षण करने वाली तीन यूनिटें काम करती रहीं। सर्वेक्षण यूनिटो ने उनके लिए निर्धारित जिलो का सर्वेक्षण पूरा किया। इन यूनिटो को नये जिले निर्धारित किये जा रहे थे और उनका मुख्यालय भी कानपुर, लखनऊ और इलाहाबाद को स्थानान्तरित किया जा रहा था ताकि नियत किये गये नये जिलो का प्रभावी अधीक्षण किया जा सके।

बतौड़

बतौड के मामलो की दवादारू के लिए मिर्जापुर जिले के दक्षिणी भाग में एक सचल दल काम करता रहा। आलोच्य वर्ष में इस यूनिट ने १३८ गावो का दौरा किया और ५,०८७ मामले बतौड के ४४५ सूजाक के और २,१३२ 'कन्टैक्ट' के मामलो का इलाज किया।

बी० सी० जी०

तपेदिक के नियत्रण के लिए रोकथाम के उपाय जारी रखने की ओर ध्यान दिया जाता रहा। राज्य के १५ जिलो में १६ बी० सी० जी० के दल काम करते रहे। कुल मिलाकर १६,४३,२५४ व्यक्तियो का क्षय रोग सबधी परीक्षण किया गया और उनमें से ५,२५,०५२ को बी० सी० जी० के टीके लगाये गये।

मातृ एवं शिशु कल्याण

प्रारम्भिक स्वास्थ्य यूनिट के अन्तर्गत ३६२ अन्य केन्द्रों के खोलने की स्वीकृति दी गयी। इस प्रकार राज्य में मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्रो की संख्या बढ़कर १,५३६ हो गयी। इन केन्द्रो

के अधीक्षण के लिए प्रत्येक प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक स्वास्थ्य निरीक्षिका और जिला स्तर पर एक निरीक्षिका की व्यवस्था थी। दो क्षेत्रीय मातृ एवं शिशु कल्याण अधिकारियों की भी व्यवस्था की गयी। प्रशिक्षार्थियों की कम उपलब्धियों के कारण मुरादाबाद और देहरादून परिचारिका और मिडवाइफ प्रशिक्षण केन्द्रों को बन्द कर देना पड़ा। वर्ष में सहायक परिचारिका और मिडवाइफों के प्रशिक्षण के १० केन्द्र काम करते रहे। इन केन्द्रों में भी अभ्यर्थियों की भर्ती संख्या उपलब्ध स्थानों की तुलना में काफी कम थी। स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं के तीनों प्रशिक्षण केन्द्रों में १८० स्थान उपलब्ध थे, जबकि भर्ती होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या १०३ थी।

प्रत्येक मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र में चार ग्रामीण दाइयों के प्रशिक्षण और प्रशिक्षण अवधि में उन्हें छात्र वृत्ति देने की व्यवस्था थी। यह अनुभव किया गया कि केन्द्र के बिल्कुल पड़ोस में प्रैक्टिस करने वाली दाइयों के प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने के बाद इस योजना में अभ्यर्थियों की भर्ती संख्या घट गयी। वर्ष में भारत सरकार के अनुरूप एक योजना भी, जिसमें व्यापक क्षेत्र आते थे, जारी रखी गयी।

संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय शिशु संकट निधि (यूनीसेफ) द्वारा प्रदत्त मलाई रहित दूध का पाउडर भावी और दूध पिलाने वाली माताओं और बड़ी संख्या में बच्चों को मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्रों, औषधालयों, चिकित्सालयों आदि के माध्यम से दिया गया। गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली माताओं को जिनकी पारिवारिक आय १०० रुपये मासिक से कम थी, मलाई युक्त दूध सप्लाई करने की योजना ११ जिलों के चुने हुए गांवों और १४ नगरों में चालू रही। इस योजना के अधीन प्रजनन के ६ सप्ताह पूर्व से छः सप्ताह बाद तक ऐसी महिलाओं को प्रति महिला एक पौण्ड की दर से मलाई युक्त दूध मुफ्त सप्लाई किया जाता रहा।

परिवार नियोजन

परिवार नियोजन की दिशा में काफी ध्यान दिया जाता रहा। आरम्भ में भारतीय रेडक्रास सोसाइटी द्वारा १९५१ में राज्य में स्थापित परिवार नियोजन उप-समिति के माध्यम से नियोजित पितृत्व की योजना का संगठन किया गया। सोसाइटी अब आठ केन्द्रों का संचालन कर रही थी। चूंकि, जन संख्या की वृद्धि को रोकने के लिए परिवार नियोजन आवश्यक समझा गया, अतएव राज्य ने भारत सरकार की सहायता से अतिरिक्त केन्द्र खोले। वर्ष के अंत में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत केन्द्रों की संख्या नगरों में २५ और ग्रामीण क्षेत्रों में १५० थी।

वर्ष में परिवार नियोजन की ट्रेनिंग के लिए सरकार ने चार लेडी डाक्टरों को बम्बई के परिवार नियोजन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्था में भेजा।

परिवार नियोजन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने जिन तीन अवैतनिक शिक्षा नेताओं की नियुक्तियां की थीं, उन्होंने प्रत्येक के लिए नियत पांच जिलों में काम जारी रखा।

रेडक्रास की परिवार नियोजन उप-समिति के नियोजन अन्वेषणालय की सहायता से एक अग्रगामी परियोजना चालू की, जिसका उद्देश्य यह अध्ययन करना था कि किस प्रकार परिवार नियोजन को अधिकाधिक लोगों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाय। इसके परिणाम स्वरुप जहां अभी तक केवल महिलाओं को परिवार नियोजन संबंधी मशविरा दिया जाता रहा, वहां पुरुषों को भी सलाह देना शुरू किया गया और इसके लिए रेडक्रास और सरकार द्वारा संचालित कुछ केन्द्रों में पुरुष सामाजिक कार्यकर्त्ता नियुक्त किये गये।

भारत सरकार ने एक परिवार नियोजन प्रशिक्षण सचल दल और एक परिवार नियोजन ओरियन्टेशन दल की स्वीकृत दी। इसमें से पहले दल का काम सभी श्रेणियों के चिकित्साय और जन-स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना था और दूसरा दल विभिन्न स्थानों में त्रिदिवसीय शिविर आयोजित करके सामान्य जनों का ओरिएन्टेशन करने के लिए था।

राज्य में सरकार तथा संगठनों द्वारा संचालित परिवार नियोजन केन्द्रों के कामों के विवरण नीचे दिये गये हैं:—

(१) व्यक्तियों की संख्या जिनसे संबंध स्थापित किया गया		६३,२८,०००
(२) व्यक्तियों की संख्या जिन्हें सलाह दी गयी	..	२१,६८१
(३) (क) प्रदर्शनियों की संख्या	..	२४
(ख) प्रदर्शनियों में उपस्थित	.. ..	१०,०००
(४) सेमिनार	.. .. ..	१५०
(५) निर्बीजीकरन—		
(क) पुरुष	.. .. ..	७३३
(ख) महिलाएं	.. .. ..	२,५४७
(६) गर्भ-निरोधक उपकरणों का वितरण—		
(क) डायफ्राम और जेली	.. ..	१,८०१
(ख) शीट्स	.. .. ..	३,१०२
(ग) फोम टेबलेट	.. .. ..	११,८४६

ग्रामीण स्वास्थ्य

नियोजन अन्वेषणालय की ग्रामीण स्वास्थ्य शाखा पहले की भांति स्वास्थ्य सुधार के प्रयत्नों के संबंध में उल्लेखनीय योग देती रही। विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिल कर इस शाखा ने पर्यावरण स्वच्छता परियोजना और स्वास्थ्य शिक्षा परियोजना नामक दो परियोजनाएं शुरू कीं। पर्यावरण स्वच्छता परियोजना का उद्देश्य जैसे पानी सप्लाई में सुधार मैले कूड़े आदि की व्यवस्था में सुधार और गंदगी से पैदा होने वाली बीमारियों की जनता को जानकारी करा के जन स्वास्थ्य का सुधार प्रदर्शन करना था। कम से कम कीमत पर 'प्राई' किस्म के पाखानों के निर्माण और सप्लाई का प्रबन्ध चिनहट (जिला लखनऊ) पंचायत उद्योग में किया गया। यह अनुभव किया गया कि राजगीरों को थोडी ट्रेनिंग देकर इस किस्म के पाखानों का निर्माण किसी भी ऐसे गांव में किया जा सकता है जहां मोटी बालू और सीमेंट उपलब्ध हो। मेरठ खंड के चुने हुए १२ गांवों में सफाई कार्यक्रम चालू किया गया जिसमें प्राई किस्म के पाखानों, मौजूदा कुओं के पुनर्निर्माण और हाथ के पम्पों की व्यवस्था सम्मिलित थी। वर्ष में ७४६ पाखानों और ५ हाथ के पम्पों को लगाया गया। चिनहट खंड में पूर्व वर्ष की भांति सफाई का काम चालू रहा और १६ कुओं का पुनर्निर्माण किया गया। बख्शी-का-तालाब में लगभग १४० सेनिटरी इंस्पेक्टरों, ओवरसियरों और सामुदायिक विकास खंडों के प्राविधिक सहायकों को ग्रामीण स्वच्छता, विशेषकर पाखानों के निर्माण, की ट्रेनिंग दी गयी। नवम्बर, १९६० में एक राज्य व्यापी राजगीर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें प्रत्येक जिले के एक राजगीर को लिया गया। ये राजगीर खंडों के दूसरे राजगीरों के शिक्षक के रूप में काम करने को थे।

औद्योगिक स्वास्थ्य

औद्योगिक स्वास्थ्य संगठन, जिसकी स्थापना उद्योगों संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं के अनुसंधान और कतिपय कार्यों में उत्पन्न होने वाले स्वास्थ्य संबंधी खतरों को कम करने की पर्याप्त व्यवस्था के सिलसिले में सलाह देने के लिए की गयी थी, काम करता रहा। इस संगठन के इन्चार्ज स्वास्थ्य अधिकारी ने कानपुर के ३६ उद्योगों और दूसरे ७ जिलों के १७ उद्योगों का निरीक्षण किया। इन उद्योगों को पर्याप्त सफाई, पीने के पानी की समुचित सुविधा, पाखानों, पेशाबघरों और थूकदानों का इन्तजाम, रोशनी के प्रबन्ध और जहां ऊंची गति से चिन्गारियां

पैदा होती है और मजदूर के आंख के लिए बराबर खतरा पैदा रहता है, वहां आंखों के बचाव की व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया। इसके अतिरिक्त कानपुर के रसायन उद्योगों के मजदूरों के स्वास्थ्य तथा अधिक प्रतिशत में श्वास प्रणाली को पहुचाने वाली हानि के संबध में विशेष अनुसंधान किये गये। कानपुर के एक चमडा उद्योग में लगे ४०० मजदूरो का परीक्षण लम्बे अर्से तक चमड़े और चमड़ा कमाने वाले रसायनो के सपर्क में रहने के कारण पैदा होने वाले चर्म रोगो का पता लगाने के लिए किया गया। मीटर कक्षो में मर्क्यूरियल लिबरेशन के कारण विषैली गैस फैलने के खतरो को कम करने के उपायो का सुझाव एक बिजली सप्लाई कंपनी को दिया गया।

मजदूरों का स्वास्थ्य

कर्मचारी राज्य बीमा के अधीन लगभग १,५०,००० कर्मचारी और उनके परिवार के ४,५०,००० सदस्य आ गये। ५२ अचल और ८ सचल औषधालयों, से जो योजना वाले नगरो के लिए ही शुरू किये गये थे, कर्मचारियो और उनके परिवार वालो को वहिर्वासी रोगी के रूप मे चिकित्सा करने का प्रबध किया गया था। अन्तर्वासी रोगी के रूप में चिकित्सा सुविधा देने के लिए कानपुर में १०० शैय्याओ वाले एक अस्पताल का निर्माण किया जा रहा था। बीमाशुदा टी० बी० रोगियो और उनके परिवार के उपचार के लिए कानपुर में एक टी० बी० अस्पताल के भी निर्माण का प्रस्ताव था। इस योजना के अधीन १९६० में किये गये कार्यों का सक्षिप्त विश्लेषण निम्माकित है :—

(१)	नये रोगियो की सख्या, जिनका उपचार किया गया ..	५,६२,९९२
(२)	पुराने रोगियो की संख्या, जिनका उपचार किया गया ..	२०,१९,३६४
(३)	दैनिक औसत	७,१५७
(४)	तपेदिक के रोगियो की संख्या . ..	१,६७५
(५)	चिकित्सा अधिकारियो द्वारा रोगियो के घर जाकर जांच करने की सख्या ..	३,८५२
(६)	एक्सरे तथा अन्य जाचो के लिए अस्पतालो को संदर्भित मामलो की संख्या	१८,५६६

औषधि प्रतिमान नियन्त्रण

औषधि के निर्माण और बिक्री पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से राज्य को ग्यारह जोनो में विभाजित किया गया था। प्रत्येक जोन एक ड्रग इस्पेक्टर के चार्ज में था। औषधियों के ७५२ नमूनो का संग्रह विश्लेषण के लिए किया गया और उनमें से ४८ नमूने निम्नस्तर के पाये गये। इस सिलसिले में ४३ व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया और इनमें से ३३ मामलों में सजा दी गयी।

खाद्य सामग्री में मिलावट

विश्लेषण के लिए संग्रह किये गये २८,७७८ नमूनो में से ५,३६८ में मिलावट पायी गयी। जिन विक्रेताओ के नमूनो मे मिलावट घोषित की गयी उन पर मुकदमा चलाया गया।

पोषक तत्व

जन-स्वास्थय विभाग की पोषक तत्व शाखा ने आगरा, लखनऊ और वाराणसी के कुछ परिवारो के भोजन का सर्वेक्षण किया और भोजन में सामान्यतः पशु-प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन 'ए', रिबोफ्लेबिन और विटामिन सी की कमी पायी गयी। लखनऊ जिले के नौबस्ता कलां और

इस्माइलगंज गांव के स्कूली बच्चों का पोषक तत्व संबंधी क्लिनिकल सर्वेक्षण किया गया, जिससे मसूड़ों से खून आने, दांतों के कैरीज, एक्मेरोसिस और कजक्टाइवा डिसचार्ज और बालों तथा चमड़ी के रूखेपन के लक्षण पाये गये। बच्चों में जिगर बढ़ जाने के भी कुछ मामले पाये गये। १९५९–६० के शिक्षा सत्र में २१ शिक्षा सस्थाओं में मलाई रहित दूध के पाउडर के सेवन की योजना चालू रही। दूध पाने के पूर्व और बाद में लम्बाई और वजन के रेकार्ड का क्लिनिकल सर्वेक्षण किया गया। इन ग्रुपों में कमी के लक्षण अर्थात् कजक्टाइजा डिसचार्ज, बालों और चमड़ी का रूखापन और रगुलर स्टोमैटाइटिस अपेक्षाकृत कम पायी गयी।

जनता की स्वास्थ्य शिक्षा

स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो ने १७ ट्रांस्लाइट प्रदर्शनियां की और चल चित्रों, सिनेमा स्लाइडों, भाषणों, प्रदर्शनों, सेमिनारों और ग्रुप वाद-विवादों, पोस्टरों और पुस्तिकाओं के माध्यम से जनता को स्वास्थ्य शिक्षा देने का काम हाथ में लिया। इसके लिए प्रेस नोट भी जारी किये गये और रेडियो वार्ताएं प्रसारित की गयीं।

१९५५ में आरम्भ की गयी पांच स्वास्थ्य शिक्षा सचल यूनिटें वर्ष भर चालू रहीं। १ दिसम्बर, १९६० से अल्मोड़ा यूनिट को, चेचक अग्रगामी योजना चलाने के लिए, सुल्तानपुर तथा झांसी यूनिट को, चेचक अग्रगामी योजना देने के लिए मिर्जापुर जिले की दूधी तहसील में स्थानान्तरित किया गया। शेष तीनों यूनिटें बस्ती, लखनऊ और मेरठ जिलों में काम करती रहीं।

भारत सरकार की सहायता से राज्य स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो का विस्तार स्वास्थ्य कर्मचारियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण देने, शिक्षा प्रणालियों संबंधी परामर्श देने और देखने के उपकरण तथा अध्ययन में कार्य आने वाली अन्य सामग्रियों के निर्माण के निमित्त वैज्ञानिक आधार पर किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ब्यूरो के विकास में राज्य सरकार की सहायता के लिए एक विशेषज्ञ नियुक्त किया।

हाईजीन इंस्टीट्यूट

प्राविंशियल हाईजीन इंस्टीट्यूट में ३ प्रयोगशाला सहायकों को प्रशिक्षित किया गया, आगरा नगर पालिका के एक केमिस्ट को जल-विश्लेषण की ट्रेनिंग दी गयी, लखनऊ स्थित राज्य आयुर्वेदिक कालेज के विद्यार्थियों को सामाजिक और रोकथाम की औषधियों की ट्रेनिंग दी गयी, ११ लाइसेंसिएट पब्लिक हेल्थ अधिकारियों को पोस्ट लाइसेंसिएट पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण दिया गया और जलकल के ५ इंजीनियरों को प्रयोगशाला कार्य में प्रशिक्षित किया गया। पानी के चार सौ सत्तर नमूनों का रासायनिक और ९१० का जीवाणु विषयक परीक्षण किया गया, कीटाणुनाशक औषधियों के २३ नमूनों के रासायनिक और जीवाणु विषयक दोनों ही परीक्षण किये गये, क्लिनिकल स्पेसीमेन के २०५ नमूने जांचे गये, मल के ५०० नमूने के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ के पैथालौजी विभाग को जठरान्त्रकोष (गैस्ट्रोएनटराइटस) पर शोध कार्य करने के लिए भेजे गये तथा २६३ निसृव नमूनों का रासायनिक विश्लेषण किया गया।

वर्ष भर में इंस्टीट्यूट ने हैजा निरोधक टीके की ४८,०४,४०० से भी अधिक खुराकें तैयार कीं।

स्टेट वैक्सीन इंस्टीट्यूट

स्टेट वैक्सीन ने इंस्टीट्यूट चेचक निरोधक टीके की ८८,४६,१०० से अधिक खुराकें तैयार कीं। विश्व-स्वास्थ्य संगठन तथा यूनीसेफ ने इस इंस्टीट्यूट में जमाकर सुखाये गये चेचक

के टीको का निर्माण करने के लिये एक संयत्र देना मंजूर किया। इस सयत्र के शीघ्र ही स्थापित होने की सभावना थी। यह महसूस किया गया कि जमा कर सुखाई हुई वैक्सीन जब उपलब्ध होगी तो वह बहुत दिनो से महसूस की जाने वाली एक कमी को पूरा करेगी और राज्यो के दुर्गम स्थानो तक पहुंच कर अपनी (कीटाणुनाशक) शक्ति बनाये रखेगी जबकि साधारण वैक्सीन की प्रवृत्ति अपनी शक्ति को खो देने की है।

वर्ष भर में इस इंस्टीट्यूट में २६,३४,४६० सी० सी० से अधिक कुत्ता काटने के इलाज के वैक्सीन बने।

बाहन, लाउडस्पीकर तथा माइक्रोफोन, डी० डी० टी० तथा अन्य कीटाणुनाशक औषधियो, मक्खन निकाला हुआ दूध का पाउडर, दवाओ तथा पूरक खाद्य पदार्थों के रूप में टी० सी० एम० यूनिसेफ और स्वास्थ्य सगठन जैसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओ से राज्य में चलने वाली तथा मलेरिया एवं फाइलेरिया नियंत्रण योजनाओ, बी० सी० जी० के टीको तथा मातृत्व एवं शिशु कल्याण लिए सहायता प्राप्त होती रही। विश्व स्वास्थ्य सगठन द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा एव जन-स्वास्थ्य कार्यक्रमो के विदेशी विशेषज्ञो का भी प्रबन्ध किया गया।

राज्य स्वास्थ्य समिति

राज्य स्वास्थ्य समिति की २ बैठकें हुईं—पहली ६ जुलाई, १९६० को और दूसरी २७ नवम्बर, १९६० को। स्थानीय निकायो तथा स्वीकृत सस्थाओ को, आधुनिक स्वच्छता संबधी सुविधाओं को सुलभ करने में स्थानीय प्रयासो को, पानी देने की योजनाओ को तथा स्वास्थ्य कर्मचारियो को और बच्चो के खेल कूद के केन्द्रो की व्यवस्था को प्रोत्साहन देने के निमित्त समिति ने अनुदान देना जारी रखा। आलोच्य वर्ष में इस कार्य के लिए शासन के ६.५० लाख रुपये की व्यवस्था की। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रो में स्वच्छता में उन्नति लाने के लिए पेय जल की सप्लाई तथा उत्तरकाशी, ऋषीकेश, हरद्वार, विन्ध्याचल, गोला गोकरननाथ, बदरीनाथ और केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री यात्रा मार्गों पर, फुल्वरिया, विनायक, श्रीनगर तथा जोशीमठ के तीर्थयात्री केन्द्रो में यात्रियों के लिए सायबान बनाने के निमित्त शासन ने १,३१,३१८ रुपया की धनराशि दी। कानपुर (रा० कृ० मिशन), शामली, बिन्दकी, वाराणसी, टांडा, नगीना, मुरादाबाद, पौडी गढ़वाल, अल्मोडा, कोटद्वार, मंगलौर, रुडकी, ललितपुर, खुर्जा, बिसवां, पीलीभीत, लखनऊ (मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी) इलाहाबाद (स्वराज भवन तथा कमला नेहरू अस्पताल), बहराइच, अलीगढ, औरैया, जौनपुर, बरेली, बस्ती, कोच, कोसी, फैजाबाद और हापुड़ के नागरिक क्षेत्रो में स्वच्छता-सुधार तथा जल देने की व्यवस्था के लिए कुल मिला कर २,६१,२५० रुपये की धनराशि दी गयी। इसके अतिरिक्त, मिर्जापुर, देहरादून, लखनऊ, वाराणसी, मुरादाबाद, हमीरपुर, गोरखपुर, आजमगढ़, पिथौरागढ़, बहराइच, बस्ती और फर्रुखाबाद के जिलो के ग्रामीण क्षेत्रो में जल-व्यवस्था तथा स्वच्छता के लिए १,२७,४३२ रुपये दिये गये।

बच्चो के स्वास्थ्य के विकास तथा नगरो और ग्रामो की घनी आबादियो में खेलकूद की सुविधाए प्रदान करने के लिए, बच्चो के खेलकूद केन्द्रो की स्थापना के निमित्त कुल १ लाख रुपये के अनुदान दिये गये। आलोच्य वर्ष मे राज्य के विभिन्न नगरो और ग्रामो में ऐसे ८२ केन्द्रो की स्थापना की गयी। इस प्रकार इन केन्द्रों की संख्या कुल मिलाकर ६६१ हो गयी।

आलोच्य समयावधि में, स्थानीय निकायो को विभिन्न स्वास्थ्य परियोजनाओ को जिनकी अनुमानति लागत ४८,८९,६६१ रुपये होगी, राज्य स्वास्थ्य समिति ने प्रशासनिक स्वीकृति दी।

राज्य स्वास्थ्य परिषद्

आलोच्य वर्ष में राज्य स्वास्थ्य परिषद् की कोई भी बैठक नहीं हुई।

२–चिकित्सा सहायता*

(क) एलोपैथिक प्रणाली

सामान्य—सन् १९६० का वर्ष, जो कि द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना का अन्तिम वर्ष था, विभिन्न परियोजनाओ के निर्धारित लक्ष्यो को पूरा करने के कार्य में तेजी ले आने वाला वर्ष था। इस वर्ष की एक उल्लेखनीय उपलब्धि यह थी कि कानपुर के गणेश शकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज से ६८ डाक्टर पास होकर निकले। लखनऊ के किंग जार्ज मेडिकल कालेज में एक आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ किया गया जो कि अपने ढग का भारत में पहला कार्यक्रम था।

प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रो की स्थापना की योजना मे चिकित्सा के निरोधात्मक एवं चिकित्सात्मक उपायो के समन्वय की व्यवस्था थी। ३१ दिसम्बर, १९६० तक खोले गये प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रो की कुल सख्या ५०१ थी, जिसमें से १११ चिकित्सा विभाग द्वारा और ३९० नियोजन विभाग द्वारा खोले गये थे। इन केन्द्रो में से ९८ केन्द्र नियोजन विभाग द्वारा आलोच्य वर्ष में प्रथम चरण के खंडो में खोले गये थे।

आलोच्य वर्ष में अमरोहा (मुरादाबाद) के महिला अस्पताल का प्रान्तीयकरण किया गया। सात अन्य महिला अस्पतालो के प्रान्तीयकरण का प्रश्न सरकार के विचाराधीन था।

सन् १९६०–६१ में बजट मे कुल ४,५४,५१,७०० रुपये की व्यवस्था की गयी थी।

एलोपथिक चिकित्सा प्रणाली पर व्यय के लिए निम्नलिखित धनराशियो की व्यवस्था की गयी थी।

			रुपये
(१) सामान्य औषधि	..	..	६८,६२,०००
(२) अस्पतालो की साज-सज्जा	..	..	२१,६७,९००
(३) अस्पतालो मे खुराक	..	..	२७,४०,७००

ग्राम क्षेत्रों के लिए चिकित्सा सहायता

सन् १९५९ के वर्ष की समाप्ति पर उत्तर प्रदेश में ८४३ एलोपैथिक चिकित्सालय ग्राम क्षेत्रो मे थे तथा ६०० आयुर्वेदिक औषधालय एवं यूनानी दवाखाने और ३२ राजकीय होम्योपैथिक दवाखाने थे। आलोच्य वर्ष में ९ एलोपैथिक महिला अस्पताल मसौली (बाराबंकी), डिबाई (बुलन्दशहर), कोटद्वार (गढ़वाल), महोबा (हमीरपुर), दातागज (बदायू), नवानगर (बलिया), छितौनी (देवरिया) टनकपुर (नैनीताल) और खलीलाबाद (बस्ती) में खोले गये।

इस वर्ष १५ आयुर्वेदिक औषधालय मैदानी इलाको में और ८ पहाडी क्षेत्रो मे खोले गये।

उत्तराखंड के लिए चिकित्सा सुविधाएं—

सीमान्त क्षेत्रों में विकास कार्य के सबंध में अल्मोड़ा, गढ़वाल और टेहरी जिलों की पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी तहसीलो को अलग-अलग जिला बना दिया गया और इन तीन जिलो की उत्तराखंड नामक एक कमिश्नरी बना दी गयी। इन तीनों जिलो में एक-एक सिविल सर्जन और एक-एक जिला मेडिकल आफिसर की नियुक्ति की गयी और उनका कार्यालय स्थापित किया गया। पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी के अस्पतालो में अतिरिक्त साज-सज्जा, दवाइयों और कर्मचारियो की व्यवस्था कर उन्हें पूर्ण रूपेण जिला अस्पतालो

---

* सन् १९६० के कैलेन्डर वर्ष से संबधित

में परिणत कर दिया गया। इसके लिए उचित इमारतो के निर्माण का कार्यक्रम भी तैयार किया गया। आलोच्य वर्ष मे इस कमिश्नरी के लिये निम्नलिखित अन्य परियोजनाएं स्वीकृत की गयीं—

(१) इन प्रत्येक तीनो जिलो के अस्पतालो के लिए एक-एक सचल औषधालय की व्यवस्था।

(२) वर्तमान एलोपैथिक दवाखानो का स्तर उठाना।

(३) ६ नये आयुर्वेदिक औषधालयो की स्थापना।

(४) इन तीनो जिले मे एक-एक नये मातृ-शिशु कल्याण केन्द्रो की स्थापना।

(५) पिथौरागढ मे एक नये टी० बी० क्लीनिक की स्थापना।

(६) १५० प्राथमिक चिकित्सा बक्सो के सप्लाई की योजना।

(७) क्षय रोगियो को १,५०,००० रुपया तक की आर्थिक सहायता की योजना।

सीमान्त क्षेत्र के छात्रो को प्राविधिक अध्ययन और स्नातक एव स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमो के अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां तथा अन्य आर्थिक सहायता स्वीकृत की गयी।

इसके अतिरिक्त 'भारत–तिब्बत सीमा निवास योजना,' के अन्तर्गत उत्तरकाशी के एक एलोपैथिक दवाखाना, चमोली के लिए एक कम्पाउन्डरो की यूनिट और एक मातृ शिशु कल्याण केन्द्र तथा पिथौरागढ के लिए एक आयुर्वेदिक औषधालय के स्थापना की भी स्वीकृति दी गयी।

नागर क्षेत्रों के लिए चिकित्सा सुविधाएं

कमिश्नरियो के सदर अस्पतालो तथा अन्य महत्व के अस्पतालो का, उनके लिए अधिक विशेषताओ की व्यवस्था कर, स्तर उठाने का कार्य और जिलो के सदर के अस्पतालो की वर्तमान चिकित्सा एव शल्य क्रिया संबधी सुविधाओ मे सुधार करने का कार्य द्वितीय पचवर्षीय आयोजना अवधि मे जारी रहा। सन् १९६० के वर्ष मे कमिश्नरियो के ६ अस्पतालों का स्तर उठाया गया और १४ जिला अस्पतालो का, चिकित्सा एव शल्य किया संबंधी व्यवस्था प्रदान कर, सुधार किया गया।

इस वर्ष देहरादून, फैजाबाद और बहराइच के जिला अस्पतालो और लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल मे दो चिकित्सा क्लीनिक की व्यवस्था की गयी।

निर्माण कार्य

योजनाधीन कार्यक्रम के अन्तर्गत ११ ग्राम और १६ जनाने अस्पतालों के निर्माण की स्वीकृति दी गयी और ३ मरदाने अस्पतालो के निर्माण की योजनाएं व तखमीनो की जाच की जा रही थी।

सहारनपुर, आगरा और मिर्जापुर मे अस्पतालो का निर्माण कार्य पूरा हुआ। पौड़ी गढवाल, इलाहाबाद और बहराइच मे अस्पताल का निर्माण कार्य चल रहा था।

योजनेतर कार्यक्रमो के अधीन सन् १९६० के वर्ष मे राज्य के ४६ जिलो मे ६,११,२९२.१३ रुपये की लागत से अस्पतालो और दवाखानो मे नये निर्माण और उनकी व्यापक मरम्मत का कार्य तथा वार्डों मे परिवर्तन एवं परिवर्द्धन का कार्य किया गया।

विभाग के भवन निर्माण कार्य की देख-रेख के लिए एक अधिशासी अभियन्ता, एक ओवरसियर और अन्य आवश्यक कर्मचारी चिकित्सा एव जन स्वास्थ्य निदेशालय से सम्बद्ध रहे।

केन्द्रीय औषधि भंडार से दवाओं की सप्लाई आदि

लखनऊ में उत्तर प्रदेश के चिकित्सा और जन स्वास्थ्य निदेशालय के मुख्य कार्यालय स्थित राजकीय केन्द्रीय मेडिकल स्टोर्स डिपो राज्य के अस्पतालो और चिकित्सालयो की दवाइयों, सजीवनी औषधियों, साज-सामान, शल्य चिकित्सा के सामान आदि संबंधी माग को पूरा करता रहा।

संजीवनी औषधियो और महंगी दवाइयो का स्टाक बनाये रखने के लिए केन्द्रीय मेडिकल स्टोर्स डिपो द्वारा सन् १९६० के वर्ष मे लगभग १,२०,६०० रुपये की दवाइया खरीदी गयी और माग पर विभिन्न अस्पतालो तथा दवाखानो को उनकी सप्लाई की गयी। क्षय रोग से पीडित पुलिस कर्मचारियो की चिकित्सा के लिए १२,४०७ रुपये की लागत से स्टोर में क्षय-निरोधक औषधियो का स्टाक तैयार किया गया और राज्य के विभिन्न पुलिस अस्पतालो को इन औषधियो की सप्लाई की गयी। इसी प्रकार स्टोर के लिए निर्धारित आवर्तक और अनावर्तक अनुदानों मे से लगभग १० लाख रुपये राज्य के विभिन्न अस्पतालो की साज-सज्जा और शल्य चिकित्सा के औजार आदि राज्य के विभिन्न जिला और महिला अस्पतालो तथा चिकित्सा सस्थाओ को दिये गये। इस मद मे महत्वपूर्ण खरीद एक्स-रे प्लाट, डाईथर्मी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आदि की थी। आलोच्य वर्ष मे इलेक्ट्रो-मेडिकल साज-सज्जा की मरम्मत आदि पर ७५,००० रुपये व्यय किये गये।

आलोच्य वर्ष में शय्याओं की संख्या में वृद्धि

आयोजनाधीन कार्यक्रम, 'जिला, तहसील और अन्य अस्पतालो में शय्याओ की सख्या बढ़ाओ' के अन्तर्गत प्यारेलाल शर्मा, अस्पताल मेरठ, जिला और महिला अस्पताल, जौनपुर तथा जिला और महिला अस्पताल, बलिया के लिए स्वीकृत की गयी अतिरिक्त शय्याओ के हेतु आवश्यक कर्मचारी एव साज-सज्जा की व्यवस्था की गयी। शय्याओ की कुल संख्या में ११६ की वृद्धि हुई।

दवाओं के लिए अलाटमेंट

राज्य के अस्पतालो और दवाखानो मे दवाओ के अलाटमेंट में हुई बृद्धि के फलस्वरूप सरकार ने ४१ लाख रुपया की स्वीकृति दी। यह स्वीकृति धनराशि सरकार द्वारा निर्धारित इस मापदण्ड के अनुसार वितरित की गयी कि प्रत्येक राजकीय दवाखाने के लिए कम से कम २,५०० रुपये दवाओ के लिए निर्धारित किये जाने चाहिए।

खुराक का अलाटमेंट

राज्य के विभिन्न अस्पतालो और दवाखानो मे खुराक के अलाटमेंट मे वृद्धि करने के हेतु राज्य सरकार द्वारा दो लाख रुपये की स्वीकृति दी गयी। फलस्वरूप राज्य के अस्पतालो को उनकी माग के अनुसार अतिरिक्त धनराशि स्वीकृति की गयी।

सेवाएं

वर्ष के आरम्भ और अन्त मे विभिन्न श्रेणी के स्वीकृत पदो की सख्या निम्न प्रकार थी—

पद	वर्ष के आरम्भ में	वर्ष के अन्त में
१—सिविल सर्जन	५१	५४
२—अस्पतालो के सुपरिन्टेन्डेन्ट	६	८
३—पी० एम० एस० (प्रथम) अधिकारी	२४४	२६०
४—पी० एम० एस० (महिला) (प्रथम) अधिकारी	६५	७९
५—पी० एम० एस० (द्वतीय) पी० एस० एम० एस० अधिकारी	१,०६४	१,१११
६—पी० एम० एस० (महिला) (द्वितीय) पी० एस० एम० एस० (महिला) अधिकारी	२५२	२६५

७––अवैतनिक चिकित्सा अधिकारी	..	..	३७	४६
८––नर्सें चिकित्सा अधिकारी	..	..	१,३४३	१,४०५
९––शिक्षार्थी नर्स (प्रशिक्षण मे)	..	..	८६१	८४५
१०––शिक्षार्थी मिडवाइफ ..	..	..	१००	१५०
११––स्वास्थ्य निरीक्षक ..	..	..	२०५	३०६
	योग	..	४,२०८	४,५२७

लोवेट अस्पताल रामनगर (वाराणसी) के लिए मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट के एक पद का और इलाहाबाद के एम० डी० आई० हास्पिटल के लिए एक पद का सृजन किया गया। नागर परिवार नियोजन केन्द्रो के लिए पी० एस० एस० (महिला) (प्रथम) के १० अस्थायी पदो का सृजन किया गया।

राज्य नर्सिग सेवा––राज्य के अस्पतालों मे नर्सिग सेवा सन्तोषजनक रूप से कार्य करती रही। वर्ष के आरम्भ और अन्त मे विभिन्न श्रेणी के स्वीकृत पदो की संख्या तथा ३१ दिसम्बर, १९६० को कार्य करने वाली महिला कर्मचारियो की वास्तविक संख्या का विवरण निम्न प्रकार है:––

पद			स्वीकृत पद		वास्तविक संख्या
			१ जनवरी, १९६०	३१ दिसम्बर, १९६०	३१ दिसम्बर, १९६०
गजटेड––					
१––सीनियर मैट्रन	..	..	२	२	२
२––मैट्रन	..	..	२६	२६	१९
३––सहायक मैट्रन	..	..	८	१२	७
४––सिस्टर ट्यूटर	..	..	१६	१६	१५
नान-गजटेड––					
१––सिस्टर और वार्डर मास्टर		..	२९९	३२४	२५४
२––स्टाफ नर्स	..	..	९९२	१,०११	७४८
३––सिस्टर ट्यूटर	..	..	..	१४	..
	योग	..	१,३४२	१,४०५	१,०४५

इस प्रकार, जहा तक नर्सिग सेवा का सम्बन्ध है, कर्मचारियो की संख्या मे ३६० की कमी थी।

आलोच्य वर्ष मे जनरल नर्सेज प्रशिक्षण केन्द्र मे २०७ उम्मीदवारो की भरती की गयी और नयी दिल्ली स्थित नर्सिग के कालेज मे बी० एस-सी० (आनर्स) का पाठ्क्रम पूरा करने के लिए ३ उम्मीदवारो को नामाकित किया गया।

जनरल नर्सेज और मिड वाइफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात् २२१ उम्मीदवारों की नियुक्ति स्टाफ नर्स के रूप मे की गयी और १२ उम्मीदवारो की नियुक्ति सीधे इंटरव्यू के बाद की गयी। आठ स्टाफ नर्सो की पदोन्नति सिस्टर के पद पर की गयी।

नर्सिंग सेवा का मापदंड ऊंचा उठाने के लिए विभिन्न श्रेणियों के नर्सिंग कर्मचारियों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण हेतु भेजने का प्रयास किया गया। नयी दिल्ली के नर्सिंग के कालेज में एक सहायक मैट्रन, एक सिस्टर और ३ स्टाफ नर्सों को स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। अन्तर्राष्ट्रीय बाल सहायता कोष की सहायता से एक सिस्टर को मद्रास स्थित राजकीय जनरल हास्पिटल में पेडियाट्रिक नर्सिंग रिफ्रेसर कोर्स के लिए भेजा गया। दो मैट्रनों और एक सीनियर मैट्रन को विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से एक मास की अल्प कालिक अवधि के लिए नर्सिंग सुपरिन्टेंडेंटों के रिफ्रेशिंग कोर्स के लिए भेजा गया। इसी प्रकार विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से दो सिस्टर ट्यूटरों को ८ सप्ताह सिस्टर ट्यूटरों के रिफ्रेशर कोर्स के लिए भेजा गया। कोलम्बो योजना के अन्तर्गत एक स्टाफ नर्स को क्षय रोग परिचर्या प्रशिक्षण के लिए आस्ट्रेलिया भेजा गया। एक स्टाफ नर्स को साइकियाट्रिक ट्रेनिंग के लिए बंगलौर भेजा गया।

चिकित्सा शिक्षा

चिकित्सा सहायता पहुंचाने की योजनाओं का मुख्य लक्ष्य ठीक प्रकार के काफी संख्या में चिकित्सा कर्मचारियों का उपलब्ध करना रहा। कानपुर में एक मेडिकल कालेज की स्थापना हो जाने के फलस्वरूप डाक्टरों की संख्या में वृद्धि होनी थी। सन् १९६० में तीनों मेडिकल कालेजों से ३१६ डाक्टर पास होकर निकले जबकि विगत वर्ष २४२ डाक्टर पास हुए थे। इन मेडिकल कालेजों में विशेषज्ञ भी तैयार हो रहे थे। सन् १९५९ और ६० के वर्ष में इन कालेजों में भरती हुए छात्रों और पास होकर निकलने वाले डाक्टरों का विवरण निम्न प्रकार है—

वर्ष		सरोजनी नायडू मेडिल कालेज आगरा		गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर		के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ		योग	
		भरती	पास	भरती	पास	भरती	पास	भरती	पास
१९५९	..	९८	८६	१०२	..	१४७	१५६	३४७	२४२
१९६०	..	९९	७३	१५४	६८	१४४	१७५	३९७	३१६

(१) गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर

आलोच्य वर्ष में गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर के विस्तार के सम्बन्ध में और कार्यवाही की गयी। ७२ शय्याओं के एक मातृत्व अस्पताल, ३० शय्याओं के एक बाल अस्पताल १०० शय्याओं के एक कैंसर अनुसन्धान संस्था और २० शय्याओं के एक चेस्ट सर्जरी यूनिट की इमारतों का निर्माण चल रहा था।

भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार कालेज के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत स्टाफ की नियुक्ति केवल कुछ अध्यापकों को छोड़कर वर्ष के अन्त तक की जा चुकी थी। मेडिकल कालेज से सम्बद्ध लाला लाजपत राय, उर्सला हार्समैन मेमोरियल, एलाइड हार्समैन मेमोरियल, डफरिन और छूतहे रोगों के अस्पतालों का जिनमें शय्याओं की कुल संख्या ७८४ है, पढ़ाई की दृष्टि से अधिक उपयोगी बनाने के उद्देश्य से और सुधार किया जाना था। इन अस्पतालों के लिए कुल ५ लाख ९० हजार रुपये मूल्य के साज-सज्जाओं की स्वीकृति दी गयी।

(२) सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा

द्वितीय पचवर्षीय आयोजना मे आगरा के सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज के विस्तार की भी व्यवस्था की गयी थी। आलोच्य वर्ष मे कालेज में भरती किये जाने वाले छात्रो की संख्या मे कम से कम २५ की प्रति वर्ष और वृद्धि करने के उद्देश्य से कर्मचारियो, साज-सज्जा तथा अन्य आवश्यकताओ की व्यवस्था की गयी। विश्व स्वास्थ्य सगठन और अन्तर्राष्ट्रीय बाल कोष की सहायता से भारत सरकार द्वारा आरम्भ किये गये केन्द्र के नमूने पर सितम्बर, १६५६ से जिस पीडियाट्रिक केन्द्र मे अपना कार्य आरम्भ किया था वह सन् १९६० मे एक स्वावलम्बी इकाई बन गया।

(३) के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ

द्वितीय आयोजना के अन्तर्गत आरम्भ किये गये विशिष्ट चिकित्सा सम्बन्धी यूनिटे, जैसे न्यूरो साइकियाट्रिक क्लीनिक, गाइडेस क्लीनिक, चेस्ट सर्जरी यूनिट, नेशनल शिगीला सेंटर, सामाजिक और निरोधात्मक चिकित्सा, पैथालोजी, बैक्टीरियालोजी और फारमा कालोजी के स्तरोन्नति किये गये विभाग सन्तोषजनक रूप से कार्य करते रहे।

इस कालेज मे १ जुलाई, १९६० से एक आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, जो कि भारत में इस प्रकार का पहला कार्यक्रम था, आरम्भ किया गया। इस प्रशिक्षण में गणेश शकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज और सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा के स्नातक भी सम्मिलित हो सकते थे।

एक नया सर्जिकल ब्लाक, जिसमे आधुनिक साज-सज्जा से युक्त चार आपरेशन थियेटर थे, खोला गया।

(४) दन्त चिकित्सा कालेज, लखनऊ

लखनऊ के दन्त चिकित्सा कालेज मे पूर्वगामी वर्ष म भरती किया गया ४० छात्रो का दल इस वर्ष द्वितीय वर्ष मे पहुंचा और फलस्वरूप बड़े हुए काम को देखते हुए अधिक कर्मचारी और साज-सज्जा की स्वीकृति दी गयी।

इस वर्ष ४१ छात्रो को, जिनमे एक जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा मनोनीत किया गया था, बी० डी० एस० पाठ्क्रम मे भरती किया गया और इनमे से १८ ने सफलतापूर्वक पाठ्क्रम को पूरा किया।

प्रशिक्षण और अनुसंधान

(१) डाक्टरों के लिए उच्च प्रशिक्षण

चिकित्सा अधिकारियों को विभिन्न विशिष्ट चिकित्सा सम्बन्धी विषयो मे प्रशिक्षित करने के कार्यक्रम के अन्तर्गत २३ डाक्टरो को उच्च प्रशिक्षण के लिए देश की विभिन्न संस्थाओ मे भेजा गया। इनमे से ३ क्लीनीकल पैथालोजी कोर्स डिप्लोमा के लिए, ३ को ट्रापिकल डिजीजेज कोर्स के डिप्लोमा के लिए, ५ को आर्थोपिडिक्स कोर्स के डिप्लोमा के लिए २ को लखनऊ मे गायनोकालोजी और आब्सट्रेटिक्स कोर्स के डिप्लोमा के लिए, १ को अनेस्थीशिया कोर्स के डिप्लोमा के लिए, १ को डी० जी० ओ० कोर्स, १ को रेडिएशन प्रोटेक्शन की ट्रेनिग के लिए बम्बई, २ को रतिज रोग पाठ्क्रम के लिए और ५ को डी० टी० डी कोर्स के लिए दिल्ली भेजा गया।

१६ पी० एम० एस० (महिला) (द्वितीय) अधिकारियो ने सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज आगरा मे स्नातकोत्तर पाठ्क्रम मे भाग लिया और उसे सफलतापूर्वक पूरा किया। ६ पी० एस० एम० एस० (महिला) अधिकारियो ने आगरा स्थिति एल० एल० और

डफरिन अस्पताल मे रिफ्रेशर कोर्स मे भाग लिया। इन पाठ्यक्रमो मे सम्मिलित होने के लिए काफी सख्या मे उम्मीदवार आये।

दो अधिकारियो को पीडियाट्रिक्स मे प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए विदेश भेजा गया। इनमे से एक को कोलम्बो योजना के और दूसरे को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रसारित योजना के अन्तर्गत भेजा गया। कोलम्बो योजना के अन्तर्गत अलीगढ़ के नेत्र चिकित्सालय की एक महिला डाक्टर को आपथेल्मोलाजी मे प्रशिक्षण लेने के लिए भेजा गया और इसी योजना के अन्तर्गत एक डाक्टर क्षयरोग चिकित्सा मे प्रशिक्षिण प्राप्त करने के लिए भेजा गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक योजना के अन्तर्गत एक अधिकारी को फिजिशियालोजी मे प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजा गया। सामान्य रूप से यह सब अधिकारी प्रशिक्षण संस्थाओ से भेजे गये थे।

(२) अन्य चिकित्सा कर्मचारियों का प्रशिक्षण

राज्य की आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए सहायक कर्मचारियो के प्रशिक्षण कार्यक्रम मे तेजी ले आयी गयी। आलोच्य वर्ष मे परिचारिकाओ के लिए ६, रिफ्रेक्शनिस्ट एवं आप्टीशियनो के लिए २ और प्रयोगशाला सहायको के लिए १२ प्रशिक्षण केन्द्र राज्य मे कार्य करते रहे। इन पाठ्यक्रमो मे प्रशिक्षण प्राप्त करने वालो को छात्रवृतिया भी दी गयीं। सरकारी डाक्टरो के लिए एनेस्थीशिया मे लघु पाठ्यक्रम तथा प्रैक्टिस करने वाले दन्त चिकित्सको के लिए अस्पताल व्यवस्था के विषय मे एक संक्षिप्त पाठ्यम की व्यवस्था की गयी। इन मे से कुछ पाठ्यक्रमो मे अन्य राज्यो मे आये हुए उम्मीदवारो को भी भरती किया गया। कुष्ठ रोग-कार्यकर्ताओ के लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का भी प्रस्ताव था।

उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा परिषद् द्वारा फार्मासिस्ट एवं मिडवाइफो का प्रशिक्षण बन्द कर दिया गया था। किन्तु यथाशीघ्र इसे पुन: आरम्भ करने का प्रयत्न किया जा रहा था। राज्य मे महिला फार्मासिस्टो की बेहद कमी थी और महिला अस्पतालो की काफी बड़ी संख्या ऐसी थी जिनमे महिला फार्मासिस्ट नही थी।

प्रशिक्षित फार्मासिस्टो के वेतन-क्रम १ अप्रैल, १९६० से ४५-१०० रुपया प्रतिमास से संशोधितकर ७५–५–१००–द० रो०–५–१२० रुपया प्रति मास कर दिया गया। १ दिसम्बर, १९६० से सरकार ने ७५-१२० रुपया के वेतन-क्रम की एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली की उन महिला फार्मासिस्टो को ८० रु० प्रतिमास का प्रारम्भिक वेतन देना स्वीकार कर लिया जिन्होने मिडवाइफरी पाठ्यक्रम पास कर लिया था।

(३) चिकित्सा अनुसंधान

पूर्वगामी वर्ष की भाति चिकित्सा अनुसन्धान के लिए ५०,००० रुपया स्वीकृत किया गया। इसका संचालन राज्य चिकित्सा अनुसन्धान परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा किया जा रहा था। मुख्य विषय, जिनमे अनुसन्धान किया जा रहा था, निम्नलिखित थे--

(१) फेफड़े के क्षय रोग सम्बन्धी मामलो, विशेषकर शल्य चिकित्सा सम्बन्धी मामलो, के विषयो मे फेफडे के कार्य परीक्षण।

(२) रक्त, मज्जा और रेथेरोमा पर तम्बाकू का प्रभाव।

(३) हैलमिनथिक संक्रमण और ग्राम स्वास्थ्य केन्द्र सरोजनी नगर, लखनऊ के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत रहने वालो के स्वास्थ्य पर उसके प्रभाव का सर्वेक्षण।

(४) स्कूल के छात्रों मे श्रवण शक्ति सम्बन्धी खोज।

(५) चमड़ा उद्योग मे काम करने वालो पर प्रगट होने वाले विभिन्न रोग-लक्षणो का सर्वेक्षण।

(६) कानपुर के स्कूल और कालेज के विद्यार्थियो की लम्बाई, वजन, सीने की नाप और शक्ति सामर्थ्य के सम्बन्ध मे छानबीन।

(७) शरीर के सामान्य तापमान पर कुत्ते के गले के भीतर की रक्त नालिकाओं की शल्य क्रिया।

(८) चूहो मे प्रयोगात्मक रूप से पैदा किये गये सर्विक्स के कार्शिनोमा नामक रोग का साइटोलाजिकल और हिस्टोलाजिकल सम्बन्धी तुलनात्मक अध्ययन।

(९) बोकल कैविटी के कैन्सर रोग के सक्रमण के निदान सम्बन्धी अध्ययन।

(१०) फीटल हिमोग्लोबिन के सम्बन्ध मे इम्यूनोलोजिकल अध्ययन।

(११) वशगत रोगशास्त्र मे नस्ल का योग के सम्बन्ध मे प्रायोगिक अध्ययन।

उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

स्टेट मेडिकल फैकल्टी यथावत परीक्षाओ का संचालन करती रही। उन परीक्षाओं के सम्बन्ध में और सन् १९६० की विभिन्न परीक्षाओ में सफल हुए उम्मीदवारो का विवरण निम्नलिखित है--

परीक्षा	सफल उम्मीदवार
(१) डिप्लोमा नर्सेस परीक्षा	२२०
(२) सर्टीफाइड नर्सेज परीक्षा	६
(३) डिप्लोमा मिडवाइफ परीक्षा	२१९
(४) हेल्थ विजिटरो की परीक्षा	१२५
(५) आक्जीलियरी नर्स मिडवाइफ परीक्षा	११२
(६) एक्स-रे टेक्नीशियनों की परीक्षा	९
(७) जूनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियनो की परीक्षा	१७
(८) रिफ्रेक्शनिस्ट और आप्टीशियनो की परीक्षा	१२

उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिषद्

उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिषद् चिकित्सा शिक्षा के नियन्त्रण, डाक्टरो, हकीमो और वैद्यो के पजीकरण और चिकित्सा आचरण संहिता से सम्बन्धित अपना कार्य पूर्ववत करता रहा। इसकी एक साधारण बैठक और इसकी समितियो की चार बैठकें आलोच्य वर्ष मे हुई। इस वर्ष ३५४ डाक्टरो का पंजीकरण किया गया।

दवाखानो और मेडिकल हालो के लिए निर्धारित मापदड के अनुसार आवश्यक न्यूनतम साज-सज्जाओ के सम्बन्ध मे प्रस्ताव परिषद् द्वारा तैयार किये गये।

उत्तर प्रदेश नर्स और मेडिकल परिषद्

उत्तर प्रदेश नर्स और मिडवाइफ परिषद् नर्सो, मिडवाइफो आदि के पंजीकरण करने का, इनकी शिक्षा की व्यवस्था करने का और इनकी आचरण संहिता सम्बन्धी अपना सामान्य कार्य करती रही। आलोच्य वर्ष में परिषद् ने २७८ नर्सो, २१८ मिडवाइफो, ४० सहायक मिडवाइफो और ६५ हेल्थ विजिटरो का पजीकरण किया इस प्रकार नर्सो, मिडवाइफों, सहायक मिडवाइफो और हेल्थ विजिटरो की कुल संख्या क्रमशः २,४४४, १,६३९; १,२९३ और २५८ तक पहुंच गयी।

नर्सिंग शिक्षा का स्तर ऊंचा करने के उद्देश्य से परिषद् ने नर्सो मिडवाइफो सहायक मिडवाइफो और हेल्थ विजिटरों की शिक्षा एवं उनके प्रशिक्षण से सम्बन्धित संशोधित नियमावली सरकार के समक्ष प्रस्तुत की।

उत्तर प्रदेश दन्त चिकित्सा परिषद्

उत्तर प्रदेश दन्त चिकित्सा परिषद् ने १८ नये दन्त चिकित्सको का पंजीकरण रजिस्टर के भाग 'क' मे किया। रजिस्टर मे से ६ नाम भाग 'ख' से स्थानान्तरित कर भाग 'क' में कर लिये गये। आलोच्य वर्ष मे भाग 'क' के ८६ सर्टिफिकेटो को नया किया गया। भाग 'ख' के २८७ सर्टिफिकेटो को नया किया गया। भाग 'क' के अन्तर्गत पंजीकृत दन्त चिकित्सको की कुल संख्या १०४ थी और भाग 'ख' के अन्तर्गत २८७ थी। सन् १९६० के वर्ष मे ६८ डेण्टल मैकेनिको के सर्टिफिकेटो को और ५६ डेंटल हाईजिनिस्टो के सर्टीफिकेटो को नया किया गया। आलोच्य वर्ष मे क्रमशः १७ और ३७ डेंटल मेकेनिको और डेंटल हाईजिनस्टो को पंजीकृत किया गया। इस प्रकार वर्ष के अन्त तक डेण्टल मेकेनिको की और डेंटल हाईजिनिस्टो की कुल संख्या क्रमश: १८४ और १२७ तक पहुंच गयी।

उत्तर प्रदेश फारमेसी कौंसिल

उ० प्र० फार्मेसी कौंसिल ने इस वर्ष ८६१ फार्मेसिस्टो का पंजीकरण किया जबकि पूर्वगामी वर्ष मे १३९९ पंजीकरण किया गया था।

३१ दिसम्बर, १९६० को पंजीकृत फार्मेसिस्टो की कुल संख्या ४,४०९ थी जब कि सन् १९५९ मे यह सख्या ५,३३८ थी। इस वर्ष ४,२२० सर्टीफिकेटो को नया किया गया जबकि पूर्वगामी वर्ष में ३,९३९ सर्टीफिकेट नये किये गये थे। श्रेणी विभाजन के अनुसार फार्मेसिस्टों का विवरण निम्न प्रकार से है--

धारा ३१ की उपधारा 'क' के अन्तर्गत	उपधारा 'ख' के अन्तर्गत	उपधारा 'ग' के अन्तर्गत	उपधारा 'घ' के अन्तर्गत	योग
१०	८४	१,६२७	२,६८८	४,४०९

विशेषज्ञों की सुविधाएं

(१) क्षय रोग

इधर हाल के वर्षो मे अस्पतालो में क्षय रोग के रोगियो की संख्या में वृद्धि हुई है। अस्पतालो में मरीजो की संख्या जो कि सन् १९५६ मे १,९८,४२८ थी सन् १९५९ में बढ कर ३,६५,८६९ तक पहुच गयी। इससे यह पता चलता है कि लोगो मे अस्पताल में भरती होकर चिकित्सा कराने की प्रवृति बढ़ रही है। यह स्वीकार किया जाने लगा कि इस रोग का उन्मूलन बहुत कुछ रहन-सहन के स्तर मे और सुधार करने पर निर्भर करता है। पर इस बीच चिकित्सा नियन्त्रण के उपायो को अपनाया जाना था। चिकित्सा विज्ञान में हुई प्रगति के फल-स्वरूप अब क्षय रोग का उसकी प्रारम्भिक दशा मे उपचार कर लेना सम्भव हो गया है।

जहा तक नियन्त्रण उपायो का सम्बन्ध है राज्य मे क्षय रोग के १० सेनेटोरियम और अस्पताल थे। उनमे ७ का सचालन सरकार द्वारा और शेष का सरकारी संस्थाओ द्वारा किया जाता था। इन सब मे कुल मिलाकर शय्याओ की संख्या १,००० थी। सबसे बडा सेनेटोरियम भुवाली का सेनेटोरियम था जिसमे शय्याओ की संख्या ३४६ थी। जिला अस्पतालो और छुतहे रोग के अस्पतालो मे क्षय रोग वार्ड संलग्न थे जिनमें शय्याओ की कुल

संख्या २५० थी। फतेहगढ़ में एक मिशन अस्पताल भी है जिसमें शय्याओं की संख्या २८ थी।

इस रोग की चिकित्सा एवं इसके नियन्त्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान हाल में क्षय रोग के क्लीनिको का खोला जाना था। भारत सरकार की सहायता से तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित ढाचे पर १९ क्षय रोग क्लीनिक स्थापित किये गये। इनमे से अल्मोडा, खीरी, कानपुर और पिथौरागढ के क्लीनिक इसी वर्ष स्थापित किये गये। क्षय रोग के इन क्लीनिकों का उद्देश्य क्षय रोग के रोगियो को उनके घर पर ही एक्स-रे पैथालौजी सम्बन्धी परीक्षा आदि जैसी निशुल्क चिकित्सा सुविधाए पहुंचाना था। इसके अतिरिक्त क्षय रोग के २१ और क्लीनिक थे। इनमे से ८ का संचालन राज्य सरकार द्वारा और शेष का स्वैच्छिक सस्थाओ द्वारा किया जाता था।

नियन्त्रण का दूसरा महत्वपूर्ण उपाय बी० सी० जी० का टीका था। राज्य मे १६ बी० सी० जी० के टीके लगाने वाले दल कार्य कर रहे थे। जब तक कि रहन सहन के स्तर में पर्याप्त सुधार नहीं हो जाता तब तक बी० सी० जी० का टीका ही क्षय रोग के नियन्त्रण का सबसे सस्ता एवं प्रभावपूर्ण उपाय था।

(२) कुष्ट रोग

कुष्ठ रोग की चिकित्सा के लिए प्रयास जारी रहे। यह रोग राज्य के पूर्वी जिलो में और हिमालय की तराई के क्षेत्रो मे अधिक व्यापक था और इधर हाल के वर्षो में इस ओर ध्यान दिया गया। विभिन्न कुष्ठ नियन्त्रण कार्यो की देखभाल के लिए और उनमें समन्वय स्थापित करने के लिये राज्य में पूरे समय के लिए एक राज्य कुष्ठ अधिकारी था। कुष्ठ रोग के नियन्त्रण के लिए राज्यो मे कई संस्थाए थी और कई अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध थी। आलोच्य वर्ष मे कुष्ठ रोग की निम्नलिखित सस्थाएं कार्य करती रही--

संस्थाए	शय्याओ की संख्या
राजकीय सस्थाएं	
(१) कुष्ठ रोग अस्पताल, बहराइच	६४
(२) कुष्ठ रोग गृह, मेरठ	४०
(३) राजा कालीशकर कुष्ठ आश्रम, वाराणसी ..	४५
निजी संस्थाए	
(१) कुष्ठ गृह और अस्पताल, नैनी, इलाहाबाद ..	२५०
(२) कुष्ठ आश्रम, अल्मोड़ा	१२०
(३) कुष्ठ आश्रम चन्दग, अल्मोडा	११०
(४) कुष्ठ गृह और अस्पताल, जमुर्रदगंज, फैजाबाद ..	२७०
(५) कुष्ठ अस्पताल, लखनऊ	३५
(६) मेकेलेरेन कुष्ठ अस्पताल, देहरादून	८८
(७) कुष्ठ आश्रम, रुडकी, सहारनपुर	१९
(८) श्रीमती भगवान देवी कुष्ठ अस्पताल, कानपुर ..	५३
(९) कुष्ठ आश्रम, मुरादाबाद	५०
(१०) कुष्ठ अस्पताल हल्द्वानी, नैनीताल	७२
(११) कुष्ठ अस्पताल, आगरा	५०
(१२) कुष्ठ आश्रम, श्रीनगर, गढ़वाल	१५
(१३) कुष्ठ सेवा आश्रम, गोरखपुर	७३
(१४) कुष्ठ कालोनी, मुनी की रीती, टिहरी गढ़वाल ..	१२०
(१५) गुप्ता कुष्ठ आश्रम, खीरी	१०

राज्य सरकार इन सब निजी संस्थाओं को सामान्य रूप से २ लाख ६० हजार रुपये का अनुदान दिया करती थी ।

उपरोक्त संस्थाओं के अतिरिक्त वाराणसी, गोरखपुर, मुरादाबाद, खीरी, बहराइच, बस्ती, बाराबकी और आजमगढ में ८ सहायक केन्द्र थे और देहरादून में एक चिकित्सा केन्द्र था। कुष्ट रोग निवारण के लिए चल रही भारत सरकार की अग्रगामी योजना के अन्तर्गत ये केन्द्र कार्य कर रहे थे। कुष्ट रोग के निरोध के लिए प्रगाढ रूप से बढे पैमाने पर चिकित्सा कार्य करने के अतिरिक्त ये क्लीनिक सर्वेक्षण कार्य और सम्पर्क बनाये रखने का कार्य करते थे। देहरादून स्थित अध्ययन और चिकित्सा केन्द्र, चिकित्सा कार्य के अतिरिक्त कुष्ट रोग के विषय में शिक्षित करने, चिकित्सा के परिणामो का मूल्यांकन करने, रोग के प्रकार व उसकी तीव्रता का सर्वेक्षण करने और बी० सी० जी० के टीके के प्रभाव के संबध मे अध्ययन करने का भी कार्य करता रहा ।

वाराणसी, कानपुर और देवरिया मे ३ चर्म रोग क्लीनिक थे जिनका संचालन राज्य सरकार द्वारा किया जाता था ।

झांसी और हमीरपुर में दो सचल कुष्ट रोग दल कार्य कर रहे थे। ये दल एक गांव से दूसरे गाव में जाकर चिकित्सा कार्य करते थे, रोग के संबंध मे सर्वेक्षण कार्य करते और रोग निरोधात्मक उपायो का प्रचार करते थे ।

नये चिकित्सा कार्यकर्त्ताओ के प्रशिक्षण की एक योजना की स्वीकृति सरकार ने दी और गोरखपुर के सिविल सर्जन को इस सबध मे आवश्यक कार्यवाही करने के लिए आदेश दिये गये। इसी संबंध में एक ज्येष्ठ जन स्वास्थ्य अधिकारी को कुष्ठ निरोधक कार्यो के लिए ४ मास का प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु चिलकल्लापल्ली (आंध्र प्रदेश) भेजा गया। वापस लौटने पर उसे कार्यकर्त्ताओ को प्रशिक्षित करना था। राज्य कुष्ठ अधिकारी को अध्ययन के लिए विदेश भेजा गया। आलोच्य वर्ष में कुष्ठ निरोधक कार्यो के लिये हिन्द कुष्ठ निवारण सघ की उत्तर प्रदेश शाखा को राज्य सरकार द्वारा एक लाख रुपया का अनावर्तक अनुदान दिया गया ।

राज्य के जिला अस्पतालो और शाखा दवाखानो मे भी कुष्ठ रोग के मरीजो की चिकित्सा का भी प्रबंध किया गया ।

(३) रतिज रोग

रतिजरोग देहरादून जिले के जौनसार बावर क्षेत्र मे और टेहरी गढ़वाल जिले के आसपास के क्षेत्रो में व्यापक रूप से फैला था। दिसम्बर, १९५९ में जौनसार बावर क्षेत्र का एक छिट-पुट नमूना सर्वेक्षण, वहां स्थित एक सर्वेक्षण दल द्वारा, किया गया। इस क्षेत्र के लिए चकराता में एक रतिज रोग अस्पताल कार्य कर रहा था और एक सचल रतिज रोग टोली भी थी जो कि मरीजो के घर पर ही उनका उपचार करती थी।

इन रोगो से पीडित व्यक्तियो का उपचार निम्नलिखित संस्थाओ मे किया जाता था—

(१) रतिज रोग क्लीनिक दुद्धी, मिर्जापुर ।

(२) मोती लाल नेहरू अस्पताल, इलाहाबाद ।

(३) उर्सला हार्समेन मेमोरियल अस्पताल, कानपुर ।

(४) रतिज रोग क्लीनिक , क्रास्थवेट अस्पताल, नैनीताल ।

(५) रतिज रोग क्लीनिक , प्यारे लाल शर्मा अस्पताल , मेरठ ।

(६) शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल, वाराणसी ।

(७) रतिज रोग विभाग, सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा ।

राज्य के अन्य सभी जिला अस्पतालो मे इन रोगो की बाह्य चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध थी ।

(४) नेत्र चिकित्सा

राज्य में आचलिक (जोनल) आधार पर नेत्र चिकित्सा के लिए विशेष उपाय किये जाते रहे । आचलिक नेत्र चिकित्सा सहायता योजना के अधीन राज्यके ग्राम क्षेत्रों में सीतापुर और अलीगढ़ के नेत्र चिकित्सालयो और लखनऊ आगरा तथा कानपुर के मेडिकल कालेजो के नेत्र चिकित्सा विभागो द्वारा जिला नेत्र चिकित्सा समितियो के सहयोग से काफी बडी सख्या में नेत्र चिकित्सा शिविर खोले गये ।

योग्य आप्टीशियन और रिफ्रेक्शनिस्ट तैयार करने के उद्देश्य से जिससे कि यह लोग नेत्र चिकित्सकों के सहायक के रूप मे कार्य कर सके और अयोग्य व्यक्तियो को इस कार्य से मुक्त किया जा सके, अलीगढ़ के गांधी नेत्र चिकित्सालय मे और सीतापुर के नेत्र चिकित्सालय में इन लोगो के लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये । इसके लिए सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता था । प्रति वर्ष प्रत्येक स्कूल में २० छात्र भर्ती किये जाते थे । आलोच्य वर्ष में गाधी नेत्र चिकित्सालय अलीगढ से १२ छात्र उत्तीर्ण हुए । आशा की जाती थी कि अस्पतालो के नेत्र चिकित्सा विभाग में यह लोग लग जायेंगे ।

अलीगढ़ के गांधी नेत्र चिकित्सालय का नेत्र बैक, दान द्वारा प्राप्त सामग्री की कमी के कारण विशेष प्रगति न कर सका और बहुत से मरीजो को जो कि अस्पताल मे नयी आखें लगवाने गये थे, निराश वापस लौटना पडा । सन् १९६० के वर्ष में और जनवरी, १९६१ के महीने में ८ मरीजो की नयी आखें लगायी गयी ।

काटैक्ट लेंस केन्द्र, जिसका आरम्भ सन् १९४७ में हुआ था संतोषजनकरूप से कार्य करता रहा । सन् १९६० के वर्ष मे कांटेक्ट लेसो के फिट करने के अतिरिक्त कास्मेटिक शेलो के उत्पादन के सम्बन्ध में काफी टेक्निकल कार्य किया गया । इस वर्ष ४२ कास्मेटिक शेल फिट किये गये।

(५) कैंसर

कानपुर में कैंसर के इलाज के लिए १०० शय्याओं का एक नया अस्पताल खोला जा रहा था । इस अस्पताल के लिए इमारत कानपुर के जे० के० इंस्टीट्यूट द्वारा बनवायी जा रही थीं।

इलाहाबाद के कमला नेहरू अस्पताल कैसर कक्ष (विग) के रख-रखाव क लिए [जिसमे २४ शय्याओ का प्रबंध था, सरकार ने ६५,४६० रुपये की एक धनराशि स्वीकृत की ।

रक्त बैंक

राज्य मे ३ रक्त बैंक संतोषजनक रूप से कार्य करते रहे । डी० सी० बी० परीक्षा पास करने के बाद ८ अधिकारियो को रक्त बैंक के कार्य मे प्रशिक्षित किया गया । जिससे कि यह लोग विभिन्न कमिश्नरियो के सदर मे स्थित रक्त बंको का कार्य संचालन कर सकें । ४७ अधिकारियो और लखनऊ के मेडिकल कालेज के स्नातकोत्तर छात्रों को आपत्तिकालिक रक्त बैंक की टेक्निक मे प्रशिक्षित किया गया । आपत्तिकाल मे चौबीसो घंटे रक्त की सप्लाई करने के कार्य मे यह अधिकारी काफी सहायक सिद्ध हुए ।

स्वैच्छिक रक्त दाताओ को आकर्षित करने के उद्देश्य से आकाशवाणी के लखनऊ केन्द्र से रक्त बैंक के सम्बन्ध मे तीन वार्ताएं प्रसारित की गयी । इस विषय में जनता को शिक्षित करने के उद्देश्य से स्थानीय समाचारपत्रों मे कई लेख व सवाद पत्र आदि प्रकाशित कराये गये । काफी बडी संख्या में पुलिस व पी० ए० सी० के कर्मचारियो के रक्त की परीक्षा, उनका ब्लड ग्रुप निश्चित करने के उद्देश्य से की गयी ।

अस्पताल सील की बिक्री

अस्पताल सील की बिक्री का सातवा अभियान जो कि २६ जनवरी, १९६० को आरम्भ किया गया था, २ अक्तूबर, १९६० को समाप्त हुआ। अभियान के दौरान में अस्पताल सील की बिक्री जिला स्वास्थ्य अधिकारियो की देख-रेख मे आयुर्वेदिक औषधालयो एवं यूनानी दवा-खानो मे भी की गयी और समाचारपत्रो, पोस्टरो तथा सिनेमा स्लाइडो द्वारा काफी प्रचार किया गया। अस्पताल सील की बिक्री सतोषजनक रही।

टी० बी० सील की बिक्री

उत्तर प्रदेश में टी० बी० सील की बिक्री के अभियान का संचालन उत्तर प्रदेश टी० बी० एसोसियेशन लखनऊ द्वारा किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्षय रोग के स्थानीय मरीजो को सहायता पहुचाना और जनता को इस रोग के उत्पन्न होने के कारण तथा रोकथाम के उपायो के प्रति सचेत करना था। टी० बी० सील की बिक्री के दसवें (१९५९-६०) अभियान के अन्तर्गत टी० बी० सील की बिक्री से कुल ६७,७०९ रुपये एकत्र हुए।

(ख) आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा प्रणाली

आयुर्वेदिक और यूनानी विभाग के कार्य कलापो मे निरन्तर प्रसार होता रहा। मुख्य कार्य ग्राम-क्षेत्रो मे चिकित्सा सुविधाओ का प्रसार किया जाना था।

आलोच्य वर्ष के आरम्भ मे राज्य मे राजकीय आयुर्वेदिक औषधालयो और यूनानी दवाखानो की कुल संख्या क्रमश. ५०० और ९० थी। सन् १९५९-६० के वर्ष मे सरकार ने १० और दवाखाने खोले, जिनमे ८ आयुर्वेदिक औषधालय एव २ यूनानी दवाखाने थे। इनमें प्रत्येक मे ४ शय्याओ का इनडोर वार्ड भी था। राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय एव यूनानी दवाखानो की इमारतो के निर्माण के लिए बजट में २,७४,००० रुपये की व्यवस्था की गयी। पहले के दवाखानो और औषधालयो की उपयोगिता बढ़ाने के उद्देश्य से फर्नीचर तथा अन्य साज-सज्जा के लिए ८७,००० रुपये की व्यवस्था की गयी।

जिला बोर्डो और नगरपालिकाओ द्वारा संचालित आयुर्वेदिक औषधालयों तथा यूनानी दवाखानो की कुल सख्या क्रमश. ४३० और ३८ थी। इनमे से ८३ को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता मिलती थी। शहर व ग्राम क्षेत्रो के एक बडी सख्या मे वैद्यो व हकीमो को और औष-धालयो तथा दवाखानो को काफी उदारतापूर्वक आर्थिक, सहायता दी जाती थी। यह सहायता स्वास्थ्य मन्त्री के उस कोष से दी जाती थी जो दातव्य कार्यो के लिए उनके पास रहती थी।

आयुर्वेदिक और यूनानी राजकीय फार्मेसी

आयुर्वेदिक और यूनानी राजकीय फार्मेसी, जिसके द्वारा राज्य के औषधालयों एवं दवाखानो को दवाइया सप्लाई की जाती थी, संतोषजनक रूप से प्रगति करती रही। आलोच्य वर्ष में फार्मेसी द्वारा ७०९ मन विभिन्न प्रकार की आयुर्वेदिक तथा यूनानी दवाए तैयार की गयी।

रामपुर खास मे एक आयुर्वेदिक औषधालय तथा एक यूनानी दवाखाना था। वाराणसी जिले के रामनगर मे एक औषधालय कार्य कर रहा था। राजकीय आयुर्वेदिक, कालेज लखनऊ मे एक इन्डोर और एक आउटडोर वार्ड भी था। इस कालेज से सबद्ध अस्पताल मे शय्याओ की संख्या १२० थी, जिनमे से २० शय्याएं किंग्स इंगलिश हास्पिटल में थी। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि द्वितीय पचवर्षीय आयोजना अवधि के अन्त तक इस विभाग की विभिन्न विकास योजनाओ के कार्यान्वित होने पर लगभग ८०० व्यक्तियो को काम मिल जायगा। इस वर्ष १६ नये आयुर्वेदिक एव यूनानी दवाखाने (पुरुषो के लिए) खोले गये। इन सभी में चार शय्याओ का एक-एक इनडोर वार्ड भी था।

बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों को दवाओं के रूप मे काफी सहायता पहुंचायी गयी। इसके अतिरिक्त विभाग के वैद्यो और हकीमो को इन क्षेत्रो मे चिकित्सा सहायता कार्य के लिए भेजा गया। सन् १९६० के अर्ध कुम्भ मेले के अवसर पर तीर्थ यात्रिओ को चिकित्सा सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से तीन आयुर्वेदिक औषधालय स्थापित किये गये।

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज

आयुर्वेदिक और यूनानी शिक्षा के विकाश के लिए राज्य के आयुर्वेदिक और यूनाना कालेजो को सरकार ने उदारतापूर्वक अनुदान दिया।

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज में, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध था, लगभग ९५ छात्र थे।

लखनऊ के राजकीय आयुर्वेदिक कालेज मे आवश्यक साज-सज्जा एवं टेक्निकल स्टाफ की व्यवस्था की गयी, ताकि प्रति वर्ष ४० छात्रो को सुगमता पूर्वक भरती किया जा सके। सरकार द्वारा नियुक्त उच्च अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशो के अनुसार कालेज में आयुर्वेदाचार्य का एक नया पाठ्यक्रम सन् १९५९ से चालू किया गया। सन १९५९ में इस पाठ्यक्रम में ११ छात्र और सन् १९६० में ३४ छात्र भरती किये गये।

इस कालेज के छात्रो को और अधिक टेक्निकल सुविधाएं पहुंचाने के और शय्याओ की संख्या मे वृद्धि करने के लिए यह आवश्यक था कि उसकी इमारतो और अस्पतालों में उचित परिवर्तन एवं परिवर्धन किया जाय। इस कार्य के लिए सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना अवधियो मे विभिन्न निर्माण कार्यो के लिए ७,६२,३०० रुपये की धनराशि स्वीकृत की। यह रुपया प्रथम पंचवर्षीय योजना काल मे स्वीकृत किये गये ७,२४,००० रुपये की धनराशि के अतिरिक्त था।

बोर्ड आफ इडियन मेडिसिन्स

आलोच्य वर्ष मे बोर्ड ने ३६० वैद्यो और ४५ हकीमो को पंजीकृत किया और इस प्रकार पंजीकृत वैद्यो और हकीमो की कुल संख्या क्रमशः २४,५८५ और ६,४३५ तक पहुंच गयी।

इस वर्ष बोर्ड से संबंध आयुर्वेदिक और यूनानी कालेजो के निर्धन एवं योग्य छात्रो को २५-२५ रुपये प्रतिमास की १५ छात्रवृत्तिया दी गयी। योग्य छात्रो को छात्रवृत्तियां देने के लिए राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ के बजट मे ४,२०० रुपया की व्यवस्था की गयी।

सामान्य

सन् १९४६ से ही विभिन्न क्षेत्रो मे विभाग ने काफी प्रगति की। राजकीय आयुर्वेदिक औषधालयो और यूनानी दवाखानो की सख्या २५० से बढ कर ६०० तक पहुंच गयी। ग्राम क्षेत्रो के लोगो को चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने के हेतु अनेक वित्तपोषित योजनाए आरम्भ की गयी। विभाग के कार्यकलापो पर और अधिक प्रभावपूर्ण नियन्त्रण एवं देख-रेख रखने के उद्देश्य से सन् १९५८ मे सहायक निदेशक (आयुर्वेद) के एक अलग पद का सृजन किया गया।

आयुर्वेद और तिब्बी अकाडमी संतोषजनक रूप से अपना कार्य करती रहीं। उपयुक्त पाठ्य-पुस्तको का चयन करने और आयुर्वेद की पुस्तको का संस्कृत से हिन्दी मे अनुवाद कराने के उद्देश्य से सरकार ने एक सम्पादक मण्डल की भी नियुक्ति की।

(ग) होम्योपैथिक चिकित्सा, प्रणाली

द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना के अन्तर्गत नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ के तत्वावधान में ५ १/२ वर्ष का एक डिग्री कोर्स आरम्भ किया गया। ६० शय्याओं वाले एक अस्पताल की भी व्यवस्था की गयी। आलोच्य वर्ष में सरकार ने कालेज और अस्पताल के लिए १,८५,६०० रु० स्वीकृत किये। इस धनराशि में से ४८,००० रुपये साज-सज्जा के लिए, ३७,६०० रुपये कालेज और अस्पताल मे रख-रखाव के लिए और १,००,००० रु० इमारतो के निर्माण के लिए थे। इस कालेज के आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने का प्रश्न विचाराधीन था। यह प्रस्ताव था कि जैसे ही कोई उपयुक्त भूमि मिल जाय, कालेज के लिए भारत भारत सरकार की सहायता से एक इमारत का निर्माण किया जाय।

अध्याय ६

शिक्षा, अनुसंधान इत्यादि

१—शिक्षा

पूर्व-प्रारम्भिक शिक्षा

सन् १९६०–६१ के वर्ष में पूर्व प्रारम्भिक-शिक्षा को और प्रोत्साहन मिला। निम्नलिखित नये नर्सरी स्कूलो को नियमित आर्थिक सहायता की सूची में सम्मिलित किया गया—

(१) नर्सरी स्कूल, सिविल लाइन्स, गोरखपुर।
(२) महिला सभा बाल मंदिर नर्सरी स्कूल, न्यूडण्डी, मुजफ्फरनगर।
(३) थियोसोफिकल माटेसरी इन्फेंट स्कूल, इटावा।
(४) मांटेसरी स्कूल एवं बेसिक स्कूल, बरेली।
(५) गुलाबराय मांटेसरी स्कूल, बरेली।

आलोच्य वर्ष में उपरोक्त स्कूलों को १२,५०० रुपये का एक आवर्तक अनुदान स्वीकृत किया गया।

उन १२ नर्सरी स्कूलों को रखरखाव के लिए ८५,००२ रुपये का एक आवर्तक अनुदान स्वीकृत किया गया जिन्हें सन् १९५६–५७, १९५७–५८, १९५८–५९ और १९५९–६० की आर्थिक सहायता की नियमित सूची में सम्मिलित किया गया था।

माध्यमिक शिक्षा

(१) अंतरिम जिला परिषदों द्वारा शिक्षा पर व्यय—आलोच्य वर्ष के लिए अंतरिम जिला परिषदो द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा पर व्यय की जाने वाली निम्नतर धनराशि का सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्धारण किया गया —

		रु०
(१)	बालको के लिए जूनियर हाई स्कूल ..	१,०५,१६,९७०
(२)	अनिवार्येत्तर क्षेत्रो में बालको के लिए सामान्य प्रारम्भिक पाठशालाए	२,४५,४५,०७०
(३)	अनिवार्येत्तर क्षेत्रो में इस्लामियां स्कूल और मकतब	७,१८,२१०
(४)	अनिवार्येत्तर क्षेत्रो मे हरिजनो की शिक्षा ..	५,०८,४३०
(५)	अनिवार्येत्तर क्षेत्रो में बालिकाओ की प्रारम्भिक शिक्षा	१५,३१,८२०
(६)	बालको के लिए अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा ..	१४,३१,१५०
(७)	बालिकाओ के लिए अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा ..	२७,४४०
(८)	भूतपूर्व प्रारम्भिक पाठशालाएं	३,६४,००,५५०
(९)	बालिकाओ के लिए जूनियर हाई स्कूल ..	१०,०९,४३०
	योग ..	७,६६,८९,०७०

व्यय के इस मद मे राज्य का अंशदान ६,५०,०७,३३० रुपये और परिषद् का १,१६,८१,७४० रुपये था।

२—बेकारी सहायता योजना के अन्तर्गत नये स्कूल खोलना—इस वर्ष भारत सरकार द्वारा प्रेरित "शिक्षित बेकारो की सहायता" योजना के अन्तर्गत राज्य के ग्राम क्षेत्रो मे १,६०० जूनियर बेसिक स्कूल खोले गये।

३—ग्राम क्षेत्रो मे बुनियादी प्रारम्भिक शिक्षा के प्रसार और विकास के लिए अनुदान—आलोच्य वर्ष मे अर्तारम जिला परिषद् को देने के लिए निम्नलिखित कार्यो के हेतु अनुदान स्वीकृत किये गये :—

उद्देश्य	धनराशि (रुपयो मे)
(१) द्वितीय पचवर्षीय आयोजना की परियोजना सख्या ६ के अन्तर्गत सन् १९६०–६१ मे जूनियर बेसिक स्कूलो के सुधार के लिए ..	२१,३४,१२२ (आवर्तक)
(२) उपरोक्त परियोजना के अन्तर्गत रामपुर और टिहरी जिलो मे जूनियर बेसिक स्कूलो के सुधार के लिए ..	५३,९००
(३) द्वितीय पचवर्षीय आयोजना की परियोजना सख्या ५४ के अन्तर्गत सन् १९६०–६१ मे अध्यापको की 'वार्षिक वेतन वृद्धि पर होने वाले व्यय' के भुगतान के लिए	३४,९९,९९९ (आवर्तक)
(४) द्वितीय पचवर्षीय आयोजना की परियोजना संख्या ८ के अन्तर्गत पहली से पाचवी कक्षा तक की फीस माफ होने से हुए घाटे की पूर्ति के लिए	२६,५७,९२५
(५) हरिजन छात्रो के सबंध मे उपरोक्त कार्य के लिए ..	५,०२,९८०
(६) द्वितीय पचवर्षीय आयोजना की परियोजना संख्या ३ के अन्तर्गत सन् १९५८–५९ तक खोले गये २,७५० जूनियर बेसिक स्कूलो के रखरखाव के लिए	४६,९२,५६९ (आवर्तक)
(७) उपरोक्त कार्य के लिए, द्वितीय पचवर्षीय आयोजना की परियोजना सख्या ३ के अन्तर्गत जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा रामपुर और टिहरी-गढवाल मे खोले गये जूनियर बेसिक स्कूलो के लिए ..	८८,३८४ (आवर्तक)
(८) भारत सरकार की परियोजना के अन्तर्गत बालिकाओ की शिक्षा के प्रसार के लिए और महिला अध्यापको के प्रशिक्षण के लिए ..	७२,००० (अनावर्तक)
(९) रामपुर और टिहरी-गढ़वाल जिलो के भूतपूर्व राजकीय प्राइमरी स्कूलो के रखरखाव के लिए जो प्रारम्भिक शिक्षा प्रसार परियोजना के अन्तर्गत खोले गये थे	३४,१३१ (आवर्तक) (रामपुर–११,४८६ रुपये और टिहरी गढवाल २२,६४५ रुपये)।

उद्देश्य	धनराशि (रुपयो मे)
(१०) शिक्षित बेकारो को सहायता परियोजना के अन्तर्गत सन् १९५९–६० मे खोले गये १,३८८ जूनियर बेसिक स्कूलो के रख-रखाव के लिए	२०,६६,५०८ (आवर्तक)
(११) उपरोक्त परियोजना के अन्तर्गत रामपुर और टिहरी गढवाल जिलो मे सरकार द्वारा खोले गये ३७ नये जूनियर बेसिक स्कूलो के रखरखाव के लिए	५५,१६७ (आवर्तक)
(१२) शिक्षा विभाग की एक परियोजना के अन्तर्गत मेरठ और वाराणसी के अन्तरिम जिला परिषदो की लडकियो के स्कूलो की इमारत के निर्माण के लिए	१०,००० (अनावर्तक)

४––नगर क्षेत्रो मे बुनियादी प्रारम्भिक पाठशालाओ (बेसिक प्राइमरी स्कूलो) के विकास के लिए अनुदान––नगर पालिकाओ और कटोमेन्ट बोर्डो को निम्नलिखित कार्यों के हेतु जो अनुदान दिये गये उनका विवरण निम्नलिखित है––

(१) १७ नगरपालिकाओ मे लडकियो के लोअर मिडिल स्कूलो में सातवी और आठवी कक्षाए खोलने से सबधित व्यय के लिए ..	३६,३७६ (आवर्तक)
(२) लड़कियो के प्राइमरी स्कूलो मे खोले गये बेसिक कक्षाओ से सबंधित आकस्मिक व्यय के लिए	१६,९०६ (आवर्तक)
(३) नगरपालिका और कन्टोमेन्ट बोर्ड के अध्यापको को १ मार्च, १९५९ से क्रमशः २ रु० ५० न० पै० और ५ रु० की दर से अतिरिक्त महगाई भत्ता दिये जाने से सबधित व्यय के लिए ..	३,८९,२३५
(४) जूनियर हाई स्कूलो के कक्षा ६ मे फीस माफ किये जाने से हुए घाटे की पूर्ति के लिए	१,५६,९६४
(५) उन सभी अध्यापको को, जिनका वेतन १ जून, १९५७ को ९५ रु० प्रतिमास से अधिक नही था (अर्थात् वेतन, व्यक्तिगत वेतन यदि कोई हो तो और महगाई भत्ता मिला कर) ५ रु० प्रतिमास की दर से अतिरिक्त महगाई भत्ता दिये जाने से सबधित सम्पूर्ण व्यय के लिए	६,७१,३७५
(६) उन अध्यापको के महगाई भत्ते मे, जिनका भत्ता उनके आधारभूत वेतन मे १ जनवरी, १९५७ से मिला दिया गया था, सरकार के अंशदान से संबधित व्यय के लिए	७,९६,२४८
(७) १ अप्रैल १९५६ से अपने जूनियर हाई स्कूलो के प्रधान अध्यापको के सशोधित वेतन क्रम के लागू किये जाने के फलस्वरूप अतिरिक्त व्यय के लिए	३३,४८२

उद्देश्य	धनराशि (रुपयो में)
(८) नगरपालिकाओ के जूनियर हाई स्कूलो के जे० टी० सी० अध्यापको का वेतन-क्रम सशोधित करने के सम्बन्ध मे हुए सम्पूर्ण अतिरिक्त व्यय के बराबर सरकार के अशदान के लिए	२५,०४६
(९) नगरपालिकाओ के अधीन उन २६६ बालिकाओ की प्रारम्भिक पाठशालाओ से सबधित आकस्मिक व्यय के लिए जिन्हे सन् १९४७-४८ से १९५७ तक बेसिक स्कूलो मे परिवर्तित कर दिया गया था	७,७८८
(१०) द्वितीय पचवर्षीय आयोजना के अन्तर्गत (परियोजना सख्या ६) जूनियर बेसिक स्कूलो (प्राइमरी स्कूलो) के सुधार से संबधित व्यय के लिए	८४,७०६
(११) द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना के अन्तर्गत (परियोजना सख्या ६-क) कक्षा १ से ६ तक घाटे की पूर्ति के लिए . ..	११,६६३
(१२) उत्तर प्रदेश की नगरपालिकाओ, महापालिकाओ और कन्टोनमेंट बोर्डो मे कक्षा १ से ५ तक के हरिजन छात्रो की फीस माफी से सबधित घाटे की पूर्ति के लिए	६,८१८
(१३) राज्य के कैन्टोनमेंट बोर्डो, आर्डिनेन्स फैक्टरियो और रेलवे प्रशासनो द्वारा चलाये जाने वाले प्राइमरी स्कूलो के रख-रखाव के लिए	६०,३३७ (५७,३३७+३,००० आवर्तक)

५---अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा---राज्य के ९५ नगरपालिकाओ मे लड़को के लिए अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा जारी रही। इनमे से १० नगरपालिकाओ मे लडकियो के लिए भी अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा जारी रही। सन् १९६०-६१ मे सरकार ने ५०,७७,७८० रुपये के लगभग एक आवर्तक अनुदान स्वीकृत किया जो कि बोर्ड द्वारा लडको के अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा पर किये जाने वाले सम्पूर्ण व्यय के तीन-चौथाई के बराबर सरकार का अशदान था और इसी प्रकार लडकियो की शिक्षा के सम्बन्ध में सरकार ने १३,५६,३०४ रुपये का अनुदान स्वीकृत किया।

ग्राम क्षेत्रो मे लडको के लिए अनिवार्य शिक्षा २६ जिलो में कुछ चुने हुए क्षेत्रो मे चालू थी। इन क्षेत्रो मे से ३ मे लड़कियो के लिए भी अनिवार्य शिक्षा चालू थी।

६---पाठ्य पुस्तकें---आलोच्य वर्ष मे बेसिक रीडर भाग ३ (हिन्दी) और बेसिक अकगणित भाग ३ (हिन्दी) को जिन्हे बेसिक रीडर भाग १ और २ तथा बेसिक अकगणित भाग २ के बाद लिखा गया था कक्षा ३ के पाठ्यक्रम मे सम्मिलित किया गया। इसी प्रकार बेसिक अकगणित भाग ३ (उर्दू) भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया। इन पुस्तको के पाठ्यक्रम, विषय, भाषा, चित्र आदि का बच्चो की रुचि और वातावरण का ध्यान रखते हुए पूर्ण रूप से संशोधन किया गया। नया बेसिक रीडर भाग ४ (हिन्दी) और नया बेसिक अकगणित भाग ४ (हिन्दी और उर्दू) तैयार किया जा रहा था। सन् १९६०-६१ में शिक्षा सत्र मे कुल ८७,८९,९०० पुस्तकें मुद्रित की गयी।

माध्यमिक शिक्षा---

१---बहु-उद्देशीय स्कूल---आलोच्य वर्ष मे उच्चतर माध्यमिक स्कूलो का बहु-उद्देशीय स्कूलो मे परिवर्तन करने की योजना के अतर्गत निम्नलिखित स्कूलो में प्रत्येक में

१२० – ३०० रुपये प्रतिमास के प्रशिक्षित स्नातको के वेतन-क्रम में एक-एक मनोवैज्ञानिक अध्यापक की नियुक्ति जुलाई, १९६० से की गयी —

(१) लडको के लिए राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल, सीतापुर।
(२) लडको के लिए राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल, बिजनौर।
(३) लडको के लिए राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल, मैनपुरी।
(४) लडकियो के लिए राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल, जौनपुर।
(५) लडको के लिए राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल, फतेहगढ़।

इनके अतिरिक्त उपरोक्त योजना के अन्तर्गत देवरिया, पीलीभीत और कानपुर के राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूलो के इन्टरमीडिएट की कक्षाओ में जुलाई, १९६० मे टेक्नीकल ग्रुप का पाठ्येक्रम भी जारी किया गया।

२—स्कूलो का प्रान्तीयकरण—गीता स्वामी उच्चतर माध्यमिक स्कूल गोपेश्वर (जिला चमोली) का २७ अक्तूबर, १९६० को प्रान्तीयकरण किया गया।

३—राजकीय जूनियर हाई स्कूल का स्तर उठाना—राजकीय जूनियर हाई स्कूल पुरोला (उत्तरकाशी) का स्तर सन् १९६०–६१ के शिक्षा मत्र से उच्चतर माध्यमिक (साहित्यिक वर्ग) स्तर तक कर दिया गया।

४—लडकियो के उच्चतर माध्यमिक स्कूलो का स्तर उठाना—फतेहपुर और ललितपुर (झासी) के लडकियो के राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूलो का स्तर आलोच्य वर्ष मे इंटरमीडिएट तक का कर दिया गया।

५—नव-निर्मित जिलो में स्कूल कक्षाए खोलना—पिथौरागढ, उत्तर काशी और चमोली के नये बनाये गये जिलो मे जुलाई, १९६० से सरकार ने निम्नलिखित स्कूल कक्षाएं खोलने की स्वीकृति प्रदान की—

जिला	प्राइमरी स्कूल	जूनियर हाई स्कूल	उच्चतर माध्यमिक स्कूल (नयी कक्षाएं आदि)
१	२	३	४
पिथौरागढ़	१५	५	जुलाई, १९६० से मुनसियारी के राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल की कक्षा ९ व १० में विज्ञान की पढाई आरम्भ की गयी। जुलाई, १९६० से मुनसियारी के राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल का स्तर साहित्य-वर्ग मे इंटरमीडिएट तक कर दिया गया।
उत्तरकाशी	३०	३	जुलाई, १९६० से उत्तर काशी के गवर्नमेंट हाई स्कूल का स्तर साहित्य वर्ग मे इंटरमीडिएट तक कर दिया गया।
चमोली	१५	७	जुलाई, १९६० से जोशीमठ के राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल की कक्षा ९ व १० में विज्ञान की पढ़ाई आरम्भ की गयी।

६--संगीत की शिक्षा आरम्भ करना--आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित लडकियो के राजकीय जूनियर हाई स्कूलो में एक विषय के रूप में संगीत की पढाई आरम्भ की गयी :--

(१) गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल, टुडला ।
(२) गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल, करवी ।
(३) गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल, बिसवां ।
(४) गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल, मऊ ।

७--प्रारम्भिक अनुदान--आलोच्य वर्ष मे ४७ गैर सरकारी उच्चतर माध्यमिक स्कूलो को आर्थिक सहायता की सूची मे सम्मिलित किया गया ।

८--हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद् (बोर्ड), उत्तर प्रदेश--सन् १९६२ की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए निम्नलिखित नये पाठ्यक्रम निर्धारित किये गये--

(१) व्यावसायिक भूगोल (साहित्यिक वर्ग के अन्तर्गत इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए) ।

(२) फ्रेंच (इन्टरमीडिएट परीक्षा के लिए) ।

(३) कलात्मक मेटल-क्राफ्ट (पुराने ढांचे के अनुसार हाई स्कूल टेक्नीकल परीक्षा के लिए) ।

सन् १९६३ की परीक्षा के लिए भूगोल, मनोविज्ञान और मुद्रण के पाठ्यक्रमो का सशोधन किया गया ।

सन् १९६० की बोर्ड के हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट की परीक्षाओ मे काफी बडी संख्या मे छात्र बैठे। विभिन्न परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवारो का विवरण निम्नलिखित है :--

हाईस्कूल--

लड़के	२,०५,७४८
लड़कियां	२०,६२२
योग ..	२,२६,३७०

इन्टरमीडिएट--

लड़के	९६,४१८
लडकिया	१३,०२८
योग ..	१,०९,४४६

उपरोक्त परीक्षाओ मे बैठे और सफल हुए उम्मीदवारो का विवरण निम्नलिखित है :--

हाईस्कूल परीक्षा--	बैठने वाले छात्रो की संख्या	सफल हुए छात्रों की संख्या
लडके	१,९४,५६१	७४,६६१
लड़कियां	१९,३०७	११,४६२
योग ..	२,१३,८६८	८६,१२३
इन्टरमीडिएट परीक्षा--		
लड़के	८६,५४५	३६,६११
लड़कियां	११,५००	६,१४२
योग ..	९८,०४५	४२,७५३

विश्वविद्यालय की शिक्षा

१--विधि-निर्माण--विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र मे हाल में उत्पन्न कुछ नयी बातें सरकार की गंभीर चिता के कारण बनी रही। यह बहुत तीव्रता पूर्वक अनुभव किया गया कि निर्वाचन पद्धति द्वारा उपकुलपति नियुक्त करने की प्रणाली उतनी सतोषजनक सिद्ध नहीं हुई जितनी की आशा की गयी थी। वास्तव में इससे विश्वविद्यालयो में गुटबदी होने लगी और इसका कुप्रभाव न केवल उप-कुलपति के चयन पर पडा अपितु विश्वविद्यालयो के प्रशासन पर भी पड़ा। केवल यही नही इस प्रणाली के अन्तर्गत उपकुलपति के चुनाव का क्षेत्र व्यवहार रूप में बहुत ही सकुचित हो जाता था क्योकि जो लोग सफलतापूर्वक चुनाव अभियान चला सकते थे वही इस पद पर आ सकते थे जबकि योग्य और प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्तियो के लिए चुना जा सकना सभव न होता था। यह बात विश्वविद्यालयी शिक्षा के हित मे न थी। इस कारण मे यह निश्चय किया गया कि विभिन्न विश्वविद्यालय अधिकारियो मे उचित परिवर्तन कर दिया जाय और निर्वाचन पद्धति के स्थान पर चुनाव प्रणाली अपनायी जाय। गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम मे निर्धारित उपकुलपति के चुनाव की प्रणाली काफी उपयुक्त समझी गयी और फलस्वरूप आवश्यक सशोधनो के साथ इस प्रणाली को ही एकरूपता के आधार पर आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ और गोरखपुर विश्वविद्यालयो तथा साथ ही वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए भी अपना लिया गया।

२--नवीन सहायता प्राप्त डिग्री कालेज--आलोच्य वर्ष मे निम्नलिखित डिग्री कालेजों को सरकारी सहायता प्राप्त सस्थाओ की सूची में सम्मिलित किया गया--

(१) डी० ए० वी० कालेज, बुलन्दशहर।

(२) अग्रवाल डिग्री कालेज, इलाहाबाद।

(३) एम० एल० के० कालेज, बलरामपुर, गोडा।

उपरोक्त कालेजो को सन् १९६०-६१ मे लगभग १,००,४०० रुपया आवर्तक अनुदान देने की स्वीकृति दी गयी।

मदन मोहन ट्यूटोरियल कालेज, इलाहाबाद को भी इस वर्ष नियमित सहायता प्राप्त संस्थाओ की सूची में सम्मिलित किया गया।

३--दानसिह विष्ट गवर्नमेंट डिग्री कालेज, नैनीताल--सन् १९५९ तक नैनीताल के दानसिह विष्ट डिग्री कालेज मे केवल कला और विज्ञान के ही विभाग (फैकल्टी) थे। सन् १९६० के शिक्षा सत्र से वाणिज्य विभाग खोला गया। इस प्रकार आलोच्य वर्ष में कालेज में स्नातकोत्तर स्तर तक कला, विज्ञान और वाणिज्य के तीनो विभाग थे।

सामान्य शिक्षा की परियोजना, जोकि इस कालेज की एक नयी विशेषता, थी इस वर्ष सफलतापूर्वक जारी रही। नियमित कार्यक्रम के अनुसार कालेज के पढाई के घटो में ही विभिन्न विषयो पर पूर्व-स्नातक कक्षाओ मे सामान्य शिक्षा के ५३ लेक्चर दिये गये। ट्यूटोरियल और छात्रो को काम देने की पद्धति जोकि इस कालेज की एक दूसरी नवीन विशेषता थी, तथा पूर्वस्नातक कक्षाओ के लिए अनिवार्य शारीरिक शिक्षा (पी० टी०) की योजना भी सफलतापूर्वक कार्य करती रही।

कालेज के विभिन्न प्रोफेसरों की देख-रेख में ४० अनुसंधान छात्र कार्य करते रहे। कालेज के ९ अनुसधान छात्रो को इस वर्ष आगरा विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० की उपाधि मिली।

कालेज में अनुसधान की तीन परियोजनाएं अन्य परियोजनाओ के अतिरिक्त जारी रही। इन चीजो में से एक वैज्ञानिक और औद्योगिक परिषद् द्वारा प्रेरित थी, दूसरी एटामिक एनर्जी

कमीशन द्वारा और तीसरी कृषि अनुसंधान की भारतीय परिषद् द्वारा प्रेरित थी। इन तीनो परियोजनाओ को उत्तर प्रदेश की वैज्ञानिक अनुसधान समिति द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त थी।

कालेज का ७ वा पदवीदानोत्सव ६ जन, १६६० को विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति श्री वी० वी० गिरि की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ।

इस वर्ष की एक उल्लेखनीय घटना यह रही कि कालेज के प्रिन्सिपल, अध्यापको, कर्मचारियो तथा छात्रो के सम्पत्तिदान और श्रमदान के फलस्वरूप एक बडे कमरे का, जिसके फर्श का क्षेत्रफल ३,२०० वर्गफुट था, निर्माण-कार्य पूरा किया गया।

आगरा विश्वविद्यालय का चौथा युवक मेला भी इस कालेज में ११ से १३ अक्तूबर, १६६० तक मनाया गया। इस उत्सव का संगठन आगरा विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था और इसमे भाग लेने वालो की संख्या ३५० थी जोकि २१ संस्थाओ का प्रतिनिधित्व करते थे।

४—गवर्नमेंट रजा डिग्री कालेज, रामपुर—गवर्नमेंट रजा डिग्री कालेज, रामपुर की इस वर्ष की उल्लेखनीय घटना एन० सी० सी० का आरम्भ किया जाना था। यह योजना कालेज के छात्रो मे काफी लोकप्रिय रही।

१८-१६ फरवरी, १६६१ को कालेज प्लानिंग फोरम के तत्वावधान में रामपुर से १० मील दर सैदनगर नामक गाव में एक समाज सेवा शिविर सगठित किया गया, जहा अन्य कार्यों के अतिरिक्त पुरुषो और महिलाओ की अलग-अलग सभाओ मे छात्र बालको और बालिकाओ द्वारा भाषण दिया गया। छात्र बालको ने गाव वालो के साथ श्रमदान मे भी भाग लिया।

५—काशी नरेश राजकीय डिग्री कालेज, ज्ञानपुर (वाराणसी)—काशी नरेश राजकीय डिग्री कालेज, ज्ञानपुर में स्नातकोत्तर कक्षाओ तक कला, विज्ञान और वाणिज्य मे शिक्षा दी जाती थी। पूर्वगामी वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष कालेज में भरती हुए छात्रो की संख्या में २० प्रतिशत की वृद्धि हुई।

जुलाई, १६६० से इस कालेज में एन० सी० सी० की योजना लागू की गयी और इस वर्ष केडेटो की संख्या लगभग २०० थी।

कालेज के खेलकूद संघ ने इस वर्ष लगभग २,५०० रुपयो की लागत से एक टेबुल टेनिस शैड का निर्माण किया।

६—विश्वविद्यालय अनुदान समिति, उत्तर प्रदेश—२० अप्रैल, १६६० को उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय अनुदान समिति का दूसरी बार गठन किया गया। पुनर्गठित समिति के कार्यों में निम्नलिखित कार्य और जोडे गये :—

(१) नये विश्व-विद्यालयो की स्थापना के सबंध में राज्य सरकार को सलाह देना और इनमे से प्रत्येक के लिए उपयुक्त ढाचे का सुझाव देना।

(२) उच्च शिक्षा से संबंधित सभी शैक्षिक विधि निर्माण संबंधी और प्रशासकीय मामलो में सरकार को सलाह देना।

(३) विश्वविद्यालयो और कालेजो के सम्पत्ति और पावना का अभिलेख (रेकार्ड) रखना और कालेजों के आर्थिक स्थिति के बारे में सरकार को रिपोर्ट देना।

आलोच्य वर्ष में समिति की चार बैठकें हुई। इनमें से दो लखनऊ में और दो इलाहाबाद में हुई। इन बैठको मे विश्वविद्यालयो और डिग्री कालेजो की मागो पर विचार किया गया और अनेक महत्वपूर्ण वित्तीय एवं शैक्षिक मामलो के बारे में निश्चय किया गया। मेरठ में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने सबधी एक प्रस्ताव तैयार करने की ओर समिति ने ध्यान दिया और कुमाऊ क्षेत्र में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना भी समिति के विचाराधीन रही।

राज्य के डिग्री कालेजो को इमारतो के निर्माण के लिए तथा फर्नीचर, वैज्ञानिक उपकरणो और पुस्तकालयो के लिए पुस्तको आदि की खरीद के लिए आलोच्य वर्ष के बजट मे निर्धारित डेढ लाख रुपयो की धनराशि मे से अनावर्तक अनुदान स्वीकृत करने के संबंध में समिति ने सरकार के विचार के लिए प्रस्ताव तैयार किये। साथ ही सरकार के विचार के लिए राज्य के सहायता-प्राप्त डिग्री कालेजो को तीसरी योजना के अन्तर्गत १० लाख रुपये का 'विकास अनुदान' स्वीकृत करने के सबंध में भी समिति ने प्रस्ताव तैयार किये।

उत्तर प्रदेश की वैज्ञानिक अनुसधान समिति का कार्यालय जोकि अभी तक उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय समिति के कार्यालय के साथ ही आरम्भ मे ही एक ही इमारत मे था, १ जुलाई, १९६० से हट कर अलग इमारत मे चला गया जहा से वह स्वतत्र रूप से कार्य करने लगा।

प्रशिक्षण संस्थाएं--

१--सेन्ट्रल पेडागाजिकल इस्टीट्यूट--इलाहाबाद स्थित गवर्नमेंट सेन्ट्रल पेडागाजिकल इस्टीट्यूट पूर्व वर्षो की भाति ही अनुसधान एव प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में कार्य करता रहा। इसका मुख्य कार्य शिक्षा विभाग को एल० टी० परीक्षा के लिए छात्राध्यापको को प्रशिक्षित करना और शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रो मे अनुसधान कार्य करना था। इसके कार्यो मे उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना भी था और टेक्नीकल शिक्षा के संबध में विभाग के विशेषज्ञ सस्था के रूप मे भी यह कार्य करता था। इसके अतिरिक्त 'इन सर्विस' जनरल और 'इन सर्विस' हिन्दी नामक दो प्रकार के 'इन सर्विस' प्रशिक्षण भी इस सस्था के कार्यो में सम्मिलित थे। आलोच्य वर्ष मे इन दोनो वर्गो के अध्यापको के दो दलो को प्रशिक्षित किया गया। आलोच्य वर्ष मे हुए प्रशिक्षण कार्य के सबध में विवरण निम्न प्रकार है--

	प्रशिक्षित व्यक्तियो की संख्या
१	२
एल० टी० (नियमित)	७५
एल० टी० ('इन-सर्विस' अध्यापक)	७०
हिन्दी अध्यापक	५२

बदलती हुई आवश्यकताओ के अनुसार जूनियर हाई स्कूल के विभिन्न विषयो के पाठ्यक्रमो का सशोधन किया जा रहा था। आलोच्य वर्ष मे तीसरी कक्षा के गणित और हिन्दी का पाठ्यक्रम संशोधित कर तैयार किया गया और उसे प्रकाशित किया गया।

इस सस्था के प्रसार सेवा विभाग ने २ सेमिनार, १ शिविर और ६ कार्यशालाओ का सचालन किया, जिनमे से विज्ञान, गणित और इतिहास की कार्यशालाएं उल्लेखनीय रही। आलोच्य वर्ष के अत तक ३३ प्रकाशन निकाले गये। सेन्ट्रल पेडागाजिकल इंस्टीट्यूट से सबद्ध अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्था ने वर्ष के अत तक अंग्रेजी पढाने की आधुनिकतम प्रणाली के सबंध मे २६६ अध्यापको को प्रशिक्षित किया। आलोच्य वर्ष में अंग्रेजी भाषा शिक्षण सस्था ने दो प्रकाशनो को पूरा किया। यह प्रकाशन--(क) टीचिग इंगलिश--ए गाइड फार टीचर्स, और (ख) ५ पूरक पुस्तको का एक सेट, जिसमे ५ रीडरें भी थी, थे।

जूनियर हाई स्कूल के अध्यापको के हैण्ड बुक विभाग ने हैण्डबुक का दूसरा भाग भी अतिम रूप से तैयार कर लिया तथा यह काम जून, १९६० तक समाप्त हो गया। इस कार्य के

लिये नियुक्त किये गये समीक्षकों द्वारा किये गये सुझावों के आधार पर प्रारूप में आवश्यक परिवर्तन किये गये ।

बुनियादी शिक्षण प्रदर्शन स्कूल जोकि जनवरी, १९५८ में आरम्भ किया गया था, अपना कार्य करता रहा ।

२—राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ—राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण विद्यालय, जिसने सन् १९४८ में इलाहाबाद में अपना कार्य आरम्भ किया था और जिसे सन् १९५० में लखनऊ स्थानान्तरित कर दिया गया था इन उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षित करता रहा जिन्हें वाणिज्य वर्ग और कृषि वर्ग में मान्यता प्राप्त थी।

११वीं और १२वीं कक्षाओं के लिए इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल इंजीनियरिंग विषयों के लिये विस्तृत नोट तैयार करने के उद्देश्य से एक 'इन-सर्विस' ट्रेनिंग आरम्भ की गयी।

विद्यालय के प्रसार सेवा विभाग के एक सेमिनार कला अध्यापकों का 'इन-सर्विस' ट्रेनिंग और एक गृह विज्ञान कार्यशाला का संचालन किया।

३—राजकीय बेसिक ट्रेनिंग कालेज वाराणसी—राजकीय बेसिक ट्रेनिंग कालेज, वाराणसी में जो कि एक विशेष किस्म की संस्था थी पढ़ाये जाने वाले विषयों में कृषि एक मुख्य विषय था। महिला छात्राध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए कताई-बुनाई और गृह शिल्प के विषय भी आरम्भ किये गये। आलोच्य वर्ष में ९६ छात्राध्यापक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे जिनमें से ३५ महिला छात्राध्यापिकाएं थीं ।

४—राजकीय जूनियर बेसिक ट्रेनिंग कालेज—मुजफ्फरनगर, इलाहाबाद और लखनऊ के जूनियर बेसिक ट्रेनिंग कालेज संतोषजनक रूप से कार्य करते रहे। नियमित पाठ्यक्रमों के साथ निम्नलिखित 'इन-सर्विस' प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी संगठित किये गये—

कालेज का नाम	'इन-सर्विस' ट्रेनिंग
(१) राजकीय जूनियर बेसिक ट्रेनिंग कालेज, मुजफ्फरनगर ।	द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना की परियोजना संख्या २९ (ख) के अन्तर्गत आर्ट मास्टरों की 'इनसर्विस' ट्रेनिंग संगठित की गयी और आलोच्य वर्ष में राजकीय एवं सहायता प्राप्त संस्थाओं के ४० आर्ट मास्टरों को प्रशिक्षित किया गया ।
(२) राजकीय जूनियर बेसिक ट्रेनिंग कालेज, इलाहाबाद ।	स्कूलों के सबडिप्टी इंस्पेक्टरों की दो दलों में तीन-तीन मास की 'इन सर्विस' ट्रेनिंग जिसमें ३५ सब-डिप्टी इंस्पेक्टरों ने ट्रेनिंग प्राप्त की ।
(३) राजकीय जूनियर बेसिक ट्रेनिंग कालेज, लखनऊ ।	बुनियादी शिक्षा की प्रणाली में और भाषा अध्यापकों की 'इन-सर्विस' ट्रेनिंग ।

५—महिलाओं के लिए राजकीय प्रशिक्षण विद्यालय—इलाहाबाद स्थित महिलाओं के लिए राजकीय प्रशिक्षण विद्यालय एक वर्षीय एल० टी० पाठ्यक्रम के लिए अध्यापकों को तैयार करता रहा।

१५ जुलाई, १९६० से ३० अक्तूबर, १९६० तक और २५ अक्तूबर, १९६० से २५ जनवरी, १९६० तक इतिहास में दो इन सर्विस पाठ्यक्रम संगठित किये गये। प्रशिक्षार्थियों के लिए एक मूल्यांकन कार्यशाला भी संगठित की गयी ।

भारत सरकार द्वारा प्रेरित शारीरिक दक्षता अभियान के एक केन्द्र के रूप मे विद्यालय को चुना गया।

लखनऊ राजकीय महिला प्रशिक्षण विद्यालय द्विवर्षीय सी० टी० पाठ्यक्रम के लिए महिला अध्यापको को तैयार करता रहा।

इलाहाबाद स्थित गृह विज्ञान का राजकीय विद्यालय राज्य के बालिका विद्यालयो के (गर्ल्स कालेजो मे पढाये जाने वाले गृह विज्ञान के सर्टीफिकेट कोर्स के लिए अध्यापको को तैयार करता रहा। नियमित प्रशिक्षण के अतिरिक्त 'इन सर्विस' ट्रेनिग की भी व्यवस्था की गयी। २५ अक्तूबर, १९६० से २४ जनवरी, १९६१ तक १६ अध्यापको ने इस प्रशिक्षण मे भाग लिया।

राजकीय नर्सरी ट्रेनिग कालेज, इलाहाबाद नर्सरी स्कूलो के लिए (सी० टी० कोर्स) अध्यापको को प्रशिक्षित करता रहा। सन् १९६० मे कालेज ने २६ प्रशिक्षित नर्सरी अध्यापक तैयार किये।

प्रथम वर्ष की कक्षा मे भरती की सख्या २३ थी।

६--राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण विद्यालय--पूर्व की भाति रामपुर के शारीरिक प्रशिक्षण विद्यालय मे ग्रेजुएटो और अंडर-ग्रेजुएटो की भरती जारी रही और उन्हे शारीरिक प्रशिक्षण मे सर्टीफिकेट और डिप्लोमा के लिए प्रशिक्षित किया जाता रहा। उच्चतर माध्यमिक स्कूलो के शारीरिक शिक्षा के अप्रशिक्षित अध्यापको के लिए यह विद्यालय पुनर्ध्यापन पाठ्यक्रम की व्यवस्था करता रहा।

महिलाओ के लिए इलाहाबाद स्थित राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण विद्यालय ने लडकियो के लिए पी० टी० अध्यापक तैयार किये।

७--राजकीय जूनियर ट्रेनिग कालेज--राज्य मे राजकीय ट्रेनिग कालेजो की कुल सख्या ९ थी। इनमे से दो महिलाओ के लिए थे। ये संस्थाए सतोषजनक रूप से कार्य करनी रही।

८--नार्मल स्कूल--राज्य मे कुल १११ गवर्नमेन्ट नार्मल स्कूल थे, जिनमे से १७ स्कूल बालिकाओ के लिए थे। आलोच्य वर्ष मे यह सब भी सतोषजनक रूप से कार्य करते रहे।

मनोविज्ञान शाला, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

सन् १९६०-६१ के शिक्षा सत्र मे स्कूल मनोवैज्ञानिक सेवा का और अधिक विस्तार किया गया। मैनपुरी, फतेहगढ, बिजनौर और सीतापुर के लडको के और जौनपुर के लडकियो के उच्चतर माध्यमिक स्कूलो मे एक-एक मनोवैज्ञानिक की नियुक्ति की गयी।

मनोवैज्ञानिक शाला ने, उसके केन्द्रो ने २५ स्कूल मनोवैज्ञानिको ने ८वी, १०वी और १२वी कक्षाओ के लगभग १५,००० विद्यार्थियो को ग्रुप आधार पर शिक्षा एवं व्यवसाय सबधी तथा लगभग ४०० व्यक्तियो को व्यक्तिगत आधार पर शिक्षा, व्यवसाय और निजी मार्ग-प्रदर्शन संबधी परामर्श प्रदान किये।

मनोवैज्ञानिकशाला ने, उसके केन्द्रो और मनोवैज्ञानिको ने ९ स्कूलो को ९वी कक्षा के प्राविधिक पाठ्यक्रमो मे भरती करने मे, तथा १६ स्कूलो को छठी कक्षा मे भरती के लिए उम्मीदवार छाटने मे सहायता दी। मनोविज्ञान शाला राजकीय प्रशिक्षण विद्यालय मे भरती के लिए उम्मीदवार छांटने के कार्य मे भी लगी रही। भारत सरकार द्वारा विशेष योग्यता पर छात्रवृत्तिया प्रदान करने हेतु उम्मीदवारो की भली-भाति जाच और उनके अतिम चुनाव के लिए मनोविज्ञानशाला ने एक चुनाव केन्द्र के रूप मे कार्य किया। राज्य के पुलिस विभाग को पुलिस ट्रेनिग कालेज, मुरादाबाद मे भरती के लिए थानेदारी के उम्मीदवारो के और सहायक पब्लिक प्रासीक्यूटरो के उम्मीदवारो के चुनाव में भी मनोविज्ञानशाला ने सहायता की।

जिला मनोवैज्ञानिको ने निम्नलिखित संस्थाओं को उनके पाठ्यक्रमों में भरती के लिए और छात्रवृत्ति देने के लिए उम्मीदवार छांटने में सहायता दी :—

(१) हरकोर्ट बटलर टेक्नालाजिकल इंस्टीट्यूट, कानपुर ।
(२) उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, रुद्रपुर ।
(३) राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, वाराणसी ।
(४) लाल बाग गर्ल्स स्कूल, लखनऊ ।
(५) सिटी माटेसरी स्कूल, लखनऊ ।
(६) गवर्नमेन्ट पालीटेक्नीक, मेरठ ।
(७) जूनियर टेक्नीकल स्कूल, दौराला ।

लडको के ५५ और लडकियो के ३ राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूलो के ११ प्लस अवस्था ग्रुप के सभी विद्यार्थिय का सर्वेक्षण किया गया । इस प्रकार जो आंकड़े एकत्र हुए उनका विश्लेषण किया गया और एक रिपोर्ट तैयार की गयी ।

कक्षा ८ में पिछड़े हुए लड़को का पता लगाने के लिए इलाहाबाद के गवर्नमेंट इंटरमीडियेट कालेज में एक अग्रगामी योजना चालू की गयी । इसका उद्देश्य उनके पिछड़ेपन के कारणो का निश्चित करना और उसे दूर करने के लिए विशेष अध्यापन का कार्यक्रम निश्चित करना था ।

कक्षा ९ (टेक्नीकल) चुनाव के सिलसिले में एक फालोअप अग्रगामी योजना आरम्भ की गयी ।

मनोविज्ञान शाला ने कक्षा ८ के लिए मैकनिकल एप्टीच्यूड टेस्ट और ज्योमेट्री अटेनमेंट टेस्ट जैसे कुछ टेस्ट तैयार किये और बी० पी० टी० १३ फार्म बी० के लिए सामान्य नियम तैयार किये । पहले से प्रयोग में आने वाले एम० ए० टी० की बैटरी के लिए व्याख्यात्मक' सकेत तैयार किये गये ।

इस सस्था ने प्रकाशन के लिए टी० ए० टी० का एक पूर्ण मैनुअल तैयार किया जिसमे उसके प्रशासन एवं व्याख्या संबधी पूरा-पूरा विवरण था । व्यावहारिक मनोविज्ञान वार्तामाला भाग २, जिसमें सन् १९६० की वार्ताओ का संकलन था और 'पाठ्य विषय' और 'व्यवसाय जगत' नामक दो पुस्तिकाए भी प्रकाशित की जा रही थीं । यह पुस्तके विद्यार्थियो, अध्यापको, अभिभावको, टेक्नीशियनो और साधारण लोगो के लिए थी।

प्रदेशीय शिक्षा दल

मई/जून, १९६० में प्रदेशीय शिक्षा दल के ५०० केडेटो और ४० अध्यापको का ग्रीष्मकालिक शिविर मंसूरी में हुआ । यह शिविर ३० दिनो का था। सैनिक प्रशिक्षण के अतिरिक्त कैडेटो ने श्रमदान भी किया ।

प्रादेशीय शिक्षा दल के चुने हुए २,५०० केडेटो का टुकडियो मे, वार्षिक प्रशिक्षण शिविर फैजाबाद मे हुआ । प्रत्येक शिविर का कार्यकाल १४ दिनो का था । छठा शिविर लखनऊ मे राज्य युवक समारोह के साथ-साथ जनवरी, १९६१ मे हुआ । इस युवक समारोह में २,३०० से अधिक छात्रो ने भाग लिया ।

प्रदेशीय शिक्षा दल के केडैटो, खेलकूद (एथेलिटिक) की टीमो और युवक मंगल दलो को राज्य के सभी जिलो से चुना गया जबकि शेष छात्रो को स्थानीय स्कूलो से चुना गया । इस समारोह में १० से १७ वर्ष की कच्ची उम्र के लड़के थे जिन पर अनुशासन और व्यवस्थित जीवन का विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है ।

सामाजिक शिक्षा

शिक्षा प्रसार विभाग के १,३३२ पुस्तकालय, प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलो मे थे । इन पुस्तकालयो को पुस्तको और कुल पत्रिकाओ का वार्षिक कोटा दिया जाता था । किताबो की खरीद के लिए ७५,००० रुपये निर्धारित किये गये थे ।

इस वर्ष के बजट में सहायता प्राप्त निजी ग्राम पुस्तकालयो के लिए ४,००० रुपये की व्यवस्था की गयी थी। इन पुस्तकालयो को उनकी स्थिति के अनुसार ३६ रुपये, ६० रुपये और ९६ रुपये की दर से अनुदान दिया गया।

द्वितीय पचवर्षीय आयोजना के अन्तर्गत आरम्भ किये गये सचल पुस्तकालय ने एक-एक सप्ताह के १३ शिविर चलाये। मुख्यालय के पुस्तकालय में विभागीय अधिकारियो के प्रयोग के लिए ३,८३९ पुस्तकें थी।

सभी १,३३२ पुस्तकालयो मे अध्ययन कक्ष थे। इनके अतिरिक्त राज्य भर में फैले हुए २,६०० वाचनालय थे। इन वाचनालयो में पत्रिकाएं सप्लाई करने के लिए और मासिक पत्रिका, नव-ज्योति के प्रकाशन के लिए इस वर्ष के बजट में ४५,००० रुपये की व्यवस्था थी।

प्रसार सेवा के ५ और सचल दल के ४ वाहनो द्वारा गावो में फिल्म दिखलाये गये। ३१ जनवरी, १९६१ तक कुल ५०७ फिल्म शो हुए।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १०,००० रुपये की आकस्मिक प्रकाशन व्यवस्था में नव साक्षरो के लिए निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित की गयीं.—

(१) महाभारत की कहानियां—भाग १ और २
(२) एक कथा सुनो (अस्पृश्यता निवारण)
(३) चेचक,
(४) नहर निकली
(५) धानी चुनरिया
(६) महारानी लक्ष्मी बाई

द्वितीय पचवर्षीय आयोजना के अन्तर्गत स्थापित दोनो सचल दलो में से एक ने प्रतापगढ़ जिले मे और दूसरे ने इलाहाबाद जिले में शिविर लगाया। इन दलो ने साक्षरता कक्षाए, खेल-कूद के क्लब, वाचनालय आदि संगठित किये और अक्सर राष्ट्रीय एवं सामाजिक उत्सव भी मनाये। आलोच्य वर्ष के अन्त तक लगभग ४६७ प्रौढ़ो को साक्षर बनाया गया।

द्वितीय पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत स्थापित प्रदर्शन दल ने उन वस्तुओ का प्रदर्शन किया, जिससे अच्छी खेती, अच्छी दस्तकारी और अच्छे रहन-सहन के लिए गाव वालो को प्रोत्साहन मिले। दल ने इस वर्ष सात ऐसे प्रदर्शन किये।

राज्य भर मे २३ से २६ जनवरी, १९६१ तक सामाजिक शिक्षा सप्ताह मनाया गया।

माघ मेला के अवसर पर तीर्थ यात्रियो के लाभार्थ एक सामाजिक शिक्षा शिविर का संचालन किया गया। मेले मे एक वाचनालय की भी व्यवस्था की गयी और तीर्थयात्रियो के लिए ९ फिल्म शो भी हुए।

दृश्य-श्रव्य शिक्षा

दृश्य-श्रव्य शिक्षा योजना के अन्तर्गत पूर्वगामी वर्षों की भांति फिल्म और फिल्मस्ट्रिपें तैयार की गयी। निम्नलिखित फिल्म और फिल्म स्ट्रिप अंतिम रूप से तैयार की गयीं :—

फिल्म

(१) महाकवि निराला,
(२) यमुना,
(३) बालघर शिविर,
(४) वाराणसी,
(५) विभागीय समाचार,
(६) सरल मशीन

फिल्म स्ट्रिप--

(१) ऊन और उसकी उपयोगिता,

(२) जौनपुर ।

राज्य फिल्म पुस्तकालय के लिए, जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना की एक परियोजना के अन्तर्गत की गयी थी, फिल्मों की खरीद के हेतु बजट मे ३८,००० रुपये और ५,००० रुपये की व्यवस्था की गयी । वर्ष के अन्तर्गत ११९ फिल्में, २० फिल्म स्ट्रिपे और २७२ स्लाइडें खरीदी गयी ।

राज्य भर मे पुस्तकालय के ६६ सदस्य थे और औसतन निकासी प्रतिवर्ष लगभग २,५०० फिल्मो और २०० फिल्म स्ट्रिपो की थी ।

दृश्य-श्रव्य शिक्षा के राज्य बोर्ड की दसवी बैठक २ और ३ जनवरी, १९६१ को हुई । आगामी तीन वर्षो में तैयार की जाने वाली फिल्मो और फिल्म स्ट्रिपो की प्रस्तावित सूची को बोर्ड ने अंतिम रूप दिया ।

मई-जून, १९६० के वाराणसी के उद्योग प्रदर्शनी मे एक दृश्य-श्रव्य प्रदर्शनी सगठित की गयी । इसी उद्देश्य से जनवरी, १९६१ मे हुई बरेली की राज्य खिलौना प्रदर्शनी मे एक स्टाल लगाया गया ।

राज्य भर मे शिक्षा सस्थाओ द्वारा जनवरी, १९६१ मे सामाजिक शिक्षा सप्ताह के साथ-साथ दृश्य-श्रव्य सप्ताह भी मनाया गया ।

अध्यापको के लिए, प्रोजेक्टरो के प्रयोग करने के संबध मे एक सक्षिप्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रम २० से २५ मई, १९६० तक सगठित किया गया ।

इसके अतिरिक्त फिल्म मूल्याकन के संबध मे फतेहपुर जिले के धाता गाव मे १२ से २२ मई, १९६० तक, हमीरपुर जिले के कबाई गाव मे भी इसी अवधि मे और मिर्जापुर के के० बी० डिग्री कालेज मे २९ अगस्त से ३ सितम्बर, १९६० तक तीन प्रयोग आयोजित किये गये । प्रथम दो प्रयोगो का उद्देश्य गाव के प्रौढो पर फिल्मो का प्रभाव आकना था और इसी प्रकार तीसरे प्रयोग का उद्देश्य डिग्री कालेज के छात्रो पर यह प्रभाव देखना था ।

राज्य शैक्षिक खिलौना प्रदर्शनी

राज्य शैक्षिक खिलौना प्रदर्शनी जनवरी, १९६१ में बरेली मे हुई । इस प्रदर्शनी को देखने लगभग एक लाख व्यक्ति गये, जिनमे स्कूलो के छात्र भी थे । इस प्रदर्शनी मे २६ विभाग थे ।

सामान्य

आलोच्य वर्ष मे निम्नलिखित सस्थाओ के लिए एस० एस० ई० एस० के वेतन-क्रम में सहायक अध्यापिकाओ के १४ पदो की स्वीकृति दी गयी--

		पद
(१) लड़कियो के लिए गवर्नमेंट इटरमीडियेट कालेज, ललितपुर	..	८
(२) लडकियो के लिए गवर्नमेंट इंटरमीडियेट कालेज, फतेहपुर	..	३
(३) लडकियो के लिए गवर्नमेंट इंटरमीडियेट कालेज, हल्द्वानी	..	३

आलोच्य वर्ष मे सर्टीफाइड टीचर्स ग्रेड मे ८७ सहायक अध्यापिकाओ का चुनाव पूरा किया गया । यह चुनाव सन् १९५९-६० मे विज्ञापित १४० पदो के सबंध मे था ।

द्वितीय पचवर्षीय आयोजना की परियोजना संख्या ५९ के अन्तर्गत सी० टी० ग्रेड के तीन अध्यापको के पद की स्वीकृति दी गयी । सन् १९६०-६१ में निम्नलिखित संस्थाओ मे प्रत्येक

के लिए दो एल० टी० ग्रेड के सहायक अध्यापिकाओ के ६ पदो की स्वीकृति दी गयी--

(१) लड़कियो के लिए राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल, श्रीनगर

(२) लडकियो के लिए राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल, भाव बहादुरनगर, (बुलन्दशहर)।

(३) लडको के लिए पी० एन० गवर्नमेंट इंटरमीडियेट कालेज, रामनगर (वाराणसी)।

आलोच्य वर्ष मे राज्य जन सेवा आयोग द्वारा चुने गये सी० टी० ग्रेड मे ८ उम्मीदवारो को और एल० टी० ग्रेड मे सहायक अध्यापिकाओ के लिए १३० उम्मीदवारो को नियुक्त किया गया।

बान्दा और मैनपुरी के लड़कियो के गवर्नमेंट इंटरमीडियेट कालेजो के दो पी० टी० अध्यापको के पदो को सी० टी० ग्रेड से उठाकर एल० टी० ग्रेड में कर दिया गया।

आलोच्य वर्ष मे स्कूलो के ६८ सब-डिप्टी इसपेक्टरो और लडकियो के स्कूलो की ८ महिला सहायक इंसपेक्टरो की नियुक्त की गयी।

इमारतें

२७१ लाख २३ हजार रुपये की अनुमानित लागत से अनेक इमारतो के निर्माण की व्यवस्था पहले द्वितीय पंचवर्षीय योजना मे की गयी थी, पर बाद मे योजना की अधिकतम धनराशि मे कमी हो जाने के और कुछ परियोजनाओ के सास्कृतिक मामलो तथा वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग को सौप दिये जाने के कारण इमारतो के निर्माण के लिए ११६ लाख ३२ हजार रुपये की ही व्यवस्था रह गयी।

सन् १९६०-६१ के अन्त तक लगभग ८७ लाख २० हजार रुपया की लागत से अनेक इमारतो का निर्माण-कार्य पूरा किया गया। १० बहु उद्देशीय स्कूलो मे टेक्नीकल विंग, ६ वितरक पुस्तकालयो से संबधित इमारते, ५ मनोवैज्ञानिक केन्द्र, महिलाओ के लिए शारीरिक शिक्षा विद्यालय की इमारत, रामपुर, ज्ञानपुर और नैनीताल डिग्री कालेजो के लिए होस्टल की इमारते, १० जूनियर हाई स्कूलो की इमारते, लडकियो के ६ उच्चतर माध्यमिक स्कूल, लड़को के २ उच्चतर माध्यमिक स्कूलो और कई और इमारतो का निर्माण-कार्य पूरा किया गया।

भारत सरकार की एक योजना के अन्तर्गत ४१,६५,२०० रुपये के अनुमानित मूल्य के १२ नार्मल स्कूल के भवनो के निर्माण की स्वीकृति दी गयी। १९६०-६१ के अन्त तक उन पर ३१.१२ लाख रुपया व्यय किया जा चुका था।

सीमावर्ती क्षेत्र मे ३,३२,८९० रुपये के अनुमानित मूल्य के १८ प्राइमरी स्कूलो, २ जूनियर हाई स्कूलो एव एक हायर सेकेंडरी स्कूल के भवनो के निर्माण की भी व्यवस्था की गयी। इन भवनो मे १,६१,४७० रुपये की अनुमानित मूल्य के १० प्राइमरी स्कूलो, एक जूनियर हाई स्कूल और एक हायर सेकेंडरी स्कूल के भवनो के निर्माण का कार्य पूरा हो गया।

२--सैनिक स्कूल

१५ जुलाई, १९६० से लखनऊ मे एक सैनिक स्कूल खोला गया।

शुरू मे स्कूल मे ५२ केडेट भरती किये गये। ५० केडेटो की प्रति वर्ष भरती में वृद्धि करके अन्त मे केडेटो की संख्या २५० होनी थी। प्रतियोगिता परीक्षा और व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर स्कूल में दाखिला किया गया, बशर्ते कि परीक्षार्थी का शरीर स्वस्थ हो। चूंकि स्कूल का उद्देश्य लडको को केन्द्रीय लोक सेवा आयोग के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी मे प्रवेश पाने के योग्य बनाना था, इसलिए पढ़ाई का माध्यम अग्रेजी रखा गया। हिन्दी की शिक्षा देने पर भी जोर दिया गया ताकि वे लड़के जो केन्द्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षाओ में असफल हो जायें, तो किसी अन्य परीक्षा में बैठने अथवा अपनी पढ़ाई आगे जारी रखने में उन्हें कोई अड़चन महसूस न हो।

पाठ्यक्रम पाच वर्ष का रखा गया। इस प्रकार पाचवें वर्ष तक प्रत्येक लडके को हाई-स्कूल क समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करा देने और केन्द्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षाओ के योग्य बना कर राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी में भरती करा देने का विचार किया गया।

प्रत्येक कैडेट को कुल मिला कर १,००० रु० प्रति वर्ष फीस के रूप में देना होता है। इस धनराशि के अन्तर्गत पढ़ाई एवं परीक्षा की फीस, भोजन-व्यय, वरदी, पुस्तकें और लेखन-सामग्री, अध्ययनकालीन यात्रा का व्यय, खेल की सामग्री और चिकित्सा सम्बन्धी देख-रेख सभी कुछ सम्मिलित हैं। यह धनराशि रियायती है, क्योंकि प्रत्येक कैडेट पर वास्तविक व्यय इसके दूने से भी अधिक करना पडता है। यह फीस पाच-पांच सौ की दो किस्तो में ली जाती है, पहली किस्त जुलाई मे स्कूल खुलने पर और दूसरी किस्त जाड़े की छुट्टियो के बाद स्कूल के पुन. खुलने पर।

अपनी इमारत के बन जाने तक, लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित लीलावती मुंशी विद्यालय के भवन में इसे खोलने की व्यवस्था की गयी। यह इमारत पोस्ट वार सर्विसेज रिकान्ट्रक्शन फण्ड ट्रस्ट के अधीन है और लखनऊ-कानपुर रोड के ९वें मील पर स्थित है। इन इमारतो में परिवर्तन और सुधार करके इन्हे एक निवासनीय (residential) संस्था के योग्य बना लिया गया है। इसी सडक के ११वें मील पर स्कूल के लिए स्थाई भवन का निर्माण होना था। इसके लिए आवश्यक भूमि पहले ही ली जा चुकी थी। भवन के निर्माण के कार्य के पूरा हो जाने और भवन के अगले २-३ वर्षो में तैयार हो जाने की आशा की गयी थी।

३—प्राविधिक एवं औद्योगिक शिक्षा

उद्योगो का निदेशालय प्राविधिक तथा औद्योगिक शिक्षा की ओर ध्यान देता रहा। आलोच्य वर्ष में ३० सरकारी और ७८ सहायता प्राप्त संस्थायें कार्य करती रही। प्रशिक्षण लगभग मुफ्त दिया जाता रहा। हाई स्कूल (प्राविधिक) के छात्रो से ४ रु० मात्र की फीस प्रति-मास ली जाती थी। फीसो में पूरी और आधी माफ भी की गयी। कुछ सस्थाओ को छोड़ कर, छात्रावास मे रहने की फीस १ से ३ रु० तक ली गयी। कुछ संस्थाओ में राज्य के कई छात्रो को ५० रु० प्रतिमास प्रति छात्र को छात्रवृत्तियां दी गयी।

इनसे सम्बन्धित विवरण निम्नलिखित है :—

संस्था का नाम	छात्रवृत्ति-प्राप्त छात्रो की संख्या
(१) इंस्टीटयूट आफ माईनिग ऐण्ड जियालाजी, धनबाद ..	८
(२) श्री जे० जे० कालेज, आफ ऐग्रीकल्चर, बम्बई ..	२
(३) इडियन इंस्टीटयूट आफ साइन्स, बंगलौर ..	७
(४) इडियन इंस्टीटयूट आफ टेक्नोलाजी, खड़गपुर ..	८
(५) जे० के० इंस्टीटयूट आफ एप्लाइड फिजिक्स, इलाहाबाद	२
कुल योग ..	२७

विभिन्न संस्थाओ की अन्तिम (फाइनल) परीक्षा मे १,६९८ तक छात्र सम्मिलित हुए। जिनमें १,४६० सफल घोषित किये गये। आलोच्य वर्ष में विभिन्न संस्थाओ के छात्र प्रदेश के अन्तर्गत और उसके बाहर भी शैक्षिक पर्यटन के लिए भेजे गये। निम्नलिखित सस्थाओ द्वारा शिक्षित बेकार नवयुवकों के लिए सहायता योजना में २,९४,००० रुपये की धनराशि दी गयी, जिसमें १,७६,३०० रु० की धनराशि का उपयोग किया गया।

(१) राजकीय पोलीटेकनिक, लखनऊ।
(२) राजकीय सेन्ट्रल टेक्सटाइल इंस्टीटयूट, कानपुर।
(३) राजकीय लेदर इंस्टीटयूट, कानपुर।

योजना के अन्तर्गत प्रत्येक छात्र को प्रतिमास २५ रुपया की छात्र वृत्ति दी गयी। आलोच्य वर्ष में राजकीय संस्थाओं के ५ शिक्षकों ने सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ इंस्ट्रक्टर्स, कोनी (विलासपुर) से इंस्ट्रक्टर का प्रशिक्षण प्राप्त किया। १० नवीन संस्थाओं को भी सहायक अनुदान दिया गया और ८ सहायता प्राप्त संस्थाओं को अतिरिक्त आवर्तक अनुदान दिया गया जैसा कि नीचे अंकित है :—

संस्था का नाम	प्रदत्त धनराशि रु०
(१) हरिजन आश्रम, इलाहाबाद	२,५००
(२) सी० एच० जी० एन० टेक्निकल इंस्टीट्यूट, मानिकपुर (इटावा)	२,०००
(३) बधिर एवं मूक विद्यालय, लखनऊ ..	२,०००
(४) महिला शिल्प कुटीर, स्टेशन रोड, आगरा ..	२,५००
(५) टेक्निकल कालेज के साथ अनुलग्न लेदर स्कूल, दयालबाग, आगरा	३,०००
(६) महिला शिल्प विद्यालय, नजरबाग, लखनऊ ..	२,०००
(७) महिला शिल्प कला केन्द्र, आजमगढ़ ..	१,०००
(८) श्रद्धानन्द अनाथ बनिता आश्रम, देहरादून ..	२,०००

इस वर्ष प्रादेशिक सरकार ने ३,३७,४५७ रुपये का ऋण स्वीकृत किया।

४—प्राविधिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण बोर्ड

प्रादेशिक प्राविधिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण बोर्ड ने प्रथम बार नीचे दी गयी सारिणी में उल्लिखित परीक्षाओं को चालू किया। (इसमें पाठ्यक्रमों, विषयों तथा छात्रों की संख्याओं का भी विवरण दिया गया है)—

परिषद् (बोर्ड) के द्वारा १९६०–६१ में चालू परीक्षाएं	निर्धारित पाठ्यक्रम	विषय	परीक्षित छात्रों की संख्या
(१) प्रथम वर्ष की वार्षिक परीक्षा	त्रिवार्षिक उपाधि पत्र (डिप्लोमा)	सिविल इंजीनियरिंग	१,०१९
	,, ,,	मेकेनिकल इंजीनियरिंग	१८०
	,, ,,	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	१४७
	द्विवर्षीय उपाधि-पत्र	प्रिंटिंग टेक्नोलोजी ..	३७
	,, ,,	लेदर टेक्नोलाजी ..	१०
	त्रिवर्षीय उपाधि-पत्र	टेक्सटाइल टेक्नोलाजी एवं टेक्सटाइल केमेस्ट्री	२२
	द्विवर्षीय प्रमाण-पत्र	ड्राफ्ट्समैन शिप	१५
		कुल योग ..	१,४३०

परिषद् (बोर्ड) के द्वारा १९६०-६१ मे चालू परीक्षाएं	निर्धारित पाठ्यक्रम	विषय	परीक्षित छात्रो की संख्या
(२) दूसरे वर्ष की वार्षिक परीक्षा	त्रिवर्षीय उपाधि-पत्र	सिविल इंजीनियरिंग	५६७
	,, ,,	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	१४७
	,, ,,	मेकेनीकल इंजीनियरिंग	२१४
		कुल योग ..	९२८
३--अंतिम वर्ष की परीक्षा	त्रिवर्षीय उपाधिपत्र	सिविल इंजीनियरिंग	५८
	,, ,,	मेकैनिकल इंजीनियरिंग	१७८
	,, ,,	इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	१०६
	,, ,,	आर्किटेक्चर ..	१२
	द्विवर्षीय उपाधिपत्र	प्रिंटिंग टेक्नोलाजी ,,	८५
	,, ,,	लेदर टेक्नोलाजी ..	९
	द्विवर्षीय (पुराना) उपाधिपत्र	सिविल इंजीनियरिंग	१३०
	,, ,,	इलक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	२
	,, ,,	सर्वेयर ..	७
	,, ,,	कम्प्यूटर ..	१४
	,, ,,	ड्राफ्ट्समेनशिप ..	१९
		कुल योग ..	५६०

इसके अतिरिक्त भी बोर्ड ने पूरक परीक्षाओ की व्यवस्था की। इस परीक्षा के योग्य घोषित परीक्षार्थियो की संख्या १,०५३ थी।

आलोच्य वर्ष में बोर्ड ने इंजीनियरिंग वोकेशनल स्कूल, लखनऊ के लिए स्वीकृत अन्त.कालीन सम्बन्ध को समाप्त कर दिया। क्योकि यह उचित स्तर का न हो सका था। बोर्ड ने निर्देशक, उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा सचालित ५ जूनियर टेक्निकल स्कूलो को अपने से सम्बद्ध किया, तथा बोर्ड इन स्कूलो की केवल अन्तिम प्रमाणपत्रीय परीक्षा की व्यवस्था करता था।

५--रुड़की विश्वविद्यालय

रुड़की विश्वविद्यालय ने इस वर्ष और अधिक प्रगति की। विभिन्न कक्षाओ मे विद्यार्थियो को पूर्व की भाति प्रतियोगिता-परीक्षाओ के परिणाम के आधार पर ही प्रवेश दिया गया (जो कि आलोच्य वर्ष मे मई, १९६० मे हुई थीं)। १९६०-६१ मे की जाने वाली भरती से सम्बन्धित आकड़े नीचे दिये जा रहे है :

पाठ्यक्रम	प्रविष्ट छात्रो की संख्या
स्नातकोत्तर (इंजीनियरिंग)	७८
एम० एस-सी०	१४
अन्डर ग्रेजुएट	८४६
डिप्लोमा	७१०
फारेन स्कालर्स (विदेशी छात्र)	८२

प्रयोगात्मक विज्ञान (एप्लाइड साइन्स) के सर्वसाधन सम्पन्न विभाग, यथा एप्लाइड फिजिक्स, एप्लाइड कैमेस्ट्री, एप्लाइड मेथैमेटिक्स, एप्लाइड जियोफिजिक्स, एप्लाइड जियोलाजी, सितम्बर, १९६० से एम० एस-सी० की उपाधि देने के लिए स्थापित किये गये। (इनका पाठ्यक्रम २ वर्ष का था)।

डिग्री पाठचक्रमो (डिग्रीकोर्स) की अवधि विश्वविद्यालय अनुदान समिति की इच्छानुसार ३ वर्ष से ४ वर्ष कर दी गयी।

शिक्षको की स्थिति मे कोई उल्लेखनीय सुधार नही हुआ। अधिक से अधिक नये लोगों को लेने का प्रयास जारी रखा गया। शिक्षकों का अधिक लाभप्रद जगहों पर चले जाने का क्रम भी जारी रहा।

आलोच्य वर्ष मे निम्नलिखित इमारतों के निर्माण पर २६,१५,१४१ रुपया व्यय हुआ :--

(१) मेकनिकल इजीनियरिंग लेबोरेटरी ब्लाक,
(२) इलेक्ट्रिकल इजीनियरिंग लेबोरेटरी ब्लाक,
(३) साइन्स ब्लाक (फिजिक्स, केमेस्ट्री, मेथेमेटिक्स),
(४) इंजीनियरिंग स्टूडेन्ट्स का छात्रावास (डी०) ब्लाक,
(५) ओवरसीयर स्टूडेन्ट्स का छात्रावास,
(६) कम्युनिटी हाल,
(७) डब्लू० आर० डी० टी० सी०--कम--फोटोग्रेमेट्री बिल्डिंग्स।

छात्रो में किसी प्रकार की अनुशासनहीनता नहीं पायी गयी।

६--राजकीय वेधशाला, नैनीताल

विभिन्न अनुसंधान जिसमें चन्द्रमा के फोटो लेने की प्रक्रिया और कृत्रिम उप ग्रहो का निर्माण सम्मिलित है इस वर्ष आरम्भ हो गये। चन्द्रमा की १४० सफल पट्टिकाए प्राप्त हुईं और कृत्रिम उपग्रहो के १,०८३ मार्ग अभिलिखित हुए।

इस वेधशाला में डवार्फ सेफीड सी० वाई० अक्वाराई केऊपर निश्चित समय को जानने और पूर्व कालिक परीक्षणो द्वारा बतलाये गये समय के परिवर्तन का निर्णय करने के लिए फोटो इलेक्ट्रिक निरीक्षण जारी रहे।

प्लानिग आब्जर्वेशन--दिसम्बर, १९६० मे मगल के पीछे वाले अन्तिम भाग के चारो ओर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए लाल और हरे फिल्टरो द्वारा ग्रह के फोटोग्राफ लिये गये। फोटो के साइज को निगेटिव पर लगभग २ मिलीमीटर तक का बढा कर देने के लिए १५" रेफल्लेक्टर के साथ "बार्लो अटेचमेन्ट" का प्रयोग किया गया और १७९ उपयोगी फोटोग्राफ लिये गये।

गत वर्ष प्राप्त १५" का रेफलेक्टर टेलेस्कोप काम मे लगा दिया गया और १०" टेलेस्कोप का एक केमरा बना लिया गया। एक ग्रेटिंग मानोक्रोमीटर के लिए आर्डर दे दिया गया। वर्ष के मध्य से ही वर्कशाप में काम होने लगा था। कुछ और अधिक सामान--व्हेलर प्रेसीजन टूल रूम लाये, एक आर्क वेल्डिग यूनिट, एक गैस वेल्डिग यूनिट, एक स्प्रे पेन्टिग यूनिट, एक १० इंच ग्राइन्डर और एक वोल्फ फ्लेक्सिवल शाफ्ट ग्राइन्डर प्राप्त किये गये।

पुस्तकालय--आलोच्य वर्ष में पुस्तकालय में खगोल विद्या, भौतिक और मैथेमेटिक्स से संबधित लगभग २०० पुस्तकें और आयीं। पांच और पत्रिकाओ के पुराने अंक भी प्राप्त किये गये और वेधशाला ६० पत्रिकाओ को चन्दा देकर मंगाती रही।

इमारतें—मुख्य प्रशासकीय खंड और कर्मचारी वर्ग के आवासगृहो के निर्माण का कार्य शीघ्रता से आगे बढ़ा और यह आशा की गयी कि वेधशाला मनौरा पीक पर शीघ्र ही चली जायगी।

सामान्य—पूर्वनिदेशक के कोडाइकनाल चले जाने पर सहायक ज्योतिर्विद (असिस्टेन्ट एस्ट्रोनामर) ने वेधशाला के निदेशक की हैसियत से १ अप्रैल, १९६० को कार्यभार संभाल लिया।

७—स्मारकों की सुरक्षा

पुरातत्व विभाग द्वारा निम्नलिखित स्मारको की मरम्मत का कार्य किया गया—

(१) पैरियार का प्राचीन मदिर, (उन्नाव जिला)।

(२) भारत माता का मदिर, (वाराणसी जिला)।

(३) छत्ती पलना का मंदिर या चौरासी खम्भा और योगमाया का मंदिर, (मथुरा जिला)।

(४) श्री सिद्धेश्वर महादेव का मदिर, ग्राम सिधौली, (सीतापुर जिला) (पुनर्नवता कार्य)।

पुरातत्व विभाग से संबंधित कार्य पुरातत्व विभाग के इंजीनियर की देख-रेख में चलता रहा। पुरातत्व अधिकारी के पद के योग्य कोई व्यक्ति के मिलते ही उसकी नियुक्ति कर दी जाये, ऐसा प्रस्तावित किया गया।

८—राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय

राजकीय कला एव शिल्प विद्यालय, लखनऊ में २४३ छात्र थे. जिनमें ५६ छात्राए भी सम्मिलित थीं। इथोपिया के एक छात्र को मिलाकर कुल ७५ छात्रों को विभिन्न उपाधि-पत्र दिये गये तथा सयुक्त राष्ट्र अमेरिका के भी दो छात्र विद्यालय में प्रविष्ट हुए।

गृह निर्माण कला (आर्टीटेक्चर) का एक केवल त्रिवार्षिक उपाधिपत्रीय पाठ्यक्रम रखने का निर्णय किया गया जोकि राजकीय प्राविधिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण बोर्ड से सबद्ध था। साथ ही यह भी निर्णय किया गया कि आर्कीटेक्चर के चतुर्थ और पंचम वर्ष के विद्यार्थियो को रुडकी विश्व-विद्यालय में स्थानान्तरित कर दिया जाये। लियो प्रोसेस फोटो मेकैनिकल कोर्स के अन्तर्गत तीन रग के ब्लाको को बनाने की शिक्षा देना भी सम्मिलित कर लिया गया।

इस वर्ष अप्रत्याशित गोमती की बाढ से विद्यालय की सपत्ति और इमारतों की बहुत क्षति हुई।

९—संग्रहालय और पुस्तकालय

राजकीय संग्रहालय लखनऊ—राजकीय सग्रहालय की बनारसीबाग (लखनऊ) स्थित नई इमारत का ईंट, पत्थर, चूना संबंधी कार्य समाप्त हो गया और विद्युतीकरण कार्य वर्ष के अन्त में प्रगति पर था।

संग्रहालय द्वारा ८८ कलात्मक वस्तुओ को प्राप्त किया गया। इनमें पत्थर तथा पकी हुई मिट्टी की मूर्तिया, शस्त्रास्त्र, हाथी दात के बने सामान, फरमान, रगीन चित्र और कला से संबंधित अन्य वस्तुएं सम्मिलित थीं।

संग्रहालय के पुस्तकलाय की और भी वृद्धि हुई और लगभग ३३० पुस्तकें तथा १०० पत्रिकाए संग्रहालय के कर्मचारियो एव अन्य अनुसंधान के छात्रो की अनुसंधान सुविधा के लिए प्राप्त की गयीं।

संग्रहालय का नित्य प्रति का कार्य काल प्रातः साढे नौ बजे से सायं साढे चार बजे (शीतकाल में) एवं प्रातः साढ़े नौ बजे से सायं साढे पांच बजे तक (ग्रीष्मकाल में) जनता की माग पर परिवर्तित कर दिया गया। पहले यह ८ बजे से ११½ बजे प्रातः तथा डेढ बजे से ५½ बजे साय तक हुआ करता था। राजकीय सग्रहालय की दोनो शाखाओ---लाल बारादरी तथा कैसर बाग आर्किपाजिकल प्रशाखा को देखने के लिए कुल मिलाकर १,९२,०२४ दर्शक आये जिनमें कई सम्मानित व्यक्ति भी थे। गंगा स्नान के दिन सबसे अधिक संख्या में (२,३८०) दर्शक आये।

जहा तक स्मरण है राजकीय सग्रहालय मे स्थित वस्तुओ का मिलान कभी नहीं हुआ था। बहुत-सी अनियमितताए देखी जाने के फलस्वरूप वस्तुओ का मिलान किया गया। १,०४,८३२ वस्तुओ का मिलान किया गया और उसका पता लगाया गया। ५,६२५ वस्तुएं खोयी हुई पायी गयी और उन वस्तुओ को खोजने के लिए या फिर बट्टेखाते में डाल देने के लिए कार्यवाही हो रही थी।

राजकीय सग्रहालय के अधिकारी को जोकि निदेशक की हैसियत से कार्य करते थे (श्री एम० एम० नागर) १ सितम्बर, १९६० से अनिवार्य निवृत्ति दी गयी और स्पेशल ड्यूटी पर कार्य करने वाले एक अधिकारी को उनका कार्य भार सौंप दिया गया। संग्रहालय मे रखी मुद्राओ के विशाल सग्रह का, जिनमें कि अधिकाश सूचीबद्ध नही थे---मिलान तथा सूचीबद्ध करने के लिए एक मुद्रा-शास्त्री की नियुक्ति की गयी। एक सहायक क्यूरेटर, एक फोटोग्राफर एवं आर्टिस्ट, एक लेबोरेटरी असिस्टेन्ट और एक गाइड लेक्चरर की भी नियुक्ति की गयी।

पुरातत्व संग्रहालय मथुरा--पुरातत्व सग्रहालय, मथुरा द्वारा आलोच्य वर्ष में ४९१ वस्तुए क्रय की गयी, जिनमें ११३ पत्थर की, २३६ पकी हुई मिट्टी की, ७ कासे की मूर्तिया या पात्र, ८ पैन्टिंग, २० मिट्टी की सीलिंग, २ लकडी पर की गयी नक्काशी की वस्तुए, १ हाथीदात का टुकडा, एक ताबे की प्लेट और १०३ सिक्के सम्मिलित थे।

कई पत्थर की मूर्तियों और पक्की हुई मिट्टी की मूर्तियो अथवा पात्रो को जिन पर नमको का हानिकारक प्रभाव दृष्टिगोचर हो रहा था, का रासायनिक उपचार और उन्हें सुरक्षित रखने का कार्य किया गया। सग्रह की पुरानी इमारत जोकि राजस्व विभाग से वापस ले ली गयी थी तथा जिसमें इसको पहले स्थानान्तरित कर दिया गया था और जिसमें पत्थर के ऊपर की गयी अत्युत्तम आलंकारिक पच्चीकारी की वस्तुए रखी थी, की मरम्मत की गयी और इसमें अतिरिक्त दर्शनीय सामग्री रखने का प्रबन्ध किया गया। वर्तमान संग्रहालय के भवन के विस्तार की कार्य इस वर्ष जारी रखा गया ताकि वह पूरा हो जाये। बने हुए भाग में गैलरियो के अतिरिक्त एक मुद्राकक्ष, फोटोग्राफी लेबेरेट्री, एक स्टुडिओ और एक पुस्तकालय रखना प्रस्तावित किया गया था। केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय तथा सरकारी जिला पुस्तकालय, दिसम्बर, १९४९ में इलाहाबाद में स्थापित केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय, उत्तर प्रदेश, में पुस्तको का संग्रह विशेषतया ऐसे प्रकाशनो का था जोकि प्रेस एण्ड रजिस्ट्रेशन आफ बुक्स ऐक्ट (१८६७ अधिनियम, २५) के नियमो के अन्तर्गत सरकार को प्राप्त हुए थे। आलोच्य वर्ष में लगभग ३,००० पुस्तकें प्राप्त हुई। पुस्तकालय में आलोच्य वर्ष में कापी राइट वाली १,२०० पुस्तके प्राप्त हुई। पुस्तकालय में ५,००० से अधिक पाठक आये और उन्होने लगभग ६,००० पुस्तको का उपयोग किया। बाल-पुस्तकालय के लिए लगभग ५०० अग्रेजी और हिन्दी की किताबें प्राप्त की गयी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अल्मोड़ा, मेरठ, मथुरा, आगरा, बरेली, कानपुर, झासी, वाराणसी और गोरखपुर के ९ सरकारी जिला पुस्तकालयो में पुस्तकाध्यक्षो की नियुक्ति की गई और आलोच्य वर्ष में अल्मोडा, मथुरा और मेरठ के जिला पुस्तकालयो में सदस्य बनाना आरम्भ हुआ।

सार्वजनिक पुस्तकालय, इलाहाबाद---इलाहाबाद के सार्वजनिक पुस्तकालय में दुर्लभ पुस्तको, पुरानी पत्रिकाओ, सरकारी प्रकाशनो, पार्लियामेंट सबधी पत्रादि तथा (मुख्यतः १९वीं सदी की) ब्लू बुक्स का अच्छा खासा संग्रह था। उत्तर प्रदेश और इसके निकटवर्ती राज्यो के अनुसंधानकर्त्ताओं को तथा उच्च अध्ययन में लगे हुए लोगो को अनुसंधान कक्ष में कार्य करने के

लिये विशेष सुविधायें प्रदान की जाती रही । यह कक्ष प्रति दिन अपरान्ह ३ घंटे खुला रहता था। सामान्य अध्ययन कक्ष प्राच्य कक्ष तथा पुस्तकें देने वाला प्रभाग नित्य प्रति १० घंटे के लिए खुला रहता था। पुस्तकालय हर सप्ताह में बृहस्पति के दिन बन्द रखा जाता था ताकि वे लोग जो कार्य दिवसों में पुस्तकालय नहीं जा सकते थे, रविवार के दिन आ सके ।

१०—राजकोष अभिलेखागार

विभिन्न कलेक्टेरो से कई अभिलेख तथा प्रकाशन, जिनमे २४७ पुरानी छपी हुई पुस्तके सम्मिलित थी, प्राप्त किये गये । उत्तर प्रदेश की स्वतंत्रता आन्दोलन समिति का इतिहास के कार्यालय से ८,००० पत्रावलिया पुन स्थानान्तरित की गयी । ६७,०२६ पृष्ठो पर सख्या अकित की गयो, १,३४२ शीटों को सुरक्षित किया गया, ३६६ शीटो की मरम्मत की गयी और ४२,२६२ शीटो की सिलाई की गयी । १२७ किताबो की जिल्दबन्दी की गयी । ३०,५८६ मदो को, जिनमें अभिलेख, पुस्तकें और पत्रावलिया थी, छाटा गया और व्यवस्थित रूप से रखा गया । इसके अतिरिक्त बंडलो, पत्रावलियो, रजिस्टरो को और अभिलेख के खंडो को, जिनकी सख्या कुल मिलाकर २१,६७३ थी, की झडाई-पुछाई की गयी और उनको धुआ देकर सुरक्षित रखा गया । लखनऊ स्थित राजस्व बोर्ड के कार्यालय में एक प्राविधिक सहायक के नेतृत्व में सुधार करने वालो का एक दल इसलिए भेजा गया ताकि छोटा छतरमंजिल की इमारत के गिर जाने के फलस्वरूप जिन पुराने नक्शो को पानी से नुकसान पहुचा था उनमें सुधार किया जा सके । अभिलेखो के २,८०१ खडो, ७७८० पाडुलिपियो और २,४६५ दस्तावेजो का मिलान किया गया और उन्हे व्यवस्थित किया गया । फारसी की ३०० पाडुलिपियो और दस्तावेजो को तथा सस्कृत की २८० पाण्डुलिपियो का प्रविष्टलेख किया गया और गढवाली भाषा के २२५ पन्नो को लिपिबद्ध किया गया ।

अनुसधान कक्ष में प्रवेश पाने के लिए छः अनुसधान-कर्त्ताओ ने प्रार्थना-पत्र दिये । इनमे से केवल चार ने इस सुविधा से लाभ उठाया। तीन अनुसंधान कर्त्ताओं ने, जिन्हे अनुसंधान कार्य सबधी सुविधाए पूर्वगामी वर्षों में दी गयी थीं, अपना कार्य जारी रखा ।

असरकारी व्यक्तियो से १०८ पाडुलिपि और ६६ दस्तावेज क्रय किये गये और ६६८ खंड, १२३ पत्रावलिया तथा ६१ बंडलो की माग की गयी ।

११—साहित्यिक प्रकाशन

आलोच्य वर्ष मे पजीकृत किये गये प्रकाशनो की कुल संख्या १,५८५ थी । हिन्दी प्रकाशनो की संख्या, जो कि ६८६ थी, अन्य भाषाओ के प्रकाशनो से अधिक थीं । अंग्रेजी में ३५५, संस्कृत में ५६, उर्दू में २८, बंगाली में चार अरबी में २, फारसी में २, गुरुमुखी में २, नेपाली में २ और मराठी में एक, पुस्तकें प्रकाशित हुई । हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू इत्यादि मे प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओ की संख्या १४१ थी ।

१२—राज्यभाषा

प्रादेशिक सरकार की भाषा नीति (जिसको प्रादेशिक सरकार के ८ अक्तूबर, १६४७ के परपत्र में घोषित किया गया और १६५० के उत्तर प्रदेश भाषा अधिनियम में तथा जिसे २० जुलाई, १६५८ की प्रादेशिक सरकार की प्रेस विज्ञप्ति में समाविष्ट किया गया) आलोच्य वर्ष में और आगे कार्यान्वित की गयी । दफ्तर के कामो में हिन्दी का प्रयोग बढाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तरीके अपनाये गये और यह निर्णय किया गया कि जहां तक हो सके केन्द्रीय सरकार और उसके अधिकारी वर्ग के साथ हिन्दी में ही पत्र-व्यवहार किया जाय ।

प्रादेशिक सरकार ने यह अनुभव किया कि अब वह समय आ गया है जब पंचायत राज्य अधिनियम के अधीन समस्त अभियोगो का निर्णय और सिविल, क्रिमिनल तथा माल के मुकदमो के निर्णय जो कि जटिल नही है और जिनकी अपील हाई कोर्ट में होने की संभावना नहीं है, हिन्दी में लिखे जायें। इस बात को ध्यान में रख कर सरकार ने उच्च न्यायालय, बोर्ड आफ रेवेन्यू तथा उत्तर प्रदेश के समस्त जिलाधीशो को उचित कार्यवाही करने की सलाह देते हुए पत्र भेजा।

२ अप्रैल, १९६० की सरकारी विज्ञप्ति द्वारा इस बात पर जोर दिया गया कि उच्च स्तरीय और कठिन हिन्दी को प्रोत्साहन नही दिया जाना चाहिये ताकि सभी जगह सरकारी दफ्तरो में साधारण हिन्दी के शब्दो और वाक्यो के प्रयोग का एक सामान्य वातावरण निर्मित हो जाये। परिणाम-स्वरूप यह कहा गया कि दफ्तरो में प्रयोग की जाने वाली हिन्दी साधारण और आसानी से समझ में आने योग्य होनी चाहिये।

अल्प संख्या भाषाभाषियो के लिए सुरक्षा व्यवस्था

प्रादेशिक सरकार ने उर्दू को प्रोत्साहन और उत्तर प्रदेश के अल्प संख्यको की भाषा को संरक्षण देना जारी रखा। प्रदेश में अल्प संख्यको की भाषा के सरक्षण हेतु भारत सरकार के अल्प-सख्यक भाषा आयुक्त ने फरवरी, १९६१ में मुख्य मंत्री से बातचीत की।

[तदन्तर आचार्य जे० बी० कृपलानी संसद सदस्य की अध्यक्षता में एक भाषा समिति की (८ अगस्त, १९६१ के असाधारण गजट में प्रकाशित राज्य सरकार के प्रस्ताव स्वरूप) नियुक्ति हुई। इस समिति का काम था उर्दू की वर्तमान सुरक्षा का निरीक्षण करना और उसके कार्यान्वयन में होने वाली कठिनाइयो तथा कमियो का पता लगाना। इसके अतिरिक्त उर्दू के उत्थान के लिए आगे जिन तरीको को अपनाया जाना आवश्यक है उनका पता लगाना भी इस कमेटी का ही काम था।]

आलोच्य वर्ष में अल्प सख्यक भाषा आयुक्त की दूसरी और तीसरी रिपोर्ट के लिए आवश्यक सामग्री भेजी गयी। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अल्प संख्यको की भाषा-सुरक्षा के स्वीकृत प्रस्तावो के विषय में उठाये गये कदमो के संबध में जानकारी की गयी थी।

अखिल भारतीय ग्रंथ-सूची के हिन्दी और उर्दू संस्करणों का प्रकाशन

अखिल भारतीय ग्रंथ-सूची के हिन्दी और उर्दू सस्करणो के प्रकाशन हेतु किये गये प्रस्ताव को सिद्धान्तरूप में प्रादेशिक सरकार द्वारा सहमति दे दी गयी किन्तु १९५९ की ग्रंथ-सूची के हिन्दी और उर्दू के सस्करणो का मुद्रण कार्य नेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता के प्रधान पुस्तकाध्यक्ष की सहायता से मार्च, १९६० मे प्रारम्भ हुआ और राष्ट्रीय ग्रथ-सूची १९५८ तथा कौमी किताबियत शौब-ए-उर्दू १९५८ का प्रकाशन १९६० की जुलाई में हुआ। इन प्रकाशनो में डिलीवरी आफ बुक्स ऐंड न्यूज पेपर्स, ऐक्ट १९५४ के अन्तर्गत कलकत्ता की नेशनल लाईब्रेरी मे प्राप्त हिन्दी और उर्दू (१९५८) के प्रकाशनो का एक आधिकारिक अभिलेख भी संलग्न था।

आलोच्य वर्ष में राष्ट्रीय ग्रथ-सूची के १९५९ के सस्करण तथा कौमी किताबियत-शौब-ए-उर्दू (१९५९–६०) के संस्करण से सबधित कार्य दूसरे वर्ष के अंत तक पूरे होने की आशा थी।

ऐसी आशा की जाती थी कि ये प्रकाशन उपयोगी सिद्ध होगे और हिन्दी तथा उर्दू रुचि रखने वाले लोग उनसे लाभ उठायेंगे।

निरीक्षको द्वारा संभव न थी, उन्हें ही मरम्मत के लिए क्षेत्रीय सर्विस स्टेशनों पर लाया गया। लखनऊ स्थित मुख्य कार्यालय में एक रेडियो इजीनियर के अधीन सब साधनो से सुसज्जित एक वर्कशाप भी थी ।

देहाती रेडियो गोष्ठी—देहाती रेडियो गोष्ठी योजना का कार्य भी सतोषप्रद रहा, जिससे सामान्य जनता को अच्छी प्रकार सूचित करने और प्रबुद्ध करने के लिए नवम्बर, १९५९ में चलाया गया था । देहाती रेडियो गोष्ठी जो एक क्लब के रूप में थी और जिसके २० के आस-पास सदस्य थे, उस गाव में आयोजित की जा सकती थी जहां सामुदायिक श्रवण योजना के अन्तर्गत एक रेडियो सेट लगाया गया हो । लेकिन यह आवश्यक नही कि हर गांव में यह गोष्ठी हो जहा सरकार द्वारा रेडियो दिया गया हो । राज्य के ४७ जिलो में १९६०–६१ की अवधि में १८९ देहाती रेडियो गोष्ठिया कार्य कर रही थी । कुछ कठिनाइयो के कारण राज्य के ७ पहाड़ी और सीमावर्ती जिलो में इस कार्यक्रम को चालू करना संभव न हो सका ।

आल इडिया रेडियो 'देहाती रेडियो गोष्ठी' शीर्षक से एक विशिष्ट विषय का कार्य-क्रम प्रत्येक मगलवार को ६–४५ बजे से सवा सात बजे तक ब्राडकास्ट करता है ।

एक मासिक पत्रिका 'देहाती रेडियो गोष्ठी पत्रिका' प्रदेश के प्रधान कार्यालय से विशिष्ट रूप से इस योजना के अन्तर्गत प्रकाशित होती है । इसकी प्रतिया गोष्ठी की सभा बुलाने वालो को मुफ्त भेजी गयी है ।

कठपुतली प्रदर्शक दल आदि—आलोच्य वर्ष मे चार कठपुतली का नाच दिखाने वालों का दल और चार भजन मडलिया नियुक्त की गयीं । कठपुतली नचाने वालो का दल राष्ट्रीय बचत योजना के प्रचार के लिए रखा गया और भजन गाने वाले, सरकार की विकास संबंधी गति विधि को ग्रामीण जनता को उनकी बोलियो मे बतलाने के लिए नियुक्त किये गये ।

लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, देहरादून, मथुरा, बादा, अल्मोडा, मेरठ, बलिया और रायबरेली जिलो के देहातो में खुले हुए स्थानो में नाटक खेलना १९६०–६१ में प्रारम्भ किया गया । भारत सरकार ने ११,८५० रु० की राज सहायता इन दस देहाती नाट्य मडलियों के लिए प्रदान की ।

जिला सूचना अधिकारियो को ट्रेलर से युक्त चार नयी जीपें खरीद कर जिले के काम के लिए दी गयीं ।

फिल्म—इस वर्ष में निम्नलिखित नौ फिल्में निर्मित हुई :—

१—वनवासी थारू (रगीन)
२—हमारे सीमान्तवासी (रंगीन)
३—एक दिन की बात
४—एबोकेन वेस
५—केदारनाथ
६—क्वालिटी मार्किग स्कीम
७—सैनीटेशन एड सिविक सेन्स
८—पी० डब्ल्यू० डी० प्रोजेक्ट
९—न्यूज मैगजीन न० ३ ।

लेबर कालोनीज, मिर्जापुर के बर्तन तथा वाइल्ड लाइफ इन तीन फिल्मों के निर्माण का काम प्रगति कर रहा था ।

राज्य के अन्तर्गत प्रसार कार्य के लिए निम्नलिखित फिल्मो के १६ मिलीमीटर के आकार के ६० प्रिन्ट्स तैयार हो गये थे ।

१—वनवासी थारू

२—एक दिन की बात

३—सैनीटेशन ऐण्ड सिविक सेन्स

४—पी० डब्ल्यू० डी० प्रोजेक्ट

५—न्यूज मैगजीन नं० ३

६—पारस पत्थर

७—एक प्रबुद्ध नागरिक के गणतंत्र में कर्तव्य जो सिनेमा स्लाइड तैयार किये गये उनका विवरण नीचे दिया जाता है ।

राज्य के विभिन्न सिनेमा घरो मे उनके प्रदर्शन की व्यवस्था की गयी—

विषय			स्लाइडो की सख्या	
			रगीन	काली और सफेद
१			२	३
१—पचवर्षीय योजना	..	..	२०	२००
२—दीवाली के उपहार	..	..	३००	..
३—बड़े दिन के उपहार	..	..	३००	..
४—जन्म दिन के उपहार	..	..	२७५	..
५—वैवाहिक उपहार	..	..	२७५	..
६—प्राइज बान्ड्स	..	..	५८०	..

भेड़ चराई सबधी ७–७ स्लाइडों के १० सेट भी तैयार किये गये ।

किसान मेले और प्रदर्शनों—इस वर्ष सूचना विभाग ने विभिन्न स्थानो पर या तो प्रदर्शनियों की व्यवस्था की या उनमें भाग लिया । जिन प्रदर्शनियो ने विभाग में भाग लिया उनमे औद्योगिक प्रदर्शनी, वाराणसी, नौचंदी का मेला, मेरठ, देवा मेला की प्रदर्शनी और भावनगर की प्रदर्शनी सम्मिलित थी । भारत सरकार के सहयोग से इसने नैनीताल, कानपुर और सुल्तानपुर में प्रदर्शनियो की व्यवस्था की । लखनऊ की प्रदर्शनी में अल्पबचत योजना के प्रचार की विशेष व्यवस्था की गयी । गढ़वाल, चमोली और पिथौरागढ में भी एक-एक प्रदर्शनी की व्यवस्था की गयी । लखनऊ स्थित प्रदर्शनी भवन, बनारसी बाग में अल्प बचत योजना के महत्व का प्रदर्शन करने वाली एक प्रदर्शन इकाई की स्थापना की गयी । एक चल प्रदर्शनी ने गाजीपुर, बलिया और बनारस जिले के ग्रामो में भ्रमण किया ।

इसके अतिरिक्त जिलों की इकाइयो ने जिलो के स्तर पर ग्रामीण जनता में सरकारी कार्यकलापों के प्रचार के लिए विभिन्न किसान-मेलो तथा प्रदर्शनियो में भाग लिया ।

लखनऊ स्थित प्रदर्शनी भवन बनारसी बाग में राज्य सरकार द्वारा विविध क्षेत्रो मे की गयी प्रगति और उपलब्धियो का प्रदर्शन करने के लिए एक स्थायी प्रदर्शनी की भी व्यवस्था की गयी ।

पुराने तथा बेकार हो गये सामानो को बदलने के लिए ७ प्रोजेक्टर, ६ जेनरेटर और ४ एम्प्लीफायर आलोच्य वर्ष में खरीदे गये ।

रबी अभियान, पंचवर्षीय योजना और अल्प बचत के सिलसिले मे विशेष प्रचार किया गया । इसके अतिरिक्त जिलो में प्रदर्शन के लिये बड़े बोर्ड लगाये गये ।

उत्सव, सास्कृतिक समारोह आदि---पूर्वगामी वर्षों की भाति स्वतन्त्रता दिवस-समारोह तथा अन्य राष्ट्रीय उत्सवो से सबंधित समारोहो के आयोजन में विभाग भाग लेता रहा । आलोच्य वर्ष मे इस काम के लिए बजट मे १ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी ।

गत वर्षों की भाति लखनऊ में स्वतत्रता दिवस (१५ अगस्त) के अवसर पर लोक-गीत समारोह और १४ नवम्बर, बाल दिवस के अवसर पर एक लोक नृत्य समारोह का आयोजन किया गया । प्रदेश के विभिन्न जिलो की लोक-गीत और लोक-नृत्य की मडलिया उत्सव में भाग लेने के लिये आमन्त्रित की गई थी। लोक-गीत समारोह में फैजाबाद और गोडा की मडलियो ने क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया तथा देहरादून जिले की जौनसार भावर क्षेत्र की लोकनृत्य-मडली लोक-नृत्य उत्सव में सर्वश्रेष्ठ रही । यह मडली गत वर्षो की भांति प्रादेशिक सरकार द्वारा दिल्ली में होने वाले राष्ट्रीय लोक-नृत्य समारोह में भाग लेने के लिए भेज दी गयी जो कि गणतत्र दिवस के अवसर पर संगीत-नाटक अकादमी के तत्वावधान में आयोजित किया गया था । फैजाबाद की लोक-सगीत मंडली जो कि लोक-सगीत समारोह मे प्रथम आयी थी, भी आल इडिया रेडियो द्वारा आयोजित प्रोग्राम 'राष्ट्र निर्माताओ के गीत' मे भाग लेने के लिए भेज दी गयी । गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा आयोजित भव्य समारोह शोभायात्रा में भाग लेने के लिए इस वर्ष टेबलू न भेजा जा सका ।

अन्तर्प्रादेशिक सास्कृतिक-शिष्टमंडल विनिमय के प्रोग्राम के अन्तर्गत एक सांस्कृतिक शिष्ट-मंडल पश्चिमी बगाल से लखनऊ मार्च के अन्तिम सप्ताह मे आया और एक सास्कृतिक प्रदर्शन भी किया । इस प्रदर्शन में टिकट द्वारा प्रवेश की व्यवस्था थी और टिकट की बिक्री द्वारा प्राप्त राज्य सरकार के राजस्व के मद में जमा कर दी गयी ।

अध्याय ७

कल्याण, उत्थान एवं सहायता तथा पुनर्वास

१—श्रम कल्याण*

मिलबन्दी, हड़तालें, तालाबन्दी इत्यादि

रिहन्द बांध के मजदूरो द्वारा एक हडताल किये जाने के अतिरिक्त श्रम स्थिति सामान्यतः शांतिपूर्ण रही। रिहन्द बाध की हडताल ने एक समय ऐसा रूप धारण किया कि गोली चलाने की आवश्यकता पड गयी परन्तु अन्त में स्थिति काबू मे आ गयी और काम पुनः चालू हो गया।

मिलबन्दी के ५१ और बैठकी के १,०६८ मामले हुए जिनका प्रभाव क्रमशः ४,०५१ एवं ७५,८०३ मजदूरो पर पडा जबकि पूर्वगामी वर्ष मे ये संख्याए ६,३३८ और ३२,३६७ थीं। १९६० मे छटनी किये गये मजदूरो की संख्या २,६१८ थी जबकि १९५९ में यह संख्या १,०१२ थी। वर्ष भर में कुल मिला कर ५८ हडताले हुईं जिनसे २१,१६८ मजदूर प्रभावित हुए और कुल मिलाकर १,१४,०३० काम के दिनो की हानि हुई जबकि पूर्व वर्ष में ५५ हडतालें हुई थी जिनसे १३,०५५ मजदूर प्रभावित हुए थे और कुल १,४७,०७३ काम के दिनो की हानि हुई थी।

संस्थान बोर्ड और राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण

आलोच्य वर्ष में संस्थान बोर्डों के समक्ष ५,०८१ मामले निर्णय के लिए आये, जिनमें से ४,१७२ मामले निपटाये गये। इन ४,१७२ मामलो में ऐसे १,३३२ मामले भी सम्मिलित थे जिन्हे या तो वर्ष के अन्त तक वापस ले लिया गया था या जो जमा कर दिये गये थे। ९९१ मामलो में समझौता हो गया था। संस्थानीय कार्यवाही से अलग ९७ समझौते हुए जिनमे से ३७ समझौते यू० पी० इन्डस्ट्रियल डिसप्यूट्स ऐक्ट, १९४७ के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष में रजिस्टर किये गये।

अधिनिर्णय

अधिनिर्णय के लिए श्रम अदालतो तथा औद्योगिक न्यायाधिकरणो के पास ९२६ मामले भजे गये। इनमे से आलोच्य वर्ष में ६५८ मामले निपटाये गये।

मध्यस्थ द्वारा निर्णय किये जाने वाले ६० मामलो में से २९ निर्णीत हुए। राजकीय कारखानो को विवादो में हल करने के लिए स्थापित स्थायी सस्थान बोर्ड को ४३ नयी शिकायतें प्राप्त हुई और १९५९ की १२ शिकायतो को मिलाकर ५५ शिकायतें हो गयीं। इनमें से ४२ शिकायतें निपटा दी गयीं। इस प्रकार फैसले के लिए १३ शिकायतें रह गयीं।

फैसलों का क्रियान्वयन

आलोच्य वर्ष में श्रम अदालतो तथा औद्योगिक न्यायाधिकरणों ने ऐसे ३८६ फैसले दिये जिनमें क्रियान्वयन आवश्यक था। इनमें से २३ फैसलो में क्रियान्वयन स्थापित कर दिया गया और वर्ष के अन्त तक २६ ऐसे भी मामले थे जो क्रियान्वयन के लिए परिपक्व नहीं थे। शेष

---

* इसका सम्बन्ध १९६० के कैलेन्डर वर्ष से है।

३२७ फैसलो में से २५६ का क्रियान्वयन किया गया। ५ फैसलो के क्रियान्वयन किये जाने की पुष्टि मजदूर यूनियनो द्वारा होनी शेष थी और ४३ फैसलों के क्रियान्वयन हो जाने की जाच हो रही थी।

बीस फैसलो का क्रियान्वयन शेष रहा था। इनमें २० में से ६ में मालिको ने समादेश प्रस्तुत किये और एक मामले में मजदूरों ने अपील दायर की। एक मामले में फैसले के अन्तर्गत दिये गये पैसे का भुगतान लेने मजदूर नहीं आये और दो मामलो में फैसले के क्रियान्वयन किये जाने से सम्बन्धित शर्तों में मतभेद रहा। ६ मामलो में मालिको द्वारा अपनाये गये रुख के कारण फैसलो का क्रियान्वयन नही हो सका। दो मामलो में जिन कारखानो को फैसलो का क्रियान्वयन करना था वे ही बन्द हो गये। मालिकों के पास धनाभाव के फलस्वरूप २ अन्य मामलो में फैसले क्रियान्वित न किये जा सके।

अनुशासन संहिता

मालिको और मजदूरो द्वारा अनुशासन संहिता के नियमो की अवेहलना सम्बन्धी शिकायतो की संख्या क्रमश: ३६ और २८ रही। जाच करने पर इनमें से अनुशासन भंग सम्बन्धी ८ शिकायतें साबित नहीं हो सकीं। १६ शिकायतो में किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही थी और १२ शिकायतें आपसी समझौते से रफा हो गयी। शेष २५ मामलो में सम्बन्धित लोगो से कहा गया कि वे अनुशासन सहिता के नियमों का पालन किया करे।

मूल्यांकन एवं कार्यान्वयन समिति

फैसलो समझौतो और निबटारो के कार्यान्वयन में शीघ्रता लाने के लिए तथा उन्हें और अच्छा रूप देने के लिए जनवरी सन् १९६० में श्रम मन्त्री की अध्यक्षता में एक मूल्याकन एवं कार्यान्वयन समिति स्थापित की गयी थी। इससे पूर्व के लेख खंड में वर्णित मामलो के अतिरिक्त अनुशासन सहिता के नियमो को भंग करने की ५५ शिकायतें समिति के सामने आयी। इनमें से ७ मामले आपसी समझौते से सुलझ गये और ऐसे २२ मामलो में जो जाच करने पर सही निकले मजदूरो के संगठनो को इस प्रकार के नियम भंग न करने की सलाह दी गयी। १७ मामलो में नियमभग सिद्ध नही हो सके और शेष ९ मामलो में जाच जारी थी।

कारखानों और ब्वायलरो का निरीक्षण

आलोच्य वर्ष में फैक्ट्रीज ऐक्ट के प्रति २,६७२ कारखाने उत्तरदायी रहे। इनमें से १,५६४ कारखानो ने अपने लाइसेन्स नये कराये और २५ नये कारखानो को लाइसेन्स दिये गये। इस प्रकार आलोच्य वर्ष में १ ५८९ कारखानों ने लाइसेन्स प्राप्त किये जबकि सन् १९५९ में ऐसे कारखानो की सख्या १,३७० थी। १,०२३ कारखानो के मामलो में उनके द्वारा आवश्यक खानापूरी न किये जाने के फलस्वरूप उनके लाइसेन्स नये नहीं किये जा सके या जारी न किये जा सके और शेष ६० कारखानो ने उनका मामला विचाराधीन होने के कारण लाइसेन्स देने के लिए प्रार्थना नहीं की। पूर्व वर्ष के ५,५८,९३८ रुपये की तुलना में इस वर्ष ५,९३,२७५ रुपये लाइसेन्स शुल्क के रूप में वसूल किये गये।

कारखाना निरीक्षण कार्यालय ने वर्तमान भवनों की इमारतो में वृद्धि करने अथवा नये भवनो के निर्माण के लिए १,२२९ नक्शे प्राप्त किये। इनमें से ५४२ नक्शे स्वीकृत किये गये।

निरीक्षण कार्यालय ने कारखाना अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम, उत्तर प्रदेश मैटर्नीटी बैनीफिट्स अधिनियम तथा रोजगार सम्बन्धी बाल अधिनियम के अन्तर्गत कुल ७,९८४ निरीक्षण किये। उक्त कार्यालय में ९९८ शिकायतें आयीं जिनमें से ८९१ का निबटारा किया गया। इसके अतिरिक्त विविध प्रकार की १३५ और शिकायतें भी प्राप्त हुईं जिनमें से १३२ वर्ष भर में निपटा दी गयीं।

फैक्ट्री अधिनियम १९४८ की धारा ४९ के अन्तर्गत फैक्टरी कल्याण अधिकारियो के सम्बन्ध में बनाये गये नियमो को १४० कारखानो में लागू किया गया जिनमें १२१ कारखानो ने सुयोग्य कल्याण अधिकारियो को नियुक्त कर दिया था।

फैक्ट्रीज अधिनियम, १९४८ तथा मजदूरी भुगतान अधिनियम, १९३६ की धाराओ का उल्लंघन करने के कारण कारखानो के विरुद्ध ७२२ मुकदमे चलाये गये जिनमें से २८७ से सजाए दी गयी मजदूरी भुगतान अधिनियम १९३६ के अन्तर्गत और उसके नियमो के अनुसार मजदूरो को उनकी मजदूरी न दिये जाने के फलस्वरूप ५२ हिदायतें जारी की गयी।

पूर्वगामी वर्ष के १८२ कारखानो की तुलना में आलोच्य वर्ष मे २८९ कारखाने यू० पी० फैक्टरीज रूल्स, १९५० के नियम १८ के प्रति उत्तरदायी पाये गये। इस नियम के अनुसार फुजले के उपयोग का प्रबन्ध फुजला समिति द्वारा अनुमोदित होना चाहिये। २८९ कारखानो में से ३३ कारखानो द्वारा फुजला के प्रबन्धो का अनुमोदन किया गया और ६६ कारखानो को यह सलाह दी गयी कि वे अपने फुजला का उपयोग इस प्रकार करें कि फुजला जांच समिति की रिपोर्ट में दी हुई सीमाओ तक पहुंच जायें। भारतीय ब्वायलर्स अधिनियम, १९२३ के अन्तर्गत ३७ ब्वायलरो और ३७ एकोनोमाइजरो की रजिस्ट्री की गयी। इस प्रकार ब्वायलरो और एकानो-माइजरो की कुल सख्या क्रमश ३,०२८ एव १५६ हो गयी। आलोच्य अवधि में २,२०,४९९ रु० की एक धनराशि और ८,२८० रुपये की दूसरी धनराशि निरीक्षण और रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप मे प्राप्त हुई।

राज्य से बाहर ३७ ब्वायलर भेजे गये और राज्य में ५७ ब्वायलर मंगाये गये। आलोच्य वर्ष में, ब्वायलरो के १,७६३ खुले निरीक्षण, १,२१४ जल-परीक्षण, ५१ भाप सम्बन्धी परीक्षण और २,०५० आकस्मिक निरीक्षण किये गये। इसके अतिरिक्त एकोनोमाइजरो के ५२ खुले परीक्षण, ६९ जल परीक्षण, ८२ भाप सम्बन्धी, परीक्षण तथा १९६ आकस्मिक निरीक्षण भी किये गये।

भारतीय ब्वायलर्स अधिनियम, १९२३ की धाराओ का उल्लघंन करने के फलस्वरूप ४ मालिको के विरुद्ध मुकदमें चलाये गये। पूर्व वर्ष के अनिर्णीत मुकदमो को मिलाकर निबटाये जाने वाले मुकदमो की कुल सख्या १८ रही। फैसले हुए ९ मामलो में ९२० रु० जुर्माना किया गया।

प्रथम और द्वितीय श्रेणियो के ब्वायलर सहायको की परीक्षा में क्रमश : २३४ और ६१६ परीक्षार्थी बैठे। इनमें से १५९ और ५१७ को सफल घोषित किया गया। परीक्षार्थियो से परीक्षा-शुल्क के रूप में १२,७७५ रुपये प्राप्त हुए। दो परीक्षार्थी वेल्डरो की परीक्षा में बैठे। इनमें से केवल एक उत्तीर्ण हुआ। परीक्षा-शुल्क के रूप में ८५ रुपये प्राप्त हुए।

चाय बागान मजदूर अधिनियम, १९५१

चायबागान मजदूर अधिनियम, १९५१ के अधीन उत्तर प्रदेश के कारखाने के चीफ़ इन्स्पेक्टर चायबागान के चीफ इन्स्पेक्टर भी रहे। आलोच्य वर्ष में चायबागानो के ५९ निरीक्षण किये गये। इस अधिनियम के अन्तर्गत १५ मुकदमे चलाये गये। पूर्व वर्ष के १० अनिर्णीत मुकदमो को मिलाकर कुल २५ मुकदमे इस अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन करने के फलस्वरूप मालिको पर चलाये गये। ९ मुकदमो में दण्ड दिया गया और २९० रु० जुर्माना किया गया। ३५ शिकायतें प्राप्त हुई और उन्हें वर्षान्त तक रफा कर दिया गया।

उत्तर प्रदेश दूकान एवं व्यावसायिक संस्थान अधिनियम, १९४७

गतवर्ष की भाति उत्तर प्रदेश दूकान एवं व्यावसायिक संस्थान अधिनियम, १९४७ की सभी धाराए राज्य के ६० नगरो में लागू रहीं। अधिनियम की धाराए २,४,१०,१२

[illegible] १६,१८,२१,२६ से ३१ तक ३४ और ३५,३८ कस्बों में लागू रहीं। १९६० म इन अधि-[illegible] की धाराए [illegible] के कस्बे के क्षेत्रों में लागू की हुई है। इस प्रकार आलोच्य वर्ष के अन्त तक इस अधिनियम की धाराए ९९ कस्बो में लागू रहीं। इसके अतिरिक्त इस नियम की सभी धाराए, लखनऊ, फर्रुखाबाद, कन्नौज, वाराणसी और मेरठ के समीपस्थ क्षेत्रो में लागू रही।

आलोच्य वर्ष में ७४,४६८ निरीक्षण किये गये जबकि पूर्वगामी वर्ष में इनकी संख्या ६४,३१३ थी। आलोच्य वर्ष में कुल चालानो की संख्या पूर्व वर्ष के कुछ चालानों को मिलाकर ८३४ थी जबकि पूर्वगामी वर्ष में चालानो की संख्या १,१०२ थी। इनमें से ६५६ मामलो में सजाए दी गई और १८,२४८ रुपये जुर्माने किये गये। प्राप्त शिकायते, पिछले वर्ष की गैर निबटाई शिकायतो को शामिल करके--की कुल संख्या २,२२४ थी जिनमें से २,०७७ रफा की गयं। अधिनियम की धारा ३४ की अधीन ७ अस्थायी और २२ अस्थायी छूटे दी गयीं।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, १९४८

आलोच्य समयावधि में ऊनी दरी उद्योग अल्मोडा और गढ़वाल जिलो के चाय बागानों में नौकरी करने अल्मोडा, नैनीताल, गढवाल, टेहरी, गढ़वाल, पिथौरागढ, चमोली और उत्तर काशी के सभी फार्मों और खेतो में नौकरी करने वालो के लिए मजदूरी की न्यूनतम दर निर्धारित की गयी। छठी और सातवीं श्रेणियो की स्थानीय संस्थाओं में भी पूरे तीन-चौथाई और आधे समय काम करने वालो के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित की गयीं।

आलोच्य वर्ष में १६,२८१ निरीक्षण किये किये। शिकायतो की कुल संख्या—गतवर्ष की बाकी शिकायतो को मिलाकर ६७० थीं जिनमें से ३६४ निबटा दी गयीं। अनुसूचित नौकरियों से सम्बन्धित २,९२८ नये सस्थानो में जिनमें १९,०६१ व्यक्ति कार्य करते थे, यह अधिनियम लागू किया गया।

औद्योगिक नौकरी (स्टैन्डिग आर्डर्स) अधिनियम, १९४६

औद्योगिक नौकरी (स्थायी आदेश) अधिनियम, १९४६ के अन्तर्गत श्रमायुक्त सर्टिफाइग अफसर की हैसियत से कार्य करते रहे। सर्टिफाइग अफसर के निर्णय के विरुद्ध अपीलो की सुनवाई इलाहाबाद का उद्योग न्यायाधिकरण करता रहा। आलोच्य वर्ष में अधिनियम के अन्तर्गत ४१ नये औद्योगिक अधिष्ठानो के लिए स्थायी आदेश प्रमाणित किये गये।

राज्य की चीनी मिलें जिनके लिए सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ की धारा ३ के अधीन सामान्य स्थायी आदेश निर्धारित कर दिये थे, आलोच्य वर्ष में इस अधिनियम की व्यवस्थाओ से मुक्त रहीं।

आलोच्य वर्ष में ७३९ निरीक्षण किये गये। मालिकों के विरुद्ध चलाये गये १० मामलों में से ८ सजा दी गयी और २,४९० रुपये जुर्माना किया गया।

यह अधिनियम राज्य के निम्नलिखित संस्थानो में बिना इसके विचार किये कि उनमें कितने कर्मचारी है पूर्ववत लागू रहा :—

(१) उत्तरी भारत मालिक संघ कानपुर के सदस्य,

(२) उत्तर प्रदेश आयल मिलर्स असोसियेशन कानपुर के सदस्य,

(३) बिजली के कारखाने,

(४) जल-कल,

(५) कांच उद्योग,

(६) सभी आयल मिलें जो फैक्टरीज अधिनियम के अन्तर्गत कारखानों के रूप में रजिस्टर्ड है,

(७) वे जिनके मालिक स्वेच्छा से अधिनियम के अधीन अपने स्टेंडिंग आर्डर्स को प्रमाणित करने के लिए प्रार्थना करते है,

(८) ऐसे समाचार-पत्र संस्थान जिनमें २० से अधिक कर्मचारी काम करते हैं।

आलोच्य वर्ष में इस अधिनियम की धाराएं कपड़े की मिलो, इन्जीनियरिंग कारखानों, चमड़े के कारखानो, मुद्रणालयो, रुई ओटने और गाठ बनाने के कारखानो, आटा, दाल और चावल की मिलो, लाख के कारखानों, जिसमें ५० से अधिक मजदूर काम करते थे लागू की गयीं। कारखाना अधिनियम, १६४८ के अधीन रजिस्टर्ड तेल मिलें भी इस अधिनियम के अन्तर्गत रहीं।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, १६४८ के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा योजना सबसे पहले कानपुर में फरवरी, १६५२ में लागू की गयी थी और बाद में यह योजना १४ अन्य नगरो में चालू की गयी। इस योजना के अधीन २,१२,५०० व्यक्ति रहे। आलोच्य वर्ष में यह योजना किसी नये नगर में लागू नही की गयी। इस योजना के अन्तर्गत श्रमिको को विभिन्न प्रयोजनो के लिये सन् १६६० में २१,१५,३७४ रुपये दिये गये। उन सभी स्थानो में जहा यह योजना लागू थी १४ नवम्बर, १६५६ से श्रमिको के परिवारो को भी इस योजना के अन्तर्गत मिलने वाली चिकित्सा सहायता दी जाने लगी।

कर्मचारी प्राविडेन्ट फंड अधिनियम

सन् १६५२ में जब कर्मचारी प्रावीडेंट फन्ड अधिनियम पहले पहल लागू किया गया तो इसके अन्तर्गत केवल ६ उद्योग अर्थात् सीमेंट, सिगरेट, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तथा सामान्य इन्जीनियरिंग उत्पादनो, लोहा तथा इस्पात, कागज तथा सूती वस्त्र उद्योगो को लाया गया। १६६० तक इसे ४५ उद्योगो और संस्थानो पर लागू किया जा चुका था जिनमें पाच श्रेणी के चाय बागान और चार श्रेणी की खानें थी। ३१ दिसम्बर, १६६० से इस अधिनियम को उन सभी सस्थानो पर लागू कर दिया गया था जिनमें २० या इससे अधिक व्यक्ति काम करते थे। इसके अधीन ८५२ कारखाने थे जिनमें १,७५,००० से अधिक व्यक्ति काम करते थे।

चीनी मिल श्रमिकों के लिए गृह-निर्माण योजना

चीनी मिलो के श्रमिको की गृह निर्माण योजना के अधीन कल्याण और विकास कोष में ६१,१०० रुपये की धनराशि दी गयी। इस प्रकार दिसम्बर, १६६० तक कुल ४८,६८,५०० रुपये कोष मे जमा किये गये, इसमें से ४५,३०,६६६ रुपये गृह निर्माण खाते में जमा हुए। आलोच्य वर्ष में २ अन्य मिलो ने निर्माण-कार्य आरम्भ किया। इस प्रकार ऐसी मिलो की सख्या कुल मिलाकर ६३ हो गयी। १,३८० मकानो का निर्माण पूरा हो गया और ८६ मकानो का निर्माण-कार्य प्रगति करता रहा। लगभग सभी मिलो में जहा निर्माण-कार्य पूरा हो गया श्रमिको को क्वार्टर अलाट कर दिये गये।

वित्तपोषित औद्योगिक गृह-निर्माण योजना

भारत सरकार की वित्तपोषित औद्योगिक गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत अन्य उद्योगो के श्रमिको के लिए गृह-निर्माण कार्यक्रम मे तीव्र प्रगति रही। प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनावधियो में बनने वाले २५,६५६ मकानो मे से आलोच्य वर्ष के अन्त तक २२,७७६ मकान बन कर तैयार हो गये थे। इनमें से सन् १६६० में १,७८६ क्वार्टर बन कर तैयार हुए। १७२ एक कमरे वाले और ४४२ दो कमरे वाले क्वार्टरो के निर्माण के लिए ६ मालिकों को आर्थिक सहायता देना स्वीकृत किया गया। इसी प्रकार २ सहकारी समितियो को २३ एक कमरे वाले और २२ दो कमरे वाले क्वार्टरो के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता स्वीकृत की गयी। एक

कमरे वाले २४८ और दो कमरे वाले १६४ क्वार्टरों के निर्माण के लिए १० मालिको से और १२० दो कमरे वाले क्वार्टरो के निर्माणार्थ एक सहकारी समिति मे प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए। ये प्रार्थना-पत्र विचाराधीन थे।

चायबागान के मजदूरों के लिए गृह-निर्माण योजना

चायबागान श्रमिको के लिए गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत मजदूरो के लिए क्वार्टर बनाने के हेतु मालिको को गृह-निर्माण की कीमत का ८० फीसदी तक कर्ज देने की व्यवस्था थी। परन्तु अभी तक राज्य के चायबागानो के मालिकों की ओर से कोई कदम उठता दीख नही पडा।

श्रम-कल्याण केन्द्र

राज्य में कुल ६५ श्रम-कल्याण केन्द्र थे। इन केन्द्रो में श्रमिको तथा उनके परिवार के सदस्यो को निःशुल्क चिकित्सा, मनोरंजन, सामाजिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक सुविधाएं प्रदान की जाती रही। 'सी' श्रेणी के दो केन्द्रो को 'बी' श्रेणी के केन्द्रो में उन्नत किया गया।

सन् १६६०–६१ में कल्याण कार्यों के लिए १८ लाख ३ सौ रुपये बजट में नियत किये गये थे। आलोच्य वर्ष में रोगियो की प्रतिदिन की औसत उपस्थिति ६,७७० थी। कुल मिलाकर १,२६,६०६ सेर ताजा दूध और ८३,६०८ सेर दूध का पाउडर बच्चो, दूध पिलाने वाली माताओं, गर्भिणी स्त्रियो और रोगियो को बाटा गया। दाइयो ने १,०३२ शिशुओ की प्रतिदिन मालिश की और उन्हें स्नान कराया। मिडवाइफो ने ५,६२० पूर्व प्रसव के तथा ३,४८६ प्रसवोत्तर स्त्रियो की देख-भाल की और ३,३२२ बच्चो को जनाया।

छै सौ इक्तालिस संगीत के कार्यक्रम, १६ नाटक, ४३ बेबी शो, १० विविध मनोरजन के कार्यक्रम तथा २०७ सिनेमा शो दिखाने का प्रबन्ध किया गया। औसतन २,४८२ तथा ३,०६० श्रमिको ने क्रमशः मैदानो और भवनो में खेले जाने वाले खेलो में भाग लिया। १२५ श्रमिकों को योग की शिक्षा दी गयी।

श्रम-कल्याण केन्द्रो के वाचनालयो मे प्रतिदिन की औसत उपस्थिति २,६४६ रही। पुस्तकालयो के ५,१८५ सदस्य थे और दी जाने वाली किताबो की संख्या ६०,६२६ थी।

सिलाई के क्लासो में ८७३ स्त्रिया औसतन प्रतिदिन आती रही और उनके द्वारा १६,१२४ रुपये मूल्य के कपड़े सिले गये।

श्रम-कल्याण केन्द्रों में स्काउट इकाइयां और गाइड कम्पनिया बड़ी संख्या में संगठित की गयी। विभिन्न मेलो और त्योहारो के अवसर पर इन्होंने समाज-सेवा शिविरों की व्यवस्था की।

ट्रेड यूनियनें

राज्य में ३१ मार्च, १६६० को १,०५२ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियनें थीं जबकि ३१ मार्च, १६५६ को इनकी संख्या १०२१ थी। इनमें से केवल ७४८ यूनियनो ने जिनकी कुल सदस्यता २,६३,३६५ थी वार्षिक नक्शे प्रस्तुत किये। ट्रेड यूनियन के निरीक्षको तथा सहायक निरीक्षकों ने आलोच्य वर्ष मे ५६२ निरीक्षण तथा ७२१ जांच-पड़ताले की।

दो रेफ्रेशर पाठ्य-क्रमो का आयोजन किया गया तथा जिनमें ६५ ट्रेन्ड यूनियन कर्मचारियों को ट्रेड यूनियनवाद के तरीको और तकनीक मे प्रशिक्षित किया गया। इसके अतिरिक्त २७ ट्रेड यूनियन कर्मचारियो को अन्य राज्यो के विभिन्न भागो में ले जाया गया ताकि वे उन स्थानो की ट्रेड यूनियनो के कार्य-कलाप के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकें।

१५ ट्रेड यूनियनों को सांस्कृतिक, सामाजिक और शैक्षिक कार्यक्रमों को बढाने के लिए ताकि उनसे उनके सदस्य लाभ उठा सकें १५,००० रुपये की आर्थिक सहायता दी गयी।

ट्रेड यूनियन हालो के निर्माणार्थ ५०,००० रुपये की धनराशि बजट में रखी गयी। सरकार ने लखनऊ के भारतीय चीनी मिल कर्मचारी फेडरेशन को इसमें से ३०,००० रुपये लखनऊ में एक ट्रेड यूनियन हाल बनाने के लिए मंजूर किये।

यू० पी० इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स रूल्स, १९५७ के नियम २९ और ३० के अधीन आलोच्य वर्ष में ५८ रजिस्टर्ड यूनियनो के ३१६ अफसर रक्षित कर्मचारी घोषित किये गये।

वर्क्स कौंसिलें

३७ मे से २३ कारखानो में वर्क्स कौंसिले बनायी गयीं। यू० पी० स्टट एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अधीन औद्योगिक कारखानो को भी वर्क्स कौंसिलें बनाने वाले नियमो के अन्तर्गत लाया गया और इन कारखानो मे वर्क्स कौंसिलें बनाने का कार्य किया जा रहा है।

वृद्धावस्था की पेंशन

आलोच्य वर्ष में वृद्धावस्था की पेंशन दिये जाने के लिये १,३२० प्रार्थना-पत्र स्वीकृत हुए। इस प्रकार इस पेंशन को पाने वालो की कुल संख्या ७,२०२ हो गयी। इनमें से १,८०६ व्यक्ति मर गये। इस प्रकार वर्षान्त में जिन्दा पेन्शनरो की संख्या ५,३९६ रह गयी।

रोजगार दफ्तर

आलोच्य वर्ष मे २० और रोजगार दफ्तर खोले गये। उत्तर काशी, चमोली और पिथौरागढ़ को छोडकर राज्य के अन्य सभी जिलो में अब रोजगार दफ्तर खुले हुए है।

दो सामुदायिक विकास खंडो में---एक जिला इलाहाबाद के मंझनपुर नामक स्थान में और दूसरा गोरखपुर के बडहलगंज नामक स्थान में रोजगार सम्बन्धी सहायता और सूचना ब्यूरो स्थापित किये गये।

आलोच्य वर्ष मे नौकरी की तलाश करने वाले ५,८८,०७२ व्यक्तियो ने रोजगार दफ्तरो में अपने नाम दर्ज कराये जबकि पूर्वगामी वर्ष में इनकी संख्या ४,७३,४३५ थी। राज्य भर के रोजगार दफ्तरो में सरकार और साधारण मालिको से ९४,५१४ रिक्त स्थानो की सूचना प्राप्त हुई और ६४,६९० प्रार्थियो को नौकरी दिलायी गयी। रोजगार दफ्तरो के चालू रजिस्टरो में ३१ दिसम्बर, १९६० को प्रार्थियो की संख्या २,२९,१७१ थी जबकि यही संख्या ३१ दिसम्बर, १९५९ को १,९५,१६३ थी।

पहली मई, १९६० से राज्य भर में रोजगार दफ्तर (कम्पल्सरी नोटीफिकेशन आफ वैकेन्सीज) अधिनियम, १९५९ लागू कर दिया गया था। इस अधिनियम के अधीन धारा ३ के अन्तर्गत दी हुई श्रेणियो को छोड़कर सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रो में जहा २५ या इससे अधिक व्यक्ति कार्य करते हो, सभी नौकरी देने वाले व्यक्तियो के लिए यह आवश्यक कर दिया गया है उनके यहां के रिक्त स्थानो पर नियुक्ति करने से पूर्व उनकी सूचना रोजगार दफ्तरो में दी जाया करे। इस अधिनियम के अन्तर्गत ऐसा न करना दण्डनीय जुर्म करार दिया गया है।

रोजगार संबंधी सूचना---

रोजगार सम्बन्धी सूचना एकत्रित करने के लिये जो योजना १९५९ में राज्य के ७ जिलो में चल रही थी उसे आलोच्य वर्ष में १० और जिलो में चलाया गया। इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा, बरेली, गोरखपुर और मेरठ जिलो से सम्बन्धित तिमाही रोजगार संबंधी सूचनाएं

नियमित रूप से जारी होती रही और सभी सम्बन्धित क्षेत्रों में वितरित होती रही। इस कार्य-क्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण और रोजगार निदेशालय ने एक विशेष जांच इस आशय से की कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से सरकारी क्षेत्र में कितनी अतिरिक्त नौकरियों की गुंजाइश हो गयी है।

व्यावसायिक अनुसंधान एवं विश्लेषण

व्यावसायिक अनुसंधान एवं विश्लेषण कार्यक्रम का उद्देश्य देश में सभी ज्ञात व्यवसायों का प्रामाणिक परिमाण और विवरण तैयार करना था। विभाग ने भारत सरकार के सहयोग से व्यवसायों का राष्ट्रीय वर्गीकरण का प्रारम्भिक संस्करण प्रकाशित किया। इसमें देश में उपलब्ध सभी व्यवसायों की छोटी-छोटी परिभाषाएं दी हुई हैं।

राज्य व्यावसायिक सूचना इकाई ने व्यवसाय के प्रत्येक श्रेणी के लिए शिक्षा का आधार तल और न्यूनतम प्रशिक्षण की जानकारी करने के लिए गहरा अध्ययन किया। इसमें यह भी ध्यान रखा गया कि किस प्रकार का प्रशिक्षण किया जाय और उसमें कितना समय लगेगा। एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में जाने के लिए जहां यह सम्भव हो किन पार्श्ववर्ती आवश्यकताओं की जरूरत पड़ती है--इस सम्बन्ध में भी इकाई ने सूचना एकत्रित की। इस योजना को चलाने के लिए फोर्ड फाउन्डेशन द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त हुई। इस योजना के अन्तर्गत व्यावसायिक सूचना इकाई ने १०७ औद्योगिक इकाइयों से सम्पर्क स्थापित किया और १,०५३ प्रश्नावलियां पूरी की।

व्यावसायिक पथ-प्रदर्शन तथा रोजगार संबंधी परामर्श

आलोच्य वर्ष में लखनऊ के उपक्षेत्रीय रोजगार कार्यालय में १९५७ में प्रारम्भ की गयी व्यावसायिक पथ-प्रदर्शन इकाई के अतिरिक्त ८ और व्यावसायिक पथ-प्रदर्शन इकाइयां इलाहाबाद, आगरा, कानपुर, मेरठ, अल्मोड़ा, झांसी, गोरखपुर और बरेली में स्थापित की गयी। वाराणसी और अलीगढ़ में स्थित विश्वविद्यालय रोजगार ब्यूरो ने विश्वविद्यालय के छात्रों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति की।

पूल एवं आकस्मिक नियुक्ति योजना

कानपुर की ऊनी, सूती एवं तेल मिलों में चालू पूल एवं आकस्मिक नियुक्ति योजना के अन्तर्गत १६,४४१ व्यक्ति रजिस्टर किये गये और १२,२५६ व्यक्तियों को रोजगार में लगाया गया जबकि पूर्वगामी वर्ष में ये संख्याएं क्रमशः १६,४०५ और १२,६८८ थीं। कुल मिलाकर १५,५८१ रिक्त स्थानों की सूचना दी गयी और १५,०३५ आलोच्य वर्ष में भर दिये गये।

दस्तकार प्रशिक्षण योजना

दस्तकार प्रशिक्षण योजना का और विस्तार किया गया और बलिया और श्रीनगर में २ औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये। इनमें दो प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती रही--

१--इजीनियरिंग और भवन निर्माण व्यवसायों में प्राविधिक प्रशिक्षण,

२--कुटीर एवं लघु उद्योगों में व्यावसायिक प्रशिक्षण।

व्यवसायिक और प्राविधिक ट्रेडों की परीक्षाओं में २,५७१ अभ्यर्थी बैठे।

औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए विशेष बनावट की वर्कशाप के भवनों का निर्माण और उन्हें औजारों तथा अन्य सामान से सुसज्जित करने का कार्यक्रम निर्धारित योजनानुसार चलता रहा। व्यावसायिक ट्रेडों की राष्ट्रीय कौंसिल द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण नीतियों को कार्यान्वित करने में राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए व्यावसायिक ट्रेडों में प्रशिक्षण की एक राज्य कौंसिल संगठित की गई। राज्य भर में व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समन्वय भी यह कौंसिल स्थापित करेगी।

७—समाज-कल्याण

नगर समाज-कल्याण समितियां

जिला स्तर पर समाज कल्याण के क्षेत्र में सरकारी और स्वैच्छिक प्रयत्नों में समन्वय स्थापित करने के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में जिलाधीश के सभापतित्व में नगर समाज कल्याण समितियों की स्थापना की गयी थी । ये समितियां जिले में किसी भी कल्याणकारी योजना को चलाने के लिए स्वतंत्र थीं ।

आर्थिक सहायता

स्वैच्छिक संस्थाओं को उनके कार्य कलापों को विकसित करने और ठीक संगठित करने के लिए आर्थिक सहायता दी गयी । सन् १९६०–६१ के बजट में मूक, बधिर और अन्धों की संस्थाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए ९०,००० रुपये की व्यवस्था की गयी ।

विधवाश्रमों एवं अनाथालयों को आर्थिक सहायता देने के लिए ५०,००० रु० की धन-राशि रखी गयी । समाज-कल्याण की विभिन्न संस्थाओं और संगठनों को आर्थिक सहायता देने के लिए बजट में २,३८,००० रुपये एक मुश्त व्यवस्था की गयी ।

इसके अतिरिक्त ५,४०,००० रु० की धनराशि सन् १९६०–६१ में राज्य समाज-कल्याण सलाहकारी समिति को इस शर्त पर दी गयी कि समिति भी इतना ही धन अपनी ओर से मिलाकर अपने कार्यालय और ग्रामीण क्षेत्रों की महिला मंगल योजनाओं को सुचारु रूप से चलाती रहे ।

उद्धार-संगठन

उद्धार-संगठन की योजना के अधीन सरकार द्वारा नियुक्त दो उद्धार अधिकारी थे—एक देहरादून में और दूसरा वाराणसी में । इन संगठनों का मुख्य कार्य महिलाओं और बालिकाओं को नैतिक खतरे से बचाना था ।

महिला मंगल योजना

महिला मंगल योजना ३३ जिलों में चल रही थी । इन सभी जिलों में जिला स्तर पर महिला मंडल के कार्यक्रमों की देखरेख करने के लिए महिला मंगल के जिला आर्गनाइजरों की जो ३३ जगहें थीं उन्हें समाप्त कर दिया गया । खंड स्तर पर यह कार्य ग्राम सेविकाओं और ग्राम लक्ष्मियों की सहायता से सहायक विकास अधिकारी (सामाजिक शिक्षा महिला) की देखरेख में चलता रहा ।

महिला मंगल केन्द्रों में से अधिकांश क्रियाशील खंडों में स्थित थे और प्रत्येक खंड में एक-एक सहायक अधिकारी (सामाजिक शिक्षा) और १० से १२ तक ग्राम सेविकाएं थीं । प्रत्येक ग्राम सेविका की सहायता ३-४ ग्राम लक्ष्मियां करती थीं ।

महिला मंगल योजना के अन्तर्गत किये गये कार्यों का कुछ विवरण नीचे दिया जाता है—

१—योजना के अन्तर्गत आने वाले जिलों की संख्या ..	३३
२—जिनमें काम किया गया ऐसे ग्रामों की संख्या	६७९
३—महिला मंगल केन्द्रों की संख्या	३२८
४—साक्षर बनायी गयी प्रौढ़ महिलाओं की संख्या	४७,७१९
५—महिलाओं और बालिकाओं की संख्या जिन्हें दस्तकारी की शिक्षा दी गयी	८३,८०९
६—बालबारी कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या	४३,२१३
७—दवा के बक्सों की सहायता से इलाज किये गये मरीजों की संख्या	७४,२२७

रक्षा-गृह

लखनऊ, वाराणसी, मथुरा, मेरठ और गोरखपुर मे १९६१ के फरवरी मास मे पाच रक्षा-गृह १९५६ के महिलाओ और बालिकाओ के अनैतिक व्यापार अधिनियम के अधीन स्थापित किये गये । इनमे ५० व्यक्तियो तक के रहने की सीमित व्यवस्था थी । ये गृह इस इरादे से स्थापित किये गये थे कि इस अधिनियम के अन्तर्गत पकडी गयी महिलाओ और बालिकाओ को इनमें रखकर पुनर्वास के लिये लम्बे अरसे तक प्रशिक्षित किया जाये । (ये रक्षा गृह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा अपनायी गयी एक योजना के अनुसार कायम थे) ।

युवक मंगल योजना

युवको के दृष्टिकोण मे परिवर्तन लाने के लिए ससार भर मे शिविरो का सगठन सर्वोत्तम माध्यम माना गया है । शिविरो के सगठन की ओर बराबर उचित ध्यान दिया जाता रहा । आलोच्य वर्ष मे राज्य के २५ जिलो में २५ युवक शिविर संगठित किये गये जिनमें १,२५० युवको मे भाग लिया ।

ग्रामीण बालिकाओ को भी ग्रामीण युवक कार्यक्रम पसन्द आने लगा है । आलोच्य वर्ष मे राज्य स्तर पर लखनऊ मे पहली बार एक ग्रामीण युवती समारोह का आयोजन इसलिए किया गया ताकि उन्हे इसका अवसर मिल सके कि वे अपनी कलात्मक एव सृजनात्मक प्रवृत्तियो का प्रदर्शन, शारीरिक, सास्कृतिक और दस्तकारी की प्रतियोगिताओ मे भाग लेकर कर सकें। ७०० ग्रामीण बालिकाओ ने इस समारोह मे भाग लिया ।

कानपुर का शिशु पालन-गृह--

कानपुर में विभाग एक शिशुपालनगृह का संचालन कर रहा था जिसमें ४० बच्चो के लिए जगह थी । यह गृह मध्यमवर्ग की उन माताओ के लिए था जो काम पर जाते समय अपने बच्चो को शिशु पालन-गृह में छोड जाती थी ।

बाल अधिनियम, १९५१

बाल अधिनियम, १९५१, के अधीन आगरा मे २० और वाराणसी मे ६० बाल सेवा समितियां सगठित की गयी ।

गृहविज्ञान शाखा

रुद्रपुर (नैनीताल) और दोहाई (मेरठ) मे २ नये गृहविज्ञान विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये । इस प्रकार इनकी सख्या ८ हो गयी । आलोच्य वर्ष में इन प्रशिक्षण केन्द्रो मे २४३ ग्राम सेविकाओ को प्रशिक्षित किया गया ।

निगरानी योजना

निगरानी योजना के अन्तर्गत, सस्थाओ द्वारा देखरेख से पृथक, चरित्रसुधार देखरेख की भी व्यवस्था है जिसके अनुसार व्यक्तियो से निजी सम्पर्क और उनके चरित्र की यदाकदा जांच करके सहानुभूति-पूर्वक पथ-प्रदर्शन किया जाता है ।

आलोच्य वर्ष मे यह अधिनियम राज्य के २ और नगरो मे लागू किया गया जिससे अधिनियम के अन्तर्गत आनेवाले जिलो की संख्या २२ हो गयी ।

उत्तर प्रदेश महिला और बाल संस्था (नियन्त्रण) अधिनियम, १९५६

आलोच्य वर्ष मे बन्द की गयी संस्थाओं के २९ सदस्यो का स्थानान्तरण लाइसेंस शुदा संस्थाओ को किया गया और इन संस्थाओ को ६,०९१ रुपया निर्वाह भत्ते के रूप में दिया गया ।

महिलाओं और बालिकाओ का अनैतिक व्यापार (दमन) अधिनियम, १९५६

महिलाओ और बालिकाओ का अनैतिक व्यापार (दमन) अधिनियम, १९५६ के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य किये गये :—

१—रजिस्टर किये गये मुकदमो की सख्या	..	..	८०
२—चालान किये गये व्यक्तियो की सख्या	..	..	१७४
३—दोष प्रमाणित होने वाले मुकदमो की सख्या	..	..	११
४—दोषी प्रमाणित व्यक्तियो की सख्या	..	..	१३
५—खारिज होने वाले मुकदमो की सख्या	..	..	११
६—विचाराधीन मुकदमो की सख्या	..	..	५८

(इस अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित रक्षागृहो से सबधित विवरण पहले दिया जा चुका है ।)

प्रशासकीय ढांचा—

समाज कल्याण का कार्य सन्तोषपूर्वक ढग से चलता रहा और समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत कुछ अतिरिक्त कार्यक्रम भी आ गये । यू० पी० फर्स्ट आफेन्डर्स प्रोबेशन ऐक्ट, १९३८ से सबधित कार्य जो पहले यू० पी० के जिलो के इसपेक्टर जनरल के प्रशासकीय नियन्त्रण में होता था ३ जून, १९६० से समाज कल्याण निदेशक के प्रशासकीय नियंत्रण मे कर दिया गया । यू० पी० बाल अधिनियम, १९५१ को लागू करने से सबधित कार्य भी जिसे पहले गृह विभाग देखता था मई, १९६०, से समाज कल्याण विभाग को सौंप दिया गया । बुजुर्ग और अनाथ शरणार्थी महिलाओ के लिए स्थापित गृह के प्रशासन का कार्य जो पहले सहायता एवं पुनर्वास विभाग में होता था, १ सितम्बर से समाज कल्याण विभाग मे होने लगा ।

विभाग को मुख्यत तीन अनुविभागो का—पुरुष, महिला और युवक-कार्य देखना पडता था । इन तीन शाखाओ से संबधित सभी योजनाओ का कार्य उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण के निदेशक के प्रशासकीय नियंत्रण मे होता था ।

महिलाओ और बालिकाओ का अनैतिक व्यापार (दमन) अधिनियम, १९५६ की धारा २१ के अधीन स्थापित ५ नये रक्षागृहो के लिए ५ अधीक्षक के पदो का २५० रु०—२५—३७५—ई० बी०—२५—५०० रुपये वेतन-क्रम मे सृजन किया गया ।

३—हरिजन उत्थान एवं सुधार

हरिजन सहायक विभाग ने अस्पृश्यता के निवारण का अपना कार्यक्रम चालू रखा । यह कार्य तीन प्रकार से होता रहा—(१) कानून द्वारा (२) सामाजिक शिक्षा द्वारा, जिसमे समझा-बुझाकर और शिक्षा देने के साधन अपनाये गये, और (३) ऐसे अवसर प्रदान करके जिनसे शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रो मे लोग आत्म-विकास और आर्थिक-जीवन तथा दैनिक जीवन की परिस्थितियो मे सुधार कर सके । आलोच्य वर्ष मे विभाग के कार्य कलाप मे काफी वृद्धि इसलिये हो गई कि यह वर्ष द्वितीय पचवर्षीय योजना का अतिम वर्ष था और उसे वर्ष भर के कार्य के अतिरिक्त पिछले सालो मे रह गयी कमी को भी पूरा करना पड़ा । १९६०–६१

में कुल २३१.८७ लाख रुपये खर्च किये गये । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्य सभी वर्षों के मुकाबले में यह धनराशि अधिक थी । (१९५८-५७ में ११८.३६ लाख रुपये खर्च हुए थे) ।

प्रशासकीय ढांचा

आलोच्य वर्ष में विभाग के प्रशासकीय ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। निदेशक की, जो उत्तर प्रदेश सरकार के हरिजन सहायक विभाग के पदेन उपसचिव भी रहे सहायता दो उप-निदेशक, तीन सहायक निदेशक और ५२ जिला हरिजन कल्याण अधिकारी (जिनमें मुख्यालय के अधिकारी भी सम्मिलित है) और एक अकाउन्ट्स अफसर ने की । बस्तियो और प्राविधिक शिक्षा केन्द्रों की संस्थाओं मे वही कर्मचारी रहे । विमोचित जातियो के पुनर्वास वाली बस्तियों से संबंधित अमला उनके पूरे हो जाने के कारण हटा लिया गया । जिला नैनीताल के मालधन चौर नामक स्थान पर ३८५ हरिजन परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था करने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की गयी ।

शिक्षा संबंधी सुविधाएं

सन् १९६०-६१ में विकास योजनाओं पर १,०७,४८,६७९ रुपये खर्च किये गये । इसमें का अधिकांश भाग, स्टाइपेंड, छात्रवृत्ति, परीक्षा-शुल्क, पुस्तकें आदि शिक्षा संबधी सुविधाएं प्रदान करने के लिए रखा गया । परिगणित जाति के विद्यार्थियो को पढ़ाई, खेलकूद एवं अन्य फीसों में छूट देने के फलस्वरूप शिक्षा संस्थाओं को जो आर्थिक हानि उठानी पड़ी, उसको पूरा करने के लिए उन्हें आलोच्य वर्ष में ५७ ५२ लाख रुपये का व्यय वहन करना पडा । इस योजना के अनुसार कुल ६,९३,९९० विद्यार्थी लाभान्वित हुए । परिगणित तथा अन्य पिछड़े जातियो के विद्यार्थियो को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली छात्रवृत्तियो और अनावर्तक सहायता के रूप में ५० ९३ लाख रुपया दिया गया। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत जिन विद्यार्थियो को लाभ हुआ उनकी संख्या १६,७५३ थी । पिछड़े वर्गों जिनमे मोमिन अन्सार सम्मिलित हैं और विमोचित जातियो के विद्यार्थियो को छात्रवृत्ति दिये जाने में क्रमशः १७ ८० लाख और ७ ४६ लाख रुपये व्यय हुए ।

ऊपर लिखी जातियो के हाई स्कूल श्रेणी तक के विद्यार्थियो को छात्रवृत्ति एवं अनावर्तक सहायता जिला स्तर पर जिला हरिजन सहायता समिति द्वारा दी गयी । हाई स्कूल श्रेणी के ऊपर वाले विद्यार्थियो को हरिजन कल्याण विभाग ने सीधे छात्रवृत्तियां दी । इसी प्रकार परिगणित जाति के विद्यार्थियो को पढाई, खेलकूद इत्यादि की फीसो से छूट देने के फलस्वरूप हायर सेकेन्डरी स्कूलो को होने वाली आर्थिक हानि की पूर्ति स्कूलो के जिला निरीक्षको द्वारा की गयी और अन्य संस्थाओ की हानि की पूर्ति जिनमे इससे ऊंची अथवा प्राविधिक शिक्षा दी जाती थी हरिजन सहायक विभाग ने स्वयं की ।

प्राविधिक प्रशिक्षण

हरिजन सहायक विभाग द्वारा चलाये जाने वाले गोरखपुर, नैनीताल और बख्शी का तालाब (लखनऊ) स्थित प्राविधिक प्रशिक्षण केन्द्रों में परिगणित एव अन्य पिछडी जातियो के विद्यार्थी नि:शुल्क प्राविधिक शिक्षा प्राप्त करते रहे । १९५९-६० के प्रारम्भ से नैनीताल केन्द्र में ओवरसियरी की शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों को वहां से हटा कर पावर डिपार्टमेंट द्वारा चलाये जाने वाले स्कूल में रख दिया गया । नैनीताल केन्द्र मे मोटर मैकेनिकों और एलेक्ट्रीशियनो के पाठ्यक्रमो का और बढईगीरी और दर्जीगीरी सिखाने का प्रबन्ध किया गया । बख्शी का तालाब (लखनऊ) में मोल्डिंग, बढ़ईगीरी, लोहारी, कैलिको की छपाई और दर्जीगीरी की कक्षाएं तथा टर्नर, एलेक्ट्रीशियन और मोटर मैकेनिक की कक्षाएं जारी रहीं । गोरखपुर केन्द्र मे ट्यूबवेल आपरेटरो, एलेक्ट्रीशियनो और जेनरल मैकेनिको की कक्षाए चलती रही । हरिजन विद्यार्थियो को प्राविधिक प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त, इन सस्थाओ द्वारा

अस्पृश्यता निवारण का कार्य इस रूप में होता रहा कि वे कुल भर्ती होने वाले विद्यार्थियो की सख्या के ३० प्रतिशत ऐसे गैर-हरिजन विद्यार्थियो को प्रवेश देती रही जो हरिजन विद्यार्थियो के साथ रहने और खाने-पीने को तैयार थे । परिगणित जातियो के उन विद्यार्थियो को भी जो ट्रेनर अथवा मिस्त्री प्रशिक्षण पा रहे थे या जो शार्ट हेन्ड और टाइप करना सीख रहे थे छात्रवृत्तियां और अनावर्तक सहायताएं दी गयी ।

अस्पृश्यता निवारण

अस्पृश्यता निवारण के लिए उठाये गये विभिन्न कदमो मे से राज्य भर मे एक अस्पृश्यता विरोधी सप्ताह मनाना भी था ।

एक समान कार्यक्रम सभी जिलो के लिए बनाया गया जिसमे निम्नलिखित कार्य सम्मिलित थे.—

१—ग्रामीण क्षेत्रो में उचित प्रचार,

२—अस्पृश्यता निवारण मे सामाजिक कार्यकर्ताओ और स्वैच्छिक सगठनो के सहयोग,

३—सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओ द्वारा विशेष निर्माण-कार्य का निर्धारण,

४—अस्पृश्यता निवारण करने मे शिक्षा सस्थाओ द्वारा विशेष सहायता,

५—अन्तर्जातीय भोजन एव मनोरजन के कार्य-क्रमो की व्यवस्था ।

आलोच्य वर्ष में प्रचार पर कुल ६४,३६४ रु० व्यय किये गये । गाधी जयन्ती समारोह के सिलसिले में हर साल अस्पृश्यता निरोधक सप्ताह मनाने के लिए उपयुक्त कदम उठाये गये । १९६०—६१ की अवधि में उन स्वैच्छिक सगठनो को, जो राज्य में अस्पृश्यता के कारण तथा अनुसूचित जातियो के उन्नयन सबधी उपयोगी काम कर रहे थे, शिविर और सम्मेलन आयोजित करने तथा अन्य विकास कार्यों के लिए ३४,००० रु० का अनुदान दिया गया ।

आर्थिक उन्नति आदि

पिछडे वर्गों की रहन-सहन की स्थिति सुधार के उद्देश्य से अनुसूचित जातियो को पीने के पानी की व्यवस्था और अनुसूचित जातियों तथा अविज्ञापित जातियो को मकानो के निर्माण तथा सुधार के लिए सहायतार्थ अनुदान का प्राविधान किया गया । अनुसूचित जाति के लोगो को मकान की जमीन खरीदने के लिए सहायता दी गयी ।

लघु-उद्योग शुरू करने तथा अनुसूचित जातियो एवं अविज्ञापित जातियो को बैल, खेती के औजार तथा भूमि सुधार सबधी कार्यो के लिए सहायता देने हेतु भी आवश्यक व्यवस्था थी ।

वर्ष भर मे अनुसूचित जातियो के क्षय रोगियो के उपयुक्त उपचार तथा उत्तर रक्षा पर सहायतार्थ अनुदान देने के लिए १५,००५ रु० की धनराशि व्यय की गयी ।

राज्य के अविकसित ग्रामीण क्षेत्रो की उन्नति के लिए केन्द्रीय सरकार ने १९५९—६० तथा १९६०—६१ के लिए कुछ योजनाओ को स्वीकार कर लिया था जिन पर ५५ लाख रुपये व्यय होने थे । इस पूरी धनराशि मे से मिर्जापुर जिले के दुद्धी और रावर्ट्सगंज क्षेत्रो को पेय जल की समस्या तथा उस क्षेत्र के अधिवासियो तथा अन्य पिछडी जातियो की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए १३.१०७ लाख रुपये व्यय करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया । कुमायू डिवीजन के पहाडी जिलो मे मेहतरो के क्वार्टरो के निर्माण के लिए ५ लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी । सबधित नगरपालिकाओ की देख रेख मे इन क्वार्टरो का निर्माण हो रहा था । विकास खंडो से पक्का कुआ बनाने के लिये कर्ज लेने वाले किसानो को आर्थिक सहायता देने के लिए कुछ विशेष पिछडे हुए जिलो को १२ ४२ लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गयी ।

आश्रम के ढंग के स्कूल

गत वर्ष आश्रम के ढंग के जो दो स्कूल चलाये गये थे--एक लखनऊ जिले के काकोरी में तथा दूसरा इलाहाबाद के हरिजन आश्रम में--वे इस वर्ष भी चालू रहे। अविज्ञापित जातियो के बच्चो को इन स्कूलो मे निवास, भोजन तथा शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था की गयी। आश्रम के ढंग के इन स्कूलो को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य अविज्ञापित जातियो के बच्चो को उनके माता-पिता के कुप्रभाव से दूर रखना था। अखिल भारतीय अपराध निरोधक संस्था, काकोरी स्कूल का प्रबध कर रही थी और हरिजन आश्रम, इलाहाबाद, इलाहाबाद के स्कूल का प्रबंध कर रहा था। इन दोनो सस्थाओ को कुल १,३६,०६८ रुपये का अनुदान दिया गया। इन स्कूलो मे कुल १७० विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। इस वर्ष में ऐसे तीन और स्कूल--हरद्वार, रामपुर, तथा गोरखपुर में खोलने के लिए प्रारंभिक कार्यवाही की गयी।

बस्तियो मे अविज्ञापित जातियों को सुविधाएं

अविज्ञापित जातियो के उन सदस्यो के हित की देखभाल के लिए, जो अपराधी जातियो की बस्तियो मे रहते है, हरिजन सहायक विभाग, कल्याणपुर (कानपुर), गोरखपुर और मुरादाबाद की तीनो बस्तियो का प्रबध करता रहा। इन बस्तियो के निवासियो को, उनके बच्चो को दी जाने वाली सुविधाओ के अलावा कृषि-भूमि भी दी गयी। कल्याणपुर में एक कपड़े की सिलाई का कारखाना चलाया जा रहा था जिसमे मुख्यत पुलिस के कपडे तैयार किये गये। मुरादाबाद मे एक बुनाई का कारखाना था जिसमे बस्ती के निवासियो को रोजी मिली थी। इन बस्तियों के ५१० निवासियो तथा अन्य जिलो के लोगो को खीरी, मथुरा, बहराइच और इटावा जिलो मे भूमि तथा उद्योग मे लगाने के लिए प्रयास किये गये। इस वर्ष मे मैनपुरी, एटा, बाराबकी और शाहजहापुर जिलो मे बस्तियो की स्थापना के लिए २,५०,४२० रुपये के अनुदान स्वीकृत किये गये। वर्ष की समाप्ति तक ये योजनाए लगभग पूरी हो गयी थी।

मलधान चौर, जिला नैनीताल मे शिल्पकारो का पुनर्वासन

गत वर्ष भारत सरकार ने एक विशेष अनुदान स्वीकृत किया था जिसकी सहायता से हरिजन सहायक विभाग ने कुमायू डिवीजन के ३८५ शिल्पकार परिवारो को, जिनके पास आजीविका का कोई साधन नही था, बसाने की एक प्रमुख योजना को कार्यान्वित किया। यह योजना १६५७-५८ मे ३०,००० रुपये के छोटे से अनुदान से शुरू की गयी थी। राजस्व विभाग द्वारा दी गयी २,१६० एकड भूमि के विकास हेतु बसने वालो को आर्थिक सहायता देने के लिए उक्त अनुदान को राजस्व परिषद् को सौप दिया गया। १६५८-५६ की अवधि में ५०,००० रु० का दूसरा अनुदान गृह-निर्माण एव कृषि की उन्नति के लिए दिया गया। १६५६-६० की अवधि मे इस योजना के प्रबध के लिए हरिजन सहायक विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया। १६५६-६० तथा १६६०-६१ मे भारत सरकार ने ५ ५० लाख रुपये की धनराशि इस योजना को पूरा करने के लिए स्वीकृत की। इस सहायता से ३८५ गृहो, सिचाई तथा पीने के पानी के कुओ का निर्माण, भूमि को ट्रैक्टरो मे जोतने आदि की व्यवस्था सभव हुई। ६ औद्योगिक सहकारी समितियो और एक यूनियन की रजिस्ट्री एव स्थापना हुई और उनको ३७,५०० रु० की धनराशि ग्रामीण उद्योग शुरू करने के लिए दी गयी। बसने वालो को बैल खरीदने के लिए १,१५५ लाख रुपये की धनराशि दी गयी। इस योजना को पूरे जोर-शोर से चलाने के लिए वहा एक अधिकारी तथा उसके कर्मचारियो की नियुक्ति हुई।

सेवाओं मे प्रतिनिधित्व

सेवाओ मे अनुसूचित जातियो के प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर और ध्यान दिया गया। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री राधाकृष्ण की अध्यक्षता में एक समिति सेवाओ में अनुसूचित जातियो के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व की जाच करने तथा इस प्रतिनिधित्व में वृद्धि करने और अनुसूचित जातियों के सदस्यो के सुरक्षित प्रतिशत तक इनका प्रतिनिधित्व लाने के उपायों

के संबंध मे सिफारिश करने के लिए, बनाई गई । समिति ने अपनी सिफारिश सरकार को प्रस्तुत कर दी और वर्ष की समाप्ति तक वह सरकार के विचाराधीन रही ।

४—सहायता तथा पुनर्वास

सामान्य

१९६०–६१ मे सहायता एव पुनर्वास विभाग के नाना प्रकार के कार्य-कलाप पर पटाक्षेप हुआ । पिछले १३ वर्षों से यह विभाग कार्य कर रहा था । इसका उद्देश्य पाकिस्तान से आये विस्थापितो को आरम्भिक सहायता देना तत्पश्चात् उनके स्थायी पुनर्वासन की व्यवस्था करना था, जो कि अधिकाशत पूरा किया जा चुका था । १९६१-६२ के वित्तीय वर्ष में अवशिष्ट काम पूरा हो जाने की आशा थी ।

विस्थापित लोग अबतक लगभग बस चुके थे और अब यह महसूस किया जाने लगा कि कुछ समय तक उनके हितो की रक्षा आवश्यक हो सकती है, पर यह पूर्ण वाछनीय न होगा कि उनके ऊपर विशेष कृपा रखी जाय, क्योंकि इससे उनमे अलगाव की भावना पनपेगी जो उनके पूर्णरूप मे पुनर्वासित होने के क्रम मे बाधक होगी । पूर्ण पुनर्वासन तभी हो सकेगा जब विस्थापित अन्य जनता मे घुल-मिल जायेगे और आम जनता के दृष्टिकोण से अपनी समस्याओ को देखना सीखेंगे । देश के पुनः निर्माण की सामान्य समस्याओ के अभिन्न अग के रूप में ही विस्थापितो की समस्याओ पर विचार किया जा सकेगा और शेष जनता की विकास योजनाओ के साथ पुनर्वास सबधी अवशेष कार्यों को मिला देने से ही उनके हितो की रक्षा हो सकेगी । अतएव इस अवधि मे विस्थापितो से सबन्धित बहुत से कार्य अन्य विभागो को हस्तातरित कर दिये गये । इसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है :--

हस्तान्तरित काम का स्वरूप		विभाग का नाम जिसे काम सौंपा गया
१—विस्थापित विद्यार्थियो की वित्तीय सहायता	.	शिक्षा विभाग
२—विस्थापित विद्यार्थियो के हित की रक्षा करने वाली शैक्षिक सस्थाओ को सहायतार्थ अनुदान	..	शिक्षा विभाग
३—गृहो मे विस्थापित महिलाओ का रख-रखाव		समाज कल्याण विभाग
४—गृहो के बाहर रहने वाले लोगो को नकद भत्ता अनुदान	..	समाज कल्याण विभाग

अवशेष कार्य

इस वर्ष के अन्त तक जो काम हुआ और जितना अवशेष रहा उसका तखमीना नीचे दिया जा रहा है.—

पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापितो का भूमि पर पुनर्वासन

शुरू मे राज्य सरकार उत्तर प्रदेश पूर्वी पाकिस्तान से आये ३,००० विस्थापित परिवारो को पुनर्वासित करने के लिए सहमत थी, पर भारत सरकार के कहने पर सरकार ने इस सख्या को बढ़ा कर ५,००० करने का निश्चय किया । पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापितो के पुनर्वासन के हेतु बहुत सी योजनाए वित्तीय सहायता के लिए भारत सरकार को प्रस्तुत की गयीं । उसने ३० योजनाएं स्वीकृत कीं, जिनका उद्देश्य ४,३२७ परिवारो को पुनर्वासन प्रदान करना था । प्रदेश के बहुत से जिलो में इन परिवारों को बसाना था । बाद में भारत सरकार ने यह महसूस

किया कि यदि इनमे से कोई योजना १९६१–६२ के अन्त तक पूरी तौर से कार्यान्वित न हो सके तो यह उचित होगा कि उसे त्याग दिया जाय। इस सम्बन्ध मे मई, १९६१ में निर्णय लिया गया। इसलिए कुछ स्वीकृत योजनाएं कार्यान्वित नही हुई और दूसरी अन्य योजनाओ के अन्तर्गत विस्थापित परिवारो की संख्या कम कर दी गयी।

इस प्रकार सरकार ने लगभग २८ योजनाओ को कार्यान्वित किया जिनका उद्देश्य ३,८४३ परिवारो को बसाना था। इस काम के लिए चुने गये जिलो के नाम तथा हर का एक को सुपुर्द किये गये परिवारो एवं योजनाओ की सख्या निम्नलिखित है :—

जिले का नाम		योजनाओ की सख्या	पुनर्वासित होने वाले परिवारो की सख्या
१—नैनीताल ..	..	६	१,३८६
२—पीलीभीत ..	..	१५	१,५१६
३—रामपुर ..	.	१	१६०
४—बहराइच ..	..	३	३००
५—बिजनौर ..	..	२	२९१
६—बरेली ..	..	१	१६०
योग	..	२८	३,८१३

वर्ष के अन्त तक ३,८१३ परिवारो मे से २,६९३ बगाली परिवार निम्नांकित जिलो म पुनर्वास के लिए आये थे :—

जिले का नाम				परिवार
१—नैनीताल	..	..	..	१,११९
२—पीलीभीत	..	..	..	८५८
३—रामपुर	..	..	..	१५३
४—बिजनौर	..	..	..	२८४
५—बहराइच	..	..	..	२७९
	योग	..		२,६९३

शेष परिवारो के लिए भूमि अधिग्रहण करने, मकानो का निर्माण करने और भूमि को ट्रैक्टर से जोतने का कार्य चालू था और यह आशा थी कि १९६१–६२ के अन्त तक ये परिवार भी आ जायेंगे।

पुनर्वास हेतु प्रत्येक परिवार को निम्नलिखित सहायता दी गयी :—

(क) ५ से ८ एकड भूमि,

(ख) बुआई की आरम्भिक लागत तथा बैल एवं कृषि औजारो के क्रय के हेतु ५०० रु० का ऋण दिया गया,

(ग) रख-रखाव सम्बन्धी सहायता यह सहायता ९ माह के लिए दान के रूप में स्वीकृत की जाती थी। यह अवधि शिविर छोडने की तारीख से या पहली फसल की कटाई की तारीख से जो भी पहले पड़ती थी, उससे गिनी जाती थी। भारत सरकार द्वारा निर्धारित माप के अनुसार हर प्रौढ को प्रतिमास १३, रु० ३ से ८ साल के हर बच्चे को हर मास ८ ६० रु० और इससे कम उम्र के बच्चो को हर मास ५ रु० दिया जाता था। पर हर दिशा में यह दान अधिक से अधिक प्रति परिवार

४० रु० था। पर यह दान उन बडे परिवारो के लिए प्रति परिवार प्रति मास ६० रु० तक बढ़ाया जा सकेगा जिन्हे शिविरो मे ऊंची दरो पर नकद दान मिलते थे)।

(घ) एक क्वार्टर जिसमे एक कमरा, एक बरामदा और एक रसोईघर और जिसकी लागत लगभग १,५५० रु० और १,६०० रु० के बीच मे आती थी, की व्यवस्था की गयी। (सम्बन्धित परिवार के लिए यह लागत ऋण के रूप मे मान ली जाती थी)।

(ङ) भूमि को ट्रेक्टर से जोतने तथा दो पटेला देने के लिए ६ रु० प्रति एकड़ के हिसाब से अतिरिक्त ऋण की व्यवस्था।

विस्थापितो के पुनर्वासन मे भूमि देने, निवास-गृहों के निर्माण और कृषि के लिए परिवारो को आर्थिक सहायता देने का ही काम नही था, अपितु अन्य सहायताएं भी है जिसमे बाजार तक आदमियो तथा सामान ले जाने की सडक की सुविधा और शिक्षा एवं चिकित्सा की पर्याप्त सुविधाएं सम्मिलित है। ऊपर लिखित २८ स्वीकृत योजनाओ मे समय-समय मे जो कुछ सुविधाए स्वीकृत की गयी, वे निम्नांकित है :--

१--सड़कें	४७
२--पीने के पानी के कुएं	५८
३--चिकित्सा सुविधाएं--	
(क) अस्पताल	३
(ख) औषधालय	३
४--स्कूल--	
(क) प्राइमरी	२१
(ख) जूनियर हाई स्कूल	३
(ग) पंचायतघर	१
(घ) घेराबन्दी (फेंसिग)	३० मील

१--पूर्वी पाकिस्तान से आयी निराश्रित विस्थापित महिलाओ तथा लड़कियो का पुनर्वास--नवम्बर, १९५३ मे डालीगज, लखनऊ मे एक उत्पादन केन्द्र स्थापित हुआ। इसमें उन पूर्वी पाकिस्तान से आयी निराश्रित एव असहाय विस्थापित महिलाओ का पुनर्वासन हुआ जो चुनार के आवास उद्योग गृहो मे आमदनी वाले व्यवसायो एव धधो मे प्रशिक्षित हो चुकी थी। इस हर उत्पादन केन्द्र मे जिसमे शुरू मे ९८ प्रशिक्षार्थी थे, अब ५४ प्रशिक्षार्थी ही रह गये। निराश्रित विस्थापित महिलाओ का पुनर्वासन निम्न प्रकार से हुआ :--

१--विविध धंधो मे प्रशिक्षित लोगो के लिए काम की व्यवस्था,

२--जवान लडकियों के विवाह का प्रबन्ध,

३--आवश्यक प्रशिक्षण एवं अभिरुचि रखने वालो के लिए रोजगार की व्यवस्था,

४--उनके आश्रितो को शिक्षित करके और विभिन्न प्रकार के उद्योग-धधो में जवान लडको को प्रशिक्षित करके परिवार की जिम्मेदारियो को लेने के योग्य बनाना।

जिन परिवारो का पुनर्वासन न हो सका वे भी आत्म निर्भर हो रहे थे। यह आशा की गयी कि वे भी कुछ ही वर्षो में सरकार पर भार स्वरूप नही रहेगें। पुनर्वास सम्बन्धी गृह-निर्माण राज्य सरकार ने विस्थापितो के लिए दुकाने बनाने हेतु ६०,००० रु० की ऋण नगरपालिका काशीपुर, नैनीताल, तथा २,५०,००० रु० का ऋण नगर महापालिका वाराणसी को दिया। १९६०-६१ की अवधि मे पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापितो के लिए काशीपुर नगर पालिका ने ७७ दुकाने बनवायी। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इलाहाबाद

की नैनी उद्योग बस्ती, मेरठ की गोविन्दपुरी नयी बस्ती मे, लखनऊ के बटलर पैलेस और रुड़की की रामनगर बस्ती मे विकास सम्बन्धी कार्य किया।

इवैकुई इंटरेस्ट (सेपरेशन) ऐक्ट, १९५१—मिश्रित विस्थापित सपत्ति में मिश्रित विस्थापित एव अविस्थापित हितो के विलगाव की व्यवस्था करने के दृष्टिकोण से केन्द्रीय कानून, जिसे इवैकुई इटरेस्ट (सेपरेशन) की सज्ञा दी गयी, १९५१ मे बनाया गया। उत्तर प्रदेश इवैकुई इंटरेस्ट (सेपरेशन) अनुपूरक ऐक्ट, १९५३ ने उसका अनुगमन किया। (३ से १५ दिसम्बर, १९५२ से लागू किया गया) उत्तर प्रदेश इवैकुई इंटरेस्ट (सेपरेशन) अनुपूरक कानून, १९६० के द्वारा भी कानून मे एक संशोधन किया गया, जो १५ अक्तूबर, १९६० से लागू किया गया।

इस कानून को लागू करने के उद्देश्य से राज्य को दो वृत्तो मे बांटा गया जिसके रीजनल हेडक्वार्टर लखनऊ और मेरठ थे। राज्य के न्यास सेवाओ के दो अधिकारियों को समर्थ अधिकारी के रूप मे नियुक्त किया गया और इन हेडक्वार्टरो पर रखा गया। समर्थ अधिकारियो के अतिरिक्त राज्य सरकार ने ग्रामीण सम्पत्ति की बिक्री की देखभाल करने के लिए एक बिक्री अधिकारी की भी नियुक्ति की। इस कानून के अन्तर्गत पूरे किये जाने वाले कार्य का बहुत बड़ा हिस्सा वर्ष की समाप्ति तक पूरा किया जा चुका था।

क्लेम (दावा) संगठन—भारत सरकार के पुनर्वास मंत्रालय ने क्लेम संगठन को मई, १९६०, मे सीधे अपने अधिकार मे ले लिया।

अध्याय ८
स्थानीय निकायों के कार्यकलाप
१–पंचायते

सामान्य

आलोच्य वर्ष मे तीसरी पचवर्षीय योजना, जन-गणना, और पंचायत चुनाव की तैयारी मे व्यस्त रहने के बावजूद गाव पचायतो ने गत वर्ष की अपेक्षा अधिक रचनात्मक कार्य किया। रचनात्मक कार्यो की स्थिति मे जो सुधार हुआ उसका श्रेय सरकार की नीति को है। गाव पचायतो के खाते विकेन्द्रित कर दिये गये और हर गांव पचायत ने निकटतम डाकखाने मे सेविंग बैंक मे अपना खाता खोल लिया। धन की आवश्यकता पडने पर प्रधान को रुपया निकालने का अधिकार था। नियोजन विभाग ने संचार-साधन एव जन-स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य के लिए बिना किसी शर्त के एक ही बार गाव पचायतो को अनुदान दिया। इन सुविधाओ ने गाव पचायतो को अपने बल पर काम करने का अवसर प्रदान किया।

जल-सप्लाई एवं स्वच्छता आदि

आलोच्य वर्ष मे गाव-पचायतो ने पानी पीने के १५.०४१ कुएं बनवाये और २१,३०६ हृण्ड पम्प लगवाये। पानी पीने के २२,५२१ पुराने कुओ की मरम्मत की गयी।

अपने क्षेत्रो मे गाव पचायतो ने १,२२,०६१ सोख्ते और ११,०४४ शौचालय बनवाये।

सड़के, गलियां आदि

इस वर्ष मे ३९१ मील पक्की तथा २,९३२ मील कच्ची सडके बनवायी गयी। ५१० मील पक्की तथा १०,३२५ मील कच्ची सडको की मरम्मत की गयी। गाव की गलियो मे कुल ४१३ मील लम्बाई मे खडजे लगाये गये।

पंचायतघर

इस अवधि मे क्रमश: ८७९ पंचायतघर तथा ९४२ स्कूलो की इमारते बनायी गयी।

शिक्षा

इस अवधि मे गांव पंचायतो ने ३,५६१ पुस्तकालय स्थापित किये और ९०५ रेडियो सेट खरीदे।

कृषि एवं अन्य कार्य-कलाप

गाव पंचायतो को तीसरी पचवर्षीय योजना की रूप-रेखा तैयार करने का काम दिया गया और उन्होने ग्राम-योजनाए बनायी। रबी और खरीफ अभियान चलाने की योजना बनी और उसे गाव पचायतो ने कार्यान्वित किया। इस अवधि मे कुछ पंचायतो ने अपने-अपने क्षेत्रो मे गेहू तथा धान की औसत उपज मे वृद्धि करने के सराहनीय कार्य किये। उन्होने ३९,३४,२७५ फलदार वृक्ष तथा ३५,९२,३५९ ईधन के वृक्ष लगाये।

कुछ गांव पंचायतो ने जलाशयो और रेगुलेटरो का भी निर्माण कराया और कुछ ने सिंचाई हेतु नहरे खुदवायी। कुछ पचायतो ने पम्पिग सेट लगवाये और पानी निकासी हेतु नाले खुदवाये।

श्रमदान

विगत वर्षों की भांति गांव पंचायतो के सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में जनता का सन्तोषजनक सहयोग था। इस अवधि में १,३४,६७,८०० रुपये की कीमत का श्रमदान हुआ। जनता द्वारा दिये गये नकद चन्दे तथा अन्य प्रकार के चन्दों की सम्मिलित कीमत, १,२५,०२,७४६ रुपये आयी। इस अवधि मे जनता के चन्दे मे जो थोडी-बहुत कमी आयी उसका प्रमुख कारण यह था कि दिसम्बर, १६६० तथा जनवरी-फरवरी, १६६१ के महीनो मे लोग पंचायत के चुनावों में व्यस्त थे।

२—नगर महापालिकाएं

प्रदेश के पांच महानगरो—कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद और लखनऊ मे नगर महापालिकाओ की स्थापना के फलस्वरूप महापालिकाओ की परिधि मे नये क्षेत्र सम्मिलित कर लिये गये। इसके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रो मे बहुत-सी समस्याएं उत्पन्न हो गयी जैसे नये स्कूलो, चिकित्सालयो और औषधालयो की व्यवस्था और सफाई, जल-सप्लाई, रोशनी, भवनो का निर्माण, सड़के, जल निकासी की व्यवस्था, आदि। विविध समस्याएं जो उनके सम्मुख आयी और कठिनाइयाँ जिनमे प्रमुख धनाभाव की कठिनाई थी, इन सबके होते हुए भी नगर महापालिकाओ ने जनता को आवश्यक सुविधाए देने का प्रयास किया और इस दिशा मे सराहनीय काम किया। १६६०-६१ की अवधि मे विविध क्षेत्रो, जैसे शिक्षा, जनस्वास्थ्य एवं सफाई, सड़कों एवं भवनो के निर्माण आदि, में उल्लेखनीय प्रगति हुई। इस अवधि मे महापालिकाओ द्वारा सम्पादित कुछ मुख्य कार्यो का विवरण नीचे दिया जाता है:—

शिक्षा

अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा योजना के अधीन कानपुर नगर महापालिका ३२५ स्कूल चला रही थी जिसमे लड़को के १६१ तथा लडकियो के १६४ स्कूल थे। इन स्कूलो मे ६३,००० से अधिक लडके और लड़कियां शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। महापालिका लडको के ६ जूनियर हाई स्कूल तथा लड़कियो के १० जूनियर हाई स्कूल चला रही थी जिनमे लगभग ४,०६८ लड़के और लडकियां शिक्षा पा रहे थे। साथ ही यह महिलाओ का एक नार्मल स्कूल भी चला रही थी। प्रौढो के लिए १२ स्कूल थे। इनके अतिरिक्त लडको के चार तथा लड़कियों के तीन कालेज थे। इन कालेजो मे लगभग ४,७६४ लडके और लडकियां शिक्षा पा रहे थे। नगर मे एक मांटेसरी स्कूल भी था जिसमे ३०० बच्चे शिक्षा पा रहे थे। इन शैक्षिक सस्थाओ के अतिरिक्त महापलिका एक सगीत महाविद्यालय भी चला रही थी। महापालिका की परिधि में आये नये ग्रामीण क्षेत्रो के लिए १८ नये स्कूलों के निर्माण की व्यवस्था भी महापालिका ने की।

आगरा नगर महापालिका लड़को के १०३ और लड़कियो के २४ स्कूल चला रही थी। इनमें दो उच्चतर माध्यमिक स्कूल भी सम्मिलित थे। इन संस्थाओ मे लगभग २१,८५० लडके और लड़कियां शिक्षा पा रहे थे। अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा योजना भी चालू थी। १६ स्कूलो मे छात्रो को दोपहर में दूध देने की व्यवस्था की गयी।

वाराणसी नगर महापालिका लड़को के ८६ बेसिक स्कूल, लडकियों के १८ बेसिक स्कूल, लड़को के ६ तथा लड़कियो के ५ जूनियर हाई स्कूल, १ इन्टर कालेज, १ महिला उद्योग केन्द्र और एक चमड़ा उद्योग स्कूल चला रही थी।

इलाहाबाद नगर महापालिका की अधिकार परिधि क्षेत्र मे ६ से ११ वर्ष तक के बच्चो को अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा दी जा रही थी। महापालिका नर्सरी एवं प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, प्रौढो के लिए हाई स्कूल, व्यायामशालाएं, महिला शिल्प भवन और चमड़ा उद्योग स्कूल चला रही थी।

लखनऊ नगर महापालिका १०४ बेसिक तथा ३ जूनियर हाई स्कूल चला रही थी। महापालिका की स्थापना के फलस्वरूप जो क्षेत्र इसकी परिधि मे आये उनमे अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा की योजना कार्यान्वित की गयी। नगर मे ७४ प्राइमरी स्कूल थे। महापालिका ३३ अन्य शैक्षिक सस्थाओ को वित्तीय सहायता दे रही थी।

सड़के तथा पुल

कानपुर नगर महापालिका ने सड़को, गलियो तथा फुटपाथो आदि के विकास के लिए तथा उसकी परिधि मे आये ग्रामीण क्षेत्रो की सड़को के विकास के लिए अपने सशोधित बजट में १६,००,००० रुपये की व्यवस्था की। गोविन्द नगर पुल के निर्माण की योजनाए भी तैयार की जिन्हे रेलवे मंत्रालय की स्वीकृति के लिए भेज दिया गया था। इस पूरे काम की अनुमानित लागत ५,००,००० रुपये थी। आगरा नगर महापालिका ने ६ ७७ मील लम्बाई के फुटपाथो तथा ३ ४० मील लम्बाई के पानी निकासी के नालो का निर्माण कराया। वाराणसी नगर महापालिका ने अपने बजट मे सडको के निर्माण के लिए २५,०१,००० रुपये का प्राविधान किया। इस काम पर करीब ४ लाख रुपये की धनराशि व्यय हुई।

इस अवधि मे इलाहाबाद नगर महापालिका ने सड़कों को चौडा करने तथा फुटपाथो की रगाई, सजावट, एव मरम्मत पर लगभग ८१,६८८ रुपये व्यय किये और सरकार के विविध अनुदानो से लगभग १,४६,८२५ रुपये व्यय किये। महापालिका मे बाग बाबा शीतलदास, मलूकराज बख्शी बाजार, मिर्जापुर, दरियाबाद, मोहिले नगर, लूथर रोड, दारागज दरियाबाद सहायक पाइप लाइन आदि मे नयी पाइप लाइने बिछायी गयी। इस कार्य पर ४१,००० रुपये की धनराशि व्यय हुई।

लखनऊ नगर महापालिका ने सड़को की मरम्मत पर विशेष ध्यान दिया। इस अवधि मे महापालिका ने सडको की मरम्मत पर लगभग २,५०,००० रुपये व्यय किये। मरम्मत की गयी सड़को की लम्बाई २० मील थी।

भवन-निर्माण

राज्य सरकार ने कानपुर नगर महापालिका को महापालिका कार्यालय भवन के निर्माण हेतु १० लाख रुपये का ऋण स्वीकार किया। मुख्य भवन तथा सभा भवन (असेम्बली हाल) के एक तल्ले के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था और बाकी निर्माण कार्य चालू था। इस अवधि मे महात्मा गाधी मार्ग पर विस्थापितो के लिए एक बाजार का निर्माण हुआ। जजों के लिए दो फ्लेट बनाये गये और एक का निर्माण जारी था। गोविन्द नगर तथा परम पुरवा में करीब ७२ क्वार्टर बनाये गये। मेडिकल अफसर के लिए गोविन्द नगर अस्पताल मे एक आवास-गृह बनाया गया। खलासी लाइन्स बिल्डिग मे एक होम्योपैथिक औषधालय खोला गया। नवाबगज के मातृशिशु केन्द्र में सुधार किया गया। गोविन्द नगर में एक लड़कियो के स्कूल की इमारत बन रही थी और बी०आर०डी० गर्ल्स कालेज मे कुछ और कमरे बनाये जा रहे थे। बाबूपुरवा, हरिहर शास्त्री नगर, कारबोलो नगर, किदवई नगर आदि मे प्राइमरी स्कूलो की इमारतो का निर्माण जारी था।

आगरा नगर महापालिका के ताजगंज और बलकेश्वर मे हरिजनो के ५० क्वार्टर बने। इस वर्ष में ५ स्कूली इमारतो का निर्माण शुरू किया गया।

वाराणसी नगर महापालिका ने गत वर्ष महापालिका कार्यालय भवन का निर्माण शुरू किया था। आलोच्य वर्ष मे काफी प्रगति हुई और करीब ४ लाख रुपये व्यय हुए। निर्माण की पूरी लागत २१ लाख रुपये आकी गयी थी।

इलाहाबाद नगर महापालिका ने सग्रहालय भवन के बढ़ाने का काम हाथ में लिया और २,१६,००० रु० व्यय किये। एक नये महापालिका भवन का निर्माण १,७०,००० रुपये

की लागत से हुआ। महापालिका ने लीडर रोड पर १६ नयी दुकाने तथा सिविल लाइन्स में ११ नयी दुकाने बनवायीं। कीडगंज और मनफोर्डगंज में नये उद्यान बनाये गये।

लखनऊ नगर महापालिका ने अधिक निर्माण कार्य महानगर और रिवर बैंक कालोनी में किया जहा पर सरकारी कर्मचारियो के लिए आवास-गृह बने थे। आलोच्य वर्ष के अन्त तक महानगर योजना के अधीन १,३७० प्लाट मकान बनाने के लिए लोगो को बेचे गये। इनका वर्गीकरण 'ए', 'बी०', सी०' प्रकार के प्लाटो मे किया गया। 'ए' प्रकार के प्लाटो का क्षेत्रफल १६,००० वर्गफुट, 'बी' प्रकार के प्लाटो क्षेत्रफल ६,६०० वर्गफुट और 'सी' प्रकार के प्लाटो का क्षेत्रफल ३,२०० वर्गफुट था। उन्हे क्रमश ४० न० पै०, ४४ न पै० और ५० न० पै० प्रति वर्ग फुट की दर से बेचा गया। महानगर योजना 'न लाभ हो न नुकसान हो' के आधार पर बनी थी।

जन स्वास्थ्य एवं सफाई

जून और जुलाई, १९६० के मासो मे कानपुर मे हैजे का प्रकोप हुआ, महापालिका ने इस महामारी को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाया। लगभग ६५,००० व्यक्तियो को टीका लगा। जिन क्षेत्रो मे हैजा फैला था उनमे कुओ तथा अन्य पानी के साधनो को सक्रमण-विहीन किया गया। कटे हुए फल बेचने वालो का चालान किया गया। लगभग ८९५ व्यक्तियो को यह रोग हुआ जिसमे ११८ व्यक्ति मरे।

महापालिका १० एलोपैथी, ६ होम्योपैथी और ६ आयुर्वेदिक औषधालय तथा १ यूनानी औषधालय चला रही थी। इसके अलावा ३ मातृ शिशु केन्द्र भी काम कर रहे थे। गोविन्द-नगर अस्पताल मे ६० शैय्याओ की व्यवस्था थी।

इस वर्ष मे आगरा नगर महापालिका ने आंत्रशोथ (गैस्ट्रोइंट्राइटिस) की महामारी को रोकने के लिए प्रभावकारी उपाय किये। नगर की सफाई की दशा मे सुधार करने के लिए सफाई कर्मचारियो मे वृद्धि की गयी। महापालिका मे एक नया होम्योपैथिक औषधालय खोला।

४ अप्रैल से २९ अप्रैल, १९६० तक वाराणसी नगर महापालिका ने सफाई अभियान आयोजित किया। इस अवधि में नगर की हर गली, हर उप-गली की सफाई की गयी। नगर मे किसी प्रकार का संक्रामक रोग नही फैला।

इलाहाबाद नगर महापालिका ने सक्रामक रोगो के प्रकोप को रोकने के लिए उपाय किये और नगर की सफाई के लिए एक विशेष सफाई दल लगाया गया। बहुत से मुहल्लो के लिए कूडेखानो की व्यवस्था की गयी।

लखनऊ नगर महापालिका ३ ऐलोपैथिक, १ होम्योपैथिक, २ आयुर्वेदिक और २ यूनानी औषधालय, १ सक्रामक रोगो का अस्पताल, १ मातृ-शिशु केन्द्र, एक महिला औषधालय अपने धन से चला रही थी। अक्तूबर, १९६० मे गोमती नदी में भयानक बाढ़ आने के फलस्वरूप महापालिका के जन स्वास्थ्य विभाग का काम बढ गया। बाढ के बाद महापालिका ने बाढ-ग्रस्त क्षेत्रो की सफाई का काम हाथ में लिया। डी० डी० टी० का छिडकाव किया गया और सचल औषधालय खोले गये। नगर में किसी प्रकार का सक्रामक रोग नही फैला। बाढ़ के दौरान पानी तथा बिजली की सप्लाई सुचारु रूप से चलती रही।

३—नगर पालिकाएं

नागरिक सुविधाओ के क्षेत्र मे सुधार के क्रम को गति देने के लिए नगर महापालिकाओ ने गहरी दिलचस्पी ली, यद्यपि उनके रास्ते मे कठिनाइयां थी, विशेषकर वित्तीय अभाव की।

जन-स्वास्थ्य एवं सफाई

चिकित्सा-सहायता एव जन स्वास्थ्य कार्यक्रमो के अन्तर्गत नगरपालिकाओ ने महत्वपूर्ण कार्य किये। अधिकतर नगरो मे हैजा, गैस्ट्रोइंट्राइटिस तथा चेचक महामारी के रूप मे फैले थे

और नगरपालिकाओ ने व्यापक पैमाने पर इनके टीके लगाने की व्यवस्था की। जन स्वास्थ्य विभाग की देखरेख मे ऐसे रोगियो का मुफ्त इलाज किया गया और उनके घरो मे दवाएं छिडकी गयी। नलो और कुओ की सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया।

नगर पालिकाओ के साधनो के अनुसार सडको पर रोशनी की व्यवस्था की गयी। सडको के कोनो तथा आम जगहो पर शौचालय एवं पेशाबघर जनता के लिए बनाये गये। राष्ट्रीय स्वच्छता कार्य क्रम के श्री गणेश से सफाई के क्षेत्र मे एक उल्लेखनीय घटना घटी। आलोच्य वर्ष मे प्रदेश की नगर पालिकाओ ने विभिन्न प्रकार के ५१ चिकित्सालय एवं औषधालय चलाये। २१ अक्तूबर, १९६० तक ११२ अस्पतालो को ५९,८४० रुपये की वित्तीय सहायता दी गयी।

शिक्षा

अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा के कार्यक्रम के अन्तर्गत लडकों और लडकियो के बहुत से स्कूल खोले गये। ३१ अक्तूबर, १९६० तक १,३८१ स्कूल नगर पालिकाओ के प्रबन्ध मे थे। शिक्षा पाने वाले लडको तथा लडकियो की सख्या २,५०,४४५ थी। प्रौढ शिक्षा की भी व्यवस्था की गई और बहुत से पुस्तकालय भी स्थापित किये गये।

सार्वजनिक निर्माण

नगरपालिकाओ ने बहुत-सी सडको, इमारतो और पुलो का निर्माण एवं मरम्मत करायी। ३ अक्तूबर, १९६० को नगरपालिकाओ की तारकोल वाली सडको की कुल लम्बाई १,१६९.९६ मील तथा पक्की सडको की कुल लम्बाई ४७७.४१ मील थी। ऐसी सड़को के निर्माण, रखरखाव और मरम्मत पर ७०.४६ लाख रुपये व्यय होने का अनुमान था।

नगर पालिकाओ की इमारतो, चुंगी-चौकिओ और चुगी की सीमाओ के रखरखाव एवं मरम्मत पर विशेष ध्यान दिया गया। कुछ नगर पालिकाओ ने प्राइमरी स्कूलो की इमारत मेहतरो के क्वार्टर, सार्वजनिक शौचालय विस्थापितो के लिए दुकानो इत्यादि का निर्माण कराया।

तदर्थ समितियों का गठन

वृहद् योजनाओ की तैयारी, उनमे संशोधन, परिवर्तन अथवा सुधार सम्बन्धी विषयो पर नगर पालिकाओ को सलाह देने के लिए तथा उनके कार्यान्वित एवं लागू करने के सुझाव प्रस्तुत करने के लिए रामपुर, सहारनपुर, सीतापुर, मेरठ, देहरादून, गोरखपुर तथा बरेली नगरो मे तदर्थ समितिया बनायी गयी। आशा थी कि शीघ्र ही ये समितियां कार्य शुरू करेंगी। उत्तर प्रदेश नगर पालिका ऐक्ट की धारा २९६(२) सी के अन्तर्गत सरकार द्वारा १९५९–६० की अवधि मे प्रदेश मे ऐसी समितियो के गठन सम्बन्धी नियम बना दिये गये थे।

नगरपालिकाओं के आर्थिक विकास सम्बन्धी कार्य-कलाप

स्वायत्त शासन की केन्द्रीय परिषद् के अनुरोध पर राज्य सरकार ने इस सुझाव पर विचार किया कि नगर पालिकाओ द्वारा अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए औद्योगिक कार्य किये जाने चाहिये। वे इस मत के थे कि इसका अर्थ यह नही कि नगर पालिकाएं जो अब तक नागरिक सुविधाओ और सार्वजनिक सेवाओ तक ही सीमित थी वे इन अपने परम्परागत कार्य कलापो से हट जायेंगी। श्री गणेश करने के विचार से बडी नगरपालिकाओ को पहले पहल सम्बन्धित नगर पालिका के क्षेत्र मे (१) उन वस्तुओ का उत्पादन जिनमे विशेष सुविधा हो (२) औद्योगिक एव वाणिज्य सम्बन्धी संस्थानो की स्थापना करने की अनुमति दी जानी चाहिये। यह महसूस किया गया कि ऐसा करने मे अपनी आय बढाने के अतिरिक्त नगरपालिकाए कुटीर उद्योग का विकास एव उन्नति करेंगी और इस प्रकार राज्य के औद्योगीकरण मे सहायक होगी।

चित्रकूट धाम तथा निकटवर्ती क्षेत्रों का विकास

चित्रकूट धाम तथा निकटवर्ती क्षेत्रो के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की सरकारो ने सयुक्त रूप से इस क्षेत्र का विकास करने का निश्चय किया।

इसके लिये हर प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रो के लिये एक स्थानीय विकास प्रशासन स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश मे इस प्रशासन के अधिकार चित्रकूट धाम की नगरपालिका को सौप दिये गये ह। समस्त क्षेत्र के विकास कार्य-क्रम को समन्वित करने के उद्देश्य से दोनो सरकारो ने एक सयुक्त सलाहकार समिति की स्थापना की। पूरे तौर से विकसित हो जाने पर यह क्षेत्र तीर्थ यात्रियो को आकृष्ट करने के अलावा पर्यटको को बडी सख्या मे आकृष्ट करने लगेगा।

(चित्रकूट धाम एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। यहा साल भर पर्यटक तथा तीर्थ यात्री आते है। स्थान की धार्मिक महत्ता के अलावा, यह क्षेत्र चतुर्दिक नैसर्गिक सुषमा से परिपूर्ण है। इस क्षेत्र मे साल मे दो मेले लगते है। जिनमे काफी बडी सख्या मे लोग आते है। चित्रकूट शहर इस राज्य मे पड़ता है पर बहुत से धार्मिक स्थान और दर्शनीय स्थल सीमा के उस पार मध्य प्रदेश मे स्थित है। सफाई तथा अन्य सुविधाओ की जो व्यवस्था अब तक रही, वह अपर्याप्त थी।)

४—जिला बोर्ड

(अन्तरिम जिला परिषदे)

शिक्षा

साधनो की कमी के बावजूद अन्तरिम जिला परिषदो ने ग्रामीण जनता की शिक्षा की वृहद् जिम्मेदारी वहन की। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रो में स्कूलो की संख्या मे निरन्तर वृद्धि होती रही। जिलो के आकडे जिनका उल्लेख आवश्यक है नीचे दिये जा रहे है —

मेरठ	..	..	१,१४५	स्कूल
पोडी-गढ़वाल	..	..	१,१०७	,,
गोरखपुर	..	..	९७७	,,
कानपुर	..	..	८९६	,,
अल्मोड़ा	..	..	८९१	,,
वलिया	..	..	८०५	,,
शाहजहापुर	..	..	८०४	,,
वाराणसी	..	..	७५६	,,
बरेली	..	..	७५४	,,
जौनपुर	..	..	७४०	,,
बादा	..	..	६८९	,,
नैनीताल	..	..	५७२	,,

तीसरी पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत शिक्षा पर अधिक जोर दिया जा रहा है और विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रो मे और यह आशा की गयी कि तीसरी योजना के अन्त तक सम्पूर्ण राज्य के गावो का जाल बिछ जायगा।

आलोच्य वर्ष मे कृषि, शिक्षा, सामाजिक शिक्षा तथा अन्य विविध कार्य-कलापो पर विशेष ध्यान दिया गया। इन शैक्षिक संस्थाओ के अध्यापको और छात्रो ने श्रमदान मे भाग लिया।

सार्वजनिक निर्माण

वित्तीय साधनो की कमी के वावजूद अन्तरिम जिला परिषदो ने तारकोल वाली सड़को एव पक्की सड़को और इमारतो की मरम्मत एवं रख-रखाव, पुलिया और नयी सड़को के निर्माण

कार्य के सम्बन्ध मे उपयुक्त कदम उठाये। सरकारी अनुदान, परिषद् के फड तथा जनता के स्वैच्छिक श्रमदान से बहुत-सी पक्की सडको को तारकोल वाली सड़को तथा कच्ची सड़को को पक्की सडको मे परिणत किया गया। नयी कच्ची सडको तथा फुटपाथो का भी निर्माण किया गया। जौनपुर में पक्की सडको की लम्बाई बढकर ५२ १/२ मील हो गयी। पहाडी जिलो की कुछ सडकें नव सीमात जिलो को हस्तारित कर दी गयी।

चिकित्सा सहायता एवं जन-स्वास्थ्य के उपाय

ग्रामीण क्षेत्रो मे महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए उचित उपाय किये गये। जिन क्षेत्रो में सक्रामक रोगो के फैलने का भय था उनमें टीका लगाने के शिविर स्थापित किये गये। जहां पर टीका लगाने वालो की कमी थी वहां पर यह कार्य अध्यापको को दे दिया गया, जिन्हे इसकी ट्रेनिंग दी जा चुकी थी। ये परिषदे बहुत से ग्रामीण वैद्यो, हकीमो, और डाक्टरो को वित्तीय सहायता देती रही। मलेरिया निरोध के लिए डी० डी० टी० का छिड़काव किया गया, कुओ की सफाई की गयी और पैलूड्रीन की टिकिया मुफ्त बाटी गयी। बहुत से औषधालयो पर प्रशिक्षित डाक्टर नही थे, जिनके अभाव मे प्रशिक्षित कम्पाउन्डर ही उन पर काम कर रहे थे। राज्य भर में पशु-चिकित्सालयो और औषधालयो से बारबार सहायता मिलती रही और बधिया करने, कृत्रिम गर्भाधान और टीका लगाने का काम भी जारी रहा।

मेले और प्रदर्शनियां

राज्य के विभिन्न जिलो में परिषदो की देखरेख मे लगाये गये मेलो का आयोजन एव प्रबन्ध अत्यन्त सफल रहा। जनता के लिए इन मेलो मे चिकित्सा एव सफाई का प्रबन्ध किया गया और बहुत-सी पशु-प्रदर्शिनियां भी आयोजित की गयी। ग्रामीण जनता को शिक्षित करने के लिए कुछ प्रदर्शनियो का भी आयोजन किया गया।

५—नोटीफाइड एरिया

सफाई एवं जल-सप्लाई

राज्य की नोटीफाइड एरिया समितियो ने अपने-अपने क्षेत्रो में सफाई की हालत सुधारने के लिए पर्याप्त उपाय किये। नोटीफाइड एरिया मे जल-सप्लाई के मुख्य साधन कुए और नलकूप रहे। ऐसी आशा की गयी कि मिर्जापुर की अहरोरा नोटीफाइड एरिया तथा टेहरी-गढ़वाल की नोटीफाइड एरिया निकट भविष्य मे पाइप द्वारा जल सप्लाई करने लगेंगी।

जन-स्वास्थ्य के उपाय

इस अवधि मे सामान्यतया सभी नोटीफाइड एरिया सक्रामक रोगो से मुक्त रहें। इन रोगो को रोकने तथा इनसे बचाव करने के लिए व्यापक पैमाने पर टीका, हैंजे तथा चेचक का, दवाओ का मुफ्त वितरण, कुओ मे दवा डालने और डी० डी० टी० के छिडकाव आदि काम किये गये। अगस्त, सितम्बर, १९६०, की अवधि में गैस्ट्रोइंट्राइटिस के रोगियो को मुफ्त दवा बांटने का प्रबन्ध काधला नोटीफाइड एरिया कमेटी ने किया। १२,००० व्यक्तियो को हैजा-निरोधक इजेक्शन लगाने की व्यवस्था की गयी। बहराइच जिले की भिग नोटीफाइड एरिया ने चेचक की शुरुआत को रोकने के लिए चेचक के टीके लगाने की व्यवस्था की।

सड़को का निर्माण एवं अन्य भवन निर्माण कार्य

सार्वजनिक कार्यों के सम्पादन में इन कमेटियो ने गहरी दिलचस्पी ली। ये अपनी सडको और गलियो की मरम्मत रखरखाव के काम भी करती रही। उनके वित्तीय साधनो के सीमित होते हुए भी सरकार ने उन १६ नोटीफाइड एरिया कमेटियो मे प्रत्येक को ५,००० रु० का सहातार्थ अनुदान स्वीकृत किया, जिन्होने इसके पहले सड़को के निर्माण तथा मरम्मत सम्बन्धी स्वीकृत अनुदान का इस्तेमाल कर लिया था। ककराला नोटीफाइड एरिया कमेटी को बादा

अन्तरिम जिला परिषद् की सड़क के उस हिस्से की मरम्मत के लिए ५,००० रु० दिया गया जो इसके क्षेत्र मे पड़ती थी और जिसकी मरम्मत नितांत आवश्यक थी। इन नोटीफाइड एरिया कमेटियो ने उपयुक्त अवसरों पर मेले, प्रदर्शनियो और खेल-कू प्रतियोगिताओं के आयोजन किये। पशुओ के मेलो की भी व्यवस्था की गयी।

सड़क की रोशनी

नोटीफाइड एरिया मे रोशनी का मुख्य साधन मिट्टी के तेल के लैम्प रहे। पर अब ये कमेटिया रोशनी की हालत सुधारने के लिए कोशिश कर रही थीं। बदायू जिले की कांधला नोटीफाइड एरिया कमेटी ने सड़को पर जहाँ रोशनी की व्यवस्था नहीं थी वहाँ रोशनी का प्रबन्ध करने के लिए ५,००० रु० की काफी बडी रकम खर्च की। काधला नोटीफाइड एरिया कमेटी के क्षेत्र में बिजली के बल्व बढ़कर १४५ हो गये।

शिक्षा

नोटीफाइड एरिया कमेटियो ने अपने-अपने क्षेत्रो में शिक्षा-सुविधाओ के प्रसार के लिए या तो प्राइमरी और बेसिक शैक्षिक सस्थाएं स्वत: चलायीं या निजी संस्थाओ को चन्दा देकर सहाता की। बदायू जिले की ककराला नोटीफाइड एरिया कमेटी ने अपने यहा एक उच्चतर माध्यमिक स्कूल खोलने के लिए प्रार्थना की जो सरकार के विचाराधीन थी।

६—टाउन एरिया

सड़के तथा अन्य सार्वजनिक कार्य

प्रदेश की टाउन एरिया कमेटियो ने सार्वजनिक कार्यों के सम्पादन मे विशेष उत्साह दिखाया, यद्यपि वे स्थानीय निकाय ही थे जिनके वित्तीय साधन में अत्यन्त सीमित थे।

सहारनपुर जिले की नाकुर टाउन एरिया कमेटी ने ४,९०० रु० की लागत से एक सीमेंट की सड़क बनायी और ननौता टाउन एरिया कमेटी ने दो ४०० फुट लम्बे पानी निकासी के नलो में सीमेंट लगवायी। कानपुर जिले की बिल्हौर टाउन एरिया कमेटी ने १०० रु० व्यय करके एक पक्का पानी निकासी के लिए नाला बनवाया और १८० रु० की लागत से तीन कुओ की मरम्मत की। देहरादून जिले की चौहारपुर टाउन एरिया कमेटी ने १,१८३ रु० की लागत से लगभग १,००० फुट लम्बा एक नया नाला बनवाया तथा वर्ष की समाप्ति तक दो मुख्य सड़को को ६,००० रु० की लागत से सीमेंट से बनवाया। वाराणसी जिले की चकिया टाउन एरिया कमेटी ने एक ४५० फुट लम्बी तथा दूसरी ५०० फुट लम्बी सडकों का निर्माण कार्य शुरू किया और ६०० वर्गफुट मे खंडजा लगवाया। २ मील लम्बी सडक तथा १ मील लम्बे पानी निकासी के नाले के निर्माण के लिए इटावा जिले की बहुत-सी टाउन एरिया कमेटियो ने ७३,३१६ रुपये व्यय किये। नैनीताल की टनकपुर टाउन एरिया कमेटी ने पुरानी गलियो को पक्का करने के सिलसिले मे २०,००० रु० व्यय किया। अलीगढ जिले की खैर टाउन एरिया कमेटी ने सार्वजनिक कार्यो पर १०,००० रु० व्यय किया। जलाल टाउन एरिया कमेटी ने २५,००० रु० की लागत से एक सीमेंट की सड़क बनवायी। विजयगढ़ टाउन एरिया कमेटी ने ७ सडकें और तीन पानी निकासी के नाले बनवाये। अलीगढ़ जिले की माड़ू टाउन एरिया कमेटी ने वष के अंत तक ७०० फुट लम्बा पानी निकासी का नाला निर्मित कराया। पीलखाना टाउन एरिया कमेटी ने एक सीमेंट की सड़क तथा एक पुल बनवाया। हमीरपुर जिले की मौदहा टाउन एरिया कमेटी ने दो सडको का काम पूरा किया जिसका निर्माण कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका था। रामपुर जिले की शाहाबाद टाउन एरिया कमेटी ने ऐसे ही कार्यों पर १,१५० रु० व्यय किया। रामपुर जिले की सौर (Suar) टाउन एरिया कमेटी ने दो पुलो के निर्माण के अलावा ४,२०० फुट में खडजा लगवाया और ८,००० फुट लम्बे पानी की निकासी के नाले बनवाये। विलासपुर टाउन एरिया कमेटी ने १२,००० रु० की लागत से सार्वजनिक कार्य शुरू किया।

रामपुर जिले की टाउन एरिया कमेटी ने खडंजा लगाने पर २,००० रु० व्यय किया। टाडा टाउन एरिया कमेटी ने सार्वजनिक कार्यो के लिए १०,००० रु० तथा पानी निकासी के नालो और नालियो के निर्माण के लिए १३,००० रु० लगाये। मिलाख टाउन एरिया कमेटी ने सार्वजनिक कार्यो पर १०,००० रु० व्यय किया और अल्मोड़ा जिले की बागेश्वर टाउन एरिया कमेटी ने १,५०० फुट लम्बी नयी सार्वजनिक सडक, १,६०० फुट लम्बे पानी निकासी के नाले और १,००० फुट खडजे के निर्माणो पर २०,००० रु० व्यय किये। पिथौरागढ टाउन एरिया कमेटी ने ३ मोटर चलाने योग्य सडको को सीमेंट से पक्का बनवाया और आधी मील लम्बी एक नयी सडक बनवायी। गोरखपुर जिले की नौतनवां तथा गोला टाउन एरिया कमेटियो ने सडको के निर्माण तथा मरम्मत पर क्रमश: ३,३३३ रु० तथा ७२६ रु० व्यय किये। बुलन्दशहर की विभिन्न टाउन एरिया कमेटियों ने सडक, पानी निकासी के नालो तथा खडजो के निर्माण पर निम्न प्रकार मे व्यय किया।

टाउन एरिया कमेटी का नाम		सार्वजनिक कार्यो की मदे		सही लागत रुपये
(१) औरंगाबाद	..	सड़कें	..	२,०००
(२) सियाना	..	सडके	..	६,३६८
(३) गुलौठी	..	सडके, खडजा तथा नाले	..	७,१६५
(४) शिकारपुर	..	,,	..	१२,११३
(५) भौन बहादुरनगर	..	,,	..	१४,०८०
(६) बाबुपुरा	..	,,	..	३,८२२
(७) छतारी	..	,,	..	७,१७५
(८) पहसू	..	,,	..	४,८३५
(९) काकोरी	..	,,	..	४,६८६

गाजीपुर जिले की मुहम्मदाबाद और सैदपुर की टाउन एरिया कमेटियो ने सार्वजनिक कार्यो पर २,००० रु० व्यय किया। इलाहाबाद जिले की फूलपुर टाउन एरिया कमेटी ने २ १/२ फर्लांग लम्बी सडक बनवायी।

सफाई एवं जन-स्वास्थ्य के उपाय

टाउन एरिया कमेटिया अपने-अपने क्षेत्रो की सफाई का सतत प्रयास करती रही और इन्होने महामारियो के प्रकोप से बचने के लिए भी बचाव के उपाय किये। इलाहाबाद जिले की भारवाडी टाउन एरिया कमेटियों ने चेचक के टीके लगाने की बडे पैमाने पर व्यवस्था की। बुलन्दशहर जिले की सभी टाउन एरिया कमेटियो ने गन्दे नालो की सफाई के लिए मेहतरो की व्यवस्था की। पीने के पानी को गन्दगी तथा धूल से बचाने के लिए सभी कुओ की आम सफाई की गयी। सभी टाउन एरिया कमेटियो ने महामारी के प्रकोप एवं फैलाव को रोकने के लिए बचाव सम्बन्धी उपाय किये और दवाएं बंटवायी तथा टीके लगवाने के लिए उत्साहित किए। सभी टाउन एरिया कमेटियो के क्षेत्रो में मलेरिया अधिकारियों ने डी० डी० टी० के छिडकाव की व्यवस्था की। गांधी जयन्ती के अवसर पर पिथौरागढ टाउन एरिया कमेटी ने सफाई सप्ताह मनाया और सफाई की हालत को सुधारने के लिये सभी गन्दे नालो और गली-कूचो की सफाई करवायी। सीतापुर जिले की लहरपुर टाउन एरिया कमेटी ने बाल्टिओ और टोकरियो में पखाना ढोने की परम्परा को बन्द कर दिया और पाखाना ढोने के लिए १५ गाडिया खरीदी। बस्ती जिले की मेहदावल टाउ एरिया कमेटी ने डी० डी० टी० के छिडकाव की व्यवस्था की और हैजा, चेचक औरप्लेग की महामारी के प्रकोप एवं फैलाव को रोकने के लिये उपाय किये। मैनपुरी जिले की टाउन एरिया कमेटियो ने डी० डी० टी० के छिडकाव की व्यवस्था की और

आम सफाई पर ध्यान दिया। झांसी जिले की एरिच (Erich) टाउन एरिया कमेटी ने कूडा-गाड़ी खरीदी तथा हमीरपुर की मौदहा टाउन एरिया कमेटी ने उसी काम के लिए एक ट्रैक्टर खरीदा। सफाई की सामान्य स्थिति को सुधारने के साथ देहरादून की चौहारपुर टाउन एरिया कमेटी ने पशुवध-गृह का निर्माण कराया। रामपुर की नाकुर टाउन एरिया कमेटी ने महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए व्यापक रूप से टीका लगाने के हेतु एक टीका लगाने वाले की नियुक्ति की।

जल-सप्लाई

टाउन एरिया कमेटियो के क्षेत्रो में जल सप्लाई मे मुख्य साधन कुए तथा हैण्ड पाइप ही रहे, क्योकि इनके सीमित वित्तीय साधनो के कारण इन कमेटिओ द्वारा वाटर वर्क्स की सुविधा प्रदान करना कठिन था। जल सप्लाई के क्षेत्र मे इन कमेटियो का कार्य सामान्य तथा कुओ की सफाई तक ही सीमित रहा। मिर्जापुर जिले की राबर्ट्सगंज, नैनीताल जिले की टनकपुर और खीरी जिले की खोरी टाउन एरिया कमेटियो की जल सप्लाई योजनाओ को सरकार ने स्वीकृति प्रदान की। हमीरपुर जिले की मौदहा टाउन एरिया कमेटी की जल सप्लाई योजना के लिए सरकार ने १ लाख रुपये का ऋण स्वीकार किया पिथौरागढ टाउन एरिया कमेटी की जल-सप्लाई योजना, जिस पर ३,२४,००० रु० व्यय होने का अनुमान था, को सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी। गाजीपुर जिले की मुहम्मदाबाद टाउन एरिया कमेटी की जल-सप्लाई योजना भी सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी थी जिसके निकट भविष्य मे कार्यान्वित होने की आशा थी। सरकार ने चौहरपुर टाउन एरिया के लिए भी एक जल-सप्लाई योजना की स्वीकृति दे दी जहां नल कूप द्वार पानी का वितरण होता था। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए १३,००० रु० स्वीकृत किया गया। फफूद टाउन एरिया कमेटी ने हैन्ड पम्पो की मरम्मत पर २,५०० रु० व्यय किये।

सड़क पर रोशनी

टाउन एरिया कमेटियो मे मिट्टी के तेल के लैम्पो द्वारा ही सडको पर रोशनी की व्यवस्था थी। वित्तीय कठिनाइयो के कारण अधिकतर टाउन एरिया कमेटियो के लिए सडको पर बिजली की रोशनी की व्यवस्था करना सम्भव न था। जिन कमेटियो ने यह सुविधा दे रखी थी उन्होने सडक की रोशनी को ठीक तरह से चालू रखा।

देवरिया जिले के रुद्रपुर टाउन एरिया में बिजली की रोशनी की व्यवस्था हो गयी थी और वर्ष क अन्त मे रामपुर टाउन एरिया में बिजली की रोशनी की व्यवस्था की जा रही थी। कानपुर जिले की पुखराया तथा अकबरपुर टाउन एरिया में बिजली की व्यवस्था हो चुकी थी और मुख्य सडको पर बिजली की रोशनी दी जा चुकी थी। छाता टाउन एरिया कमेटी ने इस अवधि मे अपने क्षेत्र के अन्तर्गत बिजली लगाने पर ७,००० रुपये व्यय किये। वाराणसी जिले के गोपीगंज की तथा इटावा जिले के जसवन्तनगर की टाउन एरिया मे सडको पर और रोशनी की व्यवस्था की गई। रामपुर जिले की बिलासपुर टाउन एरिया कमेटी को १३,००० रु० की लागत से बिजली के खम्भे लगाने के लिए सरकार से स्वीकृति मिली। पिथौरागढ टाउन एरिया के विद्युतीकरण की योजना स्वीकृति की गयी। मैनपुरी जिले की सियाना टाउन एरिया कमेटी की गलियों की रोशनी की व्यवस्था पर ६,००० रु० व्यय कर रही थी।

पार्क, उद्यान एवं बच्चों के खेल-कूद के मैदान

टाउन एरिया कमेटियां धनाभाव के कारण पार्को, उद्यानो एवं बच्चों के खेल-कूद के मैदानो के निर्माण मे अधिक प्रगति न कर सकी। कानपुर जिले की झींझक टाउन एरिया कमेटी ने गांधी व्यायामशाला के लिए काफी जमीन की व्यवस्था की। नैनीताल जिले की टनकपुर टाउन एरिया कमेटी ने शिविर लगाने के मैदान मे खेल एव मनोरजन के लिए पार्क बनवाया। टनकपुर

टाउन एरिया कमेटी मे ६०,००० रु० की लागत से एक पार्क का निर्माण हो रहा था। इस पार्क मे एक जनता पुस्तकालय, गर्मी के लिए भवन, तथा एक फौवारे का निर्माण प्रस्तावित था। रामपुर जिले की टाउन एरिया कमेटी, मिलक (Milk) ने एक टाउन हाल बनाने का प्रस्ताव रखा और उससे सम्बन्धित उद्यान लगाना शुरू कर दिया शाहाबाद टाउन एरिया कमेटी को बच्चो के पार्क के निर्माण के लिए १,००० रुपये स्वीकृत किये गये। टाउन एरिया कमेटी बिलासपुर और टांडा ने खेल-कूद केन्द्रो का निर्माण कराया। अल्मोड़ जिले की बागेश्वर टाउन एरिया कमेटी ने ३,००० रु० की लागत से खेल-कूद के लिए एक पार्क बनवाया और आगामी वर्ष में एक और पार्क बनवाने की योजना थी। पिथौरागढ टाउन एरिया कमेटी ने श्रमदान द्वारा ५,००० रु० की लागत का एक पार्क बनवाया। इस पार्क में कुछ खेल की सामग्री की भी व्यवस्था की गयी। मैनपुरी जिले की जसराना और फरहा टाउन एरिया कमेटियो ने बालकों के खेल-कूद के केन्द्रो की स्थापना की और खेल-कूदके सामान की भी व्यवस्था की।

सार्वजनिक संस्थाओं को सहायता

पिछले वर्षों की भाति टाउन एरिया कमटियां अपने क्षेत्रो में धर्मादा, शैक्षिक एवं चिकित्सा संस्थाओ को सहायता देती रही। मुजफ्फरनगर जिले की बुधना टाउन एरिया कमेटी ने डी० ए० वी० उच्चतर माध्यमिक स्कूल, बुधना को १००रुपये स्वीकृत किये। थाना भवन टाउन एरिया कमेटी ने लाजपत राय उच्चतर माध्यमिक स्कूल को २०० रु० का अनुदान स्वीकार किया। वाराणसी जिले की गोपीगज टाउन एरिया कमेटी ने राम सस्कृत पाठशाला और इस्लामिया स्कूल को क्रमश. १८० रु० तथा १२० रु० की वित्तीय सहायता प्रदान की। इटावा जिले की सभी टाउन एरिया कमेटियो ने अपने क्षेत्रो मे अन्तरिम जिला परिषद् द्वारा सचालित चिकित्सा सस्थाओ को सहायता दी। नैनीताल जिले की टनकपुर टाउन एरिया कमेटी ने नेशनल अस्पताल को ६०० रु० की वित्तीय सहायता प्रदान की और दो उच्चतर माध्यमिक स्कूलो को १५,००० रु० और ५०० रुपये का सहायतार्थ अनुदान स्वीकृत करने का प्रस्ताव किया। झांसी जिले की इरिच टाउन एरिया कमेटी ने एक जूनियर हाई स्कूल एवं प्राइमरी स्कूल भवन के निर्माण के लिये सरकार की स्वीकृति लेकर अन्तरिम जिला परिषद् को १०,००० रु० दिया। साथ ही उसने एक जूनियर रेडक्रास, महारानी लक्ष्मीबाई नेत्र चिकित्सालय और बुन्देलखंड विकास प्रदर्शनी मे से प्रत्येक को १०० रु० स्वीकृत करने के लिए प्रस्ताव रखा। रामपुर जिले की मिलक, सौर, बिलासपुर और टाडा टाउन एरिया कमेटियो ने नेत्र-सहायता-संस्था को ५०० रु० की वित्तीय सहायता दी। मैनपुरी जिले की टाउन एरिया कमेटियो ने अन्तरिम जिला परिषद् के बहुत से चिकित्सालयो को निम्न सहायता दी—

टाउन एरिया कमेटी				अनुदान रु०
(१) कुरौली	..	..	..	१००
(२) भोगांव		..	..	३००
(३) सजराना	..	..	..	२५
(४) करहल	..	..	..	३००

बुलन्दशहर जिले की टाउन एरिवा कमेटियो ने संक्रामक रोगो के प्रकोप एवं फैलाव की रोकथाम हेतु २०० रु० की वित्तीय सहायता स्वीकृत की। इन टाउन एरिया कमेटियों द्वारा दिये गये अन्य अनुदानो का विवरण निम्न लिखित है :

टाउन एरिया कमेटी	क्लिनिक	पुस्तकालय	चिकित्सालय	स्कूल
(१) गुलौटी	..	..	..	५००
(२) राबूपुरा	..	..	६०	३००

(३) जेवर	..	२०	..	..	५६०
(४) मौन बहादुर नगर	..	..	१००	..	..
(५) छतारी	..	२०	..	..	..
(६) काकोरी	..	..	६०	५०	..
(७) शिकारपुर	..	१००	..	..	१५०
(८) ददरी	..	५०	५०	..	..
(९) पहासू	..	२०	..	२००	..

छतारी और ददरी की टाउन एरिया कमेटी ने नेत्र सहायता कोष मे अलग-अलग २५ रु० की वित्तीय सहायता भी दी।

७—इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट

गाजियाबाद—मेरठ डिवीजन के आयुक्त की अध्यक्षता में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, गाजियाबाद २० काम करने लगा, जिसे यू० जुलाई, १९६०से पी०टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १९१९ की धाराओ के अन्तर्गत राज्य सरकार ने बनाया था। दिल्ली के विकास के फलस्वरूप, इस प्रदेश का निकटवर्ती नगर, गाजियाबाद तेजी से विकास करने लगा। आवास एव औद्योगिक क्षेत्रों के बेतरतीब तथा अनियोजित विकास को नियन्त्रित करने के उद्देश्य से गाजियाबाद में तथा उसके आस-पास के क्षेत्रो मे 'भवन निर्माण विनियम' कानून लागू किया गया तथा १९५९ मे एक निर्धारित एव नियन्त्रणकर्त्ता प्रशासन की स्थापना की गयी। इस नगर के भवन निर्माण कार्यक्लाप तथा विकास रुक न जाय इस हेतु राज्य सरकार ने औद्योगिक एव आवास सम्बन्धी भूमि की बढ़ती हुई की पूर्ति हेतु भूमि के अधिग्रहण तथा विकास कार्यक्रम मागो को अपने हाथों मे लिया।

आलोच्य वर्ष मे 'मास्टर प्लान' के अनुसार नगर एव ग्राम नियोजक,उत्तर प्रदेश द्वारा गाजियाबाद के विकास सम्बन्धी बनायी गयी ९ योजनाओ पर ट्रस्ट ने विचार किया। पहली तथा चौथी योजना सम्बन्धी आवश्यक सर्वेक्षण तथा भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी कागजो की तैयारी की गयी। सहानी दरवाजे के बाहर की भूमि पर आवास तथा दूकान की मिली-जुली कई मजिल की इमारत बनाने का निश्चय किया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजनावधि मे ट्रस्ट ने गाजियाबाद नगर पालिका की सीमा के भीतर तथा बाहर ५,०००एकड भूमि को अधिग्रहण करने और विकास करने के लिए भी चुना। राज्य सरकार ने ट्रस्ट को कर्मचारियो, सामानो और अन्य कार्यों पर व्यय करने के लिए १ लाख रुपये का सहायतार्थ अनुदान प्रदान किया और भूमि अधिग्रहण करने तथा विकास करने के लिए २३ लाख का ऋण दिया।

८—नगर तथा ग्राम नियोजन

प्रदेश के सरकारी विभागो एवं स्थानीय निकायो को उनके गृह-निर्माण तथा नगर-नियोजन योजनाओ के बनाने तथा उन्हें चालू करने में नगर तथा ग्राम-नियोजन विभाग सहायता प्रदान करता रहा और इसने निम्नलिखित बडी तथा छोटी योजनाएं बनायीं :

(१) बड़ी योजनाएं	..	..	४
(२) गृह-निर्माण योजनाएं	..	..	६२
(३) औद्योगिक आस्थानो की योजनाए	..	..	१६
(४) ग्रामीण विकास योजनाये	..	..	२२८
(५) विविध नियोजन तथा निर्माण सम्बन्धी योजनाएं		..	२२१

विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्य शुरू किये गये :—

(१) नव-निर्मित उत्तराखंड के जिलो के नियोजन और तदनुसार भवनो की योजनाओ की तैयारी।

(२) विभिन्न स्थानो पर राज सहायित औद्योगिक गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत भवनो के नक्शे तथा डिजाइन की तैयारी।

(३) गन्दी बस्तियो की सफाई योजना के अन्तर्गत प्राप्त किये गये स्थलो की उन्नति सम्बन्धी योजनाए।

(४) मास्टर प्लान की तैयारी के लिए गोरखपुर, सहारनपुर और मेरठ का सामाजिक एव आर्थिक सर्वेक्षण।

(५) रवीन्द्र रगशाला, लखनऊ का नियोजन एव निर्माण।

(६) बरेली मे खेल-कूद स्टेडियम योजना।

(७) निम्न एव मध्यम श्रेणी के लोगो की गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत व्यक्तियो एवं स्थानीय निकायो द्वारा तैयार की गयी गृह-निर्माण की स्कीमो की निरीक्षा।

औद्योगिक नगरो के बेतरतीब विकास को नियत्रित करने मे यह विभाग सहायक रहा और उसने नगर एव ग्राम-नियोजन से सबद्ध बहुत-सी गृह-निर्माण परियोजनाओ और विकास योजनाओ के बारे मे भी सलाह दी।

९—गृह निर्माण

आलोच्य वर्ष मे गृह-निर्माण विभाग बहुत-सी गृह-निर्माण योजनाओ का सचालन करता रहा।

औद्योगिक गृह-निर्माण योजनाएं

सपूर्ण देश के औद्योगिक नगरो मे आवास की कमी के कारण तथा कम किराया देने की क्षमता के कारण औद्योगिक मजदूरो को जिन जगहो मे रहना पडता है,उसका ध्यान रखते हुए भारत सरकार ने प्रथम पच वर्षीय आयोजना की अवधि मे औद्योगिक प्रसार कार्यक्रम के एक अग के रूप मे राज-सहायित औद्योगिक आवास योजना का श्रीगणेश किया। इस योजना मे मजदूरो के लिए आधा ऋण तथा आधी सहायता देकर छोटे-छोटे २ कमरे तथा २ कमरे वाले क्वार्टर के निर्माण की व्यवस्था की गयी। इस योजना के अन्तर्गत निर्मित क्वार्टर औद्योगिक मजदूरो को कम किराये पर देने थे। इस प्रदेश मे यह योजना १९५२ मे चालू की गयी। पहली तथा दूसरी पच-वर्षीय योजनाओ मे स्वीकृत इस योजना के पहले से छठे चरण तक २५,००० गृहो का कानपुर, लखनऊ, आगरा, फिरोजाबाद, नैनी, रामपुर, हाथरस, गोविदपुरी, शिकोहाबाद, बरेली, गोरखपुर, मिर्जापुर, वाराणसी मे निर्माण हुआ और आलोच्य वर्ष की समाप्ति तक ६४० लाख रुपये व्यय हुए। चालू वर्ष मे १,८३० क्वार्टर पूरे किये गये और ६६ ७५ लाख रुपये व्यय हुए। तीसरी आयोजना मे ३०० लाख रुपये की लागत से ७,८३० और क्वार्टरो के निर्माण की व्यवस्था की गयी।

निम्न आय वालों के लिए गृह-निर्माण योजना

आलोच्य वर्ष मे राज्य सरकार ने भारत सरकार की निम्न आयीय वर्ग गृह-निर्माण योजना को चालू रखा। इस योजना के अन्तर्गत निम्न आयीय वर्ग के लोगो को आवास गृहो के निर्माण के दीर्घकालीन सस्ते ऋण देने की व्यवस्था की गयी। प्रदेश मे यह योजना बडी ही लोकप्रिय सिद्ध हुई और इसके अन्तर्गत दूसरी पचवर्षीय योजना के अन्त तक ६,२२९ आवास-गृह निर्मित हुए। कुल ४,४२,५८,७४२ रुपये ऋण के रूप में दिये गये।

आलोच्य वर्ष में स्थानीय निकायो, यू० पी० कोआपरेटिव बैन्क लिमिटेड, लखनऊ और विभिन्न शैक्षिक एवं धर्मादा संस्थाओ को गृह-निर्माण के लिए उपयुक्त व्यक्तियो को ऋण देने के लिये ५१,०३,५६४ रुपये का ऋण दिया गया ।

गंदी बस्तियो के हटाने एवं इम्प्रूवमेन्ट की स्कीम---द्वितीय पंचवर्षीय योजनावधि में देश के ६ बड़े नगरो---दिल्ली बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद और कानपुर से गन्दी बस्तियो को हटाने के कार्यो को शुरू करने के विचार से भारत सरकार ने गन्दी बस्ती हटाने एवं इम्प्रूवमेन्ट की योजना चलायी । इस योजना के अन्तर्गत ६ बड़े नगरो की गन्दी बस्तियो के निवासियो को घर बनवाने के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था की गयी जिसमें आधा धन ऋण और आधा सहायता के रूप मे था । अन्य स्थानो के लिए ६२ १, २ प्रतिशत ऋण और ३७ १/२ प्रतिशत सहायता के रूप मे दिया गया । यह योजना १९५७ मे राज्य मे चालू की गयी और कानपुर के अतिरिक्त प्रदेश के अन्य बड़े नगर---लखनऊ, आगरा, वाराणसी और इलाहाबाद इस योजना के अन्तर्गत लाये गये । आलोच्य वर्ष मे लखनऊ, कानपुर, और इलाहाबाद की नगर महापालिकाओ को उनकी गन्दी बस्ती हटाने की परियोजनाओ को पूरा करने के लिए ४८ ५ लाख रुपये ऋण तथा सहायता के रूप में स्वीकृत किये गये । इन नगरो तथा आगरा मे १,०५१ क्वार्टर बनाये गये जिनका विवरण निम्नलिखित है :

कानपुर	६१२
लखनऊ	३४८
इलाहाबाद	३४
आगरा	७३
	१,०५७

द्वितीय पंचवर्षीय योजनावधि में पाच नगरमहापालिकाओ को ऋण एवं सहायता के रूप मे कुल १८६ लाख रुपये स्वीकृत किये गये और ४,०३० क्वार्टर बनाये गये । ३१ मार्च, १९६१ तक १,२७५ क्वार्टरो का निर्माण हो रहा था ।

कानपुर और आगरा में गन्दी बस्ती सुधार की दो परियोजनाए चालू की गयी और दोनो नगर महापालिकाओ मे से प्रत्येक को ५ लाख रुपये का ऋण दिया गया । इस अवधि में इन परियोजनाओ का सुधार कार्य शुरू किया गया और ३१ मार्च, १९६१ तक कानपुर और आगरा नगरपालिकाएं क्रमश. २५,४८५ रु० और २,५०,६३२ रुपये व्यय कर चुकी थी ।

गन्दी बस्तियों के हटाने की योजना के अमल मे आने पर ज्ञात हुआ कि गन्दी बस्तियो का अधिग्रहण बडा मंहगा है---विशेषकर बडे नगरो के भीतर । साथ ही गन्दी बस्तियो को जल्दी हटाने के लिए वर्तमान अधिग्रहण विधि अत्यन्त असुविधाजनक है । ऐसी बस्तियो के अधिग्रहण करने की विधि में तेजी लाने और मुवाविजा की नीची रकम दर तय करने के लिए विधान सभा में य० पी० गन्दी बस्ती (हटाने एव सुधार) विधेयक, १९६० पेश किया गया । प्रस्तावित कानून मे गन्दी बस्तियो के हटाने तथा सुधार करने के लिए समर्थ अधिकारी के लिए 'समरी पावर' का प्राविधान किया गया । यह विधेयक दोनो सदनो की संयुक्त प्रवर समिति के सम्यक परीक्षण हेतु भेज दिया गया ।

ग्रामीण गृह-निर्माण परियोजनाएं---गांवो के समन्वित विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गांव गृह-निर्माण परियोजनाओ के सिलसिले मे ग्रामीण क्षेत्रो मे आवास गृहो के निर्माण एवं सुधार के लिए ऋण के रूप में वित्तीय सहायता की व्यवस्था की गयी । यह योजना सामुदायिक विकास खन्डो के चुने हुए गावो मे केन्द्रित की गयी । सब मिलाकर अब तक ५८० गांव चुने गये और

३१८ गावो मे सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण पूरा किया गया। ५०३ गावो के मास्टर प्लान भी तैयार कर लिये गये थे।

आलोच्य वर्ष मे १८२ गाव चुने गये। इनमे से अधिकतर गावो तथा १९५९-६० मे चुने गये गावो के सामाजिक, आर्थिक एवं शारीरिक सर्वेक्षण पूरे कर लिये गय और मास्टर प्लान भी बना लिये गये। १,८१८ गृहो के निर्माण के लिए ११,०१,१७० रु० की धनराशि वितरित की गयी जिसमें से ४८६ आवास गृह पूरे किये और शेष का निर्माण जारी था। इस प्रकार दूसरी पंच वर्षीय योजना की अवधि में ३.६९८ गृहो के निर्माण के लिए ३१.९७ लाख रु०की कुल धनराशि वितरित की गयी, जिसमे ५८५ गृह बन चुके हैं और शेष या तो बन रहे हैं या उन पर काम लगा है।

भूमि अधिग्रहण एवं विकास योजना--भारत सरकार द्वारा १९५९-६० की अवधि मे भूमि अधिग्रहण एवं विकास योजना का श्रीगणेश किया गया। इस योजना का उद्देश्य गृह-निर्माण योजनाओ के कार्यान्वयन के लिए भूमि का अधिग्रहण एव विकास करना था। इस योजना को भारत सरकार से प्राप्त ऋण की सहायता से चलाया जा रहा था। राज्य सरकार ने विविध गृह-निर्माण योजनाओ के कार्यान्वयन के सिलसिले में काफी भूमि अधिग्रहण कर तथा उसके विकास के लिए स्थानीय निकायो को ऋणो का वितरण किया।

आलोच्य वर्ष मे कानपुर, इलाहाबाद और लखनऊ की नगर महापालिकाओ तथा गाजियाबाद के इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट को ४७ २० लाख रुपये का ऋण दिया गया। इस प्रकार दूसरी पंचवर्षीय योजनावधि मे इस योजना के लिए ५७ २० लाख रुपये की धनराशि दी गयी। गाजियाबाद में बडे पैमाने पर भूमि अधिग्रहण करने और उसके विकास करने की योजना चलायी गयी और कानपुर के काकादेव क्षेत्र मे भूमि विकास का काफी काम किया गया।

मध्यम वर्ग आयीय गृह-निर्माण योजना--मध्यम वर्ग आयीय गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत ६,००० रु० से १५,००० रु० वार्षिक आय वालों मध्यम वर्ग के व्यक्तियो के लिए दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था थी, जिसका श्रीगणेश राज्य मे १९५८-५९ की अवधि में किया गया था। आलोच्य वर्ष मे उपयुक्त व्यक्तियो के गृह-निर्माण के लिये ऋण देने हेतु यू० पी० कोआपरेटिव वैन्क, लिमिटेड और अनेक स्थानीय सस्थाओ को ३० लाख रुपये का ऋण दिया गया। इस योजना के अन्तर्गत दूसरी पंचवर्षीय आयोजनावधि मे १०१ लाख रुपये की धनराशि ऋण रूप मे दी गयी।

१०--स्वशासन इंजीनियरिंग

नगरों की जल-सप्लाई एवं गन्दे पानी की निकासी--दूसरी पचवर्षीय आयोजना के लिए निर्धारित जल-सप्लाई तथा गन्दे पानी की निकासी की योजनाओ के कार्यो की पूर्ति पर विशेष बल दिया गया। सम्बन्धित स्थानीय निकायो के अलावा कानपुर नगरमहापालिका को इन कार्यो के लिए कुल १५२ लाख रुपये का ऋण दिया गया। वर्तमान जल-सप्लाई तथा गन्दे पानी की निकासी के कार्यों के प्रसार एवं पुनस्संगठन के कार्य के साथ-साथ इस धनराशि से (बाराबकी, गोण्डा, राय बरेली, सुल्तानपुर, महोबा, बहेड़ी, चुनार, शिकोहाबाद, बड़ौत, लखीमपुर खीरी, कालपी, कौंच, टनकपुर, पुरानी बस्ती, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, शामली, भदोही, बिन्दकी, पोखरायां, अहरौरा, मऊरानीपुर, अतरौली, सिकन्दरा राओ, चौहारपुर, कांधला) की २७ नयी जल-सप्लाई योजनाए और मोवाना तथा गोरखपुर की दो गन्दे पानी की निकासी की योजनाएं चालू की गयी।

बाराबंकी, गोण्डा, राय बरेली, सुल्तानपुर, महोबा, बहेडी, चुनार, शिकोहाबाद, बडौत, लखीमपुर खीरी, कालपी, अमरोहा और शामली मे नये वाटर वर्क्स बन कर तैयार हो गये।

इस प्रकार अब तक कुल ८६ वाटर वर्क्स तथा २७ गन्दे पानी की निकासी के कार्य पूरे किये गये। अवशेष कार्यों के पूरा होने मे और समय लगने की संभावना थी।

ग्रामीण जल-सप्लाई--अलोच्य वर्ष मे देहरादून जिले की कोलागढ़ की जल सप्लाई के, नये कार्य के अलावा, ग्रामीण क्षेत्रो में जल सप्लाई के सिलसिले मे देहरादून जिले के ४० गांवो, बादा जिले के पाथा क्षेत्र के ६० गावो, उन्नाव जिले के २० गावो ,गढ़वाल भाबर गवर्नमेन्ट इस्टेट में हाल्दू खाता सर्किल के १७ गावो और जल-सप्लाई तथा सफाई योजना के अन्तर्गत लखनऊ जिले के चिनहट विकास खण्ड के १६ गावो और मेरठ जिले के मेरठ विकास खण्ड के १२ गांवो में ५,३४,७६० रुपये की लागत से कार्य हो रहा था।

इस अवधि में देव प्रयाग तथा टेहरी की जल सप्लाई परियोजनाओ का कार्य चालू था।

मल-मूत्र उपयोग योजना--इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर,हरद्वार,आगरा और देहरादून में मल-मूल उपयोग योजना के अन्तर्गत कार्य जारी था जिसे गत वर्ष 'अधिक अन्न उपजाओ' अभियान के सिलसिले में शुरू किया गया था आलोच्य वर्ष में इन योजनाओ के लिए ७.६ लाख रुपये तक की धनराशि स्वीकृत की गयी थी।

सीमान्त क्षेत्रो मे जल-सप्लाई--नवनिर्मित स्वशासन इंजीनियरिंग विभाग के चमोली डिवीजन ने पिथौरागढ ,गोपेश्वर, उत्तरकाशी, और चमोली मे जल-सप्लाई की योजनाएं (२,८७,००० रु० और २,७३,६७१ रु० की लागत) से शुरू की गयीं और कार्य चालू था।

तीसरी पाली के एवज मे, जिसकी नितान्त आवश्यकता समझी गयी, एक महिला शाखा राजकीय मुद्रणालय मे प्रयोग के रूप मे चालू की गयी, जिसका कार्य सतोषजनक रहा। यह शाखा, जो पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितो के पुनर्वास के लिये खोली गयी थी, बहुत बडी सख्या मे फाइल बोर्ड, लिफाफे आदि बनाने में सहायक हुई। यह काम कम खर्च से तथा समय के भीतर पूरा किया गया।

अपरेटिसशिप ट्रेनिग स्कीम के अन्तर्गत सरकारी मुद्रणालयो में लोगो को विभिन्न क्राफ्टो मे प्राविधिक प्रशिक्षण देने का कार्य जारी रहा। नार्दर्न रीजनल स्कूल आफ प्रिटिग टेक्नोलोजी के अन्तिम वर्ष कई प्लान्ट की ट्रेनिग भी दी गयी। कुछ सफल छात्रो को रोजगार भी दिया गया।

विद्युत शक्ति की सप्लाई पर व्यय को कम करने की दृष्टि से डी० सी० को ए० सी० विद्युत् शक्ति को बदलने की एक योजना चलायी गयी और उस पर कुछ अमल भी हुआ। रोटेशन शक्ति को हाई टेशन शक्ति मे परवर्तित किया गया और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक ट्रासफार्मर लगाया गया।

बाहर से आने वाले तथा बाहर जाने वाले मालो के लिए अब तक कोई पर्याप्त शेड की व्यवस्था न थी, इसलिए एक शेड बनाया गया। लखनऊ मे स्थित सभी सरकारी विभागो को लेखन सामग्री की सप्लाई की सुविधा देने के लिए नवीन राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ मे एक लेखन-सामग्री का डिपो खोला गया। इसके फलस्वरूप रेलवे चार्जो (फ्रेट) मे काफी बडी बचत की आशा की गयी।

जगह की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने एक अलग मशीन का कमरा, मेकेनिक कम्पोजिग का, एक ब्लाक, कागज का गोदाम, कागज और माल, रद्दी कागज और सरकारी गाडियो कारखाने के लिए शेडो के निर्माण के लिए स्वीकृति दी। सरकार लखनऊ के मुद्रणालय के लिए तथा इलाहाबाद के प्रमुख मुद्रणालय के निम्नतम कर्मचारियो तथा वाच एवं वार्ड के लिए कुछ क्वार्टरों की व्यवस्था की और पुराने क्वार्टरों की बडे पैमाने पर मरम्मत करने की स्वीकृति दी।

अधिक स्थायी पदो की व्यवस्था करने के सरकारी निर्णय से ५ साल मे अधिक काल की नौकरियो वाले कर्मचारियो को लाभ हुआ।

आलोच्य वर्ष में प्रबन्धकर्त्ताओ और श्रमिको के आपसी सबध म और सुधार हुआ।

३—सरकारी वर्कशाप

४७.५० लाख रुपये के काम के भार के साथ वित्तीय वर्ष १९६०-६१ प्रारम्भ हुआ। इस अवधि में ४३.४७ लाख रुपये की कीमत के आर्डर प्राप्त किये गये। इस प्रकार वर्कशाप द्वारा किये गये कुल काम की ९० ९७ लाख रुपये हो गयी। सिंचाई की विभिन्न वर्कशापो, रुड़की मेरठ, बरेली, और झांसी, ने वर्ष भर में ५०.०० लाख की कीमत का काम किया। इस प्रकार १९६१–६२ के लिए ४०.९७ लाख रुपये की कीमत का काम बच रहा। इन आर्डरो में मुख्यतया सरकारी विभाग, अन्य प्रदेशो और रेलवे के आर्डरो का काम किया गया। इनका विवरण निम्नलिखित है—

	लाख रुपयो मे
१—सिंचाई विभाग	२१ ७५
२—विद्युत विभाग	०.७६
३—सार्वजनिक निर्माण (भवन एवं सडकें)	९.१२
४—नियोजन विभाग	२.९१

	लाख रुपयों में
५—रेलवे तथा डाइरेक्टर जनरल आफ सप्लाई तथा डिस्पोजल्स	६.६८
६—स्वशासन इजीनर्यारग विभाग	०.९४
७—अन्य प्रदेश	१.८४
८—विविध विभाग	३.००

इस वर्ष मे जो मुख्य काम किये गये उनके विवरण निम्न प्रकार थे :—

१—बहुत-सी सिचाई परियोजनाओं के लिए उठाने के यत्रो सहित बाढ और स्लूइस दरवाजो, नलकूपो की फिटिंग के सामान, मोटरो और पम्पो के फुटकर पुर्जे,सूराख करने के यत्र और टेकेल्स आदि माताटीला बांध के लिए बल्क हेड गेट्स तथा रिहन्द बाध के लिए ट्रैश रैक्स ।

२—सब-स्टेशनो की फेंसिग , ट्रांसमिशन टावर, हाइडल फिटिंग और संबधित यंत्र ।

३—सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए १२० फुट से २२५ फुट तक के एक स्पेन वाले स्पात के पुल तथा पीपे के पुल ।

४—गाडियो और डिब्बो , पानी के टम्बो, सिगनल के खम्भो, एम० एस० स्टेजिग्स, सिगनलो के लिए वाइट रॉडिग, स्टीम ब्रेक वाल्व , असेम्बली और परिवर्तित इंजिनो द्वारा खीचने का तरीका ।

५—मिट्टी तोड़ने वाली मशीन के पुर्जों का निर्माण , भारी और हल्की फेरस एण्ड नान फेरस कास्टिंग ।

४—श्री बदरीनाथ और श्री केदारनाथ मन्दिर

श्री बदरीनाथ और श्री केदारनाथ समूह के मदिरो का प्रशासन श्री बदरीनाथ और केदारनाथ मदिर समिति द्वारा किया जाता रहा। आलोच्य वर्ष मे श्री बदरीनाथ मदिर के पवित्र मठ के दर्शनार्थ ८१,८६४ यात्री और केदारनाथ मदिर के दर्शन के लिए ६३,००० यात्री गये। इन मठो के दर्शन के लिए जाने वाले यात्रियो को सुविधा उपलब्ध करने के प्रयास जारी रहे। एक सफाई इस्पेक्टर के अधीन मेहतरो का एक दल पूरी अवधि के लिए सफाई का उचित प्रबन्ध करने हेतु रखा गया। समिति के सामने बदरीनाथ और केदारनाथ के लिए पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराने की एक योजना थी। बदरीनाथ और केदारनाथ के रास्ते मे प्रसिद्ध तीर्थस्थलो मे भी इस योजना का प्रसार करना था। जोशीमठ और बदरीनाथ मे समिति के कतिपय विश्राम-गृहो मे सैप्टिक टैंक टाइप लैट्रिनो का निर्माण किया गया। बदरीनाथ और गुप्तकाशी मे सभी सामानो से सुसज्जित एक एक औषधालय भी थे। इस अवधि में बहुत से बीमार तीर्थयात्रियो और अन्य रोगो का उपचार किया गया।

सामान्य शिक्षा एवं धार्मिक उपदेश—आलोच्य वर्ष में जोशीमठ मे चल रहे श्री बदरीनाथ वेद-वेदाग महाविद्यालय का तीसरा साल था। इस वर्ष मे इस महाविद्यालय मे शिक्षा प्राप्त करने वालो की कुल संख्या ७० थी। इस समिति ने सस्कृत एव आयुर्वेदिक शिक्षा के प्रचार के लिए विभिन्न स्कूलो मे अध्ययन करने वाले योग्य छात्रो मे ३,७७८.९५ रुपये की छात्रवृत्ति वितरित की। संस्कृत की शिक्षा देने वाली बहुत-सी सस्थाओ को ३,२४० रुपये का अनुदान उपलब्ध किया गया।

ट्रस्ट की प्रबन्धकारिणी की एक योजना के अनुसार श्री बदरीनाथ और श्री केदार नाथ पवित्र मठो के दर्शनार्थ आये हुए गरीबो और साधुओ को नि शुल्क भोजन और बीमार तथा अपाहिज लूले-लगडे यात्रियो को ले जाने के लिए गढ़वाल सदाबरत फन्ड के अधिकाश राजस्व का उपयोग किया गया जो इस समिति के प्रबन्ध एव प्रशासन में था।

५—मेला

प्रयाग का १९६०–६१ का माघ मेला एक साधारण मेला था। (कुंभ या अर्धकुभ के बाद पड़ने वाला माघ मेला बहुधा छोटा होता है।) सरकार ने मेला के लिए आवश्यक प्रवन्ध किये। गगा के दाहिने किनारे पर भूमि की कमी के कारण मेला अरैल तथा झूंसी की तरफ लगा। यात्रियो को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की सुविधा प्रदान करने के लिए पीपे का पुल बनाया गया और नदी के किनारे को और कटाव से बचाने के लिए भी आवश्यक व्यवस्था की गयी। यात्रियो की सुरक्षा एवं सुविधा के लिए और बहुत से प्रबन्ध किये गये। मेला के सामान्य प्रशासन के लिए १,५३,६०० रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गयी।

६—पर्यटन

इस अवधि में पर्यटन के सिलसिले मे ३ ५० लाख रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गयी। पर्यटन सबधी कार्य-कलापो का दो वर्गों मे विभाजन किया गया—(१) राज्य मे वर्तमान पर्यटन स्थलो का प्रचार और उन स्थलो तक जाने की उपलब्ध सुविधाए (२) इन सुविधाओ मे वृद्धि।

मथुरा, हरद्वार, मिर्जापुर और चित्रकूट गे मे निम्न आयीय वर्ग के लिए होटलो के निर्माण तथा श्री केदारनाथ के रास्ते मे यात्रियो के ठहरने के लिए शेडो के निर्माण के प्रस्ताव विचाराधीन थे।

७—चिड़ियाघर

जंगली पशुओ और पक्षियो को उनकी स्वाभाविक अवस्थाओ मे प्रदर्शित करना चिड़ियाघर, लखनऊ का एक महत्वपूर्ण कार्य रहा। वैज्ञानिक एवं शैक्षणिक मूल्य के अतिरिक्त इस सस्था ने बच्चो तथा सामान्य जनता के स्वस्थ मनोरजन के लिए सुविधा प्रदान की। अक्तूबर, १९६० की बाढ से क्षतिग्रस्त भवनो की मरम्मत के लिए सरकार ने १ लाख रुपये की धनराशि स्वीकृति की। आलोच्य वर्ष मे पशुओ के समूह मे एक उल्लेखनीय वृद्धि हुई और वह थी अफ्रीका के एक शेर के जोडे की। कुछ दुर्लभ पक्षियो ने चिड़ियाघर के आकर्षण मे वृद्धि की। इमारतो के संबंध मे बहुत से सुधार हुए। शेर के लिए एक नया कटघरा, कार्यालय-भवन और नौकरों के क्वार्टरो का निर्माण किया गया। वैज्ञानिक अनुसधानो की प्रयोगशाला के केन्द्र और वन्य पशुओ के बारे मे नवीनतम ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए एक पुस्तकालय की भी व्यवस्था की गयी।

चिड़ियाघर के बगीचो मे पानी की सप्लाई और बढ़ाने के लिए कदम उठाये गये। चिड़ियाघर की बेकार जमीन को सीचने तथा हिरनो के लिए हरे चारो की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकार ने दो वर्तमान कुंओ में पम्पिंग मोटर लगाने के लिए ८,००० रु० के अतिरिक्त अनुदान की व्यवस्था की है।

राज्य स्वास्थ्य बोर्ड ने घास के मैदानो (लानो) मे फिर से घास उगाने और बोने के लिए ४,००० रुपये स्वीकृत किये। यह कार्य चल रहा था और शीघ्र ही पूरे किये जाने की आशा थी।

चिड़ियाघर के दर्शनार्थियो की सख्या मे अक्तूबर, १९६० की बाढ़ के कारण कमी हुई थी, क्योकि यह लगभग तीन सप्ताह बन्द रहा। इस अवधि में चिड़ियाघर देखने वालो की सख्या ४,५७,४०० थी।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १७ जनरल (पब०)— १९६३—१,२५० । (हि०)

विषय-सूची

अध्याय १—सामान्य प्रशासन

अध्याय ७—सार्वजनिक राजस्व और वित्त

पृष्ठ-संख्या

अध्याय ८—राजनीतिक

अध्याय ९—समाचार-पत्र

टिप्पणी—इस खंड में सम्मिलित किये गये विवरण सामान्यतः १९६०–६१ से सम्बन्धित है। जहा विशेष कारणों से वित्तीय वर्ष से संबधित आंकडे देना सम्भव नहीं हो सका, वहा विवरण की अवधि पाद-टिप्पणी के रूप में जोड़ दिया गया है।

उत्तर प्रदेश राज्य की वार्षिक रिपोर्ट, १९६०-६१

खण्ड २

अध्याय १

सामान्य प्रशासन

उत्तर प्रदेश सरकार

श्री वराहगिरि वेंकट गिरि के पश्चात् १ जुलाई, १९६० से डा० बूरुगुल रामकृष्ण राव ने राज्यपाल का पदभार सम्भाला।

वर्ष के आरम्भ मे राज्य-मन्त्रियो सहित मन्त्रियो की कुल सख्या १० थी। डा० सम्पूर्णानन्द के काग्रेस विधान मंडलीय दल के नेतृत्व से पद-त्याग कर देने के उपरान्त राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष श्री चन्द्रभानु गुप्त निर्विरोध कांग्रेस विधान मंडल दल के नेता चुने गये। डा० सम्पूर्णानन्द के मुख्य-मन्त्रित्व में सचालित शासन ने ७ दिसम्बर, १९६० को पद-त्याग कर दिया और उसी दिन श्री चन्द्रभानु गुप्त के मुख्य-मन्त्रित्व मे नयी सरकार बनी। उसी दिन मुख्य मन्त्री, मन्त्रि-मंडल के तीन अन्य मन्त्री, ५ राज्य-मन्त्री तथा ४ उप-मन्त्रियो ने अपने पद की शपथ ग्रहण की। कुछ दिनों के अनन्तर श्रीमती सुचेता कृपालानी ने मन्त्रि-मंडल के मन्त्री के रूप मे अपने पद की शपथ ग्रहण की। २९ जनवरी, १९६१ को श्री हरगोविन्द सिह मन्त्रि-मंडल के सदस्य नियुक्त हुये। उसी दिन श्री अलगूराय शास्त्री की नियुक्ति राज्य-मन्त्री के रूप में हुई। उसके कुछ ही दिनों के बाद श्री गिरधारी लाल की नियुक्ति मन्त्री के रूप में हुई। वर्ष के अन्त में उत्तर प्रदेश मन्त्रि-मंडल के सदस्यो और उनके विभागो की नामावली नीचे प्रस्तुत है—

मंत्री

नाम	विभाग
(१) श्री चन्द्र भानु गुप्त ..	मुख्य मन्त्री, सामान्य प्रशासन, नियोजन, उद्योग, विद्युत, सूचना, खाद्य एव पूर्ति, स्वास्थ्य और हरिजन कल्याण।
(२) श्री हुकुम सिंह विसेन ..	न्याय, राजस्व और सहायता एव पुनर्वास।
(३) श्री चरण सिह ..	गृह एव कृषि।
(४) आचार्य जुगल किशोर ..	शिक्षा एवं समाज कल्याण।
(५) श्रीमती सुचेता कृपालानी ..	सामुदायिक परियोजनाएं, ग्राम एवं लघु उद्योग तथा श्रम।
(६) श्री हरगोविन्द सिह ..	वित्त।
(७) श्री गिरधारी लाल ..	सार्वजनिक निर्माण।

राज्य-मंत्री

नाम		विभाग
(१) श्री मंगला प्रसाद	..	सहकारिता एवं संसदीय मामले।
(२) श्री मुजफ्फर हसन	..	यातायात।
(३) श्री राममूर्ति	..	सिचाई।
(४) श्री सीताराम	..	आबकारी।
(५) श्री कैलाश प्रकाश	..	स्वायत्त शासन।
(६) श्री अलगूराय शास्त्री	..	अर्थ एवं सांख्यकी तथा वन।

७ दिसम्बर, १९६० को डा० जवाहर लाल रोहतगी, श्री रऊफ जाफरी, श्री शांति प्रपन्न शर्मा तथा श्रीमती प्रकाशवती सूद की उपमन्त्री के पदो पर नियुक्ति हुई। २९ जनवरी, १९६१ को सर्वश्री रामस्वरूप यादव, वसी नकवी, धरमसिह तथा उदय शकर दुबे उपमन्त्री नियुक्त किये गये। उसी दिन श्री कृपाशकर अवैतनिक ससदीय सचिव नियुक्त हुए। डा०रामनारायण पांडे पहले ही ११ जनवरी, १९६१ को अवैतनिक ससदीय सचिव नियुक्त किये जा चुके थे।

वर्ष के अन्त में निम्नलिखित उपमन्त्री तथा अवैतनिक ससदीय सचिव अपने पदो पर कार्य कर रहे थे—

उपमन्त्री

नाम		जिस मन्त्री के साथ सम्बद्ध थे
(१) डा० जवाहर लाल रोहतगी		मुख्य मन्त्री।
(२) श्री रऊफ जाफरी	..	मुख्य मन्त्री।
(३) श्री शाति प्रपन्न शर्मा	..	मुख्य मन्त्री तथा ससदीय मामलो के राज्य मन्त्री
(४) श्रीमती प्रकाशवती सूद	.	शिक्षा मन्त्री।
(५) श्री रामस्वरूप यादव	..	शिक्षा मन्त्री।
(६) श्री वसी नकवी	..	श्रम मन्त्री।
(७) श्री धरमसिह	..	मुख्य मन्त्री।
(८) श्री उदयशंकर दुबे	..	राजस्व मन्त्री।

अवैतनिक संसदीय सचिव

(१) डा० रामनारायण पाडेय		मुख्य मन्त्री।
(२) श्री कृपाशंकर	..	यातायात के राज्य मन्त्री।

२—प्रशासकीय कार्य

कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण

न्यायपालिका से कार्यपालिका को पृथक करने सम्बन्धी घोषित नीति से सम्बद्ध योजना को १४ और जिलों मे प्रसारित किया गया। यह योजना राज्य के २० जिलों में पहले से ही

बेच रही थी। दूसरे वर्ष इस योजना को शेष जिलो में, जिनमें पहाड के ७ जिले भी शामिल थे, परिचालित किया जाता था।

भारतीय प्रशासन सेवा

तृतीय पंच-वर्षीय आयोजना के आरम्भ के फलस्वरूप बढ़े हुये चतुर्दिक कार्यकलाप के लिए राज्य द्वारा और अधिक अधिकारियो की माग पूरी करने के लिए इस वर्ष भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए निर्धारित भारतीय प्रशासन सेवा श्रेणी के अधिकारियो की संख्या को २४१ से बढाकर २४६ कर दी।

नये विभागों का सृजन

शासन के कार्यो मे वृद्धि होने के फलस्वरूप सचिवालय के कार्यो मे भी विशेषतः नियोजन, खाद्य एवं पूर्ति, सहकारिता, यातायात तथा चिकित्सा शाखाओ मे काम बढा। इस बढ़े हुये काम को पूरा करने के लिए इन शाखाओ में से प्रत्येक में एक-एक नये विभाग का सृजन किया गया। इनके अतिरिक्त उत्तराखंड डिवीजन के विकास कार्य की देख-रेख के लिए एक नया विभाग भी खोला गया।

संगठन एवं कार्य-प्रणाली शाखा

अप्रैल, १६६० मे संगठन एवं कार्य-प्रणाली शाखा खोली गयी जिसमें सगठन एव दफ्तरो मे कार्य-प्रणाली के निर्धारण कार्य को पूरे समय करने के लिये तीन अधिकारियो की नियुक्ति की गई। उप-सचिव तथा अनु-सचिव के एक-एक पद ऐसे थे, जो पहले ही से सचिवालय में चले आ रहे हैं। इस सम्बन्ध में उनका उपयोग किया गया और दो० पी० सी० एस० अफसरो की नियुक्त की गयी। उपसचिव तथा अनुसचिव को क्रमश संगठन एव कार्य प्रणाली शाखा के उप-निदेशक तथा सहायक निदेशक का नाम भी दिया गया। सहायक निदेशक के एक पद का सृजन किया गया और उत्तर प्रदेशीय वित्त एव लेखा सेवा का एक अधिकारी उस पर लगाया गया। यह निश्चय किया गया कि कार्यालय निरीक्षणालय से ४ निरीक्षको को इन अधिकारियो के कार्य में सहायता देने के लिए माग लिया जाय। आरम्भ मे तीन कार्यालय निरीक्षको को सगठन एवं कार्यप्रणाली शाखा के साथ सरकार के वित्त मन्त्रालय के दिल्ली स्थिति विशेष पुनर्गठन टोली के पास अल्पकालिन प्रशिक्षण के लिए तैनात कर दिया गया। बाद को यह निश्चय किया गया कि इन कार्यालय निरीक्षको के स्थान पर उसी वेतन-क्रम में सगठन एवं कार्य-प्रणाली शाखा अधिकारियो की नियुक्त की जाय और सचिवालय के सहायक अधीक्षको में से ही यह नियुक्ति उस समय की जाय जब कि कोई निरीक्षक अवकाश प्राप्त करे। आलोच्य वर्ष मे एक संगठन एवं कार्य-प्रणाली अधिकारी नियुक्त किया गया और दो कार्यालय निरीक्षक शाखा मे कार्य करते रहे।

संगठन एव कार्य-प्रणाली शाखा ने कार्य-अध्ययन की प्रणाली अपनायी। यही प्रणाली सफलतापूर्वक कई अन्य देशो तथा भारत सरकार की विशेष पुनर्गठन टोली द्वारा अपनायी गयी थी। यह निश्चय किया गया कि सचिवालय कार्य-अध्ययन सर्वप्रथम शाखा के बाद शाखा का और विभाग के बाद विभाग का आरम्भ किया जाय। इसका आरम्भ सर्वप्रथम मुख्य सचिव शाखा और गृह-सचिव शाखा से हुआ। इलाहाबाद स्थित कार्यालय निरीक्षणालय के सहयोग से लोक सेवा आयोग के कार्यालय का कार्य अध्ययन भी आरम्भ किया गया।

कार्यालयों का निरीक्षण

कार्यालयो के निरीक्षणालय के दफ्तरो के काम के तरीको को आसान बनाने तथा अनावश्यक कार्यो को समाप्त करने की ओर मुख्य रूप से ध्यान दिया। लम्बी-लम्बी निरीक्षण टिप्पणिया न लिख करके केवल मुख्य बातो पर ही जोर दिया गया। कार्यालय के निरीक्षकों ने यथासम्भव उन कार्यालयो के कर्मचारियो को सहायता देने का प्रयास किया।

कुल १,०१५ कार्यालयों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षणालय द्वारा कर्मचारियों से सम्बद्ध उन ९८ मामलो की जाच की गयी, जो उन्हे सौपे गये थे। इसके अतिरिक्त संगठन एवं कार्यप्रणाली शाखा द्वारा लोक-सेवा आयोग के कार्यालयो के कार्याध्ययन मे भी सहयोग दिया गया। जांच के लिए जो ९८ मामले उसे सौंपे गये थे, उनमे से ८९ के विषय में रिपोर्ट पूरी कर ली गयी।

कार्यालयो के मुख्य निरीक्षक तथा तीन निरीक्षक कार्याध्ययन के तकनीक में ६ हफ्ते के प्रशिक्षण के लिए भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय की विशेष पुनर्गठन टोली के पास भेजे गये थे। विभागीय कार्यालयो के निरीक्षण के सम्बन्ध में निरीक्षणालय को अब संगठन एवं कार्य प्रणाली का ढंग अपनाना था। चतुर्दिक निरीक्षण की एक प्रणाली आरम्भ की गयी और प्रत्येक विभाग के लिए निरीक्षणालय द्वारा उसी के अनुसार कार्य होना था। यह विचार किया गया कि इस प्रणाली के अन्तर्गत निरीक्षको का एक दल एक साथ ही एक विभाग के कई कार्यालयो का सभी स्तरो पर निरीक्षण आरम्भ करेगा और यह सामान्य निरीक्षण न होगें वरन् इनके सिलसिले मे गठन एव आकार से सम्बद्ध मामलो का भी विस्तार से निरीक्षण होगा। उल्लिखित प्रणाली से शिक्षा एवं यातायात विभागों का चतुर्दिक निरीक्षण आलोच्य वर्ष मे पूरा किया गया।

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश

पिछले कुछ वर्षो से लोकसेवा आयोग का कार्य बहुत बढ़ गया था, अत आयोग के कार्यालय मे बढे हुए काम को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियो की स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी थी। आयोग के कार्यालय मे स्थान की कमी का अनुभव किया जा रहा था और नये भवन के निर्माण अथवा अतिरिक्त स्थान की किसी अन्य व्यवस्था के विषय मे विचार किया जा रहा था। आयोग के कर्मचारियो के लिए दो आवासो का निर्माण भी किया गया और तीसरे का निर्माण हो रहा था।

परिवार नियोजन के सिलसिले निर्बीजीकरण हेतु विशेष आकस्मिक अवकाश

परिवार नियोजन के अन्तर्गत निर्बीजीकरण कराने वाले सरकारी कर्मचारियो को शासन के पहले के निश्चय अनुसार मिलने वाली कार्य के ६ दिनो तक के विशेष आकस्मिक अवकाश की सुविधा अब राज्य के औद्योगिक कर्मचारियो को भी दे दी गयी।

जाड़े मे कुमायूं डिवीजन के कार्यालयो मे लकड़ी के कोयले की व्यवस्था

देहरादून जिले के पहाडी क्षेत्रो तथा कुमायूं डिवीजन मे स्थित सरकारी दफ्तरो मे कार्य के दिनो मे अधिकारियो तथा कर्मचारियो के प्रयोग के लिए लकड़ी का कोयला देने का आदेश दे दिया गया था। यह व्यवस्था वहा भी कर दी गयी, जहा जाडे के महीनो मे अगीठी की व्यवस्था आवश्यक समझी गयी (१५ नवम्बर से १५ मार्च तक की अवधि मे)। यह आदेश उत्तराखण्ड डिवीजन मे काम करने वाले अधिकारियो एव कर्मचारियो के लिए भी आवश्यक संशोधनो के साथ लागू कर दिया गया। लकड़ी के कोयले की कमी के कारण यह तय किया गया कि उसके स्थान पर उसी परिमाण में सौफ्ट कोक इस्तेमाल किया जाय और लकडी के कोयले का इस्तेमाल केवल उसी समय किया जाय जब सौफ्ट कोक के मिलने मे कठिनाई हो।

विस्थापित व्यक्तियो को फीस मे रियायत

राज्य सरकार ने यह निश्चय किया कि पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित लोगो को फीस की जो सुविधा दी गयी थी, उसे ३१ दिसम्बर, १९६१ तक और जारी रखा जाय।

छुट्टियां

छुट्टियो की सूची में इस वर्ष संशोधन किया गया और १९६१ के लिए छुट्टियो की सख्या २४ से घटाकर २० कर दी गयी। इनमे से दो ऐसी थीं जो केवल बैंक कर्मचारियो के लिए थीं। साम्प्रदायिक छुट्टियो की प्रथा समाप्त कर दी गयी और उसके स्थान पर ११ निर्बधित छुट्टिया घोषित की गयीं, जिनमे से प्रत्येक सरकारी कर्मचारी अपनी पसन्द की कोई दो छुट्टियां ले सकता था। इस प्रकार साम्प्रदायिक छुट्टियो के विरुद्ध यह आरोप कि उनके विषय मे यह धारणा उत्पन्न हो सकती थी कि उनके द्वारा धर्म-निर्पेक्ष भारतीय संघ के सिद्धान्तो के विरुद्ध साम्प्रदायिक भावनाओ को बल मिलने की सम्भावना थी, दूर हो गया। प्रत्येक राज्य कर्मचारी को अब एक वर्ष में नीचे लिखे अनुसार बिना भेद-भाव के २५ छुट्टिया लेने की छूट थी--

(१) निगोशिएबुल इस्ट्रुमेट ऐक्ट के अन्तर्गत घोषित सार्वजनिक छुट्टिया।
(२) निर्बंधित छुट्टियां।
(३) सरकार के प्रशासनिक आदेश द्वारा घोषित अतिरिक्त छुट्टिया।
(४) स्थानीय छुट्टियां।

राज्य कर्मचारी गृहस्थी के लिए आवश्यक सामान आदि खरीद सके, इसके लिए यह निश्चय किया गया कि १ दिसम्बर, १९६० से महीने के अन्तिम शनिवार, जबकि सामान्यत. उनके पास पैसे नही रह जाते, के स्थान पर महीने के दूसरे शनिवार को सभी कार्यालयो तथा सस्थाओ मे पूरे दिन की छुट्टी दे दी जाया करे। यह आदेश राज्य की ट्रेजरी और सब-ट्रेजरीज को छोडकर सभी राजनियत्रित संस्थाओ पर लागू था।

भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान

राज्य सेवाओ मे फैले हुए भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए १९४९ से आरम्भ किये गये विभिन्न कार्यो को जारी रखा गया। जिन मामलो मे वादी के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना रहती है, उनमे वादी को परेशान किये जाने से रोकने के प्रश्न पर सरकार ने विचार किया। फरवरी, १९६१ में राज्य के सभी अधिकारियो के पास इस आशय के आदेश भेज दिये गये कि सरकारी कर्मचारियो के विरुद्ध शिकायतो की जाच के सिलसिले मे शिकायत करने वालो का नाम पता आदि उन लोगों को, जिनके विरुद्ध शिकायत की गयी हो, तब तक नहीं बताया जायगा, जब तक कि जाच का कार्य उस स्थिति पर न पहुच जाय जहां नियमानुसार यह बताना आवश्यक हो।

उत्तर प्रदेशीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण

प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जिसकी स्थापना १९४७ के उत्तर प्रदेशीय अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही (प्रशासनिक न्यायाधिकरण) नियम के अन्तर्गत हुई थी, अपना कार्य पूर्ववत करता रहा। आलोच्य वर्ष ५ नये मामले इस न्यायाधिकरण को सौपे गये। ३१ मार्च, १९६१ तक इस न्यायाधिकरण द्वारा किये गये कार्य का विवरण नीचे प्रस्तुत है--

(१) न्यायाधिकरण को सौपे गये मामलो की सख्या	..	६३
(२) निर्णीत मामलो की सख्या	..	५२
(३) वे मामले जो निर्णय के पहले वापस ले लिये गये	..	२
(४) निर्णय दिये जाने के लिए शेष मामले	..	९*

वे ५२ मामले, जिनका निर्णय दिया गया, ६७ राज्य कर्मचारियो से सम्बन्धित थे, जिन मे से २९ पदच्युत कर दिये गये, एक कार्य-मुक्त किया गया, ३ को निकाल दिया गया, ३ को अनिवार्य सेवा निवृत्ति मिल गयी और १४ को अन्य दण्ड दिये गये। शेष लोगो में से १६ दोष-मुक्त पाये गये और एक ने स्वय पद-त्याग किया।

---

*इनमे से चार मामले सरकार के पास अनिर्णीत थे।

जिला भ्रष्टाचार निरोधक समितियां

उत्तराखण्ड डिवीजन के जिलों को छोड़कर राज्य के अन्य सभी जिलों मे भ्रष्टाचार निरोधक समितियां कार्य करती रही। जिला भ्रष्टाचार विरोधी समितियो के अध्यक्षो के गत वर्ष आयोजित अखिल प्रदेशीय सम्मेलन मे शासन द्वारा किये गये निश्चयो के अनुसार आलोच्य वर्ष में उत्तर प्रदेशीय भ्रष्टाचार निरोधक समित का गठन किया गया। मुख्य मन्त्री इस समिति के अध्यक्ष तथा गृह-मन्त्री उपाध्क्षय थे। इस समिति में १० और सदस्व मनोनीत किये गये थे, जो भ्रष्टाचार निरोधक समितियों के अध्यक्ष मे से लिये गये थे और उत्तराखण्ड डिवीजन को छोड़कर प्रत्येक डिवीजन मे से एक-एक के हिसाब से लिये गये थे। जून, १९६० में प्रत्येक समिति के लिए पूरे समय का कार्य करने के निमित्त एक-एक कनिष्ठ लिपिक तथा हिन्दी का एक-एक टाइपराइटर और समिति कार्यालय के लिए मकान भाड़ा स्वीकृत किया गया। इन मदो की व्यवस्था के महत्व की दृष्टि से राज्ल के आकस्मिक निधि से पैसे निकाल गये। यह आशा की गई कि इन सुविधाओ की व्यवस्था हो जाने पर यह भ्रष्टाचार निरोधक समितिया अपना कार्य सुचारु रूप से करेगी।

पूर्व वर्ष की भाति प्रत्येक समित ने १९६०-६१ वर्ष मे भ्रष्टाचार एवं घूसखोरी के विरुद्ध प्रचार के लिए ४७५ रुपये की स्वीकृत किये गये।

विलीनीकृत राज तथा औपनिवेशिक बस्तियां

(क) दातव्य भत्ते पेंशन इत्यादि--गत वर्षो की भाति कुछ लोगो को पहले से मिलने वाले दातव्य भत्ते, पेंशनो को मिलने वाली पेंशने राजाओ के सम्बन्धी एव नौकरो को मिलने वाले भत्ते इस वर्ष भी दिये जाते रहे।

(ख) निर्धारित उद्देश्यो के लिए अनुदान आदि--गत वर्षो की भाति इस वर्ष भी निम्नलिखित आवर्तक अनुदान तथा भुगतान दिये--

(१) रामपुर मे चिरकाल से चले आ रहे दातव्य कार्यो के लिये .. .. ५०,००० रुपये

(२) रामलीला, मन्दिरों तथा अन्य दातव्य सस्थाओ के लिये महाराज बनारस को . १,००,००० रुपये।

(ग) टेहरी-गढ़वाल मंदिर ट्रस्ट--महाराज टेहरी-गढवाल के परामर्श से टेहरी-गढ़वाल के मदिरो की व्यवस्था के लिये ट्रस्ट बनाने सम्बन्धी ट्रस्ट संविदा को अंतिम रूप दिया जा रहा था।

(घ) रैनपुर मंदिर ट्रस्ट, चर्खारी--इस मदिर की व्यवस्था सम्बन्धी ट्रस्ट सविदा को अन्तिम रूप दिया जा चुका था और उसे कार्यान्वित करने सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही की जा रही थी।

चलचित्रों का प्रदर्शन

स्थायी सिनेमाघर जो आय के मुख्य साधन थे, उनकी सख्या २३० से बढ़कर २४३ हो गयी। दूसरी ओर सचल सिनेमाघरो की संख्या, मेलो तथा प्रदर्शनियो मे थोड़े समय के लिए होने वाले प्रदर्शनो को छोडकर इस अवधि मे १७५ से घट कर १६४ हो गयी।

झंडा दिवस

भूतपूर्व सैनिको तथा उनके परिवारो को आर्थिक कठिनाई से उबारने तथा प्रतिरक्षा सेनाओं के काम काम करने वालो को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए धन एकत्रकरने के

निमित्त ७ दिसम्बर, १९५९ को वार्षिक झंडा दिवस मनाया गया। उस दिन एकत्र धन के सही आंकड़ों का पता तो अभी तक नही था लेकिन ऐसा पता चलता है कि १५ मई, १९६१ तक १,८०,५०० रुपये की रकम केन्द्रीय सैनिक, नाविक एवं वायुसैनिक परिषद् मे जमा की जा चुकी थी। यह स्पष्ट था कि समस्त एकत्र धन इस राज्य के लिए निर्धारित १,४०,००० रुपये लक्ष्य से पर्याप्त अधिक था।

नये डाक एवं तारघरों की स्थापना तथा पुरानो को परिचालित रखना

राज्य सरकार अपने खजाने से बागेश्वर (जिला अल्मोड़ा) के डाकखाने, भैरवा (जिला मिर्जापुर) के ब्रांच पोस्ट आफिस, कोन (जिला मिर्जापुर) के ब्राच पोस्ट-आफिस, भिनगा (जिला बहराइच) के तारघर और सतपुरी से बद्रीनाथ की ट्रंक-टेलीफोन लाइन पर होने वाले घाटे को पूरा करती रही। यद्यपि डाक और तार की सुविधाओ की व्यवस्था का उत्तरदायित्व भारत सरकार के तार एव डाक विभाग का है फिर भी राज्य सरकार ने विभिन्न प्रशासनिक एवं अन्य आधारो पर इन डाक और तारघरो में होने वाले घाटे को पूरा करने की गारंटी ली थी। डाक और तार विभाग उनको चलाने और उनकी देख-रेख इस गारंटी के आधार पर ही करने को तैयार था।

याचिकाएं एवं शिकायतें

याचिका विभाग में इस वर्ष कुल २९,५५६ याचिकाएं तथा शिकायते प्राप्त हुई जबकि इसके पूर्व वर्ष इनकी संख्या ३१,०७० थी। इनमें से २,१७७ याचिकाएं राष्ट्रपति के माध्यम से, ५,३३३ प्रधान मन्त्री तथा अन्य केन्द्रीय मन्त्रियो के माध्यम से और २२,०४६ सीधे सम्बन्धित व्यक्तियो द्वारा भेजी गयी थी।

कुल प्राप्त याचिकाओ मे से १८,०२६ याचिकाए सम्बन्धित अधिकारियो के पास उचित कार्यवाही के लिए भेज दी गयी और इसकी सूचना याचिका भेजने वालो को दे दी गयी, जबकि इसके पूर्व वर्ष २२,३२७ याचिकाए इस प्रकार भेजी गयी थी। २,६७२ मामलो के या तो सीधे उत्तर भेज दिये गये या उन्हे स्थानीय सम्बन्धित अधिकारियो के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए भेजने वालो के पास लौटा दिया गया। इसके पूर्व वर्ष ऐसी २,४९१ याचिकाए या तो लौटायी गयी थी या उनके उत्तर दे दिये गये थे। ऐसी याचिकाएं और शिकायते जिन पर बेनाम की या गलत नाम से भेजी गयी होने अथवा बहुत ही महत्वहीन होने के कारण कोई कार्यवाही करना सम्भव नही था, उनकी संख्या ८,८५८ थी जबकि इसके पूर्व वर्ष ऐसी ६,२५२ याचिकाएं और शिकायते प्राप्त हुई थी।

इस बात का प्रयत्न किया गया कि याचिकाएं देने वाले तथा शिकायत करने वालो की शिकायते दूर की जायं। ऐसे मामलो की जिनके सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही की याचिका विभाग द्वारा रिपोर्ट मागी गयी थी, की सख्या १,०९५ थी। आलोच्य वर्ष वास्तव मे प्राप्त रिपोर्टों की सख्या १,००१ थी, जिनमें अंतरिम रिपोर्टे और ऐसी याचिकाओ की रिपोर्टे भी सम्मिलित थी, जो इसके पूर्व वर्ष आवश्यक कार्यवाही के लिए संबद्ध अधिकारियो के पास भेजी गयी थी। ये रिपोर्टें जिन मामलो से सबद्ध थी, उनमे से १२७ मामलो मे शिकायत करने वालो की वास्तविक सहायता की जा सकती थी।

जैसा सामान्यत: होता था, ये याचिकाएं और शिकायते इस वर्ष भी प्राय: ऐसे सभी मामलो से संबद्ध थी, जिनकी कल्पना की जा सकती थी। इनमे से सबसे अधिक गाव के झगड़ो से सबद्ध थीं या भूमि संबधी अभिलेखो मे गलत इन्दराज के कारण उत्पन्न झगडों या भूमि के दखल-कब्जे से संबंधित थी और कुल शिकायतो का प्रतिशत २०.४ था जबकि इनका प्रतिशत इससे पूर्व वर्ष २१.३ था।

आलोच्य वर्ष राजनीतिक पीडितो द्वारा पेंशन या भूमि आदि के सबध मे भेजे गये आवेदन-पत्रो की संख्या मे अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इनकी संख्या कुल याचिकाओ की १५.६ प्रतिशत थी, जबकि इसके पिछले वर्ष इनकी संख्या केवल ९.९ प्रतिशत थी।

गाव-पचायतो के सदस्यो एव कार्यकर्त्ताओ के विरुद्ध तथा पचायत चुनाव के समय भ्रष्टाचार के विरुद्ध की गयी शिकायतो की सख्या इस वर्ष कुल प्राप्त याचिकाओ एव शिकायतो की ८.५ प्रतिशत थी। इससे पूर्व वर्ष पचायतो के सदस्यो एव कार्यकर्त्ताओ के विरुद्ध प्राप्त शिकायतो की सख्या कुल शिकायतो की केवल १ ५ प्रतिशत थी।

टी० बी० तथा अन्य रोगो की चिकित्सा के लिए आर्थिक सहायता तथा लघु उद्योगो की स्थापना के हेतु अनुदानो के लिए ही पर्याप्त सख्या मे आवेदन-पत्र प्राप्त हुए और उनकी संख्या कुल याचिकाओ और शिकायतो की क्रमश १०.७ और ७ २ प्रतिशत थी।

स्थानीय पुलिस द्वारा भ्रष्टाचार और परेशान करने तथा अपराधो के विरुद्ध उचित कार्य-वाही करने मे असफलता के संबध मे प्राप्त शिकायतो की सख्या में इस वर्ष कमी हुई और इनकी संख्या कुल याचिकाओ की ७.६ प्रतिशत थी, जबकि इसके पूर्व वर्ष इनकी संख्या २१.२ प्रतिशत रही।

बाढ़, सूखा तथा अग्निकाड के विरुद्ध सहायता सबधी याचिकाओ की सख्या कुल की ६.१ प्रतिशत थी, जबकि इससे पूर्व वर्ष इनकी संख्या ३ ३ प्रतिशत थी। इन याचिकाओ को बराबर की भांति प्राथमिकता दी गयी और इन्हे अविलम्ब सहायता के लिए सबधित अधिकारियो के पास भेज दिया गया। जिन व्यक्तियो ने याचिकाए भेजी थी, उनको भी सूचित कर दिया गया कि वे जिले के सबधित अधिकारियो से सहायता के लिए अविलम्ब संपर्क स्थापित करे।

अन्य स्पष्ट विषयो के सबध मे भेजी गयी याचिकाओ का सक्षिप्त विवरण नीचे प्रस्तुत है :—

याचिकाओ के विषय	कुल याचिकाओ के सदर्भ में इनका अनुपात	
	१९६०–६१	१९५९–६०
	प्रतिशत	प्रतिशत
(१) छात्र वृत्तियो अथवा पुस्तको के क्रयार्थ आर्थिक सहायता के लिए	७.९	४.९
(२) नौकरी की व्यवस्था के लिए	४.३	१०.२
(३) वृद्धावस्था पेशन के लिए	५.००	९ १
(४) चकबन्दी के विरुद्ध असतोष से सबद्ध ..	५.३	२.७५
(५) विभिन्न विभागो के प्रशासकीय नियंत्रण के अन्तर्गत कार्य करने वाले राज कर्मचारियो के विरुद्ध ..	१.१	१.१
(६) विविध	०.३	१.३

अध्याय २

भूमि प्रशासन

१—जमींदारी विनाश और भूमि सुधार

जौनसार बावर जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५६

आलोच्य वर्ष जौनसार बावर जमींदारी विनाश एवं भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ के अध्याय २ के अन्तर्गत प्रस्तावित बन्दोबस्त कार्य बन्द कर दिये गये ।

उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५६

उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र अधिनियम के अध्याय २ के अन्तर्गत २०६ नागर इकाइयो में कृषि क्षेत्रों की हदबन्दी की नोटिस दी गयी । इस प्रकार राज्य के ४५४ नागर इकाइयो में से ४३० इकाइयां इस कार्यक्रम मे आ गयीं । आलोच्य वर्ष ११७ इकाइयो मे हदबन्दी का कार्य पूरा कर लिया गया, जिसके फलस्वरूप ऐसी इकाइयो की संख्या १९५ हो गयी; किन्तु वर्ष के अंत में इनमें से कुछ क्षेत्रों मे उज्रदारिया फैसले के लिये बाकी रह गयी थी ।

ऐसे क्षेत्र, जिनमे अधिनियम की धारा लागू नहीं की गयी

आलोच्य वर्ष के अंत तक उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५०, तराई भावर राजकीय आस्थानों, उपनिवेशन क्षेत्रो, केन्द्रीय सरकार या अन्य किसी स्थानीय निकायो के आस्थानो, सार्वजनिक कार्यो के लिए ली गयी भूमि, नैनीताल जिले की पर्वतीय पट्टियो और अल्मोड़ा, गढ़वाल, टेहरी-गढ़वाल, पिठौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी के जिलों में लागू नहीं किया गया था।

भूस्वामित्व सीमा-निर्धारण

उत्तर प्रदेश भूस्वामित्व सीमा-निर्धारण अधिनियम, १९६० आलोच्य वर्ष में १९६१ का अधिनियम संख्या १ के रूप में पारित किया गया ।

कुमायूं उत्तराखंड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९६०

कुमायूं तथा उत्तराखंड जमींदारी विनाश और भूमि सुधार व्यवस्था अधिनियम, १९६० उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १७, १९६० के रूप में पारित किया गया । उन क्षेत्रो में, जहां के लिए यह अधिनियम लागू था, अर्थात् कुमायू और उत्तराखंड डिवीजनों की पर्वतीय पट्टियो में सर्वेक्षण तथा भूमि अभिलेखन कार्य जारी रहा।

भूतपूर्व मध्यवर्तियों को मुआविजा

१९६०-६१ के अंत मे मुआविजा की अंतिम रूप से निर्धारित रकम ६८,८७,९८,२९९रु० थी। आलोच्य वर्ष निम्न विवरण के अनुसार मुआवजा की रकमें बाटीं गयीं—

		रु०
(१)	बांडो के रूप में दिया गया मुआविजा	५४,०४,०००
(२)	नकद के रूप में दी गयी मुआविजा की रकम—	
	(क) शेष रकमों के भुगतान	३,५१,१४८
	(ख) उन लोगों को भुगतान, जिन्हें ५० रु० या उससे कम मिलते थे	१९,१९,८००
	(ग) अंतरिम मुआविजा के रूप में	४०,०७५
	योग ..	७७,१५,०२३

वर्ष के अंत तक मुआवजा के रूप में दी गयी कुल रकम ६४,७३,८५,३७३ रु० थी, जिसमें से ४८,४२ २५,६०० रु० बाडों के रूप मे तथा १६,३१,५६,४७३ रु० नकद दिये गये थे ।

सार्वजनिक ऋण कार्यालय—मुआविजा के बांडों की मांग तथा वितरण

मुआविजा तथा पुनर्वास अनुदान की विभिन्न रकमों के १२,४४,१५,८०० रु० के बाड इस वर्ष लखनऊ के सार्वजनिक ऋण कार्यालय द्वारा वितरित किये गये । इस प्रकार अब तक कुल ६४,२३,५८,२०० रु० मूल्य के बाड वितरित किये गये थे ।

वक्फों, ट्रस्टों तथा धर्मादा खातों को अन्तरिम वार्षिकी तथा ब्याज का भुगतान

वक्फो, ट्रस्टो तथा धार्मिक एवं दातव्य कार्यो के उद्देश्य से धर्मादा खातो को अंतरिम वार्षिकी के रूप में ४३,७७,६३३ रु० दिये गये। इनको लेकर अब तक इस मद में २,१६,८६,६२६ रु० दिये जा चुके है ।

उपर्युक्त वक्फों, ट्रस्टो तथा धर्मादा खातों को मुआविजा के रूप में उन्हें देय धन पर ढाई प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी दिया गया । आलोच्य वर्ष के अत तक कुल १५,५८६ आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें से १५,४८२ आवेदन-पत्रो पर अंतिम रूप से कार्यवाही की गयी, जिनमे कुल ५४,७५,६१८ रु० के भुगतान की व्यवस्था थी । अंतरिम ब्याज की रकम का अंत मे उस रकम मे समाधान किया जाना था जो इन सस्थाओं को अंत में ब्याज के रूप में मिलने वाली थी ।

सुन्नी तथा शिया वक्फ बोर्डो को अन्तरिम शुल्क का भुगतान

अभी तक राज्य के सुन्नी और शिया वक्फो को देय शुल्क का अनुमान लगाना संभव नहीं हो पाया था अतः आलोच्य वर्ष इन बोर्डो को अतरिम शुल्क के तौर पर क्रमशः २१,००० रु० और ६,५०० रु० का भुगतान किया गया ।

पुनर्वास अनुदान का निर्धारण एवं भुगतान

वर्ष के अंत तक पुनर्वास अनुदान के निर्धारण एवं भुगतान के संबंध में ७,५३,६०६ आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे । इनमे से ७,४१,८०५ आवेदन-पत्र स्वीकार किये गये । प्रस्तुत वर्ष ५५,१६,७०,५६ रुपयो के पुनर्वास अनुदान देने का निश्चय किया गया । ये १,१८,७११ आवेदन पत्रों के संबंध में थे। इनका विवरण नीचे दिया जा रहा है :—

		रु०
(१) ५० रु० या उससे कम की मदों के संबध में	..	८,३६,६७३
(२) ५० रु० से ऊपर के मदों से संबंध	..	५,४३,२७,०८३
योग		५,५१,६७,०५६

प्रस्तुत वर्ष ६,२२,८७,००० रु० मूल्य के बाडो की मांग की गयी थी और नीचे लिखे अनुसार बांडो तथा नगदी मे भुगतान किये गये :—

		रु०
(क) बाडो द्वारा किया गया भुगतान	..	१५,२६,७६,६००
(ख) नकद के रूप में, जिसमें सरकार की बाकी रकम का समाधान भी सम्मिलित है, भुगतान	..	७,७५,६०७
(ग) अवशेष पुनर्वास अनुदान नकद के रूप में बाड पाने वालों को भुगतान जिसमें सरकार की बकाया रकम का समाधान भी सम्मिलित है ..	..	५४,०५,१२३
योग		१५,८८,५०,६३०

. आलोच्य वर्ष के अंत तक वार्षिकी के लिए ३,६७४ आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। इनमें से प्रस्तुत वर्ष १,०१०आवेदन-पत्र विचारार्थ स्वीकृत किये गये और १,३०० वार्षि की नामावली निकाली गयी जिसमें कुल ६,७०,३४४ रुपयों के अनुदान का विवरण था। आरंभ से इस वर्ष तक प्रकाशित कुल वार्षिकी नामावलियों की संख्या का योग १,६७३ था। इनमें से कुल १२,५६,८६६ रुपयो का विवरण था।

उन बांड प्राप्त अधिवासियों को मुआविजा जो सीरदार बन गये

१६५६ के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमिसुधार अधिनियम की १६-क के अन्तर्गत उन बान्ड प्राप्त अधिवासियों के, जो सीरदार बन गये, मुआवजा के निर्धारण एवं भुगतान से सबंधित कार्य जारी रखा गया। आलोच्य वर्ष में भूमि पर काबिज लोगो तथा उनके खातो की संख्या क्रमशः ४०,४२,७०२ तथा २३,२६,६०७ थी। भूमि पर काबिज ४०,४०,४२६ लोगो की नामावली उज्रदारी के लिये प्रकाशित की गयी, उज्रदारियों से सम्बन्धित दायर किये गये ६,६१,३७० मुकदमों में से ६,६०,६८८ का फैसला करने के बाद ४०,३७,१८० नामावलियो को अंतिम रूप से स्वीकार किया गया। इन अंतिम रूप से स्वीकृत नामावलियो के लिए प्रस्तुत वर्ष में निर्धारित मुआवजा ११,८१,६०,५१२ रु० थे, जिनमे से २३,२५ २०० रु० बांडो के रूप में तथा ६,८८,६३,४८३रु० नकद तथा समाधान द्वारा दिये गये।

जोतों की चकबन्दी

१६६० -६१ के अंत में जोतों की चकबंदी से संबंधित योजना राज्य के ३८ जिलों में चल रही थी। इस योजना के अंतर्गत २३,५६८ गांवो के २,४८,३५,२६६ खेतो का कुल ६६,६२,०५५ एकड़ क्षेत्रफल मजरुआ क्षेत्र था।

१६५६-६० तक १६ तहसीलो में चकबंदी का कार्य पूरा किया जा चुका था। आलोच्य वर्ष में यह कार्य जौनपुर, फैजाबाद, हरदोई, इलाहाबाद, गोरखपुर, बाराबंकी, इटावा (३ राष्ट्रीय प्रसार सेवा खडो में), फतेहपुर जिलो की प्रथम तहसीलो तथा मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मथुरा और मुरादाबाद जिलों की द्वितीय तहसीलों में पूरा किया गया। ३,६८८ गांवो में इन प्रस्तावो के विवरणों की पुष्टि की गयी, जिसको लेकर इस योजना के आरम्भ से अब तक कुल १४,२८४ गांवो के संबंध मे चकबदी के प्रस्ताव स्वीकृत किये जा चुके थे। ४,४०४ गांवो में नये चको का स्वामित्व हस्तांतरित किया गया, जिसको लेकर अब तक कुल १४,२३५ गांवो के ५३,६३,६२८ एकड़ मजरुआ क्षेत्र के स्वामित्व का हस्तातरण किया जा चुका था।

आलोच्य वर्ष में २ पूरे वर्ष चलने वाले प्रशिक्षण केन्द्र कार्य करते रहे।

२—सर्वेक्षण, बन्दोबस्त तथा भूमि अभिलेखन कार्य

राज्य के किसी भी भाग में भूमि राजस्व अधिनियम की ५६ धारा के अन्तर्गत कोई बन्दोबस्त कार्य नही किया गया।

सर्वेक्षण तथा भूमि अभिलेखन कार्य राज्य के विभिन्न मैदानी एव पहाडी जिलो में या तो आरम्भ किये गये या जारी रहे अथवा पूरे किये गये। प्रत्येक जिले के संबध में कार्य की स्थिति नीचे दी जा रही है:—

(१) मेरठ—इस जिले के ६० गांवों में चल रहे सर्वेक्षण एवं भूमि अभिलेखन कार्य के सिवाय ६६ गावो के अभिलेखन तथा प्रमाणीकरण के कार्य आलोच्य वर्ष में पूरे कर लिये गये।

इसके पूर्व वर्ष के कुल अनिर्णीत मामले, जिनपर निर्णय देना बाकी था, २७ थे। आलोच्य वर्ष में १,१६८ मामले फैसले के लिए आये, जिनको लेकर कुल १,१६५ मामले फैसले के लिए थे। इनमें से १,१८७ मामलो का फैसला कर दिया गया और वर्ष के अंत में केवल ८ मामले शेष रह गये थे।

प्रस्तुत वर्ष में हुए व्यय का कुल योग २५,८६८ रुपये था ।

(२) मिर्जापुर——परगना विजयगढ के ३६५ गावों में कार्य आरम्भ किया गया । कुल २,६७,३७२ एकड़ क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया । इस प्रकार प्रस्तुत वर्ष इन गांवो का समूचा सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया ।

कुल १,७६,८३८ खेतो में से ७२,५२३ खेतो के संबध में खसरा तैयार कर लिया गया और १,०४,३१५ खेतो का खसरा तैयार करना शेष बचा ।

आलोच्य वर्ष में इन कार्यो पर कुल २,११,६२३ रुपये व्यय हुए ।

(३) देवरिया——४० गावो मे आरम्भ किया गया, समस्त कार्य, भूमि अभिलेखन, प्रमाणीकरण तथा एक गाव के अभिलेखो को साफ-साफ तैयार करना छोडकर इससे पूर्व ही समाप्त किया जा चुका था । आलोच्य वर्ष अभिलेखन तथा प्रमाणीकरण कार्य पूरे कर लिये गये थे। केवल एक गाव के अभिलेखो के साफ प्रतिलिपि तैयार करने का काम शुरू नही किया गया था । आजमगढ तथा देवरिया जिलो के बीच सीमा के सबध में कुछ समस्याए उत्पन्न हो जाने के कारण सहायक अभिलेख अधिकारी इतने व्यस्त रहे कि इस गांव के संबध मे प्राप्त आवेदन-पत्रो पर विचार नही कर सके, इसीलिए उस गाव के अभिलेख साफ नही किये जा सके।

इस वर्ष जिले के इन कार्यो मे कुल २३५ रुपये व्यय हुये ।

(४) हरदोई——इस जिले के ४५ गांवो मे कार्य जारी रखा गया । एक गाव के अभिलेखो की दुरुस्ती छोड़कर शेष सभी कार्य पूरे कर लिये गये ।

कुल मिलाकर २७,७९६ एकड भूमि का सर्वेक्षण हुआ । १२,९०० खातो को प्रमाणित किया गया और ४४ गावो के अभिलेख दुरुस्त किये गये । इन सब कार्यो में कुल ५६,१२० रु० व्यय हुए ।

(५) बहराइच——इस जिले के ३५३ गावो में भिन्न-भिन्न समय भूमि अभिलेखन कार्य किये गये । अधिकांश कार्य इससे पूर्व वर्ष में ही समात कर लिये गये थे और शेष अर्थात् खानापूरी, प्रमाणीकरण और अभिलेखो की दुरुस्ती तथा १७० गावो से संबधित मामलो के निर्णय आलोच्य वर्ष मे पूरे कर लिये गये । उन २५ गांवो के अभिलेख भी फिर से पूरे कर लिये गये जो आग लगने से नष्ट हो गये थे । इन कामो मे कुल १,०९,२०८ रु० व्यय हुए ।

(६) बाराबंकी——जिले के ८० गावो में कार्य आरम्भ किया गया। आलोच्य वर्ष में केवल पुनर्सर्वेक्षण किया गया और ६२,०२७ एकड भूमि का पुनर्सर्वेक्षण पूरा हुआ तथा १५,५६७ एकड़ भूमि का पुनर्सर्वेक्षण शेष रह गया । इस वर्ष और कोई कार्य हाथ में नही लिया गया। इन कार्यों में कुल ४०,८७० रु० व्यय हुए ।

(७) तराई भावर राजकीय आस्थान (जिला नैनीताल)——तराई और भावर राजकीय आस्थान के समस्त क्षेत्र में भूमि अभिलेखन कार्य जारी रहा । इसके अतिरिक्त काशीपुर तहसील के ११९ गाव भी भूमि-अभिलेखन अभियान के अन्तर्गत सम्मिलित कर लिये गये । आलोच्य वर्ष में ६७,६३० एकड़ भूमि का पुनः सर्वेक्षण कर लिया गया ।

चार सौ बत्तीस गावो का खसरा तैयार कर लिया गया और २२५ गांवो के खसरा "क" की जाच कर ली गयी । ४२१ गावो से सबधित फर्दमुताबिकत तैयार की गयी और ५७४ गावो की फर्द, मुताबिकत की जाच की गयी । इसी प्रकार ३४१ गांवो के सबंध में प्रारम्भिक नकशा तैयार करने का कार्य पूरा किया गया । १८६ गावो की खतौनी पुजियां तैयार की गयीं और १३१ गावो की खतौनी पुजियो की जाच की गयी । इसी प्रकार १८६ गावों की तेरीज तैयार की गयी तथा १३४ गावो की तेरीज की जांच की गयी ।

पिछले वर्ष के अंत में ६१ मामले निर्णय के लिए बाकी रह गए थे । आलोच्य वर्ष ८२ नये मामले दाखिल किए गये । इस प्रकार कुल १४३ मामले निर्णय के लिए दाखिल थे जिनमें से ११२ पर निर्णय दे दिया गया और ३१ शेष रह गये ।

इन सब कार्यों पर कुल १,२०,६२६ रु० व्यय हुए ।

(८) नैनीताल—जिले के पहाडी हिस्सों का सर्वेक्षण तथा भूमि अभिलेखन कार्य पिछले वर्ष ही पूरा हो गया था । आलोच्य वर्ष कोई नया काम हाथ में नही लिया गया ।

(९) अल्मोड़ा—इस जिले के ३५७ गावो के भूमि अभिलेख दुरुस्त किये गये । ३८१ गांव, जिनमें १,४४,४६३ एकड क्षेत्र सम्मिलित था, का सर्वेक्षण एव भूमि अभिलेखन कार्य पूरा कर दिया गया और ४०१ गावो के भूमि अभिलेखो को प्रमाणित किया गया । ४५८ गावों के खसरा तथा मुन्तखिब भी दुरुस्त किया गया । आलोच्य वर्ष मे ५०८ गावो, जिनमें १,५०,७०९ खेत थे, के नक्शे भी बनाये गये । ३,६७१ मामले, जिनका मौके पर ही तसफिया कर दिया गया, के अतिरिक्त ८५३ मामलो का निर्णय किया गया । इन कार्यो पर आलोच्य वर्ष ६,०६,०७७ रुपये खर्च हुए ।

(१०) टेहरी-गढ़वाल—५०,३२७ एकड नाप भूमि और १२,२१९ एकड बेनाप भूमि का पुनर्सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया । ४०७ गाव के खसरे तथा ४८२ गाव के मुन्तखिब दुरुस्त कर लिये गये और ४०८ गावो के नक्शे पूरे कर लिये गये । इसके अतिरिक्त ४५७ गांवो के दुरुस्त किये गये खसरे और मुन्तखिब तथा ६७२ गांवो के तैयार नक्शो की जाच की गयी । २७६ गावो के संबंध में खानापूरी का कार्य समाप्त हुआ और कुल ६१२ मुकदमो का फैसला किया गया । आलोच्य वर्ष में किये गये इन सब कार्यो पर कुल ४,१९,६२४ रु० व्यय हुए ।

(११) पौड़ी-गढ़वाल—७२६ गावो के पुनर्सर्वेक्षण, नक्शा दुरुस्ती तथा खानापूरी कार्य पूरा किया गया तथा ६९० गांवो के भूमि अभिलेख प्रमाणित किये गये । इसके अतिरिक्त ७,८०० गावो के खेत संबंधी अभिलेखो की जाच-पड़ताल की गयी और ८८९ गावो की सरहद मिलान का कार्य किया गया । इस वर्ष मौको पर उत्पन्न १८,०७६ विवादो का फैसला भी किया गया । इसके अतिरिक्त १,५८१ नियमित मुकदमो तथा ३२ अपीलों का भी फैसला किया गया । इन कार्यो पर कुल ३,८०,१२५ रु० रु० व्यय हुए ।

(१२) उत्तरकाशी—६७४ गावो, जिनमें ४१,१३१ एकड़ नाप तथा ५५,०८० एकड़ बेनाप भूमि थी, का पुनर्सर्वेक्षण कार्य पूरा किया गया । इसी प्रकार १८६ गावो की खानापूरी तथा ४२६ के भूमि अभिलेखो को प्रमाणित किया गया और १,२२६ मामलो पर फैसले दिये गये । आलोच्य वर्ष में किये गये इन कार्यो पर कुल २,०९,८१२ रुपये खर्च हुए ।

(१३) चमोली—७३४ गावो के खसरे तथा ६४२ गावो के मुन्तखिब दुरुस्त किये गये । इसी प्रकार ५८४ गावो के नक्शे तैयार किये गये और ४० मामलो पर फैसले सुनाये गये । प्रस्तुत वर्ष मे किये गये इन सब कार्यो पर कुल १,९०,०६३ रु० खर्च हुए ।

(१४) पिठौरागढ—१९,४१६ एकड़ भूमि नाप तथा १७,६६४ एकड बेनाप भूमि का सर्वेक्षण किया गया। १६६ गांवो का भूमि अभिलेखन तथा ९० गांवो का प्रमाणीकरण कार्य पूरा किया गया। इसके अतिरिक्त कुल ५१ मामलो का फैसला किया गया। इस वर्ष किये गये कार्यो पर कुल ९१,३६१ रुपये व्यय हुए ।

३—भूमि अभिलेखन

सन् १९०१ के भूमि राजस्व अधिनियम मे सशोधन के द्वारा १९५८ मे सुपरवाइजर कानूनगो को यह अधिकार दे दिया गया कि वे भूमि स्वामित्व के बिना विवाद वाले मामलो पर निर्णय दे दिया करें। प्रस्तुत वर्ष पी० ए०-११ ए० फार्म पर उल्लिखित ऐसे समस्त मामलो की सख्या

३,३७,३०० थी। इनमें से ३,०३,७६८ मुकदमो पर सुपरवाइजर कानूनगो लोगो ने फैसले दे दिये और ६,१६३ मामले विवादग्रस्त पाये गये। इस प्रकार कुल २७,३३६ मुकदमे फैसले के लिये शेष रह गये। पी० ए०-१० फार्म पर दर्ज २४,७२,१३० प्रविष्टियो में से २४,४६,०४१ सुपरवाइजर कानूनगो लोगो द्वारा जाचे गये तथा २,७५,६७१ प्रविष्टियो की जांच पुनर्जांच निरीक्षण अधिकारियो द्वारा हुई। सुपरवाइजर कानूनगो लोगो ने इन्दराज की १,७७० तथा निरीक्षा अधिकारियो ने १,४०७ गल्तिया जांच-पडताल के दौरान में पकड़ीं। खसरा मे परिवर्तन के कारण भूमि स्वामित्व के १,६३,१६२ मुकदमें दायर किये गये। इसके अतिरिक्त ८,७६,६१६ मुकदमे उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एव भूमि-व्यवस्था अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत नियमो के अन्तर्गत चलाये गये। सहायक निदेशक भूमि अभिलेख तथा सहायक भूमि व्यवस्था आयुक्तो ने मिश्रित दौरे किये और जिला अधिकारियों को भूमि अभिलेखन कार्य मे सुधार के सुझाव दिये।

४—काश्तकारी क्षेत्र*

राज्य मे कुमायू डिवीजन की पहाड़ी पट्टियो को छोड़कर जोत का कुल क्षेत्रफल नीचे के ववरण से स्पष्ट हो जायगा। इससे पूर्व वर्ष के सम्बन्धित आंकडे भी दिये गये है।

विवरण	१९५८-५९	१९५९-६०
	(लाख एकड़ो में)	
(१) कुल जोत का क्षेत्रफल	४६५	४६६
(२) जोत का कुल क्षेत्र, जिस पर उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि-व्यवस्था अधिनियम लागू था	४५६	४५८
(३) जोत का वह क्षेत्र, जिसपर उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि-व्यवस्था अधिनियम लागू नहीं था	८.८२	८.१७

राज्य के उस भाग में, जहां जमींदारी का विनाश हो चुका था, जोतो का वर्गीकरण निम्न प्रकार था :

	१९५८-५९	१९५९-६०
	(लाख एकड़ो में)	
१—भूमिधरो के कब्जे में	१५२	१५३
२—सीरदारो के कब्जे में	२९८.९	२८९
३—जमीदारी विनाश अधिनियम की १३७वी धारा की व्यवस्था के अन्तर्गत व्यक्तियो के कब्जे में	१.६	१.७
४—खतौनी के भाग १ में अभिलिखित असामियो के कब्जे में	१.८	१.८
५—खतौनी के भाग १ में दर्ज स्वत्वहीन किसानो के कब्जे में	२.१८	२.५

*यह विवरण ३० जून, १९६० को समाप्त होने वाले फसली सालके सम्बन्ध में है।

२ राज्य के उन भागो में जहां जमींदारी विनाश नहीं हुआ था, जोतों का वर्गीकरण निम्न प्रकार था .

जोत की किस्म	१९५८–५९	१९५९–६०
	(एकड़ो में)	
१—सीर के रूप में जमीदारो के कब्जे में ..	२५,५००	२५,४३३
२—जमींदारी की खुदकाश्त	७१,७८२	७२,६४०
३—ठेकेदार या मुर्तहिन की जोत ..	२,२१३	१,६००
४—जिन व्यक्तियो को भूमि उठाने का अधिकार था बिना उनकी मर्जी के काबिज किसान ..	९२,८२२	९६,८६८
५—माफीदार किसानो के कब्जे मे ..	५,७३१	४,५७७
६—सीर और खुदकाश्त के रूप मे जिमनी मालिको के कब्जे मे	४,८३७	४,८२९
७—इस्तमरारी, सरहमोइयन, साकितुलमिल्कियत, दखीलकार और ऐसे काश्तकार, जिनका कब्जा १३३३ फसली को १२ वर्ष से कम अवधि का था	१,८८,१३५	१,७९,७९०
८—विशेष अधिकार वालों सहित मौरूसी काश्तकारो के कब्जे मे	३,९३,४३१	३,४४,५३७
९—गैर-दखीलकारो के कब्जे मे ..	८०,४३४	७१,७९५
१०—रियायती दरो के काश्तकार तथा बगीचेदारो के कब्जे में	१०,४३७	९,८४६
११—जिन्सी लगान वाले काश्तकार ..	७,३५१	५,५५७
योग ..	८,८२,६७३	८,१७,४७२

५—राजकीय आस्थान

सन् १९५७ मे राज्य सरकार ने राजकीय आस्थानों की व्यवस्था के लिए अलग संगठन का अन्त करके उसे जिले के सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मिला देने का निश्चय किया। इस निश्चय के अनुसार राज्य के दो बड़े आस्थानो—तराई एवं भावर राजकीय आस्थान तथा गढ़वाल भावर राजकीय आस्थान—को सम्बन्धित प्रशासकीय विभागो के नियन्त्रण में हस्तांतरित कर दिया गया। अतः आलोच्य वर्ष में राजकीय आस्थान सगठन की सीधी देख-रेख में विकास कार्यों के कार्यान्वयन का प्रश्न उठा ही नहीं। उक्त क्षेत्र में विभिन्न विकास-कार्य सम्बन्धित जिला नियोजन अधिकारियो की देख-रेख में किये जा रहे थे। गढ़वाल-भावर राजकीय आस्थान रगड्डी की जल सप्लाई योजना की पाइप लाइनें तथा नहरें अगस्त, १९६० में अत्यधिक वर्षा होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गयी थीं। सैनिक अधिकारियों की सहायता से उनकी आवश्यक मरम्मत की गयी।

मिर्जापुर जिले के दुद्धी राजकीय आस्थान में आस्थान अधिकारियों द्वारा संचालित २० प्राइमरी स्कूल संतोषजनक ढंग से कार्य करते रहे।

नैनीताल जिले के बाजपुर तहसील में गदरपुर में एक सुनियोजित केन्द्रीय हाट की स्थापना की योजना के अन्तर्गत नगर एवं ग्राम नियोजन अधिकारी द्वारा तैयार नकशे के अनुसार ८४ प्लाटो की हदबन्दी की गयी। इनमें से ७६ प्लाट उन लोगो को दिये गये, जो पहले से ही गदरपुर मे रोजगार कर रहे थे और नगर एवं ग्राम नियोजन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नकशे के अनुसार दुकाने बनवाने के लिये तैयार थे। शेष ८ प्लाट सार्वजनिक नीलाम द्वारा एलाट किये जाने वाले थे।

अध्याय ३

शांति एवं व्यवस्था

१—पुलिस

सामान्य

लखनऊ मे छात्रो के एक दल द्वारा आन्दोलन, समाजवादी दल द्वारा आरम्भ तथा कथित सविनय अवज्ञा आन्दोलन तथा केन्द्रीय सरकार के विभिन्न कर्मचारियो द्वारा हडताल के प्रयास के फलस्वरूप पुलिस दल पर काफी बडा उत्तरदायित्व आ पडा था। उसको सौंपे गये विभिन्न कार्यों को उसने सफलतापूर्वक निभाया।

पुलिस दल का इन व्यवस्थाओ के बावजूद राज्य भर में अपराधो पर भली-भाति नियत्रण रहा। कई सशस्त्र डाकू दलो से इसकी मुठभेड़ हुई, जिसमें कई कुख्यात डाकू पकडे गये और कई दल समाप्त कर दिये गये। इस सिलसिले में अच्छी संख्या में शस्त्रास्त्र तथा गोली बारूद भी बरामद हुए।

राज्य में साम्प्रदायिक स्थिति सतोषजनक रही। कुछ छिट-पुट दुर्भाग्य पूर्ण घटनायें घटीं, लेकिन शीघ्र ही उन पर नियत्रण कर लिया गया। एक अवसर पर फैजाबाद शहर में उत्तेजित भीड़ को नियंत्रित करने के लिये पुलिस को गोली भी चलानी पडी।

जनता तथा पुलिस मे परस्पर अच्छे सम्बन्ध बने रहे और इस बात का विशेष प्रयत्न जारी रहा कि ये दोनो एक-दूसरे के अधिकाधिक निकट लाये जा सके।

थानो में मुकदमो की ठीक रिपोर्ट दर्ज की जाय, यह देखने तथा जनता से सम्पर्क बढाने की दृष्टि से गजेटेड पुलिस अधिकारियो द्वारा ग्रामीण क्षेत्रो में अक्सर किये गये दौरे बहुत लाभदायक सिद्ध हुए।

उत्तर प्रदेश पुलिस आयोग

जनवरी, १९६० मे सरकार ने पुलिस आयोग की नियुक्ति की ताकि राज्य के पुलिस दल और पुलिस प्रशासन के विभिन्न पहलुओ की जाच-पडताल की जा सके। आयोग से इन पहलुओ मे सुधार सम्बन्धी सुझाव देने की भी अपेक्षा की गयी, जिससे कि पुलिस दल को आधुनिक आवश्यकताओ के अधिक उपयुक्त बनाया जा सके। आशा थी कि आयोग अपनी अन्तिम रिपोर्ट सरकार को शीघ्र प्रस्तुत कर देगा।

शिकायत की योजना

वर्ष के दौरान में शिकायत की योजना को कुछ सफलता मिली। यह योजना डिप्टी इन्स्पेक्टर जनरल, अपराध अनुसंधान विभाग के अधीन रखी गयी। इनकी सहायता के लिए मुख्यालय (लखनऊ) में एक पुलिस सुपरिंटेंडेन्ट और तीन स्टाफ अधिकारियो की व्यवस्था की गयी और अधिकांश जिलों में एक पुलिस के डिप्टी सुपरिटेंडेंट (शिकायत) की नियुक्ति की गयी।

वर्ष में ५,६१० मामले डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस (शिकायत) को जाच-पडताल हेतु सौंपे गये। इनमे से ४,६८३ मामले पुलिस विभाग से सम्बन्धित थे और १,२२७ अन्य विभागो से। पुलिस विभाग से सम्बन्धित मामलो में २,६८८ मामले घूसखोरी या भ्रष्टाचार, १,२७१ मामले पुलिस द्वारा परेशान किये जाने और ३८ मामले जान-बूझ कर प्रतिशोध लेने के सिलसिले

में थे। अन्य विभागों के कर्मचारियों के विरुद्ध मामलों में से १,१६२ मामले घूसखोरी और भ्रष्टाचार तथा ३२ बलात घूस लेने के बारे में थे।

अनुशासनीय कार्यवाही

पुलिस संगठन से भ्रष्टाचार निर्मूल करने की दिशा में किये गये प्रयत्नो मे राज्य पत्रित अधिकारियो द्वारा छापा मारना भी सम्मिलित था। भ्रष्टाचारपूर्ण कार्यों पर कड़ी नजर रखी गयी। अपराधो को हल्का करने और उनको छिपाने, कर्मचारियो की बेईमानी और अकुशलता के विरुद्ध तुरन्त कार्रवाई की गयी और जो कर्मचारी गलती पर पाये गये उनके विरुद्ध कार्रवाई की गयी।

जन-कल्याण कार्य

उड़ाका दल और खोये बच्चों को ढूंढ़ने वाले दलों का कार्य जनता ने काफी पसन्द किया। पुलिस वालो ने दैवी आपदाओ तथा अग्निकांड, बाढ़ आदि की दुर्घटना के समय मानव-जीवन और संपत्ति की रक्षा की।

ऐसे अनेक उदाहरण मिले जहां पुलिस वालो ने स्वेच्छापूर्वक व्यक्तिगत रूप मे वृद्धो और रोगियों को सहायता दी तथा डूबतों को बचाया।

वर्ष में पुलिस वालों ने खोये हुए बच्चों का बड़ी संख्या में पता लगाया और खोयी हुई सपत्ति बरामद की। पुलिस वालो ने ३१४ व्यक्तियो को उनकी सपत्ति बरामद करायी और ७,६७६ खोये बच्चो का पता लगाया और उनके माता-पिता के पास पहुंचाया।

कर्त्तव्यपालन के दौरान मे दुर्घटना

वर्ष में तीन डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस, एक इन्स्पेक्टर, तीन सब-इन्स्पेक्टर, दो हेड-कास्टेबुल ६ कास्टेबुल और एक फायरमैन की मृत्यु उनके कर्तव्यपालन के दौरान मे हुई और कई पुलिस वाले घायल हुए। इसके बावजूद भी पुलिस-दल में नैतिकता और अनुशासन की प्रबल भावना बनी रही।

ग्राम सुरक्षा समितियां

पहले की भांति ग्राम-सुरक्षा समितियों ने शाति व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस दल को महत्वपूर्ण सहयोग दिया। इन समितियो के सदस्यो ने अपनी जान पर खेल कर सशस्त्र अपराधियो के विरुद्ध लड़ने में बड़ी बहादुरी, उत्साह और साहस का परिचय दिया।

अपराध संबंधी आंकड़े

विभिन्न प्रकार के अपराधो सम्बन्धी १६५८–५६ और १६६० के तुलनात्मक आंकड़े नीचे की तालिका में दिये जा रहे है:—

वर्ष		डाका	बटमारी	कत्ल	दंगा	नकबजनी
१६५८	..	८२५	४७७	१,६३७	३,०४५	१७,५८६
१६५६	..	८४६	५०४	१,६६४	२,६००	१५,५७०
१६६०	..	६५२	५४२	१,६५६	२,७४३	१४,७२४

उक्त तालिका में भारतीय दंड-विधान की धारा ३६६/४०२ के अधीन मामले सम्मिलित है, जिनमें १६६० में डाकू-दलों से मुठभेड़ हुई और उन्हें गिरफ्तार किया गया। डाकू-दलों

को नष्ट करने के सिलसिले में १६५६ और १६६० में किये गये कार्यों का व्योरा नीचे दिया जा रहा है :—

वर्ष				मारे गये डाकुओ की संख्या	गिरफ्तार डाकुओं की संख्या	भारतीय दंड-विधान की धारा ३६६/४०२ के अधीन मामले
१६५६	..	..	..	५२	५,४६३	१२३
१६६०	..	..	..	७३	६,७३५	१२२

डकैती और बटमारी के मामलों की संख्या पहले वर्षों की तुलना में १६६० में अधिक रही। इसका मुख्य कारण मामलो की सही रिपोर्ट देने और उनकी रजिस्ट्री कराने पर अधिकाधिक बल देना था।

डाकू दलों के विरुद्ध कार्रवाई

पुलिस द्वारा मारे अथवा गिरफ्तार किये गये कुख्यात और भयंकर डाकुओ मे बरेली के विक्रम सिंह और बलिस्तर सिंह, आगरा में चम्बल घाटी के डाकू दफेदार सिंह, रामनाथ (प्रथम) रामनाथ (द्वितीय), झिंगुरिया, नन्हे, चितलिया और बलवता, गोरखपुर के बंसराज मितऊ अहीर, राम कृपाल, विभूति, मोखन राय और बघेल सिंह, गोडा के राजाराम और मिठाई लाल, बलिया के रामचीज भर, हरदोई के बिन्दा सिंह, जालौन के कुख्यात डाकू गुज्जी मल्लाह का दाहिना हाथ मोती मल्लाह और झांसी के सूरत सिंह सलौता, करनसिंह भन्ना और रामसेवक थे। इनके अतिरिक्त सशस्त्र डाकू दलो से सफल मुठभेड़ की गयी, जिसके फलस्वरूप कई डाकू दलो को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया गया और अच्छी मात्रा मे आग्नेयास्त्र तथा गोली-बारूद बरामद की गयी।

२ मई, १६६० को प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस दल और जिला एक्जीक्यूटिव फोर्स ने पुलिस सर्किल बाह से मिलकर रूपा के बचे हुए दल के साथ मुठभेड की और इसमें दल के तीन प्रमुख कुख्यात डाकू मारे गये। वर्ष में इस दिशा में यह उल्लेखनीय सफलता रही। मारे गये डाकुओ में रूपा डाकू दल के शीर्षस्थ डाकुओं में से एक रामनाथ ब्राह्मण, मानसिंह गिरोह का एक भूतपूर्व सदस्य नन्हे चमार और चितलिया थे। आगे चल कर मालूम हुआ कि मुठभेड़ में घायल होकर गिरोह का एक चौथा सदस्य (रामनाथ द्वितीय) मर गया था।

मैनपुरी में शिकोहाबाद थाने के कास्टेबुल राजबहादुर को एक कुख्यात व्यक्ति से बन्दूक की लड़ाई करते हुए गहरी चोट आयी जो उनके लिये विनाशकारी सिद्ध हुई। बरेली के ही आंवला कस्बे में हेड-कास्टेबुल शकर सहाय की मृत्यु उस समय बन्दूक की लडाई में हुई जबकि वह एक भयानक दंगे को रोकने की कोशिश कर रहे थे।

महत्वपूर्ण मामलों का सफल संचालन

विभिन्न जिलों में महत्वपूर्ण मामलों की जाच-पड़ताल में पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया।

आगरा की नगर पुलिस ने नकबजनी के एक मामले को तत्काल हल किया और २६,५०० रु० मूल्य की चोरी गयी संपूर्ण सपत्ति बरामद की।

अलीगढ़ में भी पुलिस ने नकबजनी के एक मामले में सराहनीय कार्य किया और चोरी गयी २६,०६५ रु० मूल्य की सपूर्ण सपत्ति को अविलम्ब बरामद किया।

आगरा में फिरोजाबाद पुलिस ने एक शीर्षस्थ व्यवसायी को चोरी-चोरी लायी गयी तरल सोने की ७४ विदेशी बोतलो के साथ पकडा, जिसका मूल्य लगभग ६,००० रु० था।

नैनीताल मे एक दूकान से चोरी गयी लगभग १०,००० रु० की नकदी और संपत्ति का अधिकाश रामनगर पुलिस ने चोरी के बाद कुछ ही दिनो में बरामद किया।

चोरी के एक सनसनीखेज मामले मे अमृतसर के एक व्यापारी के अटैची केस, जिसमें ५८,०७०.५६ रु० के मूल्य की सपत्ति थी, के चोरी जाने की रिपोर्ट जिला देवरिया से मिली। इस मामले को सफलतापूर्वक हल किया गया और परिणामस्वरूप चोरो को गिरफ्तार किया गया और ३२,००० रु० मूल्य की सपत्ति बरामद की गयी।

मुगलसराय पुलिस ९ सदस्यो के एक बावरिया गिरोह को गिरफ्तार करने में सफल हुई और उनसे ५,००० रु० मूल्य का चोरी का माल बरामद किया।

देवरिया जिले की कसिया पुलिस ने ८२ व्यक्तियो को गिरफ्तार करने और उनके खास तौर पर सिले गये जैकेटो से २२ मन १८ सेर गैर-कानूनी गांजा बरामद करने में सफलता पायी। इसी प्रकार कोतवाली पुलिस ने १४ मन गांजा बरामद किया। वर्ष में कुल मिला कर पुलिस वालों ने ४४ मन ७ छटाक गाजा बरामद किया, जिसका मूल्य २,९०,००० रु० था।

इनके अतिरिक्त जिले में कई अन्य महत्वपूर्ण मामले हुए, जिनको पुलिस ने सफलतापूर्वक हल किया।

जिला पुलिस

पुलिस संगठन की कर्मचारी संख्या प्राय ज्यो की त्यो बनी रही। "शांति और व्यवस्था" तथा तफतीश के कर्मचारियो की पृथक व्यवस्था करने सम्बन्धी प्रयोग महत्वपूर्ण नगरो में जारी रखा गया और इसके परिणामो का मूल्याकन किया जा रहा था।

राज्य में आने वाले विदेशी महानुभावो के दौरे के समय पुलिस दल ने कड़ा परिश्रम किया। हर मौके पर कुशलतापूर्वक कर्तव्यपालन किया गया।

जिलों में सूचना-कक्ष और उडन दस्ते अच्छा काम करते रहे। उड़न दस्तो द्वारा की गयी तात्कालिक कार्रवाइयों के फलस्वरूप कई अवसरो पर स्थिति को बिगड़ने से बचाया गया।

राजकीय रेलवे पुलिस

राजकीय रेलवे पुलिस ने कई महत्वपूर्ण मामलों को सफलतापूर्वक हल किया और आबकारी तथा अफीम अधिनियमों के अधीन कई गिरफ्तारिया भी कीं।

रेलवे पुलिस ने अपनी ईमानदारी और कार्यकुशलता की ख्याति को अक्षुण रखा और १७,५६४ रु० की भूली हुई और चोरी गयी सपत्ति उनके मालिको को बरामद करायी। इसके अतिरिक्त १,००,९७८ रु० के मूल्य की चोरी के ११ महत्वपूर्ण मामलो में से ९०,०६५ रु० मूल्य की संपत्ति बरामद की।

राजकीय रेलवे पुलिस ने मेलों और त्योहारो के अवसर पर, जिसमें इलाहाबाद का अर्द्ध-कुम्भ भी सम्मिलित था, यात्रा के दौरान मे यात्रियो को सहायता भी दी।

अपराध अनुसंधान विभाग

(क) अपराध शाखा--अपराध तफतीश विभाग की अपराध शाखा ने कई उलझे और पेचीदे मामलो का कुशलतापूर्वक सचालन किया। इस शाखा की लोकप्रियता और बढ़ी तथा इसके द्वारा महत्वपूर्ण मामलो की जाच पडताल कराने की माग में बराबर वृद्धि होती रही। वर्ष

में २०५ मामले जांच-पड़ताल के लिए आए, जबकि पूर्वगामी वर्ष में १६८ मामले आये थे। इस शाखा को ५२३ मामलों की जाच-पडताल का भार सौंपा गया, जबकि १९५९ मे उनकी संख्या ४४६ थी। इन मामलो में ३१८ मामले पिछले वर्ष के भी सम्मिलित हैं।

इस शाखा ने डकैती के एक सनसनीखेज मामले को सफलतापूर्वक हल किया। यह मुजफ्फरनगर के लाला बृजभूषण शरण के घर में पडे डाके का मामला था, जिसमें एक लाख रु० से अधिक मूल्य की सपत्ति लूटी गयी थी। लूट के माल और चोरी गये आग्नेयास्त्रों का अधिकांश बरामद किया गया और आठ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये।

वर्ष की दूसरी उल्लेखनीय सफलता उस मामले के सफल सचालन में मिली, जिसमें लखनऊ डी० ए० वी० कालेज की ११ राइफिलें चोरी गयी थीं। सभी राइफिलें एक कुख्यात डाकू के कब्जे से बरामद की गयीं। इस मामले मे ७ व्यक्तियो के विरुद्ध मुकदमा चल रहा था।

बरेली स्थित इलाहाबाद बैंक की डकैती के मामले को, जिसमे २४,४४५ रु० की धनराशि लूटी गयी थी, सफलतापूर्वक हल करके अपराधियो के विरुद्ध अदालत में चार्जशीट भेज दी गयी।

(ख) पुलिस कुत्ता-दल—महत्वपूर्ण मामलो को सुलझाने में पुलिस कुत्ता-दल से बहुमूल्य सहायता मिलती रही। लखनऊ, कानपुर, रायबरेली, बाराबकी, हरदोई और उन्नाव के ३० से अधिक मामलो मे इस दल की सेवाए मागी गयी और इसने कई मामलो में महत्वपूर्ण सूत्रो का पता लगाया।

लखनऊ जिले के एक मामले में नेशनल कार्बन कंपनी से चोरी गयी सपत्ति का एक बडा हिस्सा चोरी के बाद जल्द ही बरामद कर लिया गया।

(ग) राज्य अपराध सूचना-ब्यूरो—राज्य अपराध सूचना ब्यूरो ने अनेक मामलो में अपराध की खोज करने वाले अधिकारियो से सूचनाए उपलब्ध कीं। विशेषकर राज्य के भीतर और बाहर के विभिन्न जिलों को आग्नेयास्त्रो तथा अन्य शिनाख्त वाली संपत्ति के बारे मे सूचना दी गयी।

(घ) उंगली निशान ब्यूरो तथा वैज्ञानिक शाखा—पहले की भाति उंगली निशान ब्यूरो तथा वैज्ञानिक शाखा ने अपना स्तर ऊचा बनाये रखा और इसने जिलो मे अपराध की तफतीश के लिये बहुमूल्य वैज्ञानिक सहायता पहुचायी। प्रदर्शन वस्तुओ के परीक्षण के लिये इस शाखा से बराबर माग बढ़ती रही।

प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस दल

प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस दल ने अपनी ईमानदारी, शुद्धाचरण, कार्य-कुशलता, अनुशासन और नैतिकता का स्तर ऊचा बनाये रखा और राज्य के बाहर और भीतर अपनी कार्य-कुशलता का परिचय देता रहा।

प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस का बड़ा दल उत्तर प्रदेश—मध्य प्रदेश—राजस्थान की सीमाओ पर डाकू विरोधी अभियान में लगा रहा। इस दल को विशेषकर कठिन अभियान, धरातलीय बनावट, विषम जीवन दशाओ और खतरनाक परिस्थितियो में अपना कर्तव्य पालन करना पड़ा। सशस्त्र पुलिस दल ने जिला पुलिस को बडे पैमाने की डकैतियो को सुलझाने मे काफी सहायता दी। साथ ही पहले की भाति बडे-बडे त्योहारों और इलाहाबाद माघ-मेला जैसे मेलो, विधान-सभा और विधान-परिषद् तथा आने वाले महानुभावो (डिगनीटरीज) से सबधित कर्तव्यों का पालन भी किया।

पुलिस रेडियो शाखा

वर्ष में पुलिस रेडियो शाखा का पर्याप्त विस्तार किया गया। शाति और व्यवस्था बनाये रखने, डाकू विरोधी अभियानो, भीड-भाड नियंत्रण, प्रसिद्ध महानुभावो के आगमन, बाढ-सुरक्षा कार्य आदि की दिशा में यह शाखा बडी उपयोगी साबित हुई।

जुलाई, १९६० में इस शाखा ने उस समय बहुमूल्य कार्य किया, जबकि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के निर्णय के परिणामस्वरूप राज्य की सवहन-व्यवस्था के अस्त-व्यस्त हो जाने का खतरा पैदा हो गया था । इस शाखा ने सरकारी तारो के भेजने और प्राप्त करने का काम किया और सभी विभागो की खबरे भेजीं ।

वर्ष के अन्य उल्लेखनीय कार्यो मे भारत सरकार के लिये ऋतु विषयक स्टेशन के रूप में अधिक उ चाई पर स्थित पांच स्टेशनो का संचालन और लखनऊ मे उच्च शक्ति वाले ध्वनि प्रसारक यंत्रो की स्थापना, जिससे सवहन कार्य मे काफी सुधार हुआ, सम्मिलित थे ।

कारखाना और अनुसंधान एव विकास शाखा ने वर्ष मे अधिक साज-सामान तैयार किया। इस प्रकार लगभग २ ३ लाख रु० की विदेशी मुद्रा की बचत हुई ।

उत्तर प्रदेश फायर सर्विस

राज्य फायर सर्विस पंच-महानगरियो मे कार्य करती रही । इसने अग्निकाडो का मुकाबला करने के साथ ही ढही हुई इमारतो के मलबे से दबे व्यक्तियो और सपत्ति को बचाने का काम भी किया । यह कार्य परिचालन की कठिन दशाओ में सपन्न किया गया ।

कानपुर मे आगजनी के एक गंभीर मामले मे स्थानीय फायर यूनिट ने अनुकरणीय साहस और वीरता का परिचय दिया और राम सरन लाल नामक एक फायरमैन ने अपने कर्तव्य पालन में जान तक गँवा दी ।

इलाहाबाद स्थित राज्य फायर सर्विस प्रशिक्षण केन्द्र ने जनता और फायर सर्विस के कर्मचारियो में से चुने गये व्यक्तियो को ट्रेनिंग देने का काम जारी रखा ।

शिक्षा और प्रशिक्षण

वर्ष मे मुरादाबाद पुलिस ट्रेनिंग कालेज और सीतापुर आर्म्ड ट्रेनिंग सेंटर में पदोन्नति, विशेषज्ञ और रिफ्रेशर के कई पाठ्यक्रम चालू किये गये ।

मुरादाबाद पुलिस ट्रेनिंग कालेज में वर्ष में कुल ४६० अधिकारियों और व्यक्तियो ने प्रशिक्षण प्राप्त किया । सभी श्रेणियो के अभ्यर्थियो को अच्छा व्यावहारिक पुलिस अधिकारी बनाने के उद्देश्य से बाहरी और भीतरी दोनो प्रकार की ट्रेनिंग पर विशेष बल दिया गया ।

प्राविधिक पुलिस विषयों को यथोचित महत्व देना जारी रखा गया । इसके अतिरिक्त सामान्य ज्ञान के विषयो और व्यावहारिक पुलिस प्रणाली के मान्य अधिकारियो द्वारा लैक्चरों की व्यवस्था की गयी । पुलिस अधिकारियो मे सच्चाई और ईमानदारी के महत्व पर भी बल दिया गया । पैर और उंगलियो के निशान और अंगूठे के निशान उठाने की व्यावहारिक ट्रेनिंग देने की विशेष व्यवस्था की गयी ।

आर्म्ड ट्रेनिंग सेंटर राज्य पुलिस की सशस्त्र शाखा के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करने के साथ ही समस्त प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस यूनिट को ट्रेनिंग देने के लिए "ड्राफ्टिंग यूनिट" भी बन गयी ।

कल्याण कार्य

पुलिस कर्मचारियों और उनके परिवारो को अधिकाधिक सुविधा देने के प्रयास जारी रहे । पुलिस कर्मचारियों के परिवारो को सास्कृतिक, शैक्षिक और व्यावसायिक ट्रेनिंग देने की ओर भी ध्यान दिया गया । यह कल्याण योजना पुलिस वालों के बच्चो और उनके परिवार के अन्य सदस्यो के लिए बड़ी उपयोगी सिद्ध हो रही थी ।

सभी जिलो और यूनिटो में परिवार कल्याण केन्द्र चालू रहे। इन केन्द्रो में पुलिस अधिकारियो और कर्मचारियो की पत्नियो को चित्रकारी, बुनाई, सिलाई और कसीदाकारी आदि की ट्रेनिंग दी जाती थी, जो उनके लिये आर्थिक दृष्टि से भी लाभदायक थी ।

शिमला में आयोजित अखिल भारतीय कल्याणकारी प्रदर्शनी और सास्कृतिक सम्मेलन में चैम्पियनशिप ट्राफी (विजेता ट्राफी) उत्तर प्रदेश ने जीती । इसमे कला और हस्त-शिल्प संबधी २८ व्यक्तिगत इनाम उत्तर प्रदेश ने जीते थे । सास्कृतिक प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश पुलिस टीम "रनर्स-अप" में आयी और उसने १४ इनाम जीते ।

पुलिस दल मे आत्म-सहायता की भावना के उदय और विकास से ठोस परिणाम निकलते रहे । सभी जिलो/यूनिटो मे पुलिस इमारतों के निर्माण, मरम्मत और रख-रखाव श्रमदान के आधार पर करके दूसरा उपयोगी कार्य किया गया, जिससे काफी मात्रा मे सरकारी रकम की बचत हुई । सभी जिलो / यूनिटो मे वन-महोत्सव के अवसर पर वृक्षारोपण किया गया और विभिन्न पुलिस लाइनो, थानो और चौकियों के अहातों को आकर्षक बनाने के प्रयास किये गये ।

पुलिस इमारते

पुलिस-इमारतो की दशा मे सुधार और पुलिस कर्मचारियो के लिए आवास-व्यवस्था करने संबधी राज्य सरकार के प्रयत्न जारी रहे । आलोच्य वर्ष मे ५८,२०,५०० रु० की पूजी-लागत की नयी इमारतो के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी । इनमें चौदहवीं बटालियन, कानपुर प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस दल, आठवीं बटालियन, बरेली प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस दल, देहरादून रिजर्व पुलिस लाइस, मेरठ कोतवाली आदि के लिए नयी बनायी जाने वाली इमारतें शामिल थीं ।

पुलिस ड्यूटी सम्मेलन

आठवा अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी सम्मेलन, सीतापुर मे आयोजित किया गया । इसमे विभिन्न राज्यो और केन्द्र शासित क्षेत्रो के पुलिस दलो ने रिवाल्वर और बन्दूक चलाने की प्रतियोगिताओ, प्राथमिक सहायता प्रतियोगिताओ, वैज्ञानिक सहायता प्रतियोगिताओ और बेतार के तार की प्रतियोगिताओ में भाग लिया । प्राथमिक सहायता एम्बुलेंस ड्रिल में उत्तर प्रदेश पुलिस दल ने चैम्पियनशिप जीती । सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य-मंत्री ने किया था और इनाम वितरण राज्यपाल द्वारा किया गया । जीवन-रक्षा के लिये पौडी-गढ़वाल के थानेदार श्री मोहनसिंह डगवाल और हमीरपुर जिले के पुलिस ड्राइवर श्री जैनुल आबदीन को प्रधान मंत्री पदक इनाम मिले ।

पुलिस वालों को इनाम

राज्य के चार पुलिस अधिकारियो को राष्ट्रपति पुलिस तथा आगजनी सेवा पदक और अन्य ८ व्यक्तियो को पुलिस पदक उनकी बहादुरी के लिए प्रदान किये गये । दीर्घकालिक और अद्वितीय सेवाओ के लिय दो अधिकारियो को राष्ट्रपति पुलिस तथा आगजनी सेवा पदक और अन्य १० पुलिस जनो को उनके कुशल कार्य के लिये पुलिस पदक दिये गये । एक अधिकारी को राज्य-पाल स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ ।

वित्तीय पहलू

वर्ष में पुलिस संगठन के लिए ६,८५,६५,६०० रु० का बजट अनुदान दिया गया, जो १९५९–६० के वित्तीय-वर्ष की तुलना में ४४.११ लाख रु० अधिक था । यह वृद्धि प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस की एक बटालियन बढ़ाने और चम्बल के खारो मे डाकू-विरोधी अभियान को प्रगाढ़ करने के कारण की गयी । शाति व्यवस्था को अधिक प्रभावपूर्ण ढग से कायम रखने के उद्देश्य से वर्ष में कई पुलिस चौकिया और थाने खोले गये । यातायात की समस्या आसान करने के विचार

से गाडियो की खरीद के लिए अधिक धनराशि का प्राविधान किया गया । राज्य-राजस्व और धन का जहा तक सबध है पुलिस बजट का प्रतिशत क्रमशः ७.५३ और ७.४० था और पुलिस पर प्रति व्यक्ति खर्च १.३ रु० था ।

२—सार्वजनिक जुआ अधिनियम आदि*

सार्वजनिक जुआ अधिनियम का विस्तार

सार्वजनिक जुआ अधिनियम की धाराए ३ और ४ का विस्तार उन्नाव, बाराबकी और बलिया जिलो के कतिपय क्षेत्रो में किया गया ।

सब-रजिस्ट्रार, मैजिस्ट्रेट और अवैतनिक मैजिस्ट्रेट

कुछ सब-रजिस्ट्रार, जिन्हे द्वितीय श्रेणी मैजिस्ट्रेट के अधिकार प्राप्त थे, वर्ष मे फौजदारी के मामलो का फैसला करते रहे । अवैतनिक मैजिस्ट्रेट भी फौजदारी के मामलो को निपटाने में सहायता देते रहे ।

३—बन्दीगृह*

सामान्य

१९६० में नैनीताल जिला स्थित सितारगज में एक शिविर और खोला गया, जिसे सपूर्णानन्द कृषि एव औद्योगिक शिविर की सज्ञा दी गयी । इस प्रकार विभाग के अधीन जेलो और अन्य सस्थाओ की सख्या ६३ हो गयी ।

जन-संख्या

जेल की आबादी में थोड़ी कमी परिलक्षित हुई । १ जनवरी को जहा कैदियो की सख्या ३४,९१२ थी, वहा ३१ दिसम्बर को कैदी सख्या ३४,५५६ रह गयी । जेलो की प्रति दिन आबादी का औसत ३५,५१७ था, जबकि १९५९ के वर्ष मे यह औसत ३५,८२९ था ।

अनुशासन और स्वास्थ्य

कैदियो में अनुशासन बना रहा और कुल मिलाकर उनका स्वास्थ्य भी अच्छा था । वर्ष में पुराने कैदियो द्वारा किये गये अपराधो की सख्या ४०२ थी, जबकि पूर्वगामी वर्ष में ५०२ अपराध किये गये थे । वर्ष १९५९ के ७,५५२ अपराधो की तुलना में सामान्य और पुराने कदियो द्वारा वर्ष में ६,६९१ अपराध किये गये ।

वर्ष में छोड़े गये कैदियो मे ९४ १२ प्रतिशत की तदुरुस्ती अच्छी, ५.६० प्रतिशत का स्वास्थ्य साधारण और ०.२८ प्रतिशत की तदुरुस्ती खराब थी । वर्ष मे दाखिल हुए कैदियो के सबध मे ये आंकड़े क्रमश. ९१.५३ प्रतिशत, ७.९७ प्रतिशत और ०.५० प्रतिशत थे ।

इमारते

वार्डरो के लिये ११ जिलो में ४४ नये क्वार्टरो का निर्माणकार्य आरम्भ किया गया । सुल्तानपुर जिला जेल में तपेदिक से ग्रस्त कैदियो और बिना तपेदिक वाले कैदियो के लिए अतिरिक्त आवास की तथा कच्चे गोदामो के स्थान पर पांच नये गोदामो की व्यवस्था की गयी । बारह जेलो और घुर्मा स्थित संपूर्णानन्द शिविर के २७ बैरको की छत ए० सी० शीटो से पुनः डाली गयी ।

आगरा, गाजीपुर और उन्नाव के जिला जेलो में अस्पताल के वार्डों में बिजली लगायी गयी । घुर्मा स्थित संपूर्णानन्द शिविर तथा २२ जेलो के लिए ५२ सीलिंग पंखे और ४ टेबुल पंखे खरीदे गये ।

---

*कैलेंडर वर्ष १९६० से संबधित ।

बरेली सेंट्रल जेल और सुल्तनपुर जिला जेल के लिये फ्लश पाखानों की व्यवस्था की जा रही थी ।

कृषि

१९५९-६० के वर्ष में ४ सेंट्रल जेलो और ७ जिला जेलों के ११ फार्मों में अनाज, चारा, सब्जी और गन्ने की उपज क्रमशः २,६१६ मन, ३१,६९० मन, ५,७२६ मन और २,०४० मन थी । सितारगंज स्थित संपूर्णानन्द कृषि एवं औद्योगिक शिविर से संबंधित वर्ष १९६० के आंकड़े इस प्रकार थे :—

		मन			मन
अनाज	..	१०,१७२	सब्जियां	..	४५४
चारा	..	२९,४००	गन्ना	.	७,०००

(उक्त मदों में किसानों से प्राप्त रबी फसल और शिविर में बोयी गयी खरीफ भी सम्मिलित है) ।

नये उद्योग

जेल के लिए कई नये उद्योग स्वीकृत किये गये । इन नये उद्योगो और जेलो के नाम, जिनके लिये वे स्वीकृत हुए, नीचे की तालिका में दिये गये हैं —

१—साबुन और फिनायल	..	आगरा सेंट्रल जेल
२—खेल-कूद के साधारण सामान	..	बरेली सेंट्रल जेल
३—पेंसिल	..	किशोर सदन, बरेली
४—काच की गुड़िया	..	नारी बंदी निकेतन, लखनऊ
५—प्लम्बरिंग	..	नैनी सेंट्रल जेल
६—रंगाई, ब्लीचिंग और कैलिको प्रिंटिंग	..	फतेहगढ़ सेंट्रल जेल ।

गुड़ और सरसों का तेल

मेरठ जिला जेल में लगाये गये वर्धा किस्म के दो कोल्हुओ से वर्ष में १५४ मन शुद्ध सरसो का तेल कैदियो के उपभोग के लिए तैयार किया गया और ३०९ मन सरसो की खली उपलब्ध हुई । इसी जेल में कैदियो के इस्तेमाल के लिए १६४ मन गुड़ बनाया गया ।

सिलाई कारखाना

वर्ष में उन्नाव जिला जेल को राज्य तथा केन्द्रीय सरकारो के विभिन्न विभागो से ४,२२,००० पोशाकें तैयार करने के आर्डर मिले और ३,४०,००० पोशाकें सिली गयीं ।

सिलाई मशीनों की मरम्मत का कारखाना

उन्नाव जिला जेल में सिलाई मशीनों की मरम्मत का कारखाना खोला गया । इस कारखाने में सिलाई मशीनो के छोटे-मोटे पुर्जों का निर्माण आरंभ कर दिया गया है ।

जेल डिपो

वर्ष में लखनऊ जेल डिपो ने १९,४८७ रु० ५० न० पै० के मूल्य का सामान बेचा ।

अंबर चर्खा

कपडे के मामले में जेलो को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कैदियो द्वारा अंबर चर्खे के उपयोग और खादी बुनाई की योजना को प्रगाढ़ रूप दिया गया । जेलों में कुल ७७५ अंबर चर्खों का उपयोग किया जा रहा है :

अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने पूरा-पूरा सहयोग दिया और कैदियों को ट्रेनिंग देने के लिए निम्नांकित कर्मचारियो और साज-सामान आदि की व्यवस्था की :—

अम्बर चर्खे	..	४००	..	कर्घे	१००
अंबर चर्खा शिक्षक	..	२१	..	बुनाई गाइड	६
अबर चर्खा मरम्मत के लिए कारखाना		१	..		

उक्त शिक्षक और गाइड ११ विभागीय शिक्षको और एक सुपरवाइजर के साथ मिल कर इस योजना के अधीन कार्य करते रहे । मेरठ जिला जेल के अबर विद्यालय मे भी २५ कैदियो को योग्य शिक्षक बनाने हेतु प्रशिक्षित किया गया । खादी आयोग के निरीक्षण अधिकारी ने जेलो में अबर-चर्खा कार्य का निरीक्षण किया और सुधार के लिए उपयोगी सुझाव दिये ।

१६६० के वर्ष के उत्पादन का विवरण इस प्रकार है :—

अंबर चर्खो से खादी सूत का उत्पादन		..	४८६ मन २८ सेर ११ छटाक
खादी दोमूतिया (धारीदार)		.	५३,२१० गज
खादी (सादा)	..	..	१५,००४ गज
खादी चादरे	..	..	७,५५१
खादी गमछे	..	.	१,२६०
खादी के तागे की कर्घे वाली आसनिया		.	५
खादी के तागे की कर्घे वाली दरिया		.	५

महिला कैदियों का प्रशिक्षण

महिला कैदियो के लिए उपयोगी रोजगार की समस्या को हल करने के उद्देश्य से प्रयोगात्मक आधार पर उन्नाव जिला जेल मे सिलाई का कुछ काम लखनऊ नारी निकेतन को स्थानान्तरित किया गया । ऐसा अनुभव किया गया कि महिला कैदी इस कार्य मे विशेष रुचि ले रही थी । नैनी सेंट्रल जेल की महिला कैदियों के लिए सिलाई और बुनाई की एक योजना आरंभ की गयी । इसके लिए एक महिला शिक्षक की नियुक्ति की गयी । लखनऊ नारी निकेतन की महिला कैदियो ने कांच की गुरियो के निर्माण का काम शुरू कर दिया ।

खुले शिविर की व्यवस्था

जेलो में आने वाले अधिकाश कैदी पेशे से किसान थे। ऐसे कैदियो को खेतीबारी के काम से लगाने में एक समस्या उनकी सुरक्षा की थी । उन्हे चहारदीवारी से घिरे जेलो मे रहना पड़ता था, जहा खेती के लिए काफी जमीन की व्यवस्था नही की जा सकती थी । कैदियो के खुले शिविरो (सम्पूर्णानन्द शिविर) मे काम देने की योजना की, जो १६५२ से आरम्भ की गयी थी, सफलता से कैदियो को खुले स्थानो मे रखने के प्रति सामान्यत जो भय बना रहता था, वह दूर हो गया । यह योजना कैदियो मे उत्तरदायित्व की भावना और कडी मेहनत करके अपनी रोजी कमाने की इच्छा का विकास करने में भी सफल साबित हुई । इससे प्राप्त सफलता से कैदियो को कृषि फार्मो मे काम देने के मार्ग की रुकावट दूर हो गयी । फलत एक नया शिविर खोलने का निश्चय किया गया । इसके लिए जिला नैनीताल स्थित सितारगज मे ३,००० एकड़ भूमि उपलब्ध की गयी, जहां १६ फरवरी, १६६० को सौ कैदियो से सपूर्णानन्द कृषि एव औद्योगिक शिविर का समारम्भ किया गया । आगे चलकर यह तय किया गया कि पास ही ३,००० एकड से अधिक खाम जमीन और वन क्षेत्र उपलब्ध किया जाय, ताकि ६,००० एकड़ का फार्म बनाना सभव हो सके, जहां कैदियो को अपनी रुचि के काम में लगने और आधुनिक कृषि-फार्मो विषयक ज्ञान प्राप्त करने के अतिरिक्त कैदियों के उपभोग के लिए अनाज भी पैदा किया जा सके । पहली

दफा २,००० एकड क्षेत्र में खेती की गयी और शिविर की कैदी संख्या १ अप्रैल, १९६० से ५०० बढ़ा दी गयी। बाद में यह विभिन्न कारणो से आवश्यक समझा गया कि इसी वर्ष अन्य १,००० एकड मे भी खेती-बाड़ी शुरू की जाय और उसके लिए अक्तूबर, १९६० से कैदी-सख्या बढ़ाकर ८०० कर दी गयी। इनके लिए अतिरिक्त साज-सामान और कर्मचारियो की स्वीकृति दी गयी। वर्ष समाप्त होते-होते लगभग ३,००० एकड भूमि मे कृषि-कार्य शुरू कर दिया गया। शेष जमीन को (३,००० एकड़) धीरे-धीरे कृषि योग्य बनाकर खेती-बारी के काम मे लाने का विचार था। कैदियो को शिविर में आरम्भ किये गये कृषि और औद्योगिक कार्यो मे लगाया गया। शिविर मे काम करने वाले कैदियो को जिनमे आवश्यक जेल सेवाओ मे लगे कैदी भी सम्मिलित थे, प्रति व्यक्ति प्रति दिन २५ नये पैसे की दर से मजदूरी दी गयी। इस शिविर मे दो तरीको पर मिली-जुली किस्म की खेती अर्थात् कुछ क्षेत्र मे मशीनो और कुछ क्षेत्र मे बैलो द्वारा खेती करने का निश्चय किया गया। जो कैदी पेशे से खेतिहर थे, उन्होने इस काम के प्रति विशेष रुचि दिखायी। इन कैदियो को बढ़ईगीरी, लोहारगीरी, ईंट पकाने, कताई, बुनाई, गुड बनाने आदि उपयोगी कुटीरउद्योगो मे प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव था, ताकि कैद से छूटने के बाद उन्हे अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने मे सहायता मिल सके। साथ ही उन्हें पशुपालन, मुर्गपालन और दुग्धशाला सबधी ट्रेनिंग देने का भी प्रस्ताव था। जून, १९६० मे १ लाख रु० मूल्य का गेहूं उपजाया गया।

मिर्जापुर जिला स्थित घुर्मा मरकुंडी और नैनीताल जिले के मंझोला शिविरो का काम भी वर्ष मे चालू रहा। घुर्मा मरकुडी शिविर मे ८०० कैदी थे, जो चुर्क सीमेंट फैक्टरी के लिये पत्थरो की खुदाई में लगाये गये थे। जनवरी से दिसम्बर, १९६० की अवधि मे इस शिविर के बाशिंदो ने ४,६८,०१६ रु० ३५ न० पै० मजदूरी के रूप मे कमाया और अपने रख-रखाव के खर्च के रूप मे राज्य को २,४६,८९० रु० अदा किये। मंझोला शिविर मे शारदा-देवहा पूरक नहर के निर्माण पर औसतन १,२९१ कैदियो को लगाया गया था, जिन्होने जनवरी से दिसम्बर, १९६० की अवधि मे ४,१०,१७६ रु० ८० न० पै० मजदूरी के रूप में कमाये और राज्य को अपने रख-रखाव का खर्च २,१६,९५५ रु० ५० नं० पै० अदा किये।

शिविरो के दो सौ दो कैदियो को घर जाने की छुट्टी दी गयी, किन्तु इस सुविधा का किसी ने दुरुपयोग नही किया।

तराई राजकीय फार्म मे कैदियों का नियोजन

पूर्ववर्ती वर्ष की भांति कैदियो के दो दलो को एक साल के पैरोल पर छोड़ा गया। पहले दल मे २९ कैदी थे और दूसरे मे १८ कैदी। इन्हे क्रमशः २४ फरवरी, १९६० और ३० नवम्बर, १९६० को तराई राजकीय फार्म, पतनगर, फूलबाग (जिला नैनीताल) मे काम करने के लिए भेजा गया। वहा पर कैदी काम के अनुसार मजदूरी के आधार पर रखे गये। इनके ऊपर किसी प्रकार की निगरानी और पहरा नही था और ये स्वतंत्र मजदूर की भाति काम करते रहे। नियमानुसार पैरोल पर भेजे गये कैदियो को यदि वे चाहे अपना परिवार साथ रखने की अनुमति दी गयी। साथ ही उन्हे अधिकारियो से अनुमति लेकर कुछ दिनो के लिए अपने परिवार वालो से मिलने की भी छूट दी गयी। वर्ष मे कुल मिला कर पैरोल पर भेजे गये कैदियो का काम और आचरण सतोषजनक रहा। योजना के अधीन यह प्राविधान भी किया गया कि यदि कैदी का काम और आचरण बराबर सतोषजनक बना रहा तो पैरोल की एक वर्ष की अवधि समाप्त होने पर उसको अवश्य मुक्त कर दिया जायगा।

किशोर सदन, बरेली

१९६० में बरेली किशोर सदन की औसत दैनिक आबादी १९२ थी, जबकि वर्ष १९५९ में यह संख्या १९० थी। चौदह बच्चो को घर जाने की छुट्टी दी गयी और वे सभी समय से वापस आ गये। पांच किशोर कैदी बाहर स्कूलो और कालेजों में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। दो लड़को ने स्नातक परीक्षा मे सफलता पायी। सदन के ३५ निवासियो को बाहरी संस्थाओ में नौकरी करने का अवसर दिया गया और वर्ष में उन्होंने १५,३३१ रु० १६ न० पै० कमाया। बगनौर मे आयोजित अखिल भारतीय स्काउट जम्बूरी मे १०० लड़को ने भाग लिया। वहा इनके प्रदर्शनो को पसद किया गया।

१६ मई, १९६० को भारत के राष्ट्रपति बरेली किशोर सदन मे गये। इसके पहले भारत सरकार के परराष्ट्र मंत्रालय के उप-मत्री सदन मे आये थे।

रिफार्मेटरी स्कूल, लखनऊ

वर्ष में लखनऊ रिफार्मेटरी स्कूल की औसत दैनिक आबादी ४२ रही जबकि १९५९ में यह औसत ४६ का था। इस स्कूल का एक लडका हाई स्कूल परीक्षा मे उत्तीर्ण हुआ और दूसरे लडक को वोकेशनल कालेज, लखनऊ मे कक्षा ७ की पढाई जारी रखने की अनुमति दी गयी। दो लड़को को घर जाने की छुट्टी मिली। इस स्कूल के लड़को की नकद कमाई १,४५९ रु० हुई इनमे १,४१७ रु० जो उन्होने स्कूल बैंड बजाकर कमाया था शामिल है।

आमोद-प्रमोद

लखनऊ जिला जेल में एक योजना चल रही थी (जो इस उद्देश्य से चालू की गयी थी कि शाम को ताले पड जाने के बाद सोने के पूर्व तक के समय का लाभदायक उपयोग किया जा सके, न कि उन्हे अपने अपराधो के बारे मे सोचने के लिए छोड़ दिया जाय)। जिसके अधीन ६ बजे शाम को ताले पड जाने के बाद ९ बजे रात तक अच्छे आचरण वाले लडको को वाद्य और गान, सगीत, कमरे मे खेले जाने वाले खेलो आदि का अभ्यास करके मनोरजन करने की अनुमति दी जाती थी। यह प्राविधान किया गया कि अनुशासकीय और प्रशासकीय आवश्यकताओ को देखते हुए अच्छे आचरण वाले कैदियो को चुना जाय और उन्हें एक बडे बैरक मे बद किया जाय, जहा आमोद-प्रमोद के लिये आवश्यक सामानो के रखने हेतु दो आलमारिया दी जाय। कैदियो को उनके व्यसनो के अनुसार छोटी-छोटी टुकडियो में बाटा जाना था। इनमें से एक कैदी को उनका सरगना बनाकर सामानो के रख-रखाव की जिम्मेदारी उसी पर डाल दी जाय। कैदियो को निम्नलिखित वाद्यों और कमरे मे खेले जाने वाले खेलो के सामान की व्यवस्था की गयी :—

१—हारमोनियम
२—तबला
३—मंजीरा
४—करताल
५—घुंघरू
६—ढोलक
७—बासुरी
८—बैंजो
९—कैरम बोर्ड
१०—शतरंज

दंड में छूट

२ अक्तूबर १९६० को गाधी जयन्ती के अवसर पर सरकार कतिपय वर्गों के कैदियो की बकाया कैद की अवधि में छूट देने का आदेश किया। इसके फलस्वरूप राज्य की विभिन्न जेलो से लगभग २,५०९ कैदी मुक्त किये गये।

अध्याय ४

विधि-निर्माण

१—विधि-निर्माण का क्रम

अनेक वैधानिक प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित होने तथा राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत होने के बाद उत्तर प्रदेश अधिनियम बने। १९६०–६१ में जिन प्रस्तावों को विधि-सहिता मे दर्ज किया गया, वे थेः—

१—उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, १९६० (१९६० का उत्तर प्रदेश अधिनियम सख्या १०)।

२—उत्तर प्रदेश (भवन निर्माण-कार्यो का नियमन) (सशोधन) अधिनियम, १९६० (१९६० का उत्तर प्रदेश अधिनियम सख्या ११)।

३—उत्तर प्रदेश उत्तराखंड (एप्लीकेशन आफ लाज़) अधिनियम, १९६०, (१९६० का उत्तर प्रदेश अधिनियम सख्या १२)।

४—सरकारी अनुदान (उत्तर प्रदेश सशोधन) अधिनियम, १९६० (१९६० का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १३)।

५—उत्तर प्रदेश परिचारिका, दाई, सहायक दाई और स्वास्थ्य निरीक्षिका पंजीयन अधिनियम, १९६० (१९६० का उत्तर प्रदेश अधिनियम सख्या १४)।

६—उत्तर प्रदेश पचायत राज (संशोधन) अधिनियम, १९६० (१९६० का उत्तर प्रदेश अधिनियम सख्या १५)।

७—मुस्लिम वक्फ अधिनियम, १९६० (१९६० का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १६)।

८—कमाऊं तथा उत्तराखंड जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९६० (१९६० का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १७)।

९—उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५६–५७ के बढोत्तरियो का नियमन) अधिनियम, १९६० (१९६० का उत्तर प्रदेश अधिनियम सख्या १८)।

१०—उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६०–६१ प्रथम पूरक)अधिनियम ,१९६० (१९६० का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १९)।

११—न्यूनतम मजदूरी (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९६० (१९६० का उत्तर प्रदेश अधिनियम सख्या २०)।

१२—भारतीय वन (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९६० (१९६० का उत्तर प्रदेश अधिनियम सख्या २१)।

१३—उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा निर्धारण अधिनियम,१९६० (१९६१ का उत्तर प्रदेश अधिनियम सख्या १)।

१४—उत्तर प्रदेश विनियोग(१९६०–६१का)द्वितीय पूरक)अधिनियम, १९६१ (१९६१ का उत्तर प्रदेश अधिनियम सख्या २)।

१५—उत्तर प्रदेश पचायत राज (संशोधन) अधिनियम, १९६१ (१९६१ का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३)।

१६—कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९६१ (१९६१ का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ४)।

१७—उत्तर प्रदेश निष्क्रांत हित (पृथक्करण) पूरक अधिनियम, १९६१ (१९६१ का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५)।

१८—उत्तर प्रदेश अंतरिम जिला परिषद् (संशोधन) अधिनियम, १९६१ (१९६१ का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ६)।

१९—उत्तर प्रदेश पूर्ति नियंत्रण (अस्थायी अधिकार) (संशोधन) अधिनियम, १९६१ (१९६१ का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ७)।

२०—उत्तर प्रदेश राज्य विधान-मंडल के अधिकारी, मंत्री, उपमंत्री और सभा-सचिव (वेतन तथा भत्ता और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, १९६१ (१९६१ का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ८)।

२१—उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, १९६१ (१९६१ का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ९)।

२२—उत्तर प्रदेश भूमि-कानून (संशोधन) अधिनियम, १९६१ (१९६१ का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १०)।

२३—उत्तर प्रदेश मोटर स्पिरिट विक्रय-कर (संशोधन) अधिनियम, १९६१ (१९६१ का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ११)।

२४—उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखों पर मतदान) अधिनियम, १९६१ (१९६१ का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १२)।

विधान-मंडल के सत्रावसान की अवधि में राज्यपाल द्वारा निम्नांकित ७ अध्यादेश जारी किये गये —

१—उत्तर प्रदेश निष्क्रांत हित (पृथक्करण) पूरक अध्यादेश, १९६० (१९६० का उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १)।

२—कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, १९६० (१९६० का उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या २)।

३—उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, १९६० (१९६० का उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ३)।

४—उत्तर प्रदेश राज्य विधान-मंडल अधिकारी, मंत्री, उपमंत्री, तथा सभा सचिव (वेतन, भत्ते तथा प्रकीर्ण) अध्यादेश, १९६० (१९६० का उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ४)।

५—उत्तर प्रदेश अंतरिम जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९६० (१९६० का उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ५)।

६—उत्तर प्रदेश पूर्ति नियंत्रण (अस्थायी अधिकार) अध्यादेश, १९६१ (१९६१ का उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १)।

७—उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अध्यादेश, १९६१ (१९६१ का उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या २)।

इन सभी अध्यादेशों को बाद में विधान मंडल से अधिनियमित कर दिया गया।

अध्याय ५

न्याय प्रशासन

१—अदालतें

*न्याय (क) विभाग दीवानी न्याय प्रशासन, दीवानी कानून, अपराधियों को छोड़ने के विरुद्ध सरकारी अपीलो और दंडित कैदियो की जीवन-रक्षा याचिकाओ सबंधी कार्य करता रहा। साथ ही इस विभाग ने उच्च न्यायालय और अधीनस्थ दीवानी तथा सेशस अदालतो के बजट, कर्मचारी और इमारतो तथा अन्य विभिन्न प्रशासकीय विषयो संबधी कार्य भी किया।

पूर्वगामी वर्ष की भाति कानूनो में सशोधन से सबंधित कार्य सीमित थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश न्याय सुधार समिति की सिफारिशों पर कतिपय जाव्ते से सबधित कानूनों में पहले सशोधन कर दिये गये थे और मौजूदा कानूनो मे भारत सरकार द्वारा नियुक्त कानून आयोग ने पुनरीक्षण कार्य आरभ कर दिया था। कानून आयोग की विभिन्न रिपोर्टो पर विचार किया गया और उनमे से कुछ के बारे मे राज्य सरकार ने अपना दृष्टिकोण और विचार भारत सरकार को भेज दिये थे।

उत्तर प्रदेश की अधीनस्थ अदालतो मे भ्रष्टाचार के कारणों की खोज-बीन समिति ने, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त की गयी थी, जाब्ते सबधी तथा अन्य कानूनो का इस दृष्टि से परीक्षण किया कि यह पता लगाया जा सके कि इनमे भ्रष्टाचार, मुकदमो में अधिक खर्च, अनावश्यक विलब और परेशानियो को कहा तक प्रश्रय मिलता था और इस बात का सुझाव दे कि उनमे ऐसे कौन से परिवर्तन किये जाय जिससे, इन बुराइयो को दूर करने मे सहायता मिले।

२—दीवानी न्याय*

(क) उच्च न्यायालय

न्यायालय में स्थायी न्यायाधीशों की सख्या २४ थीं और ३ अतिरिक्त न्यायाधीश भी थे। वर्ष मे वस्तुत: औसतन २६ न्यायाधीश कार्य करते रहे।

उच्च-न्यायालय मे दायर होने वाले सभी किस्मों के मुकदमो की संख्या ३०,०५७ से घट कर २९,९१४ हो गयी। मुकदमो के फैसलो की सख्या पूर्ववर्ष के २८,७२२ से घटकर २७,७१२ रह गयी।

उच्च-न्यायालय के समक्ष निर्णीत होने वाली नियमित अपीलों की संख्या ३०,५९४ थी, जबकि पूर्व वर्ष मे यह सख्या २८,०२५ रही। वर्ष में कुल ७,२८७ अपीलें दायर हुईं, जबकि पूर्व वर्ष में ६,९०३ अपीलें दायर हुई थीं। अपील मे किये गये फैसले के विरुद्ध अपीलों की संख्या ५,५२६ से बढ़ कर ६,१९९ हो गयी और उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के फैसलों की अपीलो की संख्या ६३१ से बढ़कर ६५० हो गयी। किन्तु मूल फैसलो की अपीलों की संख्या ७४६ से घट कर ४६८ हो गयी।

---

*१९६० के कैलेन्डर वर्ष से सम्बन्धित।

वर्ष में अदालत द्वारा निर्णीत सभी प्रकार के मामलो की संख्या ४,७५६ थी, जबकि पूर्व वर्ष में ४,७१८ मामलो मे फैसला दिया गया था। अदालत के मूल फैसलो के विरुद्ध अपीलो की संख्या पूर्वगामी वर्ष के ७३७ से घट कर ५७३ हो गयी और अपील मे फैसले के विरुद्ध अपीलो, जिनमें फैसले किये गये, की सख्या ३,५०५ से बढ़ कर ३,६३६ हो गयी। एक न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध अपीलो की सख्या ५४७ थी, जबकि पूर्व वर्ष में ४७६ अपीलो में फैसला किया गया था।

वर्ष के अन्त में अनिर्णीत अपीलो की संख्या २५,८३८ थी, जबकि पूर्वगामी वर्ष में यह संख्या २३,३०७ थी।

फुल बेंच के हवाले

फुल बेंच के सामने हवाले के मामलो की संख्या ४९ थी, जिसमे १३ पूर्व वर्ष के अनिर्णीत मामले थे। इनमें से २१ का फैसला किया गया और वर्ष के अन्त में २८ मामले अनिर्णीत रहे।

बकाया

वर्ष में उच्च-न्यायालय में सभी प्रकार के मामलों की बकाया सख्या में २,२०२ की वृद्धि हुई।

इमारतें

कतिपय आवासीय क्वार्टरो के निर्माण के प्रश्न पर ध्यान दिया गया। एडवोकेटो के लिए मोटर गाडिया खड़ी करने के स्थान और एक साइकिल स्टैंड के निर्माण के नक्शे और धन स्वीकृत किये गये।

(ख) दीवानी अदालतें

अधिकार क्षेत्र—उच्च-न्यायालय की अधीनस्थ दीवानी अदालतो के अधिकार क्षेत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ।

दायर किये गये मुकदमे—अधीनस्थ अदालतो मे दायर किये गये मुकदमो की संख्या ८१,९४७ से घट कर ७४,९५८ हो गयी। जिनमें इन्कम्बर्ड स्टेट ऐक्ट, १९३४ और पचायत राज अधिनियम, १९५० के अधीन दायर किये गये मामले नहीं शामिल हैं, किन्तु कृषक सुविधा अधिनियम, १९३४ के अधीन दायर किये गये मामले शामिल है।

अचल संपति से संबंधित मामलो में २, ४९३ की कमी हुई (१९,०११ से घटकर, १६,५१८)। इसका मुख्य कारण उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ की कतिपय धाराओ के अधीन मामलो का अधिकार-क्षेत्र बदल जाना तथा न्याय-पंचायतो में इन अधिकारों का निहित होना था, जिसके फलस्वरूप कतिपय मामले जिनका निर्णय दीवानी अदालत में होना था, उन्हे माल अदालतों अथवा न्याय पंचायतो के क्षेत्र में ला दिया गया।

अधीनस्थ अदालतो में दायर किये गये मुकदमो के मूल्यो का अन्तर निम्न प्रकार था :—

अदालते	अन्तर
मुसिफी अदालतों मे	१७,४३,१७७ रु० की कमी
खफीफा अदालतों में	१,८६,४१३ रु० की कमी
सिविल जज की अदालतो में	२१,७२,५४७ रु० की वृद्धि
जिला जज की अदालतों मे	४,८६,४३३ रु० की वृद्धि

समस्त अदालतों में मुकदमों के मूल्य में ७,२६,३८६ रु० की वृद्धि हुई।

मुकदमो का निर्णयम

निर्णीत मामलो की संख्या (स्थानातरणेतर मामलो) में १७,१६८ रु० की कमी हुई (१,२०,५८२ से घट कर १,०३,३८४)। मुकदमो के दायर होने की संख्या की अपेक्षा मुकदमों के निर्णय की संख्या अधिक रही। जिन मामलो में निर्णय होना था, उनकी संख्या में ४१,००० की कमी हुई (२,४६,६६२ से घट कर २,०८,८६२)। पूरी सुनवायी के बाद निर्णीत मामलो की संख्या १६५६ के ३५,३८५ मामलो की तुलना मे ३४,५६६ थी।

पूरी सुनवायी के अलावा अन्य प्रकार से निर्णीत मामलों की संख्या (स्थानातरण द्वारा निपटाये गये मामलो को छोड़कर) ६८,७८५ थी।

जिला जजो द्वारा पूरी सुनवायी के बाद निर्णीत मूल मुकदमो की संख्या ६८ से घट कर ८७ हो गयी। पुनः यह देखा गया कि जिला जजो को दीवानी कार्यो में कम समय लगाने का अवसर मिलता था। उनके पास बहुत बड़ी संख्या मे सेशस के मुकदमो, फौजदारी अपीलो और चुनाव याचिकाओ का काम बडी मात्रा में बकाया पड़ा था।

सिविल जजो द्वारा निपटाये गये नियमित और खफीफा अदालत के मुकदमों की कुल सख्या (स्थानांतरण द्वारा निपटाये गये मामलो को छोड़कर) में १,६४६ को कमी हुई और पूरी सुनवायी के बाद इस प्रकार के निर्णीत मामलों की संख्या में भी २५१ की कमी हुई (२,७६८ से घट कर २,५१७)। मुसिफों द्वारा निपटाये जाने वाले इस किस्म के मामलो में १५,२६८ की (८८, ६७१ से घट कर ७३, ७०३) तथा फुल बेंच द्वारा निर्णीत ऐसे मामलो में ६३६ की कमी हुई (२६,२६२ से घट कर २८,३२३)।

कालावधि

मुंसिफ की अदालतो में पूरी सनवायी के बाद निर्णीत मामलों की कालावधि पूर्व वर्ष के ६११ दिनो की तुलना में घटकर आलोच्य वर्ष में ३६३ दिन और सिविल जजो की अदालतो में यह अवधि ६६६ दिनो से घट कर ६७३ दिन हो गयी। जिला जजो की अदालतो मे यह कालावधि ५६७ दिन से बढ़कर ६७७ दिन हो गयी। राज्य में सभी प्रकार के मामलों की पूरी सुनवायी के बाद निर्णीत मामलो की औसत कालावधि ५४५ दिन से घटकर ३७३ दिन हो गयी। यह देखा गया कि सिविल जजो और जिला जजो की अदालतो में एक मुकदमें को मिपटाने में एक वर्ष से कहीं अधिक समय लगता था।

अपीलें

अधीनस्थ अदालतो में दायर की गयी नियमित और लगान अपीलो की संख्या में ७३८ की वृद्धि हुई (१६,४८५ से बढ़कर २०,२२३)। अदालतों के समक्ष निपटाये जाने वाले मुकदमो की कुल संख्या में ४,७३२ की कमी हुई (७०,१८४ से घट कर ६५,४५३)। स्थानांतरणेतर निपटाये गये मामलो की संख्या ४६० से बढी (२२,१४२ से २३,६३२), फिर भी निपटायी गयी अपीलो की संख्या निपटायी जाने वाली अपीलो की १/३ थी, जिन अपीलो को निपटाया गया उनकी संख्या दायर की जाने वाली अपीलो की तुलना में अधिक थी। निपटारे के लिए दायर की जाने वाली नियमित दीवानी अपीलो की संख्या में ५,६३३ की कमी हुई (६४,१५४ से घट कर ५८,६२१)। इनमें २१,६०६ अपीलें निपटायी गयी। निपटायी जाने वाली माल अपीलों की संख्या ६,५३१ थी, जिनमें से २,०२६ अपीलें निपटायी गयी। जाब्ता दीवानी १,६०८ के आदेश ४१, नियम ११ के अधीन सरसरी तौर पर मसूख की गयी अपीलो की संख्या १८२ से बढ़कर २५० हो गयी।

विविध अपीलें

अधीनस्थ अदालतों में दायर की गयी विविध अपीलों की संख्या में १६ की वृद्धि हुई (३,२१२ से बढ़कर ३,२२८)। जिन अपीलों का निपटारा किया जाना था, उनमें ३१० की कमी हुई (८,३७३ से घट कर ८,०६३)। स्थानांतरणेतर द्वारा निपटाये जाने वाले मामलों को छोड़कर विविध मामलों की संख्या में ४६७ की वृद्धि हुई (३,०८५ से बढ़कर ३,५५२)।

निर्णयों का कार्यान्वियन

अधीनस्थ अदालतों के समक्ष निर्णयों को कार्यान्वित करने के आवेदनों की संख्या में ३,१६० की कमी हुई (१,००,९५४ से घट कर ९७,७९४) और वर्ष में दायर किये गये आवेदनों की संख्या में ३,५४२ की कमी हुई (६९,३०८ से घट कर ६५,७६६)।

निपटाये गये आवेदनों में २,०६१ की कमी हुई (६४,५११ से घट कर ६२,४८०)। इनमें से २,९७२ आवेदनों को स्थानांतरण द्वारा निपटाया गया।

प्रभावी आवेदनों का प्रतिशत ४५ से घट कर ४४ रह गया।

दिवालियापन और भुगतान

प्रादेशिक दिवालियापन अधिनियम, १९२० के अधीन न्याय-प्रशासन २५ सिविल जजों और कुमायूं जजों के मुन्सिफों के अधिकार-क्षेत्र में आ गया। अधीनस्थ अदालतों के समक्ष दिवालियापन के मामलों की संख्या में ३८ की कमी हुई (१,७६८ से घट कर १,७३०) मुक्त किये गये दिवालियों की संख्या १९७ से घट कर १८७ हो गयी। रिसीवरों द्वारा बांटी जाने वाली धनराशि में ११,७०४ रु० की वृद्धि हुई (२,६८,३५८ रु० से बढ़ कर २,८०,०६२ रु०) और रिसीवरों के पास बाकी बची रकम में १,६४,०६२ रु० की वृद्धि हुई (१०,५२,८७९ रु० से बढ़कर १२,१६,९४१ रु०)।

खफीफा अदालतें

खफीफा अदालतों की संख्या पहले की भांति १० बनी रही। उन्होंने (स्थानान्तरित मामलों को छोड़कर) २१,८०१ मामलों में निर्णय किया। यह संख्या पूर्व वर्ष की तुलना में ८५ कम थी। जिन अन्य अदालतों में खफीफा अदालतों के अधिकार निहित थे, उन्होंने १३,३५४ (स्थानांतरित मुकदमों को छोड़कर) अर्थात् पिछले वर्ष की तुलना में ३,४७५ कम मुकदमों का निर्णय किया।

उन अदालतों में कार्यान्वियन के लिए प्रभावी आवेदनों का प्रतिशत ३० से बढ़कर ३१ हो गया।

अवैतनिक मुन्सिफ

चम्पावत और रवाइन के तहसीलदारों की अदालतें मात्र राज्य में अवैतनिक मुंसिफों की अदालतें थीं। इन्होंने वर्ष में कोई मुकदमा फैसल नहीं किया। वे सामान्यतः मालियत वाले कतिपय मुकदमों का निपटारा करती थीं किन्तु अब मालियत के मुकदमों की सुनवायी पंचायतों द्वारा की जाने लगी थी।

बकाये

अधीनस्थ अदालतों में दीवानी मुकदमों के बकाये में शनैः शनैः होने वाली कमी जारी रही किन्तु प्रति वर्ष फौजदारी सम्बन्धित काम बढ़ता रहा। अधिक परिमाण में फौजदारी सम्बन्धी कार्यों, जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५६ के अधीन सदर्भों और स्थानीय निकायों से सम्बन्धित चुनाव याचिकाओं के तत्काल निपटारा करने के फलस्वरूप अधिकतर जिला और सिविल जज दीवानी के नियमित कार्य की ओर पूरा-पूरा ध्यान नहीं दे सके।

(१) मुकदमें—वर्ष के अन्त में कुल अनिर्णीत मामलो की संख्या में १६,०६४ की कमी हुई (६५,६७७ से घट कर ७६,८८३)। एक वर्ष से अधिक समय के अनिर्णीत मामलों में पर्याप्त कमी हुई (४८,१५२ से घट कर ३५,५५८)। इसी प्रकार छ महीने से अधिक समय के अनिर्णीत मामलो में भी कमी हुई (६१,४२६ से घट कर ४६,६५०)। मुन्सिफो की अदालतो मे एक साल से अधिक अवधि वाले अनिर्णीत मामलो में १०,१५८ की कमी हुई (४३,०१५ से घटकर ३२,८५७)। सिविल जजो की अदालतो में ऐसे मामलो की सख्या २,४६५ से घट कर २,२२७ और खफीफा अदालतो में २,३१८ से घट कर २,३११ हो गयी। फिर भी मुंसिफ और जिला जजो की अदालतो में ३ या ४ वर्ष से अनिर्णीत मामलो की सख्या काफी अधिक थी।

(२) अपीलें—नियमित और लगान अपीलो के अनिर्णीत मामलो की सख्या में ३,३६५ की कमी हुई और वे १६,८४६ रह गयी। इनमें से १७,०२०८ नियमित अपीलें और २,६३८ माल सम्बन्धी अपीलें थी। एक वर्ष से अधिक समय की अपीलो की सख्या में भी १,५६५ की कमी हुई (७,५१४ से घट कर ५,६४६)। फिर भी दो-तीन वर्षों से अनिर्णीत अपीलें एक बडी सख्या में बच रही।

(३) विविध अपीलें—विविध अपीलो की कुल संख्या मे ३६१ की कमी हुई (२,६०८ से घट कर २,२१७)। इस प्रकार की जो अपीलें एक वर्ष से अधिक समय से अनिर्णीत थीं, उनकी संख्या पूर्व वर्ष के ८७६ की तुलना में ४६३ थी।

(४) डिग्रियो के इजरा के लिए दरख्वास्तें—विचाराधीन पत्रावलियो की कुल संख्या में ३३३ की वृद्धि हुई अर्थात् इनकी संख्या ३२,००६ से बढ़ कर ३२,३४२ हो गयी। पर तीन महीने से अधिक समय से विचाराधीन दरख्वास्तो की संख्या मे ५९६ की कमी हुई, अर्थात् इनकी संख्या १८,२२० से घट कर १७,६२४ हो गयी।

फरीकों और गवाहो के बयान

जाब्ता दीवानी के आदेश ५ नियम३ के अधीन जिन व्यक्तियो को अदालत मे स्वयं हाजिर होनेके आदेश जारी किये गये उनकी संख्या ६,२८२ से बढ कर ११,७३६ हो गयी। इनमें से ५,६६० व्यक्तियो के बयान लिये गये।

गवाहों की संख्या, जिनके नाम सम्मन जारी किये गये, १,५६,८६७ से घट कर १,३६,२६७ रह गयी। इनमें से १,०५,०६७ के बयान लिये गये।

सम्मन तामील करने वाले कर्मचारी

सम्मन तामील करने वाले कर्मचारियो द्वारा तामील किये गये सम्मनो की सख्या में १,०६,६३७ की कमी हुई अर्थात् इनकी सख्या १०,५०,६६० से घट कर ६,४४,०२३ हो गयी। जाब्ता दीवानी के आदेश १६, नियम ८ के अधीन फरीको द्वारा स्वय तामील किये गये सम्मनो की संख्या में १७,३६० की कमी हुई, अर्थात् इनकी सख्या १,४२,११७ से घट कर १,२४,७५७ हो गयी।

पंचायतराज अधिनियम का कार्य

आलोच्य वर्ष मे राज्य में कुल ८,६६१ न्याय पंचायतें कार्य करती रही।

न्याय पंचायतो के समक्ष दायर किये गये और निपटाये गये मुकदमो की संख्या इस वर्ष घट कर क्रमशः ६४,१५५ से ८२,३२१ और ८७,८३७ से ७६,१६८ हो गयी। विचाराधीन मुकदमो की संख्या २५,७३० रही, जब कि गत वर्ष यह संख्या २२,६०७ थी।

इमारतें

राज्य में दीवानी अदालतो की इमारतो की दशा सामान्यतः असन्तोषजनक बनी रही। कुछ जगहो मे इमारतें अनुपयुक्त थी और कार्य बढ़ने के फलस्वरूप स्थापित की गयी। अतिरिक्त अदालतो के लिये भी काफी जगह न थी। फलस्वरूप इन अदालतो के बैठने की व्यवस्था दीवानी अदालत की इमारत से दूर किराये की इमारतो मे अथवा बरांडो में घेर-घार कर करनी पडी। पर यह प्रबन्ध वकीलों, मुख्तारों, मुवक्किलों और अदालत के हाकिमो और उनके कर्मचारियों के लिए सुविधाजनक न था।

फतेहपुर में दीवानी अदालत की एक नयी इमारत के निर्माण की स्वीकृति दी गयी पर इमारत के लिए जमीन न मिल सकने के फलस्वरूप निर्माण-कार्य आरम्भ न किया जा सका।

सन् १६५५-५६ के वर्ष में निर्माण के हेतु जिन चार निर्माण-कार्यों की स्वीकृति दी गयी थी, उन्हें सन् १६६० के वर्ष में पूरा कर लिया गया।

जहां तक सन् १६५६-५७ मे स्वीकृत निर्माण-कार्यों का सम्बन्ध है--(१) एटा मे अदालत के कमरो के एक खण्ड का, (२) मुजफ्फरनगर में अदालत के कमरो के एक खण्ड का, और (३) मथुरा मे अदालत के कमरो के एक खण्ड का निर्माण-कार्य चल रहा था।

रामपुर में एक अभिलेख कक्ष का निर्माण-कार्य पूरा किया गया। इस कार्य की स्वीकृति सन् १६५७-५८ में मिली थी।

अन्य निर्माण-कार्यों में, जिनके लिए सन् १६५७-५८ में ३ लाख रु० की धनराशि स्वीकार की गयी थी, देहरादून, फैजाबाद और कानपुर में अदालतों के दो-दो कमरो का निर्माण-कार्य पूरा किया गया। देवरिया में अदालतो के लिए दो कमरो का निर्माण-कार्य चल रहा था और बाराबकी मे जिला जज की अदालत खण्ड का निर्माण-कार्य आरम्भ नही किया जा सका।

इटावा, झासी, वाराणसी और बलिया की दीवानी अदालतो की इमारतो में परिवर्तन एवं परिवर्द्धन करने और मैनपुरी की दीवानी अदालत की इमारत में बिजली लगाने के लिए सन् १६५८-५६ मे ४ लाख रु० की एक धनराशि स्वीकृत की गयी थी। इस योजना के अधीन वाराणसी की दीवानी अदालत की मुख्य इमारत और नये खण्ड को जोडने के लिए एक छायादार रास्ता बनाया गया और मैनपुरी की दीवानी अदालत की इमारत में बिजली लगाने का कार्य चालू रहा। शेष स्थानो में, अर्थात् इटावा, झांसी और बलिया में वर्ष की समाप्ति तक कार्य आरम्भ न किया जा सका।

बस्ती में दीवानी अदालत की इमारत की फिर से छत बनाने का कार्य पूरा किया गया। इस कार्य की स्वीकृति सन् १६५५ में दी गयी थी।

सन् १६५६-६० के वर्ष में दीवानी अदालतों की इमारतो में परिवर्तन एवं परिवर्द्धन के लिए कोई धनराशि स्वीकृत नही की गयी।

गवाहों के लिये बरामदे

सन् १६५७-५८ के वर्ष में सरकार ने गवाहो के लिए बहराइच, बलिया, बुलन्दशहर, गाजीपुर, झानपुर और शाहजहापुर मे एक-एक और वाराणसी में दो, और इस प्रकार कुल आठ बरामदो के निर्माण के हेतु धन की स्वीकृति दी। केवल बहराइच को छोडकर शेष सभी स्थानो में सन् १६५६ के अन्त तक गवाहो के लिए बरामदे बन कर तैयार हो गये थे। बहराइच में स्वीकृत डिजाइन के आधार पर निर्माण-कार्य पूरा करने में कुछ कठिनाई थी। फलस्वरूप अदालत ने गवाहो के लिए छोटे आकार का बरामदा बनाने की स्वीकृति दी। किन्तु आलोच्य वर्ष के अन्त तक निर्माण-कार्य आरम्भ न किया जा सका।

सन् १६५८-५६ में बाराबंकी, देवरिया, झांसी, लखनऊ, मुरादाबाद और रामपुर में गवाहो के लिए बरामदे बनाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। देवरिया, झासी, मुरादाबाद और

रामपुर में गवाहो के लिए बरामदो का निर्माण-कार्य पूरा किया गया जब कि लखनऊ और बाराबंकी में आलोच्य वर्ष के अन्त तक निर्माण-कार्य आरम्भ न किया जा सका।

सन् १९५९–६० मे सरकार ने गवाहो के लिए ५ और बरामदे बनवाने की स्वीकृति दी। यह बरामदे चन्दौसी, गोरखपुर, हाथरस, कासगंज और टिहरी में बनने थे। किन्तु वर्ष के अन्त तक कार्य आरम्भ न किया जा सका।

आवास

जुडीशियल सर्विस के अधिकारियो के लिए सरकारी आवासो की बेहद कमी थी और उन्हे उपयुक्त आवास तलाश करने मे काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता था।

बलिया में जिला जज के आवास का निर्माण-कार्य उपयुक्त जमीन न मिल सकने के फलस्वरूप आरम्भ न किया जा सका। इस निर्माण-कार्य की स्वीकृति सरकार ने सन् १९५७–५८ मे दी थी।

सन् १९५८–५९ मे सरकार ने उस बंगले की खरीद के लिए, जिसमें जिला जज रहते थे, धन की स्वीकृति दी, किन्तु वर्ष के अन्त तक खरीद की कार्रवाई पूरी न की जा सकी।

सन् १९५९–६० मे सरकार ने मेरठ के जिला जज के आवास के लिए निर्माण-कार्य की स्वीकृति दी, किन्तु उपयुक्त जमीन न मिलने के कारण कार्य आरम्भ न किया जा सका।

बहराइच में दो अधिकारियो के आवास के लिए एक मकान खरीदने के हेतु सरकार ने धन की स्वीकृति प्रदान की। पर वर्ष के अन्त तक खरीद सम्बन्धी रस्मों के पूरा न हो सकने के कारण मकान की खरीद पूरी न हो सकी।

सन् १९६०–६१ में सरकार द्वारा किसी भी आवासीय इमारत के लिए धन की स्वीकृति नहीं दी गयी।

स्टाम्प फरोशो और अरायज नवीसो के लिए स्थान के सम्बन्ध मे स्थिति पूर्ववत् बनी रही।

३—फौजदारी न्याय व्यवस्था*

अधिकार-क्षेत्र

आलोच्य वर्ष मे सेशन डिवीजनो की सख्या ४० रही। फौजदारी के बढ़े काम को निपटाने के लिए ३६ जिलो में सिविल और सेशन जजो की अस्थायी अदालतें स्थापित की गयीं। यदि इन अदालतो के काम का कुल समय जोड लिया जाय तो इन्होने ४० वर्ष, ४ महीने और २८ दिन कार्य किया।

अपराधो की संख्या

आलोच्य वर्ष मे भारतीय दण्ड-विधान के अधीन अपराधो की संख्या सन् १९५९ में ९४,८९९ से बढ़कर ९७,००४ तक पहुंच गयी। राज्य के विरुद्ध अपराधो, जन-स्वास्थ्य और सुरक्षा से सम्बन्धित अपराधो और चोरी, डकैती, राहजनी, जालसाजी और जायदाद हड़पने आदि के अपराधो मे कमी हुई, किन्तु साजिश, अदालतो की मानहानि, झूठी गवाही, जाली सिक्के व नकली बाट आदि के अपराधों तथा बलात रोक रखने, मारपीट, जबरदस्ती अपहरण, बलात्कार, अप्राकृतिक अपराध, धोखा, नाजायज धमकी देना और जायदाद पर नाजायज ढग से अधिकार कर लेने के अपराधो की सख्या में वृद्धि हुई।

---

*सन् १९६० के कलेंडर वर्ष से सम्बन्धित।

अभियुक्त

इस वर्ष ७,११,५१५ व्यक्तियो के विरुद्ध मुकदमे चले, जब कि सन् १९५९ मे यह संख्या ७,०३,७८८ थी। इनमे से ७०१ अभियुक्त मुकदमे के दौरान मे मर गये, १,४४६ भाग गये और ३७२ का मामला अन्य जिलो मे भेज दिया गया। इस वर्ष कितने अभियुक्तो के विरुद्ध क्या कार्रवाई हुई, इसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है :—

		१९५९	१९६०
छोडे दिये गये अभियुक्त	..	३,१९,८९०	३,३०,९८८
दण्डित किये गये अभियुक्त	..	२,५५,८२८	२,४४,४२९
सेशन सुपुर्द अभियुक्त	..	२४,६४५	२४,७७८
आलोच्य वर्ष के अन्त मे विचाराधीन मामले		८८,४१३	९८,४४८

भारतीय दण्ड-विधान और विशेष तथा स्थानीय कानूनो के अन्तर्गत जिन व्यक्तियो के चालान हुए या जो दण्डित या मुक्त हुए उनका विवरण इस प्रकार है—

भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत अभियोग		१९५९	१९६०
चालान किये गये व्यक्तियो की संख्या	..	३,०२,३२४	३,११,५५४
मुक्त किये गये व्यक्तियो की सख्या	..	१,८६,९५२	१,९२,७७६
दण्डित व्यक्तियों की संख्या	..	४६,६९८	४६,३७०
आलोच्य वर्ष के अन्त मे विचाराधीन मुकदमो से सम्बन्धित व्यक्तियो की संख्या	..	६७,६८४	७१,३९५

जाब्ता फौजदारी और विशेष अथवा स्थानीय कानूनो के अन्तर्गत अभियोग—

		१९५९	१९६०
चालान किये गये व्यक्तियो की संख्या	..	४,१८,४०५	४,१५,१९३
मुक्त किये गये व्यक्तियो की संख्या	..	१,५१,७६३	१,५६,५८६
दण्डित व्यक्तियो की संख्या	..	२,२९,३८०	२,१५,१७४
आलोच्य वर्ष के अन्त मे विचाराधीन मुकदमो से सम्बन्धित व्यक्तियो की संख्या	..	३५,७४८	४१,९२७

निर्णीत मामले

इस वर्ष कुल जितने मुकदमो का निर्णय किया गया, उनकी सख्या ३,१२,७६६ थी, जबकि पूर्वगामी वर्ष मे यह संख्या ३,३५,७७७ थी। आनरेरी मजिस्ट्रेटों की अदालतो द्वारा निर्णीत मुकदमो से १,३५,४५२ व्यक्तियो का सम्बन्ध था, जबकि विगत वर्ष यह सख्या १,४३,७६३ थी। इस वर्ष ६,१३,०६७ व्यक्तियो के मामले निर्णीत हुए।

गवाह

आलोच्य वर्ष में मैजिस्ट्रेटो की अदालतो में जितने गवाह गुजरे उनकी सख्या पूर्वगामी वर्ष के ४,९९,५०५ से घट कर ४,८४,५२६ रह गयी। सेशन अदालतो में गुजरने वाले गवाहो की संख्या भी पूर्वगामी वर्ष के १,०१,१९० से घट कर ९८,२०७ रह गयी। मजिस्ट्रेटो की अदालतो में गुजरने वाले ऐसे गवाहो की संख्या, जिनसे जिरह नही की गयी, पूर्वगामी वर्ष के २५,२२१ से बढ़ कर आलोच्य वर्ष में ३३,९९६ हो गयी। इसी प्रकार सेशन की अदालतो में भी इनकी संख्या २०,३३२ से बढ़ कर २०,७८१ हो गयी।

मुकदमों की अवधि

मजिस्ट्रेटो की अदालतो में एक मुकदमा चलने की औसत अवधि ७१ दिन बनी रही । पर सेशन की अदालतो मे यह अवधि १९५ दिन से घट कर १८० दिन ही रह गयी ।

मुकदमो के फैसले और सजाये

मजिस्ट्रेट और सेशन की अदालतो में जो व्यक्ति दण्डित हुए उनमे से ३३,२६५ को कारावास की सजाए, १,९५,२९१ को जुर्माने और २९,२३० व्यक्तियो को जमानते देने के आदेश हुए। सेशन की अदालतो द्वारा दी गयी प्राणदण्ड की सजा सन् १९५९ के ३८९ से घट कर आलोच्य वर्ष मे ३७४ रह गयी। अपील मे हाईकोर्ट द्वारा १२८ की सजा बहाल रही, १३३ व्यक्ति छोड दिये गये और ६३ व्यक्तियो की सजाओ मे रद्दोबदल कर दी गयी। आलोच्य वर्ष की समाप्ति पर ५२ व्यक्तियो के मामले विचाराधीन थे। इस वर्ष २४ व्यक्तियो को फासी दी गयी, जबकि पूर्वगामी वर्ष यह सख्या १५ थी।

आजन्म कारावास पाने वाले व्यक्तियो की सख्या सन १९५९ के १,५३७ से घट कर १,५२६ रह गयी। कठोर कारावास का दण्ड पाने वाले व्यक्तियो की संख्या सन् १९५९ के ३०,७२७ से घट कर २६,५७५ रह गयी।

सेशन की अदालतो द्वारा किये गये जुर्माने की कुल धनराशि गत वर्ष के ६,०३,३७६ रु० से घट कर इस वर्ष ३,३३,७९६ रु० रह गयी। मजिस्ट्रेटो की अदालतो द्वारा किये गये जुर्माने की कुल धनराशि पूर्वगामी वर्ष के ४८,६७,५५४ रु० से बढ कर ५५,४२,२७७ रु० हो गयी।

शांति एवं सच्चरित्रता के लिये जमानत

शान्ति बनाये रखने लिए जितने व्यक्तियो से इस वर्ष मुचलके लिये गये, उनकी संख्या पूर्वगामी वर्ष के २३,२८४ से घट कर २२,७५५ रह गयी। जिन जिलो मे बडी सख्या में लोगो के मुचलके लिये गये वे थे—रायबरेली (१,७२७), बाराबंकी (१,६८९), इलाहाबाद (१,३२७) और मथुरा (१,२६५)। सच्चरित्रता के लिए जितने लोगो से मुचलके लिये गये उनकी संख्या सन् १९५९ के ११,०५० से घट कर ९,७५९ रह गयी। जिन जिलो मे बडी संख्या में लोगो से मुचलके लिये गये वे थे—गोरखपुर (६२६), इलाहाबाद (५५१), कानपुर (५३०) और आगरा (४८२) के जिले।

प्रथम बार के तथा बाल अपराधी

आलोच्य वर्ष मे प्रथम बार अपराध करने के आधार पर चेतावनी देकर या उत्तर प्रदेश फर्स्ट आफेण्डर्स प्रोबेशन ऐक्ट, १९३८ के अधीन रिहा कर दिये गये अभियुक्तो की सख्या सन् १९५९ को ११,३९४ से घट कर ८,१७३ रह गयी।

हाई कोर्ट में अपील करने वालो की संख्या १४,६५५ से घट कर १०,३२८ रह गयी। सरकार की ओर से दायर की गयी अपीलो की संख्या, जिनमे पिछले वर्ष की विचाराधीन अपीलें भी शामिल है, इस वर्ष २८८ थी, जब कि सन् १९५९ में इनकी संख्या २६४ थी। इनमे से २ अपीलें वापस कर दी गयीं, ४० मजूर कर ली गयी, १३२ खारिज कर दी गयी, ११ में फिर से सुनवाई करने के आदेश दिये गये और वर्ष की समाप्ति पर १०३ विचाराधीन थीं। अन्य अदालतो में अपील करने वालो की सख्या ५०,८६७ थी, जब कि पूर्वगामी वर्ष में इनकी सख्या ५२,९०१ थी।

४—माल की अदालतें†

कब्जा आराजी के मुकदमे

आलोच्य वर्ष में उत्तर प्रदेश टेनेंसी अधिनियम, १९३९ के अन्तर्गत दायर किये गये मुकदमों की संख्या पूर्वगामी वर्ष के २०,१९९ से घटकर १५,७४५ रह गयी। विभिन्न प्रकार के मुकदमों की संख्या ४,३१४ से घटकर ३,७९० रह गयी लेकिन बकाया लगान की नालिशों का संख्या पूर्वगामी वर्ष की १,०४९ से बढकर १,१३४ हो गयी। बेदखली के मुकदमें ६,२६२ से घटकर ३,९०२ रह गये। १,१२६ मामलो में बेदखल करने के आदेश दिये गये, जब कि पूर्वगामी वर्ष में २,२०१ मामलो में ऐसे आदेश दिये गये थे। बेदखली से संबंधित भूमि का क्षेत्र पिछले वर्ष के १,८५९ से घटकर १,७५१ एक्ड़ रह गया।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम, १९५० के अधीन दाखिल किये गये आवेदन-पत्रो की सख्या ९१,३५२ थी, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या १,१६,९९८ थी। भूमिधरी अधिकार उपार्जित करने के सबध मे दिये गये प्रार्थना-पत्रो की संख्या इस वर्ष ३३,७९७ से बढ़कर ३६,६४७ तक पहुंच गयी। कब्जे के पुनर्ग्रहण के लिये इस वर्ष १,४३१ प्रार्थनापत्र प्रस्तुत हुए जब कि पिछले वर्ष इनकी संख्या २,१९६ थी। उक्त अधिनियम की धारा १४३ और १४४ के अधीन घोषणार्थ गत वर्ष के ३,००९ की अपेक्षा इस वर्ष केवल २,१९४ प्रार्थना पत्र दिये गये। असामियो और अधिवासियो की बेदखली के लिये पेश किये गये प्रार्थना-पत्रों की सख्या १०,४२६ थी, जब कि पिछले वर्ष यह संख्या २०,१०० थी। इस संबंध में इस वर्ष ७,६८६ एकड से बेदखलियो के आदेश हुए जब कि गत वर्ष ११,४९८ एकड़ से बेदखली के आदेश हुए थे।

मूल टेनेंसी अधिनियम के अधीन मुकदमों का निपटारा

उत्तर प्रदेश टेनेंसी अधिनियम के अधीन मुकदमो के निपटारे के लिए दायर मुकदमो और प्रार्थना-पत्रो की संख्या ३३,००८ से घटकर २७,०८८ रह गयी। इनमें से इस वर्ष कुल १६,५५२ मुकदमें निपटाये गये जबकि पिछले वर्ष इनकी सख्या २१,७०५ थी। इस प्रकार वर्ष की समाप्ति पर १०,५३६ मुकदमें निपटाने को शेष रहे।

उत्तर प्रदेश लैण्ड रेवेन्यू अधिनियम सहित उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के कुल ८,५२,८८४ प्रार्थना-पत्र और मुकदमे पेश हुए जबकि पिछले वर्ष यह सख्या ९,७०,३९१ थी। इनमे से गत वर्ष के ७,८९,६७१ की अपेक्षा इस वर्ष ७,१८,०७८ मामले निर्णीत हुए। इस प्रकार वर्ष की समाप्ति पर विचाराधीन मामलो की संख्या १,३४,८०६ रही।

अपील और निगरानी

आलोच्य वर्ष मे उत्तर प्रदेश टेनेंसी अधिनियम के अन्तर्गत कलेक्टर के समक्ष पेश की गयी अपीलों की सख्या पूर्वगामी वर्ष के २३१ की तुलना में २३२ थीं। निपटारे के लिये कुल ३११ अपीलें पेश थीं, जिनमें पिछले वर्ष के विचाराधीन ७९ (संशोधित संख्या) मामले भी थे। इनमे से इस वर्ष १९५ मामलों को निपटाया गया और इस प्रकार वर्ष की समाप्ति पर ११६ मामले निपटाने को शेष रहे। इस शेष संख्या में ३३ मुकदमें तीन महीने से अधिक पुराने थे।

---

†३० सितम्बर, १९६० को समाप्त होने वाले राजस्व वर्ष से सम्बन्धित।

उत्तर प्रदेश टेनेंसी अधिनियम, कुमायूं टेनेंसी नियम और उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम के अधीन कमिश्नरो एव अतिरिक्त कमिश्नरो द्वारा निपटारे के लिये पेश अपीलो की सख्या आलोच्य वर्ष में विगत वर्ष की १६,६६२ से बढ़कर २०,७८६ हो गयी। इनमे से १२,६२५ अपीलो का फैसला हो गया और वर्ष की समाप्ति पर ८,१६४ अपीलें फैसले के लिए शेष रही। ३,३८८ अपीलो मे अथवा लगभग २६.८ प्रतिशत में नीचे की अदालतो के आदेश उलट दिये गये, संशोधित किये गये या उन्हे वापस भेज दिया गया।

उत्तर प्रदेश लैन्ड रेवेन्यू अधिनियम के अधीन कमिश्नरो तथा अतिरिक्त कमिश्नरों द्वारा निर्णय के लिये ७,४८० अपीलें पेश थीं। जिनमें से ५,०६७ अपीलो का फैसला किया गया और वर्ष की समाप्ति पर २,३८३ अपीलें फैसले के लिए शेष रही।

माल बोर्ड के द्वारा फैसले के लिये १२,०५१ अपीलें पेश थीं, जिनमें से ५,५२४ पर फैसले दिये गये और वर्ष के अन्त में ६,५२७ अपीलें फैसले के लिए शेष रह गयीं।

बंटवारा

राज्य के जिन भागों में जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम लागू नही था वहा बटवारा संबधी १४६ मामले विचाराधीन थे। आलोच्य वर्ष में बटवारा संबधी २५ मामले और पेश किये गये। इस प्रकार इस वर्ष निपटारे के लिए कुल १७१ मामले थे। इनमें से २४ मामलों को निपटाया गया और वर्ष के अन्त मे १४७ मामले विचाराधीन रहे।

दाखिल खारिज

राज्य के जिन भागों में जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम लागू नहीं था, वहां आलोच्य वर्ष में हक मालिकाना विषय मे जो दाखिल खारिज हुए उनकी संख्या ३,१६७ थी। इस वर्ष अदालती आदेशों के अनुसार ६१ मामलो में, वैयक्तिक हस्तांतरण द्वारा १,५२० मामलों में और उत्तराधिकार के कारण १,२२६ मामलों में दाखिल खारिज हुए। इस वर्ष दो बंधक के मामले थे। बंधक छुड़ाने के कारण ५ मामलो मे दाखिल खारिज हुए। अन्य प्रकार के हस्तान्तरण के ३५३ मामले थे।

उन क्षेत्रों में जहां उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम लागू था २,५३,६३७ मामलो में दाखिल खारिज हुए। २५६ मामलों मे अदालती आदेशो के द्वारा और १,७८,६३० मामलो में वैयक्तिक हस्तान्तरण द्वारा दाखिल खारिज हुए। अन्य मामलो के मद के अन्तर्गत ७५,०४८ मामलो में दाखिल खारिज हुए।

५—रजिस्ट्रेशन

रजिस्ट्रेशन विभाग की आय सन् १९६०–६१ में सन् १९५९–६० के ७९ लाख ३७ हजार रु० से घटकर ७७ लाख ४६ हजार रु० रह गयी। पर इसी अवधि में व्यय १७ लाख ९२ हजार रु० से बढ़कर १९ लाख १२ हजार रु० तक पहुंच गया।

वर्ष की समाप्ति पर रजिस्ट्रेशन कार्यालयो की संख्या, जिनमे, ज़िला रजिस्ट्रारों के कार्यालय भी सम्मिलित थे, २५९ थी।

एटा, मथुरा, सुलतानपुर, लखीमपुर मुजफ्फरनगर, बिजनौर और बहराइच में ज़िला रजिस्ट्रारों के नये कार्यालय स्थापित किये गये ।

६—लीगल रिमैम्बरेंसर की शाखा

पूर्वगामी वर्षों की भांति आलोच्य वर्ष में भी लीगल रिमैम्बरेंसर की शाखा का मुख्य कार्य दीवानी और फौजदारी (मुकदमा उठा लेने और जमानत रद्द कर देने) के सभी प्रकार के मुकदमों से संबंधित कार्यों की, माल की अपील सानी से संबंधित संविधान की धारा ३२ के अन्तर्गत दाखिल किये गये ऐसे सभी समादेश याचिकाओं (रिट पेटीशनों) से संबंधित कार्यों की, जिनमें राज्य सरकार एक फरीक हो, निगरानी करना था। ऐसे सभी मामले भी जिनमें राज्य सरकार के विभागो या भारत सरकार द्वारा कानूनी सलाह की आवश्यकता थी, लीगल रिमैम्बरेंसर के पास आये। लीगल रिमेम्बरेंसर की शाखा उत्तर प्रदेश की समस्त न्याय अदालतों और दूसरे राज्यो की अदालतों और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दायर ऐसे सभी दीवानी के मुकदमों में, जिनमें राज्य सरकार फरीक थी, पैरवी करती रही। शाखा ने केन्द्रीय सरकार के विभागों द्वारा मशविरे के लिए भेजे गये सभी मामलों में अपनी राय दी और ऐसे मामलों की भी पैरवी की, जिनमें भारत सरकार या अन्य राज्यों की सरकारें फरीक थीं।

विधि-विभाग के पास सचिवालय के विभिन्न विभागों द्वारा मशविरे के लिए भेजे गये कुल मामलों की संख्या सन् १९५९-६० में ११,६१४ थी ।

संविधान की धारा २२६ के अधीन समादेश याचिकाओं (रिट पेटीशनों) से संबंधित समस्त कार्यों को जिन्हें पहले विकेन्द्रित कर दिया गया था, आंशिक रूप से न्याय (ख) विभाग में केन्द्रित कर दिया गया। इस योजना के अन्तर्गत सभी समादेश याचिकाएं इस विभाग को इस आदेश के लिये भेजी जाती थी कि उनकी या उनसे संबंधित अपीलों की पैरवी की जाय अथवा नहीं। राज्य न्यायाधिकारियों से प्राप्त समादेश याचिकाओ संबंधी शिकायतों पर भी न्याय (ख) विभाग उसी प्रकार विचार करेगा, जैसे कि वह अन्य किसी असाधारण त्वरापेक्षी विषय के संबंध में विचार करता है।

यह निश्चय किया गया कि प्रयोग के रूप में उन दस जिलों में जहां नियमित पुलिस दल के वरिष्ठ पब्लिक प्रासिक्यूटर होते थे, वहां फौजदारी के उन मामलो की पैरवी जिनमें निर्धारित सजा दस साल से अधिक नहीं है, जिलाधीश की स्वीकृति पर उपरोक्त पब्लिक प्रासिक्यूटर करेंगे ।

७—उत्तर प्रदेश के महाप्रशासक और शासकीय न्यासधारी कार्यालय

लगभग १३ लाख रु० के सरकारी सिक्योरिटियों और शेयरों के लगभग ७ लाख रु० आमदनी के १३ न्यास और १७५ आस्थान प्रशासन के अधीन थे। आस्थान का प्रशासन न्यासधारी तथा महाप्रशासक के अधिनियम (१९१३ के २ और ३) की व्यवस्थाओ के अनुसार होता रहा। सन् १९६०-६१ में इस कार्यालय में मृत्यु संबंधी लगभग ६० सूचनाएं प्राप्त हुई। महाप्रशासक के अधिनियम की धारा २५ के अन्तर्गत कई आस्थान इसके प्रशासन के अधीन थे।

महाप्रशासक को, महा प्रशासक के अधिनियम की धारा ३१ के अधीन २,००० रु० मूल्य तक के प्रशासन या उत्तराधिकार संबंधी प्रमाण-पत्र स्वीकृत करने के भी अधिकार थे और आलोच्य वर्ष में ऐसे २३ प्रमाण-पत्र स्वीकृत किये गये। प्रशासन या

उत्तराधिकार संबंधी प्रमाण-पत्र जारी करने की व्यवस्था प्रार्थियों के लिए अधिक सुविधाजनक और कम खर्चीली पायी गयी।

प्रशासन के सिलसिले में बहुत से दावों के संबंध में निर्णय किया गया और उनका भुगतान भारत में या भारत के बाहर रहने वाले दावेदारों को किया गया। विदेश में रहने वाले दावेदारों को उन देशों में स्थित भारतीय उच्चायुक्त द्वारा भुगतान किया गया। उच्चायुक्त ने महा प्रशासक के सरकारी एजेंट के रूप में भुगतान किया। कुछ ऐसे आस्थान, जिनमें कोई उत्तराधिकारी नहीं था, राज्य सरकार के अधिकार में ले लिये गये।

अध्याय ६
स्वायत्त-शासन
१—पंचायतें

विधान

आलोच्य वर्ष के अन्त मे गांव सभाओ की कुल संख्या ७२,१२८ थी। गांव-पंचायतों के तीसरे आम-चुनाव के पूर्व गांव सभाओं की सीमाओ में हुए परिवर्तन के फलस्वरूप इनकी संख्या घट गयी।

(न्याय पंचायतो मे सबंधित विवरण दीवानी अदालतो के विवरण के साथ दिया गया है)

गांव पंचायतों का चुनाव

आलोच्य वर्ष मे राज्य के ४६ जिलो मे गांव-पंचायतो के आम निर्वाचन हुए। गांव पंचायतो के सदस्य निर्वाचित करने के लिये इन जिलो के पूरे ग्राम क्षेत्र को १,२६,६२३ निर्वाचन क्षेत्रो मे विभाजित कर दिया गया था। प्रधान के चुनाव के संबंध में गांव सभा के पूरे क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र घोषित कर दिया गया।

निर्वाचन, निर्वाचन निदेशक (पचायत) की प्रत्यक्ष देख-रेख में और उनके निर्देशन मे हुए। जिला स्तर पर, जिलाधीश के प्रशासकीय नियंत्रण में जिला पंचायत अधिकारी पंचायत निर्वाचनों के संचालन के लिये उत्तरदायी था। पंचायत निर्वाचनों से सबधित कार्यो मे सहायता पहुचाने के लिये एक सहायक जिला पंचायत अधिकारी (निर्वाचन), कुछ लिपिक और चपरासियो की नियुक्ति की गयी।

प्रधानो के लगभग ४२ प्रतिशत स्थानों पर और गांव पंचायत के सदस्यों के लगभग ५४ प्रतिशत स्थानो पर निर्विरोध निर्वाचन हुए। कुल मिलाकर ६६,५६५ प्रधान और ६,२५,२८५ सदस्य निर्वाचित हुए। प्रधानो के १०६ स्थान और सदस्यो के १,०२,६४६ स्थान रिक्त रहे। परिगणित जाति के सदस्यो के लिये सुरक्षित स्थानों पर गांव-पंचायतो के कुल १,६६,७७६ सदस्य चुने गये। महिला उम्मीदवारों ने प्रधानों के २०७ स्थान और सदस्यो के ८०६ स्थान प्राप्त किये।

प्रशासन

राज्य के मुख्यालय पर अधिकारियो एवं कर्मचारियों की संख्या इस वर्ष भी पूर्ववत् बनी रही, जहां एक निदेशक तथा चार उप-निदेशक पंचायत, जिनमें एक उप-निदेशक पंचायत (लेखा) भी थे, कार्य करते रहे।

इस वर्ष देहरादून स्थित राजपुर इंस्टीटयूट में २४ सहायक जिला पंचायत अधिकारियो को प्रशिक्षित किया गया, जब कि चार सहायक जिला पंचायत अधिकारी भारत सरकार के सामुदायिक विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित ओरियटेशन ट्रेनिंग सैन्टर में प्रशिक्षित किये गये। बक्शी का-तालाब के प्रशिक्षण केन्द्र में भी बीस पंचायत निरीक्षको को सोशल एजुकेशन आर्गनाइजर के रूप में प्रशिक्षित किया गया।

पंचायत निर्वाचनो के सचालन के लिए नवम्बर, १६६० से ३१ मार्च, १६६१ तक के लिये सहायक जिला पचायत अधिकारियो (निर्वाचन) के ४६ अस्थायी स्थान थे।

पंचायत निरीक्षको की अयोग्यता के आधार पर अलग करते हुए, ज्येष्ठता के अनुसार उक्त पदो पर पदोन्नति की गयी।

इस वर्ष एक जिला पंचायत अधिकारी बरखास्त कर दिया गया और एक नौकरी से हटा दिया गया। इसी प्रकार दो पंचायत निरीक्षको को नौकरी से हटा दिया गया और एक को बरखास्त कर दिया गया। ९ पंचायत निरीक्षको के विरुद्ध जिनमें उपरोक्त तीन भी थे, अदालत में जांच की कार्रवाई चल रही थी।

विधि-निर्माण

आलोच्य वर्ष में उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, १९४७ का दो बार संशोधन किया गया। परिगणित जातियो के लिये स्थान सुरक्षित रखने के संबंध में इस अधिनियम में जो व्यवस्थाएं थी, उन्हे भारतीय सविधान की व्यवस्थाओं के अनुरूप बनाया गया। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन न्याय पंचायतो के पंचो की नियुक्ति की प्रणाली के संबंध में किया गया। संशोधित व्यवस्था के अनुसार पंचो की नियुक्ति गांव-पंचायतों के सदस्यों में से ही की जानी थी। गांव पंचायतो के सदस्यो की और प्रधानो की निर्वाचन प्रणाली के सबंध मे स्पष्ट नियम बनाये गये। गाव-पंचायतो के सदस्यों का चुनाव हाथ उठा कर किया जाना था और प्रधान का निर्वाचन गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा होना था।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, १९४७ में किये गये संशोधनों के फलस्वरूप गाव पंचायतों के सदस्यों और प्रधानो तथा उप-प्रधानो के निर्वाचन से संबंधित पंचायत-राज नियमावली के अध्याय १-डी और १-ई का पूर्ण रूप से संशोधन किया गया।

गांव पंचायतो और न्याय पंचायतों के पदाधिकारियो के स्थानान्तरण के संबंध में एक नया नियम, नियम ६०-ए बनाया गया।

गांव-पंचायतों के सदस्यो, गांव-सभा के प्रधानो और न्याय पंचायतों के पंचों को शपथ दिलाने से संबंधित नियम ८६ का भी संशोधन किया गया, जिससे कि विभिन्न पदाधिकारियों को शपथ दिलाने में शीघ्रता की जा सके।

पंचायत कर निर्धारण

इस वर्ष पंचायतो द्वारा ८७,२१,६०० रु० के कर निर्धारण का अनुमान था और गांव पंचायतों को कर में १४,१८,३०० रु० की छूट दी गयी। पंचायत-करों की कुल उगाही ८८,१०,२०० रु० की थी। पंचायत-करो के निर्धारण के अनुमान में और उगाही में कुछ कमी रही, क्योकि पंचायतों के मंत्री तीसरी पंचवर्षीय योजना की तैयारी, गाव सभाओ के सदस्यों के रजिस्ट्रार (भाग १ व २) के संशोधन, जन-गणना और पंचायत चुनाव संबंधी कार्यो में व्यस्त रहे। पंचायत करों के बकाया मे, फिर भी कुछ कमी हुई और ३१ मार्च १९६१ को यह बकाया २,४३,३४,००० रु० था।

लेखा और लेखा-परीक्षण

आलोच्य वर्ष में गांव-पचायतो और न्याय पंचायतो के लेखा रखने के कार्य में काफी सुधार हुआ। लेखा परीक्षको द्वारा बतायी गयी लेखा संबधी त्रुटियों को दूर किया गया। ठीक ढंग से हिसाब-किताब रखने की दिशा में पंचायत मत्रियो, पंचायत निरीक्षको और सहायक विकास अधिकारियों (पंचायत) द्वारा प्राप्ति, व्यय और रोकड़ बाकी के संबंध में जारी किये जाने वाले तिमाही प्रमाण-पत्रों से काफी सहायता मिली।

लेखा परीक्षक संस्थाओ द्वारा ४०,६४४ के गांव-पंचायतो और ४,६३४ न्याय पंचायतों के लेखों का परीक्षण किया गया।

आलोच्य वर्ष में क्षेत्र-कर्मचारियों को हिसाब-किताब रखने के संबंध में प्रगाढ़ रूप से प्रशिक्षित किया गया। एक उप-निदेशक पंचायत (लेखा) की देख-रेख में प्रशिक्षित करनेवालो के एक दल ने प्रत्येक कमिश्नरी के मुख्यालय में जाकर सहायक जिला पंचायत अधिकारियो और लेखा लिपिको को हिसाब-किताब रखने के संबंध में प्रशिक्षित किया।

गांव पंचायतों की कार्यकारी समितियां

गांव-पंचायतों की दो कार्यकारी समितियां, अर्थात कृषि उत्पादन समिति और लोक कल्याण समिति अपना कार्य संतोषजनक रूप से करती रहीं। उत्तर प्रदेश के अर्थ एवं संख्या विभाग के निदेशक द्वारा सन् १९६० में संचालित एक सर्वेक्षण से यह पता चला कि उपरोक्त कार्यकारी समितियां स्थापित की जा चुकी थीं और लगभग ६३.५ प्रतिशत गांव-पंचायतों में यह समितियां कार्य कर रही थीं।

गांव सभा और गांव पंचायतों की बैठकें

गांव-सभाओ और गांव पंचायतो की बैठकों में सामान्य रूप से स्पष्ट सुधार हुआ। उत्तर प्रदेश के अर्थ एवं संख्या विभाग के निदेशक द्वारा संचालित एक सर्वेक्षण से यह पता चला कि अधिकांश गाव पचायतो में सामान्य रूप से कोरम पूरा रहता था। गांव पंचायतों की ६२ २ प्रतिशत बैठको में कोरम सदा पूरा रहता था। गांव सभाओ की २०.२ प्रतिशत बैठकें ६ महीनो में केवल एक बार ही कोरम के अभाव में स्थगित की गयीं और गांव सभाओ की ११.३ प्रतिशत बैठकें ६ महीनो में केवल २ बार कोरम के अभाव में स्थगित हुई। गांव-पचायतो की शेष ५ ३ प्रतिशत बैठकें ५ महीने में कोरम के अभाव में ३ या ४ अथवा इससे भी अधिक बार स्थगित की गयीं।

इस सर्वेक्षण से यह भी पता चला कि ५५.६ प्रतिशत गांव पंचायतो में ६ महीनों की अवधि में ५ से ६ बैठकें तक हुई और २६.७ प्रतिशत गांव पंचायतो में ६ मास की अवधि में ३ से ४ बैठकें हुई इस प्रकार ८५ प्रतिशत गांव-पंचायतो में या तो प्रति मास या हर दो महीनों में एक बार बैठकें हुई, जो कि काफी संतोषजनक है।

२—अन्तरिम जिला परिषद्

अन्तरिम जिला परिषद अधिनियम, १९५८ को संशोधित कर अन्तरिम जिला परिषदों का कार्यकाल ३१ दिसम्बर, १९६२ तक बढ़ा दिया गया। यह कदम इसलिये उठाया गया कि लोगो में प्रबल भावना जाग उठी थी कि इन संस्थाओं के अध्यक्ष निर्वाचित गैर-सरकारी व्यक्ति होने चाहिए और उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक विधान मन्डल द्वारा स्वीकृत होने में समय लगने की संभावना थी। अन्तरिम जिला परिषदो के सरकारी अध्यक्षो के स्थान पर गैर-सरकारी निर्वाचित अध्यक्ष बनाये गये। केवल कुछ जिलो को छोड़कर गैर-सरकारी अध्यक्षो का निर्वाचन पूरा हो चुका था।

(पहले के जिला बोर्डों के स्थान पर मई, १९५८ में अन्तरिम जिला परिषदो की स्थापना की गयी, जिससे कि बलवन्त राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर नियमित जिला परिषदों की स्थापना सहूलियत से की जा सके। उपरोक्त जिला परिषदों का कार्यकाल ३१ दिसम्बर, १९६० को समाप्त होना था।)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद् विधेयक, जिसके अनुसार खन्ड और जिला स्तर पर क्रमशः क्षेत्र समिति और जिला परिषद् की स्थापना की जानी थी, बाद में विधान मन्डल द्वारा पास कर दिया गया। अधिकार के लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की योजना के कार्यान्वयन में बिलंब न होने देने के उद्देश्य से विधेयक में उचित व्यवस्था की गयी। इसके अनुसार नियमित जिला परिषदों की स्थापना हो जाने तक अन्तरिम जिला परिषद क्षेत्र समितियो से, जिनकी शीघ्र ही स्थापना होनी थी, संबद्ध कर दिये जाने थे। ऐसा अनुमान था कि तब अन्तरिम जिला परिषद्, विधेयक में बताये गये, जिला परिषद् के अधिकारों और कर्त्तव्यों को निबाहेंगे।

वित्तीय सहायता

राज्य सरकार, अपनी विषम वित्तीय स्थिति के बावजूद भी जिला परिषदों की सहायता करती रही। सन् १९६०-६१ के वित्तीय वर्ष में जो विभिन्न आवर्तक और अनावर्तक अनुदान दिये गये, उनका विवरण निम्नप्रकार है—

सहायक अनुदान

		रु०
(१)	अल्मोड़ा, नैनीताल और बहराइच की अन्तरिम जिला परिषदों को सड़को और डाकबंगलों के रख-रखाव के लिए आवर्तक अनुदान ..	७,३१२
(२)	राज्य सरकार द्वारा परिषदों को पुनः हस्तातरित कच्ची सड़कों के रख-रखाव के लिए अन्तरिम जिला परिषदों को आवर्तक अनुदान ..	८,१३,६२५
(३)	कुछ अन्तरिम जिला परिषदों को ठेके तथा कुछ अन्य प्रकार के योगदान के हेतु आवर्तक अनुदान	६,३०,३९५
(४)	कतिपय नियमो के अधीन जुर्माने से अन्तरिम जिला परिषदों की आय सम्बन्धी घाटे की पूर्ति हेतु अनुदान	३,०८,१९०
(५)	कांजी-हाउस में बन्द मवेशियों पर जुर्माना और उनकी बिक्री से होने वाली अतिरिक्त आय के घाटे की पूर्ति हेतु अनुदान ..	२०,५०,०२०
(६)	अन्तरिम जिला परिषदों द्वारा प्रबन्धित सार्वजनिक नाव घाटों से होने वाली प्राप्तियो के बदले अनुदान	१५,७८,१००
(७)	स्थानीय निकायों के कर्मचारियो के महंगाई भत्ते सम्बन्धी खर्चे की पूर्ति हेतु अनुदान	९०,००,०००
(८)	सेस और स्थानीय दर से होने वाली आय के घाटे की पूर्ति हेतु अनुदान	१,३५,०२,६४
(९)	जमींदारी विनाश के बाद अन्तरिम जिला परिषदों के प्रबन्ध में आये हाटों, बाजारों और मेलों के प्रबन्ध हेतु अनुदान ..	१३,२८२

विशेष अनुदान

(१)	पहाड़ी क्षेत्रों की प्रान्तीय जिला परिषदों को अनावर्तक अनुदान ..	७,५०,०००
(२)	रामपुर और टेहरी-गढ़वाल की अन्तरिम जिला परिषदों को अनावर्तक अनुदान	२,६५,०००

३—नगरमहापालिकाएं

राज्य के ५ बड़े नगरों—कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा और लखनऊ में नगर महापालिकाओं की स्थापना से इन नगरों में नागरिक प्रशासन सम्बन्धी एक बड़ी आवश्यकता

की पूर्ति हुई। १ फरवरी, १९६० से नगर महापालिकाओ ने अपना कार्य आरम्भ किया। सन् १९४५ तक कानपुर, लखनऊ और इलाहाबाद में नगरपालिका के अतिरिक्त इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट नामक और एक सस्था थी। उसी वर्ष कानपुर के इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के स्थान पर विकास बोर्ड बना दिया गया और सन् १९४९ में आगरा और वाराणसी मे दो और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट स्थापित किये गये। इन इम्प्रूवमेंट ट्रस्टो को और कानपुर के विकास बोर्ड को उन्हीं नगरो की नगरपालिकाओ में मिला दिया गया है, जहा नगरमहापालिकाएं बनी, जिनमें इन दोनों संस्थाओं के कार्य सम्मिलित थे।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ के द्वारा प्रत्येक नगर के लिए नागरिक प्रशासन का अधिकार नगरमहापालिका के निम्नलिखित अगो मे निहित था ––

(१) महापालिका,

(२) महापालिका की कार्यकारिणी समिति,

(३) महापालिका की विकास समिति,

(४) महापालिका के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक मुख्य नगर अधिकारी,

(५) यदि महापालिका बिजली की सप्लाई स्थापित करती है अथवा उसे प्राप्त कर लेती है या सार्वजनिक यातायात या सार्वजनिक सेवा सम्बन्धी अन्य किसी भी कार्य को करती है तो राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से वह इन कार्यों के लिए इस प्रकार की अन्य समिति या समितिया बना सकती है।

महापालिका में एक नगर-प्रमुख, एक उप-नगर प्रमुख, सभासद और विशिष्ट सभासद थे। विशिष्ट सभासदो की सख्या सभासदो की संख्या का नवा भाग होता था।

सभासदो का चुनाव बालिग मताधिकार के अनुसार होता है और वे लोग अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल मताधिकार द्वारा विशिष्ट सभासदो का चुनाव करते हैं। नगर प्रमुख और उप-नगरप्रमुख का भी चुनाव सभासद तथा विशिष्ट सभासद आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल मताधिकार द्वारा करते हैं। नगर प्रमुख (मेयर) का कार्यकाल एक वर्ष का होता है और उपनगर प्रमुख (डिप्टी मेयर) का कार्यकाल नगर महापालिका के कार्यकाल के समान ही अर्थात् ५ वर्ष का होता है।

नगरमहापालिकाओ का गठन निम्नलिखित आधार पर किया गया है ––

नगर महापालिका	बोर्डो की सख्या	सभासदों की संख्या	विशिष्ट सभासदो की संख्या
कानपुर	३६	७२	८
लखनऊ	३२	६३	७
आगरा	२७	५४	६
वाराणसी	२७	५४	६
इलाहाबाद	२७	५४	६

अधिनियम मे महापालिका में परिगणित जातियों के लिए जन-सख्या के अनुसार स्थान सुरक्षित रखने की भी व्यवस्था की गयी है। सुरक्षित स्थानो की संख्या इस प्रकार है—

	संख्या
कानपुर	६
आगरा	८
इलाहाबाद	५
लखनऊ	५
वाराणसी	४

४—नगरपालिकाएं

नगरपालिकाओं की संख्या

राज्य में नगरपालिकाओ की संख्या १३२ रही। आलोच्य वर्ष में किसी नयी नगरपालिका की स्थापना नहीं की गयी।

अधिकाश नगरपालिकाएं सतोषजनक रूप से अपना कार्य करती रहीं। कुछ नगर-पालिकाओ, अर्थात्, नीमसार, मिसरिख, फर्रुखाबाद, बिलसी और फैजाबाद की नगरपालिकाओ को निलम्बित (मुअत्तल) कर दिया गया, क्योकि उनका प्रशासन निरन्तर गिरता जा रहा था। इसी कारण सीतापुर की नगरपालिका भंग कर दी गयी। मुरादाबाद, नजीबाबाद, हापुड़, गाजियाबाद और खुरजा की नगरपालिकाएं पूर्ववत् निलम्बित रहीं।

जहागीराबाद, रामनगर (नैनीताल), कैराना, पिलखुआ, धामपुर, चंदौसी, हसनपुर, शाहजहापुर, जौनपुर, चरखारी, अमरोहा, बिलासपुर, मऊनाथ भजन और इटावा की नगरपालिकाओ के अध्यक्षो के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव आये, किन्तु वे या तो कोरम के अभाव में या अन्य कारणो द्वारा स्वीकृत न हो सके।

नियम और विनियम

इस वर्ष नगरपालिका के कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासन की कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में बनाये गये नियमों को अन्तिम रूप दिया गया। इस सम्बन्ध में सरकारी कर्मचारियों पर लागू होने वाले नियमो के समान ही नगरपालिका के कर्मचारियों के लिये भी विस्तृत नियमावली तैयार करने के लिए कुछ समय पहले से ही आवश्यक कदम उठाये गये थे, क्योंकि सामान्य रूप से ऐसी शिकायत थी कि इन नियमों के अभाव में बहुधा नगरपालिका के कर्मचारियो को असुविधा का सामना करना पड़ता है। आलोच्य वर्ष में नगरपालिका के कर्मचारियो की उनकी प्रथम नियुक्ति के समय उनके आचरण और पूर्ववृत् की जांच के सम्बन्ध में बनाये गये नियमो को अन्तिम रूप दिया गया। इस प्रकार के नियमो के अभाव में अक्सर सदिग्ध आचरण के व्यक्ति अथवा अवाछनीय पूर्ववृत् वाले व्यक्ति नगरपालिका की सेवा में भरती हो जाते थे और जब वास्तविक तथ्यों का पता चलता था, तब उन्हें नौकरी से हटाने में कठिनाई होती थी। कर्मचारियों के प्रोबेशन के सम्बन्ध मे भी नियम बनाये गये। इस सम्बन्ध मे अब तक कोई नियम न थे और इन नियमो के बन जाने से बहुत समय से अनुभव की जा रही एक आवश्यकता की पूर्ति हुई।

विधि निर्माण

नगरपालिका अधिनियम को सशोधित करने के सम्बन्ध में कार्रवाई की गयी। अधिनियम की विभिन्न धाराओ को सशोधित करने के सम्बन्ध में अनेक प्रस्ताव थे। कुछ प्रस्तावित संशोधनों द्वारा महत्वपूर्ण परिवर्तन किये जाने थे और उनके द्वारा नगरपालिका के प्रशासन स्तर को ऊचा उठाना था। वर्ष की समाप्ति पर सशोधन करने वाले विधेयक को अन्तिम रूप दिया जा रहा था।

५—टाउन एरिया

नये टाउन एरिया का निर्माण

आलोच्य वर्ष में केवल बादा जिले के बनेरू मे एक नया टाउन एरिया स्थापित किया गया। धनौरा टाउन एरिया (जिला मुरादाबाद) का स्तर उठा कर उसे नोटीफाइड एरिया बना दिया गया। राज्य में इस वर्ष टाउन एरियाओ की कुल संख्या २७८ थी।

सामान्यतः जैसा होता था टाउन एरिया कमेटियां अपने कार्य संचालन के लिए नियमित रूप से बैठकें किया करती थीं। विभिन्न सदस्य उन कार्यों की निगरानी करते थे, जो उन्हें उनकी कमेटियों द्वारा सुपुर्द किये जाते थे। सामान्य रूप से कमेटियां बहुत ही सुविधाजनक ढंग से कार्य करती थीं। केवल उन्हीं कमेटियों के कार्य में बाधा पड़ी जहा गुटबन्दी थी। तालबेहट (झांसी), चिट बड़ा गांव (बलिया) और फूलपुर (इलाहाबाद) की टाउन एरिया कमेटियों के अध्यक्षों के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव आये और स्वीकृत हुए। फूलपुर की टाउन एरिया कमेटी के अध्यक्ष ने, टाउन एरिया अधिनियम की व्यवस्थाओ के अनुसार, अपने पद से त्यागपत्र नहीं दिया और सरकार को उन्हें हटाना पडा।

विधि-निर्माण

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, की धारा २२८ से २३६ तक, पुखरायां (कानपुर), पिठौरागढ़ (जिला पिठौरागढ़), टनकपुर (नैनीताल) और चोहडपुर (देहरादून) की टाउन एरियाओं में लागू करने का प्रश्न, जिससे कि यह टाउन एरियायें अपनी जल-सप्लाई की योजनायें कार्यान्वित कर सकें, विचाराधीन था।

वित्तीय स्थिति

सामान्य रूप से टाउन एरिया कमेटियों की वित्तीय स्थिति सतोषजनक नहीं थी। टाउन एरिया कमेटियों की आय का मुख्य स्रोत हैसियत और आमदनी-कर था। किन्तु फिर भी सरकार ने अनेक टाउन एरिया कमेटियों को "टोल टैक्स" लगाने की अनुमति दे दी, जिससे कि वे अपनी आय में वृद्धि कर सकें। इन कमेटियों के वित्तीय साधनो को सहायता पहुचाने के हेतु सरकार ने इन स्थानीय निकायो को दो हजार रु० प्रति टाउन एरिया की दर से उनकी सडको की मरम्मत एवं निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी। कुछ टाउन एरियाओं को उनकी विशेष मांग पर इसी उद्देश्य के लिए इससे बडी धनराशि दी गयी। कुछ कमेटियो को मेहतरो के प्रयोग के लिये लोहे की गाड़ियां या ठेलो की खरीद के लिये भी आर्थिक अनुदान दिये गये। सरकार की अब यह सामान्य नीति थी कि मेहतरो को सिर पर मैला न ढोने दिया जाय। कुछ टाउन एरियाओं में वसूली न होने के फलस्वरूप करो का काफी बकाया इकट्ठा हो गया था और सरकार ने बकाया की वसूली के लिए इन कमेटियों के नाम आदेश जारी किये।

निलम्बन

कछवा (मिर्जापुर) और जलालाबाद (मुजफ्फरनगर) की टाउन एरिया कमेटियों को, लगातार अपना कार्य सुचारु-रूप से सचालन न करने के फलस्वरूप निलम्बित कर दिया गया। बहजोई (मुरादाबाद), तालबेहट (झासी), और मुबारकपुर (आजमगढ़) की टाउन एरियाओं को निलम्बित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन था।

मेलों का प्रबन्ध

टाउन एरियाओं की सीमा में अनेक पशु-मेले तथा धार्मिक, कृषि तथा औद्योगिक रूप के मेले हुए। इन मेलों के सम्बन्ध मे कमेटियो द्वारा जो विभिन्न प्रबन्ध किये गये वे काफी संतोषजनक थे।

६—नोटीफाइड एरिया

राज्य में नोटीफाइड एरिया कमेटियो की सख्या २८ रही। आलोच्य वर्ष में जन-गणना की सुविधा के लिए, नयी नोटीफाइड एरियाओ के निर्माण का प्रश्न स्थगित कर दिया गया।

इन कमेटियो की व्यवस्था उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १६६१ की कुछ धाराओं के अनुसार, जिन्हें कि नोटीफाइड एरियाओ पर भी लागू कर दिया गया था, होता था। इन कमेटियों के सदस्यों की संख्या ६ से १५ तक होती थी। कमेटी के सदस्यो द्वारा अध्यक्ष का निर्वाचन होता था और सदस्यो का चुनाव मतदाताओ द्वारा होता था अथवा वे सरकार द्वारा नामजद किये जाते थे।

विकेन्द्रीकरण की नीति के अनुसार, नोटीफाइड एरिया कमेटियो के कर-निर्धारण प्रस्ताव की स्वीकृति का अधिकार, केवल टोल-टैक्स लगाने के अधिकार की स्वीकृति को छोड़कर, जिलाधीश को दे दिया गया। अब केवल टोल टैक्स लगाने का प्रस्ताव ही सरकार की स्वीकृति के लिए आता था। यद्यपि सरकार इस टैक्स को प्रोत्साहित नहीं करती, फिर भी श्रीनगर और उत्तर-काशी की नोटीफाइड एरिया कमेटियों को यह कर लगाने व इससे सम्बन्धित नियम बनाने की आज्ञा सरकार द्वारा दे दी गयी, जिससे कि वहां के स्थानीय निवासियो तथा पर्यटको को अच्छी सुविधाए प्राप्त हो सकें।

नोटीफाइड एरिया कमेटियो का कार्य सामान्य रूप से सतोषजनक रहा। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि सन् १९५७ के साधारण निर्वाचन के बाद से अब तक किसी भी नोटीफाइड एरिया को निलम्बित नहीं करना पड़ा।

अध्याय—७

सार्वजनिक राजस्व और वित्त

१—केंद्रीय राजस्व

उत्तर प्रदेश में ६३,७८० व्यक्तियो पर आय-कर लगाया गया और इस मद में कुल शुद्ध वसूली, जिसमें अतिरिक्त लाभ-कर एव व्यवसाय लाभ-कर (एक्सेस प्राफिट टैक्स और बिजनेस प्राफिट टैक्स) भी सम्मिलित हैं, आलोच्य वर्ष में ७ करोड़ ६४ लाख रु० हुई। मृत्यु कर (इस्टेट ड्यूटी), व्यय-कर (एक्सपेंडीचर टैक्स), सम्पत्ति कर (वैल्थ टैक्स) और उपहार-कर (गिफ्ट टैक्स) के द्वारा कुल मिलाकर ४२ लाख ३३ हजार रु० की वसूली हुई।

२—राज्य का राजस्व

सन् १९५९–६० के वास्तविक तखमीने

कुल ११,९६१ लाख रु० की मूल राजस्व प्राप्ति का अनुमान था, जिसमे ९९४ लाख रु० की वृद्धि हुई। फलस्वरूप राजस्व प्राप्तियां १२,९५५ लाख रु० तक पहुंच गयीं। इसी प्रकार राजस्व व्यय का मूल तखमीना १२,१४७ लाख रु० का था, जिसमें कि ६६९ लाख रु० की वृद्धि हुई। इस प्रकार राजस्व-व्यय १२,८१६ ल ाख रु० रहा। इस वर्ष इस प्रकार १३९ लाख रु० की बचत हुई।

राजस्व प्राप्तियां

बिक्री-कर की वसूली अच्छी रही और ३२५ लाख रु० अधिक रही। इसका मुख्य कारण यह था कि पिछले बकाया की वसूली के लिए विशेष अभियान चलाये गये, कुछ विलास की सामग्रियो पर पूरे वर्ष तक बढ़ी हुई दर से कर की वसूली की गयी और दशमलव मुद्रा प्रणाली के अन्तर्गत बहुपदीय बिक्री-कर की सामान्य दर १.५६ प्रतिशत से बदलकर २ प्रतिशत कर दी गयी। राजस्व की स्थिति में इस कारण भी सुधार हुआ कि राजकीय बस सर्विस (+११३ लाख रु०), वन (+१०७ लाखरु०), टिकटो की बिक्री (+४६ लाख रु०), और दस्तावेजो के निबन्धन (+१४ लाख रु०) से अधिक आय हुई। राजकीय आबकारी से प्राप्ति ११८ लाख रु० अधिक रही। मनोरंजन कर और विद्युत्-शुल्क, दोनों से मिलाकर ६५ लाख रु० अधिक प्राप्त हुए। केन्द्रीय आबकारी शुल्क और रेल-भाड़ा करो मे राज्य सरकार का हिस्सा इस वर्ष ६४ लाख अधिक रहा। मोटर गाड़ी अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियो में ५३ लाख रु० की वृद्धि हुई। राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणो और अग्रिम धनो पर व्याज-प्राप्ति में १०९ लाख ० की वृद्धि हुई। चिकित्सा विभाग के अन्तर्गत भी प्राप्तिया २३ लाख रु० अधिक हुई और कृषि के अन्तर्गत भी प्राप्ति में ५२ लाख रु० की वृद्धि हुई। इनके अतिरिक्त प्राप्ति में अन्य छोटी-मोटी वृद्धि भी हुई। दूसरी ओर, पिछले बकायों की कम वसूली होने के फलस्वरूप गन्ना सेस की प्राप्तियो में ११६ लाख रु० की कमी हुई। सिंचाई की शुद्ध-प्राप्तियो में भी १४२ लाख रु० घट गये।

राजस्व व्यय

ऋण घटाने या टाल जाने के कारण व्यय में ९२७ लाख रु० की वृद्धि हुई। दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत व्यय बढ़ कर १०९ लाख हो गया। पुलिस पर व्यय में ३८० लाख की वृद्धि हुई और शिक्षा पर ५४ लाख की। यातायात विभाग के व्यय में भी ६३ लाख रु० की वृद्धि हुई। दूसरी ओर व्याज १६२ लाख रु० कम रहा। भूमि-राजस्व के अन्तर्गत व्यय ५१ लाख

रु० कम रहा। जन-स्वास्थ्य, श्रम, उद्योग, नागरिक कार्य और प्रकीर्ण खर्चों की मद में ३०७ लाख रु० बढ़े।

पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय, ३,२१४ रु० के मूल तखमीनो की तुलना में ३,२५२ लाख रु० रहा। इस प्रकार इसमें ३८ लाख रु० की वृद्धि हुई। रिहन्द बांध परियोजना पर पूंजी-लागत मूल-अनुमान से १४८ लाख रु० अधिक रही। राजकीय व्यापार की योजनाओ के अन्तर्गत मूल व्यय में २२४ लाख रु० की वृद्धि हुई। दूसरी और सिंचाई कार्यों पर व्यय २२० लाख रु० कम रहा। कृषि सुधार और अनुसंधान पर भी लागत १०१ लाख रु० कम रही।

सन् १९६०–६१ के लिये बजट के तखमीने

राजस्व-प्राप्ति और राजस्व-व्यय क्रमशः १३,०९० लाख रु० और १३,३२३ लाख रु० था। इस प्रकार २३३ लाख रु० का राजस्व मे घाटा रहा।

राजस्व प्राप्तियां

सन् १९५९–६० के राजस्व प्राप्तियो के सशोधित तखमीनो की तुलना मे सन् १९६०–६१ के बजट के तखमीनो में प्राप्तियां ८४० लाख रु० अधिक थीं। राजस्व प्राप्तियों के तखमीनो में वृद्धि के लिए निम्नलिखित कारण थे :—

(१) चकबन्दी शुल्क के बकाया की वसूली का अनुमान (११४ लाख रु०)।

(२) गन्ना सेस के बकाया की वसूली का अनुमान (६३ लाख रु०)।

(३) अधिक प्रगाढ़ सिंचाई और फलस्वरूप प्राप्तियो में सुधार(१०० लाख रु०)।

(४) ब्याज-प्राप्ति में वृद्धि (६० लाख रु०)।

(५) राजकीय बस सर्विस के यात्रा मीलों (माइलेज) की और यात्रियो की संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप अधिक प्राप्तियो की आशा (७५ लाख रु०)।

(६) चुर्क की राजकीय सीमेंट फैक्ट्री की नयी भट्ठियो द्वारा उत्पादित सीमेंट की अतिरिक्त मात्रा की बिक्री से अतिरिक्त अनुमानित प्राप्तियां (७९ लाख रु०)।

(७) राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजना और कृषि, शिक्षा, सहकारिता और हरिजन सहायक आदि विभागो से सम्बन्धित योजनाओ के लिए भारत सरकार से अधिक आर्थिक सहायता की आशा (२९९ लाख रु०)।

राजस्व व्यय

सन् १९६०–६१ में राजस्व व्यय के सन् १९५९–६० के राजस्व व्यय के मूल तखमीनों की तुलना में १,१७६ लाख रु० अधिक होने की आशा थी। यह वृद्धि अंशतः वर्तमान सेवाओ पर होने वाले सामान्य व्यय मे बढ़ती और अंशतः पहले की स्वीकृत वर्तमान परियोजनाओ के कार्यक्षेत्र में विस्तार के फलस्वरूप हुई। ऋण घटाने या टालने की मद के अन्तर्गत व्यय में २२६ लाख रु० की वृद्धि का अनुमान था। गाव पंचायतो और गांव सभाओ के आम चुनाव के लिये की गयी व्यवस्थाओ के फलस्वरूप ६१ लाख रु० की वृद्धि की आशा थी और डाकू विरोधी अभियान के लिये प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस के एक अतिरिक्त बटालियन के लिए ४४ लाख रु० की वृद्धि की आशा की जाती थी। शिक्षा के अन्तर्गत १०३ लाख रु० अधिक खर्च का अनुमान था क्योंकि छठीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा के कारण सहायता प्राप्त सस्थाओ को होने वाले घाटे की पूर्ति करनी थी। राजकीय बस-सर्विस के रख-रखाव पर होने वाले व्यय में १३९ लाख रु०

की वृद्धि का अनुमान था। परिगणित एव पिछड़ी जातियो के सुधार एवं उत्थान पर होने वाले व्यय में १०१ लाख रु० की और व्यवस्था की गयी। युद्धोतर नियोजन एवं विकास के अन्तर्गत भी व्यय में ४३ लाख रु० की वृद्धि हुई।

सन् १९६०–६१ के संशोधित तखमीने

संशोधित तखमीनों में १३,८५५ लाख रु० की राजस्व प्राप्तियो का अनुमान था। राजस्व व्यय का अनुमान १३,८२६ लाख रु० का था। इस प्रकार २९ लाख रु० की अल्प बचत रही।

राजस्व प्राप्तिया

केन्द्रीय आबकारी शुल्क, मृत्यु-कर, आय-कर और रेलभाड़ा कर में राज्य सरकार के हिस्से में ६०९ लाख रु० की वृद्धि होने की संभावना थी। किन्तु इसमें १२२ लाख रु० की कमी हो गयी। केन्द्रीय सरकार द्वारा आय-कर कोष से धन का जो वितरण होता है उसके अनुमानो में सन् १९५९–६० में कम्पनी टैक्स मे परिवर्तन होने के कारण यह आशिक कमी हुई।

राजकीय आबकारी के अंतर्गत प्राप्तियो मे ४० लाख रु० की वृद्धि की संभावना थी। इमारती लकड़ी और अन्य बनोपज की बिक्री से होने वाली प्राप्तियो में ६१ लाख रु० की वृद्धि की संभावना थी। बिक्री-कर द्वारा होने वाली प्राप्तियो में २५० लाख रु० की वृद्धि को सम्भावना थी। राजकीय रोडवेज और अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियो द्वारा ११९ लाख रु० अधिक प्राप्त होने की आशा थी। दूसरी ओर सिंचाई प्राप्तियो की मद में ३२ लाख रु० की कमी की आशा थी। चुर्क की राजकीय सीमेन्ट फैक्टरी की नयी यूनिट, जो सन् १९६०–६१ से अपना उत्पादन कार्य आरंभ करने वाली थी, चालू न की जा सकी और इस प्रकार उद्योग विभाग की प्राप्तियो में ५१ लाख रु० की कमी हुई। अन्य कर एवं शुल्क मद के अन्तर्गत प्राप्तियो में भी गन्ना सेस के बकाया की कम वसूली के फलस्वरूप १६५ लाख रु० की कम वसूली हुई।

राजस्व व्यय

संशोधित तखमीनों के अनुसार ऋण और अन्य संबंद्ध मदो के ब्याज में २०६ लाख रु० की वृद्धि होने की आशा थी। दुर्भिक्ष सहायता मद के अन्तर्गत १४२ लाख रु० की वृद्धि का अनुमान था। सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत ६० लाख रु० की वृद्धि मुख्यत इस कारण से थी कि उत्तराखन्ड डिवीजन के विकास के लिये मूल बजट में केवल नाममात्र की धनराशि रखी गयी थी। पुलिस की मद में अनुमानित व्यय ७० लाख रु० अधिक रखा गया। शिक्षा के अन्तर्गत व्यय में ५२ लाख रु० का वृद्धि का अनुमान था। प्रकीर्ण विभागो के अन्तर्गत ९६ लाख रु० की वृद्धि होनी थी। इसका मुख्य कारण राजकीय रोडवेज के व्यय में वृद्धि होने की आशा थी। नागरिक कार्यों के संशोधित तखमीनो में ५३ लाख रु० अधिक थे। दूसरी ओर ऋण घटाने या टालने की मद में होने वाले व्यय के अनुमान में ७९ लाख रु० की कमी थी। सामुदायिक विकास योजनाएं, राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजना और स्थानीय विकास कार्यों के अन्तर्गत भी व्यय में ४४ लाख रु० की कमी की संभावना थी।

पूंजीगत व्यय

राज्य विद्युत् परिषद् को ऋण के रूप में हस्तातरित विद्युत् कारखानों की सम्पत्ति के मूल्य की वसूली के रूप मे ६,८८८ लाख रु० के संभावित समाधान को दृष्टि में रखते हुए आरंभिक अनुमान में शुद्ध पूंजीगत व्यय (–) ४,१८९ लाख रु० निर्धारित किया गया था। संशोधित अनुमान में हस्तातरित कारखानो के सम्पति–मूल्य के रूप में ६,८९२ लाख रु० के समाधान के पश्चात् शुद्ध पूजीगत–व्यय की रकम (–) ४,३१३ लाख रु० रही।

मूल तखमीने की तुलना में सिंचाई कार्यों का अनुमानित पूंजीगत व्यय ३२ लाख रु० कम था। कृषि सुधार और शोध तथा नागरिक कार्यों का अनुमानित व्यय भी १५७ लाख रु० कमी था। यह भी अनुमान किया गया कि राज्य व्यापार योजनाओं का शुद्ध-व्यय भी १५६ लाख रु० कम होगा। दूसरी ओर विद्युत योजनाओ के अनुमानित पूजीगत-व्यय में १७२ रु० की वृद्धि हुई। पुनर्वास योजनाओ के अधीन भूमि और भवनों की बिक्री से हुई प्राप्तियां जो कि व्यय में कमी के अन्तर्गत हैं, भी कम रखी गयी, जिसके फलस्वरूप अन्य कार्यों के पूंजी लेखे में शुद्ध-व्यय में ५४ लाख रु० तक वृद्धि हुई।

ऋण

सरकार ने ४ प्रतिशत वार्षिक ब्याज वाला एक ७६६ लाख रु० का ऋण जारी किया जो कि १९६९ में वापस होगा। अनुमान था कि वर्ष में लगभग १० करोड़ रु० तक "उपाय और साधन" के अन्तर्गत लिये और वर्ष के अन्त तक वापस कर दिये जायेंगे।

राज्य व्यापार योजनाएं

राज्य व्यापार की अनेक योजनाओं में इस वर्ष खाद्यान्न पूर्ति योजना महत्वपूर्ण रही। सस्ते गल्ले की दूकानो में बिक्री कम होने के कारण वर्ष में सरकार द्वारा खाद्यान्न कम खरीदे गये किंतु कमी वाले क्षेत्रों तथा पर्वतीय क्षेत्रो में खाद्यान्नों की इन दूकानो पर सहायता-प्राप्त निर्धारित दर पर बिक्री जारी रही। इस मद में वर्ष में कुल ३५,१४,०००रु० की आर्थिक सहायता दी गयी।

३—भूमि राजस्व, नहर बकाया आदि की वसूली*

भूमि राजस्व

गत वर्ष की २४ ५८ करोड रु० (लगभग) की मांग के विरुद्ध इस वर्ष को मालगुजारी की कुल माग २६.४३ करोड़ रु० (लगभग) थी। यह वृद्धि मुख्य रूप से भूमि-राजस्व मांग सुधार योजना के कार्यान्विन तथा पिछले वर्षों के लेखों की जाच और सुधार के कारण हुई। २६.४३ करोड़ रु० की कुल माग में से २६.२६ (लगभग) करोड रु० उन क्षेत्रो से, जहा जमींदारी का विनाश हो चुका है और १७ लाख रु० राज्य के शेष स्थानों से संबधित थे।

वर्ष में कुल २१ ७० करोड रु० (लगभग) भूमि-राजस्व वसूल किया गया, जिसमें से २१.५६ करोड़ रु० (लगभग) जमींदारी विनाश क्षेत्रों के तथा १४ लाख रु० (लगभग) शेष क्षेत्रो के थे।

भूमि-प्रबंधक समितियों द्वारा वसूली की योजना सतोषजनक होने के कारण वर्ष के आरम्भ में बन्द कर दी गयीं।

भूमि-राजस्व मांग सुधार योजना, जो कि जमींदारी विनाश वाले क्षेत्रो में १ अप्रैल, १९५९ को शुरू की गयी तथा ३१ मार्च, १९६० को पूरी होने को थी, वर्ष १९६०-६१ में भी जारी रखी गयी। कागज और फार्मों की कमी तथा लेखपालो के फसल कटाई प्रयोगों, जमाबंदी तैयारी, सहायता खतौनी और चकबन्दी आदि में लग जाने के कारण कार्य पूरा नहीं किया जा सका। योजना के अधीन १९६०-६१ में नियुक्त अतिरिक्त कर्मचारियों की संख्या में काफी कमी की गयी।

---

*भूमि राजस्व और नहर बकाया वसूली संबधी पैराग्राफ ६, ३० सितम्बर, १९६०, को समाप्त होने वाले राजस्व वर्ष से संबंधित है।

निम्नलिखित तालिका में योजना की ३१ मार्च, १६६१ तक की प्रगति दी जा रही है :—

मद		भूमि राजस्व की कुल वृद्धि	भूमि राजस्व में कमी	भूमि राजस्व की शुद्ध वृद्धि
		(रुपयो में)		
वार्षिक भूमि—राजस्व				
मांग	.	७६,६६,६६७	२१,५६,५६०	५८,४०,४०७
बकाया	..	४,७६,१८,६०८	१,२२,०४,८४८	३,५४,१४,०६०

[विवरण तैयार करने का काम ७२८ में से ५१ सुपरवाइजर कानूनगो—क्षेत्रों (२,६४५ ग्राम) में बाकी रहा तथा अमल—दरामद और आपत्तियो के निराकरण का कार्य अधिकांश तहसीलों में समाप्तप्राय था। कुछ चकबन्दी के क्षेत्रों को छोड़कर यह योजना ३० सितम्बर, १६६१ तक पूरी होने की आशा थी। चकबन्दी क्षेत्रों में इस योजना को चकबन्दी कार्यों के साथ-साथ अन्तिम रूप दिया जायगा। यह सोचा गया कि बाकी आपत्तियो पर निर्णय हो जाने के बाद वार्षिक—वृद्धि और बकाया में भी कुछ और कमी हो सकती है। योजना की समाप्ति पर आपत्तियों को अन्तिम रूप मिल जाने पर ही वस्तुस्थिति के संबध में सूचना पायी जा सकती है। योजना के अन्तर्गत पता लगे बकाये की वसूली किस्तो में इस प्रकार की जा रही थी कि काश्तकार वर्ष की चालू मांग के साथ एक वर्ष का ही पुराना बकाया अदा करें।]

नहर बकाया

भूमि के कब्जेदारों से वसूल होने वाली काबिजाना—दर की मांग ६.६५ करोड़ रु० (लगभग) से बढ़कर ८.६५ करोड़ रु० (लगभग) हो गयी। पिछले वर्ष की ७,०४,८२,-६८८ रु० की मांग के विरुद्ध इस वर्ष की कुल मांग, जिसमें पिछले वर्ष का बकाया भी शामिल है ८.६० करोड़ रु० (लगभग) थी। इसमें से ८.६० करोड़ रु० (लगभग) वसूल किया गया और १८.४० लाख रु० (लगभग) शेष रहा, जिसका विवरण इस प्रकार है—

	रु०
नाममात्र का बकाया	१,२६,६०४
न वसूल हो सकने वाला	१५,४५६
वसूल करने के सिलसिले में कार्यवाही हो रही थी ..	१६,६७,५४४
योग ..	१८,३६,६०४
या	१८.४० लाख रु० (लगभग)

तकावी*

अधिनियम १६, १८८३ तथा अधिनियम १२, १८८४ दोनो के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष में वसूली की शुद्ध मांग ४४६.१७ लाख रु० थी जिसमें से २६७.१७ लाख रु० वसूल किये गये। यह रकम शुद्ध माग की ५६.८ प्रतिशत थी।

*३० सितम्बर, १६६० को समाप्त होने वाले राजस्व—वर्ष से संबंधित कैलेन्डर वर्ष १६६० से संबंधित।

४—वृहद् जोतकर*

उत्तर प्रदेश वृहद् जोतकर अधिनियम, १९५७ जो कि राज्य मे १ जुलाई, १९५७ से उत्तर प्रदेश कृषि आय-कर के स्थान पर लागू किया गया था, आलोच्य वर्ष में भी जारी रहा। इस अधिनियम मे यह व्यवस्था है कि १९४८ के अधिनियम के जो मामले चल रहे है वे जारी रहेंगे।

कृषि आय-कर और वृहद् जोतकर सबधी कार्यो का शासकीय अधिकार लखनऊ के प्रधान कार्यालय में माल बोर्ड के पास बना रहा। हाकिम परगना अपने क्षेत्र के कर निर्धारण अधिकारी बने रहे तथा इनके निर्णय के विरुद्ध अपीलो की सुनवाई कमिश्नरी के आयुक्त के कार्यालय मे होती रही। कर निर्धारण अधिकारी तथा आयुक्त के आदेशो के विरुद्ध निगरानी की सुनवाई लखनऊ मे माल बोर्ड मे होती रही।

३१ दिसम्बर ,१९६० तक के फसली वर्षों १३५५–१३६३ के लिये ९.४० करोड रु० कुल कृषि आयकर निर्धारित किया गया था जिसमें से ९.०७ करोड रु० वसूल किया गया।

१३६५–१३६७ फसली तथा १३६८ फसली के कुछ भाग के लिये निर्धारित और वसूल हुए वृहद् जोतकर का विवरण इस प्रकार है—

फसली वर्ष	निर्धारण	वसूली
	रु०	रु०
१३६५	८७,९८,०४६	६४,०४,०२२
१३६६	८८,०३ २२०	५७,०३ २७१
१३६७	७४,८३,१३९	३३,५८,७४१
१३६८	१८,८० ६५४	१८,८९६

१ जनवरी, १९६० से ३१ दिसम्बर, १९६० के बीच दोनो अधिनियमो के अन्तर्गत अपील और निगरानी के मामलो की विस्तृत जानकारी निम्नलिखित तालिका मे दी जा रही है —

	१ जनवरी, १९६० को अनिर्णित मुकदमो की की सख्या	१ जनवरी, १९६० से ३१ दिसम्बर, १९६० के बीच दायर मुकदमो की सख्या	निर्णय के लिये कुल मामलो की सख्या	कालम न० २ मे दी गयी अवधि मे निपटाये गये मामलो की सख्या	शेष
अपील					
कृषि आयकर ..	१८१	३२९	५१०	३७९	१३१
वृहद् जोतकर .	७२१	२,४३२	३,१५३	२,४९३	६६०

*वर्ष १९६० से सम्बन्धित।

	१ जनवरी, १९६० को अनिर्णित मुकदमो की की सख्या	१ जनवरी, १९६० से ३१ दिसम्बर, १९६० के बीच दायर मुकदमो की सख्या	निर्णय के लिये कुल मामलो की संख्या	कालम न० २ मे दी गयी अवधि में निपटाये गये मामलो की सख्या	शेष
निगरानी					
कृषि आयकर ..	३३४	१५१	४८५	१९४	२९१
वृहद् जोतकर ..	३१२	५११	८२३	१०७	७१६

५—स्टाम्प

इस वर्ष स्टाम्प राजस्व में १३.२२ लाख रुपये की वृद्धि हुई। १९५९–६० मे ४०१ २८ लाख रुपये (सशोधित) स्टाम्प राजस्व प्राप्त हुआ था। इस वर्ष ४१४ ५० लाख रुपये स्टाम्प राजस्व मिला। भूमिधरी अधिकारो के हस्तातरण और बिक्री के मामलो तथा अन्य मुकमदो मे वृद्धि होने के कारण ही यह बढोत्तरी सभव हुई। भारतीय स्टाम्प अधिनियम और कोर्टफीस अधिनियम के कार्यान्वयन पर होने वाला व्यय भी १९५९–६० से व्यय ९ ५८ लाख रुपये की तुलना में घटकर १९६०–६१ मे ७.२० लाख रुपये हो गया। यह मुख्य रूप से खजानो को भेजे गये स्टाम्पो के मूल्यो पर कम खर्च होने के कारण सम्भव हुआ।

६—आबकारी†

आलोच्य वर्ष मे मद्य-निषेध बदायू, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, कानपुर, उन्नाव, प्रतापगढ, सुल्तानपुर, जौनपुर और रायबरेली जिलो तथा हरद्वार, ऋषिकेष और वृन्दावन मे लागू रहा। उपर्युक्त ११ जिलो तथा वृन्दावन मे मद्य-निषेध सबंधी अपराधो को पता लगाने की जिम्मेदारी पुलिस विभाग पर रही। कानपुर मे १२ ऐक्साइज इस्पेक्टर और ८० ऐक्साइज चपरासी सीनियर सुपरिटेंडेट पुलिस के सहायतार्थ तैनात रहे। ऋषिकेष और हरद्वार मे मद्य-निषेध लागू करने के काम आबकारी कर्मचारियो को दिया गया।

गाजा और अफीम का निषेध जारी रहा। उन सभी जिलो में, जहा मद्य-निषेध लागू नही था, देशी शराब और भाग की दुकाने नीलाम प्रणाली पर स्थापित की गयी, जबकि गाजा की दुकाने परमिट पर गाजा देने के लिये सरचार्ज प्रणाली के अन्तर्गत खोली गयी। डाक्टरी परमिट पर लोगो को अफीम खजानो या उप-खजानो के तहविलदार तथा राज्य प्रबधित दुकानो के बिक्री सम्बन्धी कर्मचारी देते रहे।

गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी १९ जिलो में ताड़ी की दूकानें नीलाम प्रणाली द्वारा दी गयीं तथा ८ जिलो मे वृक्ष-कर प्रणाली चालू रही। वृक्षकर प्रणाली वाले ८ जिले

†कैलन्डर वर्ष १९६० से संबंधित।

हैं—गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, आजमगढ़ और मिर्जापुर। नीलाम एव वृक्ष-कर प्रणाली गाजीपुर और बलिया मे तथा गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, वाराणसी, आजमगढ और मिर्जापुर जिलो के सभी कैंटूनमेंट क्षेत्रो और नगरपालिकाओ मे लागू रही।

अफीम, भाग और भांग के सरकार द्वारा सप्लाई किये जाने के भाव में कोई परिवर्तन नही हुआ। देश मे ही बनी हुई विदेशी शराब की परमिट फीस और महसूल की दर भी अपरिवर्तित रही। देशी शराब और भाग की खपत इस वर्ष कुछ बढ गयी।

सम्पूर्ण आबकारी राजस्व

कैलेंडर वर्ष १९६० में आबकारी का कुल राजस्व ७ १८ करोड रु० था, जबकि गत वर्ष यह केवल ६.३७ करोड रु० था।

खपत

(क) देशी शराब—देशी शराब की खपत १०,८८,९९६ (९,२९,८६६) एल०पी०-गैलन थी। इस प्रकार खपत में १७.०१ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ख) भाग—भांग की कुल खपत १,६४,०८६ (१,५९,५०४) सेर थी। भाग की खपत में २.८ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ग) ताड़ी—ताडी मे कुल ३८.४९ (३६ ९०) लाख रुपये राजस्व प्राप्त हुआ। इस मद में ४.३ प्रतिशत की वृद्धि रही।

कैलेंडर वर्ष १९६० में एक्साइज ओपियम ऐण्ड डेंजरस ड्रग्ज ऐक्ट के अन्तर्गत पता लगाये गये मामलों की संख्या १६,९२६ थी, जबकि गत वर्ष १६,३६६ मामलो का पता लगाया गया था। इस सख्या मे गाजा दस्ता द्वारा पता लगाये गये नये नये मामले भी शामिल है। इसमे से ३,०३२ (२,७३१) गैरकानूनी ढग से शराब बनाने, ५,१५८ (४,५२९) शराब संबंधी अन्य अपराधों, ५,९२१ (६,१३८) भाग, १,५८७ (१,६५९) अफीम से, १,१७५ (१,२१९) अफीम पीने से और ५३ (९०) विविध अपराधो से सबधित थे।

आलोच्य वर्ष में जिन मामलो का पता लगा, उनमे २०,०७३ (१७,३०६) क्वार्ट शराब, २४१ मन ३४ सेर ३ छटाक (१८८ मन २० सेर १२ छटांक) गाजा, ४३ मन २५ सेर ४ छटाक (३४ मन ५ सेर ५ छटाक) भाग, ११ मन २० सेर ७ छटाक (९ मन ९ सेर १५ छटाक) चरस और १ ९ मन १६ सेर १२ छटाक (३ मन ३९ सेर) अफीम पकड़ी गयी।

आलोच्य वर्ष मे भांग और चरस के ५ दस्ते काम करते रहे। प्रत्येक दस्ता एक्साइज सुपरिटेंडेंट के अधीन तथा सहायक एक्साइज कमिश्नर (दस्ते) की देख रेख में रहा।

आलोच्य वर्ष में गाजा और चरस दस्तो ने १,४८१ (१,६१२) मामलो का पता लगाया, जिनमें से ४(१५) गैरकानूनी ढग से शराब बनाने, ५९(४४) शराब विषयक अन्य अपराधो

---

*ब्रैकेट मे दिये गये आकडे कैलेंडर वर्ष १९५९ से सबधित।

६८४ (१,१३१) भांग, ३८५ (३६४) अफीम, ४५ (५३) अफीम पीने तथा ४ (५) विविध अपराधों से सबंधित थे।

दस्तो ने जिन मामलो का पता लगाया उनमे ४०५ ७ (४१५ ६) क्वार्ट शराब, ८० मन ११ छटांक (६७ मन ३३ सेर २ छटाक) गाजा, ८ मन २ सेर १५ छटाक (४ मन १० सेर ११ छटाक) भांग, २ मन १७ सेर १४ छटाक (३ मन ३१ सेर) चरस और ६ मन ३४ सेर (३ मन ११ सेर ४ छटांक अफीम पकडी गयी।

चालक मद्यसार

आलोच्य वर्ष मे मसूरपुर मे एक नयी भट्ठी खुलने के कारण राज्य मे चालक मद्यसार की भट्ठियो की कुल सख्या १६ हो गयी । गैर-चालक मद्यसार की पाचो भट्ठिया पूर्ववत् जारी रही। चालक मद्यसार पेट्रोल मिश्रण योजना समस्त राज्य मे लागू रही। पेट्रोल में मिश्रण के लिये इस वर्ष कुल ५३,५५,३५० (५८,८१,७३८) बल्क गैलन चालक मद्यसार दिया गया । इसमे दिल्ली और पजाब की विभिन्न डिपो को दिया गया २५,०२,३७३ (२८,९७,६५५) बल्क गैलन तथा उत्तर प्रदेश की विभिन्न डिपो को दिया गया २८,५२,६७७ (२६,८३,७८३) बल्क गैलन भी शामिल है। इसके अतिरिक्त २४,८८,०५५ (१७,०६,०६८) बल्क गैलन चालक मद्यसार औद्योगिक कार्यों के लिये तथा २४,८८,०५५ बल्क गैलन चालक मद्यसार भारत से निर्यात करने के लिये दिया गया ।

सीरा

सीरा के नियंत्रण और वितरण का कार्य आबकारी आयुक्त के अधीन पूर्ववत् रहा ।

७—बिक्री-कर

बंधी फर्मों पर बिक्री-कर लगाने और प्रार्थनापत्रो पर फीस लगाने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम में आलोच्य वर्ष में कुछ सशोधन किये गये ।

आलोच्य वर्ष में विभिन्न वस्तुओ पर लागू बिक्री-कर दरो में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ। १ अप्रैल, १९६० से खराब हुई वस्तुओ पर भी बिक्री-कर लगाया गया और १०० रु० के लिये २५ नये पैसे कर निर्धारित किया गया। वर्ष १९६०–६१ में अडो और उन सिल्क के कपडों पर, जिन पर अतिरिक्त आबकारी कर लागू है, बिक्री-कर नही लगाया गया।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर और केंद्रीय बिक्री-कर से हुई प्राप्तिया वर्ष १९६०–६१ में ११६९.८८ लाख रु० हो गयी, जब कि वर्ष १९५९–६० मे यह केवल ६६०.७७ लाख रु० थी। व्यय मे १९५९–६० के अपेक्षा कुछ वृद्धि हुई। १९५९–६० मे व्यय ४०.११ लाख रु० तथा १९६०–६१ में ४२.१७ लाख रु० था।

८—मनोरंजन और बाजी-कर

आलोच्य वर्ष (१९६०–६१) में मनोरजन और बाजी-कर से कुल १,५६,८४,०५५ रु० की आय हुई जबकि वर्ष १९५९–६० में १,४५,४६,७८७ रु० (सशोधित) की आय हुई

है। आय में १४,३४,२६८ रु० की वृद्धि मुख्यरूप से कर के खड प्रणाली पर न लगाकर प्रतिशत प्रणाली पर लगाने के कारण हुई। प्रतिशत प्रणाली १ फरवरी, १९५९ को लागू की गयी। आलोच्य वर्ष में वसूली नकद रूप मे की गयी।

आलोच्य वर्ष में कुल व्यय ३,२८,१०० रु० था, जबकि १९५९-६० मे व्यय ३,१८,६०४ रु० (सशोधित) था।

आलोच्य वर्ष मे प्रदेश मे दो सहायक मनोरजन और बाजी-कर आयुक्त और ७० मनोरजन कर इस्पेक्टर, जिनमे कि १४ वरिष्ट इस्पेक्टर भी थे, प्रदेश में मनोरजन और बाजी-कर आयुक्त की सहायतार्थ नियुक्त थे।

मनोरंजन और बाजी-कर विभाग ने आलोच्य वर्ष मे २५८ मुकदमे चलाये। गत वर्ष २३० मुकदमे दायर किये गये थे। आलोच्य वर्ष चलाये गये मुकदमो में १८५ मामले निर्णीत हुए और ६७ विचाराधीन रहे। ६ मुकदमो की कार्यवाही अभियुक्तो के उपलब्ध न होने के कारण स्थगित कर दी गयी। निर्णीत मामलो मे से १७३ में जुर्माना किया गया, ५ में लाइसेंस रद्द किया गया, ४ मे चेतावनी दी गयी और ३ छोड दिये।

मनोरजन और बाजी-कर अधिनियम की व्यवस्थाओ को अस्थायी रूप से ५४ मेलो और प्रदर्शनियो पर लागू किया गया। इससे ९०,००० रु० की राजस्व की प्राप्ति हुई।

३०४ मामलो में मनोरंजन और बाजी-कर वसूल नहीं किया गया, क्योकि इनकी आय पुण्यार्थ, दानार्थ या खेल-कूद या सगीत के प्रोत्साहन के लिये व्यय होनी थी।

अध्याय ८

राजनीतिक

१—चुनाव

आलोच्य वर्ष में निर्वाचन विभाग (चुनाव विभाग) (संसदीय विभाग) द्वारा सम्पन्न कार्यों में मुख्य थे—मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण, लोक-सभा और विधान मंडल के उप-चुनाव तथा विधान-परिषद के द्वि-वार्षिक चुनाव मम्बन्धी कार्य और तृतीय आम चुनाव और चुनाव याचिकाओ विषयक कार्य।

आलोच्य वर्ष मे १७८ विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रो की मतदाता सूचियां सशोधित की गयी। मतदाता सूचिया तैयार करने की संशोधित योजना के अन्तर्गत उपर्युक्त सूचिया जिला चुनाव कार्यालय में डुप्लिकेटर मशीनो पर तैयार की गयी। इस वर्ष योजना से तृतीय आम चुनाव में मतदाता सूचियां तैयार करने के मद में १६ लाख रुपये की बचत होने की आशा है।

१९६०–६१ मे कुल ८ उप-चुनाव हुय, जिनमें से ३ विधान सभा के, ३ लोक सभा के और २ राज्य सभा के थे। ५ उप-चुनावो मे काग्रेस उम्मीदवार और एक मे सोशलिस्ट पार्टी का उम्मीदवार विजयी हुआ। निम्नलिखित तालिका में इन उपचुनावों का विवरण दिया जा रहा है—

निर्वाचन क्षेत्र	उस सदस्य का नाम जिसका स्थान रिक्त हुआ	चुनाव की तिथि	विजयी उम्मीदवार और उसकी पार्टी
विधान सभा—			
(१) अकबरपुर जि० कानपुर।	श्री बलवन्त सिंह	९–५–१९६०	श्री राम दुलारे मिश्र, काग्रेस।
(२) बहराइच (दक्षिण)	श्री वीरेंद्रविक्रम सिंह	२८–११–१९६०	श्री बदलू राम–प्रजा सोशलिस्ट पार्टी।
लोकसभा			
(१) उन्नाव	श्री विशम्भर दयाल	१२–४–१९६०	श्री लीलाधर, काग्रेस।
(२) सीतापुर	श्री प्राणीलाल	२३–११–१९६०	श्री भवानी प्रसाद, कांग्रेस।
(३) रायबरेली	श्री फीरोज गाधी	२२–११–१९६०	श्री राजेंद्र प्रताप, सिंह, काग्रेस।
विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने गये	श्री धरम दास	१०–११–१९६०	श्री ए० सी० गिलबर्ट।
	श्री बालकृष्ण शर्मा	१–८–१९६०	श्री अर्जुन अरोरा।

आलोच्य वर्ष में फरवरी–मार्च १९६२ में सम्पन्न आम चुनाव के आरम्भिक प्रबन्ध किये गये।

१९६० में विधान परिषद के ३६ सदस्यो का कार्यकाल समाप्त हुआ। अप्रैल, १९६० में ३२ स्थानो के लिये द्वि-वार्षिक चुनाव हुये और ४ सदस्य नाम दर्ज किये गये।

स्थानीय निकायो के चुनाव

१९६०–६१ में अनूपशहर नगरपालिका (जिला बुलन्दशहर) और नवाबगज और कर्नलगज नगरपालिकाओ (जिला गोडा) के आम चुनाव हुये। उसके अतिरिक्त जत्तारी (अलीगढ), लोहाघाट (अल्मोड़ा), ओएल ढकवा, घोरेशरा, सिघई भरोरा (खीरी) और निवारी (मेरठ) की टाउन एरिया कमेटियो के भी चनाव सम्पन्न हुये। १९६१ में नगर-पालिकाओ के नगर-प्रमुखो का द्वितीय वार्षिक चुनाव हुआ। इनके अलावा सदस्यो, अध्यक्षो आदि की मृत्यु या इस्तीफे के कारण रिक्त हुये स्थानो को भरने के लिये नगरपालिकाओ, नोटीफाइड एरिया कमेटियो और टाउन एरिया कमेटियो में अनेक उप-चुनाव हुये।

अन्तरिम जिला परिषदो के लिये गाव सभाओ के प्रतिनिधि निर्वाचित करने तथा खुर्जा (बुलन्दशहर), सीतापुर और मुहमदी (खीरी) की नगरपालिकाओ, तुलसीपुर टाउन एरिया एव मुगलसराय रेलवे बस्ती नोटीफाइड एरिया (वाराणसी) के आम चुनाव आयोजित करने के सम्बन्ध में आरम्भिक प्रबन्ध किये गये।

२४—राजनीतिक कार्य-कलाप

आलोच्य वर्ष मे प्रदेश के राजनीतिक क्षेत्र में काफी चहल-पहल थी, क्योकि वर्ष १९६२ के आमचुनाव की दृष्टि से सभी राजनैतिक पार्टियां सक्रिय रही। विभिन्न राजनीतिक पार्टियो के नेताओ ने राज्य के व्यापक दौरे किये तथा अपनी-अपनी विचार-धाराओ के प्रचारार्थ पुस्तिकाये वितरित की। विभिन्न पार्टियो के चिन्तन और कार्यकलापो पर उत्तरी सीमा पर चीन के आक्रमण, केन्द्रीय कर्मचारियो की हडताल और पजाबी सूबा की माग ने थोडा-बहुत प्रभाव डाला। एक देश व्यापी आन्दोलन के भाग के रूप मे सोशलिस्ट पार्टी ने अपनी विभिन्न मांगो के सिलसिले मे, जिनमे अग्रेजी का बहिष्कार तथा कुछ जोतो को माल-गुजारी से छूट देने की मांग शामिल थी, वर्ष के आरम्भ में एक आन्दोलन सगठित किया। विभिन्न विरोधी दल स्थानीय मामले उठाते रहे और कुछ अवसरो पर प्रदर्शन, हडतालें और आन्दोलन संगठित करने के प्रयत्न भी किये गये। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ने केन्द्रीय कर्मचारियो के कुछ वर्गो द्वारा सगठित हडतालो मे विशेष रूप से दिलचस्पी ली और कुछ स्थानो पर उन्होने इस सम्बन्ध में सयुक्त सभाये भी की। भारत-चीन-सीमा विवाद पर कम्युनिस्ट पार्टी के रुख की अन्य राजनीतिक पार्टियो और जनता ने भी आलोचना की। आलोच्य वर्ष मे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की शक्ति बढी, क्योकि सोशलिस्ट यूनिटी पार्टी का उससे विलयन हुआ। विधान मंडल में स्वतन्त्र पार्टी को विरोधी पार्टियो में से एक स्वीकार किया गया। प्रदेश कांग्रेस के चुनावो में भी विभिन्न पार्टियो ने काफी दिलचस्पी दिखायी। प्रदेश कांग्रेस के चुनाव सम्पन्न होने के बाद उत्तर प्रदेश मन्त्रिमंडल में परिवर्तन हुआ।

मऊ (आजमगढ) मे मई, १९६० को हुये प्रजा सोशलिस्ट पार्टी पंचम वार्षिक सम्मेलन मे आर्थिक स्थिति पर चिन्ता प्रकट की गयी। सरकार की श्रम-नीति की आलोचना की गयी तथा गन्ने का मूल्य बढ़ाने की मांग की गयी।

शुरू में कुछ जिलो में पार्टी से चुने सदस्यो ने जुलूस निकाले और सभायें की तथा सीमा-विवाद पर भारत और चीन के प्रधान मन्त्रियों की वार्ता आयोजित करने के सम्बन्ध में विरोध प्रकट किया।

जून, १९६० में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने नैनीताल में कुछ मिनिस्टीरियल कर्मचारियो और चपरासियो का एक सम्मेलन सगठित करने में विशेष दिलचस्पी प्रकट की। उन्होने एक वेतन आयोग नियुक्त करने तथा आवास सुविधा आदि की मांग की।

सितम्बर, १९६० के पहले हफ्ते में पार्टी के सदस्यो ने कुछ जिलो में मजदूर अधिकारी दिवस मनाया। ट्रेड यूनियनो मे बाहर के लोगो के पद-ग्रहण करने पर लगे प्रतिबन्ध की आलोचना की गयी तथा १५वे श्रम-आयोग द्वारा निर्दिष्ट राजकीय कर्मचारियो के न्यूनतम वेतन की माग की गयी।

प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की कार्यकारिणी ने अपना अधिवेशन लखनऊ में दिसम्बर, १९६० में किया, जिसमे विभिन्न मामलो पर विचार विमर्श हुआ। सरकार पर यह आरोप लगाया गया कि वह चीनी उद्योग द्वारा अर्जित लाभ मे से गन्ना उत्पादको को उनका उचित हिस्सा दिलाने मे असफल हुई है।

जनवरी, १९६१ मे कुछ जिलो में पार्टी के सदस्यो ने नेपाल मे निर्वाचित सरकार भग की जाने के विरोध मे नेपाल दिवस मनाया।

अपनी विभिन्न मागो की पुष्टि मे सोशलिस्ट पार्टी ने मई, १९६० के आरम्भ मे राज्यस्तर पर एक आन्दोलन शुरू किया, जिसे उन्होने 'सविनय अवज्ञा भग आन्दोलन" की सज्ञा दी। यह आन्दोलन आरम्भ में १९ तथा बाद में २३ अन्य जिलो मे शुरू किया गया। पार्टी के सदस्यो ने खाली भूमि, गोदाम और सस्ते गल्ले की दुकानो पर कब्जा करने की कोशिश की, अग्रेजी वाले साइनबोर्डों पर कालिख पोती और अदालतो की पिकेटिंग की। जनता की सुरक्षा और प्रशासन के सुचारु सञ्चालन तथा शाति-व्यवस्था बनाये रखने के लिये कदम उठाने पडे और कानून के विरुद्ध कार्य करने वाले लगभग २,००० व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। क्षमा याचना करने पर इनमे से अनेक छोड दिये गये। आन्दोलन को जनता का सहयोग नही मिला और कुछ सप्ताहो मे ही वह केवल नाममात्र को रह गया। पार्टी ने नवम्बर, १९६० मे आन्दोलन को औपचारिक ढग से स्थगित कर दिया। सरकार ने सद्भावना के इगित के रूप मे दिसम्बर, १९६० मे आन्दोलन के बदियो की आम रिहाई, विचाराधीन मामले वापस लेने तथा जुर्माना की वसूली बन्द करने के सम्बन्ध मे आदेश जारी किये।

इस आन्दोलन से पहले पार्टी के नेताओ ने जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिये प्रदेश का व्यापक दौरा किया था।

केवल अग्रेजी मे फेल होने वाले छात्रो को चित्रकूट (बादा) मे हुई एक सार्वजनिक सभा मे नवम्बर, १९६० में यह सलाह दी गयी कि वे स्कूलो और कालेजो के सामने धरना दें तथा माग करे कि उन्हें परीक्षा मे उत्तीर्ण घोषित किया जाय।

पार्टी के सदस्यो ने अक्तूबर, १९६० मे गाजीपुर मे कृषक पुरुषो और महिलाओ की एक सामूहिक भूख हडताल चकबन्दी कर्मचारियो द्वारा की गयी कार्यवाही के विरोध मे सगठित करने की भी कोशिश की। देवरिया और गोरखपुर जिलो मे दिसम्बर, १९६० मे कई चीनी मिलो में आन्दोलन सगठित किये गये।

सोशलिस्टो ने श्रम के क्षेत्र मे आलोच्य वर्ष में काफी दिलचस्पी प्रकट की और उनके कार्यों से ऐसा लगा कि वे केन्द्रीय राजकीय कर्मचारियो, राजकीय रोडवेज और चुर्क सीमेंट फैक्टरी आदि के कर्मचारियो की मागो का समर्थन कर रहे थे।

कम्युनिस्ट पार्टी की प्रादेशिक पार्टी की बैठक लखनऊ में जून, १९६० में हुई थी, जिस मे एक प्रस्ताव पारित कर पार्टी की इकाइयो से कहा गया कि वे उन कदमो को सशक्त करें, जो सूती कपडा मिलो के मजदूर सूती कपडा वेतन-बोर्ड की सिफारिशो को कार्यान्वित करने के लिये उठायें।

मई, १९६० मे अखिल भारतीय किसान सभा का १७वा वार्षिक अधिवेशन गाजीपुर में हुआ। किसानो से कहा गया कि वे सरकार से अपने अधिकारो की माग करे। ऐसा कहा जाता है कि पार्टी से कुछ नेताओ ने सार्वजनिक सभाओ में, जिनको उन्होने ही

आयोजित किया था, यह बहम करने की कोशिश की थी कि भारत और चीन के बीच सीमा के सम्बन्ध मे कोई झगडा है ही नही और लागजू केवल तीन वर्ग मील क्षेत्रफल वाला एक महत्वहीन स्थान है।

सदा की तरह अनेक जिलो मे 'मई दिवस' मनाया गया, जिसमें सरकार पर यह आरोप लगाया गया कि वह ऐसी नीति का पालन कर रही है, जिसमें पूंजीवादियो को समर्थन मिलता है। पार्टी के सदस्यो ने अप्रैल, १६६० में आजमगढ में एक पुलिस विरोधी प्रदर्शन किया, जिसमे लाठियो और बल्लमो से लेस लोगो का एक जुलूस निकाला गया। सदस्यो ने झांसी में नवम्बर, १६६० में एक किसान-सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें किसानों के लिये कहा गया कि वे पचायतो के अपने प्रतिनिधि स्वय चुनें। नवम्बर, १६६० में वाराणसी में 'गोआ दिवस' मनाया गया। सरकार से विदेशी-फर्मों का राष्ट्रीकरण करने का भी अनुरोध किया गया।

आलोच्य वर्ष के प्रारम्भ में टेहरी गढ़वाल में पार्टी की एक जिला शाखा स्थापति की गयी। अखिल भारतीय जनसघ का त्रिदिवसीय वार्षिक सम्मेलन लखनऊ में ३० दिसम्बर, १६६० से आरम्भ हुआ, जिसके अध्यक्षपदीय भाषण में सरकार की नीतियों और कार्य-कलापो को ढुलमुल और परस्पर विरोधी घोषित किया गया।

आरम्भ मे अप्रैल, १६६० मे पार्टी ने प्रदेश के विभिन्न भागो में एक 'दृढ़ रहो सप्ताह' सगठित किया। चीनी प्रधान मन्त्री को वार्ता के लिये भारत बुलाने के सुझाव का विरोध किया गया और विभिन्न जिलो मे पार्टी के सदस्यो ने जिला मजिस्ट्रेटो को इस आशय के स्मृतिपत्र दिये कि भारतीय प्रधान मन्त्री दृढ़ नीति अपनावें। इसी प्रकार अक्तूबर, १६६० में पार्टी ने एक कश्मीर दिवस आयोजित किया। इस अवसर पर संगठन ने सार्वजनिक सभाओ में सरकार पर यह आरोप लगाया कि वह कश्मीर के मामले में कन्ट्रोल नीति का पालन कर रही है।

पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक जुलाई, १६६० में लखनऊ में हुई। ससदीय बोर्ड ने उन केन्द्रीय राजकीय कर्मचारियो के प्रति सहानुभूति प्रकट की, जिन पर केन्द्रीय कर्मचारियो की हडताल में भाग लेने के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही होने की सम्भावना थी। ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही की आलोचना की गयी और यह माग भी की गयी कि मामले हटा दिये जायं।

प्रदेश के अनेक स्थानो में पार्टी के सदस्यो ने 'डा० एस० पी० मुखर्जी दिवस' जून, १६६० में मनाया। सितम्बर, १६६० में इलाहाबाद में हुई एक सभा में पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यान्वियन के लिये विदेशी सहायता लेने की नीति के प्रति असन्तोष प्रकट किया गया और सरकार पर आवश्यक वस्तुओ का दाम बढाने का आरोप लगाया गया। जनसंघ के नेतागण भारत पाक नहर जल-सधि के आलोचक रहे और यह कहा गया कि इस संधि में पाकिस्तान से बकाये का समाधान नही हुआ है और मंगला बांध के बारे में भी कोई व्यवस्था नही की गई है। यह मांग की गई कि जब तक कश्मीर में पाकिस्तानियो का अनधिकार तथा गैर-कानूनी कब्जा खतम नहीं होता, इस सधि को कार्यान्वित न किया जाय।

स्वतन्त्र पार्टी के सदस्यो ने विभिन्न जिलो में सितम्बर, १६६० में मुद्रास्फीति विरोधी दिवस मनाया और जुलूस तथा सभायें आयोजित की। सरकार पर मुद्रास्फीति को रोकने में असफल होने का आरोप लगाया गया। पार्टी के उद्देश्यो के प्रचारार्थ पुस्तिकाओं का व्यापक वितरण किया गया। कुछ स्थानो में हवाई जहाज से भी पुस्तिकायें गिरायी गयीं। पुस्तिकाओं में शामिल अन्य विषयों में सहकारी कृषि की आलोचना की गयी थी और पूर्णतया श्रमिको द्वारा नियंत्रितश्रमिक यूनियनो का पृष्टपेषण किया गया था।

पार्टी का प्रदेशीय सम्मेलन वर्ष के आरम्भ में अगस्त, १६६० में लखनऊ में हुआ। सम्मेलन में पारित प्रस्तावो में यह मांग की गयी कि आम चुनावो के पाच महीने पहले मत्रिमंडल इस्तीफा दे दिया करे और उस काल में राष्ट्रपति का शासन स्थापित किया जाय।

अप्रैल, १९६० में पार्टी के अखिल भारतीय नेताओं ने प्रदेश के अनेक जिलों का दौरा किया और सभाओं में भाषण दिये। अपने भाषणो मे उन्होंने सरकार की सामान्यतः आलोचना की और जनता से यह अनुरोध किया कि वह पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें। जून १९६० मे देहरादून मे हुई एक सभा में नेताओ ने सरकार पर यह आरोप लगाया कि यह चीनियों द्वारा किये गये भारतीय सीमा अतिक्रमण के बारे में पूरी जानकारी नहीं दे रही है।

आलोच्य वर्ष में हिन्दू महासभा के कार्य-कलाप विभिन्न अवसरो पर सम्मेलन करने तक ही समिति रहे।

हिन्दू महासभा ने गोबध बन्द करने, साम्प्रदायिक मुस्लिम संगठनो पर प्रतिबन्ध लगाने, भारत-पाक नहर जल-संधि को भंग करने और उच्च न्यायालयो में हिन्दी का प्रयोग आरम्भ करने की मांग की। पजाबी सूबा की मांग की निन्दा की गयी और दक्षिण-पंथी पार्टियों का एक सयुक्त मोर्चा साम्यवाद के प्रचार को रोकने के लिये बनाने का समर्थन किया गया। हिन्दू महासभा भारत सरकार की परराष्ट्र नीति की आलोचक रही।

आलोच्य वर्ष में प्रदेश के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्य-कलाप शाखायें ड्रिल और रैलियां आदि संगठित करने तक ही सामान्यतः सीमित रहे। वर्ष में आयोजित कुछ रैलियो और सार्वजनिक सभाओं में पहले के समान ही देश के बटवारे और अखड भारत विचारधारा का उल्लेख किया गया। अखिल भारतीय नेतृत्व में पजाबी सूबा की माग की निन्दा की गयी। देश सशक्त करने पर विशेष बल दिया गया।

प्रदेश के सिक्ख समुदाय के कुछ लोगो ने पंजाबी सूबा की माग का समर्थन किया और कुछ स्वयसेवक आन्दोलन में भाग लेने के लिये दिल्ली भी गये। जमीयत-ए-इस्लामी के कार्यकर्त्ताओं ने साप्ताहिक और मासिक इजतेमा विभिन्न स्थानो में किये। जमीयत के सिद्धांत और विचारधारा का प्रचार किया गया और लोगो को यह बतलाया गया कि वह इस्लामी सस्कृति और धर्म का कड़ाई से पालन करें। दिल्ली में नवम्बर, १९६० में हुये अखिल भारतीय जमीयत-ए-इस्लामी सम्मेलन में भाग लेने के लिये काफी जनसंख्या में कार्यकर्त्ता प्रदेश से गये।

आलोच्य वर्ष में मुस्लिम जमात की कार्रवाई सभाओं तक ही सीमित रही। लखनऊ जमात की कार्यकारिणी की बैठक लखनऊ में मई, १९६० में और प्रदेशीय कार्यकारिणी की बैठक भी लखनऊ में ही नवम्बर, १९६० में हुई। जमात में मुस्लम लीग के पुनर्गठन पर असंतोष प्रकट किया गया किन्तु अकालियो की पृथक सूबा संबंधी माग का समर्थन किया गया।

आलोच्य वर्ष में प्रदेश के कुछ स्थानो में खाकसारों के पुनर्जीवित होने के संकेत मिले और कुछ जिलो में वह अपना सामान्य कार्रवाई करते रहे।

अध्याय ९

समाचार-पत्र

समाचार-पत्रों की निरीक्षा

—सरकार को समाचार-पत्रो में प्रकाशित मतो और समाचारो से अवगत कराने के लिये सूचना विभाग की निरीक्षाशाखा ने कुल ३२,०६६ समाचार-पत्रो की प्रतियों की, जिनमें प्रदेशियेतर समाचार-पत्र भी शामिल थे निरीक्षा की और १,३०,३६३ कतरनें वर्ष १९६०–६१ में प्रस्तुत कीं । निरीक्षा-शाखा ने १२८ से अधिक विवरण, जिनमें विशेष विवरण भी शामिल थे और समाचारपत्रो की टिप्पणियो की पाक्षिक आलोचनाएं आदि भी प्रस्तुत कीं । टेलीप्रिंटर पर प्राप्त ६७९ समाचार सबंधित अधिकारियो को प्रेषित किये गये ।

कानून भंग करने संबधी नियमो और भारत-पाक समझौते तथा प्रेस-संहिता के नियम तोड़ने के मामलो की जांच के लिये समाचार-पत्रो का निरीक्षण जारी रहा ।

प्रेस और पुस्तक अधिनियम के रजिस्ट्रेशन का कार्यान्वयन

प्रेस और पुस्तको के रजिस्ट्री संबधी अधिनियम, १८६७ की व्यवस्थाओ को लागू करने का कार्य पूर्ववत् जारी रहा । जहा भी आवश्यक था, इस अधिनियम की व्यवस्थाओ को भंग करने वाले समाचार-पत्रो और पत्रिकाओ के प्रकाशको और मुद्रको को चेतावनी दी गयी, किन्तु इस वर्ष कोई मुकदमा नहीं चलाया गया ।

समाचार पत्रों की टिप्पणियों की समीक्षा

आलोच्य वर्ष में तृतीय पचवर्षीय योजना के केन्द्रीय और राजकीय स्तरो पर कार्यान्वयन के लिये किये गये प्रयासो की समाचार-पत्रो ने सराहना की और उनमें विशेष दिलचस्पी दिखायी ।

प्रथम पंच-वर्षीय आयोजनों तथा आदर्श कल्याणकारी राज्य की सफलता के लिये त्याग करने के निमित्त जनता से अनुरोध किया गया । गणराज्य-दिवस के अवसर पर गत वर्ष की प्रगति की समीक्षा की गयी और देश की राजनैतिक दृढ़ता पर संतोष प्रकट किया गया । भारत की उत्तरीय सीमा पर घिरते खतरे का विशेष रूप से उल्लेख हुआ, किंतु साथ-साथ यह भी कहा गया कि जब तक देश की जनता मुकाबला करने के लिये दृढ़ प्रतिज्ञ है और हम आपस के झगडो से मुक्त हैं, हमारा गणराज्य सुदृढ़ रहेगा । राष्ट्रीय भावना और एकता कायम रखने पर विशेष बल दिया गया ।

सीमा की स्थिति पर नवम्बर, १९६० में लोक-सभा में हुए विचार-विमर्श में सभी वर्गों के समाचार-पत्रो ने विशेष रुचि दिखायी । इस मत की पुष्टि की गयी कि चीनियो को यह अच्छी तरह समझने पर बाध्य कर दिया जाय कि भारत पर आक्रमण करना उनके लिये लाभदायक नहीं होगा । इस संबंध में भूटान के बारे में भारत द्वारा दिये गये निर्णय का समर्थन किया गया । यह इंगित स्पष्ट रूप से किया गया कि भूटान यह समझ चुका है कि सीमा की घटना से उसकी आंतरिक शांति प्रभावित न हो ऐसा हो ही नहीं सकता । यह अनुरोध किया गया कि सभी आवश्यक मामलों में भारत का सहयोग प्राप्त किया जाय ।

बेरूबारी को पाकिस्तान को हस्तांतरित करने के प्रश्न पर समाचार-पत्रो ने व्यापक रूप से टिप्पणियां कीं । एक वर्ग ने पश्चिमी बंगाल के विधान-मंडल के सदस्यो से यह कहा कि वे इस मसले पर पश्चिमी बंगाल के ही नहीं, एक व्यापक और अखिल भारतीय दृष्टिकोण से

विचार करें । एक अन्य वर्ग ने इस मत का समर्थन नहीं किया कि बेरूबारी का विभाजन बंगाल के लिये हितकर नहीं होगा ।

भारत और पाकिस्तान के बीच जल-संधि पर हस्ताक्षर होना आलोच्य वर्ष की एक महत्व-पूर्ण घटना मानी गयी । यह आशा प्रकट की गयी कि भारत के इस मैत्रीपूर्ण संकेत पर पाकिस्तान भी सद्भावनापूर्ण रुख अपनायेगा । किंतु समाचार-पत्रों के एक वर्ग ने यह अनुभव किया कि पाकिस्तान ने अभी तक नियमपूर्वक भारत से लिया ही है, उसे दिया कुछ नहीं है ।

भारत और पाकिस्तान के पुराने वित्तीय मसलों के बारे में पाकिस्तान के रुख पर खेद प्रकट किया गया और भारत सरकार से यह कहा गया कि वह तुष्टिकरण की नीति त्याग दें ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारंभिक मसविदे पर काफी ध्यान दिया गया । आयोजना में कृषि को प्राथमिकता देने के विचार पर जोरदार समर्थन किया और विभिन्न योजनाओं के उचित कार्यान्विन तथा जन-सहयोग प्राप्त करने की आवश्यकता पर विशेष रूप से बल दिया गया ।

सितम्बर १९६० में हुए राष्ट्रीय विकास परिषद् के द्वि-दिवसीय अधिवेशन की अधिकांश पत्रों ने चर्चा की । इस सुझाव की कि राज्य सरकार कम से कम ५५० करोड़ रु० लगायें और ग्रामीणवर्ग आयोजना के खर्च का एक बड़ा भाग वहन करें, समाचार-पत्रों के एक वर्ग ने आलो-चना की । कुछ समाचार-पत्रों ने राज्यों से यह कहा कि वे अपने लिये साधन स्वयं जुटायें ।

तृतीय पंच-वर्षीय आयोजना के प्रारम्भिक मसविदे और उसकी कुल धनराशि में कृषि के लिये निर्धारित हिस्से पर काफी टिप्पणियां निकलीं। समाचार-पत्रों के एक वर्ग ने एक ओर औद्यो-गिक विकास योजनाओं का स्वागत किया तथा यह आशा प्रकट की कि तृतीय आयोजना के अंत तक उत्तर प्रदेश खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जायगा, तो दूसरी ओर एक दूसरे वर्ग ने यह मत प्रकट किया कि आयोजना में बड़े उद्योगों की समस्याओं की उपेक्षा हुई है और पूंजी लगाने की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार और निजी क्षेत्रों पर छोड़ दी गयी । इसी वर्ग ने यह भी तर्क दिया कि उत्तर प्रदेश के लिये निर्धारित कुल धनराशि उसकी समस्याओं को हल करने की दृष्टि से नहीं निर्धारित की गयी है ।

दिसम्बर १९६० में श्री चन्द्रभानु गुप्त के नेतृत्व में पदग्रहण करने वाले नये मंत्रि-मंडल का भी स्वागत हुआ । जिस साहस, योग्यता और विनम्रता से श्री गुप्त कार्य शुरू करते है, उसकी सराहना की गयी तथा सभी कांग्रेस सदस्यों और नागरिकों से यह अनुरोध किया गया कि वे सभी श्री गुप्त को सहयोग प्रदान करें । विधान मंडलीय और संगठन संबंधी शाखाओं की एकता कायम रखने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया ।

प्रदेश कांग्रेस के मामलों पर काफी दिनों तक ध्यान दिया गया । कांग्रेस और देश दोनों की भलाई के लिये संस्था के भीतर झगड़ा हटाने तथा एकता बनाये रखने पर बल दिया गया ।

नये मंत्रिमंडल के विरुद्ध, रखे गये अविश्वास के प्रस्ताव, जिसे विधान-मंडल ने विचार-विमर्श के बाद अस्वीकृत कर दिया था, का उल्लेख किया गया ।

समाचार-पत्रों के एक वर्ग ने यह मत प्रकट किया कि अविश्वास का प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध असंतोष का प्रमाण है तथा दूसरे वर्ग ने यह अनुभव किया कि इसे प्रस्तुत करने में विरोधी दल ने अपनी जिम्मेदारी का पूर्ण निर्वाह नहीं किया तथा उसने जो दलीलें दीं वे तर्क संगत नहीं थीं ।

फरवरी, १९६१ में लोकसभा में पेश किये गये केन्द्रीय आय-व्यय की आलोचना और सराहना दोनों की गयी, जबकि समाचार-पत्रों के एक वर्ग ने इसे एक उत्साहवर्धक बजट माना है, दूसरी ओर कुछ पत्रों ने अप्रत्यक्ष करों पर असंतोष प्रकट किया तथा यह मत प्रकट किया कि इनसे साधारण जन और मध्यम वर्ग की कठिनाइयां बढ़ेंगी ।

• सहकारी समितियो को कर से छूट देने संबंधी घोषणा की समाचार-पत्रो में काफी चर्चा हुई । यह सामान्य मत था कि सहकारी सस्थाओ को कर से मिलने वाली छूट का विरोध नहीं करना चाहिये क्योकि सहकारी आन्दोलन सामान्य रूप मे और व्यापारिक सहकारी संगठन विशेष तौर पर अभी हमारे देश में पूर्णतया विकसित नहीं हुए हैं । एक वर्ग सहकारी सस्थाओ के व्यापारिक लाभ को कर से छूट देने के पक्ष में नहीं था ।

वर्ष १९६१–६२ में प्रस्तुत राज्य के आय-व्ययक का मिला-जुला स्वागत हुआ । कुछ पत्रो ने यह विचार प्रकट किया कि इसने हमारी आशाओ को झूठा कर दिया है और इससे कर देने वालो का बोझ और बढने की सभावना है । अन्य पत्रो का यह मत था कि राज्य की समृद्धि बढ़ेगी, साधारण जन पर बोझ नहीं बढेगा, इसमे सन्निहित विकास की बहुमुखी योजनाओं के कारण हमें इसका स्वागत करना चाहिये ।

कोयले की पूर्ति और उसके उद्योगो पर पड़ने वाले प्रभाव संबंधी कठिन स्थिति का उल्लेख किया गया । इस सबंध में कानपुर के उद्योगो के सहायतार्थ सरकार द्वारा उठाये गये कदमों की सामान्य रूप से सराहना हुई तथा भविष्य मे ऐसी स्थिति पैदा होने की सभावना के विरुद्ध प्रदेश को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर बल दिया गया ।

अक्तूबर, १९६० से लेकर मार्च १९६१ तक की अवधि के लिये घोषित देश की नयी आयात नीति पर पत्रो ने व्यापक रूप से ध्यान दिया जबकि एक वर्ग ने यह अनुभव किया कि इससे देश के औद्योगीकरण को सहायता मिलेगी तथा योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति होगी । दूसरे वर्ग ने सावधानीपूर्वक प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे कि विस्तार और उत्पादन की क्षति न हो और वस्तुओ के मूल्य बढ़ने के कारण उत्पन्न होने वाली कमी से बढ़ने वाली कठिनाइयो से उपभोक्तागण बचे ।

भारतीय वाणिज्य और उद्योग चेम्बर के ३३ वे अधिवेशन की कार्यवाई में काफी दिलचस्पी ली गयी । आयोजना के कार्यान्विन मे सरकार को निजी क्षेत्र द्वारा सहयोग दिये जाने के प्रश्न पर चेम्बर के अध्यक्ष द्वारा व्यक्त विचारों की सराहना की गयी । कुछ पत्रो ने यह कहा कि इस बात की आवश्यकता है कि सरकार और उद्योगपति अपनी नीतियो और कार्यों को समयानुसार समन्वित करे । एक वर्ग ने पूंजीपतियों पर इस तथ्य की उपेक्षा करने का आरोप लगाया कि मजदूर तब तक अधिक उत्पादन नहीं कर सकते, जब तक उन्हें जीने की समुचित सुविधाएं नहीं दी जातीं ।

नवम्बर, १९६० मे दिल्ली में हुए राज्यपालो के सम्मेलन पर पत्रो ने काफी ध्यान दिया । कुछ पत्रो ने इस पक्ष का समर्थन किया कि राज्यपालो को और ज्यादा अधिकार दिये जायं तथा कुछ ने यह मत प्रकट किया कि इससे स्थिति में शायद ही कोई सुधार हो । पत्रो ने ऐसी स्वस्थ परम्पराओ के निर्माण पर सामान्य रूप से बल दिया, जिनसे राज्यपालो और मत्रियों के बीच एक स्वस्थ साझेदारी की भावना विकसित हो ।

फूलबाग मे कृषि विश्वविद्यालय स्थापित होने का व्यापक रूप से स्वागत किया गया और यह कहा गया कि इस प्रयोग से भविष्य में प्रदेश को अनेक लाभ होने की सभावना है ।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश मे एक अणुशक्ति केन्द्र स्थापित करने की संभावना संबधी रिपोर्टों का सभी वर्गों के पत्रों ने स्वागत किया ।

यह कहा गया कि भारत की जन-संख्या में वृद्धि (जिसका सकेत जन-संख्या के अस्थाई आंकड़ो से मिलता है) अच्छे खाने और चिकित्सा आदि के कारण बतायी गयी, क्योकि इनके फलस्वरूप आयु बढ़ गयी थी । कुछ क्षेत्रो में यह चिंता प्रकट की गयी कि शायद नये आकड़ों की वृद्धि में खाद्य-उत्पादन के लक्ष्यों मे परिवर्तन करने की आवश्यकता हो। इन क्षेत्रो में औद्योगिक और कृषि-उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया जिससे कि जीवन-स्तर गिरे नहीं । यह संकेत किया गया कि परिवार नियोजन आज एक बहुत बड़ी आवश्यकता है ।

कि इसमें कर देने वालो के हितों का आवश्यक ध्यान नहीं रखा गया। किन्तु पत्रो के एक वर्ग ने मंत्रि-मंडल को आपत्तियो का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का समय देने के पूर्व ही रिपोर्ट प्रस्तुत करने की परम्परा का विरोध किया और यह मत प्रकट किया कि लोक सभा मे रिपोर्ट प्रस्तुत करने के तरीके से प्रधान मंत्री और सुरक्षा मंत्री को परेशानी हो सकती है।

जून १९६० में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के विचार-विमर्श सम्बन्धी अपनी टिप्पणियों में पत्रो ने सामान्य रूप से कांग्रेस जन में एकता स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया, जबकि एक वर्ग ने यह कहा कि संगठन को सशक्त करने वाले कदम उठाये जायं, दूसरे वर्ग ने संतोष प्रकट करते हुए यह मत प्रकट किया कि अखिल भारतीय कांग्रेस ने ऐसे प्रस्ताव स्वीकृत कर लिये है जो कि ठोस है और जिनसे संस्था का सुचारु संचालन होगा।

जहां तक अखिल भारतीय कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन का प्रश्न है पत्रो ने अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति सबंधी प्रस्ताव पर विशेषरूप से ध्यान दिया। इस बात पर बल दिया गया कि दोनों प्रबल गुटो की पारस्परिक खींचतान को दृष्टि में रखते हुए भारत को तटस्थ नीति अपनानी चाहिये। अधिकांश समाचार-पत्रों ने अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के संबंध में प्रधान मंत्री के विचारो की पुष्टि की।

भावनगर काग्रेस अधिवेशन के निश्चयो की ओर काफी ध्यान दिया गया। इस प्रस्ताव को अधिक प्रश्रय नहीं मिल सका, कि सार्वजनिक अथवा निर्वाचित पदो पर दस वर्ष तक जो लोग कार्य कर चुके है, उन्हें स्वेच्छापूर्वक वहां से हट जाना चाहिये।

संयुक्त-राष्ट्र की जनरल असेम्बली में किये गये प्रधान-मंत्री के भाषण और परिस्थितियो से विवश होकर पंच-राष्ट्रीय प्रस्ताव, जिसमें अमरीका और रूस के प्रधानो के बीच पुनः संपर्क स्थापित करने की बात कही गयी थी, कि वापसी पर व्यापक रूप से टीका-टिप्पणी की गयी। अफ्रीकी-एशियायी प्रस्ताव की वापसी को शीत-युद्ध की कूटनीति का विषय माना गया और इसे अवांछनीय घटना कहा गया।

संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेम्बली के १५ वें सत्र के अवसर पर अपने देश का प्रतिनिधि मंडल ले जाने का सोवियत प्रधान-मंत्री श्री खुश्चेव के निश्चय की आलोचना और सराहना दोनो की गयी। सभी समाचार-पत्रों ने इस सत्र को, जिसमें कई राज्यो के प्रधान भाग ले रहे थे, संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में युगांतरकारी माना। एक तीन व्यक्तियो के सचिवालय की स्थापना और संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय को न्यूयार्क से हटाने के संबध में सोवियत प्रधान मंत्री के तर्कों का सामान्यतः विरोध किया गया। इस बात का संकेत किया गया कि ऐसे प्रस्ताव कभी स्वीकृत नही हो सकते थे और ऐसे प्रस्ताव संयुक्त-राष्ट्र को उपहासास्पद बना सकते थे।

जेनेवा में निशस्त्रीकरण वार्ता की असफलता पर चतुर्दिक खेद प्रकट किया गया। जहां कतिपय समाचार-पत्रों ने पश्चिम को निहित स्वार्थों तथा निशस्त्रीकरण के विषय में सुस्ती बरतने का दोषी ठहराया, वहां अन्य पत्रो ने निशस्त्रीकरण वार्ता से सोवियत संघ के अलग हो जाने को अदूरदर्शितापूर्ण और अनुचित कहा।

नवम्बर, १९६० में श्री जान एफ० कैनेडी के अमरीकी राष्ट्रपति निर्वाचित होने का स्वागत किया गया।

जनवरी, १९६१ में महारानी एलिजाबेथ और प्रिंस फिलिप के भारत आगमन का सभी समाचार-पत्रों ने खुले हृदय से स्वागत किया। यह आशा व्यक्त की गयी कि इससे भारत और इंगलैन्ड के संबंध और मजबूत होंगे।

जून, १९६० में रूस में राष्ट्रपति के अभ्यागम को एक महत्वपूर्ण घटना माना गया जो भारत-रूस मैत्री का द्योतक था और जिससे विश्व-शाति की दिशा में योग मिलने की आशा की जाती थी।

समाचार-पत्रो ने संयुक्त अरब संघ के राष्ट्रपति और जापान के राजकुमार तथा उनकी साम्राज्ञी के अभ्यागत का स्वागत किया ।

लाओस के गृह-कलह और नेपाल के निर्वाचित मंत्रिमंडल के भंग कर दिये जाने पर खेद प्रकट किया गया ।

हाल ही में बेल्जियम से स्वतंत्र हुए कांगों में घटनाओ का रुख बराबर चिन्ता का विषय बना रहा। समाचार-पत्रो ने इसे एक नवजात-राष्ट्र के संक्रमणकालीन कठिनाइयो से अधिक माना और कतिपय पत्रो के विचार में तो वहां आजादी के बाद भी उपनिवेशवादी तत्व युद्धरत थे। कांगो में बेल्जियम के सैनिको की उपस्थिति का विरोध किया गया किन्तु सुरक्षा परिषद् ने जिस गति और सरलता से कांगो में कार्रवाई की उसकी सराहना की गयी।

कांगोई प्रधान मंत्री श्री पैट्रिस लुमुम्बा के कत्ल पर व्यापक रूप से क्षोभ प्रकट किया गया ।

समाचार-पत्रो ने जापान के समाजवादी नेता, श्री असानुमा के गुप्त वध की निन्दा की।

समाचार-पत्रो ने संघ के गृह-मंत्री, प० गोबिन्द बल्लभ पंत की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया और उनकी स्मृति मे पावन श्रद्धाजलि अर्पित की। पत्रो ने ससद सदस्य श्री फिरोज गाधी और हिन्दी के मान्य कवि तथा संसद-सदस्य पं० बालकृष्ण शर्मा नवीन की स्मृति में भी श्रद्धांजलि अर्पित की ।

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० १५७ जनरल पब (हिन्दी)—१६–३–६३—१,२५०।